# अमर शहीद
# सरदार भगत सिंह

*राष्ट्रीय जीवनचरित*

# अमर शहीद सरदार भगत सिंह

**जितेन्द्रनाथ सान्याल**

भूमिका
**पुरुषोत्तम दास टंडन**

अनुवाद
**स्नेहलता सहगल**

संपादक
**आर. सहगल**

**नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया**

इस मूल पुस्तक का स्वत्वाधिकार यदि किसी व्यक्ति के पास हो, तो कृपया प्रमाण-सहित निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया से संपर्क करें।

इस पुस्तक का पहला हिन्दी संस्करण अगस्त 1947 में कर्मयोगी प्रेस, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था।

पुनर्मुद्रण के लिए पुस्तक की प्रति **दिनेश शर्मा** के सौजन्य से प्राप्त

ISBN 81-237-2932-4

पहला संस्करण : 1999 *(शक 1921)*

SHAHID SARDAR BHAGAT SINGH *(Hindi)*

**रु. 65.00**

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया,
ए-5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित

# विषय-सूची

# प्रकाशक के नाते...

चाहे आप इसे मेरी भूल कहें, चाहे दूरदर्शिता, पर मैं जीवन के प्रथम प्रभात से हिंसात्मक-सिद्धांतों का पोषक तथा समर्थक रहा हूं। आज हमारे देश में जो भी हो रहा है उसने मेरी इस धारण को और भी पुष्ट कर दिया है। 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' सिद्धांत का प्रेरक, चाणक्य, मूर्ख नहीं था। युद्ध में आक्रमण तथा आत्म-रक्षा के निश्चित-सिद्धांतों का सृजन अभी तक नहों हो सका है। युद्ध तथा प्रेम में सभी कुछ जायज है, (Everything is fair in love and war) वाली लोकोक्ति का निर्माण-कर्ता भी अवश्य ही कोई भुक्तभोगी रहा होगा। जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा पक्ष के प्रत्येक परिमाण में हम इस निश्चित-सत्य का अनुभव कर सकते हैं, अस्तु।

हमारे देश की एक-मात्र राष्ट्रीय संस्था की नीति परोक्ष रूप में अहिंसात्मक रही है। युद्ध-विद्या को विभिन्न चालों (Strategies) में से मैंने इसे भी एक प्रमुख चाल-मात्र समझा है; क्योंकि जिस कलुषित वातावरण से होकर हमारे देश को गुजरना पड़ा है, उसको दृष्टि में रखते हुए कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। व्यक्तिगत रूप से मैंने ही नहीं, बल्कि मेरे द्वारा संपादित एवं संचालित सभी पत्र-पत्रिकाओं ने आजीवन कांग्रेस का समर्थन किया है और लाखों का बलिदान भी। जब-जब कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों ने उग्र रूप धारण किया, तब-तब मुझे जेल-यात्रा करनी पड़ी और प्रचुर धन का नाश भी हुआ; पर मुझे इस बात का आंतरिक संतोष है कि मैं, न तो कभी नमक बनाने के अभियोग में जेल गया और न झंडा लेकर आम सड़क पर चलने के अपराध में ! प्रत्येक बार मुझ पर भारतीय दंड विधान की धारा 124.ए (बगावत) के मातहत अभियोग लगाया गया और मुझे इसका गर्व है कि मैंने अपने इस सिद्धांत की ईमानदारी से आज तक रक्षा की है। मेरी तो निश्चित धारणा है कि आज इस देश में जो भी थोड़ा-बहुत राजनैतिक जागरण दिखाई देता है, उसका अधिकांश श्रेय महात्मा गांधी के शब्दों में, उन मुट्ठी भर 'गुमराह, उतावले, मूर्ख तथा पथ-भ्रष्ट' हुतात्माओं को ही है, जिनकी राजनीति ने ब्रिटिश-साम्राज्य का नातका बंद कर दिया था–प्रत्येक अंग्रेज की नींद हराम कर दी थी। मैंने सदैव इन मुट्ठी भर नवयुवक तथा नवयुवतियों की कद्र की है--यथाशक्ति समय-समय पर इनकी सहायता भी। इनकी निर्भीकता, साहस, त्याग एवं खड़े-खड़े बलिदान हो जाने की

भावना ने मुझे इनका गुलाम बना लिया था। इन्हीं सद्गुणों से प्रभावित होकर मैंने इनके लिए क्या नहीं किया ? आज, जब कि देश का नव-निर्माण होने जा रहा है, मेरा कर्तव्य था कि देश के कर्णधारों को इनकी सुध दिला दूं और इसी धारणा से प्रेरित होकर मैंने प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय किया और आज यह आपके सामने है। पुस्तक का संक्षिप्त इतिहास पाठक अन्यत्र देखेंगे ही। मेरी प्रार्थना है कि इस पुस्तक को आद्योपांत पढ़ने के पश्चात आप मुझे बतलाएं, कि आज इतना उत्साह, इतना साहस और इस भांति मर-मिटने की आरजू देश के कितने नेताओं में है ? आज देश के कितने नेता हंसते-हंसते फांसी के तख्तों को चूमने की क्षमता रखते हैं ? इन जैसी निर्भीकता, तत्परता तथा मृत्यु का सहर्ष आलिंगन करने का साहस कितने नेताओं में आपको मिलेगा ? पर इस श्रेणी के बचे-खुचे नवयुवक आज भी राह के भिखारी हो रहे हैं। सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर-इन-चीफ (प्रधान सेनानायक) स्वर्गीय चन्द्रशेखर आजाद की जननी आज जालौन के जंगलों में उपले पाथ कर और कंडे बेचकर जीवन का बोझ हल्का कर रही है और इसके विपरीत देश के छंटे हुए गुंडे कांग्रेस के नाम पर विलासिता की गोद में अठखेलियां करते प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं !

'चांद' का 'फांसी अंक' स्वर्गीय सरदार भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों की ही देन थी, जिसने देश में एक बार ही बिजली कौंधा दी थी। सन् 1928-29 में मुझे उनके संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नाम तथा वेष बदलकर ऐसे कई कर्मठ नवयुवक उस समय मेरे निकटतम सहयोगियों में रहे हैं। 'कर्मयोगी' जब प्रकाशित हुआ है (सन् 1938) तब भी श्री सुखदेव राज इसके प्रबंधक तथा श्री यशपाल इसके संपादकीय विभाग में थे; श्रीमती सुशीला देवी (दीदी), उनकी सहोदरा श्रीमती शांता देवी, स्वर्गीय भगवतीचरण की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी (भाभी) तथा स्वर्गीया डाक्टर लीलावती आदि महिलाएं मेरे द्वारा संचालित मातृ-मंदिर में एक सुदीर्घ काल तक रह चुकी हैं जब कि उनकी गिरफ्तारी के लिए हजारों रुपए के पारितोषिक विघोषित हो चुके थे। ऐसी हालत में इनके प्रति मेरा पक्षपात होना स्वाभाविक हो सकता है, इसीलिए मैं इस संबंध में अधिक लिखना भी नहीं चाहता। पुस्तक के परिशिष्ट में लाहौर षड्यंत्र के केस की जो मनोरंजक कार्यवाही दी गई है, वह भी इन्हीं मित्रों की देन है, अतएव दुर्लभ तथा प्रामाणिक है और हर-कहीं प्राप्त भी नहीं हो सकती। इन पंक्तियों द्वारा पाठक ब्रिटिश न्यायालयों की धूर्तता तथा बेईमानियों का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ ही यह भी देखेंगे, कि चांदी के टुकड़ों तथा पद-लोलुपता की भावनाओं से प्रेरित होकर मुसलमानों ने किस हद तक मुल्क-फरोशी का व्यवसाय किया है। इस मामले की 'जांच' के लिए अंग्रेजों ने ढूंढ़-ढूंढ़ कर छंटे हुए गुंडों को एकत्र किया था, जिसका जीता-जागता प्रमाण आपको प्रत्येक पृष्ठ में मिलेगा; शायद इसीलिए पुलिस विभाग में मुसलमानों का बहुमत आज

भी हमें दिखाई देता है।

पुस्तक की सामग्री के संबंध में भी मुझे कुछ और भी निवेदन करना है। सन् 1931 में मेरे मित्र और स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के साथी श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल ने एक छोटी-सी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी। अंग्रेजी में इसलिए, कि नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस की सलाह थी कि इसकी कुछ प्रतियां विलायत तथा अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में भेजी जाएं। प्रचार (Propaganda) हमारा उद्देश्य था। पुस्तक की 300 प्रतियां बड़ी सावधानी से श्री सान्याल के छोटे भाई श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल कुछ प्रमुख क्रांतिकारी केंद्रों में बांटने के उद्देश्य से ले गए थे पर मथुरा में पुलिस द्वारा पकड़ ली गईं; शेष बंबई तथा कलकत्ते में अतएव थोड़ी-सी प्रतियां ही फैल सकीं। पुस्तक की जब्ती जिस नाटकीय ढंग से हुई, उसका विवरण पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे ही। प्रस्तुत पुस्तक की जीवनी वाले अंश का जहां तक संबंध है, वह उसी पुस्तक के आधार पर लिखी गई है। शेष सामग्री, कुछ मेरी स्मरण-शक्ति की उपज है, कुछ पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर और अधिकांश मेरी 'भविष्य' के जगमगाते पन्ने हैं। लाहौर षड्यंत्र की कार्यवाही का अधिकांश विवरण स्वयं उसके नायकों द्वारा संपादित है। जिन दिनों 'भविष्य' प्रकाशित हो रहा था उन दिनों भी इस षड्यंत्र केस के कुछ फरार 'अभियुक्त' अपना नाम तथा भेष बदल कर इसके संपादकीय विभाग में काम करते थे, जिसका पता केवल मुझे, मेरी धर्मपत्नी तथा मेरी साली-मात्र को था। मेरे विश्वासघाती भाई, नंदगोपाल सिंह तक को इस बात का पता नहीं था, और यह ठीक ही हुआ, नहीं तो शायद मैं आज अंडमान में होता। जिस प्रकार इस आस्तीन के सांप ने मेरा सर्वनाश किया, उसे देखते हुए वह यह अनिष्ट भी सहज ही कर सकता था। पाठकों को विस्मरण न करना चाहिए, कि वह आर्डिनेंस-युग था। मुर्गी के अंडों की भांति उस जमाने के वायसराय और गवर्नर-जनरल लार्ड विलिंगडन प्रायः नित्य ही एक नया आर्डिनेंस प्रसव किया करते थे। मेरी कोठी के चारों ओर 24 घंटे खुफिया पुलिस के भूत मंडराया करते। बाद में तो उन्होंने कोठी के सामने अपने खीमे तक गाड़ लिए थे। कहीं भी कोई बम फटा अथवा कोई राजनैतिक हत्या हुई, कि इलाहाबाद में सबसे पहले मेरी तलाशी हुआ करती थी। यदि मैं भूल नहीं करता, तो कुल मिलाकर करीब 40 बार मेरे यहां पुलिस ने तलाशियां ली होंगी। किसी-किसी बार तो पुलिस के सैकड़ों सशस्त्र सिपाही तथा आफिसर मेरी कोठी का रातों-रात घेरा डाल लिया करते और दिन निकलते ही तलाशी शुरू हो जाती। 'भविष्य' के कई संपादक गिरफ्तार हुए और इसके कई अंक जब्त भी कर लिए गए। एक ऐसे कलुषित वातावरण में इस प्रकार की 'खतरनाक' सामग्री को सुरक्षित रखना कितना कठिन है, पाठक इसकी कल्पना सहज ही कर सकते हैं। 15-16 साल तक इन चीजों को जिस सावधानी से छिपा कर रखा गया है, वह मैं ही जानता हूं पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा यह प्रयास निष्फल

नहीं हुआ और आज एक वृहत पुस्तकाकार देशवासियों के हाथ में सौंपी जा रही है। मैं कहना यह चाहता हूं कि मुकदमों की कार्यवाही में कहीं-कहीं दैनिक विवरण खंडित हो गया है। इसका कारण है कुछ कागजों का गुम हो जाना, कुछ पुलिस के हाथ पड़ जाना और कुछ दीमकों द्वारा नष्ट कर दिया जाना। पर जो भी थोड़ी-बहुत सामग्री बच सकी है, मेरा ख्याल है, वह इतिहास के विद्यार्थियों के बड़े काम की चीज सिद्ध होगी।

इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ छापने के लिए मुझे कागज के अभाव के कारण सचमुच ही तरसना पड़ा है और महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ी है; ऐसी हालत में मैं, न तो इच्छानुकूल पुस्तक छाप सका और न चित्र ही; क्योंकि एक ओर आर्ट-पेपर नहीं मिला, दूसरी ओर स्याही तथा अन्य आवश्यक सामग्री का नितांत अभाव रहा पर मुझे इस बात का संतोष है कि पाठकों की पाचन-शक्ति आजकल खूब जागृत है अतएव आशा है कि सड़े-गले मिलने वाले गेहूं की भांति पाठक इस प्रकाशन को भी सहज ही हजम कर सकेंगे।

अपने प्रेस में कर्मचारियों के अभाव के कारण तथा पुस्तक शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित कर देने की लालसा से प्रेरित होकर, इस पुस्तक के अंतिम करीब 250 पृष्ठों को दूसरों के प्रेस में छपाना पड़ा, जो स्वयंमेव अलग बोल रहे हैं। इनकी छपाई खराब होने के अतिरिक्त, कुछ भूलें भी रह गई हैं, पर इसका कोई इलाज ही नहीं था। इस पुस्तक के संपादन तथा छपाई-संबंधी व्यवस्था करने में चि. स्नेहलता के छोटे भाई, मास्टर नरेन्द्र सहगल से—जो इस समय बी. ए. (फाइनल) का विद्यार्थी है—मुझे काफी सहायता मिली है। पुस्तक का अधिकांश प्रूफ भी उसी ने देखा है अतएव उसकी पीठ पर हाथ फेर देना भी मेरा कर्तव्य है।

पुस्तक की अनुवादिका मेरी लड़की है, जिसने श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल की अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर इस किले का निर्माण किया है, अतएव उसके संबंध में कुछ भी कहना मेरे अधिकार की बात नहीं है। इस सिलसिले में मुझे केवल एक मनोरंजक घटना का उल्लेख-मात्र करना है। जब मेरी बच्ची 5-6 साल की थी और गर्ल्स हाई स्कूल (यूरोपियन) में पढ़ रही थी, उन दिनों एक बार स्वर्गीय भगत सिंह पधारे थे। मेरी एल्गिन रोड वाली कोठी की सड़क के दोनों ओर आम के वृक्ष थे, उनमें से एक में एक पतंग आकर अटक गई थी। चि. स्नेह ने उसे दिन से ही देख रखा था। शाम को मैं और भगत सिंह नित्य की भांति बाग में टहल रहे थे, कि स्नेह फुदकती हुई पहुंच गई और उसने पेड़ पर से पतंग उतरवा देने की जिद की। मैं बातों की गंभीरता में इतना डूबा हुआ था कि सचमुच ही मैं उसे डांटने वाला था। देखता क्या हूं कि भगत सिंह तुरंत ही बंदर की भांति पेड़ पर चढ़ गया और गिलहरी की तरह उतर कर उसने पतंग स्नेह के हाथ में पकड़ा दी और उसे प्यार भी किया। आम का वह वृक्ष मुझसे करीब 20 फीट आगे रहा होगा। जब कि ये

सब कुछ हो चुका था, और जैसे ही मैं उस वृक्ष के नीचे पहुंचा, भगत सिंह बगल में था और बातों का सिलसिला वहां से शुरू हुआ जहां से वह टूटा था—मानो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा बहादुर था भगत सिंह ! पतंग पाकर स्नेह का आनंद-विभोर हो जाना सर्वथा स्वाभाविक ही था। 5-6 वर्ष के बच्चे जिन मूक संकेतों द्वारा कृतज्ञता का प्रकाशन करते हैं, वैसे ही उसने भी किया था। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्नेह ने उस ऋण से मुक्त होने का प्रयास किया है और श्रद्धेय टंडन जी ने उसके इस प्रयास की भूमिका लिखकर उसमें सचमुच ही चार चांद लगा दिए हैं। दोनों ही अपने हैं, इनके संबंध में लिखा भी क्या जा सकता है ?

रैन बसेरा
जुलाई 21, 1947

**—आर. सहगल**

# भूमिका

सरदार भगत सिंह के पार्थिव शरीर का नाश हुए 16 वर्ष से अधिक हो गए। आज भी उनका चित्र नगरों और ग्रामों के घरों और दूकानों में, कहीं अकेला और कहीं देश के दो-चार ऐतिहासिक पुरुषों या देवताओं के चित्रों के साथ, लगा दिखाई देता है। उनका नाम देश के कोने-कोने में फैला है और श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। उनके बलिदान ने उनके नाम को देश की प्रिय-वस्तु बना दिया है।

आज जब भारतवर्ष में ब्रिटिश-शासन की समाप्ति के अंतिम दृश्य हम देख रहे हैं, हमें भगत सिंह की बरबस याद आती है। हम भूल नहीं सकते कि उस शासन की जड़ों को अपने क्रांतिकारी कामों और आत्म-समर्पण से भगत सिंह ने गहरा धक्का दिया था और जनता के हृदय में उसके उखाड़ फेंकने की तीव्र भावना भर दी थी।

भगत सिंह युवावस्था में चले गए, उनकी भावनाओं की कुछ कल्पना उनके कामों और अदालत में दिए गए उनके बयानों से हम कर सकते हैं। मुझको याद है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के अभियोग के उत्तर में जो बयान उन्होंने अदालत में दिया था, उसका कितना गहरा प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा था।

इस पुस्तक में भगत सिंह के जीवन की कड़ियों को लड़ी में बांधने का यत्न है। कई वर्ष हुए, श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल ने अंग्रेजी में एक पुस्तक 'सरदार भगत सिंह' के शीर्षक से लिखी थी। उस पुस्तक का प्रकाशन गवर्नमेंट की आज्ञा से रोका गया था। कुछ महीने हुए हमारे प्रांत की गवर्नमेंट ने उस रोक को हटाया है। इस पुस्तक के प्रकाशक श्री रामरख सिंह सहगल की चिरंजीविनी, कुमारी स्नेहलता सहगल ने उसी पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक लिखी है, किंतु इस पुस्तक में परिशिष्ट के रूप में सरदार भगत सिंह के संबंध में अधिक सामग्री दी गई है। हमारे देश के एक विशिष्ट पुरुष और उसके साथियों का विवरण होने के कारण यह पुस्तक देश के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में हिंदी-प्रेमियों के लिए सहायक होगी। मैं इसका स्वागत करता हूं।

आज की स्थिति में यह पुस्तक सामयिक है। भगत सिंह और उनके साथियों का विश्वास देश-वैरियों की हिंसा के पक्ष में था। इस समय यह प्रश्न एक दूसरी

पृष्ठभूमि में हमारे सामने है। हिंसा अथवा अहिंसा—हमारे देश का पुराना दार्शनिक-प्रश्न है। हममें से हर एक के जीवन का रूप इस बात पर निर्भर करता है, कि वह किस रीति से हिंसा और अहिंसा का समन्वय करता है। जन-रक्षा और शासन से जिनका संबंध है, उनके सामने इन दो विरोधी-सिद्धांतों के समन्वय का प्रश्न हर समय व्यावहारिक रूप में रहता है। वास्तव में मनुष्य की प्रेरणाओं में और बाह्य प्रकृति की क्रीड़ाओं में रक्षा और संहार, दोनों शक्तियां साथ काम करती दिखाई देती हैं। प्रकृति हमें उत्पन्न करती है और हमारी रक्षा करती है, साथ ही अपनी एक हिलोर में हमारा नाश करती है। जिसके ऊपर समाज संचालन का दायित्व रहता है उन्हें भी रक्षा और संहार, दोनों ही काम करने पड़ते हैं। इसी अर्थ का द्योतक भगवत-गीता का वह वाक्य है 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्'। दुष्टों का नाश, संसार की प्रगति का आवश्यक अंग है। यदि हमारी गहरी दृष्टि हो, तो उस हिंसा में भी हमें अहिंसा दिखाई देगी। मैं किसी को मारता हूं, तो इसका यह आवश्यक अर्थ नहीं है कि मैं उसका बुरा चाहता हूं, उसकी भलाई मेरे उस काम में निहित हो सकती है। हमारे हृदयों में भावनाओं का वैसे ही करुणापूर्ण संघर्ष होता है, जैसा अर्जुन के हृदय में हुआ था। सरदार भगत सिंह ने अपने लिए किस रूप में इस समस्या का हल ढूंढ़ा, यह हम इस पुस्तक से जान सकेंगे।

—पुरुषोत्तमदास टण्डन

लखनऊ
बृहस्पतिवार, 26 आषाढ़ 2004

# अमर शहीद सरदार भगत सिंह पुस्तक की जब्ती का मनोरंजक विवरण

**अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन, उसकी नाटकीय-जब्ती, विभिन्न स्थानों की तलाशियां, गिरफ्तारियां तथा मुकदमे का मनोरंजक विवरण**

वर्तमान सिंध में पाकिस्तानी-गवर्नर, मि. आर. एफ. मूडी (जो सन् 1931 में इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था) की कलुषित मनोवृत्ति तथा नीचता के कुछ प्रत्यक्ष नमूने और उसका फैसला

# पुस्तक की जब्ती का मनोरंजक विवरण

अमर शहीद स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के राजनैतिक विचारों एवं सिद्धांतों के संबंध में जो अनेक भ्रांतियां फैली हुई थीं, केवल उन्हें एक हद तक दूर करने के अभिप्राय से उनके अन्यतम सहयोगी एवं मित्र श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल ने उनकी एक संक्षिप्त जीवनी अंग्रेजी में लिखी थी, जो सहगल जी द्वारा उनके 'फाईन आर्ट प्रिंटिंग काटेज' (चांद-प्रेस) में मुद्रित हुई थी; किंतु वह संयुक्त प्रांतीय गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर ली गई। 12 जून, 1931 के प्रातःकाल संस्था पर पुलिस का धावा हुआ और सहगल जी को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित तलाशी का वारंट दिखाया गया। इस वारंट में एक विशेषता यह थी कि तलाशी लेने की आज्ञा के अतिरिक्त, एक जुमला यह भी जोड़ दिया गया था कि "यदि आवश्यकता समझी जाए, तो तलाशी के सिलसिले में 'बल-प्रयोग' भी किया जा सकता है।" संस्था में पुस्तक की केवल एक प्रति मिली, जिसे पुलिस ले गई, अस्तु।

दूसरे दिन, अर्थात 13 जून, 1931 की शाम को पुलिस का एक सबल-दल संस्था में फिर पहुंचा, जिसमें 4-5 दारोगा, खुफिया-पुलिस के कर्मचारी तथा 10-15 सिपाही आदि थे। सहगल जी के पास इत्तिला भेजी गई कि पुलिस 'चांद' तथा 'भविष्य' के संपादक, मुद्रक तथा प्रकाशक को गिरफ्तार करने आई है। श्री त्रिवेणी प्रसाद जी, बी. ए. ने इस शुभ समाचार का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। चलते समय प्रेस तथा कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। उन पर फूलों की वर्षा की गई, हार आदि पहनाकर वे पुलिस वालों के हवाले कर दिए गए। चूंकि सहगल जी के साथ उन्हें निजी मोटर में बैठने की आज्ञा नहीं दी गई, अतएव उन्हें जेल की लारी में ही बैठना पड़ा। प्रेस-कर्मचारियों ने 'इंकलाब जिंदाबाद' तथा 'भगत सिंह जिंदाबाद' आदि के नारों से मानों सिविल लाइन को सर पर उठा लिया।

जिस समय गिरफ्तारी की रस्म अदा हो रही थी, उस समय संस्था के बगल वाले बंगले में अपनी मोटर में छिपे हुए मि. मूडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब सारा दृश्य देख रहे थे। सहगल जी स्वयं श्री त्रिवेणी प्रसाद जी का आवश्यक सामान अपने साथ लेकर जेल तक गए; किंतु डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर ने सामान लेने से, इसलिए इनकार कर दिया कि उन्हें अधिकारियों की ओर से आज्ञा नहीं मिली थी; बहुत

कहने-सुनने पर दो रुपये उन्होंने दूध आदि के लिए स्वीकार किए, एक कंबल और तकिया भी ले लिया गया।

इसी समय मालूम हुआ कि श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल भी भारतीय दंड-विधान की धारा 124-ए के अनुसार गिरफ्तार करके इसी जेल में लाए जा चुके हैं।

दूसरे रोज श्री अखिलनाथ सान्याल, बार-एट-ला, श्री जे. सी. मुकर्जी एडवोकेट हाईकोर्ट तथा सहगल जी जेल में 'अभियुक्तों' से मिलने गए; किंतु पहले मिलने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया गया; यहां तक कि सहगल जी जेल-सुपरिंटेंडेंट के दुर्व्यवहार से खीजकर बाहर लौट आए; फिर थोड़ी देर के बाद साहब बहादुर अपना आगा-पीछा सोचकर स्वयं बाहर आए और बड़ी कृपा प्रदर्शित करते हुए 'अभियुक्तों' से मिलने की उन्हें तथा कानूनी सलाहकारों को आज्ञा दे दी गई। मिलने पर दोनों अभियुक्तों को सभी ने खूब प्रसन्नचित्त पाया। उनका कहना था, कि "सरदार भगत सिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण जेल आने से हमें जितना संतोष और प्रसन्नता हुई है, उसका अनुभव हम लोग ही कर सकते हैं—बाहर वाले नहीं" दूसरे दिन मुलाकात करने की आज्ञा, यह कह कर नहीं दी गई कि जेल के नियमित कार्यों में बाधा होती है, केवल रविवार को भेंट की जा सकती है।

इधर श्री अखिलनाथ सान्याल ने कलक्टर साहब को 14 जून, 1931 को इस आशय का पत्र लिखा, कि चूंकि मैं 'अभियुक्तों' का कानूनी सलाहकार नियुक्त हुआ हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बिना मेरी जानकारी के कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन कैंप अमानगंज (इलाहाबाद से लगभग 20 मील दूर) से कलक्टर साहब का पत्र मिला कि "अभियुक्त 16 जून को मेरे सामने पेश किए जायेंगे" न पत्र में यह लिखा था कि कहां पेश किए जायेंगे—अमानगंज में, डिस्ट्रिक्ट जेल में अथवा अदालत में; और न समय ही लिखा गया था। शाम को सरकारी वकील से पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें अब तक कोई सूचना ही नहीं मिली है। दूसरे दिन सुबह जांच की गई; पर कोई पता नहीं चला। 16 जून को दस बजे जेलर से पूछने पर मालूम हुआ, कि इस संबंध में उन्हें भी कुछ पता नहीं है !

16 जून की दोपहर को एकाएक किसी भले आदमी ने सान्याल साहब (बैरिस्टर) को हाईकोर्ट में सूचना दी कि 'अभियुक्त' अदालत में पेश हैं। मुकर्जी साहब को जरा पहले ही सूचना मिल गई थी, इसलिए वे पहले से ही हाजिर थे। जब बैरिस्टर सान्याल अदालत में पहुंचे तो सरकारी गवाहियां लगभग समाप्त हो चुकी थीं। सरकारी गवाहों में सुपरिंटेंडेंट पुलिस, दारोगा और पेशकार आदि ही थे, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी की आज्ञा तथा तलाशी आदि का समर्थन किया। इन गवाहों से 'अभियुक्त' श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल स्वयं इच्छानुकूल जिरह कर चुके थे !

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई कि विचारधीन कैदियों को भविष्य में

हथकड़ी और बेड़ियों से न जकड़ा जाए, पर उन्होंने, यह कहकर प्रार्थना अस्वीकार कर दी कि सान्याल बनारस षड्यंत्र-केस में दंडित हो चुका है। श्री त्रिवेणी प्रसाद जी के संबंध में कहा गया कि 'वह उनका साथी है।'

वकीलों की ओर से 'अभियुक्तों' को जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना की गई, जो तुरंत अस्वीकृत कर दी गई और अगली पेशी एक जुलाई के लिए स्थगित बतलाई गई। अभियुक्त जिस प्रकार आए थे, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर वापस भेज दिए गए। ये लोग 'सी' क्लास में ही रखे गए थे।

17 जून की शाम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की अदालत में जमानत पर 'अभियुक्तों' के छोड़े जाने की दरख्वास्त दी गई, पर उन्होंने 18 जून की दोपहर को दरख्वास्त पर विचार करने का 'हुक्म' लिख दिया। विश्वस्त-सूत्र से पता चल गया कि सरकारी वकील को गवर्नमेंट की ओर से इस दरख्वास्त के विरोध करने का आदेश दिया गया है।

लाहौर से समाचार मिला कि इसी पुस्तक के संबंध में वहां 14 जून को अनेक तलाशियां हुई, जिनमें कुछ व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम ये हैं : मेसर्स रामकृष्ण एंड संस, अनारकली पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक; कामरेड, रामचन्द्र, बी. ए. संयुक्त संपादक 'वीर भारत'; कामरेड क्रांति कुमार; लाला गनपतराय, बी. ए. संपादक 'वंदेमातरम्'; सरदार किशन सिंह जी, (स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के पूज्य पिता) मेहता आनन्दकिशोर; मेसर्स वर्मा एंड कंपनी; ''अखिल भारतवर्षीय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव स्मारक संघ''; हिंदोस्तानी सेवा दल; 'वीर भारत' कार्यालय; 'वंदेमातरम्' कार्यालय; सर्वेंट्स आफ दि पीपुल सोसाइटी आदि आदि; किंतु किसी भी स्थान से पुस्तक की एक भी प्रति पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी। बेचारों को निराश होकर लौट जाना पड़ा।

पहली जुलाई को फिर मामले की पेशी हुई। श्री अखिलनाथ सान्याल बार-एट-ला तथा श्री जे. सी. मुकर्जी एडवोकेट ने इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया, चूंकि अभी बहुत से कागजात तथा प्रमाण संग्रह करने हैं, इसलिए थोड़ी और मोहलत मिलनी चाहिए। उन्होंने महात्माा गांधी, पं. मदनमोहन मालवीय, 'पीपुल' तथा 'हिंदोस्तान टाइम्स' के संपादक (क्रमशः) लाला फिरोजचंद तथा श्री जे. एन. साहनी आदि कई गवाहों को तलब करने की प्रार्थना भी की थी, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना था कि यदि इलाहाबाद के चंद गवाह वे पेश करना चाहें, तो कर सकते हैं। शेष कागजात दाखिल करने के लिए 6 जुलाई मुकर्रर हुई और बहस के लिए 11 जुलाई, 1931। अदालत में खुफिया पुलिस के कई अफसर भी उपस्थित थे।

11 जुलाई, 1931 को फिर मामला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मि. मूडी की अदालत में पेश हुआ। अदालत का कमरा दर्शकों से खचाखच भरा था। प्रयाग विश्वविद्यालय

तथा अन्य स्कूल तथा कालेजों के प्रगतिशील विद्यार्थियों की अपार भीड़ कचहरी के कंपाउंड में 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगा रही थी। कुछ महिलाएं भी मोटर तथा गाड़ियों में उपस्थित थीं, जिन्होंने अभियुक्तों के पहुचते ही उन्हें तथा सहगल जी को स्नेहपूर्वक फूलों की मालाएं पहनाईं और बड़ा हर्ष प्रकट किया। महिलाओं के इस कार्य से दर्शकों में बड़ा जोश फैल गया और फलस्वरूप मि. मूडी ने स्वयं टेलीफोन करके पुलिस का एक जबर्दस्त दस्ता बुला भेजा। कई बार मूडी साहब को स्वयं दौड़-दौड़कर बाहर जाना पड़ा। एक बार उसके गाली देने पर दर्शकों ने नारा बुलंद किया "साला धोबी है" इस पर लाठी चार्ज की आज्ञा दे दी गई। कई व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए, बहुतों ने पुलिस की लाठियां छीन लीं। थोड़ी देर तक विभिन्न अदालतों की समस्त कार्यवाही रोक देनी पड़ी। जरा शांति होने पर नाक से फुंकारे छोड़ते हुए मूडी साहब ने पुनः आसन ग्रहण किया और ऐसे गर्म वातावरण में यह मुकदमा पेश हुआ।

अभियुक्तों की ओर से, युक्तप्रांतीय धारा-सभा तथा सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य पं. वेंकटेशनारायण तिवारी तथा केंद्रीय असेंबली के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय पं. कृष्णकान्त मालवीय से, जो सफाई पक्ष की ओर से गवाही देने आए थे, जिरह की गई।

## पं. वेंकटेशनारायण तिवारी

अभियुक्तों की ओर से बैरिस्टर श्री अखिलनाथ सान्याल के पूछने पर पं. वेंकटेशनारायण तिवारी ने कहा कि हाल ही में अभियुक्त सान्याल ने मुझे 'सरदार भगत सिंह' की एक प्रति दी थी, उसे मैंने पढ़ा था। इसका अनुवाद भी मैंने पढ़ा था, जो 'भविष्य' में निकला करता था।

अभियुक्तों के वकील—क्या आप इस पुस्तक में ऐसा कोई वाक्य-समूह पाते हैं, जिससे सरकार के प्रति घृणा फैलना संभव हो ?

श्री तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पढ़ने पर ऐसा कोई भाव नहीं उत्पन्न होता।

इसके बाद सफाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था—'जेलों में राजनैतिक कैदी अन्य कैदियों से अलग रखे जाते हैं।' वकील ने गवाह से पूछा, कि क्या वह अपने इस विचार का कारण बतला सकते हैं कि वह वाक्य-समूह सरकार के प्रति घृणा-भाव क्यों नहीं फैला सकता ?

गवाह ने कहा—उस वाक्य-समूह में जो कुछ भी कहा गया है, वह 70,000 राजनैतिक कैदियों का अनुभव है, जो भद्र-अवज्ञा आंदोलन के समय जेल भेजे गए

थे, और इसी प्रकार के वक्तव्य भी प्रकाशित किए गए हैं। स्वयं मेरा भी ऐसा ही अनुभव है।

श्री तिवारी जी ने आगे कहा, कि जब पं. जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उस समय मैं उनसे मिलने गया था। उस समय जेल के सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि पं. जवाहरलाल नेहरू अपने बैरक से बाहर नहीं जा सकते हैं। वे वहां अकेले रखे गए हैं, और बैरक के बाहर घूमने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जब मैं स्वयं सजा पाकर जेल गया, तो पं. जवाहरलाल नेहरू से मुझे मालूम हुआ कि कुंवर महाराजसिंह (कमिश्नर) की आज्ञा से शाम और सुबह को उन्हें टहलने के लिए बाहर निकलने की आज्ञा दी गई है। जब पंडित जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तो उस समय अन्य सभी कैदी अपनी सेलों में बंद रहते थे, और जब तक पंडित जी लौटकर बैरक में वापस नहीं आ जाते थे, तब तक अन्य कैदी सेलों से नहीं निकाले जाते थे।

मैजिस्ट्रेट ने पं. जवाहरलाल नेहरू संबंधी बातों के तजकरे को अनुचित समझा और इसलिए उसे नोट नहीं किया।

इसके बाद सफाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें सरदार भगत सिंह को कोर्ट-रूम में मारने के संबंध का विवरण दिया गया था, और पूछा था कि उक्त वाक्य-समूह सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न करता है या नहीं ?

श्री तिवारी जी ने कहा कि इससे कुछ विशेष अफसरों को छोड़कर, जो इस कार्य में शरीक थे, सरकार के प्रति असंतोष का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता।

आगे सवाल करने पर गवाह ने कहा कि उक्त पुस्तक ऐसी भाषा और शैली में लिखी गई है, जिससे सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में उसकी भाषा बे-जान है और लिखने का ढंग भी भद्दा-सा है। अगर लेखक चाहता तो पुस्तक बहुत जहरीली बन सकती थी।

सरकारी वकील के जिरह करने पर श्री तिवारी जी ने कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हैसियत से, 124-ए धारा में आने वाले 'hatred,' 'contempt' और 'dis-affection' शब्दों में मैं कोई अंतर नहीं समझता। उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि 'discontent और 'dis-affection' में कोई अंतर नहीं है।

सफाई-पक्ष के वकील—क्या आप 'revolution' और 'revolutionary' शब्दों का अर्थ जानते हैं ?

गवाह—हां ! मैं एम. ए. हूं।

वकील—किसी क्रांति में भाग लेने वाला मनुष्य क्या सरकार के विरुद्ध असंतोष का भाव रखता है।

गवाह—यह कुछ आवश्यक नहीं है। वह सरकार के विरुद्ध असंतोष का भाव

रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता।

वकील—सरकार के प्रति असंतोष को छोड़कर ऐसा और कौन भाव है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य क्रांति कर सकता है ?

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह का ध्यान निम्नलिखित वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया :

"Henceforth his life was part of a story of the revolutionary movement in India and it now behoves us to give some account of this revolutionary organisation to which Bhagat Singh dedicated his heart and soul."

अर्थात—"अब से इनका जीवन भारतीय क्रांति की कहानी का एक भाग बन गया, और हमें अब उस क्रांतिकारी संगठन का कुछ विवरण देना उचित है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह ने अपना हृदय और अपनी आत्मा समर्पित कर दी थी।"

सरकारी वकील—क्या यह सत्य नहीं है कि पुस्तक का रचयिता सरदार भगत सिंह की प्रशंसा करता है, और उन्हें उदाहरणस्वरूप अपने पाठकों के सम्मुख, इस उद्देश्य से रखना चाहता है कि वे उनका अनुसरण करें ?

गवाह—नहीं, मुझे तो ऐसा कोई भाव जाहिर नहीं होता।

इसके बाद अदालत ने गवाह से जिरह की । अदालत के यह पूछने पर, कि समूची किताब को पढ़कर क्या भाव उत्पन्न होता है, गवाह ने कहा—पुस्तक पढ़ते समय ऐसा कोई भाव मेरे हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे मालूम हो कि पाठकों के हृदय में इस पुस्तक से सरकार के विरुद्ध कोई भाव उत्पन्न होगा; बल्कि मेरे हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ, कि इस पुस्तक से सरकार के प्रति साधारण जनता के हृदय में, न तो कोई बुरा ही भाव उत्पन्न होगा और न अच्छा ही।

अदालत—इस पुस्तक को पढ़कर लोग भगत सिंह को अच्छा समझेंगे या बुरा ?

गवाह—भगत सिंह के संबंध में ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनका प्रभाव पाठकों पर पड़ सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगत सिंह संबंधी सारी बातों की लोग प्रशंसा ही करेंगे।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—इस पुस्तक को पढ़कर लोग भगत सिंह को, उनके कार्य करने का मार्ग दूसरा होते हुए भी, अच्छा समझेंगे।

अदालत—क्या इस पुस्तक में सरदार भगत सिंह के विरुद्ध कुछ लिखा गया है ?

गवाह—जहां तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, न तो भगत सिंह के पक्ष में ही कोई बात लिखी गई है और न उनके विरुद्ध ही कोई बात लिखी गई है।

अदालत—यदि पाठक भगत सिंह को अच्छा व्यक्ति समझें, तो क्या उनके मन

में यह ख्याल भी उत्पन्न होगा, कि उन्हें सरदार भगत सिंह के समान बनना चाहिए ?

गवाह–यह आवश्यक नहीं है। जनता पर पुस्तक का साधारण प्रभाव इस ढंग का नहीं पड़ता है, कि सरदार भगत सिंह का अ् करण करने का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा–पुस्तक का प्रभाव न तो भगत सिंह के मार्ग के पक्ष में ही पड़ सकता है और न उसके विपक्ष ही में।

## (स्वर्गीय) पं. कृष्णकान्त मालवीय

अभियुक्तों की ओर के वकील के पूछने पर पं. कृष्णकान्त मालवीय ने कहा कि पढ़े गए वाक्य-समूहों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे सरकार के प्रति असंतोष का भाव फैले।

एक दूसरे वाक्य-समूह को सुनाकर वकील ने गवाह से पूछा–पुस्तक का रचयिता भगत सिंह को त्रासवादी के रूप में दिखलाना चाहता है या साम्यवादी के रूप में ?

गवाह–साम्यवादी के रूप में।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि इस पुस्तक का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि लोगों ने इसके पहले भी समाचार-पत्रों में इन सब बातों को पढ़ लिया है।

जिरह किए जाने पर पं. मालवीय ने कहा–यह पुस्तक इतनी नम्र भाषा में लिखी गई है कि पाठकों के हृदय पर सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है।

सरकारी वकील–क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह और सरकार एक-दूसरे के विरोधी थे ?

गवाह–हां !

वकील–पुस्तक पढ़कर, आप किनके साथ सहानुभूति करते हैं ?

गवाह–जो कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वही सहानुभूति के योग्य होता है। भगत सिंह ने दुख सहा था, इसलिए उन्हीं की ओर सहानुभूति भी उत्पन्न होती है।

## दरख्वास्त

सफाई-पक्ष के वकील ने अभियुक्त श्री सान्याल की ओर से एक दरख्वास्त पेश की,

जिसमें कहा गया था कि सरकारी वकील, या तो यह स्वीकार करें, कि पुस्तक में प्रकाशित वक्तव्य सच है, या सफाई-पक्ष को यह साबित करने की आज्ञा दी जाए।

सरकारी वकील ने कहा, कि यह मामला राजद्रोह का है, मानहानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यों की सत्यता प्रमाणित करना व्यर्थ है इसके अतिरिक्त दंड-विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार मुझसे इन वक्तव्यों की सत्यता के संबंध में पूछा जा सके। इसलिए मैं, न तो उन्हें असत्य ही कह सकता हूं और न सत्य ही; किंतु चूंकि सफाई-पक्ष वाले उसे सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यदि अदालत यह स्वीकार कर ले, कि वे वक्तव्य सत्य हैं, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

श्री सान्याल ने आज अपना वक्तव्य पेश किया। आगामी शनिवार को बहस की तारीख पड़ी।

## श्री सान्याल का वक्तव्य

पुस्तक के रचयिता श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल ने जिला मैजिस्ट्रेट की अदालत में अपना निम्नलिखित वक्तव्य पेश किया :

"मुझ पर सरदार भगत सिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दंड-विधान की 124-ए धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। पुस्तक के संबंध में सरकार की ओर से कहा गया है, कि मैंने उक्त पुस्तक में, सरदार भगत सिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यो की प्रशंसा की है तथा असेंबली-बम-केस में दिए गए सरदार भगत सिंह के वक्तव्य को बिना उसका प्रतिवाद किए, प्रकाशित किया है। साधारण परिस्थिति में कोई भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता इस धारा के अनुसार—जिसे महात्मा गांधी ने 'भारतीय दंड-विधान की धाराओं की रानी' कहकर सम्मानित किया है—अभियुक्त होने में गर्व का अनुभव करता है। जब कोई जाति उन्नति की ओर अग्रसर होती है, तब वह उस अवस्था से, जब कि उसका अपने शासन में कोई हाथ नहीं है, उस अवस्था को पहुंचना चाहता है, जब देश की सरकार और वहां की जाति में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रत्येक देशभक्त शासन में परिवर्तन उपस्थित करने की चेष्टा करेगा और यही चेष्टा राजद्रोह समझी जाती है। मैंने दो कारणों से अपने को निर्दोष कहा है; पहला कारण तो यह है, कि राजद्रोह फैलाने के उद्देश्य से मैंने यह किताब नहीं लिखी और दूसरा कारण यह है कि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि किताब में कोई विद्रोहात्मक बात नहीं है।

"सबसे पहले मैं उन परिस्थितियों का वर्णन करूंगा, जिनसे प्रभावित होकर मैंने यह पुस्तिका लिखी है। मैं करीब डेढ़ वर्ष तक सरदार भगत सिंह के साथ रहा हूं। मेरे साथ उनका जितना ही अधिक संपर्क होता गया, मेरे हृदय में उनके प्रति

उतनी ही श्रद्धा उत्पन्न होती गई। जब मैं जेल से बाहर आया, मैंने देखा—जैसा कि मुझे आशा थी; कि सरदार भगत सिंह की प्रशंसा करने वाले एक-दो नहीं, हजारों-लाखों की संख्या में हैं। किंतु जब मैंने उनकी प्रशंसा करने वालों में से कुछ लोगों से पूछताछ की, तो पता लगा कि बहुत कम लोगों को सरदार भगत सिंह के संबंध में सच्चा ज्ञान है। साधारण जनता तो सिर्फ यही जानती थी कि सरदार भगत सिंह का, सांडर्स हत्याकांड और असेंबली बम-कांड, इन दो घटनाओं से ही संबंध है; किंतु मैं जानता था कि सरदार भगत सिंह, न तो त्रासवादी थे और न अराजकतावादी; अतएव अपने स्वर्गीय मित्र के प्रति कर्तव्य-पालन के उद्देश्य से मैंने उनका सच्चा और ऐतिहासिक चित्र चित्रित करने का विचार किया। इसमें मैं यह दिखाना चाहता था कि वे एक साम्यवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे और जनता उन्हें गलत समझे हुई थी। मुझे अपने इस प्रयत्न में सफलता मिली, जैसा कि 'पीपुल' की उक्त पुस्तक की आलोचना से स्पष्ट होता है, जिसकी एक प्रति अदालत के सामने पेश की गई है। यदि यह पुस्तक विद्रोहात्मक होती या इस प्रकार के किसी उद्देश्य से लिखी जाती, तो 'हिंदुस्तान टाइम्स' जैसा प्रसिद्ध पत्र उसके संबंध में यह न लिखता, कि मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित कर सार्वजनिक सेवा की है। ('हिंदुस्तान टाइम्स' की वह प्रति भी पेश की गई है।)

"पुस्तक के विषय के संबंध में मेरा कहना यह है, कि मैंने फिर उस पुस्तक को पढ़ा है, और मैं सत्यता-पूर्वक कह सकता हूं कि उसकी भाषा जनता के द्वारा कही गई या लिखी गई उक्तियों से कहीं अधिक नम्र और संयत है। जब मैं यह देखता हूं कि स्वयं महात्मा गांधी जी ने सरदार भगत सिंह की फांसी को 'पाशविक शक्ति का प्रर्दशन' ठहराया था, सरदार पटेल ने सरदार भगत सिंह के मामले की कार्यवाही को अन्यायपूर्ण ठहराया था और जब मुझे कांग्रेस के प्रस्ताव तथा नेताओं के वे भाषण स्मरण होते हैं, जो सरदार भगत सिंह-दिवस के अवसर पर दिए गए थे, तो मैं वास्तव में यह विश्वास करने लगता हूं, कि विनम्र और संयत होने के कारण ही मैं सरदार भगत सिंह की जीवनी को वास्तविक रंग में नहीं रंग सका।

"फिर इस अभियोग को देखते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि इस नम्रता और संयत-भाव का फल भी कितना विचित्र हुआ है। मैं यह अनुमान करने के लिए विवश किया जा रहा हूं कि मुझ पर, इसलिए मामला नहीं चलाया जा रहा है, कि मैंने कुछ ऐसे वाक्य अपनी पुस्तक में लिखे हैं, जिन्हें खींच-तानकर विद्रोहात्मक बतलाया जा रहा है, बल्कि इसलिए, कि यह पुस्तक सरदार भगत सिंह की जीवनी है।

"मैं नहीं समझता कि उन वाक्यों के संबंध में, जिन्हें विद्रोहात्मक बताया जाता है, मुझे अपनी सफाई देने की आवश्यकता है। उनके संबंध में मैं सबसे पहली बात यही कहना चाहता हूं कि वे सभी बातें, जो विद्रोहात्मक बतलाई जाती हैं—पूर्णतया

सत्य हैं। दूसरी बात यह है, कि उन बातों का वर्णन विद्रोह फैलाने की नीयत से नहीं किया गया है, किंतु उनका वर्णन इसलिए किया गया है, कि वे बातें, सरदार भगत सिंह की जीवनी को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थीं। उनके बिना पुस्तक में अपूर्णता रह जाती।

"अंत में मैं, असेंबली बम-केस में दिए गए सरदार भगत सिंह के वक्तव्य के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सरदार भगत सिंह की जीवन-संबंधी कोई भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के बिना अपूर्ण रह जाती। इस वक्तव्य से सरदार भगत सिंह का आंतरिक भाव प्रकट होता है, और उससे उनके कई कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। यह कहना कि 'यह वक्तव्य राजद्रोह फैलाने के लिए ही प्रकाशित किया गया है' गलत है, क्योंकि यह वक्तव्य अब पुराना हो चुका है, और कोई नया उत्साह उत्पन्न करने की शक्ति अब इसमें नहीं रह गई है। यह वक्तव्य भारत के अनेक पत्रों में छप चुका है, जिनमें 'पायनियर' और 'सिविल एंड मिलिटरी गजेट' जैसे सरकार के हिमायती पत्र भी हैं। इसका अनुवाद भी देशी भाषाओं के अनेक पत्रों में छप चुका है। इसलिए इतने दिनों के बाद इसे प्रकाशित करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता।

"इस अभियोग के संबंध में, कि मैंने सरदार भगत सिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों को उचित ठहराया है; मैं जोर देकर कहता हूं कि मैंने इस प्रकार का कोई प्रयत्न अपनी पुस्तक में नहीं किया है। मैंने, न तो उनके कार्यों की प्रशंसा की है और न निंदा। क्योंकि मेरा यह विचार है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर फैसला करना एक इतिहासकार के क्षेत्र के बाहर की बात है। केवल घटनाओं और सच्ची बातों का चित्रण करके ही मैं संतुष्ट हुआ हूं। स्थान-स्थान पर मैंने कुछ विशेष घटनाओं के मानस-शास्त्र संबंधी कारण तथा घटनाओं के कारण और उनका नतीजा दिखाने की चेष्टा-मात्र की है।"

# मुकदमे का फैसला
## (अदालती सर्टीफाईड कापी का अक्षरशः अनुवाद)

श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल और त्रिवेणीप्रसाद पर 'सरदार भगत सिंह : संक्षिप्त जीवन-चरित' नामक पुस्तक के लिए, जिसे जितेन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा है और त्रिवेणी प्रसाद ने 'फाईन आर्ट प्रिंटिंग काटेज, इलाहाबाद' में मुद्रित किया है, इंडियन-पीनल कोड की दफा 124-ए के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। इसके पूर्व कि अभियोग और सरकारी तथा अभियुक्त-पक्ष की दलीलों पर विचार किया जाए, यह आवश्यक है कि पुस्तक का सारांश जान लिया जाए।

भगत सिंह, जिसका जीवन-चरित सान्याल ने लिखा है, वास्तव में लाहौर के एसिस्टेंट पुलिस-सुपरिंटेंडेंट, मि. सांडर्स का हत्याकारी है और वह उन दो आदमियों में से एक है, जिन्होंने अप्रैल, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। पुस्तक के आरंभ में भगत सिंह के वंश का परिचय दिया गया है। कहा गया है कि उसके पूर्वजों ने महाराजा रणजीत सिंह को "पश्चिम की तरफ उपद्रवी पठानों के विरुद्ध और पूर्व की तरफ खतरनाक अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता दी थी।" इसके पश्चात भारत के उग्र राजनीतिक आंदोलन के साथ भगत सिंह के कुटुंब का संबंध बतलाया गया है। उसके चचा अजीत सिंह के संबंध में लिखा गया है कि वे "लाला लाजपतराय को मातृ-भूमि की सेवा के राजनैतिक क्षेत्र में खींच लाए।" उनके लिए "बंगभंग ईश्वरी देन के समान जान पड़ा" और वे "सन् 1818 के तीसरे स्वेच्छाचारपूर्ण रेगुलेशन के अनुसार, जिससे बाद में सरकार को बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है" बर्मा को निर्वासित कर दिए गए। इन्हीं दिनों भगत सिंह के पिता और एक दूसरे चाचा राजद्रोह के लिए कैद किए गए। उसी "शुभ-मुहूर्त में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, जो अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे।" लेखक प्रश्न करता है, "क्या यह केवल एक संयोग था अथवा कोई दैवी घटना।"

आगे चलकर भगत सिंह की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। चौदह वर्ष की उम्र में "मातृ-भूमि की सेवा के उत्साह के फलस्वरूप भगत सिंह का संबंध पंजाब की कुछ क्रांतिकारी संस्थाओं से हो गया।" अपने पिता की गिरफ्तारी, जिस पर "क्रांतिकारियों को एक हजार रुपया सहायता देने का" अभियोग लगाया गया था;

और "सन्, 1914 और 1915 के लाहौर षड्यंत्र केसों में सिक्खों के वीरतापूर्ण बलिदान" के प्रभाव से वह "बब्बर अकालियों के उग्र क्रांतिकारी मार्ग की तरफ अग्रसर होता गया।" पुलिस की निगरानी के कारण भगत सिंह कानपुर चला गया, जहां श्री गणेश शकंर विद्यार्थी के साथ उसकी आजन्म मैत्री स्थापित हुई और वह "भारत के एक सुसंगठित क्रांतिकारी दल का मुख्य अंग बन गया।"

इसके पश्चात भारतीय क्रांतिकारी दल वालों की प्रारंभिक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार "आपस के विश्वासघात के कारण", "कुछ राजपूत और सिक्ख पलटनों को उभाड़कर भारत में सशस्त्र क्रांति मचाने की चेष्टा" असफल हो गई। सिंगापुर की 5वीं लाईट इंफैंटरी के 'भयकंर बलवे' और बाद में संदिग्ध रेजिमेंटों को 'फ्रांस के सबसे कठिन रणक्षेत्रों' में भेजे जाने का भी वर्णन है। "बारदोली की हार" के पश्चात गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन जोरों से फैलने लगा और इलाहाबाद में 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' (भारतीय प्रजातंत्रवादी समिति) की स्थापना हुई, जिसमें भगत सिंह भी सम्मिलित हुआ। इसके फल से काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इस मुकदमे के बाद भगत सिंह लाहौर वापस चला गया। इस समय तक वह "इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका था, जिससे उसे शेष जीवन भर सामग्री प्राप्त होती रही" और "उसने रूसी क्रांतिकारियों के आदर्श पर एक 'स्टडी सर्किल' (अध्ययन-समिति) की स्थापना की" उसने 'उपयुक्त साहित्य' का एक पुस्तकालय भी संग्रह किया जो "अभाग्यवश" पुलिस की निगरानी के कारण बर्बाद हो गया।

"काकोरी षड्यंत्र केस में चार नवयुवकों को फांसी और अनेक को कड़ी सजाएं मिलने से देश के भावुक नवयुवकों के हृदय मे आग लग गई" और भगत सिंह फिर से यू. पी. और बिहार में क्रांतिकारी दल का संगठन करने लगा। वह लाहौर की रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने के अभियोग में पकड़ा गया, जिससे उसका कार्य रुक गया। इस गिरफ्तारी से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि "क्रांतिकारी षड्यंत्र के संबंध में किसी भी समय पकड़ लिया जाना तो एक ऐसी बात थी, जिसका विचार संभवतः उसे रहता था" पर "दशहरा के समान मेले के दिन निर्दोष पुरुषों और स्त्रियों की हत्या करने के जघन्य अपराध का अभियोग लगाया जाना एक ऐसी बात थी, जिसका उसे स्वप्न में भी विचार न था।"

इस मुकदमे से छूटने के बाद भगत सिंह देश में भ्रमण करके क्रांतिकारियों का संगठन करता रहा। एक महत्वपूर्ण मीटिंग में, जो सितंबर, 1928 में देहली के पुराने किले में हुई थी, पार्टी का नाम 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' से बदल कर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रखा गया, और निश्चय किया गया कि पार्टी को दो भागों में बांट दिया जाए; कार्यकर्तागण और सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ताओं के विभाग का काम हथियार और गोली-बारूद इकट्ठा करना, आतंक फैलाने की योजनाओं को कार्य-रूप में परिणत करना, और दल के कार्य को

आगे बढ़ाना था। इस विभाग का नाम 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी', रखा गया। सहानुभूति रखने वालों का काम फंड इकट्ठा करना, प्रचार-कार्य करना और दूसरे विभाग के सदस्यों को आश्रय देना था। कार्यकर्ताओं के विभाग का मुखिया चन्द्रशेखर आजाद था, जो "बड़ी वीरता के साथ पुलिस से लड़ता हुआ इलाहाबाद के एलफ्रेड पार्क में मारा गया।" क्रांतिकारी पुस्तकालय की दुबारा स्थापना की गई और भगत सिंह "संभवतः अध्ययन की विशालता और गंभीरता की दृष्टि से किसी से कम न था।"

दिसंबर, 1928 में लाहौर में सांडर्स की हत्या हुई। लेखक ने वर्णन किया है, कि किस प्रकार भगत सिंह, शिव वर्मा, राजगुरु और चन्द्रशेखर आजाद को लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला लेने का आदेश दिया गया "जिससे प्रथम तो सार्वजनिक आंदोलन का उपद्रव की तरफ झुकाव हो और दूसरे संसार जान सके, कि लालाजी के पीटने को हिंदुस्तान ने चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर लिया।" इसके बाद मि. सांडर्स की हत्या और उनके हत्याकारियों के बच निकलने का वर्णन किया गया है।

"सांडर्स-हत्याकांड की सफलता से पार्टी का प्रभाव फैलने लगा और विद्यार्थियों में इसके कारण बड़ी उत्तेजना उत्पन्न हो गई।" थोड़े ही दिनों में हत्याकारियों को चंदा मिलने लगा, पर कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर जब वे क्रांतिकारी आंदोलन के पुराने नेताओं से मिले तो उनको पता चला, कि यद्यपि वे उनके सशस्त्र क्रांति मचाने के अंतिम उद्देश्य से सहमत हैं, पर "पार्टी के प्रोग्राम में उपद्रवों के रखे जाने और रहस्यगोपन की आवश्यकता" के संबंध में उन्होंने मतभेद प्रकट किया। बंगाल के क्रांतिकारी दल वाले बम का उपयोग करना पसंद नहीं करते थे, पर भगत सिंह ने उनमें से एक को बम बनाना सिखाने के लिए राजी किया। इसका फल अप्रैल, 1929 का असेंबली बम-कांड हुआ। लेखक ने इसे 'एक बड़ा सुरक्षित दृश्य' बतलाया है, जैसा 'देहली के बादशाही शहर को फिर देख सकना कभी नसीब न होगा।" "बहादुर कौंसिल-मेंबरों में से अधिकांश के भयभीत होने के हास्यजनक दृश्य" का वर्णन करके लेखक लिखता है—"पर देखो, सरकारी मेंबरों की तरफ, मुख्य द्वार और महिलाओं की गैलरी के बीच में दो नवयुवक दिखलाई पड़ते हैं, वे ऐसे निर्भय और शांत हैं, मानो तन्मय होकर किसी भावी स्वप्न को देख रहे हों। वे दो ऐतिहासिक मूर्तियां हैं—सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त। अपनी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इन दोनों क्रांतिकारियों ने भागने की कोशिश नहीं की, वरन उन्होंने 'क्रांति चिरंजीव हो' 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाए, जो कि शीघ्र ही भारतवर्ष के नवयुवकों की पुकार, बन गए।"

असेंबली बम-कांड को "केवल भगत सिंह के जीवन की ही नहीं, वरन क्रांतिकारी भारत के इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना" बतलाया गया है।

क्रांतिकारी दल अपने उद्देश्यों के संबंध में उत्तेजनापूर्ण ढंग से घोषणा करना चाहता था। चूंकि सांडर्स हत्याकांड के लिए कोई गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए निश्चय किया गया कि कोई दर्शनीय-उपद्रव किया जाए और उसके करने वाले अपने को पुलिस के हाथों में पकड़ा दें। आरंभ में जिन लोगों से असेंबली बम-कांड करने को कहा गया था, उनमें भगत सिंह शामिल न था। पर जब एक मित्र ने उससे ऐसा करने को कहा तो उसने एक पत्र द्वारा "जो प्रेम और भावुकता के भावों से परिपूर्ण था स्वीकृति दे दी।" अभाग्यवश पत्र अब पुलिस के कब्जे में है।

"असेंबली बम केस की कार्रवाई का क्रांतिकारी दल के कार्य की वृद्धि करने के लिए पूर्णरूप से उपयोग किया गया" और अभियुक्तों ने वीरतापूर्वक अदालत के सामने बयान देकर अपना यह संदेश दिया कि "भारतवासियों के मजदूर और किसान-दलों की स्थापना के लिए उद्योग करना चाहिए, जिससे जनता के लिए सच्चा स्वराज्य प्राप्त किया जा सके।" उन्होंने अपना यह 'ऐतिहासिक बयान' सेशंस-कोर्ट के सामने दिया। लेखक के मतानुसार "नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिजली का-सा असर पड़ा।" और "अनेक समाचारपत्र और सार्वजनिक कार्यकर्ता नवयुवकों के उद्देश्य की सराहना करने लगे।" नौजवान भारत-सभा ने प्रकाशन कार्य के लिए संगठन किया, जिससे "हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के इन दोनों प्रतिनिधियों का नाम हो गया" और "उनका इरादा पूरी तरह से सफल हुआ।"

इसके पश्चात लेखक ने पंजाब की जेलों में क्रांतिकारियों के अनशन का वर्णन किया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक कैदियों के साथ अधिक अच्छा बर्ताव करना था और जेल के व्यवहार के उदाहरणस्वरूप बनारस षड्यंत्र केस में सजा पाए ग्यारह अभियुक्तों में एक के पागल हो जाने और तीन के मर जाने का वर्णन दिया है। अनशन के समाप्त होने पर भगत सिंह और अन्य दो व्यक्ति "विचार करने लगे कि पार्टी के उद्देश्यों को किस तरह अधिक से अधिक सिद्ध किया जा सकता है" और उन्होंने निश्चय किया कि "लाहौर कांसपिरेसी केस की कार्रवाई को इस तरह किया जाए, जिससे उनके आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्य और कार्य-प्रणाली का खूब प्रचार हो सके।" अतएव वे लोग नियमित रूप से अदालत में जाते और कार्रवाई के शुरू में क्रांतिकारी नारे लगाते। उनके आंदोलन करने से मुकदमे की कार्रवाई देखने को, जो कि लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर था, कितने ही दर्शकों को आज्ञा दी गई। ये दर्शक "अदालत में जो कुछ सुनते थे उससे उत्साहित और उद्यत होते थे।" अभियुक्तों ने ऐसे किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, जिससे 'उनकी चेष्टा के वीरत्व' और 'उनकी कार्य-प्रणाली के विवरण' का प्रसार हो। इसके बाद लेखक ने 'आठ खूंख्वार पठानों' द्वारा भगत सिंह के पीटे जाने का वर्णन किया है, और बतलाया है कि किस प्रकार फिर भी भगत सिंह ने अपनी टेक न छोड़ी।

गवर्नमेंट ने "लाहौर कांसपिरेसी केस से देश के नवयुवकों पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव" को कम करने के लिए लाहौर कांसपिरेसी केस आडिनेंस बनाया। भगत सिंह ने इसे बहुत शुभ समझा, क्योंकि इससे "ब्रिटिश न्याय की पोल खुलती थी।"

इस अभियोग में सजा दिए जाने के बाद "लाहौर और हिंदुस्तान के दूसरे बड़े शहरों के निवासियों, खासकर नवयुवकों, औरतों और विद्यार्थियों का जोश उमड़ पड़ा" और एक प्रस्ताव जिसमें "भगत सिंह और दूसरों को उनके वीरतापूर्ण बलिदान के लिए बधाई दी गई थी, पास किया गया।" प्रिवी कौंसिल में अपील करने का आयोजन किया गया। जिससे "विदेशों में प्रचार-कार्य हो सके" और सभ्य संसार को विदित हो जाए कि भारत के राजनैतिक "कैदियों को कैसा अमानुषिक व्यवहार सहन करना पड़ता है।" दूसरा उद्देश्य यह था कि इंगलैंड के शत्रुओं को पता लग जाए कि "भारत में एक साम्यवादी क्रांतिकारी दल मौजूद है।"

भगत सिंह की फांसी के विरुद्ध आंदोलन, संधि हो जाने से रुक गया, "जो नवयुवकों की दृष्टि में सिवाय आत्म-समर्पण के कुछ न थी।" "कांग्रेस के नेताओं ने एकाएक सार्वजनिक आंदोलन को रोक दिया, गवर्नमेंट ने अवकाश पाकर सांस ली और तब शांति के साथ फांसी की सजाएं कार्य रूप में परिणत की गईं।" लेखक पूछता है, "क्या अपने विरोधियों के ऊपर अंतिम शानदार विजय पाने के लिए परमात्मा भी भगत सिंह की सहायता कर रहा था ?" फांसी के संबंध में पंडित जवाहरलाल का उद्गार—"पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान बना रहेगा और जब इंगलैंड हमसे बातें करेगा और समझौते के लिए कहेगा, तो हमारे बीच में भगत सिंह की लाश पड़ी होगी; जिससे कहीं हम उसे भूल न जाएं, कहीं हम उसे भूल न जाएं।"

अंतिम अध्याय में, जिसका शीर्षक 'संस्मरण और भावनाएं' हैं, लेखक ने भगत सिंह के चरित्र और उद्देश्यों का वर्णन किया है। बतलाया गया है कि वह एक सुंदर नवयुवक था, उसकी आवाज सुरीली थी, वह भावपूर्ण ढंग से गा सकता था और उसका हृदय भावुकता और सहानुभूति से भरा हुआ था। तत्पश्चात लेखक ने उसकी साहित्यिक-रुचि और उसके नास्तिक मत स्वीकार करने का वर्णन किया है। बतलाया गया है, कि वह साम्यवादी था और सिवाय थोड़े-से समय के, वह कभी आतंकवादी नहीं रहा, और "23 मार्च के संध्या-काल तक, जब कि भगत सिंह अपनी काल-कोठरी से अंतिम शानदार यात्रा के लिए बाहर निकला, जीवन भर कभी एक क्षण के लिए भी किसी तरह का निराशापूर्ण विचार उसके मस्तिष्क में नहीं आया।" अंत में लेखक ने 'पीपुल' से यह उद्धरण देकर पुस्तक समाप्त की है—"वर्तमान समय की घटनाओं में किसी ने सर्वसाधारण के ध्यान को इतना अधिक आकर्षित नहीं किया, जितना कि भगत सिंह के वीरतापूर्ण चरित्र ने। उसका अभी

से एक उपाख्यान बन गया है और वह एक पौराणिक वीर की भांति माना जाने लगा है। भारत के नवयुवकों का उस पर अभिमान करना उचित ही है। उसका अनुपम साहस, उसका उच्च आदर्श, उसका निर्भयतापूर्ण भाव प्रकाश-स्तंभ की तरह कितनी ही भूली-भटकी आत्माओं को मार्ग दिखलाता रहेगा...यद्यपि भगत सिंह मर गया, पर जब लोग 'क्रांति चिरंजीव हो' का नारा लगाते या सुनते हैं, तो दूसरा नारा 'भगत सिंह चिरंजीव हो' भी उसमें सदैव निहित रहता है।"

पुस्तक के अंत में एक परिशिष्ट है, जिसमें असेंबली बम केस के सिलसिले में सेशंस जज की अदालत में दाखिल किया गया, भगत सिंह का बयान दिया गया है।

मैंने पुस्तक की चर्चा कुछ विस्तारपूर्वक की है, क्योंकि अभियोग उसके कुछ खास वाक्यों के लिए नहीं चलाया गया है, वरन इसलिए, कि उस पूरी पुस्तक के पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। अभियोग में पुस्तक के कुछ पन्ने उदाहरण-रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, पर लेखक ने भारत में कानून द्वारा स्थापित गवर्नमेंट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा विशेष रूप से इस प्रकार की है—(1) भगत सिंह और दूसरे उपद्रवकारियों के कामों का औचित्य सिद्ध करने और उनके प्रति पाठकों में सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा करके और (2) भगत सिंह ने जो बयान देहली के सेशंस कोर्ट में दाखिल किया था उसे बिना किसी प्रकार की निंदा, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रशंसा के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित करके।

पहले अभियोग के संबंध में मि. सांडर्स की हत्या (पृ. 37) "संसार को यह जतलाने के लिए की गई कि लाला जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह लिया" और इसलिए जो पुलिस अफसर "लाला जी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे" मार डाले गए। (पृ. 36) असेंबली बम-कांड के "ट्रेड डिसप्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के अन्यायपूर्ण नियमों के प्रति अपना विरोध" प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। समस्त पुस्तक में कहीं पर एक भी ऐसा वाक्य नहीं जिससे पाठक यह समझें कि लेखक भगत सिंह और उसके सहकारियों के काम करने के ढंग की निंदा करता है और मैं सिर्फ एक वाक्य में कुछ ऐसी बात पा सका हूं कि उपद्रव द्वारा क्रांति की नीति विचारणीय है। सातवें पृष्ठ पर लेखक ने यह स्वीकार करने के पश्चात, कि बब्बर अकालियों के उपद्रवपूर्ण ढंगों को बहुत-से लोग पसंद नहीं करते, कहा है कि उनमें "कुछ लोग सचमुच बड़े उच्च चरित्र के थे।" यद्यपि यह संदेहास्पद है कि इस अकेले वाक्य का आशय उपद्रवों की निंदा करना है, पर यदि इसका आशय ऐसा हो भी तो वह समस्त किताब को देखते हुए बिलकुल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि जब पुस्तक में उपद्रवकारियों के अपने कार्यों के लिए पेश किए गए कारणों और उज्रों को पूरी तरह से बयान किया गया है; उसमें दरअसल कोई भी ऐसी बात नहीं, जिससे यह प्रकट हो कि समझदार लोग

उनके कामों की निंदा करते हैं।

तमाम किताब को एक बार पढ़ जाने से अथवा मैंने जो सारांश दिया है, उससे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रहता कि इसका नायक भगत सिंह है। यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह उसके जीवन का पक्षपात-रहित और स्वतंत्र वर्णन है, वरन यह उसके उद्देश्यों और काम करने के ढंगों की प्रशंसा के समान है। इस बात का इशारा किया गया है कि उसका जन्म परमात्मा की खास इच्छानुसार हुआ था; उसे कई जगह एक उत्साही विद्या-व्यसनी और सुसंस्कृत व्यक्ति बतलाया गया है, जिसका कोमल हृदय सद्भावों से भरा हुआ था। आतंकवादियों के कामों के लिए बराबर प्रशंसा के पुल बांधे गए हैं, उनको जगह-जगह वीर और देशभक्त दर्शाया गया है, जब कि उसकी शत्रु गवर्नमेंट का नाम शायद ही कहीं बिना घृणा या निंदा के लिया गया हो। सांडर्स-हत्याकांड को 'सफलता' बतलाया गया है और भगत सिंह के लिए कहा गया है कि उसने अपनी मृत्यु द्वारा भी गवर्नमेंट पर एक विजय प्राप्त की, क्योंकि उससे उग्र विचार वालों का पक्ष मजबूत बन गया। ऐसे उदाहरण और ज्यादा देना निरर्थक है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं कि तमाम किताब का कम-से-कम असर, खासकर नौजवानों के अधूरे दिमाग पर, यही होगा कि वे भगत सिंह को श्लाघनीय दृष्टि से देखने लगेंगे और बहुत से उसके कार्यों की नकल भी करना चाहेंगे; और वे सरकार से घृणा करने लगेंगे, जिसने उसे मृत्यु-दंड दिया।

दूसरा कसूर यह बतलाया गया है, कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बयान सेशंस कोर्ट में दिया था, उसे छापकर सान्याल ने गवर्नमेंट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा की है। इस बयान को जो महत्व दिया गया है, वह पुस्तक के 59वें पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया है। लेखक के मतानुसार भगत सिंह इसे इतना महत्वपूर्ण मानता था, कि असेंबली बम-कांड का समस्त प्रदर्शन इसे उपयुक्त स्थान देने के लिए ही किया गया था। इसका प्रभाव बिजली के समान बतलाया गया है। भगत सिंह प्रचार-कार्य को जो महत्व देता था, उस पर पृष्ठ 92 और 93 में फिर से जोर दिया गया है। इसलिए लेखक प्रचार की दृष्टि से इस बयान के मूल्य को भली-भांति समझता है, और मुझे जान पड़ता है कि उसने इसको जो स्थान दिया है उसका आशय यही है कि वह उसमें निहित विचारों के लिए पाठकों से सिफारिश करता है। यह सच है कि उसने वह सिफारिश कहीं पर स्पष्ट तौर पर नहीं की है, पर भगत सिंह के लिए उस ढंग से, जिसका वर्णन मैं ऊपर कर चुका हूं, अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने और यह बतलाने से कि भगत सिंह इस बयान का इतना अधिक महत्व समझता था कि इसे ऐसी परिस्थिति में प्रकट करने के लिए, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके, वह लंबी कैद की सजा भोगने को तैयार हो गया। सान्याल का आशय यही प्रकट होता है, कि वह चाहता था कि उसके पाठक इस बयान के पहले से ही अनुकूल हो जाएं और इसे पुस्तक का सबसे

महत्वपूर्ण अंग समझें।

इसलिए इस परिशिष्ट पर विचार करना आवश्यक है। असेम्बली बम-कांड के लिए कहा गया है कि वह "उस संस्था के प्रति एक क्रियात्मक विरोध था, जिसने अपने जन्म के समय से ही, न केवल अपनी निरर्थकता ही स्पष्ट रूप से प्रकट की है, वरन अपनी हानि पहुंचाने वाली प्रभावपूर्ण शक्ति को भी प्रकट कर दिया है ...और जो हद दर्जे के उत्तरदायित्व-शून्य और निरकुंश शासन का नमूना है।" (पृ. 116) "संक्षेप में ईमानदारी से खोज करने के बाद भी हम एक ऐसी संस्था का, जिसकी शान-शौकत हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के परिश्रमपूर्वक पैदा किए धन से बढ़ाई जाने पर भी जो एक कोरा तमाशा तथा दिखावटी ढोंग है, अस्तित्व कायम रखने का कोई उपयुक्त कारण नहीं पा सके हैं।" (पृ. 117) आगे चलकर वे यह भी कहते हैं कि "हिंदुस्तान की परिश्रम करने वाली करोड़ों जनता एक ऐसी संस्था से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती, जो कि लूटने वाले मालदारों की घातक शक्ति और असहाय श्रमजीवियों की गुलामी के लोभमय स्तंभ के समतुल्य है।"

इस प्रकार की दशा का इलाज 'काल्पनिक अहिंसावाद' द्वारा नहीं हो सकता। "जब कि शक्ति का उपयोग आक्रमण के लिए किया जाता है तो वह उपद्रव है और इसलिए नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है। पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त प्रयोजन के लिए किया जाता है तो यह नैतिक दृष्टि से न्यायानुकूल होती है।" मानव जीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए इस बयान के देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जानबूझकर 'साम्राज्यवादी लुटेरों' के सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बतलाया है कि क्रांति से उनका आशय क्या है। यह कम्युनिस्ट ढंग का लेख है, जिसका अन्त "क्रांति चिरंजीव हो" से होता है। इस प्रकार यह परिशिष्ट भारत-सरकार के शासन-अंगों और स्वयं भारत-सरकार का ऐसे शब्दों में वर्णन करके जिनसे स्पष्टतया घृणा और अप्रीति उत्पन्न होती है, सशस्त्र क्रांति का समर्थन करता है, जिससे इस देश में कम्युनिस्ट सरकार कायम की जा सके। यह वह बयान है जिसके महत्व पर पुस्तक में खूब जोर दिया गया है।

इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उद्देश्य यही मालूम पड़ता है कि आतंकवादियों और उनकी कार्य-प्रणाली की प्रशंसा हो और इस देश के लोग अथवा उतने लोग, जो इस पुस्तक को पढ़ें, उपद्रव द्वारा क्रांति करने को उत्तेजित हो। पर वह इससे इनकार करता है और कहता है कि उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि यद्यपि एक समय भगत सिंह हिंसा का पक्षपाती था, पर अंत में वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथनानुसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आंदोलन से है, न कि अहिंसात्मक आंदोलन से। इस कथन को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त-पक्ष की तरफ से पृष्ठ 26 का निम्नलिखित वाक्य पेश किया गया है, "काकोरी केस की फांसियों ने उसे (भगत सिंह को) पक्का उपद्रववादी बना दिया

था। पर भारतीय समस्याओं के संबंध में उसके गंभीर अध्ययन ने, जिन्हें वह संसार की समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी सम्मति को बदल दिया। नेशनल कालेज में अध्ययन करने से वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस के शासन को अपने आदर्श के बहुत कुछ अनुकूल मानने लगा।"

इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहले भगत सिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका उद्देश्य सोवियत सरकार कायम करना हो गया। 28वें पृष्ठ में लिखा है कि पुराना किला दिल्ली की मीटिंग में भगत सिंह ने "अपने को एक साम्यवादी कार्यकर्ता के रूप में प्रकट किया" और "पुलिस के अफसरों और मुखबिरों की हत्या की बात पीछे पड़ गई।" पर यह बात पूर्ण रूप से न त्यागी गई होगी, क्योंकि यह मीटिंग सितंबर, 1928 में हुई थी और मि. सांडर्स उसी वर्ष दिसंबर में मारे गए। इसके सिवाय 44वें पृष्ठ में वर्णित बम और उपद्रवों के उपयोग के संबंध में भगत सिंह और बंगाल के क्रांतिकारियों का मतभेद भी हमको याद है। फिर परिशिष्ट में (पृ. 125) कहा गया है कि क्रांति में 'व्यक्तिगत बदले' का कोई स्थान नहीं है। इन वाक्यों के होते हुए यह विश्वास कर सकना असंभव है, कि लेखक का उद्देश्य इस पुस्तक के लिखने से यह था कि भगत सिंह ने आतंकवाद को त्याग दिया था। संभव है, उसने समझ लिया हो कि हत्याओं को ही उद्देश्य मानना निरर्थक है, पर किताब के अंतिम भाग के अधिकांश में क्रांतिकारी विचारों के फैलाने के लिए हत्याओं का महत्व ही सिद्ध किया गया है।

अभियुक्त-पक्ष की तरफ से यह दलील भी पेश की गई है कि यह किताब अप्रीति उत्पन्न नहीं कर सकती; क्योंकि इसकी सब बातें पहले प्रकट हो चुकी हैं और इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। परंतु इस बात को छोड़ते हुए भी कि इस संपूर्ण पुस्तक को राजविद्रोहपूर्ण बतलाया गया है न कि इसके कुछ विशेष वाक्यों को; यह प्रश्न उठता है कि लेखक ने इसे क्यों लिखा और वह किस उपाय से इसकी एक हजार प्रतियों को खपा सका। इसका उत्तर मुझे यही जान पड़ता है कि इस मौके पर इस पुस्तक के प्रकाशित करने का उद्देश्य भगत सिंह की स्मृति को जीवित रखना था। मैं पं. जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण भी पेश करना चाहता हूं जो पुस्तक के 99वें पृष्ठ पर दिया गया है, "कहीं हम भूल न जाएं।"

यह दलील पेश की गई है कि पुस्तक में गवर्नमेंट के कार्य की किसी तरह की आलोचना नहीं की गई है। कितने ही अप्रत्यक्ष आक्षेपों के होते हुए भी यह ठीक है। पर दोष यह नहीं लगाया गया है कि पुस्तक गवर्नमेंट की आलोचना द्वारा अप्रीति उत्पन्न करती है, वरन यह कि इसमें गवर्नमेंट के शत्रुओं की प्रशंसा करके ऐसा किया गया है।

अभियुक्त-पक्ष ने केवल तीन गवाहों को बुलाया था जिनमें से दो पेश हुए। मैं दरअसल उनकी गवाही को कुछ भी महत्व प्रदान नहीं करता, उनके उत्तर जरा

भी साफ न थे और उनका ढंग विश्वास करने के योग्य न था।

अंत में मुझे यह कहने में किसी प्रकार की शंका नहीं है कि इस पुस्तक के लिखने से लेखक का उद्देश्य गवर्नमेंट के प्रति अप्रीति उत्पन्न करना और आतंकवादियों तथा क्रांतिकारियों के लिए अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करना था। केवल इतना ही नहीं, उसने सशस्त्र बलवे के विचार को फैलाने की भी कोशिश की है। इसलिए मेरा विचार है कि 'सरदार भगत सिंह' का लेखक जितेन्द्रनाथ सान्याल और उसका प्रिंटर त्रिवेणीप्रसाद ताजीरात हिंद की दफा 124-ए के अनुसार दोषी हैं।

अब सजा का प्रश्न शेष रह जाता है। जितेन्द्रनाथ सान्याल नवयुवक है और उसकी नई उम्र से मुझे उसके साथ रियायत करने का ख्याल हो सकता था। पर यह किताब केवल अप्रीति और घृणा ही उत्पन्न नहीं करती, वरन यह भी बतलाती है कि जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, उनके लिए उचित मार्ग, देश को आतंकवाद के प्रचार द्वारा पूरी तरह से तैयार करने के पश्चात सशस्त्र क्रांति ही है। इसलिए इसका अर्थ बहुत बड़ी हानि पहुंचाना है, और इसे हत्या के लिए उत्तेजित करना कहा जा सकता है। इसलिए रियायत करना अनुचित होगा। इसमें निर्दोष व्यक्तियों की जान का सवाल है। इसलिए मैं जितेन्द्रनाथ सान्याल को दो वर्ष की कड़ी कैद का दंड देता हूं।

त्रिवेणीप्रसाद का मामला भिन्न प्रकार का है। उसने फाइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज का चार्ज इसी वर्ष 9 अप्रैल से लिया था। यह किताब शायद उसकी पहली कृतियों में से है। वह मुझे कोई विशेष बुद्धिमान अथवा चरित्रबल का व्यक्ति नहीं जान पड़ता और संभवतः वह उस खतरे को भी नहीं समझता था, जिसे वह ले रहा था। इसलिए मैं त्रिवेणीप्रसाद को एक हजार रुपया जुर्माना, या उसे अदा न करने पर, छह महीने की कड़ी कैद की सजा देता हूं।

# अमर शहीद
# सरदार भगत सिंह

# वंश-परिचय और बचपन

सरदार भगत सिंह ने लायलपुर जिले के एक प्रसिद्ध सिक्ख वंश में जन्म ग्रहण किया था। इनके पूर्वज महाराज रणजीत सिंह के समय में 'खालसा सरदार' के नाम से प्रसिद्ध थे। पश्चिम में खूंख्वार पठानों और पूर्व में शक्तिशाली अंग्रेजों के विरुद्ध, सिक्ख साम्राज्य फैलाने में, इन लोगों ने सिक्ख शासकों को यथेष्ट सहायता पहुंचाई थी। उनके लिए अपना खून बहाकर इस परिवार ने पुरस्कार-स्वरूप काफी जायदाद भी प्राप्त की थी।

भगत सिंह के पितामह स्वर्गीय सरदार अर्जुन सिंह पहले एक बड़े जमींदार थे। आपकी अवस्था 80 वर्ष की हो जाने पर भी आप खूब हट्टे-कट्टे थे। लाहौर षड्यंत्र केस में आप बड़े मनोयोग से भाग लिया करते थे। राष्ट्रीयता का भाव आप में कूट-कूट कर भरा था। सरदार बहादुर सिंह और दिलबाग सिंह आदि इनके भाई-बंधु सरकार की सेवा करने के कारण धनवान हो गए थे और इस समय वे उच्च श्रेणी के रईसों में गिने जाते थे। परंतु सरदार अर्जुन सिंह ने एक दूसरे ही पथ का अनुसरण किया, जिससे मनुष्य न तो धनवान ही बन सकता है और न नाम ही कमा सकता है। सरदार भगत सिंह की दादी श्रीमती जयकौर, हिंदू परिवार की एक आदर्श महिला थीं। आप ही ने अपने पुत्रों और पौत्रों का पालन-पोषण किया था। आप एक वीर महिला थीं। आप प्रसिद्ध देशभक्त सूफी अंबा प्रसाद के विषय में अपने उद्‌गार प्रकट किया करती हैं। सूफी अंबा प्रसाद अर्जुन सिंह के यहां आए हुए थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ धमकी, किंतु इस वीर महिला ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें बचा लिया।

सरदार अर्जुन सिंह के तीन पुत्र हैं—सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। ये तीनों भाई अपने सच्चे देश-प्रेम के लिए पंजाब में प्रसिद्ध हैं। कैद, निर्वासन तथा दरिद्रता के द्वारा इनकी देशभक्ति की कड़ी परीक्षा हो चुकी है।

कहा जाता है, कि सरदार भगत सिंह के चचा सरदार अजीत सिंह ने ही लाला

लाजपतराय को राजनैतिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया था। सरदार अजीत सिंह अच्छे धनवान थे, किंतु राजनैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए पंजाब को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने गार्हस्थ्य जीवन के सुखों पर लात मार दी। इसी समय, अर्थात 1904-5 के लगभग, दैवयोग से बंग-भंग हुआ। सारे बंगाल ने लार्ड कर्जन के इस कार्य का जोरों से विरोध किया। बंगाल के इस आंदोलन से सुदूरस्थ पंजाब भी प्रभावित हो उठा। वहां भी लाला लाजपतराय, सरदार अजीतसिंह और इनके घनिष्ठ मित्र सूफी अम्बा प्रसाद, अपने ओजस्वी भाषणों से देश में उत्तेजना फैलाने लगे। इस आंदोलन में सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा उनके चचा सरदार स्वर्ण सिंह ने भी उचित भाग लिया। सरदार भगत सिंह ने, यद्यपि सुवक्ता होने की ख्याति नहीं प्राप्त की थी, किंतु देश में जागृति फैलाने के लिए आपने बहुत ठोस कार्य किए हैं। सरदार भगत सिंह के पिता और चचा लोग, राष्ट्रीय फंडों में उदारतापूर्वक चंदे दिया करते और सरदार अर्जुन सिंह इस संबंध में अपनी प्रसन्नता प्रकट किया करते थे।

आधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहल 1907 में, 1818 का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया। उस समय से इस रेगुलेशन ने ब्रिटिश सरकार का बहुत उपकार किया है। बंगाल और पंजाब दोनों ही प्रांतों में इस रेगुलेशन का भरपूर प्रयोग किया गया है। लाला लाजपतराय और सरदार अजीत सिंह को भी इस कानून की चपेट में आने का सम्मान प्राप्त हुआ। सरदार अजीत सिंह को, बिना उनके मामले की जांच किए ही कैद की सजा दे दी गई। आप प्रायः एक वर्ष तक बर्मा में नजरबंद रखे गए। इसके बाद छूटकर पंजाब आ गए। इसी समय, सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके चचा सरदार स्वर्ण सिंह राजद्रोहात्मक व्याख्यानों के लिए कैद किए गए। इस प्रकार ये लोग इस क्षेत्र में मार्ग-प्रदर्शक बने। सरदार स्वर्ण सिंह की मृत्यु जेल ही में हो गई। उस समय उनकी अवस्था 28 वर्ष से भी कम थी। इसी समय, 1907 के अक्तूबर में, शनिवार को प्रातःकाल सरदार किशन सिंह के दूसरे पुत्र सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। क्या यह केवल संयोग था अथवा लीलामय ईश्वर की कोई विचित्र लीला थी ? सरदार भगत सिंह के बचपन के संबंध में अधिक बातें हमें मालूम नहीं हैं; किंतु यह प्रसिद्ध है कि पाठशाला की तंग कोठरियों की अपेक्षा, विस्तृत मैदान को वे अधिक पसंद किया करते थे। वे अपने बड़े भाई जगत सिंह के साथ बांगा नामक स्थान के एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती किए गए। यह स्थान उनकी जन्मभूमि लायलपुर जिले में ही है। 11 वर्ष की अवस्था में ही जगत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से बालक भगत सिंह के कोमल हृदय को बड़ा धक्का लगा। इसके बाद सरदार किशन सिंह नवाकोट चले आए। नवाकोट, लाहौर के समीप है। यहां उनकी कुछ जमीन-जायदाद थी। इस समय सरदार भगत सिंह को किसी हाई-स्कूल में भर्ती कराने की आवश्यकता थी।

सिक्खों के लिए उस समय खालसा हाईस्कूल में पढ़ना एक नियम-सा हो गया था, किंतु उस स्कूल के अधिकारियों का झुकाव राजभक्ति की ओर अधिक होने के कारण, सरदार किशन सिंह को वह पसंद न था। इसिलिए सरदार भगत सिंह लाहौर के दयानन्द एंग्लो-वैदिक स्कूल में भर्ती किए गए। यह घटना अति साधारण जान पड़ती है, किंतु इससे यह स्पष्ट है कि एक धर्मनिष्ठ सिक्ख होते हुए भी सरदार किशन सिंह ने केवल एक ही बात का विचार कर, अपने पुत्र को सिक्ख-स्कूल में न भेजकर आर्यसमाजी स्कूल में ही भेजना उचित समझा। इस स्कूल से सरदार भगत सिंह ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। इसके बाद आप नेशनल कालेज में पढ़ने लगे; जहां आजकल ब्रेडला हाल है। 9वीं श्रेणी में पढ़ते समय, आप कानपुर कांग्रेस में गए थे। कालेज में सुखदेव और यशपाल से आपकी अंतरंग घनिष्ठता हो गई थी।

इसी समय से सरदार भगत सिंह के हृदय में देशभक्ति के भाव उठने लगे। आपकी अवस्था अभी पूरी चौदह वर्ष की भी नहीं हुई थी कि आपने बड़े उत्साह से पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में भाग लेना शुरू किया। 1921 में असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात, अनेक नवयुवक महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग को छोड़कर अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग ढूंढ़ने लगे। इसी समय पंजाब में 'बब्बर अकाली' नामक एक दल उठ खड़ा हुआ था। इस दल के लोग देश की स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रचार करते थे। जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया था, संभव है, बहुत लोगों को वह पसंद न आए, किंतु उनमें कुछ ऐसे लोग थे, जो सच्चे त्यागी कहे जा सकते हैं। 1914 और 1915 के लाहौर षड्यंत्र में सिक्खों ने जो अपूर्व आत्म-बलिदान किया था, उसका प्रभाव भी उस समय के युवकों पर कम नहीं पड़ा। सरदार भगत सिंह के लेखों से पता चलता है कि उन पर भी सिक्खों के उस महान त्याग का पूरा प्रभाव पड़ा था। सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह 1914 और 1915 की क्रांतिकारी संस्थाओं को बराबर अपने कार्यों से सहायता पहुंचाते रहे थे। सर माइकेल ओडायर ने "India as I knew it" नामक अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। बल्कि उसमें तो यहां तक कहा गया है कि सरदार किशन सिंह ने क्रांतिकारी नेताओं को हजारों रुपए की सहायता पहुंचाई थी। इन्हीं अपराधों के कारण; डिफेंस आफ इंडिया एक्ट (Defence of India Act) के अनुसार आप नजरबंद कर दिए गए। कहावत है, कि 'जैसा पिता वैसा पुत्र'। इस कारण इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि सरदार भगत सिंह भी बब्बर अकालियों के हिंसात्मक क्रांति के पथ की ओर अग्रसर हुए।

गुप्त संस्थाओं का पुलिस की नजरों से बचना कठिन है। इस दल के संबंध में भी पुलिस को पता मिल गया और इसके अधिकांश सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। इस कारण भगत सिंह ने पंजाब छोड़ दिया और वे कानपुर चले आए। ऐसा

उन्होंने दो कारणों से किया; एक तो वे पुलिस की दृष्टि अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते थे और दूसरे, अपने लिए एक दूसरे कार्यक्षेत्र की खोज में थे। कानपुर में स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी से उनकी जान-पहचान हो गई। दोनों की यह मित्रता आजीवन बनी रही। सरदार भगत सिंह के जीवन में यह समय बड़े महत्व का था। क्योंकि इसी समय से आप भारत की एक सुसंगठित क्रांतिकारी संस्था का एक मुख्य अंग बन गए। इसी समय से, आपका जीवन भारतीय क्रांति के इतिहास का एक अध्याय बन गया। अब हम उस क्रांतिकारी संस्था के संबंध में कुछ लिखेंगे, जिसके लिए भगत सिंह ने अपने को अर्पण कर दिया था।

# हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन

यहां पर हमारा अभिप्राय, भारत के विप्लव आंदोलन का पूरा इतिहास देने का नहीं है। हम यहां उसका परिचय-मात्र देना चाहते हैं।

सन् 1914 तक भारत के अनेक प्रांतों—विशेषतः बंगाल में अनेक गुप्त संस्थाएं फैली हुई थीं। यूरोपीय महासमर के आरंभ होने पर, अनेक विप्लवी संस्थाओं को भारत में क्रांति का झंडा ऊंचा करने का अच्छा सुयोग मिला। इसी उद्देश्य से श्री रासबिहारी बोस, श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल, श्री वी. जी. पिंगले, सरदार करतार सिंह, ठाकुर पृथ्वी सिंह और बाबा सोहन सिंह आदि विप्लवी नेताओं ने कुछ सिक्ख और राजपूत रेजिमेंटों को अपनी ओर मिलाकर भारत में क्रांति का डंका बजाने का षड्यंत्र रचा। किंतु ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। विश्वासघात के कारण यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। केवल सिंगापुर में एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ, किंतु उसे भी जापानियों ने दबा दिया। अधिकारियों को ज्यों ही क्रांतिकारियों के षड्यंत्र का पता लगा, त्यों ही उन्होंने उन सेनाओं के—जिन पर क्रांतिकारियों के साथ मिल जाने का संदेह किया जाता था—हथियार छीन लिए और उन पर यूरोपियन सेना का कड़ा पहरा बिठा दिया। इसके बाद उस सेना के सिपाही फ्रांस के उन स्थानों में भेज दिए गए, जहां युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। साथ ही साथ डिफेंस आफ इंडिया एक्ट की घोषणा कर दी गई और पंजाब, युक्त-प्रांत तथा बंगाल में 7 हजार से अधिक मनुष्य गिरफ्तार कर लिए गए। 1916 तक तो क्रांतिकारी संस्थाओं का केवल अस्थिपंजर अवशेष रह गया।

इसी समय भारत के राजनैतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के रूप में एक नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। उनके आदर्श और त्याग ने युवकों पर बहुत प्रभाव डाला और अनेक ने असहयोग आंदोलन में उनका साथ दिया। किंतु 'बारडोली की पराजय' (जैसा कि क्रांतिकारी कहा करते हैं) और उसके बाद असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण विप्लव आंदोलन ने फिर जोर पकड़ना शुरू किया। 1924 तक फिर कई गुप्त संस्थाएं स्थापित हो गईं। बंगाल के पुराने विप्लववादियों ने फिर

अपना संगठन करना शुरू कर दिया। किंतु 1925 के बंगाल आर्डिनेंस ने उन पर कठोर प्रहार किया। युक्त-प्रांत और पंजाब में श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल, श्री योगेशचन्द्र चटर्जी, पं. रामप्रसाद 'बिस्मिल' आदि विप्लववादियों द्वारा संगठित भिन्न-भिन्न संस्थाओं ने मिलकर एक दल बना लिया। इसी समय इलाहाबाद में इन लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें संस्था के लिए एक शासन-विधान का निर्माण किया गया और उसका नाम 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' रखा गया। पंजाब छोड़कर कानपुर आने के बाद सरदार भगत सिंह इसी संस्था में सम्मिलित हुए। दल में उनका नाम 'बलवन्त' रखा गया। इसी नाम से वह बहुधा पत्रों में लेख भी लिखा करते थे। दल के प्रधान संगठनकर्ता थे, श्री जगदीशचन्द्र चटर्जी और दल में मि. राय के नाम से ये पुकारे जाते थे। सरदार भगत सिंह इन्हीं की देख-रेख में काम करने लगे।

सन् 1926 में सुप्रसिद्ध काकोरी-ट्रेन-डकैती हुई। इस डकैती में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लखनऊ के समीप काकोरी नामक स्थान में चलती ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। पुलिस को, अनवरत जांच-पड़ताल से, क्रांतिकारी संस्था के विस्तार का पता चला, और पीछे काकोरी षड्यंत्र केस में भी अनेक गुप्त बातें प्रकट हुईं। इसी समय के लगभग सरदार भगत सिंह लाहौर लौट गए।

# अध्ययन

दिल्ली के असेंबली बम केस में अदालत के समक्ष अपने स्मरणीय वक्तव्य में सरदार भगत सिंह ने कहा था कि "हम नम्रतापूर्वक इतिहास के गंभीर विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं।" इसी वक्तव्य में आपने अपने विस्तृत अध्ययन और ज्ञान का भी परिचय दिया था। 1925-26 में आपने अपने ज्ञान की इतनी वृद्धि कर ली, कि अपने आगामी जीवन में आपको बराबर उससे सहायता मिलती रही। लाला लाजपतराय द्वारा खोले हुए नेशनल कालेज में आप भर्ती हो गए और बड़े मनोयोग से इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने लगे। यहां श्री सुखदेव और स्वर्गीय श्री भगवतीचरण, ये दो इनके दृढ़ अनुयायी थे। इन तीनों ने कुछ औरों के साथ मिलकर रूसी क्रांतिकारी चायकोव्स्की और क्राप्टकिन की तरह एक गुट बना लिया था, जहां केवल अध्ययन-संबंधी चर्चा हुआ करती थी। 'सर्वेंट्स आफ दी पिपुल सोसाइटी' द्वारकादास लाइब्रेरी में इन उत्साही युवकों के लिए मनचाही पुस्तकें मंगाकर उनके अध्ययन में उदारतापूर्वक सहायता पहुंचाया करती थी।

सरदार भगत सिंह बड़ी उत्सुकता और लगन के साथ पुस्तकों का अध्ययन करते थे। इस संबंध में नेशनल कालेज के प्रोफेसर छबीलदास और द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन श्री राजाराम जैसे व्यक्तियों के प्रमाण मौजूद हैं। नेशनल कालेज की लाइब्रेरी में भी सरदार भगत सिंह की देख-रेख में पुस्तकों का अपूर्व संग्रह हो चला। हमने सत्साहित्य का ऐसा अपूर्व संग्रह और कहीं नहीं देखा है। इटली, रूस और आयरलैंड की क्रांति संबंधी नवप्रकाशित पुस्तकों का तथा रूसी-विप्लव आंदोलन के प्राचीन इतिहास-संबंधी अनेक अमूल्य पुस्तकों का भी संग्रह किया गया था। किंतु नेशनल कालेज की बार-बार तलाशी ली जाने के कारण, पुलिस अनेक पुस्तकें उठा ले गई, और अब केवल एक छोटा-सा संग्रह बचा हुआ है। किंतु जो कुछ बचा हुआ है, उसी से सरदार भगत सिंह की प्रतिभा और परिश्रम का पता चलता है।

सरदार भगत सिंह राजनीति के बड़े उत्साही और अध्ययनशील विद्यार्थी थे।

किंतु वे केवल किताबों में ही नहीं डूबे रहते थे, वरन भिन्न-भिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया करते, क्रांतिकारी दलों की सभाओं में जाया करते, युक्त-प्रांत तथा बंगाल की गुप्त समितियों के सदस्यों से मिला करते और विप्लव आंदोलन की प्रगति को विशेष सावधानी से लक्ष्य किया करते थे। जिस समय काकोरी का षड्यंत्र केस चल रहा था, उस समय वे कई बार लखनऊ आए और गुप्त रूप से उन्होंने जिला-जेल में षड्यंत्र केस के विचाराधीन कैदियों से पत्र-व्यवहार किया। उन कैदियों ने सरदार भगत सिंह को इस बात की सलाह दी कि उनके जेल से छुड़ाने का उपाय किया जाना चाहिए। सरदार भगत सिंह उन लोगों के बचाने का उपाय करने लगे। इस काम में वे दो बार गिरफ्तार होते-होते बचे। जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वे कानपुर चले आए और वहीं कुछ दिनों तक रहे।

इसी समय 1926 के आरंभ में वे कानपुर में ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने को एक प्रतिभाशाली संगठनकर्ता होने का परिचय दिया। काकोरी षड्यंत्र केस के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भंग हो गई थी। सभी नेता जेल में थे, और थोड़े से अनुभवहीन व्यक्ति जो बच गए थे, कुछ करने में असमर्थ थे। सरदार भगत सिंह कानपुर के विजयकुमार सिंह तथा लाहौर के श्री सुखदेव के साथ, युक्त-प्रांत और पंजाब में क्रांतिकारी-दल को फिर से संगठित करने लगे।

# क्रांतिकारी दल में प्रारंभिक कार्य

सरदार भगत सिंह के जीवन में, 1926 से 1928 तक का समय अत्यंत विक्षोभपूर्ण रहा है। काकोरी षड्यंत्र केस में चार अभियुक्तों को प्राणदंड तथा अन्य अभियुक्तों को दीर्घ कारावास का दंड दिया गया था। युवक भगत सिंह का हृदय अपने प्यारे मित्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए उत्तेजित हो उठा। प्रतिहिंसा की प्रबल उत्तेजना से प्रेरित हो, 1927 में उन्होंने अपने दिल की जलन मिटाने की चेष्टा की, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई।

क्रांति के मैदान में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए दल के कार्यक्षम युवकों की एक सभा कानपुर में की गई, जिसमें दल को सुसंगठित और शक्तिशाली बनाने का निश्चय किया गया। सरदार भगत सिंह और विजयकुमार सिंह ने युक्त-प्रांत और बिहार में भ्रमण कर, युवकों के संगठन का भार अपने ऊपर लिया।

इस प्रस्ताव के अनुसार, कार्य का अभी श्रीगणेश भी नहीं हुआ था कि एक विचित्र घटना ने सरदार भगत सिंह के कार्य में बाधा उपस्थित कर दी।

1926 का साल था और अक्तूबर का महीना। लाहौर में दशहरा का मेला शुरू हो गया था। एक दिन की बात है, कि रामलीला के एक मेले में किसी ने एक बम फेंक दिया। पंजाब की पुलिस ने विचित्र तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया कि यह काम विप्लववादियों का ही है। अब वह किसी ऐसे विप्लववादी को ढूंढ़ने लगी, जो उक्त घटना के समय लाहौर में मौजूद रहा हो।

इस मामले में पुलिस का मतलब सरदार भगत सिंह से सिद्ध हो जाता था। अतएव वे गिरफ्तार कर बोर्स्टल जेल में बंद कर दिए गए। कई दिनों तक एकांत कोठरी में बंद रखे जाने के बाद भी, न तो वे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए और न उन्हें यही बतलाया गया, कि वे किस अभियोग में गिरफ्तार किए गए हैं। एक बार उन्हें इस जेल को अच्छी तरह देखने-भालने का भी अवसर मिल गया। यह वही जेल था, जहां ढाई वर्ष बाद उन्होंने तथा उनके मित्रों ने, राजनैतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कारण कठिन अनशन-व्रत धारण किया था।

अंत में उन्हें बताया गया कि उन पर मेले में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने का अभियोग लगाया गया है। यह बात जानकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे तो लड़कपन ही से यह बात अच्छी तरह जानते थे कि क्रांति-संबंधी षड्यंत्र में गिरफ्तार किया जाना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु यह ख्याल उन्होंने स्वप्न में भी नहीं किया था, कि उन पर निरपराध स्त्री-पुरुषों की हत्या का अभियोग लगाया जाएगा।

यह मामला बहुत दिनों तक चलता रहा। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर छोड़ने से पहले रुपये 60,000 का मुचलका मांगा। इतने रुपयों का प्रबंध करने में सरदार भगत सिंह के परिवार को कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। वे जमानत पर छोड़ दिए गए। बहुत दिनों तक मामला चलने के बाद हाईकोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की मुचलका-संबंधी आज्ञा को रद्द कर दिया। इस मामले का सारा किस्सा पुलिस की चालबाजी का भंडाफोड़ है। इससे पता चलता है कि उसने किस तरह सरदार भगत सिंह को एक ऐसे मामले में हैरान किया, जिससे उनका अणुमात्र भी संबंध नहीं था।

जिन दिनों वे मुचलके पर छूटे थे, उन दिनों वे दल के कार्यों में भाग नहीं ले सके। इस समय का उपयोग उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में किया। इस क्षेत्र में भी वे अग्रगण्य कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे। इस समय उन्होंने नौजवान भारत-सभा के संगठन में प्रमुख भाग लिया; और काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारियों की स्मृति में सार्वजनिक प्रदर्शन करने में भी उनका भारी हाथ था। नौजवान भारत-सभा पंजाब के युवकों की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था हो गई और कांग्रेस के कार्यों पर भी उसका काफी प्रभाव पड़ा। उक्त सार्वजनिक प्रदर्शन, काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की फांसी के एक साल बाद किया गया था, और वह 'काकोरी-दिवस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

जिस समय सरदार भगत सिंह 'काकोरी-दिवस' का प्रबंध कर रहे थे, उस समय उनके दिल में यह विचार उठा कि 1915-16 के लाहौर षड्यंत्र में जिन युवकों ने आत्म-बलिदान किया है, इस अवसर पर व्याख्यान देकर उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला जाए। इस कार्य के लिए उन्होंने अनेक अज्ञात स्थानों से उन युवकों के चित्र इकट्ठे किए और मैजिक-लालटेन के लिए उनके स्लाइड बनवाए। इन लालटेन-स्लाइडों को साथ लेकर आपका विचार उत्तरी भारत में भ्रमण कर स्थान-स्थान पर व्याख्यान देने का था। यद्यपि वे सारे उत्तरी भारत में, अपने इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत नहीं कर सके, तो भी लाहौर में उन्हें काफी सफलता मिली। पहली ही बार जब ब्रेडला हाल में लालटेन-लेक्चर दिया गया, तो हाल में तिल धरने की भी जगह नहीं बची थी। लोगों ने बड़े ध्यान से व्याख्यान सुना। यहां पर यह बता देना आवश्यक है कि सरदार भगत सिंह, मुचलके के कारण स्वयं



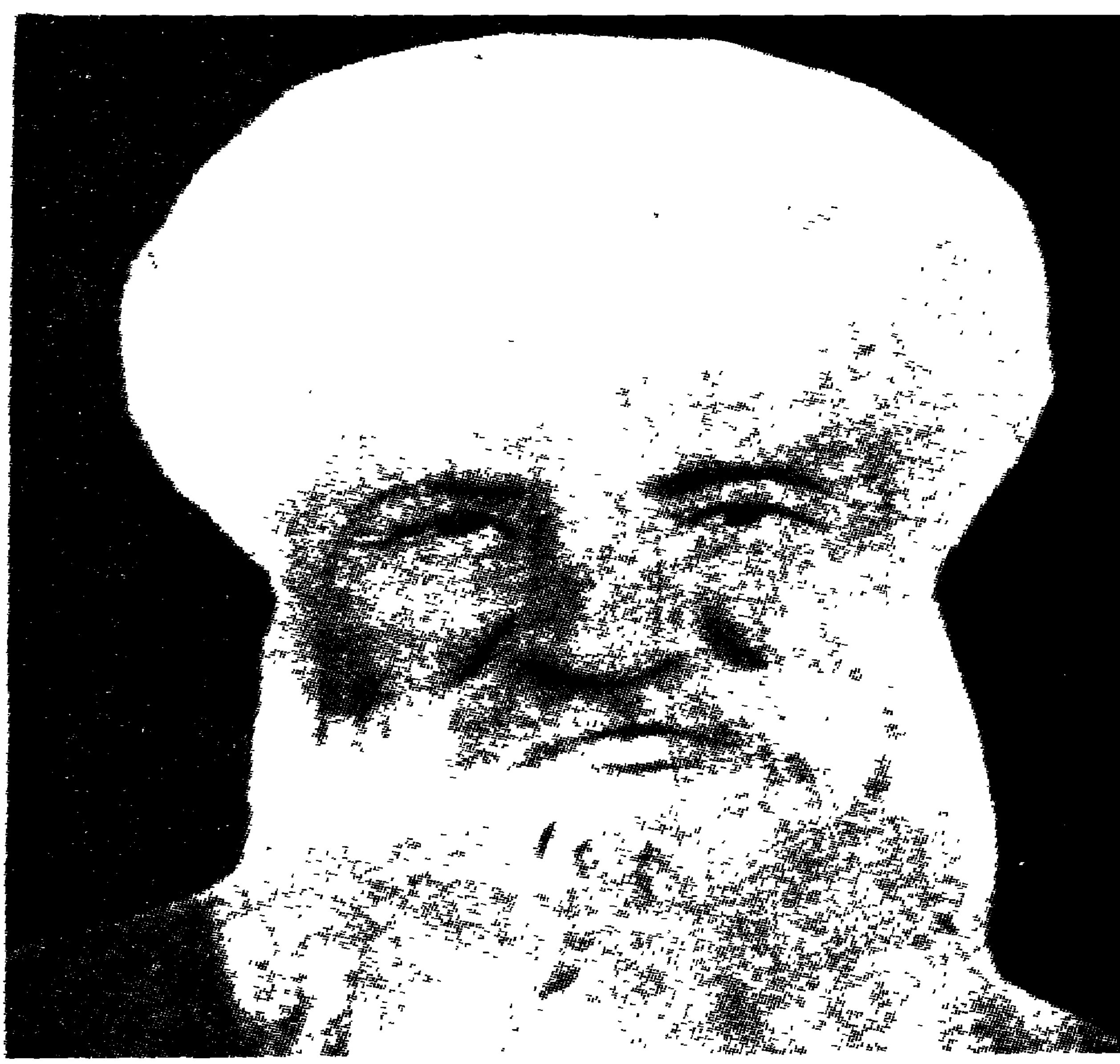
दस वर्षीय सरदार भगन सिंह



सरदार भगत सिंह, 1926 (पहली गिरफ्तारी के समय)



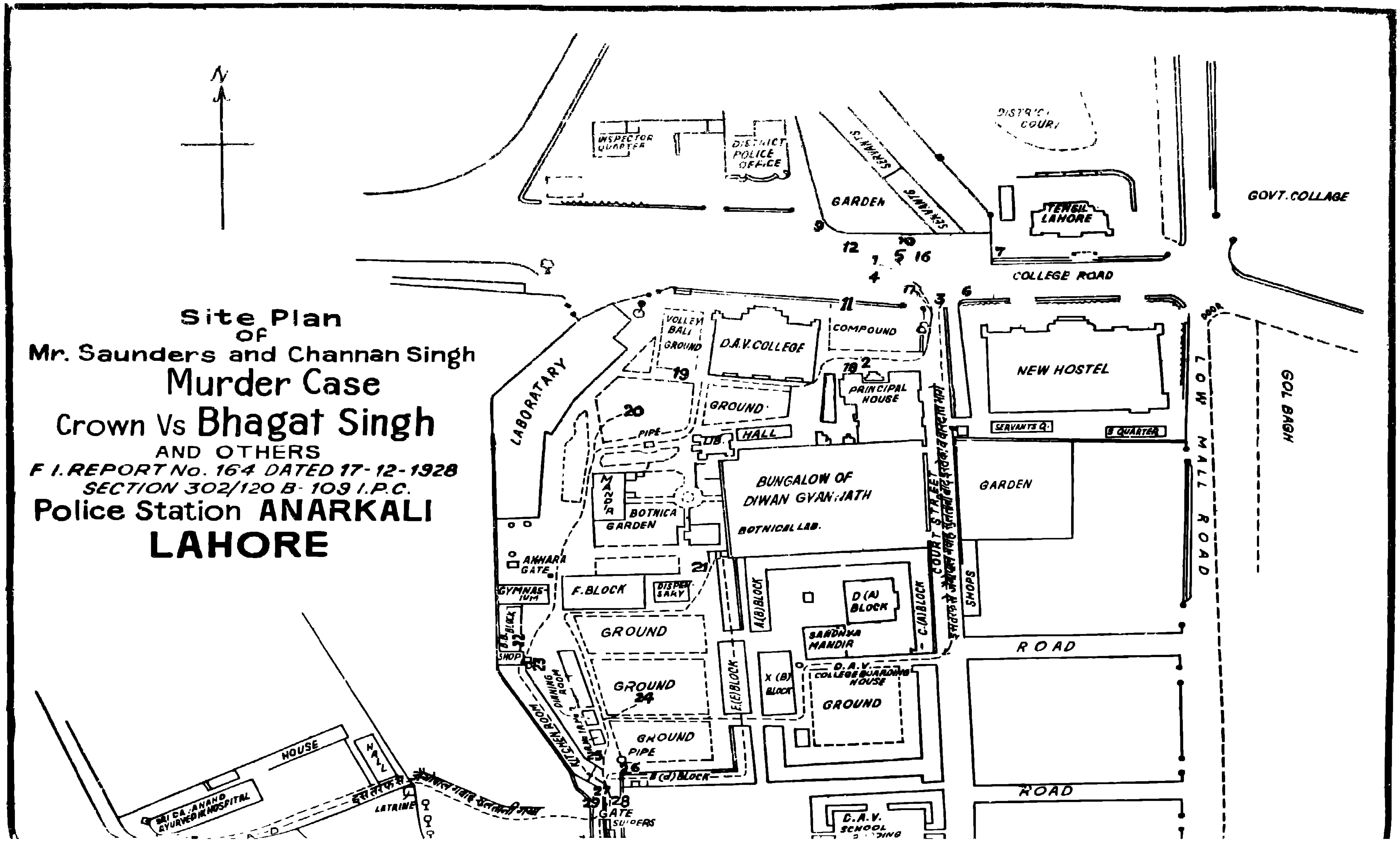
श्रीमती विद्यावती देवी (शहीद भगत सिंह की माता)

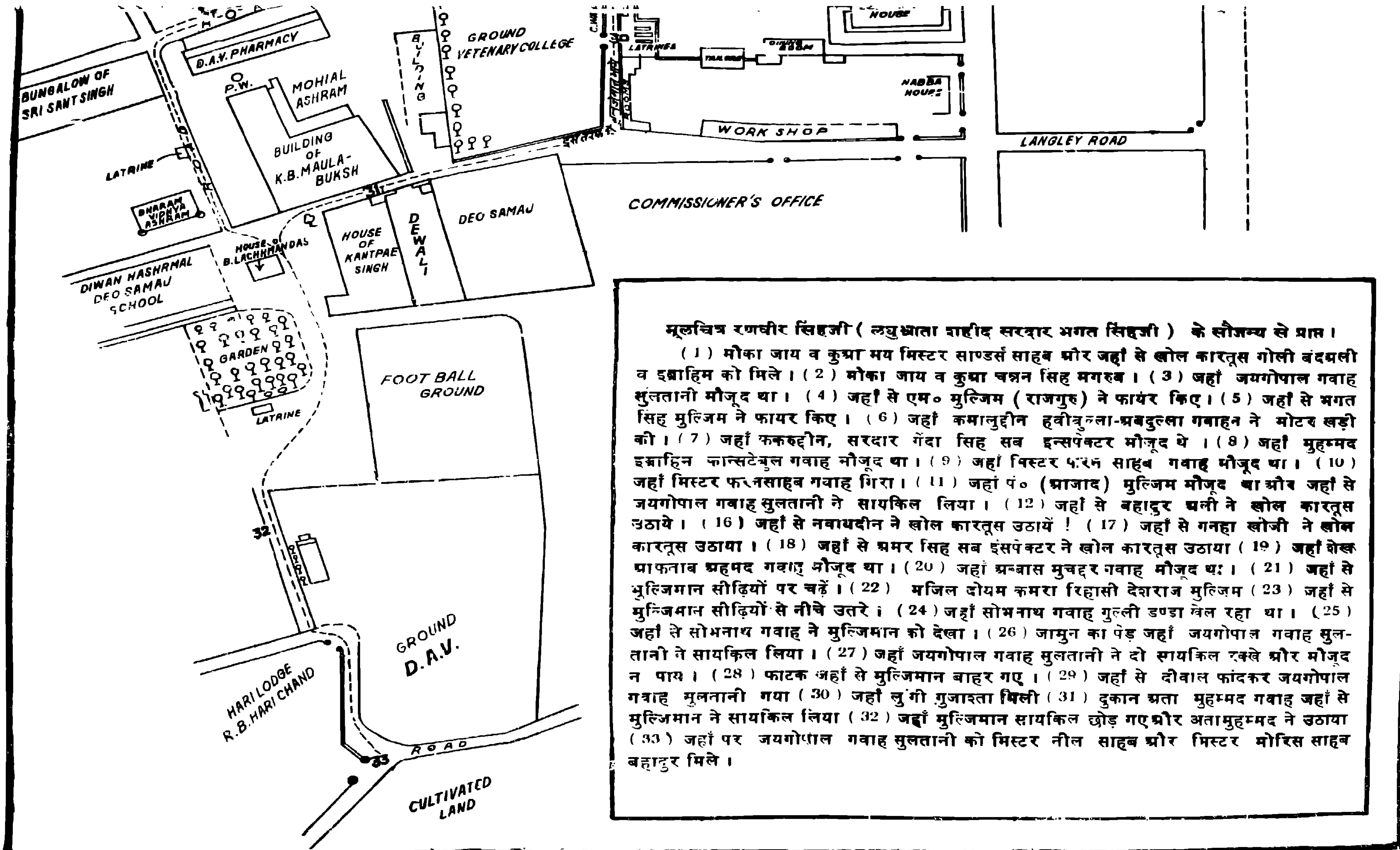


सरदार किशन सिंह (शहीद भगत सिंह के पिता)



सरदार भगत सिंह (नेशनल कालेज में 1924)


Site Plan
OF
Mr. Saunders and Channan Singh
Murder Case
Crown Vs Bhagat Singh
AND OTHERS
F I. REPORT No. 164 DATED 17-12-1928
SECTION 302/120 B-109 I.P.C.
Police Station ANARKALI
LAHORE
N
GOVT. COLLAGE
GOL BAGH
LOW MALL ROAD
COLLEGE ROAD
TEHSIL LAHORE
DISTRICT COURT
DISTRICT POLICE OFFICE
INSPECTOR QUARTER
GARDEN
SERVANTS
NEW HOSTEL
SERVANTS Q.
GARDEN
SHOPS
ROAD
ROAD
COURT STREET
COMPOUND
PRINCIPAL HOUSE
D.A.V. COLLEGE
VOLLEY BALL GROUND
GROUND
HALL
BUNGALOW OF DIWAN GYAN NATH
BOTNICAL LAB.
C.(A) BLOCK
D(A) BLOCK
SANDHYA MANDIR
A(B) BLOCK
X (B) BLOCK
D.A.V. COLLEGE BOARDING HOUSE
GROUND
E.(E) BLOCK
D.A.V. SCHOOL
LABORATARY
BOTNICA GARDEN
PIPE
F. BLOCK
DISPENSARY
GROUND
GROUND
GROUND
PIPE
DINING ROOM
KITCHEN ROOM
GYMNASIUM
ANHARA GATE
SHOP
GATE
LATRINE
HOUSE
HALL
AYURVEDIK HOSPITAL
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28




मूलचित्र रणवीर सिंहजी ( लघुभ्राता शहीद सरदार भगत सिंहजी ) के सौजन्य से प्राप्त ।

( 1 ) मोका जाय व कुआ मय मिस्टर साण्डर्स साहब और जहाँ से खोल कारतूस गोली बंदअली व इब्राहिम को मिले । ( 2 ) मोका जाय व कुआ चन्नन सिंह मगरुब । ( 3 ) जहाँ जयगोपाल गवाह मुलतानी मौजूद था । ( 4 ) जहाँ से एम० मुल्जिम ( राजगुरु ) ने फायर किए । ( 5 ) जहाँ से भगत सिंह मुल्जिम ने फायर किए । ( 6 ) जहाँ कमालुद्दीन हबीबुल्ला-अबदुल्ला गवाहन ने मोटर खड़ी की । ( 7 ) जहाँ फकरुद्दीन, सरदार गेंदा सिंह सब इन्सपेक्टर मौजूद थे । ( 8 ) जहाँ मुहम्मद इब्राहिम कान्सटेबुल गवाह मौजूद था । ( 9 ) जहाँ मिस्टर फर्न साहब गवाह मौजूद था । ( 10 ) जहाँ मिस्टर फर्नसाहब गवाह गिरा । ( 11 ) जहाँ पं० (आजाद) मुल्जिम मौजूद था और जहाँ से जयगोपाल गवाह सुलतानी ने सायकिल लिया । ( 12 ) जहाँ से बहादुर अली ने खोल कारतूस उठाये । ( 16 ) जहाँ से नवाबदीन ने खोल कारतूस उठायें ! ( 17 ) जहाँ से गनहा खोजी ने खोल कारतूस उठाया । ( 18 ) जहाँ से अमर सिंह सब इंसपेक्टर ने खोल कारतूस उठाया ( 19 ) जहाँ शेख आफताब अहमद गवाह मौजूद था । ( 20 ) जहाँ अब्बास मुचद्दर गवाह मौजूद था । ( 21 ) जहाँ से मुल्जिमान सीढ़ियों पर चढ़ें । ( 22 ) मंजिल दोयम कमरा रिहासी देशराज मुल्जिम ( 23 ) जहाँ से मुल्जिमान सीढ़ियों से नीचे उतरे । ( 24 ) जहाँ सोभनाथ गवाह गुल्ली डण्डा खेल रहा था । ( 25 ) जहाँ से सोभनाथ गवाह ने मुल्जिमान को देखा । ( 26 ) जामुन का पेड़ जहाँ जयगोपाल गवाह सुलतानी ने सायकिल लिया । ( 27 ) जहाँ जयगोपाल गवाह सुलतानी ने दो सायकिल रक्खे और मौजूद न पाय । ( 28 ) फाटक जहाँ से मुल्जिमान बाहर गए । ( 29 ) जहाँ से दीवाल फांदकर जयगोपाल गवाह मुलतानी गया ( 30 ) जहाँ लुंगी गुजाश्ता मिली ( 31 ) दुकान अता मुहम्मद गवाह जहाँ से मुल्जिमान ने सायकिल लिया ( 32 ) जहाँ मुल्जिमान सायकिल छोड़ गए और अतामुहम्मद ने उठाया ( 33 ) जहाँ पर जयगोपाल गवाह सुलतानी को मिस्टर नील साहब और मिस्टर मोरिस साहब बहादुर मिले ।



राजगुरू



सुखदेव



करतार सिंह सराबा



विष्णु गणेश पिंगले



अमर शहीद सरदार भगत सिंह

व्याख्यान देने में असमर्थ थे। किंतु वे अपने सहायक श्री भगतवीचरण को सभी बातें समझा दिया करते और व्याख्यान के संबंध में नोट भी दे दिया करते थे। इन लालटेन-लेक्चरों का इतना अधिक प्रभाव लोगों पर पड़ा, कि पंजाब सरकार को इस संबंध में निषेधाज्ञा निकालनी पड़ी। यह वे ही भगवतीचरण थे, जो 26 जनवरी, 1931 से आरंभ होने वाले लाहौर षड्यंत्र केस के प्रमुख व्यक्ति थे और जिनके विषय में यह कहा जाता है कि रावी के किनारे बम बनाते समय एक भयंकर धड़ाका होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई ! लाहौर षड्यंत्र केस में, जिसमें सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त आदि अभियुक्त थे, ये फरार थे।

नौजवान भारत-सभा के संगठन-संबंधी सरदार भगत सिंह के विचार अध्ययन के विषय हैं। दरिद्रता की संसार-व्यापी समस्या पर विचार कर वे इस नतीजे पर पहुंचे थे, कि भारत की पूर्ण-स्वाधीनता के लिए, केवल राजनैतिक ही नहीं, बल्कि यहां की जनता की आर्थिक स्वाधीनता की भी आवश्यकता है। इसलिए नौजवान भारत-सभा की कार्य-प्रणाली कम्युनिस्ट ढंग की बनाई गई थी। वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य था, मजदूरों और किसानों का संगठन करना। इसी उद्देश्य से भारतीय युवकों का आह्वान किया गया था।

इस प्रकार हम सरदार भगत सिंह के विचारों में एक अद्भुत परिवर्तन पाते हैं। 1926-27 में वे त्रासवाद को क्रांतिकारी दल के हाथों का एक प्रधान अस्त्र समझते थे। देश के अनेक प्रमुख व्यक्तियों के विरोध करने पर भी जब काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को फांसी दे दी गई, तब त्रासवाद (Terrorism) पर उनका विचार और भी दृढ़ हो गया। किंतु जब उन्होंने भारतीय समस्याओं का गंभीर रूप से अध्ययन किया तो आपके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। नेशनल कालेज लाहौर में पढ़ते समय वे धीरे-धीरे पक्के साम्यवादी बन गए और रूस को आदर्श की दृष्टि से देखने लगे।

# हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन

मुचलके के बंधन से छूटने के बाद ही सरदार भगत सिंह फिर क्रांति के कार्य-क्षेत्र में कूद पड़े। इस समय क्रांतिकारी-दल मरणासन्न अवस्था में था। कानपुर के प्रस्ताव का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। सरदार भगत सिंह ने बहुत थोड़े समय में संस्था में नई जान डाल दी।

इस समय क्रांतिकारी दल भिन्न-भिन्न शहरों में अलग-अलग दलों में विभक्त हो गया था और उन दलों के सामने कोई निश्चित कार्य-प्रणाली नहीं थी। लाहौर, दिल्ली, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद तथा बिहार के कुछ स्थानों में इस प्रकार के छोटे-छोटे अनेक दल हो गए थे। अंत में 1928 के जुलाई महीने में कानपुर में एक सभा की गई और उसमें यह निश्चित किया गया कि उन दलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक केंद्रीय समिति स्थापित की जाए।

इस निश्चय के अनुसार सरदार भगत सिंह और श्री विजयकुमार सिंह देश में भ्रमण करने लगे। 1928 के सितंबर महीने में दिल्ली के पुराने किले में एक महत्वपूर्ण सभा की गई। इस सभा में बिहार, युक्त-प्रांत, पंजाब और राजपूताने के 2-2 सदस्य सम्मिलित हुए थे। यह सभा दो दिनों तक होती रही। इस सभा में सरदार भगत सिंह ने क्रांतिकारियों का ध्यान साम्यवाद की ओर आकर्षित किया। अंत में उनकी जोरदार दलीलों से बाध्य होकर सभा ने साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार एक कार्य-प्रणाली तैयार की। इसके बाद से पुलिस के अफसरों तथा मुखबिरों की हत्या का महत्व बहुत घट गया। अब ऐसे ही कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिससे जनता में जागृति फैले।

सरदार भगत सिंह ने यह प्रस्ताव भी पेश किया कि दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा जाए। पहले तो युक्त-प्रांत के प्रतिनिधियों ने इसका घोर विरोध किया। उनका कहना था कि संस्था का नामकरण श्री रामप्रसाद बिस्मिल, श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल और श्री योगेश चटर्जी जैसे विख्यात विप्लववादियों का किया हुआ है, और इस नाम

से संस्था बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है, अतएव नाम नहीं बदला जाए। किंतु अंत में सरदार भगत सिंह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

इसी सभा में यह भी निश्चित किया गया कि संस्था को दो दलों में विभक्त कर दिया जाए; एक दल में तो संस्था के वास्तविक कार्यकर्ता रहें, और दूसरे दल में वे लोग रहें, जो वास्तविक कार्य नहीं कर सकते हैं, किंतु संस्था के प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हैं। यह भी निश्चित किया गया कि कार्यकर्ताओं का दल अस्त्र-शस्त्र का संग्रह करेगा, त्रासवादी प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करेगा और दल की कार्यवाही को सार्वजनिक कार्यवाही के रूप में उन्नत करने की चेष्टा करेगा; और दल का नाम 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रहेगा। दूसरे दल का काम होगा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक चंदों से धन इकट्ठा करना, कार्यकर्ता-दल के सदस्यों के रहने का प्रबंध करना और प्रचार-कार्य करना।

एक केंद्रीय समिति भी स्थापित की गई, जिसमें युक्त-प्रांत, पंजाब और बिहार के 2-2 सदस्य तथा राजपूताना के एक सदस्य सम्मिलित किए गए। सरदार भगत सिंह समिति के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, और श्री विजयकुमार सिंह के हाथ में संस्था का अंतर्प्रांतीय संबंध बनाए रखने का भार था। संस्था का हेडक्वार्टर झांसी में स्थापित किया गया, और राजपूताना के प्रतिनिधि श्री कुन्दनलाल उसके प्रधान बनाए गए। कार्यकर्ता-दल अर्थात सेना के अध्यक्ष बनाए गए, श्री चन्द्रशेखर आजाद, जो लगभग आधे दर्जन षड्यंत्र केसों में फरार थे, (काकोरी षड्यंत्र केस में भी ये फरार थे) और जिन्होंने 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के एलफ्रेड पार्क (कंपनी बाग) में पुलिस वालों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए प्राण विसर्जन किया। सरदार भगत सिंह कार्यकर्ता-दल के तो एक कार्य-कुशल नेता थे ही, साथ ही प्रचार कार्य भी ये जोरों के साथ करते थे।

उपयुक्त सभा में ही यह भी निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य घर-बार से संबंध त्याग दें और दल के कार्य की ओर अपनी सारी शक्ति लगा दें। इस सभा में धार्मिक सांप्रदायिकता के बहिष्कार का भी प्रस्ताव किया गया था। इस कारण सरदार भगत सिंह को अपने धर्म के बाह्य चिह्न-स्वरूप लंबे बालों को कटवा देना पड़ा और दाढ़ी भी बनवानी पड़ी।

कुछ समय के बाद हेडक्वार्टर झांसी से हटाकर आगरा लाया गया। यहां दो मकान किराए पर लिए गए, और अनेक नवयुवक अपना घर त्यागकर यहीं रहने लगे। ये नवयुवक बराबर दरिद्रता की दशा में रहते थे, क्योंकि उस समय संस्था के पास रुपयों की बहुत कमी थी। एक बार तो तीन दिन और तीन रात तक, उनके भोजन के लिए एक-एक प्याली चाय के सिवा कुछ नहीं था, भयंकर जाड़े की रात में भी उन युवकों के पास, न तो बिस्तरा था और न ओढ़ने को काफी कंबल। 8-9 युवकों को केवल 2 और 3 कंबलों से काम चलाना पड़ता था। सरदार भगत सिंह

इस प्रकार की तकलीफें सहने के आदी न थे। वे घर पर विलासतापूर्ण जीवन बिता चुके थे। परंतु तो भी ऐसे अवसरों पर उन्होंने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया।

सरदार भगत सिंह में अध्ययन करने का उत्साह नित्य बढ़ता ही रहता था। आगरा में भी वे पुस्तकों का संग्रह करने लगे। इसी उद्देश्य से वे इधर-उधर भ्रमण किया करते और संस्था से सहानुभूति रखने वालों से किताब मांग-मांगकर इकट्ठा करते। बहुत थोड़े समय में एक छोटा-सा पुस्तकालय स्थापित हो गया। पुस्तकालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया करते और उसी पर तर्क-वितर्क किया करते। उनका अध्ययन संस्था के किसी भी सदस्य से कम विस्तृत या गंभीर नहीं था। साहित्य का अध्ययन करते समय वे कभी-कभी सुंदर और हृदयग्राहिणी उक्तियां याद कर लिया करते थे। लाहौर षड्यंत्र केस के समय जब वे जेल में बंद थे, उन मनोहर उक्तियों को सुना-सुनाकर अपने मित्रों को प्रसन्न रखा करते थे।

# सांडर्स हत्याकांड

अब हमें एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना है, जिसका सरदार भगत सिंह की मृत्यु से गहरा संबंध है। यहां पर 'साइमन कमीशन' और उसके बहिष्कार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस, इतना ही कह देना काफी होगा, कि साइमन कमीशन के बहिष्कार-संबंधी प्रदर्शनों ने जनता में एक अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया था।

30 अक्तूबर, 1928 को कमीशन लाहौर आने वाला था। यहां कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक भारी जुलूस संगठित किया गया। किंतु अधिकारियों ने 144वीं धारा की घोषणा कर दी, और प्रदर्शनी को रोकने के लिए पुलिस को आज्ञा दे दी। फलतः जुलूस और पुलिस में मुठभेड़ हो गई और लाला लाजपतराय आदि अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आक्रमण किया। आहत लाला जी 17 नवंबर को संसार से चल बसे। जनता का विश्वास था, कि पुलिस के द्वारा पीटे जाने के कारण ही लाला जी की मृत्यु हुई है। उक्त जुलूस पर लाठी-प्रहार के लिए लाहौर-पुलिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट मि. स्काट और लाला जी पर आक्रमण करने के संबंध में पुलिस के सहायक सुपरिंटेंडेंट मि. सांडर्स जिम्मेदार ठहराए गए। 17 दिसंबर, 1928 की संध्या के समय, ठीक पुलिस आफिस के सामने मि. सांडर्स की हत्या की गई। चानन सिंह नामक एक कांस्टेबिल भी, जिसने हत्याकारियों का पीछा किया था, मारा गया। हत्याकारियों का कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सबेरे शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों में, मकानों की दीवारों पर पर्चे चिपके हुए पाए गए। पर्चे के ऊपर मोटे टाइपों में लाल रंग में छपा था 'दी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी।' इसके नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा था, 'सांडर्स मारा गया, लाला जी का बदला लिया गया।' आदि।

यह सांडर्स हत्याकांड का संक्षिप्त वर्णन है। लाहौर षड्यंत्र-केस के मुखबिर जयगोपाल के बयान के अनुसार सारी कहानी इस प्रकार बतलाई जाती है :

लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद से पंजाब के विप्लववादी उन पुलिस-

अफसरों को मारकर लाला जी की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जो लाला जी पर आक्रमण किए जाने के संबंध में जिम्मेदार थे। इसमें उनका एक उद्देश्य तो यह था, कि सार्वजनिक आंदोलन को हिंसा की ओर आकर्षित किया जाए और दूसरा यह, कि संसार को यह दिखला दिया जाए कि भारत लाला जी पर किए गए आक्रमण को सहन नहीं कर सकता।

इस उद्देश्य को कार्यक्रम में परिणत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि सरदार भगत सिंह और श्री शिवराम राजगुरु, मि. स्काट पर, रिवाल्वर से आक्रमण करें। इस कार्य का भार पं. चन्द्रशेखर आजाद के हाथों सौंपा गया। ये ही आक्रमणकारियों के रक्षक नियुक्त किए गए।

सारा षड्यंत्र बड़ी सावधानी से रचा गया, और इसके लिए यथेष्ट प्रबंध भी किया गया। पहले इन तीनों युवकों ने विचार किया था कि पुलिस के साथ प्राण का मोह त्यागकर घोर युद्ध किया जाए। इस संबंध में श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और उनके साथियों के उदाहरण ने उन्हें बहुत उत्साहित किया। यहां पर यह उल्लेख कर देना अनुचित नहीं होगा, कि 1916 के लगभग श्री यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपने साथियों सहित पुलिस से मोर्चा लिया था, और कुछ देर तक घोर युद्ध होने के बाद वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन युवकों ने भी ऐसा ही करने का विचार किया। उनका विश्वास था कि इस प्रकार प्राण त्याग करके वे युवकों को क्रांतिकारी संस्था की ओर आकर्षित कर सकेंगे।

किंतु यह षड्यंत्र दो प्रकार से असफल हुआ। एक तो, मि. स्काट के बदले वे मि. सांडर्स की हत्या कर बैठे। दूसरे पुलिस के पीछा नहीं करने के कारण वे उसके साथ युद्ध भी नहीं कर सके। सांडर्स को मारने के लिए जब गोली चलाई गई तो केवल एक पुलिस-अफसर, मि. फर्न, आफिस से बाहर निकले। किंतु उनके सिर पर से जब दो गोलियां सनसनाती हुई निकल गईं, तो उन्होंने लौट ही जाना उचित समझा। केवल चानन सिंह ने उन युवकों का पीछा किया। आक्रमणकारियों ने उसे बार-बार लौट जाने के लिए कहा, किंतु जब उसने लौटने से इंकार किया, तो वह भी वहीं पर ठंडा कर दिया गया।

इसके बाद तीनों युवक डी. ए. वी. कालेज के बोर्डिंग हाउस में चले गए, जो पुलिस-आफिस के समीप ही था। वहां वे पुलिस वालों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु जब कोई नहीं आया तो वे दो साइकिलों पर, अपने वास-स्थान की ओर चले गए। इनमें से एक साइकिल किसी साइकिल के व्यापारी से बलपूर्वक उधार ली गई थी।

सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के डी. ए. वी. कालेज के बोर्डिंग हाउस से रवाना होने के बाद ही पुलिस दल-बल के साथ आ धमकी और बोर्डिंग हाउस चारों ओर से घेर लिया गया। आने-जाने के सभी रास्ते रोक दिए गए और कोने-कोने

की तलाशी ली जाने लगी। केवल इतना ही नहीं, लाहौर से बाहर जाने वाली सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया, और रेलवे-स्टेशनों पर भी खुफिया पुलिस की कड़ी निगरानी रहने लगी। लाहौर से बाहर जाने वाले सभी युवकों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। किंतु इन तीनों युवकों ने पुलिस के सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया और वे सकुशल लाहौर से बाहर चले गए।

लाहौर से निकल भागने के लिए सरदार भगत सिंह ने जो उपाय सोचा था, वह जितना ही चतुरतापूर्ण था उतना ही साहसपूर्ण भी। उन्होंने एक सरकारी अफसर की तरह कपड़े पहने; अपना नाम भी खूब बड़ा-सा रख लिया, और उसी नाम के लेबल अपने ट्रंक और पोर्ट-मेंटों पर लगवा लिए। उन्होंने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक सुंदर युवती को भी अपने साथ लिया और उसी सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, फर्स्ट क्लास के डब्बे में सवार हुए, जहां कि खुफिया पुलिस वाले मि. सांडर्स के हत्यारों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री राजगुरु, सरदार भगत सिंह के अर्दली बने थे। अर्दली की वेश-भूषा बनाने के साथ ही साथ एक टिफिन कैरियर भी वे बराबर अपने हाथ में रखते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि खतरे के लिए विशेष रूप से सभी तैयार थे।

श्री चन्द्रशेखर आजाद ने सरल तरीका ढूंढ़ निकाला। उन्होंने मथुरा के लिए तीर्थयात्रियों की एक टोली तैयार की, जिसमें केवल बूढ़े लोग थे। एक ब्राह्मण पंडित का वेश धारण कर वे, इसी टोली के साथ हुए और सकुशल लाहौर के बाहर पहुंच गए।

# बाद की कार्यवाहियां

सरदार भगत सिंह से पुलिस वाले अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए खुफिया पुलिस वालों ने अनुमान किया कि वे भी सांडर्स हत्याकांड में सम्मिलित रहे होंगे। इसी अनुमान के सहारे वे सरदार भगत सिंह की खोज करने लगे, किंतु उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस-अफसरों को जो गुप्त आज्ञाएं दी गई थीं, उनमें एक यह भी थी, कि सरदार भगत सिंह जहां कहीं भी पाए जाएं, तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाएं। उनका पता लगाने के लिए कई स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त किए गए। जो पुलिस कांस्टेबिल उन्हें पहचानते थे, वे बड़े-बड़े जंक्शनों पर तैनात किए गए, और रेलवे पुलिस ने भी कड़ी निगरानी रखनी शुरू की। इतने उपाय किए जाने पर भी सरदार भगत सिंह बिना रोक-टोक के चारों ओर भ्रमण किया करते थे।

सांडर्स हत्याकांड की सफलता ने, क्रांतिकारी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी और इसने विद्यार्थियों के बीच भी बड़ी सनसनी उत्पन्न कर दी। इसके बाद से दल की आर्थिक दशा और सुधरने लगी। हत्याकांड के पहले दल की आर्थिक अवस्था बहुत शोचनीय थी। जिस दिन हत्याकांड हुआ था, उस दिन उन युवकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे, कि रात को घर में चिराग जला सकें। किंतु थोड़े ही दिनों में चंदे मिलने लगे, और कुछ दिनों के लिए उनका अर्थाभाव दूर हो गया। इसी समय राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कलकत्ते में होने वाला था। यह निश्चित किया गया कि सरदार भगत सिंह और श्री विजयकुमार सिंह, परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां जाएं, और बंगाल के क्रांतिकारी दल से सबध स्थापित करें। काकोरी-षड्यंत्र केस के संबंध में युक्त-प्रांत में गिरफ्तारियां होने तथा बंगाल में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के प्रचलित होने से, युक्त-प्रांत और बंगाल के क्रांतिकारी दलों का संबंध टूट गया था। देवघर षड्यंत्र केस ने इस टूटे हुए संबंध को और भी छिन्न-भिन्न कर दिया।

बंगाल प्रांतीय विप्लवी दल के अंतरंग सदस्यों से मिलने में सरदार भगत सिंह को कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। उन पर उस दल के उन वीर नेताओं

का बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग जेल की चारदीवारी के अंदर बिताया था। किंतु साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि युक्त-प्रांत और पंजाब के विप्लवियों ने जिस मार्ग को ग्रहण किया है, उस पर उनका विश्वास नहीं है। केवल एक ही बात से वे सहमत थे, कि देश की स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता है। किंतु अन्य बातों में, जैसे साम्यवाद, दल के कार्यक्रम में त्रासवाद का स्थान, गोपन की आवश्यकता आदि बातों में उनके विचारों में बहुत अधिक अंतर था।

पुराने त्रासवादियों के साथ बातचीत करने से उन्हें पता चला कि बम बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे, जो बम बनाने की कला में दक्ष हो और दल के सदस्यों को बम बनाना सिखाया करे। कुछ कठिनाई के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। किंतु पहले उसने कहा कि बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं ने बम बनाने और उसका व्यवहार करने का विरोध किया है, अतएव संस्था का एक सदस्य होने के कारण, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। किंतु सरदार भगत सिंह ने उसे विश्वास दिलाया कि यह बात बंगाल के लिए भले ही लागू हो सकती है, किंतु युक्त-प्रांत और पंजाब के लिए यह लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे यह भी विश्वास दिलाया, कि बम बनाने का कार्य केवल इन्हीं प्रांतों तक परिमित रहेगा, बंगाल का उससे कोई संबंध नहीं रहेगा।

इसी समय सरदार भगत सिंह ने, 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की बिहार-शाखा के नए सदस्यों से भी जान-पहचान कर ली। संस्था का एक नया बिहारी केंद्र कलकत्ता में स्थापित किया गया। एक सदस्य उसके अध्यक्ष बनाए गए। फरार अभियुक्तों को आश्रय देने के लिए यहां एक आश्रम भी खोला गया।

संस्था के प्रति व्यापारियों की सहानुभूति होने के कारण, बम बनाने के लिए रासायनिक द्रव्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती थी। इस कार्य के लिए आगरा में एक नया मकान किराए पर लिया गया था। यहीं बम तैयार करना निश्चित हुआ। बम-मास्टर भी निश्चित समय पर आ पहुंचे। बहुत थोड़े ही समय में चुने हुए सदस्यों के एक दल ने बम बनाना सीख लिया। अगले दो महीने तक यह दल इसी प्रकार का सामान तैयार करने में लगा रहा। आगरा के अलावा, लाहौर और सहारनपुर में भी बम बनाने के केंद्र स्थापित किए गए।

आगरा में पहले-पहल जो बम तैयार किए गए थे, उनमें से दो झांसी लाए गए, और वहां पटककर उनकी परीक्षा ली गई। बम बनाने में सफलता प्राप्त करने पर, सदस्यों को बहुत खुशी हुई।

इसी समय दल का एक सदस्य बीमार पड़ गया। पता चला कि उसे चेचक निकल आई है। सरदार भगत सिंह और उनके साथी रात-दिन उसकी सेवा किया करते थे। छूत लग जाने की उन्होंने जरा भी परवाह न की। इन लोगों की

सेवा-सुश्रूषा से वह युवक शीघ्र ही निरोग हो गया। किंतु यह आश्चर्य की बात है कि वही युवक गिरफ्तार होने पर सरकारी गवाह बन गया और उसने अपने उन्हीं साथियों को फंसाया, जिन्होंने उसकी रुग्णावस्था में, अपनी जान की परवाह न कर, उसकी सेवा की थी।

# असेंबली में बमकांड

दिल्ली में 8 अप्रैल, 1929 को एक अपूर्व घटना हुई। कहा जाता है कि उस दिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य असेंबली-भवन में, बिना किसी के देखे, घुस गए और उन्होंने सरकारी अफसरों की ओर दो बम फेंके। भीषण धड़ाके के साथ दोनों बम फट पड़े और सारा कमरा धुएं से भर गया। वे बेंच, जिनके समीप ये बम गिरे थे, चूर-चूर हो गए, और सतह के एक हिस्से में भी एक गड्ढा-सा हो गया। किंतु किसी को चोट नहीं आई।

इस समय असेंबली का दृश्य भी देखने ही योग्य था। उसके वीर सदस्यगण समीप वाले कमरे की ओर इस प्रकार भागे, मानो किसी भीषण जंतु ने उनका पीछा किया हो। कहा जाता है कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए गुसलखाने में भी घुस पड़े थे। दर्शकों की गैलरी भी खाली पड़ी थी।

इस अपूर्व दृश्य में, कुछ लोग ऐसे भी थे, जो अपनी जगहों पर निश्चल-भाव से डटे रहे। इन लोगों में पं. मोतीलाल नेहरू, पं. मदनमोहन मालवीय और सर जेम केरर भी थे। सेंट्रल गेट और महिलाओं की गैलरी के मध्य भाग में दो युवक स्थिर भाव से खड़े थे। ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति—सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त थे।

जिस अवसर पर, असेंबली में बम फेंका गया था, वह अवसर भी बड़ा महत्वपूर्ण था। इस समय बंबई में मजदूर आंदोलन जोरों पर था। उसकी सफलता से सरकार भयभीत हो उठी थी। इसी आंदोलन को रोकने के लिए सरकार असेंबली में एक कानून बनाना चाहती थी।

जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन असेंबली के दरवाजे पर पुलिस का कड़ा पहरा था। यह एक रहस्य है कि सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त इस पहरे के बीच से असेंबली भवन में कैसे चले गए ! यह आश्चर्य और भी बढ़ जाता है, जब हमें मालूम होता है, कि वे केवल उसी दिन वहां नहीं गए थे, बल्कि घटना के 3-4 रोज पहले से वे वहां जाते-आते थे। यह दो कारणों से संभव हो सकता

है; एक तो वे यूरोपियन वेष-भूषा से सज्जित थे, इस कारण किसी को संदेह करने का मौका नहीं मिल सकता था और दूसरे, उनके पास दर्शकों के टिकिट मौजूद थे। वे तीन रोज लगातार असेंबली भवन में गए। वहां जाते समय, उनके एक पाकेट में एक तैयार बम और दूसरे में भरा हुआ रिवाल्वर रहता था ! वे बराबर सुयोग की ताक में रहे, और जब मौका हाथ लगा तो उन्होंने अपने मंसूबे को पूरा किया, मानो बम फेंकने और दियासलाई जलाने में कुछ अंतर ही नहीं है।

यहां पर हम जोर देकर कह सकते हैं, कि यदि वे युवक चाहते, तो सकुशल वहां से निकल भागना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। उन्होंने अपनी इच्छा से पुलिस के हाथों आत्म-समर्पण कर दिया, और आनंदपूर्वक उस कठिन दंड को गले लगाने के लिए तैयार हो गए, जो इस प्रकार के अपराधों के लिए अपरिहार्य है।

दोनों युवकों के पास भरे हुए रिवाल्वर थे। यदि वे चाहते, तो वे उन सरकारी अफसरों को मार सकते थे, जो बम फटने के बाद भय से इधर-उधर दौड़ रहे थे। किंतु इस प्रकार का कोई घृणित कार्य उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने अपने रिवाल्वर निकाल लिए और पुलिस सार्जेंटों के सामने, जो इस समय घटना-स्थल पर मौजूद थे, उन्हें सामने की कुर्सी पर रख दिया ! इसके बाद उन दोनों ने 'इंकलाब जिंदाबाद' तथा 'साम्राज्यवाद का नाश हो' (Down with Imperialism) के नारे लगाए। ये नारे भारत में पहले-पहल इन्हीं युवकों द्वारा लगाए गए थे। पीछे युवक-समाज के लिए इन नारों का लगाना एक साधारण-सी बात हो गई। नारे लगाते समय इन युवकों ने कुछ क्रांतिकारी पर्चे भी बांटने शुरू किए, इन पर्चों पर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' लिखा हुआ था। इन पर्चों में एक अपील भी थी जो टाईप की हुई थी और जिसके ऊपर लाल रंग में एक शीर्षक लगा था। ये शीर्षक वह ही था, जो सांडर्स हत्याकांड के बाद निकाले गए पर्चों में था। अपील के पर्चे को इस प्रकार शुरू किया गया था, बहरे को सुनाने के लिए जोर से कहना पड़ता है। उसमें फ्रेंचविप्लवी वेलियन्त (Valliant) के कुछ उद्धरण देकर क्रांतिकारी दल के कार्यों का समर्थन किया गया था और कहा गया था कि जनता के प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के पास लौट जाएं और जनता को भावी विप्लव के लिए तैयार करें।

पर्चे वितरण करने के बाद ही दो पुलिस सार्जेंट और कुछ कांसटेबिल आगे बढ़े और उन्होंने सरदार भगत सिंह तथा श्री बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया। रंगमंच से अदृश्य होने के पहले, उन्होंने एक बार फिर, 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाए। इन नारों की ध्वनि से असेंबली भवन गूंज उठा और भयभीत दर्शक आश्चर्यचकित रह गए।

# बमकांड के संबंध में

असेंबली का बमकांड चूंकि सरदार भगत सिंह के जीवन में ही नहीं, वरन भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में भी महत्वपूर्ण घटना है, अतः उसकी आलोचना तनिक विस्तार से करना ठीक होगा। पहले परिच्छेदों में जो कुछ कहा गया है, वह सामग्री तो साधारण इतिहास में भी मिल सकती है, परंतु यहां ऐतिहासिक तारतम्य से स्पष्ट करने के लिए, उन बातों का उल्लेख करना आवश्यक है, जो इस घटना की तह में निहित थीं और जिन पर अब तक प्रकाश नहीं पड़ पाया था।

'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की केंद्रीय समिति ने, मिस्टर स्काट की हत्या की आयोजना द्वारा उस महान राष्ट्रीय नेता, लाला लाजपतराय, पर लाठी चलाने के घृणित व्यापार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बदला लेने के साथ ही साथ इस घटना के फलस्वरूप होने वाली लड़ाई को भी विशेष महत्व दिया था। उसने भगत सिंह को वीरतापूर्वक लड़ने के पश्चात पकड़े जाने पर पुलिस की गोलियों से बिंधा हुआ देखने की कल्पना की थी। इसे इस घटना का अवश्यम्भावी परिणाम जान उसने तय किया था, कि भगत सिंह इस अवसर पर एक जोरदार वक्तव्य देंगे। उसमें क्रांतिकारी दल के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए वे क्रांतिकारी मत को बार-बार दोहराते हुए, देश के नवयुवकों से इस क्षेत्र में उतर आने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसका विश्वास था, कि क्रांतिकारी दल के उद्देश्य के प्रसार में इस प्रकार की अपील का यथेष्ट प्रभाव होगा।

जब इस एसोसिएशन ने मनोनीत परिणाम निकलते न देखा, तो उसने दूसरी ओर ध्यान दिया। उस समय बंबई का मजदूर संघ मिल-मालिकों के खिलाफ घोर आंदोलन में जुटा हुआ था। भारत सरकार ने अवसर देख, अकस्मात, साम्यवादी कार्यकर्ताओं से लड़ाई छेड़ दी। देश के भिन्न-भिन्न भागों के कई कार्यकर्ता जेल में ठूंस दिए गए और शीघ्र ही यह बात प्रकट हो गई, कि अधिकारियों का इरादा उन्हें मेरठ कांसपिरेसी केस में फंसाने का था!

इन गिरफ्तारियों से फैली हुई उत्तेजना अभी शांत भी न हो पाई थी, कि

सरकार 'ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल' लेकर सामने आई। मजदूर दल ने देखा, कि यदि यह बिल पास हो गया तो उसका मजदूर आंदोलन पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

क्रांतिकारी दल तो ऐसे अवसर की ताक में था ही। आगरा में 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोशिएशन' के हेडक्वार्टर में रोज ही इस विषय पर वाद-विवाद छिड़ा रहता था। भगत सिंह का विचार था कि पार्टी को, इस अवसर पर ऐसा काम करना चाहिए, जिससे 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के मजदूर एवं किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति की बात सबको प्रकट हो जाए। परिणामस्वरूप, दिल्ली में होने वाली समिति की बैठक ने निश्चय किया, कि बटुकेश्वर दत्त एक और आदमी के साथ बम लेकर 'लेजिस्लेटिव असेंबली' पर धावा बोल दें।

हम नीचे, 26 नवंबर, 1929 को मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिए गए, लाहौर कांसपिरेसी केस के मुखबिर हंसराज वोरा के बयान से कुछ उद्धरण देते हैं। इससे सारा मामला ठीक-ठीक समझा जा सकता है—

असेंबली में बमकांड के दो या तीन दिन बाद सुखेदव नहर के पास, गवाह (मुखबिर हंसराज) से फिर मिले। उस समय उन्होंने भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के चित्र दिखाए और साथ ही यह भी कहा कि दल की दिल्ली में होने वाली सभा ने निश्चय किया है, कि भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त अपने को पुलिस के हवाले कर दें, जिससे कोर्ट में बयान देते समय उन्हें क्रांतिकारी सिद्धांतों की व्याख्या करने का अवसर मिले। सुखदेव के कथनानुसार असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य, ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल' तथा 'पब्लिक-सेफ्टी बिल' के कुछ अवांछित अंशों पर प्रतिवाद प्रकट करना था, किसी को मारना नहीं। उन बमों को जानकर कमजोर बनाया गया था, कि यदि उसके धड़ाके से सरकारी बेंचों को कुछ हानि पहुंचे भी, तो कांग्रेसी-लीडरों का कुछ नुकसान न हो।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है असेंबली बमकांड में बटुकेश्वर दत्त के साथ जाने के लिए भगत सिंह को नहीं चुना गया था। भगत सिंह के एक घनिष्ठ मित्र ही ने उनके जाने पर जोर दिया था। उनका कहना था, कि इस काम के लिए उनसे उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भगत सिंह ने अपने मित्र को जो उत्तर भेजा था, वह उनके व्यक्तित्व की कोमलतम भावनाओं पर प्रकाश डालता है। ऊपर से देखने में तो वे बड़े ही शुष्क तथा भावनाहीन व्यक्ति प्रतीत होते थे, परंतु यह पत्र, जो उन्होंने अपने अंतरंग मित्र को लिखा था, उनकी स्नेहपूर्ण तथा सरस भावनाओं का प्रतीक था। उसे अपना अंतिम पत्र जान उन्होंने उसमें अपने हृदय के समस्त कोमल उद्‌गारों को उंड़ेल दिया था। इस पत्र को लिखते समय एक ओर उनका हृदय विचित्र स्नेह-भावना से डूबा हुआ था, तो दूसरी ओर

उनके सामने कठोर कर्तव्य का प्रश्न भी था अतः उसमें स्नेह और कर्तव्य का विचित्र द्वंद्व मिलता है। उस पत्र में, उन्होंने अपने कर्तव्य को विस्तार से समझाते हुए अपनी प्रिय पुस्तक स्टेपनिएक की एक निहलिस्ट का जीवन-चरित (Stepniak's 'Career of a Nihilist') से कई उद्धरण भी दिए थे। उसमें उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर दिया था, कि क्रांतिकारी के जीवन में प्रेम एक रोड़ा है, क्योंकि कर्तव्य तथा प्रेम दो विरुद्ध भावनाएं हैं। दुर्भाग्यवश, वह बहुमूल्य पत्र, लाहौर के मोजंग हाउस की बम-फैक्टरी के छापे के समय पुलिस के हाथ पड़ गया और अब उसी के संरक्षण में है।

भगत सिंह की प्रतिभा से, असेंबली बमकांड के मुकदमे में सभा के उद्देश्य के प्रचार में आशातीत सफलता मिली। भगत सिंह तथा दत्त जी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने दिल्ली की अदालत में प्रथम बार 'इंकलाब जिंदाबाद' तथा 'जनता के राज्य की जय हो' (Long live Proletariat) के नारे लगाए। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने मुकदमे की पूरी सुनवाई तक दोनों को हथकड़ियां पहनाकर उपस्थित करने का हुक्म दिया। इतने पर भी दोनों ने अपने को क्रांतिकारी दल का सदस्य घोषित कर दिया तथा अदालत में अपने बयान द्वारा हिंदुस्तानियों को, मजदूरों तथा किसानों का दृढ़ संगठन स्थापित करने को ललकारा। उनके विचार से तभी जनसाधारण को स्वराज्य मिलना संभव था।

सेशंस जज की अदालत में दिया गया यह वक्तव्य बड़ी चतुराई से चारों ओर फैला दिया गया था। इस ऐतिहासिक वक्तव्य के दिए जाने के पहले ही, इसकी टाईप की हुई प्रतियां सभी बड़े-बड़े समाचार पत्रों में छपने के लिए भेज दी गई थीं। उसे तार-घर द्वारा नहीं भेजा गया; क्योंकि ऐसा करने से डर था, कि कहीं वह कांट-छांटकर अथवा बिलकुल अर्थ का अनर्थ कर न भेज दिया जाए। इतनी रुकावटें होते हुए भी सारा का सारा वक्तव्य, एक साथ ही भारत के समस्त प्रमुख पत्रों में प्रकाशित हुआ। यहीं नहीं, वह भारत के बाहर भी पहुंचा दिया गया और उसके महत्वपूर्ण अंश पेरिस के 'ला ह्यूमनाइत्' (Le Humanite) तथा रूस के 'प्रवदा' (Pravada) तथा आयरलैंड के पत्रों में छप गए।

इस वक्तव्य ने जनता में, विशेष कर युवक-समाज में, बिजली का काम किया। उन्हीं नेताओं ने, जिन्होंने, पहले इस कांड की जी खोलकर निंदा की थी, अब अपने वक्तव्यों में सुधार करना शुरू किया। कई पत्रों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने उन युवकों के उद्देश्य की प्रशंसा करना ही प्रारंभ कर दिया।

शीघ्र ही 'नौजवान भारत सभा' ने जिसके संस्थापक स्वयं भगत सिंह थे, असेंबली में बमकांड की घटना के प्रचार का काम अपने हाथ में ले लिया। भगत सिंह तथा दत्त द्वारा दिए गए वक्तव्य की लाखों प्रतियां भारत के कोने-कोने में पहुंचा दी गईं; जिसमें दोनों युवकों के चित्र भी थे। कुछ प्रमुख पत्रों में दोनों के चित्रों के

साथ उनकी संक्षिप्त जीवनी भी भेज दी गई। उन पत्रों ने प्रसन्नता से उसके प्रचार का बीड़ा उठाया। संक्षेप में असेंबली बमकांड में उसके आयोजकों व 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की केंद्रीय समिति को आशातीत सफलता मिली। 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' के दो सदस्यों को अत्यधिक ख्याति मिली तथा सारी पार्टी का यश चारों ओर फैल गया। इस कांड ने युवकों के हृदय में स्थान पा लिया तथा उसमें विचित्र जोश छा गया।

उस वक्तव्य के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उसके कुछ उद्धरण पुस्तक के परिशिष्ट में दिए जा रहे हैं। वहां हमने भगत सिंह का वह जवाब भी दिया है, जो उन्होंने 'माडर्न रेव्यू' को उनके 'इंकलाब जिंदाबाद' को 'मूर्खतापूर्ण' ठहराने पर दिया था।

# भूख-हड़ताल

सरदार भगत सिंह ने, असेंबली बमकांड के कैदियों को आजीवन कारावास का दंड दिए जाने के बाद ही राजनैतिक कैदियों की दशा में सुधार करने के लिए भूख-हड़ताल की घोषणा कर दी। इससे जनता पर उनका प्रभाव और भी बढ़ गया। इससे पहले भी राजनैतिक कैदियों ने भूख-हड़ताल की थी, जिनमें कुछ तो संघातक भी सिद्ध हुईं; परंतु 'काकोरी कांसपिरेसी केस' के कैदियों द्वारा की गई भूख-हड़ताल को छोड़कर, बाकी सब कुछ विशेष मांगों के लिए ही की गई थीं। भगत सिंह की भूख-हड़ताल ने ही पहली बार, सारे राजनैतिक वर्ग की साधारण दशा के सुधार की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया।

सेशंस-जज द्वारा इस दंडाज्ञा को बहाल रखने से पहले ही भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने राजनैतिक कैदियों के कठोर जेल-जीवन में सुधार के लिए भूख-हड़ताल करने का निश्चय किया। उन्होंने बड़ी सफाई से अपने इस निश्चय की सूचना समाचार-पत्रों तक पहुंचा दी, जिसने तत्परता से उनकी मांगों का समर्थन किया।

कदाचित, साधारण पाठकों को जेल में कैदियों की दुरावस्था तथा क्लेश का ज्ञान नहीं है। केवल एक ही घटना से पाठकगण उनके क्लेश का अनुमान लगा सकते हैं। 'बनारस कांसपिरेसी केस' (1916) के ग्यारह कैदियों में से तीन तो जेल ही में मर गए व एक पागल हो गया। लेखक को, जिसे उस मुकदमे में सजा मिली थी, कैदियों से बर्ताव करने के लिए जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल से समय-समय पर जो विशेष आज्ञाएं (जो निश्चयतः गुप्त होती थीं।) मिला करती थीं, देखने का अवसर मिला है। जहां तक मुझे स्मरण है, उनका आदेश था—उन्हें दिन और रात, हर समय, अन्य कैदियों से अलग रखा जाए। इसका आशय स्पष्ट ही है। चूंकि जेल में सभी तरह के कैदी भरे रहते हैं, अतः एक राजनैतिक कैदी को, अपने जेल-जीवन का सारा समय काल-कोठरी में अकेले ही बिताना पड़ता है। किसी मिलनसार व्यक्ति के लिए इससे भीषण दंड और हो ही क्या सकता है?

'अंडमान में दस वर्ष' नामक पुस्तक के रचयिता ने, जिसे प्रसिद्ध 'बारीसाल कांसपिरेसी केस' में सजा मिली थी, अंडमान में राजनैतिक कैदियों पर किए गए पाशविक अत्याचार का वर्णन किया है। पुस्तक बंगला में प्रकाशित हुई थी। भगत सिंह को इन अत्याचारों की पूरी जानकारी थी। उन्हें अपने लिए कोई डर नहीं था। उनका विश्वास था, कि चाहे वे भारत के किसी भी जेल में भेज दिए जाएं, उनसे कोई बुरा व्यवहार न किया जाएगा, उन्हें सभी तरह की रियायतें मिल जाएंगी। फिर, उन्हें आने वाले मुकदमे की खबर मिल चुकी थी और शिनाख्त के लिए की गई परेडों से वे समझ गए थे कि सरकार का अभिप्राय उन्हें सांडर्स के हत्याकांड में फंसाने का था। अतः उन्हें इस भूख-हड़ताल के सफल होने पर किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा न थी, वरन उन्हें तो अपने उन साथियों से सहानुभूति थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने जीवन को अर्पण कर दिया था और जो सरकारी जेलों में पड़े सड़ रहे थे।

सजा पाने के दो दिन बाद तक भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दिल्ली जेल में साथ-साथ रखे गए। इसके बाद श्री दत्त जी की बदली 'लाहौर सेंट्रल जेल' में हो गई और भगत सिंह 'मियांवाली' के भयानक कैद खाने में भेज दिए गए। दिल्ली जेल में उनके साथ वही व्यवहार किया जाता था, जो योरोपियन वर्ग को मिलता है। दिल्ली जेल को छोड़ने से पहले उन्होंने एक बार फिर सरकार से लड़ाई छेड़ दी, जिससे आगामी चार महीने तक जनता की आंखें उन्हीं पर लगी रहीं।

राजनैतिक बंदियों के प्रति सद्व्यवहार की मांग पेश करते हुए सरदार भगत सिंह ने जान-बूझकर अपने मतालबात उसी हद तक सीमित रखे थे, जिनकी पूर्ति आसानी से हो सके; क्योंकि वे समय की प्रगति से पूर्णतया परिचित थे। कोई साधारण अथवा असंभव मांग पेश करके वे व्यर्थ ही अपनी हंसी उड़वाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका उद्देश्य वास्तव में केवल इन अभागे बंदियों को उस हद तक कुछ ठोस सुविधाएं तथा सहूलियतें पहुंचाने का था, जिनसे वास्तव में वे थोड़ा-बहुत लाभ उठा सकें; इसीलिए वे एक आदर्शवादी नेता की भांति किसी प्रकार की असंभव, अथवा ऐसी मांग पेश करने के पक्ष में नहीं थे, जिसकी पूर्ति संभव न हो सके। जो मतालबात सरदार भगत सिंह ने पेश किए थे उनमें से प्रमुख मांग यह थी, कि हर प्रकार के ऐसे राजनैतिक बंदियों को आपस में मिलने-जुलने तथा पठन-पाठन की सुविधाएं दी जाएं, उन्हें अपेक्षाकृत अच्छा भोजन मिलना चाहिए, जिन्होंने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि देशोन्नति की पवित्र भावना से प्रेरित होकर इस मार्ग का अनुसरण किया है। सरदार भगत सिंह की इस मांग के बहुत बाद अमर-शहीद जितेन्द्रनाथ दास ने अपनी वह ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी, जिससे देशवासी पूर्णतया परिचित हैं; किंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, त्यों-त्यों लड़ाई का रुख बदलता गया क्योंकि इस भूख हड़ताल के फलस्वरूप

मुसीबतों तथा आत्म-कष्टों का बढ़ना स्वाभाविक ही था, अतएव धीरे-धीरे इस लड़ाई में आदर्शवादिता की बू आने लगी।

अधिकारियों को यह आशा न थी, कि मामला इतना तूल पकड़ जाएगा। उनका ख्याल था, कि भूख की यंत्रणा से भगत सिंह स्वयं इस इरादे को स्थगित कर देंगे। परंतु भूख-हड़ताल बिना रुके चलती रही। इस हड़ताल की घोषणा के बाद पूरा एक महीना बीत गया। अंत में पंजाब सरकार ने इस मामले में झुकना शुरू किया। इसी बीच 'लाहौर कांसपिरेसी केस' की जांच शुरू हो गई। 13 जुलाई, 1929 को इस केस के मुलजिमों ने सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त से सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए भूख-हड़ताल शुरू कर दी।

'लाहौर कांसपिरेसी केस' के मुलजिमों द्वारा की गई इस भूख-हड़ताल की कथा पर एक अलग ही पुस्तक लिखी जा सकती है और लिखी भी जानी चाहिए। कुछ ही समय में सारे देश का ध्यान लाहौर के इन भूख-हड़तालियों की ओर खिंच गया। इस जबरदस्त जनमत तथा इस वीरतापूर्ण भूख-हड़ताल के सामने पंजाब सरकार को घुटने टेक देने पड़े। 14 जुलाई को, ठीक उसी दिन, जब सरदार भगत सिंह ने गवर्नमेंट आफ इंडिया के होम मेंबर के पास एक खास दरख्वास्त भेजी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने इस संबंध में अपना पहला 'कम्यूनिके' निकाला। इसमें 'लाहौर कांसपिरेसी केस' के मुलजिमों के, स्वास्थ्य की बिना पर, भोजन-संबंधी कुछ सुविधाओं की घोषणा की। ये सुविधाएं कुछ भी न थीं। शीघ्र ही दूसरा सरकारी कम्यूनिके निकला, जिसके द्वारा पहले वाले कम्यूनिके से 'स्वास्थ्य की बिना पर' शब्द निकाल दिए गए, तथा वे ही सुविधाएं भगत सिंह तथा श्री दत्त को भी दे दी गईं।

28 जुलाई को जब यतीन्द्रनाथ दास की अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई, तो भगत सिंह ने एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी सज्जन द्वारा उनके पास एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने बार्सटल जेल के विचाराधीन कैदियों से भूख-हड़ताल समाप्त करने की प्रार्थना की। उनका कहना था, कि इस लड़ाई को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पर ही छोड़ दिया जाए। इसमें उनके आत्मत्याग की भावना की झांकी मिलती है।

यतीन्द्र दास की दशा और भी खराब हो गई थी। उन्होंने एनीमा तक लेने से इनकार कर दिया। उनके सारे शरीर में विष फैल गया था और वे आंखें भी ठीक से नहीं खोल सकते थे। इन भूख-हड़तालियों से समवेदना-रखने वालों, प्रतिष्ठित कांग्रेसियों, तथा 'लाहौर कांसपिरेसी' केस की डिफेंस कमिटी के सदस्यों ने उनसे इस भूख-हड़ताल को छोड़ने के लिए बहुत कुछ कहा, पर वे किसी तरह भी न माने। पंजाब गवर्नमेंट के पास संदेश भेजा गया कि यदि श्री दास किसी की बात सुन सकते हैं, तो वह भगत सिंह ही हैं। अतः उनसे प्रार्थना की जाए कि वे श्री दास को एनीमा लेने के लिए मजबूर करें। गवर्नर ने इसे मान लिया। भगत सिंह तुरंत बार्सटल जेल भेज दिए गए ताकि वे श्री दास पर दबाव डाल सकें। श्री दास पर भगत सिंह का

प्रभाव शीघ्र ही प्रकट हो गया। उन्होंने उनकी बात मान ली और एनीमा लेना स्वीकार कर लिया। डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार इस एनीमा के कारण ही श्री दास पंद्रह रोज तक और जीवित रह सके। इस काम को करने के लिए जेल के अधिकारियों ने बहुत कुछ हाथ-पैर मारे थे, अतः उसे इस प्रकार सहज ही होते देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। बार्सटल जेल के डिप्टी-सुपरिंटेंडेंट, खां साहब खैरदीन साहब ने श्री यतीन्द्र दास से पूछा भी, कि आखिर वही बात जिसके कराने के लिए हम सब परेशान थे, भगत सिंह के कहने से आपने कैसे मान ली ? इस पर उन्होंने गंभीरता से कहा, खां साहब, आप नहीं जानते भगत सिंह कितना बहादुर आदमी है; मैं उसकी बात कभी नहीं टाल सकता।

इसी प्रकार एक और अवसर पर भी उन्होंने यतीन्द्र दास को अपना कहना मानने के लिए विवश किया था। जब पंजाब जेल इंक्वायरी कमिटी (Panjab Jail Enquiry Committee) का निर्णय करीब था; तब उन्होंने श्री दास को दवाई पीने के लिए तैयार कर लिया, जिससे वे इस कमिटी के निर्णय को देखने तक जीवित रह सकें। श्री दास अटकते हुए बहुत धीरे-धीरे बोले, 'देखो भगत सिंह, मैं जानता हूं, कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटना चाहिए, पर मैं तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकता। आगे मुझसे और कुछ मत मांगना।'

जब यह कैदी भूख-हड़ताल छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो भगत सिंह ने, इस पर जोर दिया, कि इसमें सब से पहले शर्त यह है, कि सरकार श्री दास को बिना किसी शर्त पर छोड़ दे। 'जेल इंक्वायरी-कमिटी' के सभी सदस्य इससे सहमत थे, पर सरकार ने इस शर्त को न माना। इस पर भगत सिंह, श्री दास तथा चार अन्य व्यक्तियों ने पुनः भूख-हड़ताल प्रारंभ कर दी। उनके इस कष्ट का कोई परिणाम न निकला और इसी बीच श्री दास की मृत्यु हो गई।

अब भगत सिंह तथा उनके साथियों ने सोचा, कि 'पंजाब जेल इंक्वायरी कमिटी' जिन शर्तों को मानने के लिए तैयार है, वह इस पहली लड़ाई के लिए काफी हैं, अतः उन्होंने भूख-हड़ताल स्थगित कर दी।

# लाहौर कांसपिरेसी केस

'लाहौर कांसपिरेसी केस' की कार्यवाही को जितना निकट से देखा जाए, उतना ही भगत सिंह तथा उनके साथियों की राजनैतिक बारीकियां सामने आ जाती हैं। सरकार को 'लाहौर कांसपिरेसी केस' बहुत महंगा पड़ा क्योंकि उसके द्वारा सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों ने, वे सभी उद्देश्य सिद्ध कर लिए, जिनका सरकार को डर था। (परिशिष्ट भाग में दी गई अदालती कार्यवाही को पढ़कर पाठक सब कुछ सहज ही समझ लेंगे।)

जब भूख-हड़ताल समाप्त हो गई और उस केस की सुनवाई की आशा हुई तो भगत सिंह ने तीन आदमियों की एक छोटी-सी कमिटी जिसमें स्वयं वे, सुखदेव तथा विजयकुमार सिन्हा थे, बनाई। इसका उद्देश्य था, कि किस प्रकार इस मुकदमे द्वारा ही अपनी पार्टी के मत के प्रसार में सहायता पहुंचाई जाए, जिससे अपने सिद्धांतों व कार्य प्रणाली को बड़ी सफाई से जनता तक पहुंचा देने का अवसर मिल जाए।

सबसे पहले तो उन्हें विचाराधीन कैदियों के प्राथमिक अधिकारों के लिए लड़ना था, क्योंकि अभी तक उनसे मामूली कैदियों-जैसा व्यवहार किया जाता था इन तीन कैदियों ने बार-बार अपने अधिकारियों के लिए लड़कर, जिसमें उन्हें भयंकर कष्टों का सामना भी करना पड़ा, अधिकारियों को कुछ सुविधाएं देने के लिए विवश किया। उन्हें धीरे-धीरे बढ़िया कुर्सियां, टेबल, अखबार और छोटे-छोटे तंबू मिल गए, जिसका अर्थ यह था, कि सरकार ने उन्हें अपरोक्ष रूप से देशभक्त स्वीकार कर लिया।

दर्शकों को जेल के अंदर आने की इजाजत न मिलने के कारण उन लोगों ने सरकार से दूसरी लड़ाई ठानी। मुकदमे की पेशी लाहौर सेंट्रल जेल की चहारदीवारी के भीतर होती थी और दर्शकों के अंदर आने में इतनी बंदिशें लगा दी गई थीं कि बहुत ही कम लोग भीतर आ सकते थे। यह बात स्पष्ट रूप से भगत सिंह तथा उनके साथियों के खिलाफ पड़ती थी, क्योंकि उनके विचार तो इस मुकदमे की

कार्यवाही द्वारा जनता को अपना संदेश भेजने का था अतः पूरे एक महीने तक सरकार से झगड़ने के बाद, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के उपायों से काम लिया था, ये बंदिशें हटा ली गईं और दर्शकों को मुकदमे में उपस्थित रहने की आज्ञा मिल गई। हजारों दर्शक, जिसमें नवयुवकों तथा नवयुवतियों की ही संख्या अधिक थी, उसे देखने को टूट पड़े। हर रोज मुकदमे की कार्यवाही, 'इंकलाब जिंदाबाद' 'जनता के राज्य की जय हो', 'साम्राज्यशाही का नाश हो', के जोशीले नारों व राष्ट्रीय गान से शुरू होती थी। दर्शकों पर इस मुकदमे का कैसा प्रभाव पड़ा, यह इसी बात से पता चलता है कि इसके बाद पंजाब में कम से कम आधे दर्जन कांसपिरेसी केस हुए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि उसमें भाग लेने वाले नवयुवक, 'लाहौर कांसपिरेसी' केस द्वारा ही प्रभावित हुए थे।

इस मुकदमे की विशेषता यह थी, कि मुलजिम, गवाहों और विशेषकर मुखबिरों से—स्वयं ही जिरह करते थे। इसमें उनका उद्देश्य मुखबिरों के बयान की झूठी असंगत बातों पर प्रकाश डालना नहीं था, वरन वे इसके द्वारा अपनी पार्टी के सिद्धांतों, खास-खास कामों के करने में उसका उद्देश्य एवं साहस, उसकी कार्यप्रणाली को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। इस प्रकार वे इस मुकदमे को नवयुवकों में उत्साह तथा वीरता फैलाने का साधन बनाना चाहते थे।

वे प्रदर्शन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे, इसीलिए 'काकोरी दिवस', 'लेनिन दिवस', 'पहली मई दिवस', 'लाजपत राय दिवस' तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरां पर, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा हंगरी में भूख-हड़ताल करते हुए एक राजनैतिक कैदी की मृत्यु पर उन्होंने खुली अदालत में प्रदर्शन किए। इन अवसरों पर वे सदा जनता को कोई न कोई संदेश देते। अदालत ने इन संदेशों को मुकदमे की कार्यवाही में दर्ज हो जाने दिया। क्योंकि उसका ख्याल था कि वह उन कैदियों को ही फंसाने में सहायक होंगे। इस प्रकार वे उन संदेशों द्वारा उन कैदियों के खिलाफ ही 'प्रमाण' जुटाना चाहते थे। इधर कैदियों को इन 'प्रमाणों' व गवाहियों की कोई परवाह न थी, अतः वे ऐसे मौकों पर लाभ उठाने से कभी नहीं चूकते थे।

मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक स्मरणीय घटना तब हुई, जब अदालत ने उन कैदियों के हथकड़ियों में उपस्थित किए जाने की आज्ञा निकाली। घटना यों है, जयगोपाल, मुकदमे का एक मुखबिर था। जब वह अपना बयान देने कटघरे में आया तो उसका भाव बड़ा अपमानजनक था। उसने अपनी मूंछें मरोड़ते हुए मुलजिम को ताने के कुछ शब्द कहे। जब और सब मुलजिम 'शर्म, शर्म' चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सबसे छोटे मुलजिम, प्रेमदत्त ने, अपनी चप्पल उतारकर उसकी ओर फेंकी। अदालत की कार्यवाही झट बंद कर दी गई और इस आशय की एक आज्ञा निकाली गई कि मुलजिम अदालत में हथकड़ी पहनाकर लाए जाएं। भगत सिंह व उनके

साथियों ने निश्चय किया, कि चाहे जो हो ... कार के अन्याय के सामने सिर न झुकाएंगे और अदालत में तब तक ..., जब तक यह आज्ञा वापस नहीं ले ली जाती।

दूसरे दिन पुलिस पूरा जोर लगाकर भी, एक भी मुलजिम को अदालत में न ला सकी। सोलह आदमियों में से केवल पांच आदमी लारी में बिठाकर जेल के फाटक तक लाए जा सके, पर उसके बाद उन्हें किसी भी तरह लारी पर से उतारा न जा सका। दूसरे रोज उन्होंने, इस शर्त पर हथकड़ी डलवाए हुए अदालत में जाना स्वीकार किया, कि अदालत अपनी इस आज्ञा को वापस ले ले। पर जब उन्होंने वहां ऐसा होते न देखा, तो चालाकी से काम लिया। खाने का समय आने पर उन्होंने अदालत से हथकड़ियां उतरवा लेने की प्रार्थना की, ताकि वे ठीक से खाना खा सकें। खाने के बाद जब पुलिस के अफसर उन्हें फिर हथकड़ी पहनाने आए, तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर हाथापाई शुरू हो गई और अदालत में अच्छा-खासा तमाशा हो गया। पठानों की पलटन खास तौर पर बुलाई गई जिसने बड़ी बेदर्दी से मुलजिमों को पीटना शुरू किया।

इसमें भगत सिंह पर ही सबसे अधिक मार पड़ी। आठ खूनी-पठान उन पर टूट पड़े और जूतों की ठोकरों व लाठियों से उन्हें खूब मारा। उपस्थित दर्शकों पर, जिनमें स्त्रियों की संख्या भी पर्याप्त थी, इस अमानुषिक व्यवहार का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसी दिन शाम को लाहौर में एक वृहत सभा हुई, जिसमें पुलिस के इस काम की जी खोलकर निंदा की गई। देश के समस्त राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने भी उनका साथ दिया।

पुलिस अदालत में ही उन्हें मारकर संतुष्ट न हुई। दोपहर में अदालत उठने पर उसने जेल की चहारदीवारी के भीतर उन्हें बड़ी नृशंसता से मारा। परंतु इस कष्ट-सहिष्णुता का परिणाम उनके इच्छानुकूल ही हुआ। पुलिस अधिकारियों ने जेल-अधिकारियों की सहमति से अदालत में एक रिपोर्ट दी, कि 'उन्हें पीटना—चाहे जान से मार डालना संभव है पर कोर्ट में लाना किसी प्रकार भी संभव नहीं।' परिणामस्वरूप मैजिस्ट्रेट को अपनी आज्ञा बदलनी पड़ी।

'लाहौर कांसपिरेसी केस' ने भारत के कोने-कोने में ही नहीं, वरन भारत के बाहर भी आसाधारण ख्याति पाई। दूर-दूर देशों से रुपए आने लगे। पोलैंड से एक स्त्री ने कुछ रुपए, इसलिए भेजे, कि उन्हें समय-समय पर इस मुकदमे की पूरी कार्यवाही मिलती रहे। जापान, कनाडा और सुदूर-दक्षिणी अमेरिका से चंदे आने लगे। देश के भिन्न-भिन्न भागों में 'भगत सिंह दिवस' मनाए गए तथा उनके चित्र कैलेंडरों में खूब लगाए गए।

मैजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत से गण्यमान्य राष्ट्रीय नेता मुलजिमों से मिले जिनमें श्री सुभाष चंद्र बोस, बाबा गुरुदत्त सिंह, श्री के. एफ. नारीमैन, कालाकांकर

के राजा साहब, श्री रफी अहमद किदवई, श्री मोहनलाल सक्सेना तथा हमारे माननीय नेता स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मोतीलाल जी दो बार उनसे मिले, जिसमें दूसरी बार तो वे लगभग एक घंटे तक कटघरे में उनके साथ रहे।

लेखक की इच्छा तो मोतीलाल जी तथा सरदार भगत सिंह के बीच हुई बातचीत के खास-खास अंश देने की भी थी, परंतु वस्तु-स्थिति को देखते हुए इस मामले में अभी चुप रहना ही ठीक होगा। आशा है, वह समय भी शीघ्र आएगा, जब उसे प्रकाशित करना संभव हो जाएगा।

देश के नवयुवक समाज पर 'लाहौर कांसपिरेसी केस' का इतना संक्रामक प्रभाव पड़ता देखकर सरकार का जी दहल गया और वह इस भयंकर स्थिति से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगी। अंत में उसने 'लाहौर कांसपिरेसी केस आरडिनेंस' निकाला। भारत सरकार पहले तो जनमत के विरोध के भय से पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को लागू करने को तैयार न हुई; परंतु जब कांग्रेस और भारत सरकार के बीच भी लड़ाई छिड़ गई, तो जनमत के विरोध का प्रदर्शन ही न रहा। एक के बाद एक निरकुंश आरडिनेंस निकाले जाने लगे अतः यह अभूतपूर्व आरडिनेंस भी सन् 1930 में आरडिनेंस 4 के नाम से पास हो गया।

भगत सिंह व उनके साथियों ने देखा कि उन्हें ब्रिटिश न्याय का खोखलापन दिखाने का अच्छा अवसर मिला है। वे क्रांतिकारी दल के लिए काफी प्रोपेगंडा करने में समर्थ हुए थे। बहुत विलंब के बाद इस प्रकार का अभूतपूर्व कानून पास कर सरकार ने अपने (शत्रु के) मन की ही बात की। अतः विचाराधीन कैदियों की एक बैठक कर भगत सिंह ने प्रस्ताव रखा, कि अपना विशुद्ध क्रांतिकारी रुख अख्तियार करते हुए उन्हें अदालत की पूर्णरूप से अवहेलना करनी चाहिए। इस पर बड़ी गरम बहस हुई, जिसमें दो विरुद्ध मत सुनने में आए। एक दल ने भगत सिंह के मत का समर्थन किया और दूसरे ने इसका विरोध करते हुए अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की सलाह दी। दूसरे दल का कहना था, कि इस प्रकार उन्हें साहसपूर्ण बयान देने का अवसर मिलेगा जैसा कि उन्होंने असेंबली केस में किया था। इसके विपरीत भगत सिंह का कहना था, कि यदि हम फांसी तथा आजीवन कारावस जैसे भयंकर दंड की अवहेलना तक करते हुए, इस मामले में एक दम उदासीन भाव ग्रहण कर लें, और सरकार की जो मर्जी हो उसे करने दें, तो निश्चय ही नवयुवक समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे दल का कहना था कि चूंकि क्रांतिकारी दल के पास प्रोपेगंडा के लिए और कोई मंच नहीं है, अतः उसे अदालती कार्यवाही से ही लाभ उठाना चाहिए।

बड़े ही विचित्र ढंग से यह झगड़ा तय हो गया। मैजिस्ट्रेटी अदालत की तरह, उन्होंने इस अदालत में भी क्रांतिकारी नारे लगाते हुए प्रवेश किया, तथा अदालत

की कार्यवाही, तब तक शुरू न हो सकी, जब तक उन्होंने राष्ट्रीय गान न समाप्त कर लिया। अदालत के तीन जज इस बात को सह न सके, और तीन या चार दिन बाद उन्होंने राष्ट्रीय गान को समाप्त करते ही मुलजिमों को हथकिड़यां पहना देने की आज्ञा निकाली। नीचे की अदालत का दृश्य फिर उपस्थित हो गया और उस रोज के लिए अदालत की कार्यवाही स्थगित हो गई।

इस अपमानजनक व्यवहार ने दूसरे दल को भी भड़का दिया, अतः सबने मिलकर अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। पुलिस तथा जेल-अधिकारियों ने अपने पहले अनुभव के बल पर कह दिया, कि मुलजिमों को अदालत में लाना किसी प्रकार संभव नहीं, मुलजिमों की अनुपस्थिति में (Ex-parte) मुकदमा लिया जाने लगा। इस प्रकार भगत सिंह का अभिप्राय पूर्णतया सिद्ध हो गया। अपनी न्यायप्रियता का स्वांग रचने के लिए सरकार मुलजिमों को अदालत में उपस्थित रहने के लिए तैयार करने का प्रयत्न करने लगी। वह इस विशेष अदालत के प्रेजिडेंट को भी, जिसको मुलजिमों ने इस मार-पीट तथा अपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया था, हटा देने को तैयार हो गई, परंतु फल कुछ भी न निकला।

# फैसला और उसके बाद

विशेष अदालत की ओर से 7 अक्तूबर, सन् 1930 की सवेरे के समय एक खास दूत सेंट्रल जेल आया। मुलजिमों ने अदालत की कार्यवाही में कोई भाग न लिया था, अतः इसी विशेष दूत द्वारा अदालत का फैसला उन तक पहुंचाया गया। इन फैसलों में से तीन के चारों ओर काले बार्डर लगे थे, क्योंकि उनमें सुखदेव, शिवराम राजगुरु तथा भगत सिंह को प्राणदंड की आज्ञा दी गई थी।

इस मुकदमे के फैसले का दिन गुप्त रखा गया। तीन दिन पूर्व जेल में उन्हें आखिरी बार दावत तथा अभिनंदन-पत्र दिया गया, जिसमें कई जेल के अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद उत्सुकता तथा उत्तेजना के तीन और दिन बीते। जेल के भीतर के कैदियों ने सुना था, कि जेल के चारों ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। जिससे उन्होंने अनुमान किया कि शायद उन्हें किसी आकस्मिक संकट के लिए बुला लिया गया है। भगत सिंह व उनके साथियों के प्राणदंड का समाचार पल-भर में शहर में फैल गया। इस दुखद समाचार से चारों ओर सनसनी फैल गई और तुरंत ही दफा 144 लगा दी गई। इतने पर भी शहरी दरवाजे के बाहर म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर बिना किसी पूर्व सूचना या प्रयत्न के एक वृहत् सभा की गई। वहां बड़े ओजस्वी भाषण दिए गए, जिसमें बिना मुलजिमों की उपस्थिति के मुकदमा लिए जाने तथा इस प्रकार के अमानुषिक दंड देने के कारण सरकार की भरपूर निंदा की गई। कई प्रभावशाली समाचार-पत्रों के स्पेशल-नंबर निकले, जिसमें लाहौर कांसपिरेसी केस के सभी मुलजिमों के चित्र छपे। इन चित्रों को देख पुलिस तथा जेल के अधिकारी दंग रह गए, क्योंकि उनकी समझ ही में नहीं आता था, कि आखिर यह चित्र उन्हें मिले कैसे ?

दूसरे दिन, बुधवार 8 अक्तूबर को लाहौर तथा देश के अन्य बड़े शहरों के लोगों का, विशेषकर, नवयुवकों तथा नवयुवतियों का जोश देखने योग्य था। लाहौर के विद्यार्थी-संघ ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उसने स्कूल और कालेजों में ही नहीं, सारे शहर में पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी। शहर के अधिकांश स्कूल तथा

कालेज बंद हो गए और जो बंद नहीं हुए, वहां पिकेटिंग की गई। इस संबंध में सत्रह नवयुवतियां, जिसमें 'माता जी' नाम से एक प्रसिद्ध संभ्रांत महिला भी थीं, गिरफ्तार कर ली गईं।

एक सार्जेंट तथा कुछ कांसटेबिलों ने लाहौर के डी. ए. वी. कालेज के एक प्रोफेसर तथा अस्सी विद्यार्थियों को लाठियों से खूब पीटा। गवर्नमेंट कालेज के पास पिकेटिंग करने के लिए आए हुए विद्यार्थियों तथा आम-जनता पर भी कई बार लाठियां चलाई गईं।

शाम को एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें थोड़ी-थोड़ी देर पर 'भगत सिंह जिंदाबाद', 'सुखदेव जिंदाबाद', 'राजगुरु जिंदाबाद' के नारे लग रहे थे। 'ब्रेडला हाल' में केवल विद्यार्थियों तथा नवयुवकों की एक वृहत सभा हुई, जिसमें भगत सिंह तथा उनके साथियों को उनके इस महान आत्म-त्याग पर बधाइयां दी गईं। उसी दिन शाम को, ठीक उसी समय मोरीगेट के बाहर म्यूनिसिपल ग्राउंड्स में स्वर्गीय लाला लाजपत राय की कन्या, श्रीमती पार्वती देवी के सभापतित्व में कांग्रेसियों की एक विशाल सभा हुई, जिसमें लगभग बारह हजार आदमी एकत्रित हुए थे।

पंजाब के कई जिलों तथा संपूर्ण भारत के बड़े-बड़े नगरों में एक साथ हड़तालें हुईं। अमृतसर में भी लाहौर ही की तरह का जोश देखने में आया। वहां भी पूर्ण-हड़ताल रही, यहां तक कि टांगे तथा अन्य सवारियां भी बंद रहीं। दिल्ली, बंबई, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में जनता ने सभाएं कर भगत सिंह तथा उनके अन्य साथियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

विशेष अदालत (Special Tribunal) द्वारा फैसला दिए जाने के बाद डिफेंस कमिटी ने इस आर्डिनेंस के अवैधानिक (Ultra Virus) होने के कारण उसकी अपील प्रीवी काउंसिल (Privy Council) में करने का निश्चय किया। यहां डिफेंस कमिटी के बारे में दो शब्द कह देना आवश्यक है।

जनता को जब यह प्रकट हुआ कि पुलिस लाहौर में एक बड़ा कांसपिरेसी केस चलाने की ताक में है, तब कई राष्ट्रीय नेताओं ने, जिसमें हिंदू, सिक्ख और मुसलमान सभी लोग शामिल थे, इस मुकदमे में उत्सुकता तथा इन मुलजिमों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना आरंभ किया। सन् 1929 की जून के आसपास लाहौर में एक डिफेंस कमिटी बनाई गई, जिसमें इन लोगों की रक्षा तथा उनके पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए रुपया इकट्ठा करना प्रारंभ किया। इस काम के लिए काफी रुपया इकट्ठा करने में उसे कुछ भी देर न लगी। यहां पर यह बात स्मरणीय है कि लगभग सारा का सारा रुपया निम्नश्रेणी के लोगों द्वारा ही दिया गया था। गरीब लोगों ने ही अपनी परिमित आमदनी से थोड़ा-थोड़ा रुपया निकालकर, स्वतंत्रता के इन पुजारियों को भेंट किया। अनुमान किया जाता है कि प्रायः बीस से तीस हजार व्यक्तियों ने इस चंदे में भाग लिया था।

इस डिफेंस कमिटी का मुख्य काम केवल विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता देना ही नहीं था (क्योंकि उन लोगों ने इस मामले में अपनी ओर से कुछ भी न कहने का निश्चय किया था) वरन उन्हें बढ़िया-बढ़िया पुस्तकें भी देना था, क्योंकि वे सब के सब किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन थे। यही नहीं, उसने भारत के दूर-दूर भागों से उनसे मिलने के लिए आए हुए उनके संबंधियों के लिए ठहरने व खाने के इंतजाम का भार भी लिया। स्वयं विचाराधीन कैदियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का तथा उनके जरूरतमंद संबंधियों को आर्थिक सहायता देने का भार भी अपने ऊपर ले लिया।

फैसला होने के बाद डिफेंस कमिटी ने इसकी अपील प्रिवी काउंसिल में करने का निश्चय किया। यह बात भगत सिंह तथा उनके साथियों द्वारा पहले ही से तय कर दी गई थी। लोग उनके अभिप्राय को अन्यथा न समझ बैठें, अतः भगत सिंह तथा उनके साथियों का प्रिवी काउंसिल में अपील करने का उद्देश्य भी यहां बतला देना आवश्यक है।

इस अपील के करने में उनका प्रमुख उद्देश्य; निश्चय ही विदेशों में अपने मत का प्रचार करना था। वाइसराय ने यह आर्डिनेंस लगाते समय भूमिकास्वरूप, मुकदमे के समय मुलजिमों के चाल-चलन (Conduct) के संबंध में भी कई बातें कही थीं, जिससे उनके कथनानुसार, इस आर्डिनेंस के लगाने की आवश्यकता पड़ी। इस अपील में उन्हें इन बातों को झूठा साबित करने का अवसर मिलता। इन अभियोगों में उनकी लंबी भूख-हड़तालों का अभियोग भी शामिल था, जिसने मुकदमे की कार्यवाही को सुचारु रूप में चलने से बाधा पहुंचाई। इस अपील द्वारा भगत सिंह सभ्य संसार को दिखा देना चाहते थे, कि भारत में राजनैतिक कैदियों को किस प्रकार के अमानुषिक अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इसके द्वारा वे संसार के सामने वीर जतिन्द्रनाथ दास का निःस्वार्थ त्याग भी रखना चाहते हैं।

इसमें उनका एक उद्देश्य और भी था। वे इंगलैंड के शत्रुओं को भारत के इस सोशलिस्ट क्रांतिकारी दल की स्थिति की सूचना भी देना चाहते थे। अपने वकीलों को आज्ञा देते समय भगत सिंह ने इस बात पर जोर दिया था, कि इस मामले में यह दिखाने का प्रयत्न न किया जाए, कि भारत में क्रांतिकारी हैं ही नहीं, तथा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की सहायता से अपने दंड में कमी करने का प्रयत्न भी न किया जाए।

अपील न करने का तीसरा कारण पहले दोनों कारणों से कम आवश्यक नहीं था और यदि सच पूछा जाए, तो राजनैतिक दृष्टिकोण से यह उनसे अधिक महत्वपूर्ण था। इस सिलसिले में यह बतला देना आवश्यक है, कि इस निर्णय पर पहुंचने में सरदार भगत सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा के परामर्श से ही अधिक प्रभावित हुए थे, जिनकी राजनैतिक सूझ के सभी कायल थे। श्री सिन्हा का परामर्श यह था, कि

इन फांसियों को तब तक के लिए स्थगित करा देना चाहिए, जब तक कि जनता में भरपूर जोश न फैल जाए। जिस समय की यह चर्चा है, उस समय, अर्थात सन् 1930 के अक्तूबर में देशवासी प्रायः नित्य के 'लाठी-चार्ज', गिरफ्तारियों और सजाओं से विचलित हो उठे थे। ऐसे कोलाहलपूर्ण वातावरण में यदि ये फांसियां हो जातीं तो सर्व-साधारण पर इतना कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी। सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों को इस बात का भी भय था, कि ऐसी हालत में कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट से कोई अपमानजनक समझौता न कर बैठे; इसीलिए उन्होंने यही ठीक समझा, कि उन्हें तथा उनके साथियों को किसी ऐसे समय फांसी के तख्तों पर झुलाया जाए, जबकि ये फांसियां 'आस्तीन के दाग' सिद्ध हों और कांग्रेस की राजनीति का खोखलापन तथा उसकी कमजोरियां भी सर्व-साधारण के समक्ष उपस्थित हो सकें और साथ ही सामयिक राजनीति की बागडोर उग्र-दल के नौजवानों के हाथ में आ जाए।

23 मार्च, 1931 को यह अप्रिय कार्य संपादित हुआ; अर्थात इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, यही वह उपयुक्त समय था, मरने वालों ने जिसका आह्वान किया था। सरदार भगत सिंह ने इस प्रकार अपनी अंतिम अभिलाषा की भी पूर्ति करा के ही छोड़ी। उन्होंने मृत्यु के प्रश्न पर भी गवर्नमेंट पर विजय प्राप्त करके ही छोड़ी। आगे घटित होने वाली घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए हमें इन नौजवान विप्लववादियों की राजनैतिक सूझ का लोहा मानना ही पड़ेगा।

# फांसियां

मंगलवार 24 मार्च का दिन भारत के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। सबेरे से ही भारत के कोने-कोने में विचित्र उत्तेजना के लक्षण दिखाई देने लगे। बिजली की तरह यह समाचार फैल गया कि भगत सिंह तथा उनके दो साथियों को फांसी दे दी गई है। सबेरे के सभी अखबारों में बड़े-बड़े हेडिंग देकर तथा कुछ ने काले बार्डरों के बीच इस समाचार का समर्थन किया। पता चला, कि सरदार भगत सिंह, श्री शिवराम राजगुरु तथा सुखदेव को सोमवार 23 मार्च को ही 7 बजकर 23 मिनट पर लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। उनके फांसी पर चढ़ने के पंद्रह मिनट पहले से लेकर उसके बाद तक जेल मे 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे सुनाई दे रहे थे।

मृत्यु के समय भी भगत सिंह ने अपनी उसी वीरता तथा आत्म-संयम का परिचय दिया, जिसके लिए वे बचपन से ही प्रसिद्ध थे। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भी वे उसी प्रकार प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके दोनों साथी भी उसी प्रकार डट कर खड़े थे। फांसी पर चढ़ाए जाने का दृश्य देखने के लिए एक योरोपियन डिप्टी-कमिश्नर भी आए हुए थे। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, 'मैजिस्ट्रेट महोदय ! आप वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं, जो आपको यह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कि किस प्रकार एक भारतीय क्रांतिकारी अपने महान आदर्श के लिए हंसते-हंसते मृत्यु का आलिंगन करता है।'

प्रिवी काउंसिल ने भी जब विशेष अदालत के फैसले को बहाल रखा तब इस दंड में परिवर्तन कराने के लिए देशव्यापी सुसंगठित आंदोलन उठ खड़ा हुआ। कदाचित लोगों को यह पता नहीं है, कि महात्मा गांधी ने भी इन अभागे अपराधियों को फांसी से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया था। देश के नवयुवक तथा नवयुवतियों ने न्याय के इस स्वांग के सामने सिर न झुकाने का निश्चय किया। वह सरकार को बता देना चाहते थे कि भारतवासी इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण अत्याचारों को होते देख कभी चुप नहीं बैठ सकते। अपनी इसी नाराजगी को जाहिर

करने के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किए।

भारत में अंग्रेजी राज्य के इतिहास में यह पहला ही अवसर था, जब किसी दंडाज्ञा में परिवर्तन कराने के लिए इतना जबरदस्त तथा देशव्यापी आंदोलन हुआ हो। इंगलैंड पर भी इस आंदोलन का प्रभाव पड़े बिना न रहा। कहा जाता है कि इस जबरदस्त जनमत को देखकर वायसराय तक दहल उठे थे यही भगत सिंह चाहते भी थे।

इसी बीच भारत सरकार तथा कांग्रेस में सुलह हो गई। क्रांतिकारी दल के विचार से तो यह सरकार की पराजय ही थी। कांग्रेस ने अपना जन-आंदोलन स्थगित कर दिया और सरकार ने चैन की सांस ली और अवसर अच्छा देख चुपके से भगत सिंह आदि को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह भी यही चाहते थे कि उन्हें उस समय फांसी दी जाए, जब देश में शांति हो, जिससे जनता का ध्यान पूरी तौर से उन पर लग सके। मानो सरकार को नीचा दिखाने में भाग्य यहां भी उनका साथ दे रहा था।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन फांसियों तथा उसके बाद की घटनाओं से सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों की चिर-संचित आशा की पूर्ति हुई। सरदार भगत सिंह ने जीवित रहने की अपेक्षा फांसी पर चढ़कर ही अपने दल, अपने देश और समाज का अधिक कल्याण किया। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सुंदर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है—पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान बना रहेगा और जब इंगलैंड हमसे बातें करेगा और समझौते के लिए कहेगा तो हमारे बीच में भगत सिंह की लाश पड़ी होगी, जिससे कहीं हम उसे भूल न जाएं, कहीं हम उसे भूल न जाएं।

...But there will also be pride in him who is no more. And when England speakes to us and talks of settlement, there will be the corpse of Bhagat Singh between us lest we forget, lest we forget !"

भगत सिंह ने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को, जिसे वे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, अपने अंतिम पत्र में लिखा था—भोर के समुज्ज्वल प्रकाश के सामने, भाग्य के लेखे को कौन टाल सकता है ? यदि सारा संसार भी हमारे विरुद्ध उठ खड़ा हो तो हमें उसकी क्या परवाह ? प्रिय बंधुओ ! मेरे जीवन का अवसान समीप है। प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश के समान टिमटिमाता हुआ मेरा जीवन-प्रदीप भोर के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। हमारा आदर्श, हमारे विचार, बिजली की कौंध के समान सारे संसार में जागृति पैदा कर देंगे फिर यदि यह मुट्ठी भर राख विनष्ट भी हो जाए तो संसार का इससे क्या बनता-बिगड़ता है !

"In the light of awn, who can withstand destiny ? What harm even if the whole world stands against us ?...Dear friends, the days of my life

have come to an end. Like a flame of candle in the morning, I disappear before the light of the dawn. Our faith and our ideas will stir the whole world like a spark of lightning. What harm, if this handful of dust is destroyed !"

# कुछ संस्मरण

सरदार भगत सिंह 5 फीट 10 इंच लंबे, सुंदर गठन वाले खूबसूरत नौजवान थे। उनकी आवाज बड़ी सुरीली थी, साथ ही वे अपने हृदय के समस्त भावों को गाने में उंड़ेल देते थे। एक दिन असेंबली बमकांड के मुकदमे के फैसले के ठीक बाद ही, उनके वकील श्री आसफ अली अपनी स्त्री के साथ उनसे मिलने गए। उस समय भगत सिंह बेड़ियों से जकड़े हुए जेल की काल-कोठरी में बंद थे। उनकी कोठरी के पास पहुंचने पर श्री आसफ अली तथा उनकी स्त्री को किसी के गाने का मधुर तथा कोमल स्वर सुनाई पड़ा। वे धीरे-धीरे आगे बढ़े और वहां उन्होंने जो दृश्य देखा वह किसी भी पाषाण-हृदय को पानी-पानी कर सकता था ! क्रांतिकारी भगत सिंह उस समय भोले बालक के समान गा रहे थे; साथ ही अपनी बेड़ियों की झंकार से ताल भी देते जा रहे थे।

उनका भावुक हृदय सबके लिए समवेदना तथा प्रेम से परिपूर्ण था। यही नहीं, उपन्यास के काल्पनिक पात्रों तक में वे आसाधारण उत्सुकता तथा सहानुभूति प्रदर्शित करते थे। तथा उनके सुख-दुख को अपना समझकर उससे प्रभावित होते थे। स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने लियोनायड एंड्रीव (Leonoid Andrieve) का 'सेवन दैट वर हैंग्ड् (Seven that were Hanged) नामक सुंदर उपन्यास हम लोगों के सामने जोर-जोर से पढ़ना शुरू कर दिया था। उस पुस्तक में एक पात्र ऐसा भी था, जो फांसी के नाम से ही कांप उठता था। वह हर एक बात पर कहता था, 'मैं फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता।' यह बात उसके दिल पर ऐसी जम गई थी, कि जब वह कमजोर दिल का आदमी फांसी की टिकटिकी पर ले जाया जाने लगा तब भी वह 'मैं फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता' ही चिल्लाता रहा। जब सरदार भगत सिंह इस पुस्तक के अंतिम दृश्य तक पहुंचे, जिसमें इस घटना का चित्रण किया गया था, तो वे मुस्कुरा उठे तथा उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मृत्यु के विचार पर विजय पाने वाले इस व्यक्ति को, मृत्यु-भय के आगे सिर झुकाने वाले व्यक्ति के लिए, इस प्रकार, करुणा से, आंसू

बहाते देख हम दर्शकों का दिल भी हिल उठा था !

इतनी अवस्था में भगत सिंह ने बहुत-सी किताबें पढ़ डाली थीं। 'लाहौर कांसपिरेसी केस' में पकड़े जाने वाले सब के सब नवयुवक मननशील व्यक्ति थे, परंतु भगत सिंह अपनी बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के कारण इन सबसे ही बढ़े-चढ़े थे। साम्यवाद ही उनका प्रिय विषय था तथापि उन्होंने उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ से लेकर 1917 के अक्तूबर की क्रांति तक के रूसी क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का भी गहन अध्ययन किया था। लोगों का ख्याल है कि भारत में इस विषय के अध्ययन में बहुत ही कम आदमी उनके सामने ठहर सकते थे। बालशेविक राज्य में किए गए आर्थिक प्रयोगों में भी उनकी विशेष रुचि थी।

वैसे तो वे सभी प्रकार के उपन्यास बड़े चाव से पढ़ते थे, परंतु राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले उपन्यास ही उन्हें विशेष रूप से प्रिय थे। हां, वे उच्चश्रेणी के लोगों के जीवन को चित्रित करने वाले तथा केवल प्रेम आदि मनोविकारों को लेकर चलने वाले उपन्यास अधिक पसंद नहीं करते थे।

जेल में उन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकेन्स के उपन्यासों को पढ़ना प्रारंभ किया, जो उन्हें, खूब पसंद भी आए। उनकी कुछ प्रिय पुस्तकें थीं : उपटन सिंकलेयर (Upton Sinclair) द्वारा लिखित, 'बोस्टन' (Boston), 'जंगल' (Jungle), 'आयॅल' (Oil) तथा 'क्राई फार जस्टिस' (Cry for Justice) ; हाल केन (Hall Caine) की 'इटर्नल सिटी' (Eternal City) , जिसमें रामिली के कई कथन उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे; रीड (Reed) की 'टेन डेज दैट शूक दी वर्ल्ड (Ten days that shook the World); रॉस्फिन (Rosphin) की 'व्हाट नैवर हैपेंड' (What Never Happened) मेक्सिम गोर्की (Maxim Gorky) की 'मदर' (Mother) 'स्टैपनियेक' (Stepniak) की 'कैरियर आफ ए निहिलिस्ट' (Career of a Nihilist); इसी लेखक की 'बर्थ आफ ए रशियन डिमाक्रेसी (Birth of a Russian Democracy) को वे रूसी क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास की सबसे अच्छी पुस्तक बताते थे; आस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) की 'वीरा आफ दी निहिलिस्ट' (Vera of the Nihilist) आदि। जब से भगत सिंह ने कम्युनिस्ट साहित्य पढ़ना आरंभ किया, तब से वे अपने को कम्युनिस्ट सिद्धांतों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करने लगे। क्राप्टकिन (Kroptkin) के मेमायर्स (Memoirs) का उनपर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु माईकेल बेकुनिन (Michail Bakunin) ने तो उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। चूंकि भगवान की किसी भी रूप की कल्पना कम्युनिस्ट सिद्धांतों के विरुद्ध पड़ती है अतः भगत सिंह ने भी भगवान के अस्तित्व के विचार को अपने हृदय से निकाल देने का प्रयत्न किया। वे हमेशा अपने को नास्तिक ही कहते थे, परंतु क्या वे वास्तव में ऐसे ही थे, यह अब निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कदाचित, वे भगवान की कल्पना को अपने हृदय से निकाल देने में सफल हुए थे।

उनके इन नास्तिक विचारों की परीक्षा तो सन् 1926 में दशहरा बमकांड के सिलसिले में पकड़े जाने पर हुई। उन्हें हर समय काल-कोठरी में रखा जाता था, उनके ऊपर अन्य अमानुषिक अत्याचार भी किए जाते थे अतः इस समय उनके नास्तिक विचारों में और भी दृढ़ता आ गई हो, तो क्या आश्चर्य है ? इसके तीन साल के बाद के उनके अध्ययन ने भगवान के अनास्तित्व की उनकी धारणा को और भी पुष्ट कर दिया था।

स्वभावतः भगत सिंह का झुकाव आतंकवाद की ओर न था। 'काकोरी कांसपिरेसी केस' के देशभक्त वीरों के इस प्रकार अकारण फांसी पर लटका दिए जाने की प्रतिक्रिया-स्वरूप ही वे कुछ दिनों के लिए आतंकवादी बन गए थे। उनका विचार था, कि जब तक किसी देश की जनता स्वयं अपनी मांगों के लिए लड़ने को तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी ठोस लाभ की आशा नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि कांग्रेस जमींदारों, पूंजीपतियों तथा अमीर वकीलों की ही संस्था है, अतः उससे यह आशा करना, कि वह आम जनता को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकेगी, एक दुराशा-मात्र ही होगी। वे कहा करते थे, गांधी जी एक उदार-हृदय परोपकारी जीव हैं, परंतु केवल परोपकार से ही जनता का कल्याण नहीं हो सकता; यहां तो ऐसी संचालक शक्ति की आवश्यकता है, जो सारे समाज में क्रांति तथा नवजीवन की ज्वाला फूंक दे। उनके अनुसार निस्वार्थ भाव से काम करने वाले नवयुवकों का दल ही सामाजिक क्रांति का संगठन तथा संचालन कर सकता है।

भगत सिंह के विचार से नवयुवक समाज अपनी स्वाभाविक जड़ता को दूर फेंक देश-सेवा के इस पवित्र अनुष्ठान में, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक उसे फांसी की टिकटी पर से खड़े होकर ललकारा न जाए। उन्होंने यह काम स्वयं अपने हाथ में लिया। असेंबली बमकांड के मुकदमे के सिलसिले में दिए गए अपने बयान द्वारा उन्होंने जनता में इसी प्रकार की जागृति फैलाने का प्रयास किया था और उसका प्रभाव भी जनता पर समुचित पड़ा। इस अपील ने हजारों नवयुवकों के ही नहीं, नवयुवतियों के हृदय में भी घर कर लिया।

जेल की काल-कोठरी में बंद भगत सिंह अपना समय पढ़ने-लिखने में व्यतीत करते थे।

पकड़े जाने पर भगत सिंह काल-कोठरी में बंद कर दिए गए अतः उन्होंने पढ़ने तथा स्वतंत्रत रूप से लिखने को ही समय काटने का साधन बनाया। वहीं उन्होंने मातृभूमि पर प्राण-विसर्जन करने वाले वीर नवयुवकों एक सूची बनाई, जिसमें उनके जीवन के आदर्श सिद्धांतों पर टिप्पणी करते हुए, उनका संक्षिप्त जीवन-चरित भी लिखा उसमें उन्होंने इन देशभक्त वीरों के आदर्श वाक्यों को अपनी स्मरणशक्ति के बल पर ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया था। इस बात से भगत सिंह के गहन

अध्ययन का पता चलता है; साथ ही साथ यह इस बात का भी परिचायक है, कि वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ा करते थे, वरन उनके सुंदर तथा स्फूर्तिदायक अंशों की याद भी कर लेते थे। उन्हें रेवोल्यूशनरी (Revolutionary) नाम की अपनी पुस्तक के प्रथम खंड का प्रथम अंक जबानी याद था, जिसमें महीन टाइप के चार बड़े-बड़े पन्ने थे और जिसे 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' ने प्रकाशित किया था। उपरोक्त पुस्तक फरवरी, 1925 में सारे भारत तथा बर्मा में बांटी गई थी।

यही नहीं, उन्होंने जेल ही में, बड़े परिश्रम से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तृत इतिहास भी लिख डाला था। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जेल में ही बैठे-बैठे इतना निषिद्ध, पर दुर्लभ साहित्य कैसे प्राप्त कर लिया ? यह पुस्तक बहुत बड़ी है, और इसके प्रकाशित होने पर ही यह पता चल सकता है, कि भगत सिंह का ज्ञान इस दिशा में भी कितना बढ़ा-चढ़ा था। इसके लिए उन्हें बंगला भी सीखनी पड़ी थी। अतः इस पुस्तक में उन्होंने बंगला में प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य का भी पूरा-पूरा उपयोग किया था।

जेल की काल-कोठरी से ही भगत सिंह सन् 1929 के यूथलीग (Youth league) के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में अपना संदेश भेजने में समर्थ हुए थे। यही नहीं समय-समय पर निकलने वाले 'क्रांतिकारी पर्चों' के लिए वे मसाला भी जमा कर देते थे, जिसमें 'फिलासफी आफ दी बाम्ब' (Philosophy of the Bomb) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फांसी से कुछ ही समय पहले उन्होंने 'नौजवान राजनैतिक कार्यकर्ताओं' के नाम एक संदेश भेजा था, जो देश के नाम उनकी आखिरी वसीयत कही जा सकती है। एक सच्चे साम्यवादी होने के कारण भगत सिंह का दृष्टिकोण हर एक मामले में अंतर्राष्ट्रीय था। सभी क्रांतिकारियों की तरह वे भी प्रांतीयता की संकीर्ण-भावना से ऊपर उठ चुके थे, पर भगत सिंह उनसे एक कदम आगे ही थे। वे मनुष्यता के आगे राष्ट्रीयता को भी बहुत पीछे छोड़ चुके थे, भौगोलिक तथा भाषा संबंधी संकीर्णता की बू तक उनमें न थी। प्रायः सभी भारतीय क्रांतिकारियों में राष्ट्रीयता तथा देश-भक्ति की भावना में ही अधिक आकर्षण रहता है, अतः भगत सिंह का राष्ट्रीयता के संकीर्ण-बंधन को इस प्रकार तोड़कर, अंतर्राष्ट्रीयता को अपनाना कुछ कम प्रशंसनीय कार्य नहीं था।

पकड़े जाने के समय से लेकर 23 मार्च तक, जब कि वे अपनी अंतिम अगस्तय यात्रा के लिए निकल पड़े, तब तक किसी प्रकार की उदासीनता, उनके उत्साह को शिथिल न कर सकी। उनके संबंधियों तथा अनेक सरकारी मुलाजिमों ने उनको सरकार से क्षमा-प्रार्थना करने की सलाह दी, परंतु उन्होंने वीर-योद्धा के समान ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रांतीय सरकार के नाम एक शानदार चिट्ठी भी लिखी, जिसमें अपने को देश के पुनरुत्थान के लिए लड़ता हुआ एक क्रांतिकारी सैनिक बताते हुए कहा— यदि सरकार समझती है कि

उसके तथा भारतवासियों के बीच संधि हो गई है, तो उसका पहला कर्तव्य देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों को छोड़ देना है। परंतु यदि वह समझे कि स्वतंत्रता की लड़ाई अभी चल रही है, तो वह हमें खुशी से मार सकती है। वे खुशी से अपना बलिदान करने को तैयार थे; परंतु उनकी एक प्रार्थना थी, कि सरकार उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह सैनिकों द्वारा गोलियों से मारे जाने की आज्ञा दे। क्योंकि किसी भी वीर सैनिक के लिए यही उचित मृत्यु है।

पीपुल (People) अखबार ने उनके बारे में ठीक ही कहा है—देश की स्वतंत्रता के लिए एक ही नहीं, बल्कि हजारों वीरों ने अपने प्राणों की बलि दी है; हम भगत सिंह का नाम उन्हीं शहीदों में जोड़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ सकते। भगत सिंह ही ऐसे शहीद हैं, जिन्होंने एक ही नहीं, हजारों देशवासियों के हृदय में स्थान कर लिया है। उनकी यह कुर्बानी, जब तक देश का एक भी बच्चा जीवित है, तब तक नहीं भुलाई जा सकती। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस प्रकार हंसते-हंसते मृत्यु को अपना सकेंगे ? दो वर्ष के लंबे अर्से को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए, अपने उत्साह को पहले ही की तरह कायम रखने वाले, शहीदों में भी कम ही मिलेंगे। केवल यौवन की क्षणिक उत्तेजना के वशीभूत होकर इस आदर्श को अपनाने वाले व्यक्ति, इतने लंबे समय तक इस प्रकार की अग्नि-परीक्षा का सामना कर भी कैसे सकते थे ? भगत सिंह अदालती अपीलों तथा फांसी स्थगित कराने के प्रयास के समय भी उसी प्रकार उदासीन रहे, जिस प्रकार मुकदमे के समय में दिखाई देते थे। इसके लिए एक शहीद की हिम्मत तथा जीवन के प्रति किसी दार्शनिक की-सी उदासीनता की आवश्यकता थी। भगत सिंह में तो इन दोनों गुणों का अभाव न था।

लोगों के ख्याल से, जनता पर, भगत सिंह के इस आदर्श बलिदान से अधिक, हाल में होने वाली अन्य किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ा। अभी से उन्हें परंपरागत महापुरुषों में स्थान मिल गया है। भारतीय युवक समाज को उन पर गर्व है और यह है भी ठीक ही। उनका वह अदम्य उत्साह, वह उच्च-आदर्श तथा किसी के आगे सिर न झुकाने वाली वह निर्भीकता, सदियों तक कितने ही पथभ्रष्ट लोगों को रास्ता दिखाएगी।

भगत सिंह के इस साहस तथा आत्म-बलिदान ने राजनैतिक वातावरण से घुसी जड़ता को दूर निकालने में बिजली का-सा काम किया। उन्होंने 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा भारत के बच्चे-बच्चे के दिल में रमा दिया। उन्होंने यह नारा ब्रिटिश अदालतों में सबसे पहले लगाया था, उसी का परिणाम यह है कि आज यह नारा भारत की गली-गली में सुनने में आ रहा है। यह सच है कि भगत सिंह हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु भारतीय जनता जब भी 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा लगाती है तो इसमें 'भगत सिंह जिंदाबाद' का स्वर भी तो छिपा रहता है।

# परिशिष्ट

असेंबली बम-कांड के मुकदमे के सिलसिले में, 8 जून, 1931 को दिल्ली के सेशंस जज की अदालत में दिए गए सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के लिखित बयान की नकल—

हमारे ऊपर भीषण अपराध लगाया गया है अतः अब यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सफाई में कुछ शब्द कहें—

हमारे कथित अपराध के संबंध में निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैं—

(1) क्या वास्तव में असेंबली में बम फेंके गए थे, यदि हां तो क्यों ?

(2) नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह सही हैं या गलत ?

इसके पहले प्रश्न के पहले भाग के लिए, हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, परंतु साथ ही हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि कुछ तथाकथित गवाहों ने इस मामले में झूठी ही गवाही दी है। चूंकि हम अपने इस अपराध के, इस अंश को एकदम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतएव यहां इन गवाहों के बयान की सच्चाई की परख भी हो जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम यहां यह बता देना चाहते हैं कि सार्जेंट टेरी ने जो अपने बयान में कहा है, कि उन्होंने हममें से एक के पास से पिस्तौल बरामद की वह एक सफेद झूठ-मात्र है, क्योंकि जब हमने अपने को पुलिस के हाथ में सौंपा था, तो हममें से किसी के पास भी कोई पिस्तौल न थी।

दूसरे गवाहों ने जो अपने बयान में कहा है कि उन्होंने हमें बम फेंकते देखा था, वे भी झूठ बोलने से बाज न आए। न्याय तथा निष्कपट व्यवहार को ही सर्वोपरि मानने वाले लोगों को इन झूठी बातों से एक सबक लेना चाहिए। इसके साथ ही हम पब्लिक प्रासिक्यूटर (Public Prosecutor) तथा कानून के मामले में नीचे की अदालत के रुख की प्रशंसा भी किए बिना नहीं रह सकते।

ऊपर दिए गए पहले प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देने के लिए हमें जरा विस्तार की आवश्यकता है। बमकांड जैसी ऐतिहासिक घटना को हमने किस अभिप्राय से अथवा किस परिस्थिति के बीच किया, इससे जनता को परिचित कराने के लिए हमें संपूर्ण घटना का वर्णन करना जरूरी है।

जेल में हमारे पास कुछ पुलिस के अफसर आए थे, जिन्होंने हमें बताया कि लार्ड इर्विन ने इस घटना के बाद ही असेंबली की दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है, कि, 'यह विद्रोह किसी व्यक्ति-विशेष के खिलाफ नहीं, वरन संपूर्ण शासन-व्यवस्था के विरुद्ध था।' यह सुन हमें वास्वत में प्रसन्नता हुई, कि लोगों ने इस कांड के करने में हमारा उद्देश्य क्या था, यह ठीक-ठीक समझा।

मनुष्यता की उपासना में हम किसी से भी घटकर नहीं हैं, अतः किसी व्यक्तिगत द्वेष से परे होने के कारण, हम प्राणी-मात्र को हमेशा आदर की दृष्टि से देखते आए हैं। हम न तो देश के कलंकस्वरूप, बर्बरतापूर्ण उपद्रव करने वाले हैं, जैसा कि सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमनलाल ने कहा है और न ही हम पागल हैं, जैसा लाहौर के 'ट्रिब्यून' तथा कुछ अन्य अखबारों ने प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है।

## इतिहास के मननशील विद्यार्थी

हम नम्रतापूर्वक केवल अपने देश के इतिहास व उसके वातावरण तथा अन्य मानवीय आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं। हमें सभी प्रकार के पाखंड तथा छल से हार्दिक घृणा है।

यह काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा विद्वेष की भावना से नहीं किया है; हमारा उद्देश्य केवल उस शासन-व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद प्रकट करना था, जिसके हर एक काम में उसकी अयोग्यता ही नहीं, वरन उसकी दुष्टता तथा निरंकुशता भी प्रकट होती है। इस विषय पर हमने जितना विचार किया उतना ही हमें इस बात का दृढ़ विश्वास होता गया, कि अब समय आ गया है जब हम संसार को दिखा दें कि भारत आज किस लज्जाजनक तथा असहाय अवस्था के बीच गुजर रहा है; इसके द्वारा हम एक गैर-जिम्मेदार तथा निरकुंश शासन की पोल भी खोलना चाहते थे।

जनता के प्रतिनिधियों ने एक बार ही नहीं, हजारों बार अपनी राष्ट्रीय मांगों को सरकार के सामने पेश किया, परंतु उसने उन मांगों की सर्वथा अवहेलना करते हुए उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। असेंबली में बड़ी गंभीरता से इन मांगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पास भी किए गए परंतु तथाकथित भारतीय पार्लियामेंट ने तिरस्कारपूर्वक उन्हें पैरों तले रौंद डाला। सरकार को, जनता के अधिकारों को कुचलने वाले तथा निरकुंशतापूर्ण उपायों को काम में लाने से रोकने के लिए अनेक प्रस्ताव पास किए गए, परंतु उन्हें सदा अवज्ञा की दृष्टि से ही देखा गया। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने गवर्नमेंट के जिन कानूनों तथा प्रस्तावों को अवांछित तथा अवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था; वही केवल कलम हिलाकर ही गवर्नमेंट ने

पास कर लिए।

संक्षेप में, इस निकृष्ट सरकार को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अपने स्वार्थ-साधन के लिए इसने ऊपर से तो बहुत शान-शौकत तथा टीम-टाम बना रखी है, परंतु भीतर से यह खोखली ही है। उसकी सारी शान-शौकत तैंतीस करोड़ भूखे-नंगे भारतवासियों के खून-पसीने की कमाई के बल पर ही कायम है।

यह बात भी हमारी समझ में नहीं आती कि हमारे जनप्रिय नेता भी सरकार के धोखे में किस प्रकार आ जाते हैं और भारत की इस असहाय परतंत्रता की खिल्ली उड़ाने वाले इन प्रदर्शनों में जनता का समय तथा धन लूटने में सहायक होते हैं। हम इन्हीं प्रश्नों तथा मजदूर आंदोलन के नेताओं की धर-पकड़ पर गौर कर ही रहे थे कि इसी बीच सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल (Trade Dispute Bill) लेकर सामने आई। हम इसी सिलसिले में असेंबली की कार्यवाही देखने गए और वहां हमारा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भारत की हजारों मजदूर-पेशा जनता की मुक्ति इस प्रकार की शासन-व्यवस्था द्वारा नहीं हो सकती, जिसका एक मात्र ध्येय केवल असहाय मजदूरों को गुलाम बनाना ही है और जिसका सारा पराक्रम जनशक्ति को कुचलने-मात्र में ही सीमित है।

सरकार इतने पर भी चुप न रही। अंत में, उसने समस्त देश द्वारा निर्वाचित जनप्रिय सदस्यों का अपमान भी कर डाला, जो हमारी समझ में सर्वथा अमानुषिक तथा बर्बरतापूर्ण था। इस बिल द्वारा खून-पानी एक करके भी भूखों मरने वाली जनता के प्राथमिक अधिकारों तथा उनकी आर्थिक मुक्ति के एक-मात्र साधन पर भी कुठाराघात करने का प्रयत्न किया गया।

हमारी तरह, कोई भी गैरतदार व्यक्ति, बलिदान की भेड़ों की भांति पूंजीपतियों—और सबसे प्रधान पूंजीपति स्वयं गवर्नमेंट है—के आर्थिक-स्वार्थ को बलिवेदी पर आए-दिन होने वाली मजदूरों की इन मूक-कुर्बानियों को देखकर आंखें नहीं मूंद सकता—अपनी आत्मा के चीत्कार की उपेक्षा नहीं कर सकता। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री एस. आर. दास ने, अपने प्रसिद्ध पत्र में अपने पुत्र को ठीक ही लिखा था कि इंगलैंड की निद्रा भंग करने के लिए बम फेंकना आवश्यक था, इसलिए हमने असेंबली के भवन में बम फेंके। उन असहाय मजदूरों के मर्मांतक क्लेश को सरकार तक पहुंचाने का हमारे पास और कोई साधन भी तो नहीं था। इसमें हमारा एक मात्र ध्येय बहरे को सुनाना तथा उन पीड़ितों की मांगों पर ध्यान न देने वाली सरकार को आखिरी चेतावनी देना था।

हमारी ही तरह, दूसरों की भी परोक्ष धारणा है, कि हमारे विशाल देश में पाई जाने वाली गंभीर एवं प्रशांत महासागर की भांति वर्तमान शांति किसी समय भी

उठ खड़ा होने वाले एक भीषण एवं भयंकर तूफान की द्योतक है। हमने अपने इस कार्य द्वारा वही 'खतरे की घंटी' बजाई है, जिससे इन आने वाली मुसीबतों की ओर से बेखबर लोग भी अब चेत जाएं। इसके द्वारा हम लोगों को बता देना चाहते थे, कि 'कल्पित अहिंसा' (जून, 1929) का युग अब लद चुका है। उसकी व्यर्थता में आज की उठती हुई नई पीढ़ी को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है। मानवता के प्रति हार्दिक सद्‌भाव तथा अमित प्रेम रखने के कारण, व्यर्थ का रक्तपात बचाने के लिए (जिसे हम ही नहीं, हजारों आदमी आगे से ही देख रहे हैं।) हमने चेतावनी के लिए इस साधन का अवलंब लिया।

## कल्पित अहिंसा

पूर्व के प्रकरण में हमने 'कल्पित अहिंसा शब्द का प्रयोग किसलिए किया है, उसकी भी यहां व्याख्या कर देना आवश्यक है। किसी शत्रुता अथवा अन्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया गया पाशविक बल-प्रयोग हिंसा है, जिसका नैतिक दृष्टि से कुछ भी मूल्य नहीं है, परंतु जब उसका उपयोग किसी वैध आदर्श के लिए किया जाता है, तो नैतिक दृष्टि से भी उसके औचित्य का निराकरण नहीं किया जा सकता; परंतु सब प्रकार का बल प्रयोग, चाहे वह जिस उद्देश्य से किया गया हो, के नाश का प्रयत्न केवल कल्पित और अव्यावहारिक है, जो किसी भी नैतिक माप-दंड से खरा नहीं उतर सकता। इधर इस नए आंदोलन ने, जो देश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं, गुरु गोविन्द सिंह, शिवाजी, कमालपाशा, रिजा खां, वाशिंगटन, गैरीबाल्डी, लाफाये (Lafayette) और लेनिन के अमर संदेशों से ही जीवन पाया है और उन्हीं के पद्-चिह्नों पर चल रहा है। विदेशी सरकार तथा स्वयं हमारे जनप्रिय नेता हमारे इस उद्देश्य की ओर से उदासीन हैं और जान-बूझकर अपने कान बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमने यह चेतावनी देना ही अपना अंतिम कर्तव्य समझा। हमारा विश्वास था, कि इस प्रकार दी गई चेतावनी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती थी।

## हमारा अभिप्राय

अभी तक हमने इस घटना की तह में, हमारा मूल उद्देश्य क्या था, केवल यह बताया है अब यहां यह बता देना भी आश्वयक है, कि इसके अतिरिक्त हमारे क्या उद्देश्य थे।

इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस घटना के सिलसिले में मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तियों अथवा असेंबली के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति

हमारे हृदय में कोई वैयक्तिक स्वार्थ अथवा विद्वेष की भावना नहीं थी। इसके विपरीत हमें यह बताते गर्व है कि हम प्राणी-मात्र को हमेशा इतने आदर की दृष्टि से देखते आए हैं, कि जिसको शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने के स्थान पर हम मानव-जाति की सेवा में हंसते-हंसते प्राण विसर्जन कर सकते हैं। साम्राज्यशाही की सेना के 'किराए के टट्टू' सैनिकों के विपरीत, जिनका नर-हत्या ही व्यवसाय है, हम प्राणी-मात्र के जीवन की रक्षा का ही प्रयत्न करते आए हैं। तब भी हम यह बात स्वीकार करते हैं, कि हमने जानकर असेंबली भवन में बम फेंके।

हमारा अभिप्राय बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है। और किसी काम के उद्देश्य का अनुमान बाद की घटनाओं से ही लगाना चाहिए, अटकल अथवा संयोग की बातों से नहीं। गवर्नमेंट के निपुण-परीक्षक की गवाही के विरुद्ध हमें यह कहना है, कि असेंबली भवन में फेंके गए बमों से विशेष हानि नहीं हुई। उससे वहां की एक खाली बेंच को नुकसान पहुंचा, तथा करीब आधे दर्जन लोगों को मामूली-सी चोटें आई। गवर्नमेंट को वैज्ञानिक ने कहा है, कि बम बड़े जोरदार थे, अतः इसे अनहोनी घटना ही कहना चाहिए, कि उससे ज्यादा नुकसान न हुआ, पर हमारे विचार से तो उन्हें जान-बूझकर ही वैज्ञानिक नीति से ऐसा बनाया गया था। पहले तो दोनों बम बेंच तथा डेस्कों की खाली जगह के घेरे में फूटे थे। दूसरे उनके फूटने की जगह से दो फीट पर खड़े हुए लोगों को भी, जिसमें मि. राउ, मि. शंकर राव और सर जार्ज शुस्टर के नाम उल्लेखनीय हैं, या तो बिलकुल ही चोट न आई अथवा मामूली खिरोंचें-मात्र आई। यदि उन बमों में जोरदार पोटेशियम क्लोरेट तथा चेतन पिक्रिक भरा होता, तो इन बमों ने उस लकड़ी के घेरे को तोड़ कर कुछ गजों की दूरी पर खड़े हुए लोगों तक को उड़ा डाला होता। यदि उनमें कोई और भी अधिक संघातक बारूद भरा जाता तो निश्चय ही वह लेजिस्लेटिव असेंबली के अधिकांश सदस्यों को उड़ा देने में समर्थ होता। यही नहीं, यदि हम चाहते, तो उस अभागे सर जान साइमन को भी उड़ा सकते थे, जिसके कमीशन ने प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के दिल में, उसकी ओर से घोर नफरत पैदा कर दी थी और जो उस समय असेंबली के अध्यक्ष के निकट ही बैठा था, पर हमारा तो यह उद्देश्य कदापि न था, अतः उन बमों ने वही काम कर दिखाया, जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया था। यदि उसमें कोई अनहोनी घटना हुई तो वह यही, कि वे ठीक निशाने पर अर्थात निरापद स्थान पर गिरे।

इसके बाद हमने इस कार्य का दंड भोगने के लिए अपने को जान कर पकड़ा दिया। हम शोषक साम्राज्यशाही को यह बतला देना चाहते थे कि वह मुट्ठी भर आदमियों को मारकर किसी आदर्श को जड़-मूल से उखाड़कर नहीं फेंक सकती। सेना की दो तुच्छ टुकड़ियों के नाश से ही, किसी राष्ट्र को नहीं दबाया जा सकता।

इतिहास से भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि लैटर्स दे कैच्ड (Letters de Catched) तथा वैसतीलिस (Bastilles) फ्रांस के क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने में समर्थ नहीं हुए थे; फांसी के तख्ते अथवा साइबेरिया की खानें, रूसी क्रांतिकारी आंदोलन की आग न बुझा सकी थीं। क्या आर्डिनेंस तथा जन-रक्षा के बिल भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम की लपटों को ठंडा कर सकते हैं ? सरकार षड्यंत्र केसों का पता लगाकर तथा उन मुकदमों के अभियुक्तों को सजा देकर, अथवा उस महान आदर्श को अपने हृदय में स्थान देने वाले समस्त नवयुवकों को जेल में ठूंसकर, क्रांति की राह में रोड़े नहीं अटका सकती; पर समय पर चेतावनी देने से, यदि उसे हंसी में न उड़ा दिया जाए, तो लोगों की जान व माल अथवा अन्य क्लेशों से रक्षा हो सकती है।

## क्रांति क्या है ?

भगत सिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया कि क्रांति से उनका क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, कि क्रांति का मतलब केवल खूनी लड़ाइयों अथवा वैयक्तिक-वैर निकालना नहीं है। और न बम अथवा पिस्तौल का प्रयोग करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। क्रांति से हमारा अभिप्राय केवल उस अन्याय को समूल नष्ट कर देना है, जिसकी भित्ति पर वर्तमान शासन-प्रणाली का निर्माण हुआ है।

समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी किसान अथवा मजदूरों को उसके प्राथमिक अधिकार से भी वंचित रखा जा रहा है और उनकी गहरी कमाई का सारा धन पूंजीपति चख रहे हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान, आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मुहताज हैं। संसार भर की मंडियों के लिए सूत कातने वाला जुलाहा आज अपने तथा अपने बच्चों के शरीर ढंकने के लिए कपड़ा नहीं पा रहा है। राजगीर, लोहार तथा बढ़ई सुंदर महलों का निर्माण भले ही करें पर उन्हें सूअर-सरीखे गंदे बाड़ में ही जीवन की अंतिम घड़ियों तक व्यतीत करनी पड़ती हैं। इसके विपरीत पूंजीपति व समाज की जोंक के समान अन्य स्वार्थी मनुष्य आज जरूरत से ज्यादा सुखी हैं और जरा-जरा सी बात के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर सकते हैं। इस प्रकार की दशा ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती; यह स्पष्ट है, कि आधुनिक धनिक समाज भयानक ज्वालामुखी से खेल रहा है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों के भोले बच्चों को तथा पीड़ित जनता के करोड़ों बच्चों को, पता नहीं कि जमाना किधर जा रहा है ! सभ्यता का यह प्रासाद यदि समय पर न संभाला गया, तो जल्दी ही ढह जाएगा। देश को क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, जो लोग इस बात को महसूस करते हैं, उनका कर्तव्य है, कि 'साम्यवादी सिद्धांतों' पर समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक यह नहीं किया जाता तथा जब तक एक

आदमी दूसरे आदमी को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को लूटना (जो 'साम्राज्यशाही' के नाम से विख्यात है !) बंद नहीं करता, तब तक आज मानवता जिस क्लेश तथा प्राण-संकट से गुजर रही है, उससे मुक्ति असंभव है; तब तक यह कहना; कि लड़ाई बंद हो गई तथा विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, केवल ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय उस सामाजिक संगठन की स्थापना से है, जिसको उपर्युक्त बाधाओं से किसी भी प्रकार का भय न हो और जिसमें जनता का ही आधिपत्य स्वीकार किया जाए। इस प्रकार की शांति के फलस्वरूप होने वाला विश्व-संघ ही पीड़ित मानवता को पूंजीपतियों तथा युद्ध के भय तथा अन्य क्लेशों से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकता है।

## सामयिक चेतावनी !

यही हमारा आदर्श है और इसी आदर्श के प्रोत्साहन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबको इस वस्तुस्थिति की चेतावनी ठीक समय पर दे दी है, ताकि सब कान खोलकर सुन लें, परंतु इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान शासन व्यवस्था उठती हुई जनशक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाने से बाज न आई, तो क्रांति के इस आदर्श की पूर्ति के लिए यह निश्चित है, कि सभी प्रकार की बाधाओं को कुचलता हुआ, एक भयंकर युद्ध उठा खड़ा होगा। इसका नेतृत्व जनता के ही हाथ में रहेगा। क्रांति मानव-जाति का वह अधिकार है, जिसे कोई भी नहीं ठुकरा सकता; स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है। मजदूर ही समाज का वास्तविक पोषक है, तथा जनता का राज्य ही इन लोगों का अंतिम लक्ष्य है। इस आदर्श के लिए, इस विश्वास के लिए, हमें जो भी दंड दिया जाए, उसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। क्रांति की इस पूजा-वेदी पर हम अपना यौवन, नैवेद्य के रूप में लाए हैं। क्योंकि इस महान कार्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हमें क्रांति के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने में ही संतोष है। ''इंकलाब जिंदाबाद।''

# स्वर्गीय
# सरदार भगत सिंह
# के
# कुछ प्रमुख सहयोगियों
# का
# संक्षिप्त परिचय

# स्वर्गीय सुखदेव

सरदार भगत सिंह के साथ फांसी पर लटकाए जाने वाले, उनके अन्यतम साथी स्व. सुखदेव खास लायलपुर (पंजाब) के रहने वाले थे। आपका जन्म मि. फाल्गुन सुदी 7, सं. 1862 को पौने ग्यारह बजे दिन को हुआ था। आपके जन्म से तीन महीने पहले ही आपके पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए आपकी परवरिश और शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध आपके चाचा लाला अचिन्तराम ने किया था।

पांच वर्ष की उम्र में बालक सुखदेव को पढ़ने के लिए स्थानीय 'धनपतमल आर्य-हाई-स्कूल' में भरती किया गया। यहां आपने केवल सातवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद फिर लायलपुर सनातन धर्म हाई-स्कूल में भेजे गए और सन् 1922 में इसी स्कूल से द्वितीय श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। श्री सुखदेव बड़े मेधावी और तीव्र-बुद्धिशाली थे। किसी परीक्षा में कभी अनुत्तीर्ण न हुए, वरन प्रति वर्ष अच्छे नंबरों के साथ पास होते गए। आपका स्वभाव बड़ा ही शांत और कोमल था, इसलिए आपके सहपाठी और शिक्षक सदैव आपका आदर और प्यार करते थे। कहते हैं, आपके स्वभाव पर आपकी माता के धार्मिक संस्कारों का विशेष प्रभाव पड़ा था। आपके स्वभाव में उदारता की मात्रा यथेष्ट थी। आप अपने सिद्धांतों में बड़े दृढ़ थे। जो दिल में समा जाती थी, उसे वह सारे संसार के विरोध करने पर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। आप अपनी धुन के पक्के थे। सहपाठियों में जब किसी विषय को लेकर तर्क-वितर्क उपस्थित होता तो आप बड़ी दृढ़ता से अपना पक्ष-समर्थन करते और अंत में आपकी अकाट्य युक्तियों के सामने प्रतिद्वंद्वी को मस्तक झुका देना पड़ता। आर्य-परिवार में जन्म ग्रहण करने के कारण आपके विचारों पर आर्य-समाज का विशेष प्रभाव था। समाज के सत्संगों में आप बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। इसके सिवा हवन, संध्या और योगाभ्यास का भी शौक था। कुछ दिनों तक आपने बड़े उमंग से इन धार्मिक क्रियाओं का पालन किया था।

सन् 1919 में पंजाब के कई शहरों में 'मार्शल ला' जारी था। उस समय श्री सुखदेव की उम्र कुल 12 साल की थी और आप सातवीं कक्षा में पढ़ते थे। आपके चचा श्री अचिन्तराम 'मार्शल-ला' के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए। बालक सुखदेव के मन पर इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। लाला अचिन्तराम का कहना

है, कि उन दिनों सुखदेव कभी-कभी जेल में मुझसे मिलने आया करता और अक्सर पूछा करता था कि क्या आपको यहां बहुत तकलीफ दी जाती है ? मैं तो किसी को भी सलाम न करूंगा। उसी जमाने में एक दिन शहर भर की सभी पाठशालाओं और विद्यालयों के विद्यार्थियों को एकत्र करके 'यूनियन-जैक' (ब्रिटिश झंडा) का अभिवादन कराया गया था, परंतु श्री सुखदेव इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे और श्री अचिन्तराम के जेल से वापस आने पर उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि मैं झंडे का अभिवादन करने नहीं गया।

सन् 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। सारे देश में एक विचित्र जागृति की लहर दृष्टिगोचर होने लगी। श्री सुखदेव के जीवन में भी एक विचित्र परिवर्तन आरंभ हुआ। स्वतंत्र प्रकृति और उच्च विचार के होने पर भी श्री सुखदेव को कपड़े-लत्ते का बड़ा शौक था। वे अच्छे और कीमती कपड़े बहुत पसंद करते थे। हैट-कोट और टाई-कालर का भी शौक था; परंतु इस आंदोलन के आरंभ होते ही उन्होंने विलायती और विलायती ढंग के कपड़ों का सदा के लिए परित्याग कर दिया। पहनने के लिए कुछ खद्दर के कपड़े बनवाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपने हाथ से साफ कर लिया करते। इसके साथ ही इसी समय से हिंदी भाषा सीखने और उसके प्रचार का भी शौक हुआ। वे अपने साथियों को हिंदी भाषा की महत्ता और उसके सीखने की आवश्यकता बताया करते थे। उनका विचार था कि देश के उत्थान के लिए एक राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति केवल हिंदी भाषा ही कर सकती है।

हम ऊपर लिख आए हैं कि असहयोग आंदोलन ने श्री सुखदेव की काया-पलट कर दी थी। सादगी उनके जीवन का ध्येय बन गया था और शायद राष्ट्र-सेवा ही जीवन का ध्येय भी बन चुकी थी। इधर माता और बहन विवाह की चिंता करने लगीं, परंतु चचा इसके विरुद्ध थे। क्योंकि आर्य-समाज के सिद्धांत के अनुसार पचीस वर्ष की उम्र से पहले लड़के की शादी करना उन्हें पसंद न था। माता जब कहतीं, कि सुखदेव, मैं तुम्हारी शादी करूंगी और तुम घोड़ी पर चढ़ोगे तो श्री सुखदेव सदैव यही उत्तर देते कि मैं घोड़ी पर चढ़ने के बदले फांसी पर चढूंगा।

सन् 1922 में श्री सुखदेव के एंट्रेंस की परीक्षा पास कर लेने पर लाला अचिन्तराम जेल में थे। उन्होंने वहीं से आज्ञा दी कि उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाहौर के डी. ए. वी. कालेज में नाम लिखा लो; परंतु श्री सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चचा की इच्छा और आदेश के विरुद्ध 'नेशनल कालेज' में नाम लिखाया। यहीं उनका परिचय सरदार भगत सिंह आदि से हुआ। इनकी मंडली में पांच सदस्य थे। इन लोगों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। विद्यालय के अन्यान्य विद्यार्थी तथा कई शिक्षक इन्हें 'पंच पांडव' के नाम से याद किया करते थे।

श्री सुखदेव को एक बार यूरोप की यात्रा करने की बड़ी इच्छा थी। इसी इच्छा

से आप स्वामी सत्यदेव के साथ भी कुछ दिनों तक रहे और वहां के विभिन्न देशों की भाषाएं सीखने का विचार किया। परंतु कई कारणों से आपको इसमें सफलता न मिली। फलतः तीन महीने के बाद आपने स्वामी सत्यदेव जी का साथ छोड़ दिया।

यूरोप-यात्रा के अतिरिक्त श्री सुखदेव और उनके कई सहपाठियों को पहाड़ी सैर का भी बड़ा शौक था। फलतः सन् 1920 के ग्रीष्मावकाश में इन लोगों ने कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेशों का पैदल भ्रमण करने का विचार किया। इस यात्रा में श्री यशपाल भी इनके साथ थे। वापस आने के समय एक दिन इस पार्टी को दिन भर में 42 मील की यात्रा करनी पड़ी और महीकरन से कुल्लू तक 34 मील की यात्रा रात को एक बजे तक करनी पड़ी।

साइमन कमीशन के आने पर पंच-पांडव ने निश्चय किया कि एक समारोहपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए काली झंडियां तैयार की जा रही थीं। सरदार भगत सिंह आदि पांच-छह सज्जन अपने किसी मित्र के घर पर उक्त प्रदर्शन की तैयारी में लगे थे। लाला केदारनाथ जी सहगल भी थे। परंतु उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। सरदार भगत सिंह ने कहा, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी थोड़ा सो लूं। परंतु मित्रों ने इन्हें सोने न दिया। इसी समय उन्हें इस बात का ख्याल आया कि शायद पुलिस हमारे घर पर छापा मारे तो सुखदेव उस मकान में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए एक आदमी श्री सुखदेव को सावधान करने के लिए सरदार भगत सिंह के घर पर भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसने आकर खबर दी कि पुलिस सरदार भगत सिंह के मकान पर पहुंच गई है।

पुलिस ने श्री सुखदेव से बहुत से प्रश्न किए। परंतु उन्होंने किसी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। अंत में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और दिन के 12 बजे तक कोतवाली में बिठा रखा। इसके बाद कुछ लोगों ने वहां जाकर इन्हें छुड़वाया था। जब पंजाब में एक विप्लवी-पार्टी कायम करने की सलाह हुई, तो सरदार भगत सिंह और श्री सुखदेव ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि पंजाब के नवयुवकों को राजनीतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सरदार भगत सिंह ने प्रचार का कार्य आरंभ किया। इसके बाद यह कार्य श्री सुखदेव को सौंपा गया और आप बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ यह कार्य करते रहे। आपका यह सिद्धांत था कि Mine the work and thine the praise अर्थात–मैं केवल कार्य करना चाहता हूं, प्रशंसा नहीं चाहता।

इसके बाद, 15 अप्रैल, 1929 को श्री किशोरीलाल और प्रेमनाथ के साथ सुखदेव की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद का वर्णन सरदार भगत सिंह के परिचय में आ गया है, इसलिए उनके पुनरोल्लेख की आवश्यकता नहीं।

अंत में 7 अक्तूबर, 1930 को आपको फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च, 1931 को 24 वर्ष की उम्र में आप फांसी पर लटका दिए गए।

# स्वर्गीय शिवराम राजगुरु

*इन्हीं बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं!*
*हमें पागल ही रहने दो, कि हम पागल ही अच्छे हैं!!*

—राजगुरु

वीर-भूमि महाराष्ट्र के विख्यात नगर पूना के पास 'चाकन' नाम का एक छोटा-सा गांव है। जिस समय महाराष्ट्र-केसरी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने अपना 'हिंदू-राज्य' स्थापित किया था, उस समय तक 'चाकन' उस प्रांत की राजधानी था। श्री शिवाजी महाराज के प्रपौत्र श्री साहू जी के राजत्व-काल में चाकन के एक पंडित, कचेश्वर नामक ब्राह्मण ने सारे देश पर अपने पांडित्य का सिक्का जमाया था। एक बार राज्य-प्रबंध संबंधी किसी कार्य के लिए श्री साहू जी को चाकन आना पड़ा। वहां आपकी उपर्युक्त पंडित जी से भेंट हुई। आप उनकी विद्वत्ता पर इतने मुग्ध हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया और 'राजगुरु' की उपाधि से विभूषित किया। उसी समय से 'राजगुरु' इस वंश की पदवी हो गई। श्री शिवराम हरिजी राजगुरु इसी प्रतिष्ठित वंश के एक वंशधर थे।

पंडित कचेश्वर जी के संबंध में एक और किंवदंती मशहूर है। कहते हैं, उन दिनों अवर्षण होने पर लोग पंडितों को जप करने के लिए विवश किया करते थे। और जब तक वर्षा नहीं हो जाती थी, तब तक उनके पिंड नहीं छोड़ते थे। एक बार भीषण अवर्षण आरंभ हुआ। सतारा के सभी बड़े-बड़े पंडित जप कर चुके थे। अंत में पंडित कचेश्वर जी की बारी आई। विवश होकर उन्होंने भी जप आरंभ कर दिया और आपके जप आरंभ करने के दो-तीन दिन बाद ही पानी भी बरस गया। आसपास के चौरासी गांवों में वर्षा हुई। इसे सब लोग पंडित जी की किसी अलौकिक शक्ति की महिमा समझने लगे और दक्षिणा के रूप में एक खासी रकम पंडित जी को प्राप्त हुई। उसी समय से इस 'राजगुरु' को अब तक प्रतिवर्ष कुछ न कुछ प्राप्त होता है। यह नियम श्री साहूजी महाराज के समय से ही चला आता है।

पंडित जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटे तो वहीं सतारा में ही बस गए और बड़े पूना के पास खेड़ा नामक गांव में आकर रहने लगे। यही खेड़ा श्री शिवराम

का जन्म-स्थान है। आपके पिता श्री हरि नारायण जी राजगुरु के दो स्त्रियां थीं। श्री हरिनारायण जी की दूसरी स्त्री से दो लड़के हुए। जिनमें बड़े श्री दिनकर हरिनारायण हैं और छोटे श्री शिवराम राजगुरु थे।

शिवराम का जन्म सन् 1909 में हुआ था। आप लड़कपन में बड़े ढीठ और जिद्दी थे। सन् 1915 में जब शिवराम की उम्र 6 वर्ष की थी, आपके पिता का देहांत हो गया। आपके बड़े भाई श्री दिनकर जी उन दिनों पूना में नौकरी करते थे; इसलिए पिता की मृत्यु के बाद आप सपरिवार पूना में ही रहने लगे। शिवराम प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक मराठी पाठशाला में भेजे गए। परंतु उनकी वहां तबीयत पढ़ने-लिखने में नहीं लगती थी। वे अपना अधिकांश समय अपने सहपाठियों के साथ खेल-कूद करने में ही बिताया करते थे। अभी मराठी की आठवीं श्रेणी में ही थे कि सन् 1924 में, जब कि आपकी उम्र चौदह वर्ष की थी, एक दिन बड़े भाई ने डांट-डपट की कि खेल-कूद छोड़कर पढ़ने-लिखने में जी लगाओ। इससे भयभीत होकर आपने पाठ्य-पुस्तक के एक उपन्यास को लेकर पढ़ना आरंभ कर दिया। इस पर भाई और बिगड़े और कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर से निकल जाओ।

वही हुआ, शिवराम घर से निकल पड़े। उस समय जेब में केवल 9 पैसे थे। रात इन्होंने पूना-स्टेशन के मुसाफिरखाने में बिताई। सवेरे वहां से उठे और बिना सोचे-विचारे अपने जन्म-स्थान खेड़ा में पहुंचे। परंतु गांव में, इसलिए प्रवेश नहीं किया कि लोग पहचान लेंगे। सारी रात बिना खाए-पिए एक मंदिर में पड़े रहे। दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे गांव में पहुंचे और वहां भी गांव से बाहर एक कुएं पर रात बिताई। घर से जो 9 पैसे लेकर चले थे, उनके आम खरीद कर खा लिए थे। तीसरे दिन भूख के मारे अंतड़ियां कुलबुला रही थीं। कुएं के नीचे एक पक्षी का खाया हुआ आधा आम पड़ा था। आपने उठाया और गुठली समेत निगल गए। इस गांव के स्कूल-मास्टर को इन पर बड़ी दया आई। उन्होंने इन्हें पास रख लिया। परंतु इन्हें अगर कहीं रहना ही होता तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी ? दूसरे दिन बिना कहे-सुने उठे और एक तरफ चल दिए। भूख लगने पर पेड़ों की पत्तियां चबा लेते और रात को किसी चट्टान या मैदान में सो जाते। एक दिन एक गांव के बाहर मंदिर के पास खेत में सो रहे थे, कि कुछ आदमियों ने दूर से देखा और प्रेत समझकर ईंटें मारने लगे। जब उठे और पूछा कि मुझे क्यों मारते हो ? तब उन लोगों का भ्रम दूर हुआ। अंत में इन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ! खैर, उन लोगों ने कुछ खाने को दिया। खा-पीकर आप आगे बढ़े और कई दिनों में, इसी तरह 130 मील की यात्रा करके नासिक पहुंचे। वहां एक साधु की कृपा से, एक क्षेत्र में एक वक्त बराबर खाने का प्रबंध हो गया। रात को साधु स्वयं कुछ दे दिया करते। रात को सोने के लिए घाट की सीढ़ियां थीं।

इसी तरह चार दिन बीत गए। एक दिन पुलिस का एक सिपाही आया और

पकड़कर थाने में ले गया। वहां पूछताछ होने पर आपने बताया कि मैं विद्यार्थी हूं, और संस्कृत पढ़ने की इच्छा से यहां आया हूं।

इस तरह जब वहां से छुटकारा मिला तो आपने नासिक भी छोड़ा और घूमते-फिरते झांसी पहुंचे। परंतु वहां भी तबीयत नहीं लगी, इसलिए बिना टिकट के ही रेलगाड़ी पर सवार होकर कानपुर चले आए। कानपुर के स्टेशन पर एक महाराष्ट्र सज्जन ने आपको भोजन कराया और अपने साथ लखनऊ ले गए। वहां से लखीमपुर-खीरी होते हुए आप पंद्रहवें दिन काशी पहुंचे। यहां आपको कीचड़ में पड़ा हुआ एक पैसा मिला, जिसे उठाकर बड़े यत्न से धोती के कोने में आपने बांध लिया।

काशी आकर आप अहल्या घाट पर रहने लगे। कई दिनों के बाद एक क्षेत्र में भोजन का भी प्रबंध हो गया। एक पंडित जी की पाठशाला में जाकर संस्कृत पढ़ने लगे और भाई को भी खबर दे दी मैं काशी आ गया हूं और संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया है। भाई ने पांच रुपए मासिक पढ़ाई के लिए भेजना आरंभ कर दिया।

परंतु क्षेत्र में भोजन करना आपको पसंद नहीं था, इसलिए भोजन का प्रबंध सहपाठियों के साथ कर लिया। परंतु यह सिलसिला भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका; क्योंकि गुरुजी से अनबन हो जाने के कारण पाठशाला छोड़ देनी पड़ी। इसके साथ ही पढ़ने में दिल भी कम ही लगता था। पाठशाला छोड़ने पर अखबार पढ़ने और कुश्ती लड़ने का शौक हुआ; परंतु भोजन की फिर बड़ी तकलीफ हुई और यहां तक नौबत पहुंची, कि फिर घास और पत्तियों का आश्रय लेना पड़ा।

अंत में काशी से तबीयत उचटी तो नागपुर पहुंचे। उद्देश्य था, लाठी और गदका के खेल सीखना। सन् 1928 में फिर कानपुर चले आए। अब तक राजनीति से कोई संबंध न था, परंतु यहां आने के थोड़े दिनों के बाद ही आपके विचारों में परिवर्तन हो गया और आप एकाएक लापता हो गए। अंत में लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने पर ही लोगों को आपका पता मिला।

# स्वर्गीय चन्द्रशेखर 'आजाद'

काशी के बैजनाथ टोला में स्वर्गीय चन्द्रशेखर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था पं. बैजनाथ। थोड़ी उम्र से ही उन पर अपने देश को आजाद करने की धुन सवार हो गई थी। 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय वह अहिंसावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ्तार कर जब वे अदालत में लाए गए, तो मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा—तुम्हारा क्या नाम है ? आजाद ने अपनी आजादी के आवेश में उत्तर दिया—मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम 'स्वतंत्र'; निवास स्थान ?—जेलखाना—है ! भला खरेघाट; आई. सी. एस. जैसा नृशंस मैजिस्ट्रेट एक कोमलमति बालक के मुख से निकली हुई ऐसी बातें कैसे सहन कर सकता था ? उसने आजाद को 15 बेंत लगाए जाने की आज्ञा दी। बेंत लगाने के लिए कोमल शरीर बांधा जाने लगा; परंतु उन्होंने कहा—बांधते क्यों हो ? मारो, मैं खड़ा हूं। उस दृश्य के देखने वाले कांप गए। क्या सचमुच बेंत लगाए जाएंगे ? हां बात सच थी। सड़ा-सड़ बेंत पड़ने लगे और प्रत्येक वार पर आजाद के मुख से 'वंदेमातरम', 'गांधी जी की जय' आदि के नारे निकलने लगे। परंतु अंत में वह कोमल बालक मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। उस समय यह केवल चौदह वर्ष के थे। तभी से आप 'आजाद' के नाम से विख्यात हुए।

इन बेंतों का आघात उनके शरीर पर नहीं, वरन उनकी आत्मा पर लगा और कहा जाता है कि वह उसी दिन से विद्रोही हो गए। इस अमानुषिक दंड का उनके मन पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा।

सन् 1921 का असहयोग आंदोलन शांत था, पर कहा जाता है, आपने हिंसात्मक क्रांति की शरण ली। यहां राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी और शचीन्द्रनाथ बख्शी से उनकी मित्रता हुई। ये तीनों अंतरंग मित्र हो गए। प्रत्येक कार्य में इन तीनों का साथ रहता था।

सन् 1926 वाले जगत-विख्यात काकोरी षड्यंत्र केस में 'आजाद' का नाम एक प्रमुख षड्यंत्रकारी के रूप में आया था, किंतु वह फरार थे। सारा बनारस छान डाला गया, किंतु 'आजाद' आजाद ही रहा। युक्त प्रांतीय सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए दो हजार रुपयों का इनाम भी घोषित किया।

15 दिसंबर, 1928 की सांडर्स हत्याकांड हुआ। कहा जाता है, कि यह निश्चित

किया गया था, कि भगत सिंह और राजगुरु सांडर्स को मारेंगे और आजाद उनके पार्श्वरक्षक के तौर पर पीछे रहेंगे। सांडर्स के मार चुकने के बाद जब वह डी. ए. वी. कालेज के बोर्डिंग हाउस में जा रहे थे, तब चननसिंह ने उनका पीछा किया। 'आजाद' ने उसे चेतावनी दी, किंतु इस पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो आजाद ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद से ही पंजाब में आजाद की खोज होने लगी। आजाद, जो इस समय 'पंडित जी' के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, बड़ी सफाई से गायब हो गए।

सन् 1926 के दिसंबर मास में, वाइसराय की ट्रेन उलट देने का प्रयत्न किया गया। क्रांति के इतिहास में पहले-पहल बिना तार के, बम से काम लिया गया। इस संबंध में आजाद, यशपाल और एक फरार अभियुक्त का नाम लिया जाता है।

कहा जाता है कि लाहौर के दूसरे षड्यंत्र में आजाद ने सरदार भगत सिंह और श्री दत्त आदि को छुड़ाने के लिए षड्यंत्र किया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बहावलपुर के मकान में धड़ाका हो जाने के कारण, यह षड्यंत्र सफल न हो सका। उस धड़ाके के सिलसिले में बम की परीक्षा करते हुए एक प्रमुख क्रांतिकारी भगवतीचरण की जान भी चली गई।

दिल्ली षड्यंत्र केस में भी, स्वर्गीय आजाद का प्रमुख हाथ था, पंजाब गवर्नमेंट ने भी आपकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रु. का इनाम घोषित किया था और कहा जाता है, आपका चित्र प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशन पर चिपकाया गया था, पर सरकारी पुलिस के गुर्गे सन् 1926 से 27 फरवरी 1931 के प्रातःकाल तक पता नहीं लगा सके थे। 'आजाद' ने अंत तक अपनी आजाद-प्रियता को निबाहा। उनकी जीवित अवस्था में पुलिस का कोई भी व्यक्ति उनका शरीर स्पर्श नहीं कर सका। 27 फरवरी, 1931 को दस बजे के लगभग इलाहाबाद के कंपनी बाग में एक विश्वासघाती सहयोगी की नीचता के कारण पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी पुलिस के उपस्थित अफसरों को उनसे भय लगता था। समाचार-पत्रों को पढ़ने पर पता चलता है, कि मृत्यु के बाद भी केवल संदेह के वशीभूत होकर पुलिस वालों ने बंदूक और तमंचों के कई बाढ़ उनके शरीर पर दागे थे, तब कहीं वे पास फटक सके।

कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ सरकारी खैरख्वाहों ने उनके मृतक शरीर को लातों तक से ठुकराया, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक गोरे दर्शक का कुत्ता स्वर्गीय 'आजाद' के लगे हुए घावों में से निकला हुआ रक्त चाटकर अपने मालिक को अपनी वफादारी और समझदारी का परिचय दे रहा था ! कतिपय प्रमुख नागरिकों की यह तो आंखों-देखी और कानों-सुनी घटना है, कि जब लाश को उठाकर लारी में रखा जा रहा था तो पुलिस वालों ने बड़ी निर्दयता से मृतक शरीर की टांगें पकड़कर घसीटी थीं। कुछ सिपाहियों को लाश मोटी होने

की शिकायत थी और इसके लिए कहा जाता है, उनके शरीर को गालियां भी दी गई थीं; किंतु 'आजाद' के जीवट की वे कभी-कभी कानों-कानों में प्रशंसा भी करते सुने गए थे। स्वयं सी. आई. डी. के सुपरिंटेंडें मि. ब्लंडन तक ने, जो इस घटना के तुरंत बाद ही सहगल जी की संस्था तथा उनके निवास स्थान की तलाशी लेने आए थे, सहगल जी से 'आजाद' के जीवट की प्रशंसा की। उनका कहना था कि ऐसे सच्चे निशानेबाज उन्होंने बहुत कम देखे हैं; खासकर ऐसी शंकामय परिस्थिति में, खासकर जब तीन ओर से उन पर गोलियों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने यह भी स्वीकर किया कि यदि पहली गोली उनकी जांघ में न लग गई होती, तो पुलिस का एक भी अफसर जीवित न लौटता, क्योंकि मि. नाटबावर का हाथ पहले ही बेकाम हो चुका था, उन्होंने यह भी बतलाया कि 'आजाद' विप्लवी दल का कोई प्रतिष्ठित नेता—संभवतः कमांडर इन चीफ थे। अस्तु—

जिस पेड़ के पीछे स्वर्गीय 'आजाद' ने प्राण विसर्जन किया था वह वृक्ष फूलों से लदा था और पेड़ पर कई जगह गरीबों ने 'आजाद' पार्क आदि लिख दिया था, जिसकी विधिपूर्वक देहाती लोग पूजा किया करते थे और कुछ ही दिनों में वहां एक मेला प्रायः नित्य ही लगने लगा जिससे कुपित होकर अधिकारियों ने जड़-मूल से उस वृक्ष को उखड़वा कर जलवा दिया। जिस स्थान पर स्वर्गीय 'आजाद' का रक्त गिरा था, उसकी मिट्टी कालेज तथा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उठा ले गए थे।

# स्वर्गीय हरीकिशन

23 दिसंबर, 1930 को पंजाब विश्वविद्यालय के कनवोकेशन के समय पंजाब के गवर्नर पर पिस्तौल का हमला करने के अपराध में, पेशावरी युवक हरीकिशन को 9 जून, 1931 को, मियांवाली जेल में फांसी दे दी गई।

स्व. हरीकिशन का जन्म सीमांत के विख्यात नगर मर्दान से कई मील के फासले पर गल्लाढेर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला गुरुदासमल है, जो गल्लाढेर के एक अच्छे जमींदार और रईस हैं। आपके नौ संतान हैं, जिनमें हरीकिशन अन्यतम थे। हरीकिशन बड़े सुंदर, तीक्ष्णबुद्धि और होनहार युवक थे। इन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी।

हरीकिशन का खानदान विख्यात देश-प्रेमी है और इसी देश-प्रेम के अपराध में इनके भाई श्री भगतराम एक सुदीर्घ काल तक पेशावर जेल में कैद रहे।

कहते हैं, भाई की कैद ने हरीकिशन को विशेष विक्षुब्ध कर दिया था और कभी-कभी वह अपने पिता से कहा करते थे, मैं काकोरी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूं। इस घटना के बाद से ही वह राजनीतिक पुस्तकें और समाचार-पत्र आदि बड़े ध्यान से पढ़ने लगे थे। स्व. हरीकिशन महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे और उन्हें देवता-तुल्य समझते थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत मानते थे।

विद्या-व्यसनी होने के अतिरिक्त हरीकिशन को शिकार का भी खूब शौक था। बंदूक और पिस्तौल का अचूक निशाना लगा सकते थे। इस संबंध में उन्होंने अपने गांव तथा देहात में यथेष्ट ख्याति प्राप्त की थी।

इन सद्‌गुणों के सिवा हरीकिशन को अपनी जमींदारी तथा गृहस्थी के कामों से भी खासी दिलचस्पी थी। घर का काम-काज वे बड़ी तत्परता और मनोयोग के साथ देखा करते तथा इन कामों में अपने पूज्य पिता को यथेष्ट सहायता पहुंचाया करते थे।

हरीकिशन का स्वभाव शांत, शीलवान और प्रकृति गंभीर थी; परंतु अकस्मात उनके स्वभाव में न जाने क्यों ऐसे परिवर्तन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुपचाप घर छोड़ दिया और लापता हो गए। घरवालों ने इधर-उधर बड़ी ढूंढ़-खोज की परंतु

कहीं पता न चला।

हम ऊपर कह आए हैं, कि 23 दिसंबर, 1930 को पंजाब विश्वविद्यालय का पारितोषिक वितरण महोत्सव था। विश्वविद्यालय के चांसलर तथा पंजाब के गवर्नर साहब परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को पदवियां आदि प्रदान करने आए थे। विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। बिना टिकट के कोई विश्वविद्यालय-भवन के पास भी नहीं जा सकता था। गवर्नर महोदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रोफेसर तथा अन्यान्य गणमान्य सज्जन भी उपस्थित थे। सभा की कार्यवाही निर्विघ्न समाप्त हुई। पदवी-वितरण के बाद गवर्नर महोदय तथा अन्यान्य वक्ताओं के भाषण हुए। अंत में सभा विसर्जित करके जब गवर्नर महोदय बाहर जा रहे थे, तो एकाएक एक नवयुवक ने हाल के भीतर से उन पर फायर किया। गवर्नर महोदय की भुजा और पीठ पर दो गोलियां लगीं। इसके अतिरिक्त सरदार चनन सिंह नामक एक सहकारी पुलिस-इंस्पेक्टर, वधावन सिंह नामक एक खुफिया पुलिस-इंस्पेक्टर तथा कुमारी मेक्डरमंड नाम की एक गोरी महिला को भी चोटें लगीं। इनमें सरदार चनन सिंह की चोट करारी थी, इसलिए वह उसी दिन शाम को मेयो अस्पताल में जाकर मर गया। शेष सभी आहत बच गए। गवर्नर साहब को भी, साधारण चोटें लगी थीं, इसलिए मरहमपट्टी के बाद वे भी शीघ्र ही अच्छे हो गए।

गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हाल के बाहर बरामदे में खड़ा गोलियां चला ही रहा था, कि गवर्नर के बाडी-गार्ड के सब-इंस्पेक्टर मेहता दीवानचन्द ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह युवक हरीकिशन था।

इसके साथ ही श्री गिरिधारीलाल नाम का एक और नवयुवक भी गिरफ्तार किया गया, जो बी. टी. की डिग्री लेने आया था, परंतु अंत में पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

जामा तलाशी में हरीकिशन के पास से एक पिस्तौल, छह गोलियां, एक चाकू और कुछ कागज बरामद हुए थे।

3 जनवरी, 1931 को लाहौर के बोर्स्टल जेल में हरीकिशन के मुकदमे की पहली पेशी हुई। हरीकिशन ने किसी प्रकार की सफाई देने से इनकार कर दिया। उनकी ओर से कोई वकील भी खड़ा नहीं किया गया था। ये बड़ी शांति से अदालत के कमरे में बैठे रहे। चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट या अशांति का कोई चिह्न न था। अदालत की कार्यवाही में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया और न अदालत के किसी प्रश्न का उत्तर ही दिया। परंतु अपना अपराध स्वीकार करते हुए उन्होंने इतना अवश्य कहा था—

"मैं यह नहीं बता सकता, कि मैं लाहौर में कब आया। परंतु मैं यहां गवर्नर को मारने के लिए आया था। मैं यह भी नहीं बताना चाहता, कि मैं लाहौर में कहां

ठहरा था। मैं 23 दिसंबर को टिकिट के साथ यूनिवर्सिटी हाल में गया था। मैंने कुल छह फायर किए। दो गवर्नर पर किए और बाकी अपने को बचाने के लिए, न कि इस ख्याल से, कि इससे कोई मारा जाए। अदालत में जो चीजें—पिस्तौल और गोलियां आदि—पेश की गई हैं, वे मेरी हैं। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता और न यह बताना चाहता हूं कि मैंने यह कार्य क्यों किया। मैंने जो कुछ किया है, अपनी इच्छा से किया है।''

अदालत ने उसी दिन अभियुक्त को सेशंस सुपुर्द कर दिया। इसके बाद ही हरीकिशन के पिता लाला गुरुदासमल भी लाहौर आ गए। उस समय हरीकिशन ने भूख-हड़ताल कर रखी थी। परंतु पिता के अनुरोध करने पर उसे तोड़ दिया। इसके बाद पिता के कहने से मुकदमे की 'पैरवी' के लिए वे भी तैयार हो गए।

21 जनवरी, 1931 को सेशंस जज की अदालत में श्री हरीकिशन के मुकदमे की पेशी हुई। आपकी ओर से मि. आसफअली बैरिस्टर, मि. विश्वेश्वर नाथ तथा मि. रामलाल आनंद पैरवीकार नियुक्त हुए। जूरी ने इन्हें चनन सिंह की हत्या करने तथा गवर्नर और इंस्पेक्टर वधावन पर आक्रमण करने के लिए भारतीय दंड-विधान की धाराएं 302 और 307 के अनुसार अपराधी बताया। साथ ही इस बात की सिफारिश भी की, कि इसकी कच्ची उम्र का ख्याल करके दया की जाए। परंतु सेशंस जज ने दया करना अनुचित समझ, हरीकिशन को फांसी की आज्ञा सुना दी। हरीकिशन ने सजा सुनकर गंभीरता से उत्तर दिया—

बहुत अच्छा !

इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, परंतु नामंजूर हो गई और पता लगा कि हरीकिशन को सरदार भगत सिंह आदि के साथ ही फांसी दे दी जाएगी। परंतु उनके पिता ने प्रिवी कौंसिल में अपील करने के लिए दरख्वास्त दी कि फांसी मुल्तवी रखी जाए। अधिकारियों ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली परंतु प्रिवी कौंसिल से भी अपील नांमजूर हो गई।

इसके बाद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्रार्थना की कि वे सरकार से दया की प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए अपराधी को अभी फांसी न दी जाए। परंतु अधिकारियों ने इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

8 जून, 1931 को हरीकिशन के पिता आदि उनसे अंतिम बार मिलने के लिए मियांवाली जेल में गए थे। यद्यपि यह मिलन अंतिम मिलन था, परंतु हरीकिशन के संबंध में कुछ बताया नहीं गया था। उन्हें यह भी मालूम न था, कि फांसी किस रोज होगी। इस समय हरीकिशन के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्होंने अपनी यह अंतिम इच्छा प्रकट की थी, कि मेरी लाश मेरे रिश्तेदारों को दे दी जाए। साथ ही, जैसा कि कहा जाता है उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि 'मेरा अंतिम संस्कार वहीं हो, जहां सरदार भगत सिंह का हुआ था और मेरा पुनर्जन्म इसी देश में हो, ताकि

मैं मातृ-भूमि को गुलामी के बंधन से मुक्त करने में भाग ले सकूं।'

परंतु दुख की बात है कि अधिकारियों ने उनकी अंतिम इच्छाएं भी पूरी न कीं। परिजनों के प्रार्थना करने पर भी लाश उन्हें न दी गई, यहां तक कि उन्हें जेल के पास भी न जाने दिया गया।

सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि स्व. हरीकिशन के बड़े भाई लाला जमनादास, जो शेखूपुरा की सरकारी कचहरी में नौकर थे, बरखास्त कर दिया गया। उनका अपराध शायद यही था कि वे हरीकिशन के सगे भाई थे।

तत्कालीन पंजाब-सरकार की एक आवश्यक सूचना पाकर हरीकिशन के आत्मीय उनसे अंतिम साक्षात करने के लिए गत 8 जून को मियांवाली पहुंचे। सरकार ने उनके बड़े भाई श्री भगतराम को भी पेशावर जेल से बुला दिया था। जिस समय ये पेशावर से यहां लाए गए उनके हाथों में हथकिड़यां और पैरों में बेड़ियां पड़ी थीं।

हरीकिशन के आत्मीयों ने यहां पहुंचकर मैजिस्ट्रेट की सेवा में एक दरख्वास्त देकर पूछा कि उन्हें फांसी कब दी जाएगी ? परंतु मैजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया कि वे इस संबंध में कुछ नहीं जानते। आप लोग जेलवालों से पूछिए शायद उन्हें मालूम हो !

अंत में ये लोग जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब की सेवा में पहुंचे; परंतु उन्होंने भी इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अवश्य ही उन्होंने यह बताने की कृपा की कि फांसी हो जाने पर हरीकिशन का अंतिम संस्कार हिंदू धर्मानुसार किया जाएगा।

8 तारीख को 11 बजकर दस मिनट पर इन लोगों को मुलाकात का अवसर मिला। जेल के बहुत से कर्मचारियों के साथ जेल में दरोगा साहब हाथ में घड़ी लिए हुए वहां मौजूद थे और ज्यों ही साढ़े ग्यारह बजे, त्यों ही आपने उन्हें बाहर चले जाने की आज्ञा प्रदान की। क्योंकि मुलाकात के लिए कुल बीस मिनट का समय दिया गया था।

इस मुलाकात के पहले एक और भी उल्लेखनीय बात हुई थी। शायद पाठकों को मालूम होगा, फांसी की सजा पाया हुआ अपराधी, जब तक उसे फांसी नहीं दे दी जाती, बहुधा एक निर्जन कोठरी में रखा जाता है। साधारणतया उसकी कोठरी के सामने थोड़ा-सा सेहन होता है जो लोहे के मजबूत छड़ों से घिरा होता है और उसमें भी कई ताले जड़े होते हैं। पहले हरीकिशन के रिश्तेदारों को उसी सेहन के बाहर से खड़े होकर मुलाकात कर लेने को कहा गया, परंतु उन लोगों ने कहा कि इस तरह प्रायः दो सौ फीट की दूरी पर इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर बातचीत करना कैसे संभव हो सकता है ? तब कहीं अफसरों ने हाते के अंदर जाकर मुलाकात करने की आज्ञा प्रदान की।

इस मुलाकात के समय हरीकिशन ने जो अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की थी, उसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। उनकी यह इच्छा थी कि उनका शव संस्कार उनके रिश्तदारों द्वारा हो, परंतु अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और जेल के पास ही एक कब्रिस्तान में ले जाकर लाश जला दी गई। यह कब्रिस्तान लावारिस मुसलमानों की लाशें दफनाने के लिए है और महाशय राजपाल की हत्या करने वाले, अलमदीन की लाश यहीं दफनाई गई थी। इस घटना से वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में एक सनसनी-सी फैल गई थी। मुसलमानों के कब्रिस्तान में हिंदू की लाश जलाए जाने के कारण दोनों जातियों के लोग अप्रसन्न थे।

फांसी हो जाने के थोड़ी देर बाद ही हरीकिशन के पिता ने फूल के लिए मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दी थी, जिसके उत्तर में आज्ञा हुई कि आप गवर्नमेंट को तार दें। तार दिया गया, परंतु कोई उत्तर न मिला। अंत में, कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने विश्वास दिलाया कि सरकारी आज्ञा का इंतजार किया जाएगा और कल सुबह तक फूल का प्रवाह आदि न होगा। परंतु अंत में मालूम हुआ कि आधी रात को ही वह ठिकाने लगा दिया गया। अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा, कि अंतिम संस्कार के लिए कोई ब्राह्मण बुलाया गया था या नहीं। जिस स्थान पर अंत्येष्टि हुई थी, वहां बहुत दिनों तक पुलिस का पहरा पड़ता रहा।

फांसी के पहले हरीकिशन का वजन नौ पाउंड बढ़ा हुआ था। उनके भाई श्री भगतराम को फांसी का हाल पहले ही मालूम था, किंतु वे भी बिलकुल प्रसन्नचित दिखाई देते थे।

# लाहौर षड्यंत्र
# की
# मनोरंजक कार्यवाही

# मुकदमों का संक्षिप्त इतिहास

लाहौर षड्यंत्र केस के लिए राय साहब पंडित श्रीकृष्ण नाम के एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई थी जिसकी कार्यवाही 10 जुलाई, 1929 को उनकी अदालत में आरंभ हुई। षड्यंत्र (Conspiracy) का यह मामला देश के चुने हुए 24 नौजवानों पर चलाया गया था जिनमें 5 लापता थे और जिनके विरुद्ध उनके पकड़े जाने पर बाद में एक नए षड्यंत्र केस का स्वांग रचा गया था जो 'दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस' के नाम से प्रसिद्ध है। फरार अभियुक्तों में से कुछ के पकड़े जाने पर फिर एक नया षड्यंत्र केस भी चलाया गया।

अभियुक्तों पर सन् 1928 की 17 दिसंबर को लाहौर के एसिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मि. सांडर्स और हेड कांस्टेबिल चनन सिंह की हत्या, लाहौर तथा सहारनपुर में बम-फैक्टरियां स्थापित करने, सन् 1929 की 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंकने और इसी प्रकार की अन्य षड्यंत्रकारी कार्यवाहियों के अभियोग लगाए गए थे। इन अभियोगों को साबित करने के अभिप्राय से गवर्नमेंट की ओर से 600 गवाहों की एक लिस्ट पेश की गई थी।

इस मनोरंजक, किंतु ऐतिहासिक मुकदमे की कार्यवाही प्रारंभ होने के पहले ही श्री बटुकेश्वर दत्त तथा सरदार भगत सिंह—जो इन मामलों के भी अभियुक्त बनाए गए थे; उस समय असेंबली बम-केस के निर्णय के अनुसार आजन्म काले-पानी की सजा भोग रहे थे—ने, राजनैतिक कैदियों के साथ जेल में दुर्वव्यहार होने के कारण अनशन (भूख-हड़ताल) शुरू कर दिया था। सहानुभूति में अन्य अभियुक्तों ने भी अनशन शुरू कर दिया और फलतः इन अभियुक्तों की निर्बलता के कारण 26 जुलाई, 1929 को मुकदमे की सुनवाई मुल्तवी कर देनी पड़ी। इसी प्रकार की एक नई अड़चन पेश होने के कारण 24 सितंबर, 1929 तक मुकदमे की पेशी स्थगित होती रही। इन योद्धाओं के अनशन-व्रत ने समूचे देश में एक विचित्र हलचल उपस्थित कर दी। यहां तक कि स्वेच्छाचारी गवर्नमेंट तक को अंत में परास्त होकर इन वीरों की मांगों के सामने नत-मस्तक होना पड़ा। इस ऐतिहासिक अनशन व्रत में घुल-घुल कर स्वर्गीय यतीन्द्रनाथ दास ने 63 दिन के उपवास के बाद प्राण विसर्जन कर दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया से एक बार ही घबराकर ब्रिटिश गवर्नमेंट

को जेल-संबंधी कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ए, बी और सी क्लास की रचनाएं हुईं और इस प्रकार लाखों राजनैतिक बंदियों ने यतीन्द्रनाथ दास के प्रत्यक्ष तथा अन्य वीर युवकों के मूक बलिदानों से लाभ उठाया !

4 फरवरी, 1930 को अधिकांश अभियुक्तों ने फिर अनशन प्रारंभ कर दिया, इस कारण मामला फिर 8 मार्च तक स्थगित कर देना पड़ा। इसके बाद अप्रैल के अंत तक कार्यवाही नित्य-प्रति होती अवश्य रही पर उसको मुकदमे की कार्यवाही न कह कर, यदि 'खानापूरी' कहा जाए, तो अधिक उपयुक्त होगा। किराए के सरकारी गवाहों के असली स्वरूप को देशवासियों के समक्ष उपस्थित करना और पुलिस वालों को हद दर्जे का पतित और मूर्ख सिद्ध करते रहना षड्यंत्र-केस के सारे अभियुक्तों का एकमात्र उद्देश्य था, जिसे पूर्णरूपेण सफल बनाने में उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर उठा नहीं रखी, जैसा कि इस 'अदालती कार्यवाही' के दैनिक विवरण को पढ़ने से पाठकों को पता चलेगा।

अभियुक्तों की इन हरकतों से तंग आकर पहली मई, 1930 को वाइसराय ने 'सन् 1930 का तीसरा आंर्डिनेंस' नाम से एक आर्डिनेंस पास करके येन-केन-प्रकारेण इन नौजवानों को ठिकाने लगाने का निश्चय कर डाला और फलस्वरूप हाईकोर्ट के तीन जजों का एक 'स्पेशल-ट्रिब्यूनल' बनाकर इस षड्यंत्र-केस की समस्त कार्यवाहियों का अधिकार उसे सौंप दिया गया। इस ट्रिब्यूनल में मि. जस्टिस टैप, मि. जस्टिस हिल्टन तथा जस्टिस सर अब्दुल कादिर रखे गए और मुकदमे की 'कार्यवाही' धुआंधार चलने लगी। वाइसराय का यह आतंकपूर्ण रवैया तथा 'ट्रिब्यूनल' का रुख देख और समझकर समस्त अभियुक्तों ने एक स्वर से अदालती 'स्वांग' की कार्यवाही में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने, न तो सरकारी गवाहों से कोई जिरह की और न अपनी रक्षा के लिए कोई सफाई ही पेश की, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक समझ चुका था, कि क्या अनिष्ट होने जा रहा है। लोहे के विशेष रूप से निर्मित एक बड़े भारी पिंजड़े में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए अभियुक्त साधारण दर्शकों के भांति बैठे-बैठे न्याय के नाम पर रचे गए इस ड्रामे का लुत्फ उठाते और कहकहे लगाते रहे। सन् 1930 की 7 अक्तूबर का इस कानून के नाम पर रचे गए ड्रामे का पटाक्षेप हो गया और इसके फैसले के अनुसार सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव और श्री राजगुरु को फांसी की सजा; सर्व श्री किशोरी लाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव और कमल नाथ तिवारी को आजन्म काले-पानी की सजा तथा कुन्दन लाल और प्रेम दत्त को क्रमशः सात तथा पांच वर्ष का कठिन कारावास का दंड प्रदान किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सारे देश में एक कुहराम-सा मच गया और बड़ी आशा से इस फैसले के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में इसकी अपील की गई और अपील के कारणों (Grounds) में देश के प्रमुख वकीलों ने एकमत होकर बतलाया था, कि ट्रिब्यूनल

का निर्माण तथा उसकी कार्यवाही 'गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट' की 72वीं धारा के विरुद्ध थी; यह भी बतलाया गया था, कि चूंकि इस मामले में कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसके कारण 'आर्डिनेंस' जारी करने का आवश्यकता प्रतीत हो, अतएव एक ऐसा घातक आर्डिनेंस जारी करना गवर्नर-जनरल के अधिकार के बाहर, अतएव सर्वथा गैर-कानूनी था। चूंकि स्टेज पहले से ही सेट हो चुका था, अतएव अपील के संबंध में मि. के. सी. प्रिट का वक्तव्य समाप्त होते ही और बिना सरकारी वकील को बुलाए ही, प्रिवी काउंसिल ने सरसरी ढंग से अपील देखते ही 11 फरवरी, 1931 को खारिज कर दी।

इसके बाद देश भर के लगभग समस्त प्रभावशाली नेताओं तथा संस्थाओं ने गवर्नर-जनरल से इन नौजवानों के जीवन-दान की भिक्षा के लिए झोली पसारी पर परिणाम वही हुआ, जिसकी आशा थी। देशवासियों की सारी गिड़गिड़ाहट असफल रही और जीवनदान की भिक्षा के लिए पसारी हुई झोली में 23 मार्च, 1931 की संध्या के साढ़े सात बजे तीन ठंडी लाशें डाल दी गईं।

लाहौर के नए षड्यंत्र केस में 4 एप्रूवर और 28 अपराधी थे। जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। उन पर वाइसराय की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयत्न करने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तथा औरों को छुड़ाने का उद्योग करने, क्रांतिकारी पर्चे बांटने और पंजाब में बम चलाने आदि का अभियोग लगाया गया था।

# पहले लाहौर षड्यंत्र केस का फैसला

जब यह मुकदमा आरंभ हुआ था तो इसमें कुल मिलाकर 24 अभियुक्त थे। इनमें से भगवानदास को भुसावल षड्यंत्र केस में सजा हो चुकी है। पांच अभियुक्त चन्द्रशेखर आजाद उर्फ पंडित जी, कैलाशपति उर्फ कालीचरण, भगवतीचरण, यशपाल और सतगुरुदयाल पकड़े नहीं जा सके। शेष अठारह में से तीन; आग्याराम, सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय और बटुकेश्वर दत्त स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुकदमा शुरू होने पर छोड़ दिए गए। तीन अभियुक्त फैसला होने पर छोड़े गए और बाकी बारह को दंड दिया गया। इस षड्यंत्र केस का फैसला फुलस्केप साईज के 400 पृष्ठों में टाईप किया गया था और इसकी प्रत्येक कापी 225 रु. मूल्य लेकर अखबार वालों को दी गई थी। इसी ऐतिहासिक फैसले का सारांश-मात्र नीचे दिया जाता है–

## एप्रूवर

इस मुकदमे में सात व्यक्ति एप्रूवर थे। इनमें से रामसरनदास और ब्रह्मदत्त ने बाद में अपने बयान वापस ले लिए। शेष पांच एप्रूवर फनीन्द्रनाथ घोष, ललित कुमार मुकर्जी, मनमोहन बनर्जी, जयगोपाल और हंसराज बोहरा थे। फनीन्द्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी ने विशेषकर बिहार और कलकत्ता की, ललित कुमार मुकर्जी ने इलाहाबाद और आगरा की, और जयगोपाल तथा हंसराज ने पंजाब की षड्यंत्र संबंधी कार्रवाइयों का वर्णन किया।

इनके अतिरिक्त प्रेमदत्त, महावीर सिंह और गयाप्रसाद ने अदालत के सामने अपना दोष स्वीकार करके बयान दिया। गयाप्रसाद ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की।

## क्रांतिकारी दल की वृद्धि

एप्रूवर फनीन्द्रनाथ के, जो बेतिया का निवासी है, बयान से मालूम होता है कि वह क्रांतिकारी आंदोलन में सन् 1916 में सम्मिलित हुआ था। वह अनुशीलन समिति

नाम की बंगाल की गुप्त सभा का मेंबर था। 1918 में उसे एक साल के लिए नजरबंद किया गया। 1919 में उसकी पहचान मनमोहन बनर्जी से हुई और उसके साथ वह तीन वर्ष तक बिहार में क्रांतिकारी दल की स्थापना करने की चेष्टा करने लगा। 1925 में उसने हिंदुस्तानी सेवा-दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजनीतिक काम करना था।

## काकोरी केस

सन् 1926 के आरंभ में वह बनारस गया और संयुक्त प्रांतीय क्रांतिकारी दल के कुछ मेंबरों से मिला। उस समय इस दल के कितने ही सदस्य काकोरी डकैती केस में पकड़े गए थे और उसकी हालत कमजोर थी। फनीन्द्रनाथ इलाहाबाद में शचीन्द्रनाथ सान्याल के भाई जतीन्द्रनाथ (जितेन्द्रनाथ) सान्याल से मिला और सन् 1927 में उसे संयुक्त प्रांतीय दल से कुछ रिवाल्वर मिले। इसी वर्ष उसने कमलनाथ तिवारी को अपने दल का सदस्य बनाया।

## बनारस में हत्या की चेष्टा

सन् 1927 के अंतिम भाग में जतीन्द्रनाथ सान्याल और विजय कुमार सिन्हा ने शिव वर्मा को बेतिया इसलिए भेजा कि वह फनीन्द्रनाथ से एक रिवाल्वर मांग लाए। फनीन्द्रनाथ खुद उसको लेकर बनारस आया और फिर यही 13 फरवरी, 1928 को सी. आई. डी. विभाग के राय बहादुर जे. एन. बनर्जी पर गोली चलाने के काम में लाया गया।

## पंजाब

इधर पंजाब में सुखदेव ने सन् 1926 में क्रांतिकारी दल का संगठन करना आरंभ किया। उसका हेड-क्वार्टर लाहौर में था। उस समय एप्रूवर जयगोपाल नेशलन स्कूल का विद्यार्थी था। उसने अपने यहां के एक मास्टर यशपाल की मार्फत सुखदेव से जान-पहचान कर ली और नवंबर 1926 में वह उसकी पार्टी का मेंबर बन गया। उसने स्कूल की लायब्रेरी से विस्फोटक पदार्थ बनाने की एक अंग्रेजी किताब, दो थर्मामीटर, दो बैटरी और कुछ बम बनाने का मसाला चुराकर सुखदेव को दिया। सुखदेव का दूसरा साथी हंसराज बोहरा था, जो उसका रिश्तेदार भी था।

## पीला पर्चा

मेंबर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पीला पर्चा दिखलाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम और उद्देश्य बतलाए गए थे। इस संस्था का नाम उस समय

'हिंदुस्तान प्रजातंत्र-समिति' था। इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव क्रांतिकारी पुस्तकें पढ़ने को दिया करता था। 1927 में सुखदेव का परिचय भगत सिंह से भी हो गया।

## कैदी को छुड़ाने की चेष्टा

3 मार्च, 1928 को फतेहगढ़ जेल में काकोरी केस के कैदियों से भेंट करने के लिए विजयकुमार सिन्हा और शिव वर्मा ने अर्जी दी। इन कैदियों में से एक जोगेशचन्द्र चटर्जी था। जेल के सुपरिंटेंडेंट को शक हुआ कि ये लोग जोगेशचन्द्र को छुड़ाने के लिए कोई षड्यंत्र रचना चाहते हैं और इसलिए उसने मिलने की आज्ञा न दी। इन दोनों का पीछा पुलिस ने किया और मालूम हुआ कि शिव वर्मा जलालाबाद में गयाप्रसाद नामक एक डाक्टर के यहां गया है। इसके साथ शिव वर्मा की पहचान थोड़े दिन पहले कानपुर में हुई थी।

## छिपने का मुकाम

जुलाई 1928 में कानपुर में एक मीटिंग हुई, जिसमें गयाप्रसाद, शिव वर्मा और सुखदेव मौजूद थे। इसके फलस्वरूप सुखेदव, गयाप्रसाद को लाहौर ले गया। सुखेदव के कहने से गयाप्रसाद ने फीरोजपुर में डाक्टरी की दूकान डा. बी. एस. निगम के नाम से खोली। जयगोपाल की गवाही से इस दूकान के खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहला यह, कि पंजाब से अन्य प्रांतों को जाने वाले या अन्य प्रांतों से पंजाब आने वाले षड्यंत्रकारी वहां ठहर कर अपनी पोशाक आदि बदल सकें। दूसरा यह, कि दूकान की मार्फत बम बनाने के मसाले खरीदे जाएं और तीसरा यह, कि अगर कारोबार जम जाए तो उससे पार्टी को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके।

## गुप्त मीटिंग

अगस्त 1928 में विजयकुमार सिन्हा बेतिया जाकर फनीन्द्र कुमार से मिला। उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न प्रांतों की पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी पार्टी का संगठन करने का है। उसने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए 8 और 9 सितंबर को दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में पंजाब के कार्यकर्ता भगत सिंह और सुखदेव आदि, संयुक्त प्रांत के शिव वर्मा और चन्द्रशेखर आजाद आदि सम्मिलित होंगे। उसने यह भी कहा कि वह अब जतीन्द्रनाथ की अध्यक्षता में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वह बहुत सुस्त आदमी है।

8 सितंबर को फनीन्द्रनाथ दिल्ली पहुंचा, वहां विजयकुमार ने उससे कहा कि मीटिंग कल होगी। 9 तारीख को सब सदस्य फीरोजशाह तुगलक के किले में इकट्ठे हुए। उसमें षड्यंत्रकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें सात मेंबर थे–भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार, शिव वर्मा, फनीन्द्रनाथ और चन्द्रशेखर आजाद।

इस मीटिंग में यह भी निश्चित किया गया कि बंगाल की क्रांतिकारी पार्टी से संबंध न रखा जाए, क्योंकि वह मारकाट के विरुद्ध है। सुखदेव पंजाब का इंचार्ज बनाया गया, शिव वर्मा संयुक्त प्रांत का और फनीन्द्रनाथ बिहार का। चन्द्रशेखर सैनिक विभाग का मुखिया बनाया गया और कुन्दनलाल को, जो झांसी में रहता था, सेंट्रल आफिस का प्रबंध सौंपा गया। भगत सिंह और विजयकुमार विभिन्न प्रांतों में संबंध स्थापित रखने के लिए नियुक्त किए गए। निश्चय हुआ कि डकैती, हत्या आदि के कार्य, बिना सेंट्रल कमिटी की मंजूरी के नहीं होंगे, पार्टी के हथियार और फंड भी सेंट्रल कमिटी के अधिकार में रहेंगे।

## क्रांतिकारी योजनाएं

इस मीटिंग में काकोरी केस के कैदी जोगेशचन्द्र चटर्जी को, जो आगरा जेल में था, छुड़ाने का निश्चय किया गया और उसके लिए प्रबंध करने का भार विजयकुमार को सौंपा गया। शचीन्द्रनाथ सान्याल को छुड़ाने का प्रस्ताव भी किया गया, पर इस संबंध में कोई निश्चित चेष्टा नहीं की गई। साइमन कमीशन के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार भी किया गया और इसके लिए बंगाल से बम बनाने वालों को बुलाने का निश्चय किया गया। एक प्रस्ताव यह किया गया, कि काकोरी केस के एप्रूवरों को मार डाला जाए। डाका डालने के लिए किसी जगह को ढूंढ़ने का प्रस्ताव किया गया और अंत में बिहार में यह कार्य करना पक्का ठहरा।

## बक्स में पिस्तौलें

17 नवंबर, 1928 को लाला लाजपतराय का देहांत हुआ। इसके कुछ समय पश्चात पंडित जी (चन्द्रशेखर आजाद) एक बक्स लेकर लाहौर आया, जिसमें एक माऊजर पिस्तौल और चार रिवाल्वरें थीं। उसी दिन सेंट्रल कमिटी के और भी कई मेंबर आए। 4 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक पर डाका डालने का उद्योग किया गया। निश्चय हुआ कि भगत सिंह और महावीर सिंह टैक्सी गाड़ी लेकर शाम के तीन बजे बैंक पर पहुंचेंगे। कुछ मेंबर चौकीदार और पहरे वालों को पकड़ लेंगे और जयगोपाल तथा किशोरीलाल खजांची से रुपया छीन लेंगे। नियत समय पर लोग तैयार थे, पर

भगत सिंह और महावीर सिंह जिस टैक्सी में बैठे वह रास्ते में रुक गई और महावीरसिंह उसे न चला सका। फल यह हुआ कि सारी योजना विफल हो गई।

## सांडर्स की हत्या

9 या 10 दिसंबर को 'मोजंग हाउस' (जो क्रांतिकारियों का अड्डा कहा जाता है) में एक मीटिंग हुई, जिसमें लाहौर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मि. स्काट को मारने की सलाह की गई, क्योंकि क्रांतिकारी दल की सम्मति में उसी ने लाला लाजपतराय को चोट पहुंचाई थी। जयगोपाल को मि. स्काट की गतिविधि का निरीक्षण करने को नियुक्त किया गया और इसके लिए वह कई दिन तक लगातार पुलिस के आफिस के अहाते के आस-पास चक्कर लगाता रहा। चन्द्रशेखर ने 17 दिसंबर का दिन हत्या के लिए मुकर्रर किया और उस दिन दो बजे इस संबंध में फिर एक मीटिंग हुई, जिसमें चन्द्रशेखर के अलावा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जयगोपाल उपस्थित थे। इसके दो दिन पहले 15 दिसंबर को भगत सिंह जयगोपाल और हंसराज को कुछ गुलाबी पोस्टर दिखलाए थे, जिनमें लिखा था—'स्काट मर गया।'

17 तारीख को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के आफिस की तरफ गया और उसने एक अंग्रेज पुलिस अफसर को मोटर साइकिल पर भीतर जाते देखा था। उसने उसी को स्काट समझा और इसकी खबर चन्द्रशेखर को दी। दो बजे दोपहर की मीटिंग में हथियार बांट दिए गए। चन्द्रशेखर ने माऊजर पिस्तौल, भगत सिंह ने आटोमेटिक पिस्तौल और राजगुरु ने रिवाल्वर लिया। यही तीनों व्यक्ति हत्या करने के लिए नियुक्त किए गए थे।

करीब 4 बजे शाम को मि. सांडर्स मोटर साइकिल पर बाहर निकला। उसके साथ ही हेड कांस्टेबिल चनन सिंह था। जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु सांडर्स की तरफ बढ़ा और जैसे ही नजदीक आया, उसने गोली चलाई। सांडर्स घायल होकर मोटर साईकिल के साथ ही नीचे गिर गया और उसकी एक टांग दब गई। इतने में भगत सिंह भी दौड़कर वहां पहुंचा और उसने कई गोलियां चलाईं। इसके बाद ये दोनों, जयगोपाल के साथ भागे और चनन सिंह और ट्रैफिक इंस्पेक्टर मि. फर्न उनको पकड़ने को दौड़े। भगत सिंह ने पीछे मुड़कर गोली चलाई और मि. फर्न बचने के लिए नीचे गिर पड़े। चनन सिंह डी. ए. वी. कालेज के अहाते तक बराबर पीछा करता गया और वहां संभवतः चन्द्रशेखर ने उसे माऊजर पिस्तौल से मार दिया।

## बम बनाए गए

जनवरी 1927 में भगत सिंह और फनीन्द्रनाथ बम बनाना सीखने के लिए कलकत्ता गए। जतीन्द्रनाथ दास उनको कमलनाथ तिवारी के मकान में इस विषय की शिक्षा देता था। उन लोगों ने कितनी ही दूकानों से बम बनाने का बहुत-सा मसाला भी खरीदा। 14 फरवरी को ये लोग आगरा आकर हींग की मंडी में एक मकान में बम बनाने लगे। ये बम गणेशचन्द्र चटर्जी को छुड़ाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो उन्हीं दिनों आगरे की जेल से लखनऊ भेजा जाने वाला था। 15 तारीख को जतीन्द्रनाथ दास ने एक बम बनाया। 16 तारीख की शाम को जोगेशचन्द्र चटर्जी आगरा से लखनऊ भेज दिया गया। भगत सिंह, विजयकुमार, चन्द्रशेखर आदि उसको हवालात से छुड़ाने के लिए कानपुर पहुंचे; पर वहां उनको पता लगा, कि वे हवालात से उसे छुड़ा नहीं सकते और इसलिए वे लौट आए।

## असेंबली बम कांड

क्रांतिकारी दल ने साइमन कमीशन पर बम फेंकने का निश्चय किया था। पर बाद में खर्च की अधिकता के कारण यह स्कीम छोड़ दी गई और तय हुआ कि भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त एसेंबली में बम फेंकें। चन्द्रशेखर, जयगोपाल और राजगुरु उनको वहां से बचाकर लाने को नियुक्त किए गए थे। पर वे इसमें सफल न हो सके और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल को बम फेंकने के बाद पकड़ लिए गए।

## क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी

15 अप्रैल को जब सुखेदव, किशोरीलाल और जयगोपाल लाहौर में अपने स्थान 'काश्मीर बिल्डिंग' में बम बना रहे थे तो पुलिस ने धावा किया और उन तीनों को पकड़ लिया। जयगोपाल ने अपना कसूर मंजूर कर लिया और एप्रूवर बनकर षड्यंत्र का सारा भेद खोल दिया। 2 मई को हंसराज बोहरा पकड़ा गया और वह भी एप्रूवर बन गया। 13 मई को सहारनपुर के अड्डे का पता लगा और वहां शिव वर्मा तथा जयदेव छह बम, तीन बम के खोल, तीन भरी हुई रिवाल्वर और बहुत से बम बनाने के मसाले के साथ पकड़े गए। 7 जून को बिहार प्रांत के मलोनियां नामक स्थान में क्रांतिकारी दल के पूर्व निश्चय के अनुसार मनमोहन बनर्जी और उनके साथियों ने डाका डाला, जिसमें एक आदमी जान से मारा गया।

# स्पेशल ट्रिब्यूनल की दैनिक कार्यवाही

**5 दिसंबर, 1930 :** स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख लाहौर के नए षड्यंत्र केस के 26 अभियुक्त पेश किए गए। मुकदमा सेंट्रल जेल के एक कमरे में, जो शहर से तीन मील के फासले पर है, हुआ था। अदालत के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था और अंदर प्रवेश करने के पहले दर्शकों और पत्र-प्रतिनिधियों की कड़ी तलाशी ली जाती थी। अभियुक्त पुलिस की लारियों में राष्ट्रीय नारे लगाते हुए अदालत में आए। अभियुक्तों के नाम ये हैं–

(1) कुन्दनलाल, जण्डियाला, जिला शेखूपुरा, (2) जहांगीरलाल, जण्डियाला, जिला शेखूपुरा, (3) जयप्रकाश, जण्डियाला, जिला शेखूपुरा, (4) धर्मवीर, लायलपुर, (5) रूपचन्द, नेहसर, जिला रावलपिंडी, (6) अम्बिका सिंह, बरकीबादल, जिला रावलपिंडी, (7) गुलाब सिंह, बरकीबादल, जिला रावलपिंडी (8) भगराम, शेखूपुरा, (9) दयन्तराय, लाहौर, (10) हरीराम, रावलपिंडी, (11) गोकुलचन्द, शेखूपुरा, (12) कृष्णगोपाल, रावलपिंडी, (13) नाथूराम, रावलपिंडी, (14) नन्दलाल, लायलपुर, (15) हरनामसिंह शेखूपुरा, (16) बंसीलाल, चकवल, जिला झेलम, (17) कृष्णलाल, चकवल, जिला झेलम, (18) बिशनदास, रावलपिंडी, (19) गुरबख्श सिंह, कोट-बरेखां, जिला गुजरांवाला, (20) सेवाराम, बूसल, जिला कैम्पबेलपुर, (21) सरदार सिंह, कोट-बरेखां, जिला गुजरांवाला, (22) हरनाम सिंह, सैयदकासराय जिला रावलपिंडी, (23) महाराज किशन, चकवल, जिला झेलम, (24) भीमसेन, शेखूपुरा, (25) धर्मपाल, भूमल, जिला कांगड़ा, (26) बंसीलाल, चिनओट, जिला झंग।

## भागे हुए अभियुक्त

इस नए षड्यंत्र केस के ये अभियुक्त लापता हैं : (1) यशपाल, भूमल, जिला कांगड़ा, (2) हंसराज, लायलपुर, (3) सुखदेवराज, दीनानगर, जिला गुरुदासपुर, (4) विश्वनाथ राव वैशम्पायन (झांसी के सिविल सर्जन के आफिस का हेड क्लर्क), (5) लेखराम, ढींग सराय, जिला हिसार, (6) प्रेमनाथ, लाहौर, (7) मुसम्मात परकाशो, लाहौर, (8) मुसम्मात दुर्गादेवी, लाहौर, (9) चन्द्रशेखर आजाद, बैजनाथ टोला, बनारस,

(10) सीताराम, चकवल, जिला झेलम, (11) मुसम्मात सुशीला, गुजरात, (12) प्रोफेसर संपूर्णसिंह टंडन, लाहौर।

उपर्युक्त अभियुक्तों पर दंड-विधान की धारा 120 के साथ 302, 395 और 396; दंड-विधान की 120 बी. के साथ, सन् 1908 के एक्ट 6 की 5वीं धारा 3, 4, 5, 6 और दंड-विधान की धारा 120 बी. के साथ 1878 के दूसरे एक्ट की धारा 19 और 20 के अभियोग लगाए गए थे।

पंजाब के क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार एक ट्रिब्यूनल, केस की कार्यवाही करेगा। अभियुक्तों के गवाहों को बयानों के साथ उनकी एक लिस्ट दी गई। इस लिस्ट की तैयारी के लिए ट्रिब्यूनल ने मुकदमा 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया और मुकदमा प्रारंभ होने के पहले 7 दिन की छुट्टी दी। गवर्नमेंट की ओर से लगभग 500 गवाह पेश किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने रायबहादुर ज्वालाप्रसाद और गोपाल लाल को सरकारी वकील नियुक्त किया है। अभियुक्तों के वकीलों का अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ।

अभियुक्तों ने, अदालत बरखास्त होने के पहले, ट्रिब्यूनल के कमिश्नरों से समाचार-पत्रों तथा सप्ताह में एक बार संबंधियों से उनकी सुविधा के अनुसार मिलने की आज्ञा मांगी। उन्होंने सोने के लिए पलंग और मनोरंजन के लिए कुछ खेल के सामान की भी प्रार्थना की। कमिश्नरों ने अभियुक्तों को 'बी' क्लास में रखा है और जेल के नियम देख लेने के उपरांत उनकी प्रार्थना पर विचार करने का वादा किया है।

अभियुक्तों की आयु 16 और 30 वर्ष के अंदर है। उनमें से अधिकांश 18 और 25 वर्ष के बीच में हैं।

**2 जनवरी, 1931** : लाहौर के सेंट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर के नए षड्यंत्र केस के 26 अभियुक्त पेश किए गए। अभियुक्तों को कचहरी में चोर-दरवाजे से लाया गया था। कचहरी के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। कचहरी के भीतर भी बहुत-सी पुलिस बंदूक इत्यादि से सुसज्जित नियुक्त थी। सड़क पर पुलिस मोटरों में बैठकर पेटरोल कर रही थी, आने-जाने वालों पर बड़ी कड़ी निगाह रखी जाती थी।

कचहरी में जाने के लिए अभियुक्तों के संबंधियों तक को पास दिए गए थे। प्रेस के प्रतिनिधियों तथा संबंधियों की तलाशी लेकर कचहरी में जाने दिया जाता था। कई सज्जनों की पगड़ी तथा पाजामे तक उतरवा कर तलाशी ली गई।

## सरकारी गवाह

इस केस में पांच सरकारी गवाह (Approvers) हैं—श्री इन्द्रपाल, खेरातीलाल,

शिवराम, सरनदास और मदनगोपाल।

## भागे हुए अभियुक्त

पिछली पेशी पर बताया गया था, कि इस केस में 12 अभियुक्त भागे हुए हैं; परंतु आज एक और का नाम बढ़ा दिया गया है। 13 फरार अभियुक्तों के नाम ये हैं :

(1) चन्द्रशेखर आजाद, (2) यशपाल, (3) सुखदेवराज, बी.ए., (4) प्रोफेसर संपूर्णसिंह, एम. ए., (5) श्री हंसराज, (6) श्रीमती दुर्गादेवी, धर्मपत्नी श्री भगवतीचरण, (7) श्रीमती सुशीला देवी, (8) श्रीमती प्रकाश देवी, (9) लेखराम, (10) प्रेमनाथ, (11) सीताराम, (12) विश्वनाथ राव; और (13) बिहारी छबीलदास।

रायबहादुर ज्वालाप्रसाद इस केस में सरकारी वकील नियुक्त हुए हैं। अभियुक्तों की ओर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, श्री अमोलक राम कपूर और श्री प्राणनाथ मेहता वकील पैरवी कर रहे हैं।

अभियुक्तों की ओर से लाला श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र, इस आशय का दिया, कि 128 रु., जो दैनिक वकीलों के खर्च के लिए दिया जाता है, पर्याप्त नहीं है, अतएव 64 रु. दैनिक और बढ़ा दिया जाए। हुक्म हुआ कि इस प्रार्थना-पत्र का फैसला लीगल रिमेंबरैंसर करेगा।

## हमको इकट्ठा रखा जाए

इसके पश्चात अभियुक्तों ने कहा कि जेल में हम सबको इकट्ठा रखा जाए, क्योंकि हमको अपने केस की सफाई के लिए आपस में मिलकर विचार करना पड़ता है। मि. ब्लैकर, प्रेजिडेंट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा कोई प्रबंध जेल में नहीं हो सकता।

## सरकारी वकील का वक्तव्य

सरकारी वकील ने इसके पश्चात अपना वक्तव्य अंग्रेजी में प्रारंभ किया ही था कि अभियुक्तों के विरोध करने पर उन्हें अपना वक्तव्य हिंदी में ही देना पड़ा।

अपने वक्तव्य में सरकारी वकील ने कहा, कि यह केस बड़ा महत्वपूर्ण है। इस केस से कुल 39 व्यक्तियों का संबंध है, जिनमें से 13 अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। इस केस के अभियुक्तों ने सरकारी अफसरों की हत्या करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। इस कार्य के लिए इन लोगों ने चंदा मांगकर और डाके डालकर धन इकट्ठा किया। यह एक बड़ा भारी षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में भाग लेने वाले 26 क्रांतिकारी आपके सम्मुख खड़े हैं।

# भारत की क्रांति का इतिहास

भारतवर्ष की क्रांति का इतिहास वर्णन करते हुए सरकारी वकील ने कहा :

भारतवर्ष में क्रांति के विचार बंग-भंग (Partition of Bengal) के समय से आरंभ हुआ है। चूंकि बंग-भंग सरकार ने जनता की सम्मति के प्रतिकूल किया था, इस कारण से हताश-बंगालियों में क्रांति के अंकुर उत्पन्न हुए। यह सब लार्ड कर्जन के समय में हुआ। षड्यंत्र का सबसे पहला मामला सन् 1908 में चला, जिसमें श्रीयुत अरविंदो घोष तथा उनके भाई और कई दूसरे व्यक्ति सम्मिलित थे। दूसरा मामला सन् 1912 में चला, जब लार्ड हार्डिंज पर बम फेंका गया। पुलिस ने लाख ढूंढ़ा, परंतु बम फेंकने वालों का पता न चला। सन् 1913-14 में पंजाब में भी क्रांति की आग फैल गई और अंग्रेजों की हत्या के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे। सन् 1915 में देहली में एक बड़ा भारी षड्यंत्र केस चला।

यूरोपीय महायुद्ध के समय केलिफोर्निया इत्यादि से सहस्रों क्रांतिकारी लौटे। उनके आते ही देश में आग-सी लग गई। चूंकि उनमें अधिकतर पंजाबी सिख थे, इस कारण से पंजाब पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। सरकार को एक स्पेशल ट्रिब्यून भारत-रक्षा-कानून (Defence of India Act) के अनुसार बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कई व्यक्तियों को फांसी और कईयों को काला-पानी की सजा दी। इस दमन के पश्चात कुछ समय तक क्रांति की लहर दब गई।

# विप्लववाद का पुनर्जन्म

सन् 1925 में काकोरी षड्यंत्र चला, जिसमें चार क्रांतिकारियों को फांसी लगी। इस मामले से पता चला कि भारतवर्ष में एक नए विप्लववादी-दल का निर्माण हुआ है, जिसका नाम 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' रखा गया है। पं. चन्द्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र केस का एक भागा हुआ अभियुक्त है, जिसका संबंध इस वर्तमान केस से भी है।

काकोरी के पश्चात लाहौर का विख्यात षड्यंत्र-केस चला, जिसमें सरदार भगत सिंह, श्रीयुत दत्त राजगुरु, सुखदेव इत्यादि अभियुक्त थे। पं. चन्द्रशेखर आजाद, श्रीयुत भगवतीचरण तथा श्री यशपाल इस केस के भागे हुए अभियुक्त हैं, जिनका वर्तमान केस से भी संबंध है। श्रीयुत भगवतीचरण का बम के फट जाने से रावी के किनारे पर देहांत हो गया। इस षड्यंत्र में पंजाब तथा संयुक्त-प्रांत के व्यक्ति भी सम्मिलित थे।

वर्तमान केस में इन्द्रपाल एक महत्वपूर्ण सरकारी गवाह (Approver) है। इन्द्रपाल कोई एक वर्ष विप्लव-दल में रहा। इस विप्लव-दल के चन्द्रशेखर आजाद

और भगवतीचरण मुख्य कार्यकर्ता थे। सितंबर, 1928 में विप्लव-दल का नाम 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रखा गया। चन्द्रशेखर सेना-विभाग का मुखिया था।

जब पहले लाहौर षड्यंत्र-केस का पुलिस को पता चला, तो बहुत से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। भगवतीचरण तथा यशपाल, लाहौर से भाग गए। उन्होंने इन्द्रपाल को देहली बुलाया। इन्द्रपाल को बताया गया कि वाइसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने की योजना हो रही है। इन्द्रपाल को साधु बनाकर रेलवे लाइन पर रखा गया, कि वह स्थिति का निरीक्षण करता रहे।

कई कारणों से उन दिनों वाइसराय पर आक्रमण न हो सका। फिर 23 दिसंबर को वाइसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयत्न किया गया। परंतु वाइसराय बच निकला।

## महात्मा गांधी का विरोध

गांधी जी ने वाइसराय पर बम चलाने वालों की निंदा लाहौर कांग्रेस में की तथा एक लेख जिसका शीर्षक 'कल्ट् ऑफ बम' (Cult of Bomb) था, अपने पत्र 'यंग-इंडिया' में लिखा। इसके उत्तर में एक लेख, जिसका शीर्षक 'बम की विशालता' (Philosophy of Bomb) था, इस पार्टी की ओर से बांटा गया।

## भगत सिंह को छुड़ाने का उद्योग

इसके पश्चात लाहौर षड्यंत्र-केस के विख्यात अभियुक्त सरदार भगत सिंह को छुड़ाने की योजना की गई। हंसराज ने एक ऐसी गैस बनाने का प्रबंध किया, जिसके छोड़ने से सारे लोग बेहोश हो जाएं। परंतु उसको सफलता न हुई। इस कारण से हसंराज फिर बम बनाने लग गया।

यशपाल ने इसी काम के लिए बहावलपुर रोड पर एक कोठी किराए पर ली। वहां पर भगवतीचरण, यशपाल, चन्द्रशेखर, दुर्गादेवी व सुशीला रहा करते थे।

## भगवतीचरण का देहांत

उन्हीं दिनों 28 मई, 1930 को भगवतीचरण, सुखदेव तथा शिव बमसाजी का अभ्यास करने के लिए रावी के किनारे पर गए। परंतु अचानक बम फट गया जिससे कि भगवतीचरण तथा सुखदेव घायल हुए। भगवतीचरण का कुछ ही समय के पश्चात स्वर्गवास हो गया। मरते समय भगवतीचरण ने कहा—मैं मर रहा हूं। मेरे पश्चात

काम करते रहना। यशपाल ने पीछे इन्द्रपाल को बताया कि भगवतीचरण के शरीर को वहीं जमीन खोद कर धनवन्तरि तथा चन्द्रशेखर ने दबा दिया।

इसके एक ही दो दिन पश्चात कोठी में एक बम फटा, जिससे कि इनके काम में बहुत बाधा पड़ी। सब लोगों को लाहौर छोड़कर भाग जाना पड़ा।

इसके पश्चात लाहौर के क्रांतिकारियों ने चन्द्रशेखर की सलाह से एक 'आतशी चक्कर' नामी दल की स्थापना की। कई शहरों में अपने आप फटने वाले बम रखे गए, जिससे कि गूजरांवाला में अहमद्दीन हेड कांस्टेबिल मर गया। सफदर अली सब-इंस्पेक्टर अस्पताल में मरा। सन्तसिंह इंस्पेक्टर घायल हुआ, इत्यादि।

**3 जनवरी, 1931 :** रायबहादुर ज्वालाप्रसाद सरकारी वकील ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना प्रारंभिक भाषण आज समाप्त किया। सरकारी वकील ने कहा कि 23 जुलाई को देहली में एक विप्लव-दल की मीटिंग हुई। इसमें यह तय पाया कि सहारनपुर के सरकारी खजाने पर डाका डाला जाए। यह प्रस्ताव श्री चन्द्रशेखर का था। इस समय श्री यशपाल, सुखदेवराज, गुलाबसिंह, अमरीकसिंह, हरनामसिंह, अमीरचन्द तथा इन्द्रपाल उपस्थित थे। गुलाबसिंह लाहौर से रिवाल्वर लेकर सहारनपुर गया, परंतु वहां पर डाका, इस कारण न डाला जा सका, क्योंकि वहां पुलिस बहुत थी।

25 अगस्त को पार्टी ने यह तय किया कि लाहौर के खजाने पर डाका डाला जाए। इस मीटिंग में इन्द्रपाल, गुलाबसिंह, जहांगीरीलाल, रूपचन्द, अमीरचन्द तथा दयानतराय थे। यह प्रस्ताव पास हो गया, परंतु हंसराज ने कुछ संदेह प्रकट किया और कार्य न हो सका। रावलपिंडी में भी डाका डालने का प्रयत्न किया गया, परंतु सफलता न हुई। इसके पश्चात लाहौर के क्रांतिकारियों ने थानों में बम रखने की योजना की। हंसराज ने बम तैयार किए, परंतु बम ठीक समय पर नहीं फटे।

इसके पश्चात सरदार हरदयाल सिंह मैजिस्ट्रेट, रावलपिंडी, को बम से उड़ा देने का प्रयत्न किया, परंतु सफलता न हुई। इसी प्रकार से अभियुक्तों ने सरकालीं गांव तथा चकवाल में डाका डालने का निष्फल-प्रयत्न किया।

एक सितंबर को पुलिस को इस षड्यंत्र का पता चला। इसी संबंध में जहांगीरीलाल, रूपचन्द, कुन्दनलाल, इन्द्रपाल तथा गुलाब सिंह गिरफ्तार हुए। कृष्णगोपाल के सुराग देने पर एक घर की तलाशी ली गई, जहां से दो बम और एक पिस्तौल मिली।

## भागे हुए अभियुक्त

इसके पश्चात सरकारी वकील ने कहा कि इस केस में 13 अभियुक्त फरार हैं। बहुत तलाश करने पर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसलिए उनके विरुद्ध धारा

512 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

लाला काशीराम इंस्पेक्टर सी. आई. डी. ने कहा कि मैंने श्री सुखदेवराज, बी. ए., संपूर्ण सिंह एम. ए., प्रेमनाथ, श्रीमती दुर्गादेवी, सुशीला तथा प्रकाशो की बहुत तलाश की परंतु कुछ पता नहीं चला।

मि. सलीम के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं श्री सुखदेव की तलाश में लाहौर, अमृतसर, दीनानगर, पठानकोट, गुरुदासपुर में गया, परंतु कुछ भी पता न चला। प्रोफेसर संपूर्ण सिंह की तलाश कई स्थानों पर की गई, परंतु कोई पता न चला। श्री प्रेमनाथ की खोज कांगड़ा, लाहौर तथा अमृतसर में की। इसी ने प्रकाशवती को भी भगाया है। श्रीमती सुशीला की तलाश लाहौर, अमृतसर तथा गुजरात में की गई। श्रीमती दुर्गादेवी—पत्नी श्री भगवतीचरण—की तलाश कई स्थानों पर की गई। आप श्री. सुखदेव के साथ चली गई हैं। मैं इन सबको खूब अच्छी तरह से पहचानता हूं।

इंस्पेक्टर गुलाम मुहम्मद ने कहा, कि मैंने श्री हसंराज की तलाश लायलपुर, चन्योट, झंग, मुलतान, जालंधर, पेशावर इत्यादि स्थानों में की, परंतु कुछ पता नहीं चला।

सब-इंस्पेक्टर मन्सफअली ने कहा कि मैं श्री लेखराम को खोज रहा हूं।

हेड-कांस्टेबिल इच्छनबेग ने कहा कि मैंने श्री चन्द्रशेखर आजाद को सारे भारतवर्ष में ढूंढ़ा है, परंतु कोई पता ही नहीं चलता। मैं काकोरी-षड्यंत्र के समय से इसकी खोज कर रहा हूं परंतु सब बेकार। श्री शिव, श्री चन्द्रशेखर के साथ रहते हैं।

हेड-कांस्टेबिल रामसरनदास ने कहा कि मैं श्री यशपाल को पहचानता हूं, परंतु मुझे अभी तक उसकी कोई खोज नहीं मिली है।

पंडित दीवानचन्द सब-इंस्पेक्टर तथा बख्शी संपूर्ण सिंह इंस्पेक्टर, श्री छबीलदास तथा सीताराम की खोज किए जाएंगे।

**6 जनवरी 1931 :** लाहौर षड्यंत्र केस के तीन अभियुक्तों—श्री भीमसेन, गोकुलचन्द तथा कुन्दनलाल ने ट्रिब्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया है कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे, वे उन्हें वापस लेना चाहते हैं।

**9 जनवरी, 1931 :** आज बारह बजे सेंट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने षड्यंत्र केस के 26 अभियुक्त पेश किए गए। दर्शकों को आज्ञा लेकर तथा तलाशी देकर भीतर घुसने की आज्ञा थी। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। आरंभ में श्री कृष्णगोपाल ने कहा—चूंकि श्री धर्मपाल अभियुक्त बीमार है, इसलिए उसके बैठने का प्रबंध होना चाहिए। इस पर श्री धर्मपाल को एक कुर्सी बैठने के लिए दे दी गई। लाला काशीराम सब-इंस्पेक्टर ने गवाही देते हुए कहा, कि मैंने चन्द्रशेखर तथा दूसरे फरार अभियुक्तों की बहुत खोज की, परंतु कोई पता नहीं चला। इस मामले

के फरार अभियुक्तों में से चन्द्रशेखर आजाद, यशपाल, सुखदेवराज, लेखराज, दसराज, श्रीमती दुर्गादेवी तथा प्रकाशवती को गिरफ्तार करने के लिए पुरस्कारों का विज्ञापन दिया जा चुका है। बाकी पांच के विरुद्ध वारंट जारी कर दिए गए हैं, परंतु अभी तक वे गिरफ्तार नहीं किए जा सके।

इसके पश्चात इकबाली गवाह श्री इन्द्रपाल कचहरी में लाया गया। उसने चुपचाप, पुलिस वालों के साथ, कमरे में प्रवेश किया। सिर पर एक बढ़िया कुल्ला तथा पेशावरी लुंगी और गले में मफलर लगाए था, परंतु मुरझाया हुआ मुंह लेकर वह गवाहों के कटघरे में आकर खड़ा हुआ।

गवाह ने कहा—मेरा असली नाम मंगतराम है। पहले मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। फिर प्रेस में नौकरी करने लगा। मैंने प्रेस भी छोड़ दिया और हिंदू सभा के 'संगठन पत्र' में काम करने लगा। इस पत्र के संपादक श्री कृष्णकुमार वर्मा थे। वहीं मेरा यशपाल से भी परिचय हुआ। यशपाल मेरे दफ्तर में आया करता था। वह उन दिनों नेशनल कालेज में पढ़ता था। बलदेवराज से उन्हीं दिनों मेरा परिचय हुआ। बलदेवराज समाज सुधारक था, परंतु यशपाल क्रांतिवादी था। मुझे रावलपिंडी में नौकरी मिल जाने के कारण छह मास 'संगठन' में काम करने के पश्चात, मैं वहां चला गया। वहां अभियुक्त पं. रूपचन्द्र मैनेजर था। कृष्णगोपाल तथा सरनदास से मेरा परिचय वहीं पर हुआ। रावलपिंडी में मैंने एक छोटा-सा लेख लिखा जिसका शीर्षक 'मंजिले-आजादी' था। इसका सारा खर्च मैंने स्वयं उठाया। अपना नाम मैंने लेखक के स्थान पर नहीं दिया, क्योंकि मुझे डर था कि पुलिस कहीं मेरे पीछे न लग जाए। लेखक के स्थान पर मैंने 'आशिके-हिंद' लिख दिया। इन्हीं दिनों मैंने अपना नाम भी मंगतराम छोड़कर इन्द्रपाल रख लिया।

मि. सलीम (जज)—तुमने नाम क्यों बदला ?

गवाह ने जवाब दिया—लोग मुझे 'मंगतू' कहकर पुकारते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। दूसरे मैंने यशपाल के नाम की नकल की। उसने फिर बयान प्रारंभ करते हुए कहा—

1926 में जब मैं 'हिंदू-पत्र' में काम करता था, यशपाल मेरे पास आया करता था। एक बार सरदार भगत सिंह भी यशपाल के साथ आए और मेरा परिचय उनसे हुआ। सरदार भगत सिंह ने कहा कि परीमहल में नवयुवकों की एक सभा होने वाली है, तुम भी वहां आना। मैं वहां गया तो लाला केदारनाथ सहगल, सरदार भगत सिंह तथा कई और व्यक्ति वहां उपस्थित थे। वहां एक नवयुवकों की सभा स्थापित करने का निश्चय किया गया, जिसका नाम 'नौजवान भारत वर्ष' रखा गया। इसका उद्देश्य नवयुवकों में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करना था। एक दिन यशपाल, सुखदेव को मेरे मकान पर ले आए, परंतु मुझे उसका नाम नहीं बताया। वह मेरे पास एक बैग रख गए और दो सप्ताह के पश्चात वह बैग वापस ले गए। मुझे पता नहीं, उस बैग

में क्या था। सुखदेव के नाम का मुझे उस समय पता लगा, जब वह गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार भगत सिंह को मेरे मकान का पता यशपाल ने दे दिया था। एक दिन सरदार भगत सिंह ने आकर काकोरी के शहीदों की तस्वीरों के नीचे कुछ कविताएं मुझसे उर्दू में लिखवाईं और बताया कि वे 'कीरती' में छपेंगी। मैंने यह काम कर दिया। सरदार भगत सिंह ने और भी कई पोस्टर मुझसे लिखवाए, जिनके मैं उनसे पैसे नहीं लिया करता था। 20 नवंबर को लाला लाजपतराय जी का देहांत हुआ। लाला जी को पुलिस ने पीटा था, उसी के घावों से उनका प्राणांत हुआ था। मैंने यशपाल से कहा कि इस प्रकार जोश में आने से हानि होती है, इसलिए तुम किसी गुप्त सोसाइटी से मिलकर काम करो। मैंने कहा कि मैं तो किसी गुप्त सभा को नहीं जानता। यशपाल ने कहा कि सुखदेव गुप्त सभा का प्रांतीय संचालक है। मुझे यशपल की बातों से यह भी पता चला कि वह भी गुप्त समिति का मेंबर है। एक मास पश्चात जब मैं दफ्तर में बैठा था, मैंने सुना कि लाला जी को पीटने वाले, पुलिस अफसर की हत्या कर डाली गई है। मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई।

8 अप्रैल, 1929 को मैंने पढ़ा कि सरदार भगत सिंह तथा श्री बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका है। कुछ दिन पश्चात यह समाचार पत्रों में छपा, कि इन दोनों में से एक इकबाली गवाह बन गया है। मैंने यह बात यशपाल से कही। उसने कहा कि इन तीनों में से कोई इकबाली गवाह नहीं बनेगा और वे अदालत में महत्वपूर्ण बयान देंगे, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन दोनों ने पार्टी की आज्ञानुसार ही यह कार्य किया था और पार्टी के कहने पर ही वे बयान देंगे। यशपाल ने बताया, कि पार्टी का नाम 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' है।

**10 जनवरी, 1931 :** अपना बयान जारी रखते हुए इकबाली गवाह इन्द्रपाल ने कहा–जब मैं पार्टी का मेंबर बन गया, तो मैंने यशपाल से पूछा कि क्या सांडर्स की हत्या हमारी पार्टी ने की है ? यशपाल ने उत्तर दिया कि पार्टी के मेंबरों को भी सब बातों का पता नहीं दिया जाता। मेरे पूछने पर यशपाल ने बताया कि भारत की आर्थिक तथा राजनैतिक दशा बहुत बिगड़ गई है, और यह उस समय तक नहीं सुधर सकती, जब तक भारतवर्ष में विदेशी शासन है। हमारी पार्टी का कार्यक्रम देश में आतंक फैलाना है जो महान क्रांति की पहली सीढ़ी है। प्रचार करके पार्टी के मेंबर बनाना, चंदा इकट्ठा करके अथवा डाके डालकर रुपया एकत्र करना तथा शस्त्र संग्रह करना–पार्टी के तीन प्रधान कार्य हैं। पार्टी की आज्ञा सब को माननी पड़ती है और जो व्यक्ति पार्टी का भेद खोलेगा उसे मृत्यु-दंड दिया जाएगा। मैंने वचन दिया, कि मैं पार्टी के नियमों का पालन करूंगा। जब कश्मीरी बिल्डिंग में बम-फैक्टरी पकड़ी गई, तो यशपाल बाहर चला गया। यशपाल ने मुझे एक पत्र लिखा, जिसमें मुझे यह बताया गया था, कि जिस पत्र पर 'प्राणनाथ' लिखा हो वह पत्र मैं यशपाल की बहन प्रेमवती को दे दिया करूं। कुछ दिन पश्चात मेरे पास एक

और पत्र आया जिसमें 'प्राणनाथ' लिखा हुआ था। मैंने वह पत्र यशपाल की बहन को दे दिया। इन्हीं दिनों मेरा विवाह होने वाला था। यशपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि क्रांतिकारी दल के लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में रुकावट पैदा होती है। मैंने उत्तर दिया कि मैं विवाह को रोकने का यत्न करूंगा। यशपाल ने मुझसे यह भी कहा कि भविष्य में जिन पत्रों पर 'आनंदस्वरूप' लिखा हो, वे पत्र मैं उसकी बहन को दे दिया करूं। बाकी मैं स्वयं खोल लिया करूं। कुछ दिनों के पश्चात यशपाल की एक चिट्ठी आई, जिस पर 'आनंदस्वरूप' लिखा था। मैंने वह चिट्ठी श्रीमती प्रेमवती को दे दी। श्रीमती प्रेमवती ने मुझे एक चमड़े का बैग, जो बहुत भारी था और उसके साथ एक पत्र भी दिया। मैं दोनों चीजें लेकर दिल्ली आया, और यशपाल से किला फिरोजशाह तुगलक में मिला, और वे दोनों वस्तुएं उसको सौंप दीं। यशपाल ने बैग खोला तो उसमें खाली बम रखे थे। यशपाल ने बमों को एक कमरे में बंद कर लिया। जाते समय यशपाल ने कहा कि काम का समय आ गया है, इसलिए तैयार हो जाओ। मैं खाली बैग लेकर काम करने के लिए तैयार हो, लाहौर वापस लौट आया।

**12 जनवरी, 1931 :** इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि जब मैं लाहौर पहुंचा तो यशपाल की बहन को खत देने के लिए गया। वह बीमार थी और उन्होंने मुझसे कहा कि दो-तीन दिन में रुपए का बंदोबस्त हो जाएगा। दो-तीन दिन के पश्चात अभियुक्त धर्मपाल मेरे पास आया और मुझे बताया कि श्रीमती प्रेमवती बीमार होकर बाहर चली गई हैं, अतएव जो पत्र आए हों, वह श्री भगवतीचरण की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गादेवी को पहुंचा आना। इसके पश्चात यशपाल का एक पत्र आया, जिसमें यह लिखा था कि मैं श्रीमती दुर्गादेवी से रुपए लेकर देहली पहुंचूं। मैं श्रीमती दुर्गादेवी को पहले नहीं जानता था। मैं पत्र उनके पास ले गया और राह के खर्च के लिए दस रुपए उन्होंने मुझे दिए। मैं 4 सितंबर को देहली पहुंचा। वहां यशपाल मुझे मिला। यशपाल के साथ हम लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला की ओर जा रहे थे कि रास्ते में श्री भगवतीचरण से भेंट हो गई। मैं श्री भगवतीचरण को पहचानता था, परंतु वह मुझे नहीं पहचानते थे। वहां से हम यमुना-तट की ओर साइकिलों पर गए। यमुना-तट जाकर मुझको बताया गया कि पार्टी ने मुझको साधु बनकर बैठने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, कि मैं तैयार हूं।

इसके पश्चात यशपाल ने मुझे बताया कि देहली से 9 मील की दूरी पर रेलवे लाइन के पास मुझे अपना अड्डा जमाना पड़ेगा। यह स्थान देहली से मथुरा को जाने वाली सड़क के किनारे पर था और वहां पर एक प्याऊ भी था। 4 बजे हम लोग नए बाजार में गए। श्री भगवतीचरण पहले ही से वहां हाजिर थे। श्री भगवतीचरण का नाम वहां पर हरिश्चन्द्र तथा यशपाल का नाम जगदीशचन्द्र रखा हुआ था। वहां सब लोगों को यह बताया गया था, कि हरिश्चन्द्र इंश्योरेंस का काम करते हैं तथा

जगदीशचन्द्र के पिता सुपरिंटेंडेंट पुलिस हैं। यशपाल के कहने के अनुसार मैंने अपने आपको जगदीशचन्द्र का छोटा भाई बताया। वहां पर इन लोगों ने एक नौकर रखा हुआ था, जिसका नाम परभाई था। उस मकान में दो फौजी टोप भी रखे हुए थे। दूसरे दिन श्री भगवतीचरण बाहर से एक बक्स लाए, जिसमें कि साधु बनने का सामान था। मैंने उनके कहने के अनुसार अपना सिर मुंडवा लिया। सायंकाल के 7 बजे मैं किला फिरोजशाह तुगलक में गया और साधु का भेस बनाकर अपने अड्डे पर चला गया। वहां पर मुझसे लोगों ने पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं तीर्थ यात्रा करके लौट रहा हूं और यह स्थान देखकर मेरा मन कुछ दिन यहां ठहरने को चाहता है।

मैं गांव में जाकर भीख मांग लाया करता था। एक दिन मैंने गांव से केवल आधी छटांक आटा पाया। वह लाकर मैंने चींटियों को डाल दिया। लोगों ने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने उनसे कह दिया, कि यह भी शिव जी महाराज की सृष्टि हैं, इनका भी पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है। इससे लोग मेरे बड़े भक्त हो गए और जाकर गांव वालों से कह दिया कि जब भी बाबा जी गांव में आएं तो इनको काफी भिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि इनका गुजर हो जाए।

मेरे पास श्री भगवतीचरण तथा यशपाल भी वहां पर आया करते थे। लोगों के पूछने पर मैंने बताया कि यह देहली के सेठ हैं और यहां असामियों से रुपये वसूल करने आते हैं। मैंने एक बार इनके घर में एक स्त्री का इलाज किया था, इसी से यह मेरे बहुत भक्त हो गए हैं।

इन्हीं दिनों यशपाल ने मुझसे कहा, कि प्याऊ तथा रेलवे लाइन के भीतर का फासला नापना और पता करना कि रात को गांव वाले कहां पर सोते हैं और रात को कुत्ते कहां-कहां पर भूंकते हैं इत्यादि। रात को होने वाली सब बातों का ठीक-ठीक पता लगाऊं। उसने मुझे बताया कि वाइसराय 27 अक्तूबर को विलायत से आने वाले हैं उस दिन उनकी गाड़ी को बम से उड़ाया जाएगा।

रात के समय 12 बजे के लगभग यशपाल ने बम की परीक्षा की। बैटरी के साथ एक बल्ब लगाया गया। बैटरी के एक ओर कोई जल-पदार्थ (Liquid) तथा दूसरी ओर कोई पाउडर लगा दिया गया। इस बैटरी के समीप थोड़ी-सी गन-काटन (Gun-cotton) रख दी गई। ठीक बारह बजे गन-काटन (Gun-cotton) भक से जल गई। इतने में नीचे से किसी ने पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। मैंने उठकर देखा कि नीचे दो सिपाही आ गए हैं और सारा काम बिगड़ने वाला है। यशपाल ने कहा कि मैं अपनी पिस्तौल निकालता हूं। परंतु मैंने उसको कहा कि ठहरो, मैं सिपाहियों से बात करता हूं। मैंने सिपाहियों से कह दिया कि भाई यहां पर बाबा लोग रहते हैं। सिपाहियों के पूछने पर मैंने बताया कि मेरे पास मेरा एक भक्त बैठा है। मामला कल पर स्थगित किया गया।

**13 जनवरी 1931 :** दस बजे स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर षड्यंत्र केस के 26 अभियुक्त पेश किए गए। इकबाली गवाह इन्द्रपाल ने आरंभ में ही जजों से प्रार्थना की, कि मैं पुलिस के कब्जे में नहीं रहना चाहता, इसलिए मुझे जुडीशियल हवालात में भेज दिया जाए।

मि. सलीम (जज)—तुम क्या चाहते हो ?

इन्द्रपाल—मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पहले-पहल पुलिस के सामने एक बयान दिया था। पुलिस ने वह बयान तोड़-मरोड़कर मैजिस्ट्रेट के सामने दिलवाया। अब मुझे विवश किया जा रहा है, कि मैं वह झूठा बयान यहां भी दूं। परंतु मैं झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। इस समय तक मैंने जो बयान दिया है, वह सच है और आगे भी सच कहूंगा। पुलिस यह विचार न करे कि मैं विपक्षी हो गया हूं। मेरे बयान में केवल 25 प्रतिशत मिलावट है। मैं यह नहीं चाहता, कि झूठ बोलकर किसी को फंसा दूं।

मि. सलीम—आपने सच बोलने की शपथ खाई है, आप सच बोलिए।

गवाह—मुझे किले में दो महीने तक, बयान याद करने को दिया गया था। आज भी वह बयान मेरे कमरे में पड़ा है। इसके अतिरिक्त दूसरे इकबाली गवाहों के बयान भी मुझको पढ़ने के लिए गए थे, ताकि इकबाली गवाहों के बयानों में परस्पर विरोध न हो जाए।

लाला श्यामलाल वकील ने कहा, कि इस इकबाली गवाह के कमरे की तलाशी शीघ्र ही ली जानी चाहिए, क्योंकि प्रायः इकबाली गवाहों के बयान एक-दूसरे को पढ़ा दिए जाते हैं। और गवाह यह मानता है, कि सारे गवाहों के बयान उसके कमरे में पड़े हैं।

गवाह—मुझे पुलिस ने ये बयान इसलिए दिए थे, कि मैं परस्पर-विरोध को दूर करके, बयान दूं।

वकील सफाई—इन सब बातों को नोट करने के पश्चात, अदालत को शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकारी वकील—इसने जो बयान दिया है वह कुछ-कुछ ठीक है। हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए, और न पुलिस के ही संबंध में कोई बुरी बात सोचनी चाहिए।

अभियुक्त—सी. आई. डी. के इंस्पेक्टर, ख्वाजा ताजदीन चाबियां लेकर किले में गए हैं, वे कमरे की तलाशी लेकर बयान वहां से उड़ा ले जाएंगे।

सरकारी वकील—हम यह नहीं चाहते कि गवाह कोई झूठी बात कहे, किंतु जिस बात का इसे पता है, वही सच-सच कहे।

वकील सफाई—जो कुछ गवाह ने कहा है, उसे अच्छी प्रकार से नोट कर लिया जाए।

मि. सलीम—तुम जब अदालत में आओ तो केवल वही बात कहो, जिसका तुम्हें पता हो और जो सच हो। यदि तुमको कोई शिकायत हो तो अदालत से करो।

## पुलिस का अत्याचार

गवाह—यदि मेरी निम्न शिकायत दूर कर दी जाए, तो बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी।

मेरी गिरफ्तारी के दस-बारह दिन पश्चात मैं बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत दुर्बल हो गया था। मैंने पुलिस को जो बयान दिया था, वह 160 पृष्ठ लंबा था। अब 16 पृष्ठों का एक बयान मुझे रटने के लिए दिया गया है। चार पुलिस वाले प्रतिदिन मुझको घेरकर बैठ जाते हैं, और मुझसे प्रश्न पूछते हैं। इस बकवाद से मेरा गला खराब हो गया है। आप किसी डाक्टर को बुलाकर मेरी परीक्षा करवा सकते हैं। बीमार होने पर मुझे प्रतिदिन कचहरी में 6 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। कोई मनुष्य इस यातना को सहन नहीं कर सकता। शेष रहा मुझे पुलिस के कब्जे में भेजने का प्रश्न। पुराना अनुभव मैं अभी तक भूला नहीं हूं। पुलिस वाले मेरे दोनों हाथ पीठ की ओर हथकड़ी से बांधकर, रात भर लिटाए रखते थे। और भी कई प्रकार की यातनाएं मुझे देते थे। मैं अब पुलिस के पास नहीं रहना चाहता। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप मुझे जमानत पर छोड़ दें या मुझे दूसरे अभियुक्तों के साथ ही रख दें। मैं पुलिस के पास किसी तरह भी नहीं रहना चाहता।

वकील सफाई—अदालत को चाहिए, कि जाकर स्वयं गवाह के कमरे की तलाशी ले।

इसके पश्चात लाला अमोलक राम, दूसरे वकील सफाई ने कहा कि जब एक गवाह, जो पुलिस के कब्जे में है, पुलिस पर दोषारोपण करता है, तो अदालत का कर्तव्य है, कि इस दोषारोपण की पूर्णतया जांच करे।

मि. सलीम—(गवाह से) आजकल तुम कहां हो ?

गवाह—शाही किले में।

जज—अकेले रहते हो ?

गवाह—नहीं, मेरे साथ पुलिस का एक हवलदार भी रहता है।

जज—तुम्हारे कमरे में क्या तुम्हारा बयान पड़ा है ?

गवाह—हां ! मेरे कमरे में मेरे बयान के साथ सरनदास, शिवराम, मदनगोपाल तथा खैरातीराम इत्यादि इकबाली गवाहों के बयान भी पड़े हैं। और भी एक कागज वहां पड़ा है, जिसमें वे तिथियां लिखी थीं, जिनके अनुसार यह कहना था कि अमुक दिन मैंने पुलिस को अमुक मकान दिखाया। ये तिथियां मुझे प्रतिदिन याद करनी पड़ती हैं, ताकि मैं भूल न जाऊं।

मि. सलीम—यह बयान तुमको क्यों दिए गए ?

गवाह—इसलिए कि सरनदास इकबाली गवाह तथा मेरे बयानों में कुछ अंतर है। मुझे इन बयानों को पढ़कर उस अंतर को दूर करना है। यह बात मुझको बरखुरदार सब-इंस्पेक्टर ने (जो कि इस समय कचहरी ही में हैं) कही थी। परंतु उसने कहा था कि यह सब सरकारी वकील के कहने पर किया जा रहा है।

जज—तुमको बयान किसने दिए ?

गवाह—इसका प्रबंध स्वयं मालिक बरखुरदार सब-इंस्पेक्टर ने किया था और इनकी आज्ञा से दो हेड-कांस्टेबिल (जो इस समय कचहरी में उपस्थित हैं) यह बयान मुझे दे गए।

जज—जब से तुम्हारा बयान कचहरी में आरंभ हुआ है, तब से तो पुलिस ने तुमको पट्टी नहीं पढ़ाई ?

गवाह—इकबाली गवाहों के बयान मुझे दो-एक दिन से ही मिले हैं। पहले केवल मेरा अपना बयान ही मेरे पास था।

सरकारी वकील—मैं गवाह के इस बयान की परीक्षा करना चाहता हूं।

अदालत—हम इसकी जांच करेंगे और आपको समय दिया जाएगा।

नाश्ते का समय हो रहा था, इस कारण यह प्रश्न उठा, कि इस समय गवाह को कहां रखा जाए। बहुत सोच-विचार करने के पश्चात यह निश्चय किया गया, कि गवाह इस समय क्लर्क आफ कोर्ट के पास रहे।

सरकारी वकील ने लंच के पश्चात कार्यवाही आरंभ होने पर कहा, कि पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है, वह सब झूठ है। मैं समझता हूं कि वकील सफाई ने कल जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि इकबाली गवाह को पुलिस के कब्जे से निकालकर जुडीशियल हवालात में भेज दिया जाए, यह उसी का परिणाम है। पुलिस की डायरी से यह भी पता चलता है कि कल जहांगीरीलाल अभियुक्त ने गवाह को यह कहकर डराया था, कि "समझ लेंगे।" मैं न्याय के दिन के लिए यह कहता हूं, कि गवाह को ऐसे स्थान पर रखा जाए, जहां इसकी जान को कोई भय न हो।

इसके पश्चात बहुत सोच-विचार करके यह निर्णय किया गया कि गवाह को सेंट्रल जेल भेज दिया जाए।

सेंट्रल जेल के डिप्टी-सुपरिंटेंडेंट से पूछा गया, क्या वहां गवाह को रखने के लिए कोई स्थान है ? उसने उत्तर दिया कि सेंट्रल जेल में केवल फांसी की कोठरी खाली है, तब जजों ने यह निर्णय किया कि गवाह को सेंट्रल जेल में रखा जाए, परंतु उसके साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए। यह भी आज्ञा हुई, कि किसी संबंधी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के पास न जाने दिया जाए।

इसके पश्चात वकील-सफाई ने एक प्रार्थना-पत्र और दिया, जिसका आशय

था कि शेष इकबाली गवाहों को भी पुलिस के कब्जे से निकाल लिया जाए।

## गोला फेंकने वाला

इन्द्रपाल ने सत्य कहने की शपथ खाई, और अपना बयान आरंभ किया। गवाह ने कहा कि दोनों कांस्टेबिल मकान के ऊपर चढ़ गए। मैंने उनको बताया था कि मेरा दूसरा साथी मेरा भगत है, परंतु सिपाही एक दूसरे की पीठ पर सवार होकर प्याऊ पर चढ़ आए। उन्होंने यशपाल से कहा कि यह तो साधु महात्मा हैं, जंगल में रहते हैं, मगर तेरा यहां पर क्या काम ? यशपाल ने मथुरा की भाषा में उत्तर दिया, कि मैं मथुरा से आया हूं। देहली नौकरी ढूंढ़ने जा रहा हूं। यशपाल का सारा बमसाजी का सामान खुला पड़ा था, परंतु उसने मुझे बताया था कि ये बम केवल हाथ लगाने से नहीं फटेंगे। सिपाहियों को यशपाल पर शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई बदमाश प्रतीत होता है, चलो इसको थाने ले चलें। यह सुनते ही यशपाल पहले सिपाहियों के, फिर मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं और मेरे बाल-बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। मैंने भी यशपाल को एक लात जमाई, और क्रोध से कहा—बदमाश हम महात्मा लोगों को भी फंसाने आ जाता है। एक सिपाही ने कहा, कि यह तो कोई गोला फेंकने वाला बदमाश प्रतीत होता है।

मैं सिपाहियों को नीचे ले गया, और उनसे पूछा कि यदि कहो तो मुट्ठी गरम कराऊं। सिपाही ने उत्तर दिया—अच्छा महाराज, आपकी कृपा। मैं ऊपर जाकर यशपाल की जेब से एक दस का नोट, दो रुपए तथा दो चवन्नी निकाल लाया और मैंने सिपाहियों के हाथ पर रुपए रख दिए, और फिर उनमें से एक चवन्नी यह कहकर निकाल ली, कि बाबा जी सुलफा मंगाएंगे। फिर मैंने उनसे कहा, कि एक रुपया उसके पास रहने दो, बेचारे के पास कुछ नहीं रहा। सिपाहियों ने एक रुपया और लौटा दिया। इसके पश्चात सिपाही चले गए।

**14 जनवरी 1931** : आज जब लाहौर षड्यंत्र का मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो आरंभ में वकील सफाई के कहने पर, सारे इकबाली गवाहों को कचहरी में बुलाया गया। इकबाली गवाहों ने कहा कि हम पुलिस के पास बड़े मजे में रहते हैं। वकील-सफाई ने कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुलिस पर आक्षेप किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं अदालत से यह प्रार्थना करता हूं कि इकबाली गवाहों को पुलिस के कब्जे से निकाल लिया जाए।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि यदि इकबाली गवाहों को पुलिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रखा गया, तो उनके प्राण हर समय संकट में रहेंगे।

लाला अमोलक राम दूसरे वकील सफाई ने कहा, कि हम तो रात-दिन इधर-उधर घूमते हैं, परंतु हमसे तो क्रांतिकारी कभी कुछ नहीं कहते।

सरकारी वकील ने कहा कि बंगाल में एक इकबाली गवाह जेल में मार डाला गया था। क्रांतिकारी का कुछ पता नहीं रहता, न जाने किस समय, कहां पर आक्रमण कर दें।

## वाइसराय पर आक्रमण की योजना

इसके पश्चात इन्द्रपाल ने बयान जारी रखते हुए कहा, कि जब पुलिस वाले चले गए, तो हम दोनों नीचे उतरकर रेलवे लाइन की ओर गए। हमने रेलवे लाइन के नीचे बम दबाकर, वाइसराय की गाड़ी को उड़ाने का निश्चय किया था। रेलवे लाइन के नीचे से हमने दो पत्थर निकाले और उनके स्थान पर दो बम रख दिए। इस काम में हमको कोई पौन घंटा लगा था। इतने में हमको एक मालगाड़ी आती हुई दिखाई दी। हम भाग कर लाइन से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। गाड़ी बमों के ऊपर से निकल गई, परंतु बम फटे नहीं। गाड़ी के निकल जाने के पश्चात हमने बमों को खूब अच्छी तरह दबा दिया और वापस लौट आए। कुछ दिन के पश्चात यशपाल एक और बम लाया, वह बम भी हमने पहले स्थान पर ही रख दिया। एक दिन मैंने जाकर लाइन पर देखा कि एक बम गुम हो गया है। मैंने यह सूचना यशपाल को दे दी। यशपाल ने कुछ तार, जो वह अपने साथ लाया था, मुझे दिखाया और कहा कि अब एक्शन (Action) वायरलेस से नहीं, किंतु तार बमों के साथ लगाकर किया जाएगा। मैंने यशपाल के साथ जाकर बम के साथ तार जोड़ने में उसकी सहायता की। यशपाल ने मुझे बताया, कि तार के एक सिरे पर एक बैटरी लगा दी जाएगी, और तार का दूसरा सिरा बमों से जोड़ दिया जाएगा। बैटरी से बिजली छोड़ी जाएगी, जिससे बम फटेंगे। आक्रमण 27 अक्तूबर को निश्चित था, इसलिए मुझे यशपाल ने 26 को देहली चले जाने को कहा था। परंतु जब 27 अक्तूबर को वाइसराय की गाड़ी आई, तो उस पर कोई आक्रमण न किया गया। यशपाल ने मुझे बताया कि हमने आक्रमण का निश्चय कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि वाइसराय भारतवर्ष के हित के लिए कोई घोषणा करने वाला है और जनता ऐसे समय में हमारा साथ न देगी। इस समय श्री भगवतीचरण भी यशपाल के साथ थे। हम तीनों जाकर रेलवे लाइन से बम उठा लाए। देहली पहुंचकर कुछ समय तक मैं श्री भगवतीचरण तथा यशपाल के पास बैरा बन कर रहा।

**15 जनवरी 1931** : को मामला फिर ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया। इकबाली गवाहों को पुलिस के कब्जे से निकालने के प्रश्न पर बड़ी बहस हुई।

## पुलिस का अंधेर-खाता

वकील-सफाई ने कहा, कि इकबाली गवाहों तथा पुलिस ने, आपस में समझौता कर रखा है। पुलिस के कब्जे में उनका रहना कानून के विरुद्ध है। पुलिस की इच्छा है, चाहे उनको कचहरी में पेश करे, चाहे न करे, चाहे उनको खाना दे, चाहे भूखों मारे। कानून का इस विषय में कोई बंधन नहीं है। यह दशा देखकर मुगल समय की याद आ जाती है, जब सरकार इच्छानुसार जिसको चाहती थी जेल में बंद कर देती थी। यह कानून-संगत नहीं है। वकील ने इस विषय पर बहुत दलीलें दीं, कि किसी मनुष्य को 15 दिन तक पुलिस के पास रखा जा सकता है, यदि इससे अधिक समय तक उसे रखना हो तो जेल के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं है। सरकारी वकील ने कहा, कि पुलिस परंपरा से ऐसा ही करती आई है। अदालत ने निर्णय किया, कि इकबाली गवाहों को पुलिस के कब्जे में ही रहने दिया जाए।

## बैरा के वेश में

बयान जारी रखते हुए इकबाली गवाह इन्द्रपाल ने कहा कि इस मकान में तीन दिन तक बैरा बन कर रहा। इन दिनों मुझे श्री भगवतीचरण तथा श्री यशपाल ने बताया, कि वाइसराय 15 या 17 नवंबर को कोल्हापुर जा रहे हैं, और उस समय उन पर आक्रमण किया जाएगा।

कुछ दिन पश्चात श्री भगवतीचरण ने अखबार से पढ़कर मुझे वाइसराय की घोषणा सुनाई। मुझे स्थान का चुनाव करने के लिए भेजा गया। मैं जगह देख आया, परंतु यशपाल मोटर से टक्कर खाकर घायल हो गया और हंसराज समय पर नहीं पहुंच सका, इस कारण आक्रमण इस बार भी स्थगित करना पड़ा।

जब वाइसराय की गाड़ी पर आक्रमण न हो सका, तो श्री भगवतीचरण 19 दिसंबर को मेरे पास आए और मुझे नए सड़क वाले घर पर ले गए। यशपाल भी वहीं पर था। उसने मुझे बताया कि उसकी बहन का देहांत हो गया है। अब चूंकि मेरे लिए देहली में कोई काम न था, इस कारण मुझे लाहौर लौटने की आज्ञा मिल गई।

## रहस्यमय युवक

लाहौर आने के दूसरे दिन मैं लायलपूर गया क्योंकि वहां हंसराज को यशपाल की चिट्ठी देनी थी। 20 नवंबर का दिन था। लायलपूर साढ़े चार बजे प्रातकाल पहुंचा। मैं स्टेशन से सीधा हंसराज के मकान पर गया। मैंने हंसराज को कई आवाज दीं, परंतु उस समय घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं घर के सामने ही बैठ गया। इतने में एक और नवयुवक आया, और उसने हसंराज को बाहर बुलाया। हंसराज ने बाहर

आकर इस नवयुवक से कुछ बातचीत की। मैं चूंकि कुछ दूर खड़ा था, इस कारण मैं बातचीत नहीं सुन सका। जब यह दोनों बातचीत कर रहे थे, तो मैंने हंसराज से कहा, कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। उसने मुझे ठहरने को कहा। जब वह नवयुवक चला गया तो मैंने हंसराज से कहा, कि मैं प्राणनाथ के पास से आया हूं। उसने आपको कहला भेजा है, कि भविष्य में इस प्रकार आलस्य न किया करो। इस बार तुम्हारे आलस्य के कारण सारा काम बिगड़ गया है।

जब मैं हंसराज को संदेशा देकर स्टेशन लौटा तो मैंने देखा कि वही नवयुवक स्टेशन पर टहल रहा है। पर उसे उस दिन से पहले कभी न देखा था। हंसराज ने मुझे बताया था कि यह नवयुवक कृषि-कालेज में पढ़ता है। जब गाड़ी चलने लगी, तो वह नवयुवक अगले डब्बे में बैठ गया। मैं पीछे के एक डब्बे में बैठ गया।

रास्ते में इस नवयुवक ने मुझे कई बार देखा, और मैंने उसे। मैंने सोचा, यह कोई सी. आई. डी. का आदमी है। वह नवयुवक बादामीबाग स्टेशन पर उतर गया और मैं लाहौर जाकर उतरा। जब मैं घर जा रहा था, तब मैंने फिर उसी नवयुवक को 'अमृतधारा' के पास देखा। मैं एक गली में घुस गया ताकि उसको संदेह न हो। उसी संध्या को मैं श्रीमती दुर्गादेवी के घर पर गया। वहां मैंने जाकर देखा कि वही नवयुवक यहां पर भी हाजिर है। मुझे विश्वास हो गया कि यह नवयुवक भी कोई मेरे जैसा ही है। इसलिए हम दोनों ने एक-दूसरे को देखकर हाथ मिलाया। पीछे मुझे पता चला कि इस नवयुवक का नाम सुखदेव है।

श्रीमती दुर्गादेवी से मेरी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा, कि सुना है कि तुम्हारे विवाह की तैयारी हो रही है, इसलिए जरा सोच-समझकर काम करना। उनके पूछने पर मैंने उनको बताया कि श्री भगवतीचरण तथा यशपाल दोनों कुशलपूर्वक हैं।

गवाह ने कहा कि मुझे पता नहीं, सुखदेव लायलपूर क्यों गया था।

लायलपूर से लौटकर आने के पश्चात मैं गुलाबसिंह से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्रांतिकारी दल का मेंबर हूं। इन्ही दिनों अमीरचन्द अभियुक्त मेरे पास आया और मैंने उसे श्रीमती दुर्गादेवी से काश्मीर वैली में मिलाया। श्रीमती दुर्गादेवी के कहने पर, मैंने अमीरचन्द को अपने पास ठहरा लिया। श्रीमती दुर्गादेवी ने कहा, कि वह व्यय के लिए रुपए धर्मपाल अभियुक्त के हाथ भेज दिया करेंगी। 13 दिसंबर को मेरा विवाह हुआ। गुलाबसिंह तथा अमीरचन्द ने मेरे विवाह में भाग लिया। इन्हीं दिनों हंसराज मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि मैं जब तांगे में आ रहा था, तो मेरे सूटकेस से गैस निकलनी आरंभ हो गई जिसके कारण तांगे में बैठे दूसरे सब व्यक्ति बेहोश हो गए। परंतु हंसराज ने यह सब गप हांकी थी।

हंसराज को साथ लेकर मैं 19 दिसंबर को देहली पहुंचा। नए बाजार वाले मकान में, मैं श्री भगवतीचरण तथा यशपाल से मिला। वहां पर एक और भी व्यक्ति

था, जिसे वे 'जाट' कहा करते थे।

यशपाल ने मुझसे कहा कि 23 दिसंबर को जब वाइसराय कोल्हापुर से लौटेंगे, तब उन पर आक्रमण किया जाएगा।

दो दिन पश्चात श्री भगवतीचरण 'जाट' को साथ ले जाकर रेलवे लाइन पर बम फिट कर आए।

**16 जनवरी 1931 :** जब मामला पेश हुआ तो सरकारी वकील ने मामला स्थगित करने के लिए प्रार्थना की। सरकारी वकील ने कहा, कि चूंकि श्री सीताराम फरार अभियुक्त सक्खर में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस कारण जब तक वह लाहौर न लाए जाएं, मामला स्थगित कर दिया जाए।

**29 जनवरी 1931 :** आज षड्यंत्र केस अभियुक्तों को ठीक दस बजे कचहरी में लाया गया। अभियुक्तों ने आते ही 'इंकलाब जिंदाबाद' 'भगत सिंह जिंदाबाद' इत्यादि क्रांतिकारी नारे लगाए।

## इन्द्रपाल का बयान

इकबाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि रात्रि के समय श्री भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा मैंने जाकर रेलवे लाइन के नीचे बम गाड़ दिए। हम घर से दस बज गए थे और प्रातकाल 4 बजे हम सारे काम से निश्चिंत होकर लौटे। उस रात को बहुत ठंड पड़ रही थी। इसलिए कोई मनुष्य उस समय उस स्थान पर नहीं आता-जाता था। हम बहुत से तारों के गुच्छे साथ ले गए थे। इनकी लंबाई लगभग 300 फीट होगी। कुहरे के मारे कुछ सूझ नहीं पड़ता था। ज्यूं-त्यूं करके हमने बमों को दबा दिया और तार का एक सिरा उनके साथ जोड़ दिया। तार का दूसरा सिरा हमने कुएं की मेंड़ के पास लाकर छोड़ दिया, और तार महीन घास इत्यादि से ढांप दिया। यह सब हमने 21-22 की रात को किया। जब हम मकान पर वापस आए तो हंसराज तथा अमीरचन्द वहां पर उपस्थित थे।

मि. सलीम (जज)—आपके पहले बयान में लिखा है कि अमीरचन्द अभियुक्त सबेरे नौ बजे आया।

इन्द्रपाल—यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस ने स्वयं जोड़ दिया होगा।

गवाह ने कहा कि 22 दिसंबर को हंसराज ने स्विच फिट किए। हंसराज बाजार से एक दर्जन बैटरियां मोल ले आया था। वह बैटरियां एक बक्स में लगाकर तार के साथ एक स्विच से फिट कर दी गई। हम बक्स लेकर रेलवे लाइन पर गए, और सारे बंदोबस्त कर फिर से निरीक्षण किया। रात के नौ बजे हम नई देहली में वापस लौटे। वहां अमीरचन्द इत्यादि सब सामान बांधकर सोए थे।

उसी रात को एक व्यक्ति आसफ नामी आया और यशपाल से बातें करके

चला गया। जब हम रात को बातें कर रहे थे तो हंसराज ने शीशी निकालकर दिखाई और कहा कि आक्रमण करने के समय यदि कोई देख ले तो इस शीशी को खोल देना। सब बेहोश हो जाएंगे। मुझे पता नहीं, कि आक्रमण के लिए कौन चुना गया था, परंतु मेरा अनुमान है, कि यशपाल को यह काम सौंपा गया था।

## वाइसराय पर आक्रमण

22 दिसंबर को मैं और हंसराज लाहौर वापस लौट आए। दूसरे दिन हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि वाइसराय की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया है, परंतु वाइसराय बच निकला।

इन्हीं दिनों मेरी भेंट सरनदास अभियुक्त से हुई। उसकी बातचीत से मुझे पता चला कि वह क्रांतिकारी विचारों का है। उसने मुझे ऐसी पुस्तकें मोल लेने को कहा, जिनमें क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया गया हो। मैंने 'बंदी-जीवन' , 'विजया' आदि पुस्तकें मोल ले लीं।

28 दिसंबर को श्रीमती दुर्गावती ने मुझे एक पत्र दिया। वह पत्र अमीरचन्द के लिए था, परंतु बहुत ढूंढ़ने पर भी वह मुझे न मिला। मैंने इसे फाड़कर पढ़ा। इसमें साइकिल के संबंध में कुछ लिखा था। कुछ दिन के पश्चात अमीरचन्द मुझे मिला तो मैंने उसे पत्र के संबंध में सब कुछ बता दिया।

2 जनवरी को मैंने पंजाब प्रिटिंग प्रेस के पीछे एक मकान ले लिया। इस मकान में मैं अपने छोटे भाइयों के साथ रहा करता था। पंडित रूपचन्द ग्वालमंडी वाली बैठक ही में रहने लगा।

## श्रीमती दुर्गा का पत्र

एक दिन धर्मपाल अभियुक्त श्रीमती दुर्गावती का पत्र लेकर मेरे पास आया। उसमें लिखा था कि सनातन-धर्म कालेज के सामने संध्या के समय एक मनुष्य मुझे मिलेगा। मैं इस आज्ञानुसार नियत स्थान पर पहुंच गया। वहां मेरी श्रीयुत भगवतीचरण जी से भेंट हुई। श्री भगवतीचरण ने मुझे बताया कि यशपाल को पंजाब प्रांत का संचालक बना दिया गया है, इस कारण से वह पंजाब में मेरे पास ठहरकर काम करेगा। मैंने उसको अपने पास आश्रय देना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात मैं तथा हंसराज वहां से लौट आए। श्री भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा अमीरचन्द मेरे मकान पर ही रहे।

इन्हीं दिनों यशपाल ने मुझे बताया कि वाइसराय पर आक्रमण के लिए उसको क्यों चुना गया था। श्री भगवतीचरण, चूंकि सारे दल के संचालक थे, इस कारण

यह काम यशपाल को, जो केवल प्रांतीय संचालक था, सौंपा गया था। दूसरे वह फौजी वर्दी, जो कि आक्रमण के समय काम में लाई जाने वाली थी, यशपाल के अतिरिक्त किसी दूसरे को पूरी न आती थी।

श्रीयुत भगवतीचरण तथा यशपाल इन दिनों मेरे मकान पर रहा करते थे। इन्हीं दिनों श्रीयुत चन्द्रशेखर भी मेरे पास आए और दूसरे क्रांतिकारी से मिले। मुझे श्रीयुत भगवतीचरण ने बहुत-सी हिदायतें कीं, कि हमें काम किस प्रकार से करना चाहिए।

**30 जनवरी, 1931** : इकबाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि श्रीयुत भगवतीचरण के साथ बातचीत करने के बाद मैंने श्री यशपाल का ठहराना स्वीकार कर लिया। 2 जनवरी को श्रीमती दुर्गादेवी ने श्री धर्मपाल के द्वारा मुझे अपने मकान पर बुलाया और कहा कि संध्या के छह बजे एक व्यक्ति रेशमी रूमाल हाथ में लिए गोलबाग में तुम्हें मिलेगा। उसका नाम शिव होगा। वह जो कुछ पूछे बता देना। मैं संध्या को नियत स्थान पर पहुंचा। कुछ काल तक प्रतीक्षा करने के पश्चात एक व्यक्ति हाथ में रेशमी रूमाल लिए हुए आया। उसने मुझसे श्रीयुत भगवतीचरण तथा श्रीयुत यशपाल का पता पूछा, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दो-तीन दिन में इनका पता बताऊंगा।

कुछ दिन पश्चात श्री यशपाल लाहौर आया तो मैंने उसे श्री शिव की बाबत बताया, परंतु मुझे पता चला कि वह उससे पहले ही मिल चुका है।

## विप्लव-दल का संगठन

श्री यशपाल ने मुझे बताया कि जब कोई घोषणा 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' की ओर से की जाती है, तो उसके नीचे बलराज के हस्ताक्षर रहते हैं। यदि कोई घोषणा 'हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन' की ओर से की जाती है, तो उसके नीचे प्रेजिडेंट 'करतारसिंह' के हस्ताक्षर रहते हैं ! 'बलराज' को कमांडर-इन-चीफ और 'करतारसिंह' को प्रेजिडेंट लिखा जाता है। रिपब्लिकन एसोसिएशन का काम क्रांतिवाद का प्रचार करना है। 'रिपब्लिकन आर्मी' का काम 'एक्शन' करना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का मेंबर हिंदुस्तान आर्मी का मेंबर भी हो सकता है। मेंबर बनने के तीन स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में व्यक्ति सहायक होता है, फिर धीरे धीरे उसको 'सदस्य' होने के पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं।

## फिलासोफी आफ बाम

श्रीयुत यशपाल अपने साथ बहुत से परचे पंजाब में बांटने के लिए लाया था। जिनका शीर्षक 'फिलासोफी आफ बाम' था। मैंने यशपाल से पूछा कि इतने परचे तुमने कहां

से लिए हैं। उसने कहा कि पार्टी का एक प्रेस कलकत्ता में है, वहां पर एक पुस्तक भी छप रही है जिसका नाम 'वार आफ इंडिपेंडेंस' है। यह पुस्तक सरकार द्वारा जब्त थी।

कुछ दिनों के पश्चात मैं और श्री यशपाल रावलपिंडी गए और वहां पर 'फिलासोफी आफ बाम' नामक परचे बांट दिए। वहां पर हमारी भेंट श्रीयुत सरनदास, श्रीयुत हरीराम पहलवान तथा श्रीयुत गोपालकृष्ण से हुई।

**2 फरवरी, 1931 :** आज सेंट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए षड्यंत्र-केस के अभियुक्तों को पेश किया गया। अभियुक्तों ने कचहरी में आकर राष्ट्रीय गीत गाए और क्रांतिकारी नारे लगाए।

इकबाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि जब श्रीयुत यशपाल कराची से वापस आया तो वह मुझे श्रीयुत गुलाबसिंह की बैठक पर मिला। उसके पास एक सूटकेस था, जिसमें बहुत-सी शीशियां थीं। मुझे श्रीयुत यशपाल ने बताया, कि यह सामान इस्लामिया कालेज से चुराया गया है।

कुछ समय के बाद श्रीयुत यशपाल, श्रीयुत अमीरचन्द तथा एक और नवयुवक एक मोटर-साइकिल लाए। श्रीयुत यशपाल ने कहा कि इस मोटर-साइकिल कि मरम्मत करवानी है। श्री अमीरचन्द वह मोटर-साइकिल मरम्मत के लिए मिस्त्री को दे आया।

फरवरी के अंत में श्री यशपाल ने मुझे लायलपूर भेजा। मैं वहां जाकर पुरानी सराय में ठहरा। रात के समय मुझसे श्री हंसराज मिलने आया।

मैंने एक बंडल, जो श्री यशपाल ने मुझे दिया था, श्री हंसराज को दे दिया। मैंने श्री हंसराज को यह भी बताया कि श्री यशपाल ने गैस बनाने वाली दवाई का प्रबंध कर लिया है। श्री हंसराज के साथ एक और नवयुवक भी मुझें मिला था, परंतु वह इस समय अभियुक्तों के कटघरे में नहीं है। मैं जब पुलिस की हिरासत में था तो पुलिस वालों ने मुझे श्री धर्मवीर अभियुक्त को शिनाख्त करने को कहा था। तब मैंने पुलिस के डर से ऐसा ही किया।

जज—क्या तुम्हें कहा गया था, कि श्री धर्मवीर की शिनाख्त करो ?

गवाह—हां, मुझे पुलिस अफसरों ने कहा था, कि उनकी शिनाख्त करनी है।

जज—आपने ऐसा क्यों किया !

गवाह—मुझे वादा-मुआफी का लालच दिया गया था। इसलिए मैंने ऐसा किया।

मैंने इकबाली गवाह बनना, इसलिए स्वीकार नहीं किया था, कि मैं झूठी गवाही देकर निर्दोष नवयुवकों को धराऊं। परंतु उस समय यदि मैं शिनाख्त न करता तो मेरी शामत आ जाती। पुलिस वाले मार-मारकर मेरा कचूमर निकाल देते।

जज—क्या आपने गिरफ्तारी से पहले कभी श्री धर्मवीर अभियुक्त को देखा था ?

गवाह—नहीं।

जज—आपने श्री धर्मवीर अभियुक्त को कब देखा ?

गवाह—पहले-पहल मुझे श्री धर्मवीर किलाशाही में बड़ी दूर से दिखाया गया। वहां से मैं उसे अच्छी तरह से नहीं देख सका। इसलिए मैंने पुलिस-अफसरों को कहा कि इसे मेरे पास लाया जाए। चुनांचे पुलिस वाले मेरे पास आए और मैंने उसे सहज ही में शिनाख्त कर लिया।

जज—क्या आपने तकलीफों से डरकर यह बयान दिया था ?

गवाह—मैंने तकलीफों से डर कर बयान नहीं दिया था, बल्कि मेरे साथ वादा-मुआफी की प्रतिज्ञा की गई थी, इसलिए मैंने ठीक-ठीक बयान दे दिया था। मुझे यह कदापि ज्ञात नहीं था, कि प्रतिज्ञा करने पर भी मुझे झूठ बोलने को विवश किया जाएगा।

वकील सफाई—अभियुक्त श्री धर्मवीर का बयान भी ले लिया जाए। जिससे यह सिद्ध हो सके, कि वहां पर अभियुक्त को इकबाली गवाह को दिखाया गया था।

सरकारी वकील—इस समय अभियुक्त का बयान लेना उचित नहीं। इकबाली-गवाह से जिरह करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसने अभियुक्त श्री धर्मवीर को देखा था।

## श्री धर्मवीर का बयान

इकबाली गवाह को कचहरी से बाहर भेज दिया गया और अभियुक्त श्री धर्मवीर का बयान आरंभ हुआ।

अभियुक्त ने कहा कि मैं वह स्थान दिखा सकता हूं, जहां पर मुझे इकबाली गवाह को दिखाया गया था। किले में एक बेरी का वृक्ष है, पास ही एक घर है, जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं। उसके दाहिनी ओर शौचालय है। मुझे सैयद अहमदशाह हथकड़ी लगाकर ले गया था।

इकबाली गवाह ने अभियुक्त के इस बयान का समर्थन किया। अपना बयान जारी रखते हुए गवाह ने कहा—श्री प्रेमनाथ फरार अभियुक्त मेरे मकान पर आया करता था। वह प्रायः वैज्ञानिक यंत्र तथा दवाइयां खरीद कर लाया करता था। कई बार गैस बनाने का उद्योग किया गया, परंतु सफलता नहीं हुई।

एक दिन एक व्यक्ति, जिसका पार्टी-नाम 'आसफ' था, मेरे मकान पर आया। आसफ का असली नाम मुझे विदित नहीं। श्रीयुत भगवतीचरण तथा हंसराज उस समय मेरे मकान पर थे। आसफ को एक सप्ताह पहले मैंने अपनी बैठक में देखा था। वह व्यक्ति मुसलमान नहीं था; क्योंकि मैंने कभी उसे अल्लाह का नाम लेते नहीं सुना था। इसकी आयु 24-25 वर्ष के लगभग थी। वह पंजाबी और उर्दू अच्छी

तरह नहीं बोल सकता था, अंग्रेजी बहुत तेजी से बोलता था। वह श्री यशपाल के लिए चाय पीने के बर्तन लाया था।

**3 फरवरी 1931 :** इकबाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि मार्च के अंतिम सप्ताह में यशपाल मुझे लायलपूर ले गया। वहां पर हम हंसराज से मिले। हंसराज ने हमको एक गुलदस्ता दिखाया और बताया, कि इस गुलदस्ते का ऊपर का भाग काटकर नीचे के भाग से बम का खोल बनाया जाएगा। इस खोल को सात भागों में विभाजित किया जाएगा। जब बम चलेंगे तो इसके सात टुकड़े हो जाएंगे। हमने गुलदस्ते की स्कीम को पसंद किया और दूसरे दिन लाहौर वापस आ गए।

## सरदार भगत सिंह को छुड़ाने का उद्योग

इन दिनों भी यशपाल मेरे ही साथ रहता था। एक दिन यशपाल ने मुझे कहा कि पार्टी ने जेल-एक्शन करने की आयोजना की है। जेल-एक्शन का अर्थ यशपाल ने मुझे बताया, कि सरदार भगत सिंह, श्रीयुत दत्त और इनके अन्य साथियों को छुड़ाना है। इस एक्शन के लिए एक ऐसी गैस तैयार करनी थी, जिससे सारे पहरेदार, सिपाही और जज लोग बेहोश हो जाएं। अभियुक्तों को दूसरी गैस सुंघाकर होश में रखने का विचार था।

## गोली से उड़ाया जाएगा

यशपाल ने मुझे बताया, कि उन अभियुक्तों को, जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में इकबाली बयान दिए हैं या किसी दूसरे प्रकार से पुलिस की तफतीश में सहायता की है, उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। जिन अभियुक्तों को प्राण-दंड दिया जाना था, उनमें श्रीयुत सुखदेव, जिनको फांसी का दंड मिला है, का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमीरचन्द अभियुक्त को कचहरी का निरीक्षण करने के लिए, कई बार भेजा गया। मैं भी प्रायः उसके साथ जाया करता था। हमने कचहरी का एक नक्शा तैयार किया। परंतु गैस बनाने में असफलता हुई। इसलिए जेल-एक्शन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। गवाह ने कहा कि निम्नलिखित अभियुक्तों को छुड़ाने का निश्चय था। सरदार भगत सिंह उर्फ रणजीत, श्री प्रताप सिंह उर्फ कुन्दनलाल, श्री डाक्टर गयाप्रसाद, श्री कमलनाथ तिवारी, श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल, श्री अजय कुमार घोष, मास्टर आज्ञाराम, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री किशोरीलाल, श्री प्रेमदत्त, श्री महाबीर सिंह, श्री राजगुरु, श्री बकुटेश्वर दत्त। बाकी अभियुक्तों को गोलियों से उड़ाने का निश्चय किया गया था।

एक दिन श्री हंसराज मेरे पास आया और उसने कहा कि यशपाल मुझ पर कुछ नाराज है। इसलिए मुझे किसी सीनियर मेंबर से मिलाओ। मैंने उसे श्री भगवतीचरण से मिला दिया। यशपाल मुझ पर बहुत नाराज हुआ और मुझे गोली से उड़ा देने की धमकी दी।

## सरदार भगत सिंह को विप्लव-दल का वचन

श्री भगवतीचरण ने हमें एक दिन बताया, कि जब श्री सरदार भगत सिंह तथा श्री बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में एक्शन के लिए भेजा गया था तो उनसे कहा गया था, कि तुमको बलपूर्वक पुलिस के कब्जे से निकाल लिया जाएगा। पार्टी जो वचन दे चुकी है, उसे पूरा करने का विचार कर रही है। इसलिए यह कार्य शीघ्र ही किया जाएगा।

**4 फरवरी, 1931 :** आज इकबाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि मेरे मकान पर श्री भगवतीचरण, यशपाल, शिव तथा मेरा छोटा भाई दीनानाथ रहते थे। कभी कभी श्री दुर्गादेवी, श्री धनवन्तरी तथा सिराजुद्दौला आया करते थे। सिराजुद्दौला श्री सुखदेवराज का पार्टी नाम था। श्री प्रेमनाथ भी कभी कभी वहां आया करता था। मैंने उस मकान पर आना-जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां सारा दिन साइकिलों का तांता लगा रहता था।

एक दिन मैंने उस मकान पर एक लड़की को देखा। यशपाल ने कहा, इस लड़की को बहुत छुपाकर लाहौर के बाहर कहीं रखा जाएगा। मैं प्रेम के साथ रावलपिंडी लड़की का प्रबंध करने गया, परंतु सफल न हुआ। एक दिन मैंने एक और अपरिचित लड़का, जिसकी आयु 16-17 वर्ष की होगी, मकान पर देखा। उसको 'लाट' के नाम से पुकारा जाता था। कुछ दिनों के बाद, श्री भगवतीचरण के आदेशानुसार श्री हंसराज से बम के खोल लेने के लिए गया। श्री हंसराज, श्री अमीरचन्द और मैं तीन बक्सों में सामान बंद करके लाहौर लाए। उस समय मकान पर श्री भगवतीचरण तथा अन्य मेंबर उपस्थित थे। सबने बम के खोल देखे और पसंद किए।

**9 फरवरी, 1931 :** आज ट्रिब्यूनल के सम्मुख लाहौर षड्यंत्र-केस की कार्यवाही प्रारंभ होने पर इन्द्रपाल ने कहा, कि हंसराज ने मुझसे कहा, कि मुझे चन्द्रशेखर आजाद और भगवतीचरण ने पंजाब का संचालक नियुक्त किया है।

## पुलिस ने अभियुक्तों के बयान लिखे

कुछ दिनों के बाद हरिराम और कृष्णगोपाल अभियुक्त लाहौर आए और मुझसे मिले। मैंने जो यह बयान दिया था, कि वे पार्टी-संबंधी कार्य से लाहौर आए थे, गलत है।

बात यह थी, कि पुलिस ने बयान लिखे थे और मैंने वे ही मैजिस्ट्रेट के सामने दुहरा दिए थे।

मि. सलीम—क्या तुम्हारा मतलब यह है कि कृष्णगोपाल, हरिराम, जहांगीरीलाल और महाराजकिशन पार्टी के मेंबर नहीं थे।

मुखबिर ने कहा कि बाद में जहांगीरीलाल पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। मैं महाराजकिशन को नहीं जानता। हरिराम और कृष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं थे। क्योंकि वे पार्टी के नियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित नहीं किए जा सकते थे।

प्र.—फिर वे गिरफ्तार क्यों किए गए थे ?

उ.—पुलिस ने ऐसे ही एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, जिसका थोड़ा भी संबंध पार्टी के किसी सदस्य से था।

मि. सलीम—पुलिस ने तुम्हारे और रूपचन्द के भाई को क्यों गिरफ्तार नहीं किया ?

उ.—मेरा भाई सरकारी गवाह बना लिया गया था और इस प्रकार वह पुलिस का मतलब सिद्ध कर सकता था। रूपचन्द का भाई उम्र में बहुत छोटा था।

प्र.—तुम यह किस प्रकार कहते हो कि हरिराम और कृष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं बनाए जा सकते थे ?

उ.—पार्टी में सम्मिलित होने के लिए सदस्य की आयु 18 और 25 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, परंतु हरिराम की उम्र उससे ज्यादा थी। एक नियम यह भी था कि कोई सरकारी नौकर पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। कृष्णगोपाल सरकारी नौकर था और इसलिए वह पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था।

इसके बाद मुखबिर ने कहा, कि कोई भी सदस्य पार्टी में 35 वर्ष की आयु तक रह सकता था। नियम प्रकाशित नहीं किए गए थे, संचालक के पास रहते थे। लाहौर षड्यंत्र-केस के बाद नियमों में परिवर्तन किया गया था और उन परिवर्तित नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य उन्हीं बातों के संबंध में जान सकता था, जिनका उससे खास संबंध था। यह नियम इसलिए बनाया गया था कि यदि कोई सदस्य गिरफ्तार हो जाए तो वह पार्टी के अन्य सदस्यों की कार्यवाही का भंडा न फोड़ सके, जैसा कि पहले षड्यंत्र-केस में हंसराज और फणीन्द्रनाथ मुखबिरों ने किया था। नियम बड़ी सख्ती से पाले जाते थे।

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि शिव, जो लापता है, मेरे पास आया, मुझसे बम और रिवाल्वर लाने के लिए कहा। मैं जहांगीरीलाल के घर गया और मैंने एक ट्रंक में एक रिवाल्वर और आठ बम बंद करे, वह शिव को दे दिया। 28 मई को जब मैं एस. डी. स्कूल अपने भाई को देखने जा रहा था, तब शिव रास्ते में मुझसे मिला और उसने मुझसे कहा कि भगवतीचरण, सुखदेवराज और शिव के साथ रावी के तट पर एक बम की परीक्षा करने गया था। बम भगवतीचरण के हाथों में ही

फट पड़ा था और वह उससे सख्त घायल हो गया था। सुखदेव को चोट पहुंची थी। मैं शिव के साथ रावी के उस पार 67 नंबर के पत्थर (सीमा) के पास गया और वहां भगवतीचरण को हाथ में एक पिस्तौल लिए घायल पड़ा देखा। भगवतीचरण ने अपने चंगे होने की निराशा प्रकट की। मैं शिव की बाईसिकल पर भगवतीचरण के लिए दवाई और रुई लेने शहर आया। मैंने अपनी आत्म-रक्षा के लिए शिव से एक रिवाल्वर भी ले लिया था। गुलाब सिंह, हंसराज और अन्य व्यक्ति बैठक में थे और शिव से घटना का हाल सुन चुके थे। आवश्यक सामान लेकर मैं गुलाब सिंह और रूपचन्द के साथ वापस गया। हंसराज पार्टी का संचालक था और इसलिए वह मेरे साथ नहीं गया।

जलपान के पश्चात अपना बयान प्रारंभ करते हुए इन्द्रपाल ने कहा, कि एक दिन मैंने दो आफिसरों को हरिराम के संबंध में बातचीत करते हुए सुना। एक आफिसर ने कहा कि हरिराम हिंदू-मुस्लिम दंगे में बच गया था, उसे इस मामले में अब अवश्य फंसाना चाहिए। फिर उसने उपर्युक्त घटना के संबंध में कहा, कि मेरे साथी भूलकर मिंटो-पार्क में चले गए। जब मैं वहां पहुंचा तब एक कांस्टेबिल ने उनसे उनके वहां बैठने का कारण पूछा। मैंने उसे एक सिगरेट देकर वहां से हटा दिया। सबेरे शिव मेरे पास आया और उसने कहा, कि मेरे आने के एक घंटे बाद भगवतीचरण की मृत्यु हो गई। शिव ने यह भी कहा, कि उसका शव जंगल में दफना दिया गया है। उसने यह भी कहा कि भगवतीचरण के साथ सुखदेव रावी गए थे और दोनों ने अपनी साइकिलें मल्लाह के पास छोड़ दी थीं। सुखदेवराज का नाम सुनने का यह मेरा पहला अवसर था। शिव ने मुझसे मल्लाह के पास से साइकिलें लाने और उसे कुछ इनाम देने के लिए कहा। मैंने साइकिलें लाकर सुखदेव को दे दीं। मैं जहांगीरीलाल के यहां गया और उसे भगवतीचरण की मृत्यु का सारा हाल सुना दिया।

**17 फरवरी, 1931 :** आज जब लाहौर षड्यंत्र केस का मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो अभियुक्तों की ओर से वकील-सफाई ने एक प्रार्थना-पत्र, इस आशय का दिया, कि चूंकि सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु तथा श्री सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक है, इस कारण से इन तीनों नवयुवकों की फांसी रोक दी जाए।

प्रार्थना-पत्र इस प्रकार था :

अभियुक्तों की ओर से 16 फरवरी को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया गया था, कि गत लाहौर षड्यंत्र-केस के तीन अभियुक्त सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु तथा श्री सुखदेव, जिनको फांसी-दंड दिया जा चुका है, इस मामले में आवश्यक गवाह-सफाई हैं, अतएव उनकी फांसी को रोकने का प्रयत्न किया जाए, ताकि उनकी गवाही इस मामले में हो सके।

अदालत ने उस प्रार्थना-पत्र पर विचार करके वकील-सफाई से यह पूछा था, कि किन-किन विषयों पर इन व्यक्तियों की गवाही आवश्यक है ? उसी आज्ञानुसार, हम यह बताना चाहते हैं, कि सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु तथा श्री सुखदेव की गवाही निम्नलिखित विषयों पर आवश्यक है :

(1) सरकारी गवाहों ने जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा आर्मी का इतिहास, संगठन तथा प्रणाली बताई है, उसे झूठ सिद्ध करने के लिए;

(2) सरकार के इस कथन को झूठ सिद्ध करने के लिए, कि नए षड्यंत्रकेस के अभियुक्तों ने उस दल से मिलकर सरकारी अफसरों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा;

(3) उक्त दल द्वारा पंजाब में जो कार्य किए गए बताए जाते हैं, उनको झूठ सिद्ध करने के लिए;

(4) इकबाली गवाह—इन्द्रपाल के उस कथन को झूठ सिद्ध करने के लिए, जिसमें उसने यह बताया है, कि नौजवान भारत-सभा क्यों बनाई गई;

(5) यह पता लगाने के लिए, कि जिन अभियुक्तों को फरार बताया जाता है, वह सचमुच ही फरार हैं, अथवा उनका अस्तित्व कपोल-कल्पित है;

(6) यह पता लगाने के लिए, कि अभियुक्तों के जो उपनाम बताए जाते हैं, वह ठीक हैं या झूठ और सरकारी गवाहों के बयानों में कोई सच्चाई भी है, कि नहीं;

(7) यह पता लगाने के लिए, कि विप्लव दल के दो भागों में बंट जाने की कहानी, जो इन्द्रपाल ने बयान की है, वह सत्य है या झूठ;

(8) इन्द्रपाल के उस कथन की वास्तविकता की जांच करने के लिए, जिसमें उसने बताया है, कि विप्लव-दल के नियम सन् 1929 में बदले गए थे;

(9) यह पता लगाने के लिए, कि क्या कोई संबंध इस केस के अभियुक्तों तथा पिछले षड्यंत्र-केस के अभियुक्तों में रहा है;

(10) यह पता लगाने के लिए, कि कभी सरदार भगत सिंह की भेंट इन्द्रपाल इकबाली गवाह से हुई थी;

(11) यह पता लगाने के लिए, कि क्या कभी सरदार भगत सिंह काकोरी के शहीदों की फोटो के नीचे, इन्द्रपाल इकबाली गवाह से कविता लिखवाने के लिए गए थे;

(12) यह पूछने के लिए, कि क्या श्री सुखदेव वास्तव में पंजाब के संचालक थे;

(13) यह पता लगाने के लिए, कि सरदार भगत सिंह तथा श्री बी. के. दत्त को छुड़ाने का जो प्रयत्न किया गया था, क्या वह सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों की सलाह से किया गया था;

(14) यह पता लगाने के लिए, कि क्या सचमुच ही श्री सुखदेव और यशपाल

ने इकबाली गवाह के पास वह सूटकेस रखा था, जिसमें कि बम पड़े हुए थे;

(15) यह पता लगाने के लिए, कि वाइसराय की स्पेशल ट्रेन पर जो बम फेंका गया था, क्या वह वास्तव में श्री भगत सिंह की सलाह से फेंका गया था ?

इसके सिवाय और भी कई ऐसे विषय पर सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु तथा श्री सुखदेव की गवाही की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि अभी तक पहले इकबाली गवाह इन्द्रपाल का ही बयान समाप्त नहीं हुआ, इस कारण यह बताना संभव नहीं है, कि किस-किस विषय पर उनकी गवाही की और आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रार्थना-पत्र इस समय इस कारण से दिया गया है, क्योंकि यह पता चला है, कि तीनों गवाहों—सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु तथा श्री सुखदेव को, शीघ्र ही फांसी लगने वाली है। सफाई के लिए इनमें से प्रत्येक की गवाही आवश्यक है। यदि अभियुक्तों के इस प्रार्थना-पत्र पर ध्यान न दिया गया, तो अभियुक्त अपनी सफाई ठीक प्रकार से न दे सकेंगे।

लाला श्यामलाल वकील-सफाई ने कहा कि अदालत को इस बात का निश्चय करना होगा, कि क्या श्री भगत सिंह, श्री राजगुरु तथा श्री सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक है। फांसी रोकने का अधिकार केवल प्रांतीय सरकार को है। इस कारण अदालत कृपया इस प्रार्थना-पत्र को अपने अनुमोदन सहित प्रांतीय सरकार को भेज दे।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया, कि यदि सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की गवाही आवश्यक है, तो वह गवाही शीघ्र ही फांसी लगने से पूर्व ले लेनी चाहिए।

वकील-सफाई—जब तक वादी अपना केस समाप्त नहीं कर लेता, गवाह-सफाई पेश करना कानून-विरुद्ध है।

## अदालत का फैसला

अदालत ने फैसला किया, कि यह प्रार्थना-पत्र प्रांतीय सरकार के पास भेज दिया जाए, क्योंकि अदालत को फांसी रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

## इकबाली गवाह का बयान

इसके पश्चात इन्द्रपाल इकबाली गवाह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कि मैं और जहांगीरीलाल ग्वालमंडी के मकान पर जाकर बम फिट कर आए। मनोहर उसी मकान पर रहा, परंतु हम वापस लौट आए। दूसरे दिन सबेरे बम फटने की योजना की गई थी। मुझे पता नहीं, कि बम फोड़ने के लिए मोमबत्ती किसने जलाई थी।

18 फरवरी इकबाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि 18 जून की रात को ग्वालमंडी वाले मकान में बम फिट किए गए थे। श्री मनोहरलाल ने अपनी जेब से पांच घोषणाएं, जिनका शीर्षक था 'आतशी-चक्कर मैदाने-कारेजार में' निकालकर बम के नीचे रख दिए। सबेरे हम बैठक पर लौटे। वहां पर दल के दूसरे सभासद भी उपस्थित थे। साढ़े सात बजे मैं और श्री गुलाब सिंह ग्वालमंडी वाले मकान की ओर गए। उस समय मकान में से धुआं निकल रहा था, और लोग तरह-तरह की गप्पें हांक रहे थे। कोई कहता था--'बम फट गया।' कोई कहता था—'गोली चल गई।' मैंने समझ लिया, कि छोटे बम ने, जो पुलिस को बुलाने के लिए रखा गया था, अपना काम किया है। उस समय तक वहां कोई भी गया, तो पुलिस नहीं थी। आधे घंटे के पश्चात मैं फिर वहां गया, तो पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। मैं सीधा मकान पर न जाकर, एक हलवाई की दूकान पर गया, और वहां से दही की छाछ बनवाकर पीने लगा। हलवाई की दूकान पर बैठकर मैं दूसरे बम के चलने की प्रतीक्षा कर रहा था।

कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात मैं अपने काम पर 'शेर खालसा' के दफ्तर में चला गया। संध्या के समय मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि अमृतसर, लाहौर, लायलपूर, गुजरांवाला, शेखूपुरा तथा रावलपिंडी में एक ही समय बम चल गए हैं। मैंने यह भी पढ़ा, कि कुछ पुलिस वाले बम चलने से घायल भी हुए हैं।

## टके सेर बम

19 जून को जब मैं बैठक पर गया, तो वहां पर दल के दूसरे सदस्य भी उपस्थित थे। श्री रूपचन्द ने कहा कि अब तो टके सेर बम बिकने लगे हैं। एक ही साथ छह शहरों में बम फट गए हैं।

प्रश्न—समाचार-पत्रों ने दल के इस कार्य को किस दृष्टि से देखा था ?

उत्तर—'मिलाप' ने एक अग्रलेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'देशघातक' जिसमें हम लोगों को बुरा-भला कहा गया था।

22 जून को श्री हंसराज मेरे पास आया और उसने मुझे 'मिलाप' के अग्रलेख का उत्तर लिखने को कहा। मैंने एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था 'आतशी-चक्कर, मैदाने-कारेजार में' मैंने वह लेख श्री हंसराज को दिखाया और उसने उसे बहुत पसंद किया।

25 जून को श्री हंसराज उसी लेख की बहुत-सी कापियां छपवाकर ले आया। यह घोषणाएं हम लोगों ने शहर में चिपका दीं।

एक दिन श्री रूपचन्द ने मुझसे पूछा कि जिन-जिन स्थानों पर बम फटे हैं, वहां पर घोषणाएं भी पाई गई हैं। क्या यह कार्य किसी दल की ओर से किया गया

है ? मैंने उसे बताया कि यह काम 'आतिशी-चक्कर' नामी दल की ओर से किया गया है और मैं उस दल के प्रेस-ब्रांच में काम करता हूं।

## श्री भगवतीचरण का स्मृति-चिह्न

एक दिन मैं और हंसराज रावी के किनारे उस स्थान पर गए, जहां पर श्री भगवतीचरण जी का देहांत हुआ था। श्री हंसराज ने मुझसे कहा था, कि वह वहां श्री भगवतीचरण की आत्मा को बुलाएगा। परंतु उसे सफलता न मिली। हमने वहां पर हड्डियों का एक ढेर देखकर यह सोचा, कि ये हड्डियां श्री भगवतीचरण की हैं। उस ढेर में से मैंने एक जबड़ा उठा लिया। वहां एक गड्ढा था, जिसमें कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे। मैंने यह सोचा, कि यह कपड़े भी श्री भगवतीचरण के होंगे। मैंने जबड़ा कपड़े में लपेटकर अपने संदूक में स्मृति-चिह्न स्वरूप रख लिया।

एक दिन मैं और श्री हसंराज रावी के किनारे बम की परीक्षा करने के लिए गए। रास्ते में हमको सरदार गुलाब सिंह मिल गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया—चूंकि अब 12 बज चुके हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।

जज—बारह बजने से तुम्हारा क्या मतलब है ?

गवाह—साधारण तौर पर सिखों को बारह बजे के नाम से छेड़ा जाता है। क्योंकि यह बात बहुत प्रसिद्ध है, कि 12 बजे के पश्चात गर्मी के मारे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह मैंने उससे मजाक किया था।

इस मजाक पर सरदार गुलाब सिंह मेरे साथ हाथा-पाई करने लगा, तो मैंने उसे बता दिया कि मेरे पास बम है, और यदि छेड़खानी की तो दोनों मर जाएंगे। सरदार गुलाब सिंह भी मेरे साथ हो लिया। हम तीनों साइकिलों पर चढ़कर दरिया-रावी की ओर चल दिए।

**22 फरवरी :** मुखबिर ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि जुलाई के आरंभ में हम दरिया के किनारे पर बम की परीक्षा करने गए। वहां पर हमने एक उपयुक्त स्थान ढूंढ़कर बम फेंका, जो गिरते ही फट गया। फिर हम वापस लौट आए।

कुछ दिनों के पश्चात हंसराज ने मुझे बताया कि दल ने उसे गैस तैयार करने के लिए कहा है, ताकि उसके द्वारा सरदार भगत सिंह को छुड़ाया जाए।

मैंने हंसराज के कहने पर दल के वैज्ञानिक यंत्र उसे दे दिए। वह सामान मेरे मकान पर पड़ा हुआ था। कुछ दिन पश्चात हंसराज ने मुझे बताया, कि जब वह गैस बनाने की तैयारी कर रहा था, तो अकस्मात धड़ाका हो गया। इसलिए गैस तैयार नहीं हो सकी।

## सूटकेस में बम फटा

25 जुलाई को सरदार अमरीक सिंह मेरे पास घबराया हुआ आया। 11 बजे का समय था, सरदार के शरीर पर कुछ घाव भी लगे हुए थे, और वह बहुत परेशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि हंसराज ने उसे एक सूटकेस देकर बादामी बाग भेजा था, परंतु सूटकेस में रास्ते में ही धड़ाका हुआ और बहुत-सा धुआं बाजार में फैल गया। इस पर वह लोगों की आंख बचाकर भाग आया। सूटकेस को वहीं पर छोड़ आया था। उसने मुझसे कहा कि हंसराज ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मुझे पहले नहीं बताया था, कि इस सूटकेस में बम रखा है।

अगस्त के दूसरे सप्ताह में हंसराज ने मुझे बताया कि सुखदेवराज लाहौर आया है और वह मुझसे मिलना चाहता है। चूंकि दल को यह पता चला है, कि मुझे पुलिस ढूंढ़ रही है, इस कारण से सुखदेवराज इसका पता लगाने आया है। हंसराज ने यह भी कहा कि दल ने 16,000 रु. खर्च करके मुझे विलायत भेजने का निश्चय किया है, ताकि मैं वहां जाकर विज्ञान का अध्ययन करूं।

इन्हीं दिनों यशपाल मेरे पास आया। यशपाल ने मुझे बताया कि वह दल को छोड़कर भाग आया है। पूछने पर यशपाल ने मुझे बताया कि क्योंकि उसने विवाह कर लिया है, इस कारण दलवाले उससे नाराज हो गए हैं। यशपाल को चन्द्रशेखर आजाद ने बुलाया था, परंतु चूंकि यशपाल को पता लग चुका था कि दलवालों ने उसे दल के नियम भंग करने के अपराध में प्राणदंड दिया है, इसलिए वह आजाद के पास न जाकर लाहौर भाग गया था।

यशपाल ने मुझे कहा, कि तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूं। मैंने उसे बताया कि सुखदेवराज तुम्हारे विरुद्ध प्रचार कर रहा है। इस पर यशपाल ने मनोहर और हंसराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैंने दोनों को उससे मिला दिया।

दूसरे दिन यशपाल ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वह मुझे साथ लेकर जैशीराम ग्राउंड में गया। वहां पर श्री धन्वन्तरि और श्री शव हमको मिले। श्री धन्वन्तरि ने मुझसे पूछा कि क्या सचमुच सुखदेवराज यशपाल के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। मैंने कहा, हां। उन्होंने मुझे कहा कि तुम दल की सेंट्रल कमिटी के सामने यह बात कहने को तैयार हो। जब सेंट्रल कमिटी का अधिवेशन होगा तो तुमको बताया जाएगा।

दूसरे दिन यशपाल मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि तुम दल का साथ दोगे या मेरा। पूछने पर यशपाल ने मुझे बताया कि दल के सदस्यों का विचार है, कि श्री भगवतीचरण की मैंने हत्या की थी। इसलिए मुझे गोली से उड़ा देने का फैसला किया गया है। उसने मुझसे सहायता की प्रार्थना की। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।

**26 फरवरी 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल की अदालत में, मुखबिर इन्द्रपाल का बयान समाप्त हो गया।

मुखबिर ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देते हुए नीचे लिखे स्थानों की शिनाख्त की :

(1) वह दूकान, जहां से उसने यशपाल के लिए चीजें खरीदी थीं। (2) श्रीमती दुर्गादेवी (श्रीमती भगवतीचरण) का घर। (3) यूनिवर्सिटी ग्राउंड का वह स्थान, जहां यशपाल ने मुखबिर को रिवाल्वर से मारना चाहा था, क्योंकि मुखबिर ने क्रांतिकारी दल के नियमों का उल्लंघन किया था। (4) वह स्थान, जहां मुखबिर और हंसराज ने, बम फेंकने की परीक्षा की थी। (5) वह स्थान, जहां दल के सदस्य, भगत सिंह और अन्य अभियुक्तों की लारी आने की प्रतीक्षा में, बैठकर ताश खेले थे। (6) वह स्थान, जहां चन्द्रशेखर आजाद और यशपाल उस दिन ठहरे थे। (7) सुतर मंडी में नन्दलाल का मकान। (8) फरार प्रेमनाथ का मकान। (9) वह स्थान, जहां यशपाल की बहन रहती थी। (10) ग्वालमंडी में वह घर, जहां 19 जून, 1930 को बम फटा था।

मुखबिर ने अन्य स्थानों की भी शिनाख्त की। उसने उन स्थानों की भी शिनाख्त की, जहां पुलिस ने झूठी गवाहियां दी थीं। उसके बाद उसने कहा कि उसने शाहदरा, रावलपिंडी, लायलपूर और दिल्ली के भी अनेक स्थानों की शिनाख्त की है।

वह चौकीदार, जिसे यशपाल ने दो आने पैसे दिए थे, गवाह को नहीं पहचान सका। पुलिस ने चौकीदार से मुखबिर को शिनाख्त करने के लिए कहा, और यह भी कहा, यही षड्यंत्र-केस में भी गवाह था।

जहांगीरीलाल, जयप्रकाश, कुन्दनलाल, धरमपाल, अमीरचन्द, गुलाब सिंह, अमरीक सिंह, रूपचंद दयानतराम, भीमसेन, हरिराम, महाराजकिशन और अभियुक्त बंसीलाल को गवाह जानता था। पुलिस ने उससे धर्मवीर की शिनाख्त करवाई। उसने धर्मवीर को लाहौर फोर्ट में देखा था।

गवाह ने लाहौर के कई स्थानों को क्षमा किए जाने के पहले ही शिनाख्त किया था। अन्य स्थानों को क्षमा के बाद उसने शिनाख्त किया।

पब्लिक प्रासीक्यूटर रायबहादुर ज्वालाप्रसाद ने कहा कि गवाह ने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, उससे इस बयान में अंतर है।

लाला श्यामलाल ने कहा कि गवाह विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने सारी कहानी कह दी है। मैजिस्ट्रेट के सामने जिस समय उसने बयान दिया था, उस समय वह पुलिस के दबाव में था। इस समय वह उस दबाव से स्वतंत्र है।

**29 फरवरी, 1931 :** आज लाहौर के नए षड्यंत्र का मामला फिर शुरू हुआ। आज मुखबिर इन्द्रपाल से प्रतिवादी दल के वकील ने जिरह किया।

## गिरफ्तारी की कहानी

लाला श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर इन्द्रपाल ने कहा, वह पुरानी अनारकली में अपने मकान पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के उच्च-कर्मचारी वहां मौजूद थे। गवाह को हथकड़ी दे दी गई, और उसे मोटर में बैठाकर लाहौर फोर्ट में लाया गया। दूसरे दिन से पुलिस, उसे फुसलाकर उसका बयान लेने लगी। 28 अगस्त को मुखबिर को हथकड़ियां पहना दी गईं, और वह अपनी कोठरी से, डी. एस. पी. सैयद अहमदशाह के सामने लाया गया, जिन्होंने उससे 19 जून के बम के धड़ाके के संबंध में पूछा, किंतु गवाह ने उनसे कुछ नहीं कहा।

## यातनाओं का आरंभ

इसके बाद गवाह ने कहा कि उसे एक हेड-कांस्टेबिल ने गालियां दीं, और तब से उसे यातनाएं दी जाने लगीं। डी. एस. पी. के सामने ही वह पीटा गया और अनेक प्रकार के कष्ट उसे दिए गए। अंत में उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं, और उसका हाथ चारपाई से बांध दिया गया। उसे रात भर सोने नहीं दिया गया और अपने किसी संबंधी से भी उसे नहीं मिलने दिया गया। गवाह को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, और वहीं उसे अपने नित्य-कर्म भी करने पड़ते थे। उसे जरा भी हिलने-डुलने नहीं दिया जाता था। गवाह को बुखार हो आया। उसके साथ ऐसा व्यवहार 5वीं-6ठी तारीख तक रहा। इसी समय गवाह ने सैयद अहमदशाह से कहा कि यदि उसे माफ कर दिया जाए तो वह इकबाली गवाह बन जाएगा।

गवाह ने कहा कि यदि थोड़ा और कष्ट उसे दिया गया होता तो उसकी मृत्यु हो गई होती। सैयद अहमदशाह ने गवाह से कहा था कि गुलाब सिंह मुखबिर हो गया है, और उसने यह कहा है, कि उसकी (गवाह की) स्त्री और बहन भी षड्यंत्र में शामिल हैं, और वे बम बनाने में निपुण हैं। सैयद अहमदशाह ने कहा कि यदि गुलाब सिंह ने अपना बयान दिया तो गवाह की स्त्री और बहन को जेल जाना पड़ेगा। अपनी स्त्री और बहन को इस बेइज्जती से बचाने के लिए गवाह ने मुखबिर बनना स्वीकार किया।

पुलिस ने गवाह से कहा, कि उसका बयान शुद्ध नहीं है, और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के एक हफ्ता पहले, गवाह को एक लिखा बयान याद करने के लिए दिया गया। गवाह ने उसे अक्षरशः याद कर लिया, और वही बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दिया। जब कभी वह कुछ भूल जाता था, तो मलिक बरखुरदार अली उसे याद दिला देता था। बयान देते समय दो पुलिस के कर्मचारी गवाह के साथ रहते थे।

**6 मार्च, 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने लाहौर के नवीन

षड्यंत्र-केस की पेशी हुई। अभियुक्तों के अन्यतम-वकील लाला रामलाल के प्रश्न के उत्तर में इकबाली गवाह ने कहा, कि मुझे डी. एस. पी. सैयद अहमदशाह मोटे-मोटे सवालों का जवाब बता दिया करते हैं।

वकील—वह कौन से मोटे-मोटे सवाल हैं, जिनका जवाब आपको बताया जाता था ? और आप क्यों इकबाली गवाह बने ?

गवाह—क्योंकि पार्टी के सभी मेंबरों ने सारी गुप्त बातें प्रकट कर दी थीं; इसलिए मैंने भी भेद खोल दिया और इसीलिए, मैं इकबाली गवाह बना लिया गया। दूसरा सवाल जो मुझे पुलिस अफसर ने पढ़ाया था, वह यह था कि अभियुक्तों से दोस्ती और हमदर्दी जाहिर करना, किसी से दुश्मनी न जाहिर करना।

वकील—बयान देने से पहले किसी व्यक्ति को आपने शिनाख्त किया था ?

गवाह—नहीं ।

वकील—आपको पुलिस ने किसी प्रकार की धमकी दी ?

गवाह—मुझे अपना बयान पुलिस के सामने देने के बाद कहा गया, कि अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो और अगर तुम बयान न देते तो तुम्हारे भाई, बहनों और स्त्री को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें भी मुकदमे में शामिल कर लिया जाता।

वकील—तुम्हें इससे किसी प्रकार का डर पैदा हुआ ?

गवाह—मुझे डर था कि मेरा भाई दीनानाथ अभियुक्त बना लिया जाएगा। परंतु मुझे दूसरे रिश्तेदारों के लिए कोई डर न था; क्योंकि वे तो मेरा काम करते ही न थे।

वकील—आपने बयान किसलिए दिया ?

गवाह—मैंने बयान इसलिए दिया था, कि मुझे माफी देने का वचन दिया गया था। दूसरी वजह यह थी, कि मैं समझता था कि अगर मैं बयान दे दूं तो मैं भी बच जाऊंगा और मेरे रिश्तेदार भी गिरफ्तार न होंगे।

वकील—गिरफ्तारी के बाद आपका कौन-सा रिश्तेदार शाही किले में मिला ?

गवाह—मेरी स्त्री 15 सितंबर को मुझसे शाही किले में मिली थी।

वकील—आपको किस समय मालूम हो गया, कि आपका कोई रिश्तेदार गिरफ्तार नहीं हुआ है ?

गवाह—मुझे बयान देने से पहले पता लग गया था।

वकील—तुम्हारी इच्छा स्त्री से मिलने की थी या वही तुमसे मिली ?

गवाह—वह मुझसे खुद ही मिली।

वकील—दीनानाथ शाही किले में आपसे कब मिला था ?

गवाह—सितंबर के अंत में उसने मुझसे बतलाया कि वह मुलाकात से एक दिन पहले लाहौर आया है।

वकील—आपने दीनानाथ को बाहर क्यों भेज दिया था ?

गवाह—हंसराज ने मुझे बतलाया था, कि हमारी गिरफ्तारी की संभावना है, इसलिए मैंने दीनानाथ को गांव भेज दिया, क्योंकि मुझे डर था, कि वह भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वकील—आपने अपनी स्त्री से, जब वह किले में मिली थी, क्या कहा था ?

गवाह—मैंने उससे कहा था कि अब दीनानाथ की गिरफ्तारी का खटका नहीं है, इसलिए वह वापस आ जाए क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन यहां आने में कष्ट होगा और वह बराबर आकर मुझसे मिल सकता है।

वकील—इसके सिवा आपने स्त्री से और क्या कहा था ?

गवाह—मैंने उसको बतलाया था कि मैं इकबाली गवाह बन गया हूं।

वकील—15 सितंबर से पहले आपने कौन-सी जगह की पहचान की थी ?

गवाह—जहां तक मुझे याद है, मैंने उस वक्त तक भगवतीचरण की मौत की जगह की पहचान की थी।

वकील—आपने लाहौर के दूसरे स्थानों की कब पहचान की ?

गवाह—माफी का वचन मिलने के बाद।

वकील—आपने कितनी बार पहचान की ?

गवाह—केवल एक बार मैजिस्ट्रेट के सामने।

वकील—रावलपिंडी में भी आपने कई स्थानों की पहचान की थी ?

गवाह—हां।

वकील—कौन-कौन यहां से गए थे ?

गवाह—मि. महमूद, मैजिस्ट्रेट, खां साहब अताउल्लाह इंस्पेक्टर, मलिक बरखुरदार, सब-इंस्पेक्टर, मियां मोहम्मद, हेड-कांस्टेबिल, मेरे साथ लायलपूर गए थे।

वकील—आप लोग किस तारीख को रावलपिंडी गए थे ?

गवाह—याद नहीं। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद।

वकील—क्या आप खैरातीराम की कार पर बैठकर लायलपूर गए थे ?

गवाह—नहीं।

वकील—फिर किसकी मोटर-कार में गए थे ?

गवाह—मि. चमनलाल की कार में जो मि. महमूद के दोस्त थे क्योंकि सी. आई. डी. की मोटर खराब थी।

वकील—वह जगह जहां पर आपने खाना खाया था, उस दूकान को ढूंढ़ने के लिए पैदल गए थे, या मोटर पर ?

गवाह—मैं पैदल गया था। जब वह दूकान न मिली तो पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे एक सिख की दूकान शिनाख्त करवा ली।

वकील—उस वक्त पुलिसवालों ने उससे क्या सवाल किया और उसने क्या

जवाब दिया ?

गवाह—पुलिसवालों ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि जिस वक्त की आप बातें करते हैं, उस वक्त मेरी दूकान वहां न थी।

वकील—उस सिख दूकानदार ने या आपने उस दूकानदार की शिनाख्त की ?

गवाह—न उसने मुझे शिनाख्त किया और न मुझसे उसकी शिनाख्त कराई गई।

वकील—आपने कितने कारखाने पुलिस को दिखलाए ?

गवाह—एक मैंने अपनी जानकारी से और दूसरा पुलिस के कहने पर दिखाया।

वकील—आप शेखूपुरा कब गए और किस कार में गए और कौन-सा मैजिस्ट्रेट आपके साथ था ?

गवाह—मैं शेखूपुरा मैजिस्ट्रेट के दौरे के समय गया और मिस्टर महमूद के साथ गया।

वकील—वहां पर कौन था ?

गवाह—उस मकान में, जिसमें बम का चलना बयान किया गया है, एक बुढ़िया थी।

वकील—उसने आपकी शिनाख्त कब की ?

गवाह—25 दिसंबर को, लेकिन उसने पुलिस के कहने पर शिनाख्त की।

वकील—पहले खैरातीराम सरकारी गवाह बने या तुम ?

गवाह—खैरातीराम।

वकील—आपने मुकदमे के दौरान में शाही किले में किस मुल्जिम को देखा ?

गवाह—मैंने जयप्रकाश और भीमसेन को दो-तीन दफे देखा—उनको इस वक्त हथकड़ियां लगी हुई थीं और वे चारपाइयों से बंधे हुए थे। इस समय मैं भी हथकड़ियों से जकड़ा और चारपाई से बंधा हुआ था।

वकील—किले में कितनी हवालातें हैं ?

गवाह—दस-बारह !

वकील—क्या आपका भाई आपसे कभी-कभी मिलता था ?

गवाह—हां।

वकील—आपके भाई का बयान किस तरह लिया गया और किस अफसर ने लिया ?

गवाह—सैयद अहमदशाह डी. एस. पी., सी. आई. डी. ने मेरे बयान से कुछ ऐसा बयान निकाल लिया था, जो मेरे बयान की ताईद करता था—और वह कानूनी पकड़ में नहीं आ सकता था। उन्होंने ही मुझसे कहा कि मेरा भाई दीनानाथ कानूनी पकड़ में न आएगा। मुझसे कहा गया कि मैं उससे अदालत में वह बयान देने को कह दूं, जो सैयद अहमदशाह ने लिखा था।

वकील–आपसे सैयद अहमदशाह डी. एस. पी. ने क्या कहा था ?

गवाह–मुझसे कहा था, कि सरदार गुलाब सिंह को सरकारी गवाह मुआफी के वादे पर बना लिया जाएगा और वह मेरे बयान की पूरी तरह ताईद करेगा।

वकील–क्या आपको मैजिस्ट्रेट के मकान पर रोजाना ले जाया जाता था ?

गवाह–खां साहब मिस्टर अताउल्ला, मलिक बरखुरदार अली, मियां मुहम्मद, हेड-कांस्टेबिल रोजाना मुझे मैजिस्ट्रेट के बंगले पर ले जाते थे।

वकील–क्या पुलिस अफसर आपका बयान साथ ले जाते थे ?

गवाह–हां।

वकील–आप अपना बयान खुद ही देते थे या मैजिस्ट्रेट के सवालों का जवाब ?

गवाह–मैजिस्ट्रेट ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया।

वकील–मलिक बरखुरदार और तुम कहां बैठे रहते थे ?

गवाह–एक कोच पर।

वकील–क्या मलिक बरखुरदार आपका पुलिस वाला बयान हाथ में रखते थे ?

गवाह–हां।

वकील–आपको कभी मलिक साहब ने मैजिस्ट्रेट के पास अकेले छोड़ा ?

गवाह–एक मिनिट के लिए भी मुझे मैजिस्ट्रेट के पास अकेला नहीं छोड़ा गया।

वकील–क्या जो बयान आप मैजिस्ट्रेट के रूबरू देते थे वह पुलिस अफसर किला शाही में ले जाते थे ?

गवाह–हां, दूसरे दिन आखिरी सफा ले आते थे जिसके आगे मेरा बयान शुरू कर दिया जाता था। जब मैजिस्ट्रेट साहब लंच के लिए जाते थे तो मैं मलिक बरखुरदार अली से मोटी-मोटी बातें पूछ लिया करता था। मुझे मेरा बयान पढ़कर नहीं सुनाया गया। लेकिन आखिर में मैजिस्ट्रेट साहब ने लिख लिया था कि "पढ़कर सुनाया गया। दुरुस्त तसलीम किया गया।" इस रोज 8 तारीख थी। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे 10 नवंबर लिखवा लिया। मेरे दिल में विचार आया कि मैं कोर्ट में जाकर इन मैजिस्ट्रेट की चालाकी बयान कर दूं।

वकील–आपने उस वक्त मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं कहा, कि आज 8 तारीख है और मुझसे 10 नवंबर लिखवा रहे हो।

गवाह–अगर मैं ऐसा करता तो मेरे कान अच्छी तरह खींचे जाते और पुलिस मुझे मारती। यहां पर मौका है; इसलिए मैं साफ बयान कर रहा हूं।

अपना बयान खतम करने के बाद मुझे न मैजिस्ट्रेट के आगे ले जाया गया और न बयान पढ़कर सुनाया गया।

वकील–बयान देने के बाद आपके बयान में कोई तब्दीली शाही किला में

हुई ?

गवाह—मेरे बयान में बहुत-कुछ तब्दीलियां की गईं जिसमें से एक मुझे याद है। मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान से एक सफा उड़ा लिया गया और उसकी जगह दूसरा लिखकर रख दिया गया था।

इसके बाद अदालत लंच के लिए बरखास्त हुई।

## जलपान के उपरांत जिरह फिर प्रारंभ हुई

गवाह—पहले मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, कि 16 दिसंबर को काकोरी-दिवस मनाया गया। इस जलसे के सभापति पं. हृदयनारायण थे। भगवतीचरण ने व्याख्यान देते हुए 1857 के 'गदर' शब्द का इस्तेमाल किया। सभापति ने कहा कि गदर की जगह 'जंगे आजादी' इस्तेमाल किया जाए। मैंने यह भी बतलाया था कि मिस्टर भगवतीचरण ने मैजिक लैंटर्न से तस्वीरें दिखलाई थीं और तस्वीरों के हालात भी सुनाए थे।

इसके बाद जब यह बयान पुलिस के हाथ आया तो पुलिस ने अपना कागज निकालकर देखा कि इस जलसा के सभापति मिस्टर एम. ए. मजीद थे और तस्वीरें मि. केदारनाथ सहगल ने दिखाई थीं। इसलिए पुलिस ने इसके बारे में आपस में सलाह की। बयान तब्दील करने के लिए मेरे सामने खां साहब सैयद अहमदशाह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, खां साहब शेख नियाज डी. एस. पी., खां साहब मिर्जा अताउल्ला इंस्पेक्टर और मलिक बरखुरदार अली ने सलाह की। इसके बाद उन्होंने एक पृष्ठ मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की फाइल से निकाला। दूसरे दिन पुलिस अफसर एक पृष्ठ मेरे बयान का ठीक करके मेरे पास लाया। यह मैजिस्ट्रेट के हाथ का लिखा हुआ दिखलाई देता था। जो पृष्ठ मेरे बयान से निकाला गया वह जला दिया गया और जो पृष्ठ दुरुस्त करके लाया गया था वह बयान में शामिल कर दिया गया। इसकी ताईद मेरे बयान से होती है, क्योंकि मैंने अपने बयान में तारीखवार सब बातें बतला दी हैं। दिसंबर के माह में 18 अप्रैल का बयान है।

जिस जलसे का मैंने ऊपर जिक्र किया है, यह असल में 'काकोरी-दिवस' का जलसा नहीं था, बल्कि लाहौर में एक जलसा अप्रैल में हुआ था। इसका विवरण मैंने गलती से 'काकोरी-डे' के जलसे के जिक्र में कर दिया और क्योंकि इससे पहले मैंने यह बयान भी दिया था, कि मैंने भगवतीचरण को लाहौर के जलसों में व्याख्यान देते देखा था, इसलिए पुलिस के अफसरों ने यह फैसला किया कि मेरे बयान में काकोरी-डे के विवरण का जिक्र अप्रैल वाले जलसे में कर दिया जाए और काकोरी-डे के विवरण को बढ़ा दिया जाए इसलिए दूसरे वर्क में जो पुलिस दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट से लिखाकर लाई, पुलिस की इच्छानुसार परिवर्तन थे।

प्रश्न—इस बयान में जो परिवर्तन किए गए हैं उसे जरा फाइल में दिखला दो, जिसको बाद में पुलिस ने दुरुस्त करके लिखा था। गवाह ने वह बयान दिखला दिया जो पृष्ठ 5 पर था। फिर बयान किया कि जब दोनों बयानों को आपस में मिलाया गया तो इसमें से कई शब्द छूटे हुए थे—उन्हें एक कागज पर लिखा गया और बाद में मैजिस्ट्रेट साहब से ठीक करवा दिया गया। मैजिस्ट्रेट के बयान में ये शब्द कोने पर लिखे हुए दिखलाए गए।

वकील—इस बयान में कब तब्दीली हुई थी ?

गवाह—मुझे पूरी तरह याद नहीं कि यह तब्दीली मेरे बयान होने के बीच में ही हुई, या बाद में। मुझे जो बयान याद करने के लिए दिया गया था उसमें मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान को भी और बढ़ाया गया था।

वकील—इस बयान के बढ़ाने को तुम भूल समझते हो या बेईमानी ?

गवाह—पंजाब पुलिस को मैं बेईमान समझता हूं। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि पुलिस ने बेईमानी से ही ऐसा किया। मुझे दिसंबर में मैजिस्ट्रेटी बयान को याद करने के लिए उसकी नकल दी गई थी। बाद को यह कापी ले ली गई और साइक्लोस्टाइल से छपी हुई दी गई। पुलिस ने कई बार मेरी परीक्षा ली, पर मैं हर बार सफल रहा।

दूसरे सरकारी गवाहों के बयान मुझे 10 जनवरी की शाम को दिए गए थे। वे साइक्लोस्टाइल से छपे हुए थे। एक दिन मेरे सामने किसी पुलिस अफसर ने सरनदास गवाह का बयान दिया, जिसमें मैंने पढ़ा कि 7 जून को लाहौर में हंसराज, इन्द्रपाल और गुलाब सिंह मेरी मौजूदगी में बम बनाते थे और रावी नदी के किनारे पर गए थे, लेकिन मेरे बयान में इसके विरुद्ध था इसलिए अफसरों ने आपस में सलाह करके मौजूदगी के पहले 'अदम' लफ्ज बढ़ाना तय किया और जब मुझे साइक्लोस्टाइल से छपी हुई कापी दी गई तब उसमें यह शब्द जोड़ा हुआ था।

सफाई के वकील ने अदालत से यह बयान लेकर देखा तो उसमें 'अदम' शब्द वास्तव में बढ़ा पाया। इसकी ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया और अदालत से प्रार्थना की गई, कि इस बात को नोट कर ले कि यह शब्द स्पष्टतः बाद में बढ़ाया हुआ दिखलाई देता है।

**16 मार्च, 1931 :** श्री श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि पुलिस ने उसे सरकारी गवाहों की एक सूची और अन्य घटनाओं संबंधी तारीख आदि, इसलिए पहले ही दे दी थी, ताकि मुखबिर उसे जबानी याद कर ले ! मुखबिर का कहना था, कि ट्रिब्यूनल के सामने उसका बयान जिन दिनों हो रहा था, उन दिनों में भी पुलिस उसे बराबर अपनी मनचाही बातें कहने के लिए सिखलाती रही।

प्रश्न—साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था ?

पुलिस के इस प्रश्न पर आपत्ति करने पर श्री श्यामलाल ने कहा, कि वे यह बात केवल इसलिए स्पष्ट कराना चाहते हैं, कि साइमन कमीशन के विरोध के संबंध में ही पंजाब में हिंसात्मक क्रांति का सूत्रपात हुआ था, जिसके लिए गवर्नमेंट सर्वथा जिम्मेदार है। इस पर कोर्ट ने इसी प्रश्न को अन्य रूप में रखने की अनुमति दे दी।

प्रश्न—उस समय जनता की मनोभावनाएं क्या थीं ?

उत्तर—इस गोरी-कमीशन के प्रति जनता में बड़ा असंतोष फैल रहा था। (स्वर्गीय) लाला लाजपतराय के पीटे जाने पर यह असंतोष और भी अधिक बढ़ गया था।

**31 मार्च, 1931 :** आज नियमानुसार लाहौर के सेंट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने द्वितीय लाहौर षड्यंत्र वाले मुकदमे की सुनवाई आरंभ हुई। अभियुक्त ठीक दस बजे अदालत के कमरे में लाए गए । उन्होंने आते के साथ ही 'इंकलाब जिंदाबाद' 'भगत सिंह जिंदाबाद' 'श्री सुखदेव जिंदाबाद' और श्री राजगुरु जिंदाबाद' के नारे लगाए। इसके बाद 'लाहौर के अभियुक्त जिंदाबाद' का गगन-भेदी नारा लगा और फिर विप्लव-गान गाया गया। इसके बाद अभियुक्तों के अन्यतम वकील श्री अमोलकराम ने इकबाली गवाह इन्द्रपाल से जिरह आरंभ की। वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा—जब कैलाश और मैं 'बम की फिलासफी' शीर्षक इश्तहार बांटने के लिए रावलपिंडी गए थे तो वहां खाना खाया था। मैंने रावलपिंडी में ज्ञानचन्द्र मेहरा की तलाश करके पुलिस के सामने उस दुकान की पहचान की थी। यह पहचान पुलिस के दबाव से की गई थी। इसी जगह मैंने और सरदार गुलाब सिंह ने खाना खाया था। मैंने ज्ञानचन्द्र का नाम पुलिस को नहीं बतलाया था। दरअसल मैंने और सरदार गुलाब सिंह ने वहां पर कभी खाना नहीं खाया था। पुलिस-अफसर ने मुझे बतलाया था, कि यह पहचान 15 जून के सिलसिले में कराई जा रही है। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सराय की पहचान मैजिस्ट्रेट के सामने की थी तो सराय के मुंशी को बुलाया गया था, मैंने मुंशी की पहचान की थी। वास्तविक बात यह है, कि सराय के मुंशी ने मुझे कभी शिनाख्त नहीं किया। मैं उस मुंशी का नाम नहीं जानता।

इसी अवसर पर अभियुक्त शिवराम ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है; सिर में पीड़ा हो रही है। मुझे जेल में वापस भेज दिया जाए। इसके बाद हरवंशलाल, वंशीलाल और मलिक कुन्दनलाल ने भी कहा कि हमारी तबीयतें खराब हो रही हैं; हमें भी जेल भेज दिया जाए और हमारी गैर-हाजिरी में जो कार्रवाई होगी, वह हमें मंजूर है। इस पर सब अभियुक्त वापस भेज दिए गए।

इसके बाद मुखबिर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा—मैंने शेखूपुरा में भी कई स्थानों की पहचान की थी। ये सभी स्थान पुलिस ने मुझे पहले ही दिखा दिए थे और जबरदस्ती पहचान कराया था। वास्तव में मैं इससे पहले कभी शेखूपुरा

नहीं गया था। गिरफ्तारी के बाद मैंने शाही किले में भीमसेन और जयप्रकाश को चारपाइयों से बंधे हुए देखा और ये कराह रहे थे। मैं उन्हें आसानी से देख सकता था, क्योंकि उन दिनों मुझे भी चारपाई से बांध दिया जाता था। यह कमरा मेरी जगह से 40 गज के फासले पर था।

शाही किले में ही स्पेशल स्टाफ ने हमारे मुकदमे की भी बुनियाद रखी है। लाहौर के शाही किले में 150 के करीब अफसर, सब-इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही रहते हैं। आमतौर से जब मुझसे किसी आदमी की पहचान कराई जाती थी तो उस आदमी को, जिसे मुझे पहचानना होता था, पुलिस कांस्टेबिलों में बुलाया जाता था। पुलिस कांस्टेबिल शाही किले के ही होते थे। कई दफा कुछ पुलिस कांस्टेबिल और दूसरे आदमी भी शामिल किए जाते थे। शाही किले में मेरी हजामत पांचवें-सातवें रोज हो जाती थी।

मि. एम. सलीम (ट्रिब्यूनल के एक जज)—कैसी हजामत ? जूतियों से या उस्तरे से अथवा मार-पीट द्वारा ? (हंसी)

गवाह—कभी जूतियों से और कभी उस्तरे से। (हंसी)

एक बार जब मेरी शिनाख्त-परेड हो रही थी, तो एक लड़का वहां पर मुझे शिनाख्त करने आया। उसने उपस्थित पुलिस अफसरों से पूछा, कि किधर से छठा नंबर है ? एक पुलिस अफसर ने कहा—दाहिनी ओर से। इससे मैंने अनुमान किया, कि पुलिस शिनाख्त से पहले बता देती है। यह वही लड़का था, जिसकी दूकान पर, मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान में फालूदा खाने का जिक्र आता है। बाज शिनाख्त-परेड के समय गवाह को खास निशान बता दिया जाता था, जैसा कि मेरे चेहरे पर एक छोटा-सा निशान है। इस निशान को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह निशान मुझे पुलिस वालों ने दिखाया था ! इस पर मैंने आईने में देखा तो वास्तव में निशान है।

प्रश्न—क्या आप बता सकते हैं, कि चन्दगीलाल ने क्यों शिनाख्त नहीं किया ?

उत्तर—पहले गिरधारीलाल और रामस्वरूप मेरी पहचान नहीं कर सके। इस पर खां साहब सईद अहमद शाह ने नाराज होकर कहा कि अगर इन्होंने सरकारी गवाह होकर भी शिनाख्त नहीं किया तो इनकी जमानतें ली जाएं और इनके स्थान पर दूसरे गवाह बनाए जाएं। इसलिए चन्दगीलाल ने मुझे शिनाख्त नहीं किया। इसके बाद अदालत लंच के लिए उठ गई।

लंच के बाद अभियुक्तों ने अदालत से कहा कि हम थक गए हैं, हमें बैठने के लिए कुर्सियां दी जाएं। इस पर उन्हें कुर्सियां दे दी गईं।

गवाह कहने लगा—मि. महमूद पुलिस की उस्तादियों को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए पुलिस वाले पहचान के समय उन्हीं को लाया करते थे। पुलिस वाले जो कुछ लिखवाना चाहते थे, उनसे लिखवा लेते थे। इसलिए मेरे दिल में ख्याल पैदा

हुआ कि मैजिस्ट्रेट पुलिस के हाथों की कठपुतली थे। जैसे पहले तीन-चार रोज तक मेरा बयान अधूरा-कलमबंद किया जाता था, परंतु इसके बाद मलिक बरखुरदार अली के कहने पर मैजिस्ट्रेट साहब ने पूरा बयान लिखना आरंभ किया। मैजिस्ट्रेट महमूद जान-बूझकर कभी साइनबोर्ड पढ़ने लगते और कभी सिगरेट पीने में लग जाते थे।

मदनलाल इकबाली गवाह कभी मेरे मकान पर नहीं ठहरा। यह वास्तविक बात है, कि मेरे बयान में पुलिस ने बहुत-सी बातें बढ़ा दी हैं। यह ठीक है कि हम वाइसराय की गाड़ी उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि सिर्फ वाइसराय को जख्मी करने का इरादा था। हम वाइसराय की ट्रेन को उड़ा सकते थे। अगर हम चाबी को पुल पर दबा देते तो मुमकिन है वाइसराय की गाड़ी नदी में गिर जाती और उसमें की एक चिड़िया भी न बचती। लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य हत्या करने का नहीं था। वह सिर्फ आतंक जमाना चाहती थी।

**1 अप्रैल, 1931 :** लाहौर के सेंट्रल जेल में उपर्युक्त मुकदमे की पेशी फिर स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने हुई। अभियुक्तों ने नित्य नियमानुसार अदालत के सामने आते ही 'इंकलाब जिंदाबाद' आदि नारे लगाए और "हिन्दियों, अब दिन गए तकरीर के तहरीर के" यह गाना गाया। आज फिर इकबाली गवाही इन्द्रपाल की जिरह आरंभ हुई। गवाह ने कहा—यशपाल के साथ में व्यायामशाला में गतका खेलना और लाठी चलाना सीखने जाया करता था। वहां पर नौ-दस आदमी सीखने आया करते थे जिनमें शांतिस्वरूप और भीमसेन के नाम मुझे याद हैं। वहां पर गतका चलाना यशपाल सिखाया करते थे।

मुझे इस बात का पता नहीं कि यह इंतजाम किसकी ओर से था। लेकिन जहां तक मुझे याद है, यशपाल ने मुझे बताया था कि इसका इंतजाम डा. गोपीचन्द के सुपुर्द है। मैं 'दैनिक भीष्म' में फरवरी 1927 से जनवरी 1929 तक रहा। मेरी मौजूदगी में, लक्ष्मणसिंह आजाद, स्वामी प्रकाशानन्द, पंडित मेलाराम जी वफा, लाला राजनारायण अरमान, लाला करमचन्द और प्रिंसिपल गुलशन राय, 'दैनिक भीष्म' के संपादक रह चुके हैं। मुझसे सरदार भगत सिंह और मि. सुखदेव को शिनाख्त नहीं कराया गया था। सरदार भगत सिंह भी अक्सर मेरे पास कुछ मजमून और शहीदों की तस्वीरों पर शेर लिखवाने के लिए आया करते थे। इन दिनों पंडित रूपचन्द मेरे साथ रहा करते थे।

जब साइमन कमीशन लाहौर में आया तो उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा जुलूस तैयार किया गया था, जो 'साइमन गो बैक', 'साइमन गो बैक' के नारे लगाता था। इस जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपतराय करते थे। इसके सिवा मौलाना जफरअली खां एडीटर और मलिक अखबार 'जमींदार' और श्री सन्तराम भी इस जुलूस के साथ गए थे। मैं तारीख नहीं बता सकता। जब रेलवे स्टशेन पर पुलिस के अफसरों ने लाला जी पर लाठियां बरसाईं तो लाला जी ने कुछ नहीं कहा

और चुपचाप खड़े रहे थे। मेरे सामने पुलिस अफसर ने, जो कि अंग्रेज था, लाला जी पर लाठियां चलाईं। मैं नहीं कह सकता कि उसने लाला जी को क्यों मारा। लाला लाजपतराय के अलावा और भी बहुत लोगों को चोटें आई थीं। मेरे कोई चोट नहीं लगी। मैं उस पुलिस अफसर को नहीं पहचान सकता, जिसने लाठियां चलाई थीं।

मैंने मि. यशपाल से पूछा था, कि यह कौन पुलिस-अफसर है, जिसने लाला जी पर लाठियां चलाई हैं ? उसी रोज एक महती सभा हुई थी। मुझे याद नहीं कि यह बताया गया था या नहीं, कि किस अफसर ने लाला जी पर लाठियां चलाई थीं। यशपाल से मिलने से पहले भी मेरे दिल में पुलिस के प्रति असंतोष था।

यशपाल ने मुझे उस पुलिस अफसर का नाम नहीं बतलाया था, परंतु यह कहा था कि वह सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस था। इसके बाद भी मैंने पुलिस-अफसर के नाम का पता लगाने की कोशिश की थी। यह ठीक है, कि कमीशन के आने के दिन जिस पुलिस अफसर ने लाला जी पर लाठियों की वर्षा की थी, उसकी हत्या के षड्यत्र में मैंने भाग नहीं लिया था।

यशपाल से परिचय होने के पहले मैंने किसी क्रांतिकारी दल का नाम नहीं सुना था। क्रांतिकारी दल के संयोजक से जब किसी का परिचय होता था, तो उससे उनका असली नाम नहीं बतलाया जाता था बल्कि पार्टी का नाम बतलाया जाता था। मुझे याद नहीं कि मैं यशपाल से सांडर्स की हत्या के दिन मिला था या नहीं।

एक रोज यशपाल ने मुझसे पोटेशियम क्लोरेट और एमोनियम कारबोनेट मंगवाए थे। जब मैं ये चीजें खरीद कर ले आया तो ईश्वरदास ने, जो कि डी. ए. वी. कालेज में पढ़ता था और साइंस का विद्यार्थी था, कहा कि ये तो भड़काने वाली चीजें हैं और बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने कहा, मुझसे किसी आदमी ने दवाई बनवाने के लिए ये चीजें मंगवाई हैं।

जब सरदार भगत सिंह और मि. बी. के. दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका, उसके तीन-चार रोज बाद अखबार में मैंने पढ़ा कि सरदार भगत सिंह और मि. बी. के. दत्त गिरफ्तार हो गए हैं। मैंने यशपाल से पूछा कि क्या उनमें से कोई इकबाली गवाह बन गया है तो उन्होंने बतलाया कि उसमें से कोई इकबाली गवाह नहीं बनेगा। बल्कि वह इकबाली बयान देंगे, जिसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, जो कि खराब हो चुकी हैं।

15 अप्रैल को जो बम-फैक्टरी पकड़ी गई थी उसकी पहचान मैंने नहीं की। यशपाल उस दिन लाहौर में ही था, जिस दिन सुखदेव, जयगोपाल और किशोरीलाल गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से जयगोपाल इकबाली गवाह बन गया था। मैं दिल्ली में साधु बनकर तीन महीने रहा। वहां पर मैं भीख मांगकर गुजारा करता था। मुझे याद नहीं कि दिल्ली के किसी आदमी ने मेरी पहचान की थी, जिसने मुझे भीख

दी थी। आमतौर पर औरतें और बच्चे मेरे स्थान पर मुझे भीख दे जाया करते थे।

जिस वक्त, भगवतीचरण मेरे पास आया, उस वक्त चिराग गूजर मेरे पास बैठा हुआ था और यशपाल उसके बाद आया। उस समय रक्खाराम जेलदार मेरे पास मौजूद था। मैंने देवीसहाय गूजर को पुल से गाड़ी ले जाते हुए कई बार देखा था। मुझे यशपाल से हिदायत मिली थी कि मैं पता लगाऊं कि रात के वक्त कौन-कौन पुल पर से जाते-आते हैं।

मुझे याद नहीं कि शिनाख्त-परेड में देवीसहाय ने मुझे शिनाख्त किया था या नहीं। मैंने कोई बमसाजी की किताब नहीं पढ़ी। कई कांस्टेबिल मेरे पास कभी-कभी प्याऊ पर आया करते थे। 27 अक्तूबर को जब वाइसराय की गाड़ी वहां से गुजरी तो मैंने पुलिस वालों को लाइन के पास खड़ा देखा था। जब मैं दोबारा दीवाली के रोज गया तो अपने साथ कुछ मिठाइयां लेता गया था। देवीसहाय चौकीदार ने शाही किले में मेरी पहचान नहीं की थी।

**2 अप्रैल, 1931 :** आज उपुर्यक्त मुकदमे की फिर पेशी हुई और अभियुक्तों के वकील ने इकबाली गवाह इन्द्रपाल की जिरह आरंभ की। गवाह ने बयान दिया—मैंने यशपाल के पास हिंदुस्तानी रिपब्लिकन आर्मी की नियमावली देखी थी, वह अंग्रेजी जबान में थी। जब मैंने मोटरसाइकिल के लिए ट्यूब मोहम्मद याकूब की दूकान से खरीदा था, तो उसका 'कैशमीमो' भी लिया था। वह ट्यूब यशपाल की मोटरसाइकिल के लिए खरीदे गए थे। मैंने यह कैशमीमो मिस्त्री को लौटा दिया था। क्योंकि मुझे उसकी कोई आवश्यकता न थी। इसके बाद मैंने फिर मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए मिस्त्री को दे दी। इसके बाद मोटरसाइकिल को मैंने शाही किले में देखा था। जब मैं लायलपूर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सराय में गया था, तो मैंने असली नाम की जगह अपना नाम रामलाल बताया था। मैंने मुकदमे के दौरान में किसी रजिस्टर पर अपना दस्तखत नहीं देखा। सराय में मेरा कोई जानकार नहीं था। मैंने जहरीली गैस तैयार नहीं की। गिरफ्तारी से पहले मुझे उस आदमी का पता नहीं लगा, जिससे यशपाल मई में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मिला था और जिसको वह विश्वास न करने योग्य ख्याल करता था। गिरफ्तारी के बाद मुझे पता लगा कि वह आदमी नारायन था, जो किसी षड्यंत्र के मामले में अभियुक्त है। जब अमीरचंद अभियुक्त भगत सिंह वगैरह का मुकदमा सुनने आया था तो मैंने उसे अंदर जाने की दरख्वास्त लिख दी थी। वह अपने साथ शीशियां ले गया था; जिनमें अरक और शर्बत थे। मैंने अंग्रेजी किसी स्कूल में नहीं पढ़ी; परंतु अगर दो आदमी आपस में अंग्रेजी बोलते हों तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं और बोल भी सकता हूं। यशपाल मुझे अंग्रेजी में चिट्ठियां लिखा करता था। लेकिन मैं उसे हिंदी में लिखता था। मैंने यशपाल को कई दफे अंग्रेजी में चिट्ठियां लिखते देखा है। इसके अलावा हंसराज, भगवतीचरण, सुखदेव और राजगुरु को भी अंग्रेजी में चिट्ठियां लिखते देखा

था। पं. चन्द्रशेखर आजाद और प्रेम को भी अंग्रेजी में लिखते देखा था। 'जेल-एक्शन' के बारे में कुछ कागजात यशपाल ने मेरी उपस्थिति में ही लिखे थे। उन पर उन आदमियों के और पार्टी के सदस्यों के नाम थे, जिनको अदालत के कमरे में गोली से मार डालने का इरादा था। कागज के दूसरे हिस्से पर जो तैमूर, स्वामी और एस. लिखा है कि इसका मतलब यह है, जब सरदार भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों को 'जेल-एक्शन' करके छुड़ाया जाए तो इनका इन आदमियों के पास ठहरने का इंतजाम किया जाए। इसके लिए यशपाल ने कई दूसरे आदमियों के नाम भी लिखे थे।

इसी समय अभियुक्त सरदार गुलाब सिंह ने अदालत से प्रार्थना की कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है और खून भी आ रहा है, इसलिए मुझे जेल भेज दिया जाए। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार कर ली।

गवाह फिर वकील के प्रश्नों का उत्तर देने लगा—मैंने गुरुदत्त-भवन के नजदीक उस मकान की पहचान की थी, जहां पर मैंने अभियुक्त किशनगोपाल को शादी के दिन ठहरे हुए देखा था। डुप्लीकेटर के दाम मैंने अपनी पाकेट से दिए हैं। 'एक्शन' का काम पार्टी, सेंट्रल पार्टी की आज्ञा से किया करती थी। कोई सरकारी नौकर सेंट्रल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता था। परंतु मेरी जानकारी में अब तक सिर्फ एक सरकारी आदमी रखा गया था। इसका नाम मि. विजयकुमार सिन्हा और पार्टी-नाम बच्चू था। इसको आल इंडिया सोशल रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य, इसलिए बनाया गया था, कि वह सी. आई. डी. की तमाम रिपोर्टें और कार्रवाइयों की नकल पार्टी को दे दिया करे क्योंकि वह सी. आई. डी. का इन्फार्मर (गोइन्दा, भेदिया) था। इसको आजीवन कैद की सजा सरदार भगत सिंह आदि के साथ दी जा चुकी है। वह अखबारों का रिपोर्टर भी था। मैंने ख्वाजा ताजदीन और खां साहब सैयद अहमद शाह को हरीराम पहलवान के बारे में बातें करते सुना था। वे कह रहे थे कि हिंदू-मुस्लिम उपद्रवों के दिनों में तो हरीराम पहलवान मुसलमानों को मार कर बच गया है, अब इसे भी इस मामले में घसीट लो। मुहम्मद्दीन मल्लाह ने कभी मेरी पहचान नहीं की। 'जेल-एक्शन' के दिन मैं अपने भाई दीनानाथ और रूपचन्द को साथ लाया था। परंतु मैंने उनको यह भेद नहीं बताया था कि हम लोग भगत सिंह आदि को छुड़ाने आए हैं। वहां पर हमारे साथ एक जेल के वार्डन ने ताश खेला था। उसने कभी मेरी पहचान नहीं की। पुलिस ने इकबाली गवाह मदनगोपाल को शिनाख्त-परेड से पहले ही मुझे दिखा दिया था और मुझसे कहा था, कि इसे मैजिस्ट्रेट के सामने शिनाख्त करना और कहना कि इसे भी 'जेल-एक्शन' के दिन चन्द्रशेखर आजाद के साथ देखा था। 'जेल-एक्शन' के संबंध में जिस दूसरे सिख को पुलिस ने मुझे दिखाया था, उसके संबंध में कहा था, कि यह मोटर-ड्राइवर था। परंतु वास्तव में वह व्यक्ति दोनों में से कोई भी नहीं था। इस सिख को टहल सिंह

कहते थे। मदनगोपाल और टहल सिंह को मुझे पुलिस ने एक ही दिन दिखाया था। शिनाख्त-पेरड होने से पूर्व मुझे कई आदमी दिखाए गए थे। मुझे याद नहीं कि मैं कितने आदमियों को दिखाया गया था। 4 तारीख को मैं कई आदमियों को दिखाया गया था। माराजदीन को मैं नहीं जानता। परंतु उसने मेरी पहचान की थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं कयास कर सकता हूं कि मैं पहले माराजदीन को दिखाया गया। अक्तूबर के आरंभ में मैं कई आदमियों को दिखलाया गया था लेकिन मैं उन्हें देख सकता था क्योंकि वे उस कमरे में थे, जिसके दरवाजे पर सिरकियां लगी हुई थीं। उस दिन मुझे पुलिस-अफसर ने बुलाया; परंतु जब मैं वहां गया तो उसने कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया, बल्कि राजेन्द्रपाल को बुलाया है। यह भी एक तरीका मुझे उन्हें दिखाने का था।

इसके बाद अदालत लंच के लिए उठ गई। लंच के बाद गवाह ने कहा—जब मैं और हंसराज खैरातीराम इकबाली गवाह को देखने के लिए शाहदरा गए थे तो उसके साथ दो-तीन नौजवान थे। खैरातीराम ने हंसराज को रुपए नहीं दिए। यह सब बातें गलत हैं, कि हमने रावलपिंडी में अभियुक्त किशनगोपाल के घर पर गनकाटन तैयार किया था। मैं शेखूपुरा भी नहीं गया और न वहां बम मारा था। वह बिलकुल गलत है। मुझे पता नहीं कि पुलिस ने क्यों मेरे बयान में ये बातें जोड़ दीं। नारायणी देवी, रामनाथ और बुड्ढे को मैं पहले दिखाया गया था। मैं शेखूपुरा के किसी आदमी को नहीं जानता। मुझे पता नहीं कि शेखूपुरा में बम मारने का काम किसे सौंपा गया था ? मैं 16 जून को रावलपिंडी से लाहौर आ गया और अभियुक्त रूपचन्द को 16, 17, 18 और 19 जून को लाहौर में ही देखता रहा। 18 जून को सुबह, करीब आठ बजे, मैं जहांगीरीलाल के मकान पर गया।

**9 जून, 1931 :** आज नियमानुसार लाहौर के सेंट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नवीन लाहौर षड्यंत्र केस की फिर पेशी हुई। जेल के अधिकारियों के अदालत की आज्ञा को ठुकरा कर इस मुकदमे के अन्यतम अभियुक्त श्री सुखदेवराज को अभियुक्तों से अलग कर दिया था, इसलिए रायजादा, जहांगीरीलाल, सरदार गुलाब सिंह, मि. अमीरचन्द, मि. वंशीलाल और श्री धर्मपाल आज अदालत में नहीं आए थे। बाकी 21 अभियुक्त उपस्थित थे। अभियुक्तों ने अदालत-गृह में प्रवेश करते ही 'इंकबाल-जिंदाबाद' 'सरदार भगत सिंह जिंदाबाद' 'शहीदाने-वतन जिंदाबाद' 'गद्दाराने-वतन मुर्दाबाद' के नारे लगाए और सम्मिलित स्वर से जातीय गीत गाया।

वादी की ओर से रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद और रायसाहब गोपाललाल प्रासीक्यूटर तथा प्रतिवादियों की ओर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, मेहता अमरनाथ, लाला अमोलकराम कपूर और मेहता प्राणनाथ पैरवीकार थे।

## गुपचुप बातें

मुकदमे की कार्रवाई आरंभ होने से पहले जेल के सुपरिंटेंडेंट और उनके असिस्टेंट अदालत में आए और कमिश्नरों से एकांत में कुछ बातें कीं। कमिश्नरगण अदालत में वापस आए तो अभियुक्तों के वकील लाला श्यामलाल ने पूछा कि क्या जेल के अधिकारियों ने श्री सुखदेवराज को अलग करने का कोई कारण बताया था ?

प्रेजिडेंट ने बताया, कि इस मामले के संबंध में अभी तक कोई बात मालूम नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने कहा कि हम अभियुक्तों के हाजिर होने के लिए एक ताजा वारंट जारी कर सकते हैं और उनके आने पर मुकदमे की सुनाई आरंभ हो सकती है।

## शिकायतों का ढेर

इसके बाद अदालत ने एक वारंट जारी किया। इसी अदालत के सामने अभियुक्त सरदार गुलाब सिंह की एक दरख्वास्त पेश हुई, जिसमें लिखा था कि हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि हमें अपने मुकदमे में सफाई देने के लिए 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएं; ताकि हम कोई अच्छा वकील कर सकें। अदालत ने भी इसके लिए सिफारिश कर दी थी, परंतु सरकार ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। स्वयं तो वह इस मामले में अपने वकीलों के लिए 300 रुपए से अधिक प्रतिदिन खर्च करती है। पुलिस ने अपना सारा बल लगा दिया है। रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और हमें सिर्फ 128 रुपए दिए जाते हैं। इसके सिवा हमारे प्रार्थना करने पर भी हमारे अत्यंत आवश्यक गवाह सरदार भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने हमारी दरख्वास्त पर कह दिया था, कि इनको फांसी नहीं हो सकती। हमने सरकारी गवाहों को जेल में भेजने के लिए प्रार्थना की तो सरकार ने शाही किले को ही जेल करार दे दिया। अंत में जब हाईकोर्ट ने आज्ञा दी तो सरकारी गवाह जेल में रखे जाने लगे, परंतु जेल को ही किला बना दिया गया; अर्थात वहां भी वे पुलिस से घिरे रहते हैं। अंत में जब हमने हाईकोर्ट की शरण ली तो सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की। परंतु इतने पर भी रक्षा के बहाने उनके पास उसी तरह से पुलिस का जमघट लगा रहता है। अब, जबकि श्री सुखेदवराज को अदालत ने हमारे साथ रहने की आज्ञा दे दी है तो भी सरकार ने उन्हें हमसे अलग रख दिया है।

## सरकार हमें फांसी पर लटकाना चाहती है

इन बातों से मालूम होता है, कि सरकार हमें सफाई का अवसर नहीं देना चाहती

और हमें फांसी पर लटका देना चाहती है। उसे न तो इंसाफ से कुछ गर्ज है, न अदालत की आज्ञा की परवाह है ! वह अपने ही हाथों अपने कानून की धज्जियां उड़ा रही है !

इसलिए हम श्री सुखदेवराज के अपने से अलग किए जाने के प्रतिवाद में अदालत में उस समय तक न आएंगे, जब तक कि हमें संतोषजनक उत्तर न दिया जाएगा। इसके बाद एक और दरख्वास्त, चार और गैरहाजिर अभियुक्तों की ओर से दी गई। उसमें भी सरकार की गैर-कानूनी कार्रवाइयों की निंदा की गई थी।

अदालत ने आज के लिए मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी और अभियुक्तों के वकील, अभियुक्तों से मिलने तथा उन्हें समझा-बुझाकर अदालत में लाने के लिए जेल गए।

दूसरे दिन नियमानुसार फिर उपर्युक्त मामले की पेशी हुई। आज अदालत में वे पांचों अभियुक्त भी हाजिर थे, जो कल नहीं आए थे। परंतु उनके वकील ने कहा कि हम उन्हें समझा-बुझाकर किसी तरह लाए हैं, अगर श्री सुखदेवराज के अलग करने का संतोषजनक कारण नहीं बताया जाएगा, तो वे कल से फिर नहीं आएंगे।

## सरकारी गवाह का बयान

इसके बाद सरकारी गवाह खैरातीराम ने अपने बयान का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलबाग की मीटिंग के बाद हंसराज ने मुझसे पूछा कि मकान वाले से सब बातें तय हुई या नहीं ? हमने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि मकान ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग रामलीला के चौबारे में चले गए और वहीं जाकर सो गए। जब हम सोकर उठे थे मलिकराज ने हमें रोटी खिलाई। 12.45 बजे हंसराज ने आकर इशारा किया, जिसका मतलब यह था, कि हंसराज बुला रहा है। जब हम लोग वहां से चले तो रास्ते में कुन्दनलाल ने मुझसे कहा कि रामलाल को अलग कर दो। मैं रामलाल को छोड़कर उस मकान में गया, जिसे रूपचन्द ने ठीक किया था।

## 'आतिशी चक्कर' के अद्भुत करिश्मे

वहां पर रूपचन्द और हंसराज मौजूद थे और जो ट्रंक इनके पास था, वह खुला हुआ था। मैंने वहां पर तीन संदूकचियां देखीं। इनके अलावा रिब्ट सिलेंडर और कुछ भड़कने वाली चीजें भी देखीं। मेरे सामने ही हंसराज ने एक सिलेंडर के अंदर एक टीनकेस रखा और उसके इर्दगिर्द रिब्टें रख दीं। इसके बाद हंसराज ने एक सिगरेट के ढक्कन में एक सूराख किया और उसमें आतिशी पलीते का एक सिरा रख दिया। इसके बाद उसने इन पर पतरियां और तांबे चढ़ाए। इसके बाद उसने मुझसे बताया

कि यह बम तैयार हो गया। जब बम बिलकुल तैयार हो गया तो हंसराज ने आग जलाने की अंगीठी पर उसे रख दिया और उसको उस पलीते के एक सिरे से लगा दिया, जिसका संबंध मोमबत्ती के साथ था। इसके बाद उसने एक ग्लेक्सो का डिब्बा उठाया और उसमें पहले की तरह एक बम तैयार किया। परंतु जब दूसरा बम तैयार हो गया, तो रिब्टें खतम हो गईं। इससे रूपचन्द दूसरी रिब्टें बाजार से खरीद लाया। जब यह दूसरा बम भी बनकर तैयार हो गया तो हसंराज ने एक काली संदूकची को खोल डाला। इसमें दो बैटरियां लगी हुई थीं ? हंसराज ने एक बल्ब लगाकर बैटरियों की परीक्षा की कि वह ठीक काम कर रही हैं या नहीं। इसके बाद उसने संदूकची को उठाकर अलमारी में रख दिया और उसके नीचे एक इश्तहार लगा दिया, जिस पर लिखा था, 'आतिशी चक्कर युद्ध-क्षेत्र में !' इसके बाद लकड़ी वाले बक्स में एक दूसरा बम रखकर उसके और बिजली के तारों के बीच में गनकाटन रखा। इसके बाद संदूकची का ढकना, इस तरीके से रखा गया, कि देखने वाला यह न समझ सके, कि इसका मुंह किधर है।

## पुलिस वालों को मारने का षड्यंत्र

जिस समय हंसराज बम फिट कर रहा था, उसी समय मलिक कुन्दनलाल भी वहां आ गया। इसके बाद हंसराज ने हम लोगों को बताया कि छोटे बम पर एक मोमबत्ती रखी जाएगी और जैसे ही वह जलकर समाप्त होगी, वैसे ही पलीते में आग लग जाएगी। इसके बाद गनकाटन में आग लगेगी। तब वह छोटा बम फट जाएगा। जिसके फटने के बाद पुलिस आएगी। उसने यह भी बताया कि मोमबत्ती, इसलिए रखी जाएगी, ताकि आग लगाने वाला आदमी बच जाए। जब बम फटेगा तो पुलिस वाले आएंगे और तलाशी लेना आरंभ करेंगे, जब वह इश्तहार देखेंगे तो उसे उठाएंगे। जिसके लिए अवश्य ही पहले संदूकची उठानी पड़ेगी। बस, बम फट जाएगा और पुलिस वाले घायल होकर मर जाएंगे। इसके अलावा वहां पर कुछ बोतलें भी रखी गईं और जमीन पर एक चटाई बिछा दी गई। बक्स 8-9 इंच के करीब लंबा और 5-6 इंच चौड़ा था।

एक काले रंग का बक्स दिखाने पर गवाह ने कहा, वह ऐसा ही था। 'आतिशी चक्कर' शीर्षक इश्तहार मैंने पहले भी शाहदरा में देखा था। जब दोनों बम फिट हो गए तो सलाह हुई कि हम लोगों को बारी-बारी से कंपनी बाग में जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग कंपनी बाग में मिले।

अदालत के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूं। इस पर एक अभियुक्त ने कहा, नहीं, तुम अंग्रेजी पढ़े हुए हो। इस पर बड़ी हंसी हुई।

मुखबिर फिर कहने लगा—हम लोग कुछ देर तक कंपनी बाग में बैठे रहे और

रामलाल चला गया। इसके बाद हंसराज ने कहा, कि 29 जून को कुन्दनलाल और धर्मवीर बमों में आग लगाएंगे। शाहदरा में ही हंसराज ने मुझे बताया था कि मलिक कुन्दनलाल और धर्मवीर पार्टी के सदस्य हैं। हंसराज ने मुझे यह भी बतलाया कि पार्टी ने उसकी ड्यूटी गूजरांवाला और सांगला-हिल में बम फिट करने की लगाई है। परंतु तुम रुपए नहीं लाए, इसलिए हमको लाहौर जाकर रुपए लाने पड़ेंगे। इसके बाद हंसराज ने कहा कि अब तुम अलहदा हो जाओ। इसी दरमियान में रामलाल आ गया। इसके बाद रामलाल और मैं वहां से चले आए। रास्ते में झंग बाजार के पास हमें गुरुचरण मिल गया। वह सिनेमा देखने जा रहा था। हम लोग भी उसके साथ सिनेमा देखने चले। रात को हमें जागना पड़ा, इसलिए सवेरे की गाड़ी से हम लाहौर नहीं जा सके। इसके बाद हम लोग एक बजे की गाड़ी से शेखूपुरा चले गए, ताकि जाते वक्त एक बार रामप्रताप को देख लें। शेखूपुरा में हमें वंशीलाल मिला। 16 जून को मैं शेखूपुरा में ही रहा। 17 को शाहदरा आ गया। वंशीलाल 16 जून को ही लाहौर चला गया था। 18 जून को हंसराज फिर मुझसे मिला। उसने मुझे एक डिब्बा दिखाकर कहा, कि इसे किसी ऐसी जगह रखो कि मौके पर फौरन मिल जाए। इसके बाद हंसराज ने मुझसे अपना कोट बदल लिया। कोट बदलने का कारण यह बताया, कि लाहौर में कोई पहचान न ले। इसके बाद वह डिबिया मैंने सत्यनारायण मंदिर के हाते में गाड़ दी। हंसराज लाहौर चला आया।

19 जून को सवेरे फिर मुझे हंसराज मिला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दो जगह बम फटे हैं, परंतु मुझे उन स्थानों के नाम याद नहीं हैं। इसके साथ ही उसने मुझे यह भी बतलाया कि आनन्दस्वरूप (इन्द्रपाल) रावलपिंडी और सरदार गुलाब सिंह गूजरांवाला में बम फिट करने गए थे। जिस समय ये बातें हो रही थीं, उस समय वहां केवल हमीं दो आदमी थे। इसके बाद वंशीलाल आया और हंसराज को लेकर लाहौर चला गया।

इसी दिन शाम को हंसराज और वंशीलाल फिर शाहदरा वापस आ गए और छह-सात रोज तक वहां रहे। ये दोनों प्रतिदिन कहीं चले जाते और शाम को फिर वापस आ जाते। पूछने पर हंसराज ने बताया कि हम लोग रोज लाहौर जाते हैं। जब मैं और हंसराज लायलपूर जा रहे थे, तो वंशीलाल ने पूछा था कि कहां जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि कहीं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं।

## मुखबिर की मजेदार बातें

19 जून की शाम को जब हंसराज और वंशीलाल आए थे, तो हंसराज नहाने चला गया था। उस वक्त वंशीलाल ने बताया, कि पंजाब के छह स्थानों में जो बम फटे हैं, वह सब काम हमीं लोगों ने किया है। हंसराज ने मुझे पार्टी का मेंबर भी बना

लिया है और पार्टी का सारा भेद मुझे बता दिया।

इन्हीं दिनों हंसराज ने मुझे क्लोरोफार्म की एक शीशी दी थी और मैंने उसे बिशनदास को दे दी थी।

इसी समय ट्रिब्यूनल के सदस्य मि. सलीम ने गवाह से प्रश्न किया—आपने बिशनदास को यह शीशी, इसलिए दे दी थी, कि इस मामले में उसकी गवाही हो या आपके पास कोई जगह न थी, अथवा आप उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे ? (इस पर बड़ी हंसी हुई)

उत्तर—मैंने बिना किसी मतलब के शीशी उसके पास रख दी थी।

हंसराज ने मुझे बताया कि मैं एक ऐसा गैस तैयार कर रहा हूं कि वह जिसके मुंह पर रख दिया जाएगा, वह फौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बाद एक रोज हंसराज ने मुझे एक पोस्टर और वही 'आतिशी चक्कर' वाला विज्ञापन दिया और कहा कि इसे लायलपूर में कुन्दनलाल और धर्मवीर के पास पहुंचा दो। इन दिनों जगन्नाथ शाहदरा आया था। वंशीलाल ने मेरे सामने ही पोस्टरों का बंडल उसे देकर कहा कि इसे कुन्दनलाल को दे देना।

## मुखबिर की तमाशबीनी

लायलपूर से वापस आने पर जगन्नाथ ने हंसराज को एक बंद लिफाफा दिया। दूसरे रोज हंसराज वहां से चला गया, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। जिस रोज हंसराज मेरे यहां से गया था, उसके दूसरे रोज अमरीक सिंह मेरे पास आया और कहा कि हंसराज ने जो डिब्बी तुम्हें दी है, उसे मुझे दे दो। मैंने वह डिब्बी अमरीक सिंह को दे दी। वंशीलाल को इस बात का कुछ भी पता न था। इसके बाद कुन्दनलाल आया और पूछने लगा कि हंसराज कहां गया है मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। मेरे पूछने पर कुन्दनलाल ने बताया कि धर्मवीर उस मकान में गए थे और बम में आग लगाकर चले आए।'जब बम फट गया तो मैं भी तमाशबीन की तरह वहां खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। इसके बाद कुन्दनलाल शाहदरा से चला गया। इसके बाद मेरे पास बिशनदास आया और उसने पूछा कि हंसराज कौन है और कहां काम करता है ? मैंने उसे बताया कि वह किसी प्रेस में काम करता है ? परंतु उसे मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने उसे बताया कि वह हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी का मेंबर है। मैंने पार्टी का तमाम भेद बिशनदास को बता दिया। हंसराज ने लौटने पर सुना तो बहुत नाराज हुआ। मैंने बिशनदास को 'आतिशी चक्कर' वाला इश्तहार भी दिखला दिया था। इसके बाद तीन-चार रोज तक हंसराज मेरे पास नहीं आया।

एक रोज वंशीलाल, भीमसेन आदि मेरे पास आए। वंशीलाल हंसराज की

तलाश में था। मैंने वंशीलाल से पूछा कि वह क्यों हंसराज की तलाश में है, तो उसने बतलाया कि चिनिवट में एक स्थान पर बहुत-सा रुपया मिल सकता है। हंसराज को वहां पर ले जाकर डाका डालने का मसवदा (Plan) तैयार करना है।

इस पर जहांगीरीलाल अभियुक्त ने कहा—जरा जोर से बोलो।

कुन्दनलाल ने कहा—जरा सुर से बोलो (हंसी)।

मुखबिर ने कहा—यह थिएटर नहीं है, कि सुर में बोलूं (हंसी)।

गवाह फिर कहने लगा—इसके बाद वंशीलाल और भीमसेन लाहौर चले गए। इसके दूसरे रोज वंशीलाल और हंसराज आए, पर भीमसेन उनके साथ न था। हंसराज ने अपना सारा सामान उठा लिया और कहा कि चिनिवट जा रहा हूं। वंशीलाल ने मुझे बताया कि जो रुपए वहां लूटे जाएंगे वे पार्टी को दे दिए जाएंगे। पार्टी खुल्लम-खुल्ला काम करेगी। परंतु हंसराज से इस संबंध में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई।

**11 जून, 1931 :** आज सरकारी गवाह खैरातीराम ने फिर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि 15 तारीख को मैं अपने मकान से सत्यनारायण वाली बैठक में जा रहा था। रास्ते में मैंने अमरीक सिंह को बिशनदास के पास खड़े देखा। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने अमरीक सिंह को एक रुक्का देते देखा। अमरीक सिंह उसी रुक्के पर बिशनदास से जवाब लेकर चला गया। पूछने पर बिशनदास ने बतलाया कि हंसराज ने कुचला मांगा था।

इसके बाद मैं बीमार हो गया और रावलपिंडी चला आया। फिर जब अच्छा हुआ तो शाहदरा आया। वहां से 5 सितंबर को पुलिस मुझे गिरफ्तार करके शाही किले में ले गई। 6 सितंबर को मैंने बयान देना आरंभ किया और सात को समाप्त कर दिया।

## मुखबिर की आत्म-कहानी

2 सितंबर को जब मैं रावलपिंडी आया तो बिशनदास मुझसे मिलने आया। तब उसने मुझे बतलाया कि सरदार अमरीक सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 5 सितंबर को पुलिस ने मेरे मकान पर छापा मारा और मैं गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुझसे इस तरीके से पूछना आरंभ किया कि मानो उसे सब बातें मालूम हैं। इसलिए मैंने बयान दे दिया। 20 अक्तूबर को पुलिस-अफसर ने मुझसे कहा, कि मैं तुम्हें माफी दिलाना चाहता हूं। मैंने कहा, मर्जी हो तो दिलवाइए, न मर्जी हो तो मत दिलवाइए।

प्रश्न—(मि. सलीम) जब तुमने पुलिस में बयान दिया था तो यह तय कर लिया था या नहीं, कि अगर मुझे अभियुक्त बनाया जाएगा तो अदालत में जाने

पर इस बयान से इनकार कर दूंगा।

उत्तर—मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया था ?

गवाह ने फिर कहना आरंभ किया—मुझे 20 अक्तूबर को माफी का वादा दे दिया गया। उसके बाद पुलिस मुझे लायलपूर ले गई। वहां पर मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने उन स्थानों की शिनाख्त की, जहां बम फिट किए गए थे, जहां मैंने रामलाल को अलग किया था, और उस कमरे का शिनाख्त किया, जहां बम फटे थे।

शाही किले में मैंने अभियुक्तों को शिनाख्त किया था और मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, वह दुरुस्त है।

मि. सलीम—जब हंसराज ने तुम्हें सदस्य बनाया, तब तुम जानते थे कि पार्टी के मेंबर कौन-कौन हैं ?

गवाह—जब हंसराज ने मुझे बताया कि मैं क्रांति-पार्टी का मेंबर हूं, तो उसने यह भी बतलाया कि मलिक कुन्दनलाल भी मेंबर है।

मि. सलीम—जब तुम्हें पार्टी का मेंबर बनाया गया तो तुम्हें पार्टी के कोई नियम भी बताए गए थे ?

गवाह—मुझे तीन रूल जबानी बता दिए गए थे।

मि. सलीम—वह कौन-कौन से रूल हैं ?

गवाह—(1) बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को हिंदुस्तान से निकाल देना, (2) किसी से पार्टी का भेद न बताना, और (3) कोई पार्टी का भेद बताए तो उसकी सजा कत्ल है। पार्टी की मदद के लिए आवश्यकता पड़े तो अपना सारा काम भी छोड़ देना प्रत्येक मेंबर का कर्तव्य है।

इसके बाद मैंने किसी मेंबर से पार्टी के संबंध में कोई बातचीत न की।

प्रश्न—पार्टी के रूल के संबंध में तुमने बिशनदास से बातचीत की थी ? और उसका भेद भी बताया था ?

उत्तर—हां।

प्रश्न—क्या इसकी सजा भी मौत है ?

उत्तर—हां।

प्रश्न—फिर क्यों बताया ?

उत्तर—मैं उसके विचार जानना चाहता था।

प्रश्न—जिस समय तुमने बिशनदास से पार्टी का भेद बताया तो क्या उसे पार्टी का मेंबर बनाने की कोशिश की ?

उत्तर—नहीं। मैंने उससे कहा था कि अगर पार्टी की बातें कहोगे तो उसकी सजा मौत होगी।

प्रश्न—जिस वक्त रामलाल तुम्हारे साथ लायलपूर गया था, उस समय वह क्या काम करता था, कहां रहता था और उसके खाने-पीने का इंतजाम क्या था ?

उत्तर—उस वक्त रामलाल कोई काम नहीं करता था। वह शाहदरा में अपने बहनोई के पास रहता था और वहीं खाता-पीता था।

प्रश्न—जब हंसराज ने तुमसे पार्टी का भेद बतलाया तो क्या उसने तुमको मजबूर किया कि मेंबर बन जाओ ?

उत्तर—बिलकुल नहीं।

## गवाह से मजेदार जिरह

प्रतिवादी पक्ष के वकील की जिरह में गवाह ने कहा—मुझे पता नहीं, कि मेरा बाप लेन-देन का काम करता है या नहीं ? मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे बाप के पास कितनी जमीन है ? वह इनकम-टैक्स देता है, परंतु मुझे उसकी तादाद नहीं मालूम है। मेरा बाप तिजारत का काम नहीं करता। मेरा एक बड़ा भाई मोहनलाल है, जिसकी उम्र 30 वर्ष की है। मेरे चचा के भी एक लड़का है। उसका नाम बनवारीलाल है और उसकी उम्र 23 साल के करीब है। मेरे पास अलग कोई पूंजी नहीं है। मोहनलाल और बनवारीलाल की बात मैं नहीं जानता। मेरे पिता के पास कई मुनीम हैं ! मैं उनकी तादाद नहीं जानता। एक-दो के नाम बता सकता हूं। उनमें कुछ के नाम गुलाम मुहम्मद, मूलचन्द, हरदत्तचन्द, हरिकृष्ण आदि हैं। जिन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों हमारा मकान शाहदरा में था। मैं अपने पिता से स्कूल का खर्च लेता था। मेरे बाप के पास मोटर, तांगा और साइकिल है। शाहदरा में हमारे तीन-चार मकान हैं। हमारे रहने का मकान मंदिर की बैठक से दो-तीन फर्लांग पर है। मेरा चचा बिहारीलाल भी कोई काम नहीं करता। मोहनलाल और बनवारीलाल भी कोई काम नहीं करते। मोहनलाल खेवड़ा में काम नहीं करता था। शंकरशाह दिसंबर, सन् 1929 में मर गए। शाहदरा में सत्यनारायण का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। इस मंदिर की चाबियां मेरे पास रहती थीं। जब मैं डी. ए. वी. कालेज में भर्ती हुआ तो मैंने चाबियां अपने पिता को दे दीं और स्वयं बोर्डिंग में चला गया। मंदिर के पुजारी का नाम मैं नहीं जानता। उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया है। मैं किसी मजहब का कायल नहीं हूं क्योंकि मुझे फरार होना पड़ता तो मुसलमानों के यहां भी खाना पड़ता था। इसलिए मैं मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाता था। जिन दिनों मैं कालेज में पढ़ता था, उन दिनों मैं, न तो कांग्रेस का मेंबर था और न किसी राजनीतिक सभा में भाग लेता था। इन दिनों मुझे इंकलाबी किताबें पढ़ने का शौक न था क्योंकि उस समय मेरे विचार क्रांतिकारी न थे। लायलपूर के कालेज में दाखिल होने के लिए मेरी सिफारिश डिप्टी कमिश्नर ने की थी।

प्रश्न—तुमने लायलपूर का कृषि-कालेज क्यों छोड़ा ?

उत्तर—मुझे कुश्ती लड़ने का शौक था और जब मैं क्लास में जाता था, तो

मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए मैंने ख्याल किया कि माता-पिता का रुपया व्यर्थ न खोना चाहिए। इसीलिए मैंने कालेज छोड़ दिया।

मैं कुन्दनलाल को लायलपूर आर्य-समाज के सालाना जलसे से पहले नहीं जानता था। उस दिन मेरी कुन्दनलाल और दासराम से किसी राजनीतिक विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। मैं भाई बालमुकुन्द का व्याख्यान सुनने गया था। परंतु उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। मैंने कोई व्याख्यान नहीं सुना था। सन् 1929 की कांग्रेस के बाद से मेरे विचार राजनीतिक हो गए। इससे पहले मैंने राजनीतिक विषयों पर दासराम, चरनदास और कुन्दनलाल से कोई बातचीत न की थी।

मैं विजिटर (दर्शक) और डेलीगेट (प्रतिनिधि) में कोई फर्क नहीं समझता। मैं कांग्रेस-पंडाल में 25 रुपए का टिकिट लेकर गया था। मुझे मालूम नहीं टिकट पर क्या लिखा था ? जब कोई प्रस्ताव पास होता था तो जिधर अधिक आदमी होते थे, उधर ही मैं हाथ उठा देता था ! उस दिन वाइसराय को बधाई देने का प्रस्ताव पेश होकर पास हो गया। मैं आज तक नौजवान भारत-सभा का मेंबर नहीं बना। वैसे मैंने अखबारों में सभा का नाम कई बार पढ़ा था।

कांग्रेस के अवसर पर ही मेरे विचार ऐसे हो गए थे कि अगर वाइसराय को मारना ही है तो मारने दो, इसमें हमारा क्या हर्ज है। कांग्रेस के दिनों में मलिक कुन्दनलाल शाहदरा में मेरे पास आया था। वाइसराय को बधाई का प्रस्ताव दिन को पास हुआ था। मैंने खासकर किसी की स्पीच नहीं सुनी। साधारण लोगों का उत्साह देखकर मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया था। मैंने हंसराज को भी कांग्रेस के पंडाल में देखा था। सबसे पहले राजनीतिक विषय पर मेरी बातचीत दुर्गादास से हुई थी।

मैं नजीर मुहम्मद को जानता हूं। उसने कालेज में कोई जहरीली चीज खाकर आत्म-हत्या कर ली थी। उसके पास एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि मैंने आत्म-हत्या कर ली है, क्योंकि मुझे खैरातीराम से खौफ है। इसके लिए पुलिस ने मुझे कई बार थाने में बुलाया था।

इस प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराज किया और कहा कि इस मुकदमे से इस प्रश्न का कोई सरोकार नहीं है।

प्रतिवादी के वकील ने कहा, कि मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूं, कि गवाह को इस मुकदमे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वह इस मुकदमे से बचने के लिए सरकारी गवाह बना है।

इसके बाद प्रतिवादी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा—कृषि-कालेज छोड़ने के बाद मैं शर्म से अपने पिता से रुपए मांगने नहीं गया। हंसराज ने मुझसे मेंबर बनाने से पहले रुपए नहीं मांगे थे।

मि. सलीम—जब तुम्हें अपने पिता से रुपए मांगने में शर्म मालूम होती थी,

तो तुम किससे रुपए लेना चाहते थे ?

गवाह—अपने भाई मोहनलाल से लेने का इरादा था।

कृषि-कालेज छोड़ने के बाद मैंने कोई काम करना आरंभ नहीं किया। मैं हंसराज के मकान पर उससे भी मिलने नहीं गया। हंसराज ने कृषि-कालेज में मुझसे रुपया नहीं मांगा था। जब मैं लायलपूर गया तो वंशीलाल पुलिस में नौकर थे। परंतु उसके दूसरे ही रोज डिसचार्ज कर दिए गए। मैंने वंशीलाल से वादा किया था, कि तुम्हें हरिकृष्ण कौल के दफ्तर में नौकर करा दूंगा। मेरे और दुर्गादास की मौजूदगी में शाहदरा में कोई कांग्रेस वालंटियर नहीं आया। इसके बाद मैं शाहदरा से लाहौर आकर राजनीतिक सभाओं और जुलूसों में शामिल होने लगा। इसके बाद मैंने दुर्गादास से किताबें लेकर पढ़ीं, इससे मेरे दिल में और भी परिवर्तन हुए। दुर्गादास ने मुझे नहीं बताया कि वह कितने दिनों तक शाहदरा में ठहरेगा। जिस रोज महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, उस रोज लाहौर में हड़ताल थी। जुलूस निकले और सभा हुई। मैं और दुर्गादास इनमें शामिल थे। दुर्गादास के आने के बाद उसकी मुझसे बाचतीत हुई तो उसने कहा कि मुल्क की आजादी में तुम्हें कुछ हिस्सा लेना चाहिए। दुर्गादास के आने के दो-तीन दिन बाद जगन्नाथ आया। उसके विचार भी क्रांतिकारी थे, वह दिन भर मेरे पास रहकर फीरोजपुर चला गया और वहां से लौटकर बताया कि वहां भी क्रांतिकारी दल है और मैं उसका मेंबर हूं ! इसके सिवा दुर्गादास ने मुझसे और किसी क्रांतिकारी दल का पता नहीं बताया। मैं जानता हूं कि पिकरिक एसिड बम बनाने के काम में आता है। एक बार दुर्गादास पिकरिक एसिड लाया था। परंतु इसके बाद फिर कोई ऐसी चीज नहीं लाया।

## मुखबिर के बयानों में समता

मुखबिर खैरातीराम की जिरह के समय सफाई के वकील ने अदालत से कहा, कि मुखबिर ने अपनी गिरफ्तारी के समय पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उसका प्रत्येक शब्द उस बयान के प्रत्येक शब्द से मिलता है, जो कि उसने अपने पहले बयान के डेढ़ मास पश्चात मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था। इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि. सलीम ने मुखबिर से इसका कारण पूछा।

सबूत के वकील ने मुखबिर के पुलिस के सामने दिए हुए बयान पर जिरह करने में कानूनी आपत्ति पेश की। परंतु कई घंटों की बहस के बाद ट्रिब्यूनल के सफाई-पक्ष की बात मान ली।

**13 जून, 1931 :** लाहौर सेंट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने श्री सुखदेवराज, श्री बी. ए. पेश किए गए। सरकारी वकील रायबहादुर पंडित ज्वालाप्रसाद ने, अभियुक्त सुखदेवराज की अर्जी, जो कि उसने हरीकिशन की फांसी

के संबंध में अदालत के नाम लिखी थी और जिसे जेल के आधिकारियों ने रोक रखा था, आज ट्रिब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह अर्जी केवल प्रचार के अभिप्राय से लिखी गई थी। यह अर्जी अखबारों में न छपने देनी चाहिए।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अर्जी जेल के अधिकारियों ने मुझसे ली थी, इसलिए वह मुझको ही मिलनी चाहिए। अर्जी मिल जाने के बाद मैं इस बात पर विचार करूंगा, कि वह अदालत में पेश की जाए या न की जाए ?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अर्जी अभियुक्त को न मिलनी चाहिए। यदि अभियुक्त यह अर्जी अदालत में नहीं पेश करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास वापस कर देनी चाहिए।

सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्त अर्जी को अदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्जी उसे मिल जाना आवश्यक है। संभव है, कि वह अदालत में पेश करने के पहले अपने वकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि अर्जी पेश की जाए या नहीं ? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालत में पेश की जाने वाली कौन-सी वस्तु आपत्तिजनक है और कौन-सी गैर-आपत्तिजनक है। आइंदा से अब उन्हें अर्जियों को सीधे अदालत में भेज देना चाहिए।

मि. सलीम—मान लीजिए कि अभियुक्त अपने वकील की सलाह से अर्जी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील—यह तो ठीक है, परंतु उस दिन अभियुक्त का कहना था, कि मैं तब तक अदालत की कार्रवाइयों में भाग न लूंगा, जब तक कि मेरी अर्जी के संबंध में कोई निर्णय न हो जाएगा।

## सरकारी वकील की बौखलाहट

मि. सलीम—अदालत अभियुक्त को अपने उसी मत पर आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

इस पर सरकारी वकील ने इस बात को जोर देकर कहा कि अर्जी जेल के सुपरिंटेंडेंट के पास लौटा दी जाए। संभव है कि सबूत-पक्ष को अभियुक्त की लिखावट प्रमाणित करने या उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी जरूरत पड़े। अदालत इसे अपनी मिसिल में दर्ज कर ले या कम से कम उसकी जाब्ते की नकल ले जाए।

मि. श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पक्ष अर्जी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अभियुक्त को अर्जी के मिसिल में दर्ज

हो जाने का कोई डर नहीं है।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गंगाराम सोनी ने कहा, कि यद्यपि अभियुक्त ने उस दिन कहा था, कि जब तक अर्जी का निर्णय न हो जाएगा, तब तक मैं अदालत की कार्रवाई में भाग न लूंगा, फिर भी उसे अपनी अर्जी वापस लेने का अधिकार है।

सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने कहा कि वह चाहे तो अपनी अर्जी नष्ट कर सकता है।

सरकारी वकील ने कहा—मैंने उसे अदालत की आज्ञा से पेश किया है।

रायबहादुर गंगाराम—परंतु वह अभियुक्त की तरफ से पेश हुई समझी जाएगी।

सरकारी वकील—नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। अगर अर्जी अदालत में पेश न की जाए, तो वह जेल-अधिकारियों के पास वापस भेज देने के लिए मुझे मिल जानी चाहिए। वह मेरे अधिकार में है और मेरे विश्वास पर दी गई है।

रायबहादुर गंगाराम—परंतु आपका अधिकार अनुचित है। उसका हकदार अभियुक्त है।

इस पर मि. सलीम ने सरकारी वकील से कहा, कि जब अभियुक्त कहता है कि मैं अर्जी पेश करूंगा, तब आप कहते हैं कि वह पेश नहीं होनी चाहिए और अब जब वह कहता है कि मैं नहीं पेश करूंगा तब आप कहते हैं कि उसे जरूर पेश करनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं समझने में असमर्थ हूं।

सरकारी वकील ने कहा—जेल-अधिकारी अर्जी को वापस चाहते हैं। वे उसे अभियुक्त के आमालनामा (History Ticket) में दर्ज कर सकते हैं। या उससे और कोई लाभ उठा सकते हैं।

इस पर सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने कहा कि जेल के नियमों का इस रीति से प्रयोग न होना चाहिए कि अभियुक्त की सफाई में बाधा पड़े। यदि अभियुक्त यह समझ लेगा कि जेल में उसकी लिखी हुई कोई भी अर्जी उसके वकील के देखने के पहले ही अदालत या सबूत-पक्ष देख सकता है, तो अभियुक्त के लिए कोई भी अर्जी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जाएगा। अदालत और सरकारी वकील को अभियुक्त और उसके वकील के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

## सफाई के वकील की अर्जी

मि. श्यामलाल ने अभियुक्त की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित अर्जी अदालत के सामने पेश की।

(1) 10 जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने जेल में अदालत के सामने पेश

करने के लिए कुछ अर्जियां लिखी थीं।

(2) जेल के सुपरिंटेंडेंट ने उन अर्जियों को अदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी।

(3) अभियुक्त ने अदालत आने पर सुपरिंटेंडेंट के इस कार्य का विरोध किया। इस पर अदालत ने उन अर्जियों के पेश करने का हुक्म जारी किया।

(4) हुक्म पर सुपरिंटेंडेंट ने एक अर्जी तो भेजी, किंतु दूसरी रोक ली।

(5) अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की कि सुपरिंटेंडेंट के पास से आई हुई अर्जी मुझे दे दी जाए, जिससे अदालत के सामने पेश करने के पहले मैं उस पर विचार कर लूं।

(6) दूसरी अर्जी के संबंध में, जिसे जेल के सुपरिंटेंडेंट ने रोक रखी थी, अदालत ने सुपरिंटेंडेंट को एक नोटिस दिया जिसमें उनसे अभियुक्त की अर्जी रोक रखने का कारण पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि भविष्य में ऐसी अर्जी रोकने के लिए तुमसे कैफियत तलब क्यों न की जाए ?

(7) इस पर 13 जून को सरकारी वकील ने वह अर्जी पेश की और कहा कि गलती से जेल के सुपरिंटेंडेंट ने वह अर्जी रोक ली थी।

(8) इस पर अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की, कि अर्जियां मुझे वापस मिल जाएं, जिससे मैं अदालत में पेश करने के पहले उन पर अपने वकील की सलाह ले सकूं।

(9) सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अर्जियां जेल के सुपरिंटेंडेंट के पास वापस भेज दी जाएं, अर्जियों में लिखी हुई बातें अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाण-रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(10) अब अभियुक्त की सफाई के संबंध में एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस अर्जी को जेल के सुपरिंटेंडेंट ने रोक रखा था, उसकी जरूरत केवल 10 जून तक थी, उसके बाद किसी दूसरी तारीख को पेश करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभियुक्त उपर्युक्त तारीख को अर्जी उपस्थित करने से रोक लिया गया, परंतु फिर भी सबूत-पक्ष उस अर्जी का, अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के लिए उपयोग करना चाहता है।

(11) कानून के मुताबिक अभियुक्त को उसकी सफाई के लिए पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। यह अदालत जेल के उन नियमों के प्रयोग की इजाजत न दे, जिससे अभियुक्त की सफाई में बाधा पड़ती हो।

(12) अगर अदालत या सबूत पक्ष अभियुक्त और उसके वकील के बीच किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने लगे तो अभियुक्त के लिए कोई अर्जी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जाएगा।

(13) ऐसी कठिनाइयां संभवतः आगे भी पड़ सकती हैं, इसलिए अभियुक्त

अदालत से निम्नलिखित हुक्म जारी कर देने की प्रार्थना करता है :

(क) यह कि अभियुक्त को लिखी हुई अर्जी साथ लाने, अदालत और सबूत-पक्ष को अर्जी में लिखी बातों को न जानने देने और अदालत के सामने अर्जी पेश करने के पहले वकील से सलाह लेने का अधिकार रहे।

(ख) यह कि जेल के सुपरिंटेंडेंट को ऐसी अर्जी रोक लेने का कोई अधिकार नहीं है।

(ग) किसी भी हालत में जेल-सुपरिंटेंडेंट को यह अधिकार नहीं है, कि इस तरह की अर्जियों को सबूत-पक्ष को दे दे।

## सरकारी वकील का विरोध

सरकारी वकील ने इस अर्जी का विरोध किया और कहा कि इसका एक-मात्र तात्पर्य समाचार-पत्रों में प्रचार के लिए छपाना है।

मि. श्यामलाल ने कहा—मैं सरकारी वकील के इस आक्षेप का, कि हमारा उद्देश्य केवल प्रचार-कार्य करना है, अभियुक्तों के हितों की रक्षा करना नहीं है, जबर्दस्त विरोध करता हूं।

इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट ने कहा कि सरकारी वकील को सफाई के वकील के प्रति कहे हुए शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

सरकारी वकील—मेरे कथन का उद्देश्य मि. श्यामलाल पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं है।

मि. श्यामलाल ने कहा, कि मैं सरकारी वकील के उद्देश्य को माने लेता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी अर्जी का उद्देश्य अभियुक्त की स्थिति को अदालत के सामने बिलकुल स्पष्ट करना मात्र है।

इसके बाद आपने हाईकोर्ट के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा, कि जेल के अधिकारी अगर अभियुक्त की सफाई में किसी प्रकार की बाधा डालते हों तो अदालत को अख्तियार है कि वह अभियुक्त के हितों की रक्षा करे।

मि. सलीम—आप अदालत से क्या चाहते हैं ?

मि. श्यामलाल—मैं चाहता हूं, कि अर्जियां सुखदेवराज को लौटा दी जाएं और सुपरिंटेंडेंट को इस बात की हिदायत कर दी जाए, कि आगे से वह ऐसी अर्जी रोक न रखें।

इसके बाद प्रेजिडेंट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप इस अर्जी को क्यों रख लेना चाहते हैं ?

सरकारी वकील—सबूत-पक्ष के लिए यह एक गवाही का कार्य करेगी। मैं इसके द्वारा प्रमाणित करूंगा, कि अभियुक्त क्रांतिकारी है, क्योंकि अर्जी में वह

श्री हरीकिशन को अपना साथी कहता है और उसके कार्यों की प्रशंसा करता है।

## मुझे क्रांतिकारी होने का गर्व है

मि. श्यामलाल—मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूं, कि अभियुक्त को अपनी अर्जियां वापस पाने का अधिकार है। अभियुक्त अपने आपको क्रांतिकारी स्वीकार करने से डरता नहीं। इधर-उधर के हवालों से क्रांतिकारी साबित करने की क्या आवश्यकता है ? मैं अभियुक्त की तरफ से अदालत के सामने एक अर्जी पेश करने वाला हूं, जिसमें उसने अपने आपको क्रांतिकारी स्वीकार किया है और उसके लिए उसे गर्व है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं, कि वह अपनी अर्जी वापस पाने के कानूनी हक से वंचित रहे।

इसके बाद मि. श्यामलाल ने श्री सुखदेवराज के हाथ की लिखी हुई निम्नलिखित अर्जी अदालत के सामने पेश कर दी।

## सबूत-पक्ष की घृणित चालें

"शुरू गिरफ्तारी के समय से ही सबूत की तरफ से जैसी घृणित चालें मेरे साथ चली जा रही हैं और उनसे मेरी सफाई के प्रबंधों में जैसी बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं निम्नलिखित बातें अदालत के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूं :

(1) 3 मई को गिरफ्तार होते ही मैं तुरंत लाहौर फोर्ट पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। मैंने अपने वकील से मिलने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी, परंतु पुलिस अधिकारियों ने साफ नामंजूर कर देने तक की कृपा नहीं दिखलाई। मेरी और मेरे वकील की अर्जियां पड़ी रहीं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। यदि मेरी ओर से इस अदालत ने हस्तक्षेप न किया होता, तो शायद अब तक भी मैं पुलिस की हिरासत में ही पड़ा रहता।

(2) पुलिस ने 15-15 दिन के बीच में दो बार मैजिस्ट्रेट की अदालत से मुहलतें लीं। पहली दफा मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की मुहलत की दरख्वास्त एक मिनट में ही मंजूर कर ली। उन्होंने अभियुक्त की बात को धैर्य देकर सुनना भी अनुचित समझा। दूसरी दफा पुलिस की मुहलत की दरख्वास्त मेरी गैर-मौजूदगी में ही मंजूर करके बाद में उसकी खबर मेरे पास पहुंचा दी गई !

## मैजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत दर्ज करने से इनकार

(3) शिनाख्त-परेड के समय मैजिस्ट्रेट ने, परेड के समय की गैर-कानूनी कार्रवाइयों

के विरुद्ध मेरी जो शिकायत थी, उसे बार-बार प्रार्थना करने पर भी लिखने से इनकार कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने शिनाख्त-परेड के समय मेरे वकील को उपस्थित रहने की भी इजाजत नहीं दी। व्यवहार से मैजिस्ट्रेट पुलिस अफसरों के मातहत मालूम पड़ते थे, स्वतंत्र विचार के नहीं। ऐसी शासन-प्रणाली में, जिसमें न्याय-विभाग कार्यकारिणी के हाथ का यंत्र है, अमन और कानून की रक्षा का जैसा-रुख होना चाहिए वैसा ही उनका था। बेचारा मैजिस्ट्रेट दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करे या रोटी देने वाली कार्यकारिणी की इच्छाओं का पालन करे।

(4) 3 जून को पुलिस की दोनों मुहलतों के बीत जाने पर मैं न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया और साथ ही अदालत की ओर से हिदायत कर दी गई कि मैं इस केस के अन्य अभियुक्तों के साथ ही रखा जाऊं, जिससे सफाई के संबंध में पारस्परिक परामर्श करने में सुविधा हो परंतु जेल के सुपरिंटेंडेंट ने इन आज्ञाओं का उल्लंघन करना ही उचित समझा और मुझे 140 नं. के कमरे में बंद करने की इज्जत प्रदान की, जिसमें सरदार भगत सिंह और राजगुरु अपनी फांसियों के थोड़े ही पहले रह चुके थे। 4 जून को जाकर कहीं मैं अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तों के साथ रखा गया।

(5) 6 जून की पूर्वाह्न के समय, जब कि मेरे सहयोगी अभियुक्त अदालत में हाजिर थे, मैं जेल के फाटक पर मुलाकात करने के लिए कहकर बुलाया गया। परंतु वहां आने पर मुलाकात के बजाए, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं दंड-गृह में पहुंचाया जा रहा हूं। डिप्टी-जेलर ने मुझसे कहा कि अदालत से भी उच्च राजसत्ता के हुक्म के मुताबिक अदालत का वह हुक्म, जिसके अनुसार तुम्हें अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाजत दे दी गई थी, हटा लिया गया। उच्च राजसत्ता ने, जिसका अर्थ प्रांतीय गवर्नमेंट है, मेरे लिए काल-कोठरी का भी हुक्म दिया है, क्योंकि मेरी कोठरी के 50 गज इर्द-गिर्द कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रकार का बंदी नहीं आ सकता।

उपरोक्त बातों से यह साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट ईमानदारी का बर्ताव नहीं कर रही है। इस केस में हम लोगों को दंडित करने के लिए उसे अपने पक्ष की प्रबलता पर विश्वास नहीं है। वह निंदनीय उपायों से सफाई के कार्यों में बाधाएं उपस्थित करके हम लोगों को दंडित करना चाहती है। सबूत-पक्ष मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध चलने वाले केस की कमजोरी से भली-भांति परिचित है, इस कारण उसने नीच प्रकार की चालों का आश्रय ग्रहण किया है। सफाई का संगठित प्रबंध होने पर यह केस ताशों द्वारा बने हुए घर की तरह नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है। अदालत के यह फैसला कर देने के बाद, कि मैं अन्य अभियुक्तों के साथ ही रखा जाऊं, सबूत-पक्ष का प्रांतीय गवर्नमेंट द्वारा अदालत के हुक्म को बदलवा देने का

कार्य निश्चय ही सम्मानपूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्रीमान, मेरा तो कथन है कि सबूत-पक्ष कानून को अपने हाथों में उठाए ले रहा है। उसका जो भाव है वह अदालत की तौहीन करने का एक स्पष्ट केस है। मुझे अन्य अभियुक्तों से अलग रखने के मामले में सबूत-पक्ष जब अदालत द्वारा असफल हुआ, तब उसने अदालत के हुक्म का अतिक्रमण करने का एक दूसरा उपाय सोचा और उसमें सफलता प्राप्त कर ली। यह ऐसा उद्धत कार्य है, जो भलमनसाहत से दूर है।

## मुकदमा महज पाखंड है

गवर्नमेंट ने अपनी उद्धत-नीति के द्वारा यह बात साबित कर दी है कि यह मुकदमा निरा पाखंड है। वह इस अदालत के फैसले को तभी तक मानेगी, जब तक वह उसके हितों के विरुद्ध नहीं है। अपने विरुद्ध फैसला होने पर वह उस फैसले को शून्य बना देने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह उसने अभी दिखला दिया है। अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले कमजोर, परंतु सच्चे विद्रोहियों को कुचल डालने के लिए संपूर्ण शासन-यंत्र का प्रयोग करने तक से वह नहीं हिचकती। मैं क्रांतिकारी हूं और मुझे क्रांतिकारी होने का गर्व है। सबूत-पक्ष को ईमानदारी से काम लेना चाहिए, अन्यथा इस मुकदमे से फायदा ही क्या है ? अदालत में अभियुक्तों के सहयोग की आवश्यकता ही क्या है ? अदालत द्वारा अभियुक्तों के छोड़ दिए जाने पर भी सबूत-पक्ष उन्हें छोड़ने से इनकार कर देगा और संभव है कि सन् 1818 के तीसरे रेगूलेशन के अनुसार उन्हें रोक रखा जाए।

मैंने अपना केस जहां तक संभव था, स्पष्टता के साथ प्रकट कर दिया है। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि वह सबूत-पक्ष की गैर-कानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय दे और अभियुक्तों के हित की रक्षा करे। यदि मुकदमा न्याय से होना है, तो दोनों दलों को अदालत के प्रभुत्व को मानना चाहिए, अन्यथा सब व्यर्थ है।

आशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जाएगा।

इसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि सुखदेवराज की अर्जी जेल के सुपरिंटेंडेंट के पास सुखदेवराज को लौटा देने के लिए भेज दी जाए। आगे के लिए अदालत ने कहा कि मौका पड़ने का हुक्म दिया जाएगा।

**16 जून, 1931 :** आज जलपान के बाद अदालत के बैठने पर श्री सुखदेवराज की फिर पेशी हुई। दर्शकों की गैलरी खचाखच भरी हुई थी।

अभियुक्त सुखदेवराज ने अपने सहयोगी अभियुक्तों से अलग रखे जाने के विरोध में जो अर्जी दी थी, उसी पर अभियुक्त की तरफ से मि. श्यामलाल ने आज बहस की।

अर्जी में कहा गया था, कि अभियुक्त अदालत के 2 जून वाले हुक्म के अनुसार न्याय-विभाग की हिरासत में कर दिया गया था। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद यह भी सिफारिश की थी कि अभियुक्त सुखदेवराज अपने केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखा जा सकता है। जेल के सुपरिंटेंडेंट ने अदालत की सिफारिश का पालन किया; परंतु 6 जून को अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से फिर अलग कर दिया गया, जिसका कारण जेल के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं था, बल्कि प्रांतीय सरकार का हुक्म था। अर्जी में यह भी कहा गया था कि अभियुक्त जेल के अन्य कैदियों से बिलकुल अलग एक काल-कोठरी में रखा गया है। अभियुक्त ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की, कि वह सरकारी वकील से गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए इस हुक्म का कारण पूछे, जो यदि संतोषजनक न समझ पड़े, तो ट्रिब्यूनल अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दे। यदि ट्रिब्यूनल की आज्ञाओं या सिफारिशों का पालन न हो सके, तो अभियुक्त को जमानत पर ही छोड़ दिया जाए।

## अर्जी खारिज

मि. श्यामलाल ने अदालत से पूछा कि क्या सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रखे जाने के कारण के विषय में जेल सुपरिंटेंडेंट का कोई उत्तर आया है ?

प्रेजिडेंट ने कहा, कि इस विषय में वहां से कोई खबर नहीं आई है।

मि. श्यामलाल ने कहा कि कैदियों के अलग रखने के विषय में स्त्री-पुरुष-भेद का या श्रेणी-भेद का विचार किया जाता है। अदालत से दंडित हो जाने वाले कैदी तक आपस में मिलने-जुलने से वंचित नहीं किए जाते। यदि किसी श्रेणी में केवल एक ही कैदी होता है, तो उसे अन्य श्रेणी के कैदियों से मिलने-जुलने दिया जाता है।

मि. सलीम—आपका मतलब यह है कि सुखदेवराज को अलग रखना अनिश्चित समय तक के लिए काल-कोठरी में रखने के बराबर है ?

मि. श्यामलाल—जी हां, कैदी के लिए एकांतवास से बढ़कर और कोई दंड नहीं हो सकता। केस के अधिक समय तक चलने की संभावना है। यह संभव है, कि इस एकांतवास का अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह से बिलकुल अलग रखने से उसकी सफाई में भी बाधा पड़ेगी। ऐसी हालत, में जब कि अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो और उसकी सफाई में बाधा पड़ती हो, अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

मि. श्यामलाल ने कहा कि इस संबंध में मैं हाईकोर्ट में जाब्ता फौजदारी की दफा 56-ए के अनुसार कार्रवाई करने वाला हूं। अदालत से मेरी प्रार्थना है, कि वह इस केस की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दे। इस पर ट्रिब्यूनल ने

22 ता. तक के लिए केस स्थगित कर दिया।

दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के मुखबिर खैरातीराम की जिरह स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज भी जारी रही।

मि. श्यामलाल के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा, कि लाहौर फोर्ट में अभियुक्तों की शिनाख्त होने के समय मैं नहीं जानता था कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी। लायलपूर की कुछ जगहों के पते बतलाने पर मुझे माफी मिली थी। पहरा देने वाले के हाथ मैंने सी. आई. डी. अफसरों के पास एक खबर भेजी थी, जिसका अभिप्राय यह था कि वे सरकारी वकील से कहकर मेरी तरफ से अदालत में एक ऐसी अर्जी दाखिल कर दें, जिससे मैं जेल की हिरासत से बदलकर लाहौर-फोर्ट की हिरासत में कर दिया जाऊं, क्योंकि जेल में मेरा स्वास्थ्य बराबर खराब होता जा रहा था। यह खबर मैंने लाहौर सेंट्रल जेल में आने के एक सप्ताह बाद भेजी थी। चार कांस्टेबिल, नूर हुसेन नाम के हेड-कांस्टेबिल के साथ मेरे पहरे पर तैनात थे। लाहौर फोर्ट में हेड-कांस्टेबिल तो दिखलाई पड़ता था, परंतु वे चार कांस्टेबिल वहां नहीं थे। खबर भेजने के बाद मुझसे कोई पुलिस अफसर नहीं मिला, सिर्फ सरकारी वकील और एक मैजिस्ट्रेट जेल में मुझसे मिलने के लिए आए थे।

## मुखबिर की अर्जी

मि. अमोलकराम कपूर के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा, कि जिस दिन मुझसे सरकारी वकील और मैजिस्ट्रेट मिले थे, उस दिन मैंने एक कागज पर हस्ताक्षर किया था। कागज मुझे मैजिस्ट्रेट ने दिया था। उसे पढ़ लेने के बाद मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। सरकारी वकील से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वह कागज मेरी ओर से लिखी हुई अर्जी थी, जिसमें लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य जेल में बराबर खराब होता जा रहा है, इसलिए जेल से बदलकर मैं लाहौर-फोर्ट में कर दिया जाऊं या जमानत पर छोड़ दिया जाऊं। अर्जी में यह भी लिखा था, कि सेंट्रल जेल में मुझे जान का खतरा मालूम होता है।

## फोर्ट में

आगे जिरह करने पर मुखबिर वह तारीख या महीना नहीं बतला सका, जब उसके पिता और भाई जेल में उससे मिले थे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मुझे यह याद नहीं, कि वे मुझसे मैजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हो जाने के पहले मिले थे या बाद में। मैं अदालत में 14 जनवरी, सन् 1931 को हाजिर हुआ था। मेरे पिता और भाई मुझसे इसके पहले ही मिल चुके थे। 14 जनवरी के बाद मैं उनसे

दो बार मिला था। किंतु मिलने की तारीखें मुझे याद नहीं हैं। लाहौर फोर्ट में मैं अपनी कोठरी में रहा करता था। शौच क्रियादि और स्नान के समय के अतिरिक्त कोठरी के बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली थी। माफी मिल जाने के बाद, दिन और रात दोनों वक्त मैं कोठरी में ही रखा जाता था। माफी मिलने के पहले दिन के वक्त मैं कोठरी के अंदर हथकड़ियां डालकर और रात के वक्त एक हाथ में हथकड़ी डालकर, जिसकी जंजीर कांस्टेबिल की चारपाई से बंधी रहती थी, खुले में रखा जाता था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

आज ही मुखबिर इन्द्रपाल की उस अर्जी पर भी विचार हुआ, जिसमें कहा गया था, कि मुखबिर को कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में वह जमानत पर छोड़े जाने के लिए एक अर्जी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील ने कहा, कि अदालत किस कानून के अनुसार मुखबिर को कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत दे सकती है ? जेल के नियमों के अनुसार अदालत अभियुक्त को केवल गवाही के लिए बुला सकती है; दूसरे किसी भी कार्य के लिए वह उसे नहीं बुला सकती। अदालत में हाजिर होने के वक्त भी अभियुक्त जेल-अधिकारियों की हिरासत में रहता है।

इस पर रायबहादुर गंगाराम ने कहा कि यदि अदालत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकती है, तो क्या वह अदालत में कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती ?

इस पर पंडित ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत को इन मामलों में वहां तक अख्तियार है, जहां तक किसी जेल-नियम का उल्लंघन नहीं होता। इस केस में इन्द्रपाल के विरुद्ध कोई मामला नहीं चल रहा है और न वह कोई अभियुक्त ही है। वह सबूत-पक्ष का एक गवाह है, जिसका बयान अभी समाप्त नहीं हुआ है।

अदालत ने अर्जी मंजूर कर ली और कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत दे दी गई।

**17 जून, 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए लाहौर षड्यंत्र केस का मामला फिर पेश हुआ। अभियुक्त बिशनदास बीमार होने के कारण आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। उसने अपनी उपस्थिति का अधिकार अपने वकील को दे दिया था।

सफाई के वकील मि. अमोलकराम कपूर से, जिरह के उत्तर में, मुखबिर खैरातीराम ने कहा, कि मैं अपनी गिरफ्तारी के बाद लाहौर के बाहर केवल लायलपूर भेजा गया था। मुझे नहीं मालूम कि 20 अक्तूबर, 1930 तक मुझे माफी क्यों नहीं मिली। मुझे यह भी नहीं मालूम कि दल का नाम 'आतिशी चक्कर पार्टी' के अतिरिक्त और भी कोई है या नहीं। इस केस की जांच के समय मैंने किसी बम

की शिनाख्त नहीं की थी।

सफाई के वकील मि. अमोलकराम ने कहा—इस अदालत के सामने अपने बयान में तुम कह चुके हो कि हंसराज ने शाहदरा में तुमसे कहा था कि मलिक कुन्दनलाल और धर्मवीर लायलपूर में 'आतिशी चक्कर' के पर्चे बांटने वाले थे। यह बात न तो तुमने अपने पुलिस के सामने दिए गए बयान में कही है और न मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कही है। क्या इसका कोई कारण बतला सकते हो ?

मुखबिर—अगर जो आप कहते हैं वह ठीक है, तो उन बयानों में उस बात के न कहने का कारण यह है कि मुझे उस समय उसका ख्याल नहीं रहा। मुझे याद नहीं कि पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए किसी बयान में वह बात मैंने कही थी या नहीं।

## अफसरों की हत्या का उद्देश्य

इसके बाद मि. अमरनाथ मेहता एडवोकेट के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि हंसराज ने मुझसे कहा था कि 'आतिशी चक्कर पार्टी' के उद्देश्यों में एक यह भी है, कि जिस दिन भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जाए, उस दिन उच्च यूरोपियन अफसरों के बंगलों पर बम फेंके जाएं।

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि दुर्गादास द्वारा क्रांतिकारी विचारों में परिणत किए जाने पर मैंने दल के कार्यों में भाग लेने का प्रण कर लिया। मैं क्रांतिकारी दल का उद्देश्य, हिंसक उपायों से शासन में बाधा डालना समझता था। हंसराज ने मुझसे दल का उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से निकाल बाहर कर देना और पुलिस तथा फौजी शक्तियों को, जिनके आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में राज्य कर रही है, नष्ट कर देना बतलाया था। दुर्गादास ने मुझसे कहा था कि दल को उच्च अफसरों की हत्या करनी चाहिए, जैसा कि भगत सिंह और दूसरों ने किया था। मैं नहीं कह सकता कि हंसराज ने मुझमें कौन-सी खूबी देखकर कहा था कि नवयुवकों को भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे याद नहीं कि मैंने पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने अपने किसी बयान में कहा था कि हंसराज ने मुझसे कहा था कि गुलाब सिंह और मलिक कुन्दनलाल शाहदरा गन-काटन बनाने के लिए आए थे। जब मैंने हंसराज को उनके कार्य में सहायता देने का वचन दिया था, तब मैंने उनसे यह नहीं पूछा किस प्रकार की सहायता देनी होगी।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुखबिर खैरातीराम का बयान समाप्त हुआ। सफाई के वकील मि. अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा

कि मलिक कुन्दनलाल ने जो मुझसे कहा था कि 19 जून, सन् 1930 को सवेरे मैं और धर्मवीर दल के उस मकान में गए थे, जहां बम फिट करके रखे हुए थे, वह ठीक है। बत्ती जलाकर वे भाग आए थे। बमों के फट जाने के बाद वे वहां तमाशा देखने के लिए गए थे। वहां बहुत-से लोग एकत्र हो गए थे। जब हंसराज ने मुखबिर इन्द्रपाल के हाथ से एक बम लेकर मुझे दिखलाया तो मैंने समझा कि हंसराज का भी षड्यंत्रकारी दल से कोई संबंध है। मैं षड्यंत्रकारी दल के सदस्य और सहायक का भेद नहीं बतला सकता। लाहौर फोर्ट में मेरा बयान सब-इंस्पेक्टर 'मेहर जी' ने लिखा था। मैं नहीं जानता कि 'मेहर जी' मेरे पिता को जानते हैं या उन्होंने मेरी माफी के लिए कोई प्रयत्न किया है।

मि. प्राणनाथ मेहता के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर में कांग्रेस-अधिवेशन के समय मेरी कुन्दनलाल से किसी राजनीतिक विषय पर बातचीत नहीं हुई। हंसराज ने मुझसे कुन्दनलाल, अमरीक सिंह, गुलाब सिंह और रूपचन्द के अतिरिक्त और किसी भी दल के सदस्य का नाम नहीं बतलाया था। मैं भावलपुर रोड की बम-घटना और रावी-तट पर एक सदस्य के मर जाने की घटना के अतिरिक्त दल की और किसी भी कार्रवाई को नहीं जानता।

सरकारी वकील रायबहादुर पंडित ज्वालाप्रसाद के फिर प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर फोर्ट में पुलिस ने मुझे कुछ सिखलाया नहीं। हसंराज के पिता का नाम गिरधारीलाल है, परंतु मैंने उन्हें कभी देखा नहीं।

**19 जून, 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल में बड़ी सनसनी रही। आज तीसरे मुखबिर मदनगोपाल की गवाही प्रारंभ हुई। गवाह के कठघरे में मुखबिर मदनगोपाल के आने पर सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने कहा कि इस मुखबिर की गवाही कानूनन जायज नहीं है, क्योंकि इसकी माफी ट्रिब्यूनल बन जाने के बाद और केस उसके अधिकार में सुपुर्द हो जाने के बाद मिली थी। मि. श्यामलाल ने इस संबंध में सन् 1930 के ऐक्ट चतुर्थ की नवीं दफा की ओर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित किया।

परंतु ट्रिब्यूनल ने आपके तर्क को स्वीकार नहीं किया और मुखबिर का बयान प्रारंभ हो गया।

## मुखबिर का बयान

शपथ लेने के लिए कहे जाने पर मुखबिर ने कहा कि जो कुछ मैं कहूंगा; सच कहूंगा; परंतु यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ मैं पुलिस के कहने से पहले कह चुका हूं और जो ठीक नहीं था, उसे भी इस वक्त दुहराऊं।

सरकारी वकील, रायबहादुर पंडित ज्वालाप्रसाद के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर

ने कहा कि मैं अजमेर के यादव स्थान का निवासी हूं। और मैंने सन् 1929 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की थी। सन् 1929 में जब से मैंने समाचार-पत्रों में असेंबली बम-घटना और भगत सिंह और दत्त के विषय की बातें पढ़ीं, तब से मुझे क्रांतिकारियों से सहानुभूति हो गई। अजमेर में मेरी एक गोशाला थी। केशवचन्द्र नाम का व्यक्ति मुझसे राजनीतिक मामलों की चर्चा किया करता था। वह भगत सिंह और दत्त के कार्यों की प्रशंसा किया करता था और मुझसे कहा करता था कि प्रत्येक नवयुवक का कर्तव्य है कि वह भारत को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करे। एक दिन चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुझसे कहा कि मैं चन्द्रशेखर आजाद से तुम्हारा परिचय करा दूंगा। उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं उसी दल का सदस्य हूं। उसके यह कहने के समय मैंने अनुमान लगाया कि मैं भी दल का सदस्य हो गया हूं।

## तीन विभाग

मुखबिर ने कहा, कि केशवचन्द्र ने मुझसे बतलाया था कि दल तीन विभागों में विभक्त है। पहले विभाग में कार्य करने वाले लोग रहते हैं, जिनका काम हत्याएं करना और डाके डालना रहता है, दूसरा विभाग प्रचारकों का है। इस विभाग का काम नवयुवकों में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना और उन्हें सदस्य बनाना रहता है। तीसरा विभाग क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखने वालों का है। इस विभाग के व्यक्ति फरार अभियुक्तों और दल के सदस्यों को शरण देते और दल को आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं। उसने मुझसे बतलाया था कि क्रांतिकारी दल का उद्देश्य वर्तमान शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसके स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन शासन कायम करना है। उसने मुझसे यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय आंदोलनों में बाधा डालने वाले पुलिस अफसरों की हत्या कर दी जाए। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे पोस्ट-बाक्स का काम लूंगा। अर्थात मेरे पत्र तुम्हारे पते से आया करेंगे।

## दल का साहित्य

आगे प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि केशवचन्द्र मेरे पास एक रिवाल्वर, यह कहकर छोड़ गया, कि अपने पास रखने में आजकल डर मालूम हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के मकानों की तलाशियां हो रही हैं, जो मजदूर-आंदोलन में भाग लेते हैं। रिवाल्वर के साथ उसने कुछ कारतूस भी दिए थे। मैंने उन्हें अपनी गोशाला में घास के ढेर के नीचे रख लिया था। कुछ समय बाद मैंने पिस्तौल और कारतूस

उन्हें लौटा दिए। इसके बाद विमलप्रसाद और कान्तिप्रसाद से, जो कि दल के सदस्य थे, मेरा परिचय हुआ। इसके दस या पंद्रह दिन बाद कान्तिप्रसाद ने मुझे 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' शीर्षक एक पर्चा दिखलाया, जिसमें लिखा था कि यदि दल का सदस्य, दल का कोई भी भेद किसी पर प्रकट करेगा तो वह मार दिया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को अपने जिले के संगठनकर्ता की आज्ञा माननी पड़ेगी। सदस्यों का कर्तव्य है, कि वे दल के कार्यों को अपने निजी कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्व दें। मुखबिर ने कहा कि उस पर्चे में यह भी लिखा था कि केंद्रीय कमिटी को, फौजी शिक्षा के लिए नवयुवकों को विदेश भेजने का प्रबंध करना है, जिससे जब भारतवर्ष में विप्लव फैले तो दल देश का नेतृत्व कर सके। उस पर्चे में मैंने यह भी पढ़ा था कि प्रचार-विभाग गुप्त और प्रत्यक्ष दो शाखाओं में विभक्त है। उसमें लिखा था कि प्रत्यक्ष प्रचार का कार्य नौजवान भारत-सभाएं और सेवा-समितियां कर रही हैं। गुप्त प्रचार का मतलब ऐसे राजद्रोहात्मक साहित्य को प्रकाशित करना है जो साहित्य खुलेआम नहीं छापा जा सकता। उस पर्चे में लिखा था कि जिले के संगठनकर्ताओं के पास हथियार रहा करेंगे, परंतु बिना केंद्रीय कमिटी की आज्ञा के वे किसी दूसरे सदस्य को न दिए जा सकेंगे। कान्तिप्रसाद के पास 'बम की फिलासफी' शीर्षक एक दूसरा पर्चा भी था। कान्तिप्रसाद ने कहा कि इस पर्चे का उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा 'यंग इंडिया' में लिखे गए एक लेख का उत्तर देना था। यह पर्चा हिंदुस्तान भर में बांटा गया था।

इसके बाद मुखबिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि कान्तिप्रसाद ने तार द्वारा मई, 1930 में मुझे दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में 'बड़े भैया' अर्थात चन्द्रशेखर आजाद से क्वीन्स गार्डन में मेरा परिचय हुआ।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

## बड़े भैया

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुखबिर ने कहा कि क्वीन्स गार्डन में आपस में बातचीत होने के बाद 'बड़े भैया' (चन्द्रशेखर आजाद) हम लोगों से अलग हो गए और मैं कान्तिप्रसाद उर्फ कैलाशपति के साथ विमलाप्रसाद के घर चला गया। रास्ते में कान्तिप्रसाद ने मुझसे कहा कि मैं बड़े भैया के साथ लाहौर जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद बड़े भैया एक चमड़े का संदूक लिए हुए वहां पहुंचे। बड़े भैया और कान्तिप्रसाद फ्रंटियर-मेल से लाहौर के लिए रवाना हो गए। बड़े भैया सेकंड क्लास के डिब्बे में और उसके बगल वाले 'सरवेंट' वाले डिब्बे में मैं बैठा। लाहौर रेलवे-स्टेशन पर शिव हम लोगों को लेने के लिए आए थे। वे हम लोगों को सिविल लाइंस के एक मकान में ले गए, जहां भगवतीचरण, एम. जी. शुक्ल उर्फ 'प्रान'

भी उपस्थित थे। इतना कहने के बाद मुखबिर ने कहा कि मैंने अपने पहले के बयान में पुलिस के कहने से एम. जी. शुक्ल का वास्तविक नाम यशपाल बतलाया था। भगवतीचरण, यशपाल और बड़े भैया ने आपस में कुछ परामर्श किया। मैं भगवतीचरण के मकान पर करीब दो दिन ठहरा था। दो दिन के बाद 'प्रान' मुझे भावलपुर रोड पर के एक बंगले पर ले गया। वह दिन ता. 23 मई, सन् 1930 का था।

## मुखबिर 'बैरा' बनाया गया !

भावलपुर रोड के मकान पर मुझसे बैरा का काम करने और सूरज के रसोईदार का काम करने के लिए कहा गया।

इसी बीच में अदालत के सामने यशपाल की फोटो पेश की गई, जिसकी मुखबिर ने शिनाख्त की। इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मैंने और सूरज ने बड़े भैया के आदेशों के अनुसार मकान की सब चीजें ठिकाने कीं। उस मकान में मैं 2 जून, सन् 1930 तक रहा। मेरे रहने के वक्त उस मकान में सूरज, प्रान, दीदी और भाभी नाम से पुकारी जाने वाली दो औरतें और राज रहते थे। बड़े भैया उस मकान से रात के वक्त चले जाया करते थे। वे केवल 27 मई की रात को उस मकान में सोए थे। 25 और 28 मई की रातें भी उन्होंने उस मकान में बिताई थीं। 28 मई की रात को उस बंगले में एक धनी नाम का व्यक्ति सोया था। 30 मई को बंगले में आसफ नाम का एक व्यक्ति आया था। एक दूसरा व्यक्ति, जिसे लोग सरदार कहते थे, 30-31 मई और पहली जून को आया था। 'जाट' नाम का भी एक व्यक्ति बंगले में आया था।

## बम की परीक्षा

मुखबिर ने कहा कि 'भाभी' भगवतीचरण की स्त्री थीं। 28 मई, सन् 1930 को लगभग चार-पांच बजे शाम को सूरज ने मुझे तैयार होने और राज को कहीं ले जाने के लिए कहा। राज के पैर में तांगे से चोट आ गई थी। बाहर जाते वक्त मैंने राज को बंगले के एक कमरे में पड़ा हुआ देखा। दीदी उसके बाएं पैर में पट्टी बांध रही थीं। मैंने खुद उसकी चोट नहीं देखी थी। मैंने शिव को बड़े भैया से यह कहते हुए सुना था कि शिव और भगवतीचरण किसी बम की परीक्षा करने के लिए कहीं गए थे, वहीं बम के फट जाने से भगवतीचरण और राज घायल हो गए थे, जिसमें भगवतीचरण अधिक घायल हुए थे।

इस बीच में ट्रिब्यूनल ने मुखबिर से कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने तुमने जो बयान दिया था, उसमें तुमने दाहिने पैर में चोट लगने की बात कही थी, परंतु इस

वक्त के बयान में तुमने कहा है कि चोट बाएं पैर में लगी थी। इस बार मुखबिर ने कहा कि मैं भूल गया, चोट दाहिने पैर में लगी थी, बाएं में नहीं।

## मैजिस्ट्रेट के सामने का बयान

मि. सलीम—पुलिस के सामने दिए गए बयान में तुमने कहा था कि चोट 3 इंच लंबी थी, परंतु इस वक्त के बयान में तुमने उसका कोई जिक्र नहीं किया ?

मुखबिर—मैजिस्ट्रेट के सामने जब मेरा बयान हो रहा था, उस समय कुछ शब्द मैं कहता था और कुछ शब्द पुलिस-अफसर जोड़ दिया करता था। मैजिस्ट्रेट हम दोनों के सम्मिलित वक्तव्य को लिखता जाता था। 3 इंच की चोट की बात जो मेरे बयान में आई है, वह पुलिस-अफसर की लिखाई हुई है। पुलिस-अफसर के यह लिखाते समय मैं चुप था। पुलिस के सामने जब मेरा बयान लिखा जा रहा था, तब पुलिस ने उपरोक्त बात अपने आप लिख ली थी। लिखते समय मुझसे कहा गया कि यह बात जानी हुई है कि 3 इंच की गहरी चोट लगी थी। इस पर मैंने पुलिस से कहा कि मैं झूठ न बोलूंगा। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के समय मैं चुप था, पुलिस-अफसर बोलकर लिखाता गया। उस समय मैंने इसका विरोध नहीं किया और न इस विषय में मैजिस्ट्रेट का ध्यान ही आकर्षित किया। जहां कहीं मैं कुछ भूल जाता था, वहां पुलिस-अफसर पुलिस के सामने दिए हुए मेरे बयान की नकल देखकर, जो कि उस वक्त उसके पास ही थी, बोल देता था।

इसके बाद अन्य प्रश्नों के उत्तर में मुखबिर ने अपनी गवाही में आगे कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर के. एस. मिर्जा अताउल्ला शाह मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं गए, यद्यपि मैजिस्ट्रेट उनका बयान लिख रहे थे। मुखबिर ने कहा कि बयान देने के लिए पुलिस लाहौर फोर्ट से मुझे मैजिस्ट्रेट की अदालत में केवल दो रोज, 6 और 7 दिसंबर को ले गई थी। इसके बाद, यद्यपि मेरा बयान अभी पूरा न हुआ था, वह मुझे मैजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं ले गई। मैं इस ख्याल में था कि बयान देने के लिए मैं फिर कभी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाऊंगा। परंतु 14 या 15 दिसंबर को के. एस. मिर्जा अताउल्ला शाह ने मुझसे कहा कि हम लोग तुम्हें दो रोज मैजिस्ट्रेट की अदालत में सिर्फ कानूनी रस्म पूरी करने के लिए ले गए थे, नहीं तो मैजिस्ट्रेट हम लोगों का दोस्त है।

## जेल में बयान रटाने की शिक्षा

इस बीच में अदालत के उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए मुखबिर ने

अदालत के सामने अपने जूते के अंदर से कागज का एक टुकड़ा निकालकर पेश किया और कहा कि परसों जेल में पुलिस के एक डी. एस. पी. ने मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नकल दी और कहा कि इसे जबानी याद कर लेना। मैंने उस बयान को पढ़ा, इसके बाद डी. एस. पी. उसे ले गया। कल फिर वही पुलिस-अफसर जेल गया और जेल के एक क्लर्क के द्वारा मुझे बुलवाकर बयान की नकल दी। उस पुलिस-अफसर के हाथ में दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबिर कैलाशपति के बयान की भी एक नकल थी। पुलिस-अफसर ने मुझसे कहा कि होशियार रहना, मुखबिर कैलाशपति द्वारा कही हुई बातों का कहीं खंडन न हो। बयान पढ़ लेने के बाद वह मुझसे ले लिया गया। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने मैंने जो बयान दिया था, उसकी नकल मेरे पास रहने दी गई। उसी नकल से मैंने जो नोट तैयार किए हैं, उन्हें जूते में छिपाकर अदालत के सामने पेश करने के लिए लाया हूं। डी. एस. पी. अफसर ने चेतावनी देते हुए मुझसे कहा था, अगर बयान में कहीं गलती की तो माफी छिन जाएगी। जूते के अंदर लाने के कारण कागज फट गया है और उसका कुछ अंश अब भी जूते में चिपका हुआ है। इतना कहकर मुखबिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों को अपना जूता दिखला दिया।

## पुलिस की चिंता

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मैं अपने बयान की नकल ट्रंक में बंद करके रख आया हूं। ट्रंक की कुंजी बिस्तर में है। सरदार प्रताप सिंह डी. एस. पी. ने मुझसे पूछा था कि कुंजी कहां है ? मैंने कहा, कमरे में है। अदालत के हाते में जेल के क्लर्क के आकर मुझसे, पुलिस-अफसरों के जेल में जाकर मिलने की बात अदालत से न कहने के लिए कहा। उसने कहा कि इस बात के मालूम हो जाने से मैं बरखास्त कर दिया जाऊंगा। क्लर्क से कुंजी के विषय में पूछने पर मालूम हुआ कि कुंजी नहीं मिली। परंतु अदालत के जलपान के समय कोई इंस्पेक्टर ने आकर मुझसे पूछा कि बयान की नकल का पहला पृष्ठ कहां है। मुखबिर ने अदालत से कहा कि नकल को ट्रंक में रखते समय उसका पहला पृष्ठ निकालकर मैंने अन्यत्र रख दिया था। इंस्पेक्टर के पूछने से मुझे शक होता है, कि ट्रंक से नकल निकाल ली गई है। जो कागज मैंने अदालत में पेश किया है, उसमें नकल के प्रथम 18 पृष्ठों के वाक्य और लाइनों के नंबर दर्ज हैं। कागज में जो संख्या दी हुई है, वह लाइनों की है। जूते के तल्ले का निरीक्षण करने पर कागज का एक और छोटा-सा टुकड़ा निकला।

## सफाई के वकील ने जांच की मांग पेश की

सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने अदालत से इस घटना की जांच करने की प्रार्थना की।

अदालत के पूछने पर मुखबिर ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की नकल का प्रथम पृष्ठ, जो मैंने छिपाकर रखा है, उसे पेश करने की आशा रखता हूं। परंतु यदि पुलिस उसे पा गई होगी तो मैं लाचार हूं।

मि. सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि यदि ट्रिब्यूनल ने मुझसे पूछा न होता तो अदालत के उठने के 5-6 मिनट पहले मैंने स्वयं ही सब बात बतलाई होती।

अदालत के उठने पर अदालत का क्लर्क मुखबिर के साथ बोर्स्टल जेल में जांच करने के लिए गया।

आज की कार्रवाई में कामरेड क्रान्तिकुमार ने, जो कि अभियुक्त धर्मवीर से मुलाकात करने के लिए गया था, दर्शकों की गैलरी से अदालत को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहा कि पुलिस ने अदालत के अंदर आने के समय मेरे जेब से एक पत्र ले लिया था, जो कि अब तक मुझे नहीं लौटाया गया।

इस पर अदालत ने इंस्पेक्टर डेविडसन से मि. क्रान्तिकुमार को गैलरी से निकाल बाहर करने का हुक्म दे दिया।

मि. क्रान्तिकुमार के हटाए जाने के समय दर्शक नन्दलाल ने, जो कि अभियुक्त जहांगीरीलाल के भाई हैं, ट्रिब्यूनल से निवेदन किया कि पुलिस इंस्पेक्टर मि. क्रान्तिकुमार को पीट रहे हैं।

इस पर अभियुक्त जहांगीरीलाल तथा अन्यत्र अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल से कहा कि यदि हम लोगों के रिश्तेदारों और दर्शकों को इस तरह से अपमानित किया जाएगा तो हम लोग अदालत में हाजिर होने से इनकार कर देंगे। दर्शकों पर इसलिए कड़ाई की जाती है, जिससे वे अदालत में आना छोड़ दें। यह तो असहनीय है।

इस पर दर्शकों की गैलरी में बैठे हुए लोग विरोध-स्वरूप अपनी-अपनी सीटें छोड़कर बाहर चले गए।

प्रेजिडेंट ने इंस्पेक्टर डेविडसन से पूछा कि क्या मि. क्रान्तिकुमार के साथ बुरा व्यवहार हुआ ? इंस्पेक्टर ने कहा, जी नहीं, दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मैंने केवल कोर्ट की आज्ञा का पालन किया है।

अभियुक्त कुछ बोलना चाहते थे, परंतु मि. श्यामलाल, अमोलकराम कपूर आदि के कहने से वे चुप रहे।

**19 जून, 1931 :** आज की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने प्रारंभ में अदालत के क्लर्क खान गुलमोहम्मद खां का बयान दर्ज किया। खान गुलमोहम्मद खां को

ट्रिब्यूनल ने मुखबिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार उसके छिपाए हुए कागज को लाने के लिए जेल भेजा था। उसने अपने बयान में कहा कि मैं स्पशेल ट्रिब्यूनल की आज्ञा से बोर्स्टल जेल के फाटक पर कल शाम को चार बजकर पांच मिनट पर पहुंचा। जेल के सुपरिंटेंडेंट उस वक्त मौजूद नहीं थे। करीब चार बजकर 15 मिनट पर मैं अंदर बुलाया गया और प्रवेश-द्वार के बगल वाले एक कमरे में, जो कि शायद जेल का आफिस था, बैठा दिया गया। मुखबिर भी वहीं बुला लिया गया। इसके बाद जब मुखबिर को जेल के कर्मचारी उसके कमरे की ओर ले जाने लगे तब मैंने भी मुखबिर के साथ जाना चाहा परंतु सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जाने की वहां कोई जरूरत नहीं है, मदनगोपाल कागज स्वयं ही लेता आएगा, अगर कोई होगा। सुपरिंटेंडेंट ने मुखबिर के साथ असिस्टेंट जेलर को भी भेजा था। मैं आफिस में बैठा उनके आने का रास्ता देखता रहा। करीब पंद्रह मिनट के बाद मुखबिर ने आकर कागज मुझे दे दिया, जिसे मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। उस कागज पर मैंने सुपरिंटेंडेंट जेल और असिस्टेंट जेलर के हस्ताक्षर करा लिए थे।

सरकारी वकील रायबहादुर पंडित ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत के इस गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध गवाही दी है। इसलिए मुझे इस गवाह से जिरह करने का समय दिया जाए।

इस पर सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने कहा कि नियम के अनुसार इस गवाह से जिरह करने का पहला अधिकार मेरा है। अदालत ने मि. श्यामलाल की बात मान ली।

मि. श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि बोर्स्टल जेल के फाटक पर पहुंचने पर मुझे फाटक का पहरेदार मिला। मैंने उससे कहा कि अदालत ने मुझे जेल के अंदर जाने की इजाजत दी है, परंतु उसने फाटक खोलने और अंदर जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि साहब ही आपको अंदर जाने की इजाजत दे सकते हैं। मैं मोटर पर बैठा बाहर इंतजार करता रहा। असिस्टेंट जेलर दोस्त अलीशाह से पूछने पर, जों कि मुखबिर को उसके कमरे तक पहुंचाने गए थे, मालूम हुआ कि कि बिना जेल-सुपरिंटेंडेंट की आज्ञा के जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। मैंने उनसे जेल-सुपरिंटेंडेंट तक खबर पहुंचा देने के लिए कहा। असिस्टेंट जेलर ने करीब साढ़े चार बजे लौटकर कह दिया कि मुझे जेल के अंदर कुछ उपयोगी कार्यवश देरी हो गई। साथ ही यह भी कहा कि बिना सुपरिंटेंडेंट की इजाजत के आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर मैंने उनसे यही बात लिखकर देने के लिए कहा। इस पर उन्होंने अदालत के हुक्म पर सही कर दी। परंतु मैंने कहा कि केवल आपकी सही पर्याप्त नहीं है, इस पर जेलर सुपरिंटेंडेंट की सही भी होना आवश्यक है। इस पर असिस्टेंट जेलर अदालत का आज्ञा-पत्र लेकर जेल के अंदर चले गए। पांच बजकर 10 मिनट पर जेल सुपरिंटेंडेंट बाहर आए,

मुझे अंदर लिवा ले गए और आफिस में एक कुर्सी पर बैठा दिया। मैं मुखबिर के साथ उसके कमरे तक जाना चाहता था, परंतु सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। इसके करीब पंद्रह मिनट बाद मुखबिर लौट आया। उसने कहा कि मेरी ट्रंक का ताला तोड़ दिया गया है और यह कहकर उसने मुझे अपनी तालियों का गुच्छा देना चाहा, परंतु मैंने कहा कि तालियों के गुच्छे के लिए मुझे अदालत से कोई हुक्म नहीं मिला। मुखबिर ने कहा कि ट्रंक से मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नकल भी गायब कर दी गई है।

इसके बाद सरकारी वकील रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहले मुखबिर ने मुझे तालियों का गुच्छा देना चाहा, फिर उसने अपने ट्रंक का ताला टूटने की शिकायत की। इसके बाद उसने वह कागज दे दिया, जिसके लेने के लिए मैं अदालत की तरफ से भेजा गया था। मेरे यह पूछने पर कि कोई और कागज भी तो नहीं है, मुखबिर ने कहा था कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कागज नहीं है, दूसरे कागज जो थे वे गायब कर दिए गए हैं। यह कागज, जो कि उसने दिया था, पुराना और फटा हुआ था। मैं नहीं जानता कि मुखबिर मदनगोपाल वह कागज कहां से लाया था, न इस विषय में किसी शख्स ने मुझे कोई बात बताई और न मैंने किसी से पूछा ही क्योंकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म मुझे नहीं दिया था। मुखबिर की कोठरी तक मेरे न जाने का कारण यह नहीं था, बल्कि न जाने का कारण जेल सुपरिंटेंडेंट का हस्तक्षेप था। यदि अदालत ने मुखबिर की कोठरी तक जाने का स्पष्ट आदेश दिया होता तो मैं सुपरिंटेंडेंट से मुखबिर के साथ उसकी कोठी तक जाने का आग्रह करता।

अदालत के क्लर्क की गवाही हो चुकने के बाद मुखबिर मदनगोपाल पेश किया गया।

मि. श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की कि कागज के संबंध में अगर मुखबिर की भी गवाही इसी वक्त हो जाए तो अच्छा हो।

अदालत के प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि कल शाम के वक्त मैंने अपने बयान का प्रथम पृष्ठ अदालत के क्लर्क को दिया था। उसे मैंने जेल में अपनी कोठरी के बाहर जमीन के अंदर से निकाला था। अदालत में जो कुछ मैंने कहा था उसका प्रमाण देने के लिए मैंने उस कागज को जमीन के अंदर सुरक्षित करके रख लिया था। जेल की कोठरी में मेरे दो सूटकेस थे। कल अदालत से जेल जाने पर मैंने देखा कि एक सूटकेस, जिसमें मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की नकल रखी हुई थी, गायब है। कल बोर्स्टल जेल पहुंचने पर अदालत के क्लर्क को, जिसे अदालत ने मेरे साथ अपने हुक्म से भेजा था, जेल के अधिकारियों ने जेल के फाटक पर

ही रोक लिया और मुझे जेल के अंदर ले गए। वहां वार्डर ने, जिसे लोग 'शाह जी' कहते हैं मुझसे पूछा कि बयान का प्रथम पृष्ठ कहां है ? मैंने कहा कि अदालत के किसी जिम्मेदार अफसर की अनुपस्थिति में मैं वह पृष्ठ किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता। इसके बाद वार्डर ने मेरे सूटकेस की ताली मांगी, जिसे देने से मैंने इनकार कर दिया। इस पर वार्डर ने सूटकेस का ताला तोड़ डाला, परंतु उसमें कुछ मिला नहीं। एक दूसरा कागज मैंने अपनी कोठरी के एक दराज में रख दिया था, परंतु मेरी गैर-मौजूदगी में पुलिस ने उसे भी गायब कर दिया था।

## भगवतीचरण की मृत्यु

इसके बाद मुखबिर की षड्यंत्र-संबंधी गवाही प्रारंभ हुई। सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक जूता पेश किया, जिसकी मुखबिर ने शिनाख्त की और कहा कि यह जूता वैसा ही है जैसा राज पहना करता था। इसके बाद मुखबिर ने कहा कि 'बड़े भैया' ने कहा था कि वह बम इतना भयानक था कि तीस गज का फासला होने पर भी वह राज की पुस्तक के आर-पार निकल गया। घायल हो जाने के बाद भगवतीचरण भावलपुर रोड वाले मकान पर नहीं लाए गए थे। भगवतीचरण के घायल होने के दिन 'बड़े भैया', धनी, प्रान और सूरज मकान से बाहर जाते समय भगवतीचरण के यहां जाने के लिए कह गए थे। ग्यारह बजे रात को उन सब के लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि भगवतीचरण की मृत्यु हो गई। 29 मई, सन् 1930 को सवेरे वे लोग फिर घर से निकल गए और शाम को 6 बजे वापस आए। उनकी बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि वे भगवतीचरण को रावी-तट के किसी जखीरे में दफन कर आए हैं। प्रान ने मुझसे साइकिलें लाने के लिए कहा। मुखबिर ने कहा कि मैंने पुलिस के कहने से इस संबंध में राज का नाम लिया था। उसी दिन शाम को दल के उपयोग के लिए शिव दो साइकिलें लाया था। भावलपुर रोड हाउस में हर वक्त दो-चार साइकिलें मौजूद रहती थीं। ता. 29 और 30 मई को 'बड़े भैया', सरदार, प्रान और जाट एक मोटर लारी पर आए और जेल पर आक्रमण करने की स्कीम पर विचार हुआ।

## जेल पर आक्रमण

मुखबिर ने कहा कि पहली जून सन् 1930 को 'बड़े भैया' से मालूम हुआ कि आज जेल पर आक्रमण किया जाएगा। इस संबंध में 30 ता. की रात को कुछ रिवाल्वर निकाल कर साफ कर लिए गए थे। 31 मई को तीन बम स्वयं प्रान और 'बड़े भैया' ने भरकर तैयार किए थे। उस वक्त कमरे में शिव बैठा हुआ था और राज सो रहा

था। मैंने भगवतीचरण की मृत्यु के पहले कुछ बम अलमारी में रखे हुए देखे थे। वे टेनिस की गेंद के आकार के थे। इसी बीच अदालत में मुखबिर के सामने सरकारी वकील ने एक बम पेश किया, जिसे देखकर मुखबिर ने कहा कि वे बम इसी प्रकार के थे। 31 मई को मैं शिव के साथ एक धुलाई की दूकान के पास गया, जहां से शिव एक छोटी-सी संदूक ले आए। मैंने शिव से यह नहीं पूछा कि उसमें क्या है। 1 जून को 'बड़े भैया' ने मुझे और सूरज को बुलाया और सूरज से कहा कि हम लोग जेल पर आक्रमण करने जा रहे हैं, मेरे साथ चलो। सूरज ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस पर 'बड़े भैया' ने मुझे चलने को कहा। 'बड़े भैया' ने बगल के कमरे से एक रिवाल्वर लाकर मुझे दे दिया। यह फौजी रिवाल्वर था। मैंने पहले कभी रिवाल्वर नहीं चलाया था। हवाई पिस्तौल से निशानेबाजी का अभ्यास किया था। जेल पर आक्रमण करने के लिए मोटर लारी पर मैं, प्रान, 'बड़े भैया', शिव और सरदार जी जाने वाले थे। हम लोग घर से 2 बजे मोटर लारी पर रवाना हो गए। आसफ, दीदी, भाभी और राज बंगले पर रहे। लारी हम लोगों को लेकर एक बाग में पहुंची, जहां हम लोगों ने ताश खेलना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में दो व्यक्ति एक-एक करके साइकिल पर आए, जिनसे प्रान ने बातें कीं। दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बाद हम लारी पर बैठ गए। लारी तेजी से जेल की ओर रवाना हो गई। बोर्स्टल जेल से दो फर्लांग की दूरी पर एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने लारी खड़ी कर दी। वहां से बोर्स्टल जेल का मुख्य फाटक दिखलाई पड़ता था। मैंने जेल के फाटक के सामने एक जेल-लारी खड़ी देखी।

## इशारा

शिव बांसुरी बजाने लगा। मैंने समझा कि भगत सिंह और दत्त को इस बांसुरी के द्वारा इशारा किया जा रहा है कि उनको जेल से छुड़ाने वाला दल आ गया है। 'बड़े भैया' ने कहा कि बम फेंकना ठीक न होगा, क्योंकि संभव है कि उससे भगत सिंह और दत्त को भी चोट लग जाए। मेरे और शिव के लिए निश्चय हुआ था कि हम लोग भगत सिंह के साथ वाले कांस्टेबिलों पर गोली चलाएं और पिस्तौल भगत सिंह और दत्त को दे दें। प्रान के लिए निश्चय हुआ कि यदि कोई पुलिस अफसर हम लोगों की ओर गोली चलाए तो वह उनका उत्तर दे। 'बड़े भैया' ने अपने लिए सब-इंस्पेक्टर और मोटर ड्राइवर को गोली मारने की ड्यूटी निश्चित की थी। भगत सिंह और दत्त को छुड़ाकर दल ने उन्हें मोटर में एक घर की तरफ ले चलने का विचार किया। हम लोगों ने भगत सिंह और दत्त को एक जेल-लारी में जाते हुए देखा और भगत सिंह और दत्त ने भी हम लोगों को देखा। 'बड़े भैया' पर हम लोगों की असफलता का बड़ा आघात पहुंचा। 'बड़े भैया' ने कहा कि वह कार्य हम लोग

कल फिर करेंगे। इसलिए हम लोग भावलपुर रोड वाले मकान पर वापस चले आए और मकान में रहने वाले साथियों से असफलता की बात कह दी। 'बड़े भैया' ने कहा कि इस कार्य के लिए बहुत रुपए की आवश्यकता है। मि. आसफ ने रुपए के लिए प्रबंध करने का वचन दिया। भाभी ने कहा कि आप लोग हमारा जेवर बेचकर इस कार्य की जरूरत पूरी कर सकते हैं। दीदी ने भी अपने जेवर बेचने की इच्छा प्रकट की।

## भावलपुर रोड की बम-घटना

रात को हम सब लोग उसी मकान में सोए। दूसरे दिन, 2 जून को सवेरे साढ़े पांच बजे मकान में बम फटने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं जल्दी से 'बड़े भैया' के पास दौड़ गया। उन्होंने कहा कि दल के दूसरे सदस्य मकान से दल का सामान हटाने के लिए गए हैं, क्योंकि बम फटने की खबर पुलिस में अवश्य ही पहुंचेगी। अगर सामान जल्दी नहीं हटाया जाता, तो दल का सब सामान पुलिस के हाथ में पड़ जाएगा। 'बड़े भैया' ने मुझे एक छोटी-सी संदूक, एक रिवाल्वर और कुछ कारतूस दिए, मैं इन्हें लेकर यूनिवर्सिटी के मैदान में चला आया और वहां से पालनपुर के लिए रवाना हो गया। फिर पालनपुर से अजमेर पहुंचा। उस समय रिवाल्वर और कारतूस मेरे पास थे। संदूक मैंने प्रान को दे दिया था। मैं अजमेर 6 जून को पहुंचा था। जुलाई सन् 30 में मैं कान्तिप्रसाद के निमंत्रण पर उनसे दिल्ली में मिला। मैंने अपना रिवाल्वर कान्तिप्रसाद को दे दिया। कान्तिप्रसाद ने मुझसे एक 'भाई साहब' नाम के व्यक्ति का परिचय कराया और मुझसे अपने साथ अजमेर ले जाने के लिए कहा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि 'भाई साहब' भी दल के सदस्य हैं और इस केस के फरार अभियुक्त हैं।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

## सुखदेवराज का कानूनी विरोध

जल-पान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुखबिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि मैं 13 नवंबर, सन् 1930 को गिरफ्तार हुआ था। परंतु उसी दिन रात को छोड़ भी दिया गया था। इसके बाद 15 नवंबर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली से फिर लाहौर पहुंचाया गया, जहां मेरा बयान हुआ। मैं पुलिस को अजमेर ले गया, जहां से मैंने एक रिवाल्वर और तीस कारतूस बरामद कराए। मुखबिर ने अदालत में रखे हुए रिवाल्वर की शिनाख्त की।

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मुझे क्षमा प्रदान की गई।

इसके बाद उसने मुखबिर इन्द्रपाल की शिनाख्त की। इसी समय अदालत में अभियुक्त सुखदेवराज भी शिनाख्त के लिए पेश किए गए। अन्य अभियुक्तों के साथ मिलाए जाने के समय सुखदेवराज ने अदालत से पूछा कि मैं क्यों बुलाया गया हूं ? अदालत ने कहा कि तुम मुखबिर द्वारा शिनाख्त कराए जाने के लिए बुलाए गए हो। सुखदेवराज ने अपनी शिनाख्त किए जाने का यह कहकर विरोध किया, कि मेरा मामला इन अभियुक्तों से अलग चलेगा, इसलिए मेरी शिनाख्त की कार्रवाई मेरे अलग मामला चलने के समय ही होनी चाहिए। यदि मेरी शिनाख्त की कार्रवाई इस केस के साथ ही की गई, तो इस ट्रिब्यूनल और दोनों पक्ष के वकीलों की हैसियत गवाहों की हो जाएगी, और फिर इस ट्रिब्यूनल और इन वकीलों को मेरा अलग मामला करने का अधिकार न रह जाएगा।

सरकारी वकील ने सुखदेवराज के कथन का विरोध किया। परंतु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सुखदेवराज के कथन को मान लिया और उन्हें वापस भेज दिया।

## धमकी

इसके बाद मि. सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि पहले मैंने बयान देने से इनकार कर दिया था, परंतु जब पुलिस ने धमकाया कि तुम्हारे पिता, जो कि पोस्टल विभाग में नौकर हैं, उनकी नौकरी में हस्तक्षेप किया जाएगा, तब मैंने बयान देना स्वीकार कर लिया। एक दिन एक पुलिस अफसर ने मुझे माफी दिला देने के लिए कहा। मैं राजी हो गया और मुखबिर बन गया। पुलिस ने माफी दिलाने की बात मुझसे 3 दिसंबर, सन् 1930 में कही थी। इसके दूसरे दिन वह मुझे कसूर ले गई और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। पुलिस के सामने बयान दर्ज होने के समय जो बात मैं नहीं जानता था और जिसे पुलिस मुझसे कहलाना चाहती थी, उसके विषय में उपस्थित पुलिस अफसर कह देते थे कि ऐसी बात भी हुई है, अपने बयान में इसे शामिल कर लेने में कोई हानि नहीं है। मुझे यह नहीं बतलाया गया था कि मेरे बयान में उन बातों के शामिल करा देने से पुलिस को क्या लाभ होगा ?

**22 जून, 1931 :** को दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस की कार्रवाई स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने फिर शुरू हुई। अभियुक्त भीमसेन ने अदालत से कहा कि आज मेरे पेट में दर्द है। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने का मैं विरोध करता हूं। मैं आज अदालत की कार्रवाई में भाग लेने में असमर्थ हूं। इस पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त को जेल वापस जाने की इजाजत दे दी। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने के विरोध-स्वरूप अभियुक्त ने अपनी गैर-मौजूदगी के लिए वकील को अपना प्रतिनिधि बनाने से इनकार कर दिया। इसलिए केस कल के लिए स्थगित हो गया।

## मुखबिरों की हिरासत

इसके बाद अभियुक्तों की ओर से सफाई के वकील ने ट्रिब्यूनल के सामने निम्नलिखित अर्जी पेश की :

(1) मुखबिर मदनगोपाल के ता. 19 जून और 20 जून के बयानों से साफ जाहिर होता है कि मुखबिरों के हिरासत में रखने के संबंध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनका पालन नहीं हो रहा। वास्तव में मुखबिर अब भी पुलिस के हाथ में हैं।

(2) अभियुक्तों को इस बात का विश्वस्त-सूत्र से पता चला है कि असिस्टेंट जेलर बी. दौलतअली शाह खुफिया-विभाग के आदमियों से मिले हुए हैं। मुखबिर की गवाही तथा अन्य परिस्थितियों से भी यही बात प्रकट होती है। वास्तव में सी. आई. डी. विभाग की सिफारिश से बी. दौलतअली शाह मुखबिरों के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। जेल के सभी वार्डर बी. दौलतअली शाह और सी. आई. डी. के आदमियों के हाथ में हैं और यह बात अब बिलकुल स्पष्ट हो गई है, कि मुखबिरों पर जो नए 20 वार्डर तैनात किए गए हैं, उनका काम मुखबिरों की जानों की हिफाजत करना नहीं है, बल्कि सी. आई. डी. अफसरों को उनके बयानों के रटाने के कार्य में सहायता पहुंचाना है। मुखबिरों के सेंट्रल जेल से बोर्स्टल जेल में ले जाने का भी यही उद्देश्य था। सेंट्रल जेल में अभियुक्त उनकी कार्रवाइयों को तोड़ सकते थे, बोर्स्टल जेल में अब उनकी कार्रवाइयों का पता नहीं चल सकता।

(3) इस अदालत के सामने बी. दौलतअली शाह ने यह रिपोर्ट दी है, कि सी. आई. डी. के आदमी अभियुक्तों से नहीं मिल पाते, झूठ है। सफाई के वकील ने पहले जो वक्तव्य दिया था कि मुखबिरों के संबंध का प्रबंध संतोषजनक हो गया है, वह गलत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। मालूम होता है, कि मुखबिरों पर से पुलिस का प्रभाव एक मिनट के लिए भी नहीं हटा। जेल के सुपरिंटेंडेंट तक का मुखबिरों पर कोई अधिकार नहीं है।

(4) मुखबिर मदनगोपाल की गवाही से मालूम होता है, कि बी. दौलतअली शाह और सी. आई. डी. के अफसर जेल-नियमों के भंग करने, झूठी गवाही देने के लिए उकसाने और अदालत की तौहीन करने के दोषी हैं।

(5) सी. आई. डी. के अफसर अदालत के हुक्मों का अप्रत्यक्ष ढंग से उल्लंघन करके न्याय का हनन करने के लिए सरकार की व्यापक कार्यकारिणी शक्ति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मुखबिरों की रक्षा के बहाने गवर्नमेंट से कहकर उन्होंने अफसरों और वार्डरों का एक विशेष दल नियुक्त करा लिया है, जो कि मुखबिरों को बयान सिखलाने का कार्य करता है। अगर गवर्नमेंट को अपने बनाए कानूनों के लिए कुछ भी इज्जत है तो उसे चाहिए कि बी. दौलतअली शाह और सी. आई.

डी. अफसरों को, जो कि इतने गंभीर दोषों के अभियोगी हैं, तुरंत सजा दे। अभियुक्तों को यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम है, कि इन अपराधियों को निर्दोष साबित करने लिए कोई न कोई उपाय मिल ही जाएगा।

(6) सी. आई. डी. के आदमी केवल जेल के अंदर ही नहीं, वरन अदालत के हाते के अंदर भी मुखबिरों से मिलते हैं। उस वक्त मुखबिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस अपने आपको सी. आई. डी. के आदमियों का मातहत समझती है। जरा सी बात पर जनता के किसी भी व्यक्ति की शिकायत कर देने के लिए वह तैयार रहती है, परंतु सी. आई. डी. के आदमियों को वह निस्संकोच मुखबिरों से मिलने देती है।

(7) घर से चलने के समय से लेकर अदालत छोड़ने के समय तक प्रत्येक सबूत के गवाह को, पुलिस अपने कब्जे में रखती है। जल्दी से जल्दी समन जारी करने के बहाने उसने गवाहों को बुलाने आदि का भार, कानून के विरुद्ध, अपने ही ऊपर ले लिया है। उन्हें जगह देने और शहर तथा अदालत के हाते के अंदर हर तरह की सुविधा पहुंचाने का कार्य भी, उसने बिना किसी के कहे, अपने ऊपर ले लिया है। परिणामस्वरूप कोई भी सबूत का गवाह पुलिस के प्रभाव से बाहर नहीं रहने पाता।

(8) बी. दौलतअली शाह ने अदालत की आज्ञाओं का उल्लंघन भी किया है। अदालत ने मुखबिर मदनगोपाल के साथ अपने क्लर्क को कुछ कागजात लाने के लिए जेल भेजा था, परंतु बी. दौलतअली शाह ने क्लर्क को मुखबिर मदनगोपाल के साथ उसकी कोठरी तक नहीं जाने दिया।

(9) अभियुक्तों को मालूम होता है कि जेल-विभाग के कुछ अफसर सी. आई. डी. के आदमियों से डरते हैं, इसलिए वे कायदे-कानून के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते।

(10) इसलिए अभियुक्त न्याय की रक्षा के अदालत से निम्नलिखित हुक्मों के जारी करने की प्रार्थना करते हैं :

(क) मुखबिर फिर से सेंट्रल जेल में भेज दिए जाएं।

(ख) सरकार से अनुरोध किया जाए, कि वह बी. दलौतअली शाह और सी. आई. डी. के अफसरों को जेल-नियमों के भंग करने, चोरी करने और झूठी गवाही देने के लिए उकसाने के लिए उन्हें दंड दे।

(ग) बी. दौलतअली शाह मुखबिरों पर निगरानी रखने के पद से तुरंत हटा दिए जाएं।

(घ) जब तक उपरोक्त प्रबंध न हो जाए और हाईकोर्ट के हुक्मों का पूर्णतया पालन न हो, तब तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रखी जाए।

(ङ) अदालत के हाते के अंदर मुखबिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस को

आज्ञा दे दी जाए कि वह किसी भी सी. आई. डी. अफसर को मुखबिरों के पास न जाने दे।

(च) इस मामले से संबंध रखने वाले सी. आई. डी. अफसर अदालत के हाते के अंदर केवल गवाही देने के लिए आ सकें, परंतु अदालत के कमरे में बैठने की इजाजत तो उन्हें किसी हालत में न मिलनी चाहिए।

(छ) कोर्ट-इंस्पेक्टर को हुक्म दिया जाए कि वह मुखबिरों तक सी. आई. डी. अफसरों के संदेश पहुंचाने का कार्य न करे।

## नोटिस जारी

मि. सलीम—अगर सी. आई. डी. के अफसर जेल के नियमों को भंग करके मुखबिरों से मिलते हैं तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुखबिरों की हिरासत के लिए जो प्रबंध किया गया है, वह प्रबंध दूषित है। केवल उस प्रबंध के दुरुपयोग के संबंध में आपकी शिकायत हो सकती है।

मि. श्यामलाल—हमारा अभिप्राय तत्व से है, छाया से नहीं। हम केवल यह चाहते हैं कि सी. आई. डी. के अफसर मुखबिरों की गवाहियों में बेजा दबाव न डाल सकें, जैसा कि हाईकोर्ट के नियमों का भी अभिप्राय है।

प्रेजिडेंट—जेल तथा सी. आई. डी. के अफसरों के अपराधों के विषय में हम केवल जिला-मैजिस्ट्रेट को सूचना भेज सकते हैं, जो कि जांच-पड़ताल के बाद जो उचित कार्रवाई समझें, कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं ?

मि. श्यामलाल—अब तक अधिकारियों ने जो अपराध किए हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करे, परंतु हमें तो आगे के लिए भी अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करनी है। अभी दो और मुखबिरों की गवाही होनी बाकी है। अदालत को चाहिए कि वह पुलिस के अनुचित दबाव से उनकी रक्षा करे। अगर असिस्टेंट जेलर बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों की निगरानी के कार्य में बने रहें, तो मुखबिर पुलिस के अनुचित दबाव से बचे नहीं रह सकते। मेरी प्रार्थना है, कि वे इस कार्य से तुरंत हटा दिए जाएं। उन्होंने इस अदालत के हुक्म की अवज्ञा की है, अदालत के क्लर्क को जेल के बाहर खड़ा रखा और उस बीच में उस कागज को अपने कब्जे में कर लेने का प्रयत्न किया, जिसको अदालत मान चुकी थी।

मि. श्यामलाल ने कहा कि सी. आई. डी. के अफसर सरकार की कमजोरी से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने गलत रिपोर्टें भेज-भेजकर सरकार द्वारा मनमाने हुक्म जारी करा लिए हैं। अभियुक्त केवल इतना ही चाहते हैं कि मुखबिर सी. आई. डी. अफसरों के अनुचित दबाव से स्वतंत्र रहें।

इस पर अदालत ने सरकारी वकील और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा कि अभियुक्तों की उपरोक्त अर्जी क्यों न मंजूर कर ली

जाए ? इस अर्जी पर बहस करने के लिए अदालत ने 25 ता. नियत की।

**23 जून, 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के पेश होने पर अभियुक्त भीमसेन, जिसके पेट में एक रोज पहले से दर्द था, जेल के दो वार्डरों के सहारे अदालत के कमरे में लाया गया। उससे एक बेंच पर लेट जाने के लिए कह दिया गया।

अभियुक्त जहांगीरीलाल ने ट्रिब्यूनल से कहा कि भीमसेन अब अदालत में हाजिर होने में असमर्थ है। इस दर्द के कारण इतने थोड़े समय में उसका वजन 4 पौंड घट गया है।

## जेल-सुपरिंटेंडेंट का बयान

प्रारंभ में ट्रिब्यूनल ने भीमसेन के स्वास्थ्य के विषय में सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट मेजर सोंधी का बयान लिया। आपने कहा कि मैंने अभियुक्त की सवेरे परीक्षा की थी, उससे मेरा ख्याल था कि वह अदालत में हाजिर होने लायक है।

अदालत के कहने पर मेजर सोंधी ने अभियुक्त को अदालत में एक बार और देखा और देखकर कहा कि अभियुक्त की हालत सवेरे की अपेक्षा बुरी नहीं है। वह अदालत की कार्रवाई में भाग ले सकता है।

अभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस पर उसे बैठने के लिए एक आरामकुर्सी दी गई। अभियुक्त ने प्रेजिडेंट से कहा कि आप स्वयं आकर देख सकते हैं कि मुझे कितना अधिक दर्द हो रहा है। इसके बाद अभियुक्त ने कहा कि कल मैंने अदालत के सामने जो शिकायत की थी, उसी कारण से मेजर सोंधी मेरे विरुद्ध हो गए हैं और आज अदालत में हाजिर होने की समर्थता के विषय में इतना जोर दे रहे हैं। वास्तव में मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे लिए बैठना भी असंभव है।

कुछ मिनटों के बाद अभियुक्त कुर्सी से नीचे गिर पड़ा।

## सुनवाई स्थगित

मुखबिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में खड़ा था और कार्रवाई प्रारंभ होने ही वाली थी, कि अभियुक्त जहांगीरीलाल ने ट्रिब्यूनल के सामने एक अर्जी पेश कर दी। अर्जी में लिखा था कि मुखबिर की गवाही समाप्त हो चुकी है, अब सफाई की ओर से उसकी जिरह होने वाली है। मुखबिर से जिरह होने के पहले हम सात अभियुक्त, जहांगीरीलाल, दयानतराय, कुन्दनलाल, गुलाब सिंह, भागराम, धर्मपाल, और रूपचन्द, जिरह के संबंध में कुछ सलाह करने के लिए अभियुक्त सुखदेवराज

से मिलना चाहते हैं।

अदालत ने अर्जी मंजूर कर ली और इसके लिए एक घंटे का समय दिया। सफाई के वकील मि. प्राणनाथ मेहता की उपस्थिति में अभियुक्तों ने सुखदेवराज से सलाह की।

**24 जून, 1931 :** स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के पेश होने पर सफाई के वकील, मि. श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुखबिर मदनगोपाल ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने मेरा बयान लिखने के बाद मुझे पढ़कर सुनाया नहीं था। मैजिस्ट्रेट के सामने मैंने किसी चीज की शिनाख्त भी नहीं की थी। पुलिस ने इन्द्रपाल और दो दूसरे नवयुवकों को दिखलाकर मुझसे उनकी शिनाख्त करने के लिए कहा था। मिरजा अताउल्ला ने दो नवयुवकों को दिखलाकर मुझसे कहा कि ये ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुम्हें पालनपुर भेजने का प्रबंध किया था, इनकी शिनाख्त कर दो। मिरजा ने मुझसे उनके नाम केवल कृष्ण और देवराज बतलाए थे। उन नवयुवकों के दिखलाए जाने के समय मैं एक चिक की आड़ में था। मैं उन्हें देख सकता था, परंतु वे मुझे नहीं देख सकते थे। यह घटना मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के कुछ दिन पहले की है। मैंने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनकी शिनाख्त नहीं की। जब मैं चन्द्रशेखर आजाद और शिव के साथ पहले-पहल लाहौर गया था, तब पुरानी अनारकली में इन्द्रपाल के मकान में ठहरा था।

इसके बाद मुखबिर को अदालत में एक कोट दिखलाया गया, जिसे उसने चन्द्रशेखर आजाद का बतलाया।

मुखबिर ने कहा कि लाहौर फोर्ट में मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की अंग्रेजी नकल दी गई थी। मैं उर्दू नहीं जानता। बयान की नकल मेरे पास एक महीने तक रही, जिसे मैं कंठस्थ करने के लिए बाध्य किया गया। वह नकल मेरे ट्रंक में थी, परंतु न्यायालय की हिरासत में रखे जाने के समय पुलिस उसे निकाल ले गई।

## प्रिवी कौंसिल में अपील

मि. श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि लाहौर फोर्ट में मुझसे कहा गया कि इन्द्रपाल ने अपने बयान में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिसके लिए उसे उपयुक्त दंड दिया जाएगा। लाहौर फोर्ट से न्यायालय विभाग की हिरासत में लाए जाने के दिन जब मैं अदालत में लाया गया, तो पुलिस अफसरों ने मुझसे कहा कि डरने की बात नहीं है। हम लोग हाईकोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध प्रिवी-कौंसिल में अपील करने जा रहे हैं। उन पुलिस अफसरों में सरदार प्रताप सिंह डी. एस. पी.

और सरदार खड्ग सिंह सी. आई. डी. के इंस्पेक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग मुखबिरों का तबादला लाहौर फोर्ट में फिर से करा देंगे। इसके बाद हम लोग सेंट्रल जेल पहुंचाए गए, जहां हम लोगों के पहरे पर वही पुलिस के आदमी तैनात किए गए, जो कि लाहौर फोर्ट में थे। सेंट्रल जेल में जब-तब सी. आई. डी. के अफसर भी हम लोगों से मिला करते थे।

प्रश्न—क्या खैरातीराम ने तुमसे यह नहीं कहा था कि उससे पुलिस के अफसरों ने कहा, कि तुम लाहौर फोर्ट से सेंट्रल जेल में बदल जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दरख्वास्त दो ?

उत्तर—निस्संदेह खैरातीराम ने मुझसे कहा था कि पुलिस इस संबंध में मेरी ओर से एक अर्जी पेश कर चुकी है।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि खैरातीराम के साथ जेल में विशेषतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैंने पुलिस से इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की कि जेल में मेरी जान खतरे में है। इस समय भी मुझे इस बात का कोई डर नहीं है।

## मुखबिरों के लिए इनाम

आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि पुलिस-गार्ड के अफसरों ने मुझे धमकाया नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे पहले वाले षड्यंत्र केस में जिन मुखबिरों ने पुलिस के कंहे मुताबिक बयान दिए थे, उन्हें हजारों रुपए इनाम में मिले थे, परंतु जिन लोगों ने अपने बयान बदल दिए थे, उन्हें दंड दिया गया था। उन्होंने मुझसे कहा, कि जयगोपाल को एक तमंचा और 6 हजार रुपए इनाम में मिले थे। इसी प्रकार फनी घोष, ललितकुमार और मनमोहन बैनर्जी को दो-दो हजार रुपए और आत्म-रक्षा के लिए एक-एक तमंचा दिया गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी गवाही देने वाले मुखबिरों को 5,000 रुपए और एक-एक तमंचा देने का निश्चय किया है। उन्होंने मुझसे यह भी बतलाया कि मुखबिर ब्रह्मदत्त और रामसरन दास पर, जिन्होंने पहले लाहौर षड्यंत्र केस में अपने बयान बदल दिए थे, मामला चलाया गया और बहुत बुरी तरह से दंडित किए गए थे। इसके बाद मुखबिर ने कहा कि सी. आई. डी. के सब-इंस्पेक्टर सरदार खड्ग सिंह सेंट्रल जेल में मुखबिरों से मिलने आया करते थे, उनके लिए मिठाइयां और फल लाया करते थे तथा और भी अनेक प्रकार से उन्हें सुविधाएं पहुंचाते थे।

## बोर्स्टल जेल

बोर्स्टल जेल के संबंध में प्रश्न किए जाने पर मुखबिर ने कहा कि जेल में दो फाटक हैं। सी. आई. डी. के डी. एस. पी., खां साहब सैयद अहमदशाह मुझसे मिलने के लिए फिरोजपुर रोड की तरफ जो फाटक है, उससे होकर आया करते थे। फाटक के बंगल वाले आफिस में वे मुझसे मिलते थे। बाबू दौलतअली शाह इस आफिस के इंचार्ज थे। पहले-पहल मुझसे मिलने के लिए सैयद अहमदशाह साढ़े नौ बजे रात को आए थे। मैंने दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबिर कैलाशपति के अपूर्ण बयान की नकल देखी थी। उस बयान की नकल में 48 पृष्ठ थे, जिनमें सब में मुहर लगी हुई थी।

इतना कहने के बाद मुखबिर ने अदालत के सामने कैलाशपति के बयान के कुछ अंश अपनी याद से उद्धृत करके सुनाए।

आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि जब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह अदालत के कमरे के बाहर मेरे सूटकेस की ताली मांग रहे थे, उस समय दो पुलिस कांस्टेबिल मौजूद थे, जिनमें एक सजावल खां नाम का कांस्टेबिल इस समय अदालत में उपस्थित है। बयान का पहला पृष्ठ मांगते समय भी वे दोनों कांस्टेबिल मौजूद थे।

## मैंने शिकायत नहीं की

मुखबिर ने कहा कि दल के सदस्य दल के अंदर की भिन्न-भिन्न शाखाओं की संपूर्ण कार्रवाईयों से परस्पर परिचित नहीं रहते। जब केशवचन्द्र ने मुझसे अपने पते से पत्र मंगाने के लिए कहा था, उस समय मैं दल के प्रति केवल सहानुभूति रखता था।

कान्तिप्रसाद ने मुझे 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' का पर्चा दिखलाया था। पर्चा दिखलाने में उसका उद्देश्य मुझे दल के नियमों से परिचित कराना था। मुझे यह नहीं मालूम कि भावलपुर रोड वाला बंगला किराए पर कब लिया गया था। मेरे वहां पहुंचने के पहले ही उसमें दल के लोग मौजूद थे। मैंने उस व्यक्ति का चित्र देखा है, जिसको हम लोग भावलपुर रोड वाले बंगले पर धनी के नाम से पुकारते थे। वह चित्र मैंने सरकार की ओर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र में देखा था, जिसमें उसका नाम धनवन्तरि दिया गया था।

**प्र.—मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय जब पुलिस के अफसर अपनी तरफ से उस बयान में बातें जोड़ते जाते थे, तब तुमने इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं की ?**

**उत्तर—मैंने मैजिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों में उस समय परस्पर जो बातें हो रही थीं, उससे मालूम होता था कि वे**

एक-दूसरे के मित्र हैं।

## पुलिस अफसर के नोट

इसके बाद मुखबिर के सामने वह कागज पेश किया गया, जिसे अदालत ने अपना क्लर्क भेजकर जेल से मंगवाया था। मुखबिर ने कहा कि यह कागज मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया था, उसकी नकल का प्रथम पृष्ठ है। बोर्स्टल जेल में मैंने जमीन खोदकर उसे निकाला था, जिसे अदालत के क्लर्क ने यहां आकर पेश किया था।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि इस कागज पर पेंसिल से जो तारीखें लिखी हुई हैं, उनके लेखक खां साहब सैयद अहमदशाह डी. एस. पी. हैं। उन्होंने कागज पर ये तारीखें मेरी मौजूदगी में लिखी थीं। डी. एस. पी. ने मुझसे इन तारीखों को कंठस्थ कर लेने के लिए कहा था।

इस पर सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से डी. एस. पी. को अदालत में बुलवाने और उनकी लिखावट ले लेने के लिए प्रार्थना की।

अदालत ने मि. श्यामलाल की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई।

## पुलिस अफसर का बयान

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सी. आई. डी. के डी. एस. पी. खां साहब सैयद अहमदशाह, जिन्होंने इस केस की जांच की थी, अदालत के सामने गवाह की हैसियत से पेश किए गए। सफाई के वकील ने आपको मुखबिर के बयान का प्रथम पृष्ठ दिखलाया। उसे देखकर खां साहब सैयद अहमदशाह ने स्वीकार कर लिया कि कागज के हाशिया में पेंसिल से जो तारीखें लिखी हुई हैं, वे मेरी ही लिखी हुई हैं।

## बयान में परिवर्तन

इसके बाद मुखबिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में फिर पेश किया गया।

मि. अमोलकराम की जिरह के उत्तर में मुखबिरों ने कहा कि उस दिन बोर्स्टल जेल से कागज लाने के लिए मेरे साथ अदालत का जो क्लर्क भेजा गया था, वह जेल के फाटक पर ही रोक लिया गया था। केवल मैं सीधे जेल के अंदर पहुंचाया गया था। इसके बाद मुखबिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने

के लिए कसूर ले जाते समय खां साहब मिरजा अताउल्लाशाह मेरे साथ थे। केस 5 दिसंबर को प्रारंभ होने वाला था, इसलिए पुलिस ने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आने का रास्ता नहीं देखा। पुलिस के सामने बयान देते समय पुलिस मेरे बयान में अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ती जाती थी। बयान के बाद भी उसमें परिवर्तन किए गए थे। बयान के कुछ पृष्ठ हटाकर उनके स्थान पर महीन लिखावट के नए पृष्ठ रख दिए गए थे। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय अगर पुलिस बराबर उपस्थित न होती, तो मैंने सच्चा बयान दिया होता। अप्रैल, सन् 1931 में कुछ शिनाख्त-संबंधी कार्रवाइयों के लिए मैं लाहौर से दिल्ली भेजा गया था। जब मैं मैजिस्ट्रेट को भिन्न-भिन्न जगहें बतला रहा था, तब खां साहब मिरजा अताउल्ला खां और कुछ कांस्टेबिल मेरे साथ थे। आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि दल के लोगों ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाकर किस स्थान में ले जाने का निश्चय किया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के संबंध में अजमेर में कान्तिप्रसाद के पूछने पर मैंने उन्हें दल के नियमों की याद दिलाई थी। दल का यह नियम है, कि दल के रहस्यों को कोई सदस्य दूसरे सदस्य से न बतलाए। मैंने इस नियम का पालन अपनी गिरफ्तारी के समय तक किया था। कान्तिप्रसाद से गाडोदिया स्टोर्स की डकैती के संबंध में कुछ पूछना मेरी गलती थी।

## दल के रहस्य

मि. अमरनाथ मेहता की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि केशवचन्द्र गुप्त से एक महीने तक राजनीतिक विषयों की बातचीत होते रहने के बाद मैं क्रांतिकारी दल का सदस्य बनाया गया था। एक महीने के बीच में मैंने केशवचन्द्र गुप्त या चन्द्रशेखर आजाद से दल के सदस्य होने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, न मैंने दल के नियमों के संबंध में ही कभी उनसे पूछा। केशवचन्द्र गुप्त ने दल के नियमों को मुझे जबानी बतलाया था। कान्तिप्रसाद ने भी दल के कुछ नियम बतलाए थे, जो मुझे याद नहीं हैं। यह बात ठीक है कि दल के नियमानुसार दल के रहस्य केवल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो किसी कार्य-विशेष में भाग लेते थे। कान्तिप्रसाद द्वारा बतलाए हुए नियम दल के केंद्र-कमिटी संबंधी नियम थे, जिन्हें प्रत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नहीं थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों का परिचय केवल उन्हीं सदस्यों को दिया जाता था, जिन्हें उनके साथ मिलकर कोई कार्य-विशेष करना होता था। आवश्यकता पड़ने पर दल का दूसरी शाखाओं के सदस्यों से भी परिचय हो जाया करता था। मेरा और भगवतीचरण का परिचय दल के सदस्यों के नाते हुआ था। भगवतीचरण मेरे साथ अजमेर में रहने के लिए आने

वाला था।

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है, कि जो लोग मौजूदा शासन-प्रणाली के विरुद्ध हैं, वे सहानुभूति रखने वाली शाखा के सदस्य समझे जाते हैं ?

उत्तर—हां, यह बात ठीक है !

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है कि जब कोई क्रांतिकारी किसी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक सहायता के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रीय कार्य के नाते सहायता मांगता है, दल के नाम पर नहीं ?

उत्तर—हां, परंतु सहानुभूति रखने वालों को क्रांतिकारी दल के नियम मालूम रहते हैं। वे उनकी सहायता मांगने की बात समझते हैं।

इस संबंध में आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि जब कोई क्रांतिकारी सहानुभूति रखने वालों से कोई आर्थिक सहायता मांगता था, तो वह उनसे अपने को क्रांतिकारी नहीं बतलाता था, बल्कि वह उनसे कहता था कि मातृ-भूमि के स्वतंत्रता-संबंधी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति दल की किसी शाखा के सदस्य नहीं थे। सहानुभूति रखने वाले दो प्रकार के हुआ करते थे। एक वे जो दल के सदस्य थे, दूसरे वे जो सदस्य नहीं थे। दल के व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा के सदस्यों को शरण देना ऐसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों का कार्य था, जो कि दल के सदस्य भी हुआ करते थे। मुखबिर ने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब मैं देश को स्वतंत्र करने वाला आंदोलन समझता हूं, चाहे वह आंदोलन हिंसामय या अहिंसामय हो। मैंने कहा था कि दल का उद्देश्य ऐसे अफसरों की हत्या करना भी है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में 'बाधाएं' डालते हैं। 'बाधाओं' से मेरा मतलब अफसरों की गैर-कानूनी कार्रवाइयों से है।

## जिले का संगठन-कर्ता

जिले के संगठन-कर्ता को अपने जिले भर के सदस्यों की जानकारी रहती है। शस्त्र और कारतूस वगैरह जिले के संगठन-कर्ता के अधिकार में रहते हैं। केंद्र-कमिटी की इजाजत से वह शस्त्र और कारतूस वगैरह सदस्यों को वितरित करता है। जिले से बाहर जाते समय सदस्यों को जिले के संगठन-कर्ता से आज्ञा लेनी पड़ती थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों की भर्ती, जिले के संगठन-कर्ता की सिफारिश पर केंद्र-कमिटी किया करती थी। नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों से जिले के संगठन-कर्ता का परिचय सीनियर सदस्य के नाते कराया जाता था। परंतु बाद में, सदस्यों की सच्चाई की परीक्षा हो चुकने के बाद उन्हें जिले के संगठन-कर्ता का वास्तविक पद बतला दिया जाता था। कैलाशपति ने मुझे वे नियम बतलाए थे, जिनसे

नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों की सच्चाई की परीक्षा ली जाया करती थी। सबसे प्रथम उनके सदाचार की परीक्षा ली जाती थी। पता लगाया जाता था कि वे शराबी, जुआरी आदि तो नहीं हैं।

**25 जून, 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सफाई की ओर से ता. 22 जून को पेश की गई उस अर्जी पर बहस हुई, जिसमें बोर्स्टल जेल के असिस्टेंट जेलर बाबू दौलतअली शाह को मुखबिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से अलग कर देने और मुखबिरों को बोर्स्टल जेल से सेंट्रल जेल में भेज देने के लिए प्रार्थना की गई थी।

## सरकारी वकील का बयान

सरकारी वकील रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद ने अभियुक्तों की ओर से अर्जी में कही हुई बातों के उत्तर में एक विवरणात्मक लिखित वक्तव्य अदालत के सामने पेश किया। सबूत की ओर से आपने कहा कि मुखबिर इस समय जेल-अधिकारियों की हिरासत में और पुलिस के दबाव से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त मुखबिर मदनगोपाल का बयान अभी जारी ही है, ऐसी हालत में पुलिस के विरुद्ध जो कुछ उसने कहा है, उसे ठीक मान लेना न्यायतः खतरनाक है। बाबू दौलतअली शाह और सी. आई. डी. अफसरों के विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं, वे गलत हैं। सबूत के गवाहों के प्रति अनावश्यक सेवा-भाव दिखलाने का पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है वह भी गलत है। सी. आई. डी. के आदमी गवाहों को बुलाने आदि का कार्य अदालत के हुक्म के अनुसार करते रहे हैं।

## अभियुक्तों की ओर से बहस

मि. श्यामलाल ने अभियुक्तों की ओर से बहस करते हुए कहा कि हमारा कहना यह है, कि मुखबिर अब भी पुलिस के दबाव में हैं। हम चाहते हैं कि इसके रोकने का कोई प्रबंध किया जाए। एक सरकारी गवाह ने सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ गंभीर दोषारोपण किए हैं।

आपने कहा कि मेरा कहना यह नहीं है, कि मुखबिर ने अपने बयान में अब तक जो कुछ कहा है, वह प्रमाणित मान लिया जाए। मेरा कहना है कि जो कुछ मुखबिर ने कहा है, उस पर ट्रिब्यून का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और उसे ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे पुलिस के आदमी मुखबिरों पर किसी प्रकार का दबाव न डाल सकें और उन्हें बयान न सिखा सकें। पुलिस वालों ने अदालत के

हाते के अंदर मुखबिर से तालियों का गुच्छा और बयान का प्रथम पृष्ठ मांगा था। अदालत को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस संबंध में अपने फैसले में कहा था कि मुखबिरों को पुलिस के दबाव से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने बयान दे सकें। परंतु हाईकोर्ट की इन आज्ञाओं का सी. आई. डी. के अफसरों ने उल्लंघन किया है। सी. आई. डी. विभाग के खां साहब सैयद अहमदशाह डी. एस. पी. मुखबिर से मिले थे, इस बात का सबूत-पक्ष ने खंडन नहीं किया है। अगर यह बात गलत थी तो मुखबिर से तालियों के ले लेने का प्रयत्न क्यों किया गया था और उसके सूटकेस का ताला क्यों तोड़ दिया गया था ? सरकार अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अभियुक्त तो जेल-विभाग, सी. आई. डी. विभाग और गवर्नमेंट को एक ही वस्तु समझते हैं। जब तक इस संबंध में अदालत स्वयं संतुष्ट न हो जाए, तब तक मुखबिरों की गवाही बंद रहनी चाहिए। अगर अदालत मुखबिर मदनगोपाल के कथन को बिलकुल निरर्थक न समझकर उसे सारयुक्त समझती है, तो उसे कोई ऐसा प्रबंध कर देना चाहिए, जिससे कि मुखबिर पुलिस द्वारा किसी प्रकार दबाए न जा सकें।

सफाई के वकील मि. अमोलकराम कपूर ने अपनी बहस में उन परिस्थितियों का जिक्र किया, जिनमें मुखबिरों की हिरासत के संबंध में हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी। उस समय अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामे पेश करने पड़े थे। अगर फिर कहीं होईकोर्ट जाना पड़ा तो उनका पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो जाएगा। एक सरकारी गवाह शपथपूर्वक कह चुका है कि न्यायालय विभाग की हिरासत की हालत में उसे केवल उसके बयान की नकल नहीं दी गई, बल्कि कैलाशपति के बयान की भी नकल दी गई थी। मुखबिर ने जो दोषारोपण किए हैं, वे अत्यंत गंभीर हैं और उनके प्रमाण के लिए कागजी सबूत भी मौजूद हैं। डी. एस. पी. ने यह बात स्वयं ही स्वीकार की है कि बयान के प्रथम पृष्ठ पर पेंसिल से लिखी हुई तारीखें उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैं। ट्रिब्यूनल को चाहिए कि इस संबंध में जांच करे और जांच के वक्त तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रखे। न्याय की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ट्रिब्यूनल इस संबंध में तुरंत कोई जोरदार कार्रवाई करे।

## सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील रायबहादुर पंडित ज्वालाप्रसाद ने सफाई-पक्ष की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के नियमों के अनुसार जांच करने का अधिकर केवल जेल-सुपरिंटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। व्यक्तिगत मुझे ट्रिब्यूनल द्वारा जांच होने में कोई आपत्ति नहीं है परंतु कानूनन अदालत को इस मामले में कोई अधिकार

नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय स्थगित रखा।

इसके बाद मुखबिर मदनगोपाल की जिरह प्रारंभ हुई।

सफाई के वकील मि. अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि जहां तक संभव होता था, विवाहित व्यक्ति दल के सदस्य नहीं बनाए जाते थे। नया भर्ती होने वाला व्यक्ति दल का साधारण सदस्य समझा जाता था। इसकी सचाई की परीक्षा हो लेने के बाद वह व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा का सदस्य बना लिया जाता था। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं, को गैर-कानूनी दंड देने वाले अफसरों की हत्या का निश्चय, इसलिए किया गया था, कि गवर्नमेंट गैर-कानूनी कार्य करने के लिए उन्हें दंडित नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए वह उन्हें उत्साहित किया करती थी। नौजवान भारत सभाएं और सेवा-समितियां क्रांतिकारी दल की शाखाएं नहीं हैं।

प्रश्न—पुलिस ने तुम्हारे बयान में जो बातें अपनी तरफ से जोड़ी थीं, क्या वे तुम्हें याद हैं ?

उत्तर—हां, याद हैं। पुलिस ने निम्नलिखित बातें मेरे बयान में जोड़ी थीं :

(1) दीदी, भाभी और धनी (धनवन्तरि) उपस्थित थे, जब बम भरे जा रहे थे। दीदी और भाभी खाली बम देती जाती थीं। राज चारपाई पर लेटा हुआ था।

(2) भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय दीदी, भाभी, धनी और आसफ को तमंचे दे दिए गए थे।

(3) प्रान दीदी के साथ हंसी-मजाक कर रहा था। (यह बात क्रांतिकारियों को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई थी।)

(4) प्रान भाभी के साथ हंसी-मजाक कर रहा था और भावलपुर रोड वाले बंगले पर बम-घटना होने का कारण यह था कि उनके हंसी-मजाक के बीच में भाभी से कहीं बम छू गया।

(5) भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय प्रान ने 'बड़े भैया' (चन्द्रशेखर आजाद) से कहा कि शिव एक लड़की से प्रेम करने लग गया है। इस पर आजाद ने कहा कि शिव का चरित्र भी प्रान की तरह भ्रष्ट हो गया है।

इस समय मुझे उपरोक्त बातें ही याद हैं। मेरे बयान में इन बातों को जोड़कर पुलिस क्रांतिकारी दल को बदनाम करना और जनता की दृष्टि में उसे गिरा देना चाहती थी।

इसके बाद अदालत के एक प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि जो कुछ मैंने ट्रिब्यूनल के सामने कहा है, वह सच कहा है।

बयान समाप्त हो जाने के बाद मुखबिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से प्रार्थना की, कि मुझे अदालत में सप्ताह में एक बार हाजिर होने की इजाजत दे दी जाए,

क्योंकि मुझे डर है कि इस प्रकार के बयान देने के बाद संभव है, मुझे दंड दिए जाएं। यदि अदालत में सप्ताह में एक बार मैं आ सकूंगा तो किसी प्रकार की शिकायत होने पर मैं उसे अदालत के सामने पेश कर सकूंगा।

**26 जून, 1931 :** आज लाहौर हाईकोर्ट में दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त श्री सुखदेवराज की, जिनका मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अलग से हो रहा है, उस अर्जी पर विचार हुआ जिसमें उन्होंने जेल में अन्य अभियुक्तों से अलग रखे जाने का विरोध किया था और कहा था कि या तो मुझे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दी जाए या जमानत पर छोड़ दिया जाए।

अभियुक्त की ओर से बहस करने के लिए मि. सुमेरचन्द, मि. श्यामलाल, मि. अमोलकराम कपूर थे। सरकार की ओर से सरकारी वकील रायसाहब पंडित ज्वालाप्रसाद थे। अदालत का कमरा दर्शकों और वकीलों से भरा हुआ था। सी. आई. डी. विभाग के डी. आई जी. पुलिस भी अदालत में उपस्थित थे।

मि. सुमेरचन्द ने अभियुक्त की ओर से बहस करते हुए कहा कि सुखदेवराज दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस का अभियुक्त है, जिसका विचार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में हो रहा है। वह पहले से ही षड्यंत्रकारी घोषित हो चुका था और उसकी गिरफ्तारी दूसरे लाहौर षड्यंत्र के प्रारंभ होने के पांच महीने बाद हुई थी। इसलिए सरकार ने उसके मामले को अन्य अभियुक्तों से अलग चलाने की आज्ञा दी थी फिर भी उसके विरुद्ध अभियोग वे ही थे, जो कि अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध थे और इस समय उसका विचार भी उसी ट्रिब्यूनल में हो रहा है, जिसमें अन्य अभियुक्तों का हो रहा है। पुलिस की हिरासत से हटाकर वह न्यायालय विभाग की हिरासत में दिया गया था। अदालत ने अपनी दूसरी जून की आज्ञा द्वारा सिफारिश की थी कि अभियुक्त दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखा जाए। 4 जून को अदालत की आज्ञा का पालन हुआ, परंतु 6 जून को वह फिर वहां से हटाकर एकांत कोठरी में कर दिया गया, जहां किसी व्यक्ति को उससे मिलने की इजाजत नहीं थी।

मि. सुमेरचन्द ने कहा कि इस प्रकार बिलकुल अलग रखने से अभियक्त के स्वास्थ्य और उसकी सफाई की तैयारी में बाधा पहुंचेगी। हम लोगों ने जेल-अधिकारियों से एक पत्र द्वारा सुखदेवराज के अलग हटाए जाने का कारण पूछा था, परंतु बहुत दिनों तक उनका कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने इस संबंध में अर्जी दी, परंतु वह खारिज हो गई। वहां से खारिज होने के बाद अब इस होईकोर्ट के सामने अर्जी पेश की। हाईकोर्ट में अर्जी पेश होने के बाद जेल के अधिकारियों ने ट्रिब्यूनल के पास अपना उत्तर भेजा। उत्तर अभियुक्त के वकीलों के पास न भेजकर, ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट के पास भेजा गया। उसमें लिखा था कि गवर्नमेंट सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रखे

जाने का कोई कारण नहीं बतलाना चाहती। अभियुक्त के वकील ने 'प्रिजन एक्ट' की 27 और 28 दफाओं का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो व्यवस्था दी है, उसके अनुसार केवल दंडित अभियुक्त अकेले बंद किए जा सकते हैं, विचाराधीन अभियुक्त नहीं। कानून में कहीं नहीं कहा गया कि विचाराधीन अभियुक्त अलग एकांत में बंद किया जा सकता है। इस संबंध में हाईकोर्ट की जो आज्ञाएं निकल चुकी हैं, उनमें भी कहा गया है कि विचाराधीन अभियुक्तों के साथ उतनी ही सख्ती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें हिरासत में रखने के लिए नितांत आवश्यक है। विचाराधीन अभियुक्त अदालत के अधिकार में रहते हैं, जेल-सुपरिंटेंडेंट को उन्हें हिरासत में रखने का अधिकार अदालत से ही प्राप्त होता है। सरकार की कार्यकारिणी को विचाराधीन अभियुक्तों के संबंध में दस्तन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत से दंड न पाए हुए कैदियों पर पूर्ण अधिकार केवल अदालत को है।

जेल-अधिकारियों के नाम अदालत ने जो पत्र लिखा था, उसके संबंध में अभियुक्त के वकील ने कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल जेल-अधिकारियों के पास केवल अपनी सिफारिशें भेज रही थी। परंतु जब अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से अलग हटाया जा रहा था, तब उससे कहा गया कि तुम एक ऐसी अधिकार-शक्ति की आज्ञानुसार अलग किए जा रहे हो, जो कि अदालतों से ऊपर है। सफाई के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि क्या बीस शताब्दी में अदालतों की स्थिति इस दर्जे पर पहुंच गई है, कि अदालतें सरकार के कार्यकारिणी विभाग से नम्र-निवेदन किया करें, उनके यहां अर्जियां भेजा करें, परंतु वे यह तक न बतलाएं, कि किसकी आज्ञानुसार और किस कारण से वह कार्य हुआ। सरकारी वकील रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जेल भेजा जाता है, उसे जेल-सुपरिंटेंडेंट अपने जेल में ले लेने के लिए बाध्य है, वह इनकार नहीं कर सकता। परंतु जेल के अंदर प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल के तमाम नियमों और प्रतिबंधों के अधीन हो जाता है।

इस पर जस्टिस भिडे ने कहा—परंतु उसके साथ विचाराधीन कैदी-सा व्यवहार होना चाहिए। अदालत को यह अधिकार है कि वह उस पर अनावश्यक सख्तियां न होने दे।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ठीक है। सुखदेवराज के साथ बी. क्लास के कैदी का-सा व्यवहार किया जाता है, साधारण कैदी का नहीं।

इसके साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि कुछ विशेष कारणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से अलग रखा गया है, जो कि मैं अदालत को बताने के लिए तैयार हूं, परंतु सर्वसाधारण को नहीं बतलाए जा सकते। इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जेल में वह प्रचार का कार्य न कर सके।

**29 जून, 1931 :** आज की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के 26 अभियुक्तों की ओर से दी हुई उस अर्जी का फैसला सुनाया, जिसमें अभियुक्तों ने असिस्टेंट जेलर को हटा देने और मुखबिरों के हिरासत में रखने के संबंध में होईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनके पूर्णतया पालन किए जाने का अनुरोध किया था।

ट्रिब्यूनल का फैसला इस प्रकार है :

"मुखबिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा है कि इस अदालत में गवाही प्रारंभ होने के एक दिन पहले सी. आई. डी. पुलिस के डिप्टी-सुपरिंटेंडेंट सैयद अहमदशाह ने असिस्टेंट जेलर बाबू दौलतअली शाह की साजिश से, जो कि मुखबिरों पर देख-रेख करने के लिए तैनात हैं, रात के समय जेल के अंदर अनुचित ढंग से प्रवेश किया और मुखबिर मदनगोपाल को बयान की नकलें देकर उन्हें कंठस्थ कर लेने के लिए कहा। सफाई के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि सी. आई. डी. के अफसर मुखबिरों से मिलने न पाएं, परंतु डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सैयद अहमदशाह की कार्रवाई से मालूम होता है कि उस हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के हुक्मों के पालन न होने और दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं सरकार के नियमों के उल्लंघन होने में बहुत अंतर है। जो हो, हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुखबिरों के हिरासत में रखने के संबंध में ऐसा प्रबंध नहीं किया जा सका, जिससे कानून का या किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का उल्लंघन करना असंभव हो जाए।

"अगर यह मान भी लिया जाए, कि मुखबिर मदनगोपाल ने अपने बयान में जो कुछ कहा है, वह ठीक है, फिर भी उससे यह नहीं प्रकट होता कि सरकार की ओर से मुखबिरों के लिए जो प्रबंध किया गया है, उसमें सी. आई. डी. के अफसरों के लिए मुखबिरों से मिलने की व्यवस्था बनी रहने दी गई है। मुखबिरों के लिए जैसा प्रबंध किया गया है, उसमें सी. आई. डी. अफसर, बिना स्वयं अपने कर्तव्य का उल्लंघन किए और जेल के किसी अफसर से न्याय-विरुद्ध साजिश किए किसी मुखबिर से मिल नहीं सकता। हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन कराने के लिए इससे बढ़कर और क्या गारंटी हो सकती है कि जो व्यक्ति उन हुक्मों के उल्लंघन करने की चेष्टा करेगा, वह दंडित किया जाएगा ?

"सफाई के वकील का कहना है कि वे किसी जेल-अधिकारी या पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को दंड नहीं दिलाना चाहते, वे केवल कुछ ऐसा प्रबंध चाहते हैं, जिससे मुखबिरों से सी. आई. डी. के आदमियों का मिलना असंभव हो जाए। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि ऐसा कोई प्रबंध किया जा सकता है। अर्जी में कहा गया है कि मुखबिरों को सेंट्रल जेल में भेज दिया जाए। परंतु

यह उपाय हमें जंचता नहीं, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे बोर्स्टल जेल में असिस्टेंट जेलर ने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, वैसे ही सेंट्रल जेल का अफसर अपने कर्तव्य का उल्लंघन न करेगा ?

"अर्जी में यह भी कहा गया है कि बोर्स्टल जेल के असिस्टेंट जेलर अपने पद से हटा दिए जाएं। हम लोगों के लिए ऐसी कोई बात करना असंभव है, जब तक कि हम लोगों को इस बात का निश्चय न हो जाए कि दौलतअली शाह ने कोई अपराध किया है।

"सफाई के वकील ने कहा है कि हम लोग इस मामले की जांच करें, परंतु हमारा ख्याल है कि इस संबंध में आपत्ति की जा सकती है। एक तो यह, कि केस के बीच में ही मुखबिर की गवाही के किसी अंश पर ही फैसला दे देना सबूत या सफाई-पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का यह स्पष्ट मत है कि हमारी अदालत इस बात के लिए नहीं है कि वह ऐसी बातों की जांच करे। यह मान लेने पर भी कि मुखबिर मदनगोपाल ने जो कुछ कहा है, वह सच है, दौलतअली शाह और सैयद अहमदशाह के कार्य, संभवतः 'प्रिजन एक्ट' की 42 दफा के अनुसार या किसी और कानून के अनुसार अपराध कहे जा सकते हैं। इन अपराधों की जांच करना लाहौर जिले के किसी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की अदालत का कार्य है। वे अपराध ऐसे नहीं मालूम होते जिनकी जांच यह अदालत कर सकती हो। इस कथन में, कि प्रबंध ऐसे हैं, जिनमें मुखबिरों से सी. आई. डी. के अफसरों के मिल सकने की व्यवस्था है और इस कथन में कि किसी सी. आई. डी. के अफसर ने कानून का उल्लंघन करके किसी मुखबिर से मिलने का उपाय कर लिया, अंतर है। संभवतः पहले कथन के संबंध में जांच करना हमारे लिए उचित है। परंतु हमें उस अदालत के अधिकार अपहरण करने का कोई हक नहीं है, जिसे कि इस संबंध में जांच करने का अधिकार है।

"इसलिए इस संबंध में हम लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित करना उचित समझते हैं। अगर वे उचित समझें तो अर्जी में लिखी बातों की जांच कर सकते हैं।"

## सी. आई. डी. के अफसर

"अर्जी में यह भी प्रार्थना की गई है, कि अदालत में मुखबिरों से सी. आई. डी. के अफसर न मिलने पाएं। इस संबंध में हम अपना जबानी हुक्म पहले ही निकाल चुके हैं। अब एक लिखित हुक्म निकालकर हम फिर से उस बात का समर्थन करते हैं। अब से गवाहों के कमरे में कोई भी पुलिस अफसर बिना अदालत की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे ही पुलिस अफसर उस कमरे में जा सकेंगे,

जिन्हें स्वयं गवाही देनी है, परंतु जिन्होंने केस की जांच में कोई भाग नहीं लिया है; या वे पुलिस अफसर जा सकेंगे, जिन्हें अदालत में मुखबिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया है।

"आखिर में हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि मुखबिर मदनगोपाल की गवाही के किसी भी अंश पर हम अपना कोई भी निर्णय नहीं दे रहे हैं।"

**3 जुलाई, 1931 :** दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त श्री सुखदेवराज ने, अन्य अभियुक्तों से अलग एकांत कोठरी में रखे जाने के संबंध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने जो अर्जी दी थी, उसका फैसला अभियुक्त के विरुद्ध हुआ था। इस पर अभियुक्त की ओर से फैसले के विरुद्ध लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पेश की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने उस पर अपना फैसला देते हुए कहा है कि "इस मामले में मुख्य विचारणीय बात यह है कि विचाराधीन कैदी के साथ जेल में होने वाले व्यवहारों की शिकायत की जांच करना अदालत के अधिकार की बात है या नहीं। अभियुक्त की प्रार्थना पर ट्रिब्यूनल ने जेल-अधिकारियों के पास सूचना भेजकर, अभियुक्तों को दूसरे अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखने की सिफारिश कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में अपनी सम्मति प्रकट करते हुए जेल-अधिकारियों के पास यह भी सूचना भेज दी थी कि अभियुक्त की प्रार्थना उचित है और ट्रिब्यूनल को, उस प्रार्थना के स्वीकार कर लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु ट्रिब्यूनल ने सिफारिश कर देने के अतिरिक्त इस संबंध में और कोई कार्रवाई नहीं की। सिफारिश के अनुसार कार्य न होने पर एक बार उसने, सफाई-पक्ष के कहने पर जेल-अधिकारियों से उसका कारण पूछा था। इस विषय में ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ से स्वयं अपने संतोष के लिए कुछ नहीं पूछा। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि इसके आगे कोई कार्रवाई करना हमारे अधिकार-परिधि के बाहर है। उसने अभियुक्त की जमानत भी नामंजूर कर दी है। ट्रिब्यूनल का फैसला यदि ठीक मान लिया जाए तो इसका अर्थ यह होगा, कि अदालत विचाराधीन कैदी की शिकायत दूर करने का कोई उपाय नहीं कर सकती। परंतु हम नहीं समझते कि अदालत की स्थिति ऐसी निरुपाय है। हमारी समझ में अभियुक्त ने अपनी अर्जी में जो बातें कही थीं, उनका अभियुक्त की जमानत से संबंध था और इसलिए कम से कम इतना पता लेना आवश्यक था कि अर्जी में लिखी बातें कहां तक ठीक हैं, जेल-अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, वह कानून के अनुसार है या उसके विरुद्ध है और उस कार्रवाई के करने में कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं रहा।

"यदि पता लगाने पर मालूम होता कि अभियुक्त की कही बातें ठीक हैं और जेल-अधिकारियों द्वारा की हुई कार्रवाई गैर-कानूनी है, तो उस हालत में ट्रिब्यूनल को कम से कम अभियुक्त की जमानत के प्रश्न पर तो विचार करना ही चाहिए था, चाहे दूसरे किसी उपाय से अभियुक्त की शिकायत दूर करना ट्रिब्यूनल की

सामर्थ्य के बाहर होता।"

"जो हो, हमारी समझ से ट्रिब्यूनल का यह कहना ठीक नहीं है कि इस मामले में अदालत को कोई अधिकार ही नहीं है। सन् 1900 के प्रिजन एक्ट की तीसरी दफा के अनुसार जेल का अफसर उन सब व्यक्तियों को जेल में दाखिल करने और रखने के लिए बाध्य है, जिन्हें किसी अदालत ने नियमानुसार हिरासत में रखने के लिए भेजा हो। इसका तात्पर्य यह कि जब अदालत किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी की हालत में रखने के लिए जेल भेजे तो जेल का अफसर प्रिजन एक्ट के अनुसार उसे विचाराधीन कैदी मानने और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए बाध्य है। इस पर यदि कोई कैदी अदालत से शिकायत करता है कि मेरे साथ उपरोक्त नियम के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता और नियम-विरुद्ध दंड दिया जाता है, तो क्या यह कहा जाएगा कि अदालत को इस मामले में जांच करने या यह जानने का कि कैदी के साथ अदालत में वारंट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं, अधिकार नहीं है ? मेरी समझ से अवश्य ही अदालत को यह जानने का अधिकार है कि कैदी के साथ अदालत के वारंट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं। विद्वान चीफ जस्टिस सर अब्दुल कादिर के एक फैसले से भी उपरोक्त बात की पुष्टि होती है। आपके सामने जो मामला पेश था, उसमें कहा गया था कि जेल में मुखबिर, अदालत की आज्ञा के विरुद्ध, पुलिस की हिरासत में रखे गए हैं। पहले तो सरकारी वकील ने इस संबंध में कोई सूचना देने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में यह बात मान ली गई कि अदालत को, यह जानने के लिए कि उसकी आज्ञाओं का पालन होता है या नहीं, संपूर्ण बातों के पूछने का अधिकार है। मैं नहीं समझता कि इस संबंध में मातहत अदालतों की स्थिति भिन्न कैसे हो सकती है। आखिर में सरकारी वकील को इस मामले में स्वीकार करना ही पड़ा कि अदालत को यह जानने का अधिकार है कि विचाराधीन कैदी के साथ जेल में कानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है या नहीं। अभियुक्त की अर्जी के विरोध में सरकारी वकील ने सिर्फ इतना ही कहा कि इस संबंध में जो जांच हो वह सार्वजनिक न हो। उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार है, जिनसे बाध्य होकर उसने अभियुक्त को अलग रखने का आदेश दिया था, फिर भी सार्वजनिक हित के विचार से उन बातों को प्रकट करना ठीक न होगा। जो हो, मामले की मुख्य बात से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। ऐसे मामले में सार्वजनिक जांच पर जोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी अदालत ऐसी जांच पर जोर नहीं दे सकती, जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पहुंचने की संभावना हो।

## कोर्ट को जांच के बाद कार्रवाई करने का अधिकार है

"इस मामले में दूसरी विचारणीय बात यह है, कि जांच के बाद अदालत कौन-सी कार्रवाई कर सकती है। निस्संदेह जेल के अंदर बंद कैदी जेल-कानून के अधीन हैं। जेल-कानून के अनुसार कैदियों के साथ व्यवहार होने पर अदालत को जेल-अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु यह मालूम होने पर कि उनका कार्य जेल-नियमों के विरुद्ध है, अदालत को उस संबंध में उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। निस्संदेह जेल-संबंधी नियमों के विषय में अदालत और जेल-अधिकारी दोनों ही बाध्य हैं, परंतु मेरी राय में, जेल-नियमों को बिना भंग किए यदि अदालत न्याय की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक हुक्म जारी करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। जेल मैनुअल के नियमों को देखने से भी मालूम होता है कि अदालत को इस प्रकार के हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ पंजाब जेल मैनुअल के 811वें पैराग्राफ में लिखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट का हुक्म हो तो कैदी अपने साथ के अन्य कैदियों से अलग रखा जा सकता है। सरकारी वकील ने इस संबंध में कहा है, कि यह अपवाद है, परंतु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। और भी ऐसे मामले हैं, जिनमें न्याय की रक्षा के लिए अदालत को अपना हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ कानूनी सलाहकारों से कैदियों के मिलने के संबंध में आई.एल.आर. 50 मुंबई, पृ. 741 में नजीर दर्ज है। यद्यपि उपरोक्त उदाहरण पुलिस की हिरासत में रहने वाले कैदियों पर लागू होता है, फिर भी कोई कारण नहीं है कि वही सिद्धांत जेल में बंद विचाराधीन कैदियों पर क्यों न लागू हो। निस्संदेह अदालत अपना हुक्म जारी करते समय जेल-नियमों का ख्याल रखेगी ही।

"विचाराधीन कैदी अदालत के अधिकार में रहते हैं, यह बात हाईकोर्ट ने न्याय-विभाग की हिरासत के संबंध में जो नियम बनाए हैं उनमें भी प्रकट होता है। न्याय-विभाग की हिरासत में जेल के उन स्थानों की भी गणना है, जहां विचारधीन कैदी रखे जाते हैं। यद्यपि जेल के अंदर न्याय-विभाग की हिरासत का प्रबंध जेल-अधिकारी ही करते हैं, फिर भी सेशंस जजों को उसके निरीक्षण का अधिकार रहता है। इस संबंध में जेल-अधिकारियों को सेशंस जजों के पास कुछ मासिक विवरण भी भेजना पड़ता है।

"निस्संदेह अदालत जेल-शासन के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहती है। जेल-अधिकारियों की कार्रवाई बिलकुल गैर-कानूनी और अनुचित होने पर ही वह न्याय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। इस वक्त जो मामला मौजूद है, उसमें हम यह तो नहीं मानते कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रहने का अधिकार है, परंतु यह बात माननी पड़ेगी कि अभियुक्त जिस

ढंग से एकांत कोठरी में रखा जा रहा है, वह प्रिजन एक्ट के अनुसार दंड है, यद्यपि उसने जेल का कोई नियम नहीं भंग किया। पंजाब जेल मैनुअल के नियमानुसार विचाराधीन कैदी के साथ केवल उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए, जितना कि जेल के नियम और अनुशासन की रक्षा के लिए आवश्यक हो। इस दृष्टि से इस मामले पर विचार करने से मालूम होता है कि अभियुक्त की शिकायतों की जांच होनी जरूरी है। इसलिए हम अभियुक्त की अर्जी मंजूर करते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल इस मामले की जांच करेगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा।''

**4 जुलाई, 1931** : आज मि. सुमेरचन्द एडवोकेट ने हाईकोर्ट के सामने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की ओर से जाब्ता फौजदारी की दफा 435 और 561-ए के अनुसार निम्नलिखित अर्जी पेश की :

(1) अभियुक्तों के विरुद्ध स्पेशल ट्रिब्यूनल में भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए मामला चल रहा है।

(2) इस केस में 6 मुखबिर हैं।

(3) मामला चलते समय पहले मुखबिर पुलिस की हिरासत में थे, बाद में 18 अप्रैल के हाईकोर्ट के हुक्म के अनुसार वे न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए।

(4) न्यायालय विभाग की हिरासत में रखे जाने के बाद अभियुक्तों ने इस हाईकोर्ट के सामने एक अर्जी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मुखबिरों पर सेंट्रल जेल में पहरा देने वाले पुलिस के आदमी हैं और पुलिस के अफसर मुखबिरों से मिला करते हैं।

(5) जिस समय उपरोक्त अर्जी पर हाईकोर्ट में विचार हो रहा था, उस समय सरकारी वकील ने हाईकोर्ट के सामने एक वक्तव्य पेश किया था, जिसमें हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया गया था, कि मुखबिरों के लिए स्थाई प्रबंध कर दिया जाएगा, पुलिस का पहरा हटा लिया जाएगा और पुलिस के अफसर न तो मुखबिरों से मिल सकेंगे, न उन पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे।

(6) सबूत-पक्ष के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर शादीलाल और सर अब्दुल कादिर ने अभियुक्तों की अर्जी 23 मई, सन् 1931 को खारिज कर दी। उस संबंध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किए थे, वे इस प्रकार हैं :

''ऐसी हालत में अब इस बात का भय नहीं रहा, कि केस के जांच करने वाले अफसर मुखबिरों पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे। अभियुक्तों को अब इस संबंध में तब तक किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं है, जब तक कि वे यह न प्रमाणित कर दें कि अफसरों को मुखबिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने के अवसर मिलते हैं।''

(7) हाईकोर्ट के उपरोक्त हुक्म के निकलने के बाद मुखबिर मदनगोपाल की गवाही प्रारंभ हुई। उसने अपनी गवाही में कहा है कि सी.आई.डी. के अफसर असिस्टेंट जेलर दौलतअली शाह की सहायता से अब भी मुझसे मिलते और लिखित बयान को कंठस्थ करने के लिए कहते हैं। मुखबिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के समर्थन में अदालत के सामने एक कागज भी पेश किया था। इससे जाहिर होता है कि मुखबिर अब भी पुलिस के दबाव से बाहर नहीं है और सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को जो विश्वास दिलाया था, उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

(8) अभियुक्तों ने ता. 22 मार्च, सन् 1931 को ट्रिब्यूनल से शिकायत की, कि मुखबिरों से सी.आई.डी. के अफसर और असिस्टेंट जेलर मिलते और उन पर दबाव डालते हैं और हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन नहीं किया जा रहा है। परंतु ट्रिब्यूनल ने 25 जून, सन् 1931 को अभियुक्तों की अर्जी यह कहकर खारिज कर दी, कि यह अदालत इस मामले में जांच नहीं कर सकती और न उसे रोकने का कोई उपाय ही कर सकती है।

## ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था ?

(9) छोटी अदालत का यह कहना, कि वह मुखबिरों से सी.आई. डी. अफसरों का मिलना नहीं रोक सकती, गलत है। छोटी अदालत का यह देखना फर्ज है कि हाईकोर्ट के हुक्मों का शब्दों और भावों, दोनों प्रकार से पालन होता है या नहीं। शिकायतों की ओर केवल लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित कर देने और उनसे यह कह देने से कि यदि वे उचित समझें तो शिकायतों की जांच करें, कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि जब तक वे इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का विचार करेंगे, तब तक मुखबिरों की गवाही समाप्त हो जाएगी। ट्रिब्यूनल को मुखबिरों के लिए प्रबंध में कुछ ऐसा परिवर्तन करने का हुक्म देना चाहिए था, जिससे निष्पक्ष न्याय की रक्षा होती। ट्रिब्यूनल को मुखबिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए थी, जब तक कि मुखबिर पुलिस के दबाव से बिलकुल स्वतंत्र न हो जाते।

(10) जो हो, इस हाईकोर्ट को 18 अप्रैल, सन् 1931 के हुक्म के पालन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों के निकालने, अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने और न्याय की रक्षा करने का पूरा हक है।

(11) बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों की देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जाएं और मुखबिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेंट्रल जेल में कर दिए जाएं।

(12) प्रार्थना है कि हाईकोर्ट की 18 अप्रैल की आज्ञा का पालन कराया जाए, जिससे सी.आई.डी. के अफसर मुखबिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने का

अवसर न पा सकें। बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जाएं। मुखबिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेंट्रल जेल में कर दिए जाएं। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष न्याय के लिए हाईकोर्ट जो अन्य उपाय उचित समझे, उनका प्रबंध करे। जब तक यह प्रबंध न हो जाए, तब तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रखी जाए।

**8 जुलाई, 1931 :** ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट मि. ब्लैकर के छुट्टी ले लेने के कारण दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई 10 रोज के लिए स्थगित हो गई थी। आज तारीख 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी।

अदालत में सफाई के वकील और कुछ सबूत के गवाह उपस्थित थे। ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर गंगाराम सोनी ने अदालत में उपस्थित लोगों को सूचना देते हुए बतलाया कि झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण श्रीनगर और रावलपिंडी के बीच के कोहला और दूसरे पुल बह गए हैं जिससे मि. ब्लैकर लाहौर नहीं पहुंच सके। इसलिए अदालत शनिवार तक के लिए स्थगित हो गई।

आज लाहौर हाईकोर्ट ने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की ओर से जाब्ता फौजदारी की दफा 435 और 561-ए के अनुसार दी हुई उस अर्जी पर विचार किया, जिसमें हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी, कि मुखबिरों के हिरासत में रखने के संबंध में हाईकोर्ट ने जो पहले हुक्म जारी किया था, उसका पालन कराया जाए और सी.आई.डी. अफसरों को मुखबिरों से मिलने और उन पर किसी प्रकार के दबाव डालने का मौका न दिया जाए। अर्जी में यह भी प्रार्थना की गई थी कि बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जाएं और मुखबिर बोर्स्टल जेल से सेंट्रल जेल में कर दिए जाएं। इसके अतिरिक्त और जो उपाय हाईकोर्ट निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक समझे, कर सकती है। यह भी कहा गया था, कि जब तक मुखबिरों के संबंध में उचित प्रबंध न हो जाए, तब तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रखी जाए।

अभियुक्तों की ओर से बहस करने के लिए मि. सुमेरचन्द और मि. श्यामलाल उपस्थित थे।

मि. सुमेरचन्द ने कहा कि इस केस में 6 मुखबिर हैं। चार महीने तक वे पुलिस की हिरासत में रहे। बाद में अभियुक्तों की ओर से यह शिकायत होने पर कि पुलिस मुखबिरों पर बेजा दबाव डालती है, हाईकोर्ट ने उन्हें पुलिस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर देने का हुक्म जारी कर दिया। यह इस मामले का प्रथम अध्याय था। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुखबिर पुलिस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए। परंतु पुलिस का पहरा ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट से इसकी शिकायत की गई, जिसके परिणाम-स्वरूप गवर्नमेंट ने पुलिस का पहरा हटा लेना स्वीकार कर लिया। यह इस मामले का द्वितीय

अध्याय था। इसका तीसरा अध्याय इस वक्त हाईकोर्ट के सामने उपस्थित है। बोर्स्टल जेल के असिस्टेंट जेलर बाबू दौलतअली शाह, जिन्हें मुखबिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया था, पुलिस से मिले हुए हैं। वे सी.आई.डी. पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सैयद अहमद शाह को जेल के पीछे के रास्ते से ले जाकर मुखबिरों से मिलाया करते थे। यह अर्जी अभियुक्तों ने ऐसी कार्रवाइयों के रोकने के लिए पेश की है।

## मुखबिर के बयान

मि. सुमेरचन्द ने मुखबिर मदनगोपाल के बयान का वह अंश अदालत के सामने पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि डी.एस.पी. सैयद अहमदशाह बोर्स्टल जेल में मेरी कोठरी में आए, मुझे दिल्ली षड्यंत्र केस के मुखबिर कैलाशपति के बयान की अंग्रेजी नकल दी और उसकी उन बातों को कंठस्थ कर लेने के लिए कहा, जो कि दिल्ली और लाहौर षड्यंत्रों से मिलती-जुलती हों। उन्होंने मुखबिर से कहा कि बयान में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए।

जस्टिस टैप—मुखबिर को कागज देखकर अपनी याददाश्त ताजी करने का अधिकार है। इसमें हर्ज ही क्या है ?

वकील—हर्ज कोई नहीं है। परंतु कानूनन वह अदालत में ही याददाश्त ताजी कर सकता है।

जस्टिस भिडे—अदालत में जाने से पहले भी वह अपनी याददाश्त ताजी कर सकता है। संभव है, डी.एस.पी. इजाजत लेकर जेल के अंदर गया हो, उसमें दोष ही क्या है ?

वकील—कानूनन डी.एस.पी. जेल के अंदर मुखबिर के पास नहीं जा सकता। सबूत-पक्ष का तो कहना है कि डी. एस.पी. के जेल में जाने और मुखबिर से मिलने आदि की बातें गलत हैं।

जस्टिस भिडे—क्या सबूत-पक्ष का कहना है कि डी.एस.पी. वहां गया ही नहीं ?

वकील—जी हां।

जस्टिस टैप—मुखबिर ने डी.एस.पी. के हाथ का लिखा एक कागज पेश भी किया है !

वकील—जी हां !

जस्टिस भिडे—यह अर्जी लेकर हाईकोर्ट में आने की आपको जरूरत ही क्या है, जब इस तरह का बयान मिसिल में दर्ज है ? यह तो सबूत-पक्ष को साबित करना चाहिए, कि ऐसी कोई बात नहीं हुई।

जस्टिस टैप—इस वक्त मिसिल में एक ऐसी बात दर्ज है, जिसका सबूत की ओर से विरोध नहीं हुआ। यह आपके पक्ष के लाभ की बात है। आप अर्जी पेश करके अपने विरोधी को उस बात के काटने का अवसर क्यों देते हैं ? गवाही के ऊपर छाए हुए बादल को आप स्वयं ही क्यों हटाना चाहते हैं ?

वकील—हम इस मुखबिर के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। हम केवल दूसरे मुखबिरों के संबंध में कुछ आवश्यक प्रबंध चाहते हैं।

जजों ने, यह कह कर अर्जी खारिज कर दी, कि इस संबंध में हाईकोर्ट की तरफ से आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं। इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं है।

**11 जुलाई, 1931 :** को स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट मि.एच.ए.सी. ब्लैकर के श्रीनगर से लाहौर आ जाने पर, जो कि झेलम नदी के बाढ़ आ जाने के कारण रुक गए थे, दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई फिर से प्रारंभ हुई।

आज अभियुक्त एक वर्दी में केसरी रंग के साफे बांधे भूरी रंग की कमीजें और नीले रंग के निकर पहने अदालत में उपस्थित हुए।

कार्रवाई प्रारंभ होने पर सब से पहले सबूत की ओर से फिरोजपुर शस्त्रागार के कैप्टेन मिलर की गवाही हुई। कैप्टेन मिलर ने अपनी गवाही में कहा कि अमृतसर रेलवे स्टेशन की सराय में मैंने एक बम की परीक्षा की थी। मैंने उसे छुआ नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि छूने से वह कहीं भड़क न उठे।

इसके बाद अमृतसर के सरयाली पुलिस-चौकी के सब-इंस्पेक्टर जुल्फिकारअली शाह की गवाही हुई। जुल्फिकारअली शाह जून सन् 1930 में सिविल लाइंस के हलके में थे। आपने अपनी गवाही में कहा कि 19 जून, सन् 1930 को सवेरे साढ़े 6 बजे सराय रनजोध सिंह के मुंशी अब्दुल हकीम ने पुलिस-चौकी में आकर कहा कि सराय के दूसरे नंबर के कमरे में एक बम फटने की घटना हुई है। उसने कहा कि रात में एक नवयुवक ने उस कमरे को किराए पर लिया था। बम फटने के बाद कमरे को धुएं से भरा हुआ देख कर वह नवयुवक सराय से चला गया। घटना की रिपोर्ट लिख लेने के बाद मैं सराय गया, वहां कमरे से धुआं निकल रहा था। ताला खोल कर अंदर देखने से मालूम हुआ कि दीवार पर नुकसान पहुंचा है। इस बात से मैंने अनुमान किया कि कोई बम की घटना हुई है। मैंने कमरे की अलमारी में एक काले संदूक में एक और बम रखा हुआ देखा था। मैंने देखा कि काले संदूक के नीचे कुछ कागज भी रखे हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति को उसे छूने नहीं दिया। इसके बाद मि. नील तथा दूसरे अफसरों ने आकर घटनास्थल और बम का निरीक्षण किया। मैंने जमीन पर बिखरी हुई कीलों को एकत्र करके उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली। इसके बाद गवाह ने अदालत में पेश एक कमीज और एक काले संदूक की शिनाख्त की।

सफाई के वकील मि. श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर को मैंने घटना के कुछ दिन बाद कब्जे में किया था। एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि रजिस्टर में जहां तक लिखा जा चुका था, उसके आखिर में मेरे दस्तखत नहीं हैं।

इसके बाद रनजोध सिंह-सराय के मैनेजर अब्दुल हकीम कुरेशी की गवाही हुई। आपने कहा कि रजिस्टर में सराय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिख लिया जाता है। 18 जून को सराय में एक नवयुवक आया था, उसका नाम रजिस्टर में लिख लिया गया था। मैं उस नवयुवक को पहले से नहीं जानता था। वह 2 नंबर के कमरे में ठहरा था। यह सूर्यास्त के समय अकेले आया था। उसके आने के कुछ मिनटों बाद एक सिख भी आया था, जो कि उसके कमरे में चला गया। वह सिख रात में नहीं रहा, करीब पौन घंटा के बाद वह चला गया था।

इसके बाद गवाह ने कहा कि दूसरे दिन सवेरे करीब 6 बजे 2 नंबर के कमरे में एक बम फटा। मैंने कमरे के अंदर से बहुत अधिक धुआं निकलते हुए देखा। इसके बाद मैंने इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी।

गवाह की जिरह के बाद सुनवाई स्थगित हो गई।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज की भी पेशी हुई थी। सुखदेवराज के अलग एकांत कोठरी में रखे जाने के संबंध में हाईकोर्ट में जो अर्जी पेश की गई थी, उसके फैसले के अनुसार ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट ने सरकार के नाम एक नोटिस निकालने की सूचना दी।

अभियुक्त के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट ने अदालत से नोटिस के जवाब के लिए शीघ्र तारीख रखने की प्रार्थना की। आपने कहा कि अभियुक्त को एकांत कोठरी में रखते एक महीने से अधिक का समय हो गया है।

इसके बाद अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट के द्वारा सरकार को नोटिस दी कि अभियुक्त सुखदेवराज ने एकांत कोठरी में रखे जाने के संबंध में जो शिकायत की है, वह ठीक है या नहीं और उसका इस प्रकार रखा जाना कानून से उचित है या नहीं। इस बात का उत्तर देने के लिए अदालत ने 18 तारीख नियत की।

**15 जुलाई 1931 :** को लाहौर षड्यंत्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अमृतसर सराय की बम-घटना के संबंध में गवाही जारी रही।

सफाई के वकील मि. अमोलकराम कपूर ने अमृतसर रेलवे स्टेशन के कुली फजल मुहम्मद से बहुत देर तक जिरह की। गवाह ने कहा कि जब रेलवे स्टेशन से सराय की तरफ मैं दो नवयुवकों का सामान लिए हुए जा रहा था, तब रास्ते में मुझे केवल एक सिख मिला था। मैं नहीं जानता कि पुलिस ने अपने बयान में दो सिख क्यों बतलाए हैं। मैं उसी ट्रेन से आया था, जिस ट्रेन से सराय के मुंशी

लाहौर फोर्ट में उन नवयुवकों की शिनाख्त करने के लिए आए थे। इसके पहले मैं मुंशी को नहीं जानता था। मुझे याद है कि शिनाख्त की कार्रवाई के समय मुझे बुलाने के लिए पुलिस का एक आदमी गया था। मैंने रेल का खर्च अपनी जेब से दिया था, परंतु बाद में शिनाख्त की कार्रवाई हो जाने के बाद पुलिस ने मुझे रेल का खर्च दे दिया। शिनाख्त के समय मैंने मैजिस्ट्रेट से कहा था, कि इन्हीं लोगों का सामान मैंने स्टेशन से सराय तक पहुंचाया था।

अमृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे कुली, चननदीन ने कहा कि मैंने फजल मुहम्मद को दो नवयुवकों के साथ उनका सामान ले जाते हुए देखा था।

जब गवाह से उन दो नवयुवकों की शिनाख्त करने के लिए कहा गया, तो उसने अभियुक्तों के कठघरे में गलत व्यक्तियों को बताया, जो कि अभियुक्त जयप्रकाश और हरनाम सिंह थे।

अदालत ने गवाह से पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का निश्चय है कि फजल मुहम्मद के साथ तुमने इन्हीं दो नवयुवकों को देखा था ?

मि. श्यामलाल ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया और कहा कि यह बिलकुल झूठा गवाह है।

अदालत ने मि. श्यामलाल की बात नहीं मानी।

गवाह ने कहा कि समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मुझे निश्चय नहीं है।

इसके बाद मि. श्यामलाल और मि. अमोलकराम ने गवाह से जिरह की।

## संबंधियों से मिलने का प्रश्न

मि. श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्तों ने अदालत से प्रार्थना की थी, कि गुजरांवाला से आए हुए सबूत के गवाहों की गवाही होने के पहले उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दे दी जाए। अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिलकर अपने शिनाख्त के संबंध में कुछ सलाह करना चाहते थे। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि गुजरांवाला के गवाहों की गवाही तब तक के लिए स्थगित रखी जाए, जब तक कि अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से न मिल लें।

अदालत ने अभियुक्तों की प्रार्थना मान ली और अभियुक्तों से उनके रिश्तेदारों के मिलने के लिए कल की तारीख नियत की। तब तक गुजरांवाला के गवाहों की गवाही स्थगित रखी जाएगी।

सरकारी वकील रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद ने कहा कि मुझे अदालत की आज्ञा में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरी प्रार्थना है कि गुजरांवाला के गवाहों में से

एक गवाह की गवाही हो जाने के लिए आज्ञा दे दी जाए। वह गवाह विशेष महत्वपूर्ण नहीं है और उससे अभियुक्तों की शिनाख्त की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है।

अदालत ने सरकारी वकील की बात नहीं मानी और अपने पहले के निश्चय पर दृढ़ रही।

## मुखबिरों की गवाही

इसके बाद सफाई के वकील ने मुखबिर सरनदास और शिवराम की गवाही तुरंत ही प्रारंभ कर देने के लिए अदालत के सामने एक अर्जी पेश की। अर्जी इस प्रकार थी :

(1) सी.आई.डी. पुलिस के आदमी मुखबिरों पर बेजा दबाव डालने के लिए जैसी-जैसी धमकियां और यातनाएं दे रहे थे, उसके संबंध में इस अदालत के सामने एक अर्जी पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुखबिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित की जाए, जब तक कि हाईकोर्ट से इन ज्यादतियों के रोकने का कोई उपाय न कर दिया जाए। उस अर्जी के अनुसार इस अदालत ने 8 जुलाई तक के लिए मुखबिरों की गवाही स्थगित कर दी थी।

(2) हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की अर्जी पर 8 जुलाई, सन् 1931 को अपना फैसला सुना दिया था।

(3) सबूत-पक्ष अन्य गवाहों की गवाहियां ले रहा है, परंतु मुखबिरों की गवाही जान-बूझ कर रोके हुए है।

(4) अभियुक्तों को इस बात का भय है कि पुलिस इस बीच में मुखबिरों पर पहले की ही तरह बेजा दबाव डालने का प्रयत्न कर रही है। बेगुनाह व्यक्तियों के विरुद्ध मुखबिरों के विचार-स्वातंत्र्य में बिलकुल अनुचित और गैर-कानूनी दबाव डाल कर न्याय के मार्ग में बाधा उपस्थित की जा रही है।

(5) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बोर्स्टल जेल के असिस्टेंट जेलर और एक दूसरे पुलिस-अफसर के विरुद्ध, जिसने असिस्टेंट जेलर की साजिश से जेल में मुखबिर मदनगोपाल से गैर-कानूनी ढंग से भेंट की थी और जिनके विरुद्ध अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रिजन एक्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

(6) अभियुक्तों में से रावलपिंडी वाले अभियुक्त बहुत अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्हें जहां तक हो, जल्दी यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि सबूत-पक्ष ने उनके विरुद्ध क्या दोषारोपण किए हैं।

(7) इस अर्जी में लिखी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों की प्रार्थना है, कि अदालत उन मुखबिरों के पेश करने और उनकी गवाही प्रारंभ कर देने का शीघ्र हुक्म जारी कर दे, जिनकी गवाही अभी तक नहीं हुई है।

अर्जी पर बहस सुन लेने के बाद अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।

## जेल में मुलाकात और सरकारी गवाह

अभियुक्तों की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने एक और अर्जी पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि पहले अभियुक्त अपने संबंधियों से जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के आफिस में किसी जेल-अधिकारी की उपस्थिति में मिला करते थे, परंतु कल सरदार अमरीक सिंह और सरदार गुलाब सिंह से कहा गया कि वे अपने संबंधियों से सींखचों के अंदर से मिल सकते हैं। सींखचों के अंदर से मिलने की यह जगह जेल के सामने की मुख्य सड़क से साफ दिखलाई पड़ती है। मिलने के लिए यह जगह बिलकुल अनुचित और असुविधाजनक थी। अभियुक्तों के संबंधियों को, जिनमें स्त्री-पुरुष और बच्चे सभी थे, इस गर्मी की ऋतु में धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा। इस प्रकार की मुलाकातों का उद्देश्य सबूत पक्ष के गवाहों को अभियुक्तों को पहचानने का मौका देना था।

अभियुक्तों को लाहौर फोर्ट में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर उपरोक्त बातों की शंका की गई है।

सरदार अमरीक सिंह और सरदार गुलाब सिंह ने सींखचों के अंदर से जेल के फाटक पर डी.एस.पी., सरदार प्रताप सिंह और कोर्ट-इंस्पेक्टर मि. केदारनाथ को गुजरांवाला के दो सबूत के गवाहों के साथ खड़े हुए देखा था। इन्हीं गवाहों ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की लाहौर के किले में शिनाख्त की थी। यह सब देख कर अभियुक्तों को सी.आई.डी. के आदमियों की चाल की आशंका हो गई, इसलिए उन्होंने उन परिस्थितियों में अपने संबंधियों से मिलना अस्वीकार कर दिया। अभियुक्तों की प्रार्थना है कि अदालत अभियुक्तों को जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में हफ्ते में दो बार अपने संबंधियों से मिलने की इजाजत दे।

अदालत ने यह अर्जी मंजूर कर ली और जेल-अधिकारियों को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के आफिस में मुलाकात का प्रबंध करने के लिए हिदायत दी।

**16 जुलाई, 1931** : दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

गुजरांवाला के तांगा हांकने वाले ने अपनी गवाही में कहा कि जून सन् 1930 में मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में बम-घटना का समाचार सुना था। बम-घटना के दूसरे दिन पुलिस ने बुला कर मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने तांगे में दो सिखों को स्टेशन से लेकर ब्रह्म-अखाड़ा गए थे ? मैंने कह दिया—हां, मैं अपने तांगे में लेकर गया था।

इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए अदालत के बाहर चले जाने के लिए

कहा गया। इधर अदालत में कुछ सिख नवयुवक अभियुक्तों की-सी पोशाक पहना कर अभियुक्तों के साथ खड़े कर दिए गए। फिर गवाह को बाहर से बुला कर अदालत ने उससे उन दो सिख नवयुवकों की शिनाख्त करने के लिए कहा, जिनको वह स्टेशन से तांगे पर ब्रह्म-अखाड़ा ले गया था। गवाह शिनाख्त नहीं कर सका। उसने कहा कि वे नवयुवक इन अभियुक्तों में नहीं हैं। इसी गवाह ने मैजिस्ट्रेट की अदालत में उनकी शिनाख्त की थी।

जिरह करने पर गवाह ने कहा कि हां, यह बात ठीक है, कि मेरा नाम पुलिस में बदमाशों के रजिस्टर में लिखा है।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि. सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं उन अभियुक्तों की शिनाख्त, इसलिए नहीं कर सका, कि वे सिखों में मिला दिए गए हैं और उनकी पोशाकें एक-सी हैं। किले में शिनाख्त करते समय अभियुक्त एक तरह की पोशाक में नहीं थे और जो बाहरी व्यक्ति उनके साथ मिला दिए गए थे, उनमें अधिकांश सिख नहीं थे। गवाह ने कहा कि वे कई दलों में करके खड़े किए गए थे, वे यहां की तरह एक लाइन में नहीं खड़े किए गए थे।

## पुजारी का बयान

ब्रह्म-अखाड़ा के पुजारी मोहकुमचन्द ने कहा कि 19 जून, सन् 1930 को ब्रह्म-अखाड़ा के 6 नंबर के कमरे में एक बम फटा था। कमरा खोलने पर वह धुएं से भरा हुआ पाया गया और अंदर से गंधक की बू आ रही थी। मैं इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट के संयुक्त मंत्री के पास गया। वहां से लौटने पर मैंने देखा कि बहुत से पुलिस अफसर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर भी घटना-स्थल पर मौजूद थे। मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में एक और बम फटा था, जिससे एक पुलिस अफसर घायल हो गया। वह पुलिस अफसर मेरे सामने अस्पताल पहुंचाया गया। गवाह ने कहा कि इस कमरे में दो सिख नवयुवक ठहरे थे। वे 17 जून, सन् 1930 को आए थे।

इसके बाद गवाह ने कहा कि मैंने लाहौर फोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने उन दो सिख नवयुवकों की शिनाख्त की थी। पुलिस ने इन नवयुवकों को शिनाख्त की कार्रवाई के तीन दिन पहले मुझे लाहौर में पुलिस की हिरासत में दिखला दिया था। सब-इंस्पेक्टर ने उन नवयुवकों को दिखलाते हुए मुझसे कहा था कि अच्छी तरह देख लो, शिनाख्त करनी होगी।

सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि यह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध हो गया है, इसलिए इससे जिरह करने की आज्ञा दी जाए।

सफाई के वकील मि. अमोलकराम ने, यह कहते हुए इसका विरोध किया, कि किसी गवाह के सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ कह देने से ही वह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध नहीं हो जाता। परंतु अदालत ने सरकारी वकील को जिरह करने की आज्ञा दे दी।

सरकारी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि लाहौर फोर्ट में शिनाख्त की कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले मुझे एक पुलिस अफसर लाहौर ले आया था। उसी ने मेरे टिकट का मूल्य दिया था और मेरे भोजन का प्रबंध किया था। जिस पुलिस चौकी में यह अफसर मुझे ले गया था और अभियुक्तों को दिखलाया था, उसके सामने एक कुआं है। मैं अदालत को वह जगह बतला सकता हूं।

## पुलिस की बेईमानियां

गवाह ने कहा कि पुलिस से बहुत डरने के कारण मैंने उस पुलिस अफसर के साथ गुजरांवाला से लाहौर आने से इनकार नहीं किया। गुजरांवाला से लाहौर आते समय तीन और गवाह मेरे साथ थे, जिनमें एक तांगा हांकने वाला मेहरदीन, लक्ष्मीदास और ब्रह्म-अखाड़ा के मैनेजर थे। साथ में एक कांस्टेबिल भी था। हम लोग एक कमरे में बैठा दिए गए थे, वहीं अभियुक्त लाकर दिखलाए गए। इसके बाद हम लोगों को वापस जाने का टिकट-खर्च दे दिया गया। तीसरे दिन हम लोग अभियुक्तों की शिनाख्त करने लिए फिर बुलाए गए। जिस पुलिस अफसर ने हम लोगों को अभियुक्तों को दिखलाया था, वही रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए मौजूद था। उसके साथ एक मैजिस्ट्रेट भी था।

प्रश्न—तुमने यह बात मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं बतलाई ?

उ.—मैजिस्ट्रेट ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, इससे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा।

प्र.—क्या आज तुम अदालत में इस बात को प्रकट करने के इरादे से आए थे ?

उ.—नहीं, अगर मुझसे यह बात न पूछी जाती तो मैंने उसको प्रकट न किया होता।

मि. सलीम—सरकारी वकील के किस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें इन बातों को प्रकट करना पड़ा ?

गवाह—सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि मैजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्तों की शिनाख्त करते समय तुम्हें यह निश्चय था, कि तुम अभियुक्तों की ठीक शिनाख्त कर रहे हो ? इसके उत्तर में मैंने कहा कि अभियुक्त मुझे पहले से दिखला दिए गए थे। मैंने थाने में अभियुक्तों को केवल पांच मिनट तक देखा था।

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन अभियुक्तों की शिनाख्त करने

के लिए कहा, जो कि उसे पुलिस चौकी में दिखलाए गए थे। गवाह कठघरे के पास गया और चारों तरफ देख कर कहा कि मैं अभियुक्तों की शिनाख्त नहीं कर सकता।

इस पर अदालत ने सरदार अमरीक सिंह और सरदार गुलाब सिंह को खड़े होने के लिए कहा और गवाह से उनकी ओर संकेत करते हुए पूछा कि ये वही व्यक्ति हैं या नहीं, जिनको पुलिस ने तुम्हें दिखलाया था ? गवाह ने कहा, हां, ये वही व्यक्ति हैं। सरदार अमरीक सिंह की ओर इशारा करते हुए गवाह ने कहा कि संभवतः मैंने इसी व्यक्ति को ब्रह्म-अखाड़ा से 19 जून को सवेरे निकलते हुए देखा था।

मि. सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि अदालत में सरदार अमरीक सिंह और सरदार गुलाब सिंह की शिनाख्त मैं क्यों नहीं कर सका। गवाह ने कहा कि लाहौर फोर्ट में शिनाख्त की कार्रवाई के समय अभियुक्तों की पोशाकें भिन्न प्रकार की थीं, इस समय उनकी पोशाकें एक-सी हैं।

**17 जुलाई, 1931 :** सरकारी वकील रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद ने गुजरांवाला के श्री मोहकमचन्द से जिरह जारी रखी। गवाह ने कहा कि ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट में 26 सदस्य हैं। लाला जगन्नाथ मोंगा, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, ट्रस्ट के सदस्यों में से हैं। गवाह ने कहा कि जेल से उनके छूटने पर मैं उनके घर पर उनको बधाई देने के लिए नहीं गया। मुझे नहीं मालूम, कि लाला बिहारीलाल 19 जून के पहले गिरफ्तार हुए थे या बाद में, और न मुझे यही मालूम है, कि वे इस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे या नहीं।

प्रश्न—क्या यह बात सच है, कि इस केस में तुमने लाला जगन्नाथ और लाला बिहारीलाल के दबाव के कारण सबूत-पक्ष के विरुद्ध गवाही दी है ?

उत्तर—नहीं, यह बात सच नहीं है।

इसके बाद सफाई के वकील मि. श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि दो नवयुवक सिख ब्रह्म-अखाड़ा में साढ़े साठ बजे रात को आए थे। अगर पुलिस ने अभियुक्तों को न दिखलाया होता, तो मैं शिनाख्त न कर सकता। गवाह ने कहा, कि मैं उस पुलिस अफसर की शिनाख्त कर सकता हूं, जिसने अभियुक्तों को दिखलाया था।

इस पर सी.आई.डी. के सब-इंस्पेक्टर सरदार खड्ग सिंह अदालत में लाए गए। उनको देखते ही गवाह ने कहा कि ये वही पुलिस अफसर हैं, जिन्होंने अभियुक्तों को दिखलाया था। इन्होंने मेरा बयान भी लिखा था। गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि बम-घटना के दिन ब्रह्म-अखाड़ा में कितने आदमी थे। मैं कभी कांग्रेस की सभाओं में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो कांग्रेस की सभाओं में कांग्रेस वालों पर पुलिस आक्रमण करती है, दूसरे मैं गवर्नमेंट की राजभक्त प्रजा हूं।

इसके बाद सबूत के दूसरे गवाह, पथरवाली गांव के ज्ञान सिंह की गवाही हुई। गवाह ने कहा कि 17 जून, सन् 1930 को मैं गुजरांवाला एक मुकदमे के संबंध में गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की अदालत में चल रहा था। मैं ब्रह्म-अखाड़ा में ठहरा था। 19 जून को सबेरे मैं बाजार गया था, तब मैंने ब्रह्म-अखाड़ा की बम-घटना की बात सुनी थी। घटना के बाद अखाड़ा जाते समय पुलिस ने मुझे बाहर रोक लिया था। इसके बाद मैं अपने गांव वापस चला गया। जांच के समय गुजरांवाला की पुलिस ने मुझे नहीं बुलाया। तीन महीने के बाद मैं लाहौर फोर्ट में अभियुक्तों की शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। मैंने शिनाख्त की कार्रवाई के समय दो सिखों की शिनाख्त की थी, जिन्हें मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था।

इस बीच में अभियुक्त अमरीक सिंह और गुलाब सिंह कुछ बाहरी सिखों के साथ मिला दिए गए। उन्हें पोशाक भी अभियुक्तों की-सी पहना दी गई और एक लाइन में खड़े कर दिए गए। गवाह ने कुछ हिचकिचाहट के बाद दोनों अभियुक्तों की शिनाख्त कर दी।

मि. सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने दोनों अभियुक्तों को 17 जून को एक साथ देखा था। मैं और मेरा भाई और ये दो अभियुक्त छत पर सोए थे। ता. 19 जून को सवेरे बम-घटना की खबर सुनने के बाद जब मैं ब्रह्म-अखाड़ा गया था, तब अमरीक सिंह वहां मौजूद थे। मैंने घटना के विषय में किसी से कोई बात नहीं पूछी। जब शिनाख्त के लिए मैं लाहौर-फोर्ट में बुलाया गया था, उस समय मुझे उन व्यक्तियों का कोई ख्याल नहीं था, जिनकी शिनाख्त करनी थी। अभियुक्तों को देखने पर मुझे ख्याल हो आया कि मैंने इन्हें ब्रह्म-अखाड़ा में देखा था।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के जेल में अलग एकांत कोठरी में रखे जाने के प्रश्न पर जो बहस हो रही थी, वह जारी रही।

सरकारी वकील के बहस प्रारंभ करने के पहले मि. श्यामलाल ने अदालत का ध्यान ए क्लास के कैदियों के संबंध में रूल नं. 1 की ओर आकर्षित किया। आपने कहा कि ए क्लास के कैदी आपस में अलग नहीं किए जाते। अभियुक्त सुखदेवराज की हैसियत वाले विचाराधीन व्यक्तियों को ए क्लास की सुविधाएं पाने का अधिकार है। इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज बी.क्लास के विचाराधीन कैदियों से अलग नहीं रखा जा सकता। ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट ने सरकारी वकील का ध्यान, प्रिजन ऐक्ट की दफा 46 में एकांत कोठरी के विषय में दी गई परिभाषा की ओर आकर्षित किया।

सरकारी वकील ने कहा कि इस संबंध में कल मैंने जेल के नियमों का जो हवाला दिया था, वही आज भी दे सकता हूं। इसके समर्थन में इसके अतिरिक्त

मेरे पास और कुछ नहीं है।

प्रेजिडेंट ने कहा कि क्या आप उन कारणों को बतलाना चाहते हैं, जिनसे अभियुक्त सुखदेवराज अलग रखा गया है ?

सरकारी वकील ने कहा कि उन कारणों को मैं मि. श्यामलाल की उपस्थिति में ट्रिब्यूनल के सदस्यों के सामने प्रकट कर सकता हूं, परंतु अभियुक्तों की उपस्थिति में नहीं प्रकट कर सकता।

मि. श्यामलाल ने कहा कि सरकारी वकील द्वारा प्रकट किए हुए कारणों को मैं सर्वसाधारण पर तो न प्रकट करूंगा। परंतु अभियुक्त से मैं नहीं छिपा सकता; क्योंकि संभव है अभियुक्त उन बातों के विरोध में कुछ कहना चाहें।

प्रेजिडेंट ने सरकारी वकील से कहा कि, यद्यपि ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट की आज्ञानुसार प्रारंभिक कार्रवाई गुप्त रखने का अधिकार है, फिर भी अभियुक्तों की अनुपस्थिति में मैं वह नहीं कर सकता।

इसके बाद इस बात पर बहस हुई कि सुखदेवराज को कैदियों के साथ किस हद तक रहने का अधिकार है।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को इस षड्यंत्र के दो या तीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत दी जाए।

मि. श्यामलाल ने कहा कि सुखदेवराज को कैदियों के साथ रहने का जितना कानूनी हक है, उसमें मैं किसी प्रकार का भी प्रतिबंध नहीं स्वीकार कर सकता। अभियुक्त सुखदेवराज के लिए उनकी श्रेणी के अभियुक्तों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती।

रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को दयानतराय से मिलने की इजाजत दे दी जाए। परंतु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील का ध्यान जेल-मैनुअल की दफा 576 की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि दयानतराय नाबालिग है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ नहीं रह सकता।

सरकारी वकील ने गवर्नमेंट और जेल के अधिकारियों से सलाह करने के लिए ट्रिब्यूनल से कुछ समय देने के लिए प्रार्थना की।

ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील पं. ज्वालाप्रसाद से कहा कि जेल-अधिकारियों से सलाह करके बिलकुल निश्चित बात बतलाइए कि सुखदेवराज के लिए कैदियों के साथ रहने का क्या प्रबंध हो सकता है।

**18 जुलाई, 1931 :** जलपान के बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल के बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला प्रारंभ हुआ। अभियुक्त सुखदेवराज शालीमार बाग में गोली चलने की घटना के बाद 3 मई को गिरफ्तार हुआ था। सरकारी वकील रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज उस षड्यंत्र का सदस्य है, जिसका उद्देश्य सरकारी अफसरों में आतंक फैलाने के लिए अपराध करना और कानून द्वारा

स्थापित गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए अस्त्र-शस्त्र और धन एकत्र करना था।

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवाहियों द्वारा यह प्रमाणित करूंगा कि अभियुक्त सुखदेवराज एक षड्यंत्रकारी है और मुख्य षड्यंत्र से उसका संबंध है। वह समय-समय पर षड्यंत्रकारी दल के कार्यों में भाग लिया करता था। 19 नवंबर, सन् 1929 को मुखबिर इन्द्रपाल ने जो बयान दिया था, उसमें उसने कहा था कि वाइसराय की ट्रेन घटना के संबंध में यशपाल का एक संदेश लेकर मैं लायलपूर हंसराज के पास गया था। उस समय सुखदेवराज हंसराज के पास बैठा हुआ था। इन्द्रपाल को संदेह हुआ था कि सुखदेवराज सी.आई.डी. का आदमी है।

लायलपूर से इन्द्रपाल लाहौर आया था और बागबानपुरा में ठहरा था। उसने देखा कि सुखदेवराज भी उसी ट्रेन से आया था। इसके बाद इन्द्रपाल, भगवतीचरण और सुखदेवराज से यूनिवर्सिटी के मैदान में मिला। वहां उसे मालूम हुआ कि सुखदेवराज भी दल का एक सदस्य है। इन्द्रपाल से शिव ने कहा था कि रावी नदी के किनारे बम की परीक्षा करने में भगवतीचरण की मृत्यु हो गई थी और सुखदेवराज घायल हो गया था। मुखबिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार सुखदेवराज भावलपुर रोड के मकान पर घायल लाया गया था। जब दीदी, चन्द्रशेखर आजाद, आसफ, यशपाल और धनवन्तरि उस मकान में जेल से भगत सिंह को छुड़ाने के विषय में विचार कर रहे थे, तब सुखदेवराज भावलपुर रोड के मकान पर ही था और उसके जख्मों की दवा हो रही थी। भावलपुर रोड का मकान सरदार भगत सिंह और श्री बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए किराए पर लिया गया था। उन लोगों का षड्यंत्र कार्य में परिणत नहीं किया जा सका। परिस्थितियों को अनुकूल न देख कर वे बोर्स्टल जेल के फाटक से ही लौट गए थे।

आखिर में रायबहादुर पं. ज्वालाप्रसाद ने कहा कि सुखदेवराज के विरुद्ध षंड्यंत्र का अभियोग सिद्ध करने के लिए सबूत-पक्ष की ओर से 47 गवाह पेश किए जाएंगे।

## फरार अभियुक्त गिरफ्तार

इस बीच में सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने अदालत से कहा कि मुझे एक विश्वस्त-सूत्र से मालूम हुआ है, कि इस केस का फरार अभियुक्त छैलबिहारी दास, जिसका दूसरा नाम सूरज हैं, पटना में बम-घटना के संबंध में हजारीलाल के साथ, जो कि दिल्ली षड्यंत्र केस का फरार अभियुक्त है, गिरफ्तार हो गया है और वह शीघ्र ही लाहौर लाया जाएगा।

सरकारी वकील ने कहा कि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं मालूम है।

सुखदेवराज ने कहा कि इस विषय में सी.आई.डी. के आदमी अच्छी तरह

जानते होंगे।

सरकारी वकील ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो सुखदेवराज का अन्य अभियुक्तों के साथ रखे जाने का प्रश्न हल हो जाएगा और मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित रखनी पड़ेगी।

**20 जुलाई, 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने करीब 12 बजे दोपहर को अभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ। ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज के जेल में एकांत कोठरी में रखे जाने के संबंध में अपना फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज का अलग कोठरी में रखा जाना गैर-कानूनी है, अब आगे से वह अलग कोठरी में न रखा जाए और दूसरे कैदियों के साथ रहने की उसे आज्ञा मिल जानी चाहिए। फैसले में जेल के अधिकारियों से हिदायत की गई है कि वे अदालत के इस हुक्म के अनुसार कार्रवाई करके एक हफ्ते के अंदर अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें।

पूरा फैसला इस प्रकार है :

सुखदेवराज सरकार बनाम कुन्दनलाल और दूसरे अभियुक्तों के विरुद्ध चलने वाले षड्यंत्र केस का फरार अभियुक्त था। परंतु 2 जून, सन् 1931 तक हमारे सामने हाजिर न होने के कारण हमने उसका विचार अलग से करने का हुक्म निकाला था। सफाई के संबंध में इस षड्यंत्र केस के अन्य अभियुक्तों से सलाह करने की आवश्यकता के कारण अभियुक्त सुखदेवराज ने इस अदालत से प्रार्थना की थी कि उसे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाए। इस संबंध में हमारा विचार था, कि हम जेल-अधिकारियों को कोई आज्ञा नहीं दे सकते, परंतु अभियुक्त की प्रार्थना न्यायोचित समझ कर हमने जेल के सुपरिंटेंडेंट को सूचना दे दी कि हमें अभियुक्त की प्रार्थना में कोई आपत्ति नहीं है और हम उसे उचित समझते हैं। इस सिफारिश को जेल के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया।

15 जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्जी पेश की, जिसमें कहा गया था कि या तो अभियुक्त को जेल के अन्य कैदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाए या वह जमानत पर छोड़ दिया जाए। इस अर्जी में यह नहीं कहा गया था कि अभियुक्त का अलग कोठरी में रखा जाना गैर कानूनी है : बल्कि उसमें इतना ही कहा गया था कि वह उसके स्वास्थ्य और मामले की सफाई पेश करने के लिए हानिकारक है।

## सी.आई.डी. और अभियुक्त का पारस्परिक बर्ताव

उपरोक्त अर्जी पर विचार करने के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे थे कि विचाराधीन कैदी के संबंध में अदालत को, उसके हिरासत में रखे जाने और

आवश्यकता पड़ने पर पेश किए जाने के अतिरिक्त और कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी राय थी कि कैदियों के कानून-विरुद्ध रखने के संबंध में या तो 'हैबियस कारपस' के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है या कानून-विरुद्ध हिरासत में रखने के लिए ताजीरात हिन्द के अनुसार मामला चलाया जा सकता है या दीवानी की अदालत में गैर-कानूनी हिरासत को रोक देने की प्रार्थना की जा सकती है। हम उन अदालतों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, जिनको इन मामलों में विचार करने का अधिकार था। इसलिए हमने एक संक्षिप्त आज्ञा निकाल कर कह दिया कि हमें इस विषय में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

जमानत के संबंध में अभियुक्त सुखदेवराज को देखने से हमें मालूम हुआ कि वह केवल स्वस्थ और प्रसन्न ही नहीं था, बल्कि वह अपने पहरेदारों और सी.आई. डी. के अफसरों से भी प्रसन्न था। हमने उसे अदालत के अंदर उनके साथ बातचीत और विनोद करते हुए देखा था। हमारी राय में अभियुक्त के अलग रखे जाने का, उस समय तक उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया था कि जमानत पर छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण नहीं हैं।

हमारा फैसला स्वीकार नहीं किया गया और उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अर्जी पेश की गई। हाईकोर्ट ने निर्णय किया, कि हम गैर-कानूनी हिरासत के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे और हस्तक्षेप करना चाहिए भी था। इस निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट ने इस ट्रिब्यूनल को जांच करने और उस पर अपना निर्णय देने के लिए कहा।

## गुप्त जांच की आवश्यकता नहीं

अभियुक्त की अर्जी पर फिर से विचार करने के समय अभियुक्त-पक्ष के वकील मि. श्यामलाल ने कहा कि अब इस ट्रिब्यूनल के सामने इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकांत कोठरी में रखे जाने के दंड के बराबर है या नहीं, क्योंकि इस बात को हाईकोर्ट में सरकारी-पक्ष स्वीकार कर चुका है। मि. श्यामलाल ने यह भी कहा था कि ट्रिब्यूनल अभियुक्त सुखदेवराज को दूसरे अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा देने के लिए बाध्य है, क्योंकि ट्रिब्यूनल इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका है। सबूत-पक्ष ने कहा था कि सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रखे जाने के लिए अनेक कारण मौजूद हैं, जिनको कि गुप्त रूप से बतलाया जा सकता है। हम उपरोक्त तीनों ही बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। पहली बात के संबंध में हाईकोर्ट का यह निर्णय नहीं है, कि अभियुक्त सुखदेवराज एकांत कोठरी में रखा जाता है। हाईकोर्ट ने केवल यह कहा था कि ऐसा कहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज एकांत कोठरी में रखा जाता

है। वस्तु-स्थिति दूसरी होने पर ट्रिब्यूनल वकील के कथन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात के विषय में ट्रिब्यूनल ने जो कुछ कहा था, वह निर्णय के रूप में नहीं था क्योंकि हम लोगों ने केवल इतना ही कहा था कि इस ट्रिब्यूनल की राय में अभियुक्त की प्रार्थना न्याय-संगत है। हम लोगों ने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया था कि वह मंजूर किए जाने के लायक है या नहीं जो प्रबंध सोचा गया है ? उसके अनुसार अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का यथेष्ट अवसर मिलता रहेगा। तीसरी बात के संबंध में, यद्यपि जस्टिस भिडे ने कहा था कि ट्रिब्यूनल गुप्त रूप से जांच कर सकता है, परंतु इसका अर्थ हम यह नहीं समझते कि हम इस मामले की जांच अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में करें। इसलिए हमने अभियुक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति में सरकारी वकील की तरफ से, अभियुक्त सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रखे जाने के संबंध में पेश किए जाने वाले कारणों पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सरकारी-पक्ष अब तक अभियुक्त और अभियुक्त के वकील की उपस्थिति के विषय में राजी नहीं हुआ। जो हो, अगर अभियुक्त की हिरासत वास्तव में गैर-कानूनी है, तो सरकार की शासन-नीति की दृष्टि से उचित होते हुए भी, वह गैर-कानूनी है।

## अभियुक्त की हिरासत

अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत की हालत का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए हम लोगों ने अभियुक्त और उसके वकील की उपस्थिति में उसकी कोठरी की जांच की। उस जांच के आधार पर हमारा विचार है कि अभियुक्त को हिरासत में कोई विशेष कष्ट नहीं है। कभी-कभी अभियुक्त ऊब सकता है, परंतु हमारे ख्याल से एकांत से अभियुक्त में मानसिक अव्यवस्था का कोई खतरा नहीं है। कोठरी आराम देने लायक है, जिसके साथ एक छोटा-सा खुला हुआ आंगन है, जिसमें एक दरवाजा बना हुआ है, परंतु दरवाजे नहीं लगे। कोठरी के बाहर जेल के मैदान में एक वृक्ष के नीचे उसे बैठने की इजाजत है, जहां से वह सामने जेल-जीवन का संपूर्ण दृश्य देख सकता है। उसे कोठरी के बाहर कुछ निश्चित गजों के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उसकी देख-रेख रखने के लिए एक वार्डर है और दो कैदी अफसर हैं, जिनके साथ बातचीत करने की उसे पूरी इजाजत है। सप्ताह में एक बार वह 20 मिनट के लिए अपने संबंधियों या मित्रों से मिल सकता है और सप्ताह में एक बार वह दो घंटे के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ रह सकता है। इन बातों को अभियुक्त ने हमारे सामने स्वीकार किया है।

## कानून की दृष्टि से गैर-कानूनी

परंतु यद्यपि संभव है कि अभियुक्त को कोई कष्ट न हो और उसे अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का काफी अवसर भी मिल जाता है, फिर भी संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए हम अनिच्छापूर्वक यह निर्णय करने के लिए विवश हैं कि हिरासत का ढंग कानून की दृष्टि से गैर-कानूनी है।

हाईकोर्ट के सामने पेश की गई अर्जी और हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि अभियुक्त की हिरासत एकांत कोठरी के दंड के बराबर है। वास्तव में सन् 1925 में प्रिजन एक्ट की दफा 46 (II) के रद्द हो जाने से जेल के दंड में एकांत कोठरी का दंड अब नहीं है। फिर भी दंड के रूप में ताजीरात हिन्द में उसका अस्तित्व मौजूद है। उसकी परिभाषा एक रद्द की हुई धारा में इस प्रकार दी हुई है, "एकांत कोठरी की हिरासत ऐसी हिरासत है, जिसमें कैदी दूसरे किसी कैदी के देखने और उससे बातचीत करने से वंचित कर दिया जाता है।" इस परिभाषा के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकांत कोठरी के दंड के बराबर नहीं है।

## विचाराधीन कैदी

इस प्रश्न पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। यद्यपि विचाराधीन कैदियों के संबंध में जेल के नियम हमें बहुत अस्पष्ट मालूम होते हैं फिर भी जेल के अन्य नियमों को देखने से पता लगता है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न श्रेणी के कैदियों के लिए अलग-अलग रहने का प्रबंध है, फिर भी एक ही श्रेणी के कैदी एक साथ रह सकते हैं। सरकार ने सन् 1894 के प्रिजन एक्ट की दफा 60 के अनुसार कैदियों और विचाराधीन कैदियों के साथ होने वाले व्यवहारों के विषय में जो नियम बनाए हैं, उनसे यह प्रश्न हल हो जाता है। दफा 11 में कहा गया है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन कैदियों के साथ ए और बी श्रेणी के कैदियों-सा व्यवहार होना चाहिए। दफा 5 में कहा गया है, कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन कैदियों को रहने के लिए सी श्रेणी के कैदियों से अच्छी जगह मिलनी चाहिए। इसका यही अर्थ हो सकता है कि उन्हें ए और बी श्रेणी के कैदियों की तरह जगह मिले। ए श्रेणी के कैदियों के विषय में जगह के संबंध में कहने के साथ ही यह साफ-साफ लिखा है कि उनकी कैद किसी प्रकार से भी अलग हिरासत की कैद की तरह न होनी चाहिए। दफा चार के नियम 1 में यही हिदायत नहीं दी गई, परंतु इसका कारण हमारी राय से यह है, कि उसी बात के दुहराने की जरूरत नहीं समझी गई। बी श्रेणी के कैदियों के विषय में भी उपरोक्त नियम का व्यवहार किया जा सकता है। एकांत हिरासत की, प्रिजन एक्ट की दफा 46 में जो परिभाषा दी गई है, वह इस प्रकार है,"यह

एक ऐसी हिरासत है, जिसमें कैदी दूसरे कैदियों के संपर्क से वंचित कर दिया जाता है, परंतु उनकी नजरों से वंचित नहीं किया जाता और भोजन के समय एक या अधिक दूसरे कैदियों के साथ बैठ कर भोजन करने की इजाजत रहती है।"

## एकांत हिरासत

ऊपर ए श्रेणी के कैदियों के रहने की जगह और कैद के विषय में जो शब्द कहे गए हैं, वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि ए श्रेणी के कैदियों के रहने की जगह और कैद ऐसी न होनी चाहिए, जो किसी प्रकार से भी एकांत हिरासत की तरह हो। अगर इस संबंध में उपरोक्त नियम बिलकुल स्पष्ट न होता, तो अभियुक्त सुखदेवराज के संबंध में कहा जाता, कि यद्यपि उसे संबंधियों और अपने मित्रों से मिलने की सुविधा है, फिर भी वह एकांत हिरासत में है; क्योंकि एकांत हिरासत की परिभाषा में संबंधियों और मित्रों का जिक्र नहीं है, बल्कि कैदियों का जिक्र है और विरुद्ध पक्ष की ओर से यह कहा जा सकता था, जैसा कि कहा भी गया है कि अभियुक्त के साथ दो कैदी-पहरेदार हैं, जो कि निस्संदेह कैदी हैं; इसलिए दफा 46 की परिभाषा के अनुसार अभियुक्त की हिरासत एकांत हिरासत नहीं है। इसके विरुद्ध कहा जा सकता है कि एक्ट की दफा 27 के अनुसार विचाराधीन कैदी के साथ कैदियों का रखना गैर-कानूनी है।

परंतु इस संबंध में परिभाषा स्पष्ट होने के कारण उपरोक्त प्रकार के किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने यह बात बिलकुल स्पष्ट है, कि अभियुक्त सुखदेवराज की मौजूदा हिरासत एकांत हिरासत की तरह है। साप्ताहिक मुलाकात की सुविधा होने से उस हिरासत में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका अर्थ तो केवल यह है कि उस दिन के लिए वह एकांत हिरासत में नहीं रहता। हम इस बात को नहीं मानते, कि दो कैदी पहरेदारों की मौजूदगी से, जो कि अभियुक्त के साथ बराबरी के दर्जे से नहीं रह सकते, बल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते हैं, अभियुक्त की एकांत हिरासत में कोई परिवर्तन हो जाता है। यह ठीक है, कि अदालत के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के रोज पेश किए जाने के कारण उसकी एकांत हिरासत में और दंड में मिली हुई एकांत हिरासत में कुछ अंतर पड़ जाता है, परंतु यह बहुत संभव है कि अनेक कारणों से अदालत की कार्रवाई कई-कई दिनों के लिए स्थगित होती रहे, उस हालत में तो निश्चय ही अभियुक्त को एकांत हिरासत ही रहा करेगी। हमारा ख्याल है कि हिरासत के विषय में निर्णय करने के लिए जेल के अंदर की परिस्थितियों का विचार करना चाहिए। अभियुक्त के जेल से बाहर लाए जाने की बाहरी परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए।

इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत को एकांत हिरासत समझ कर हम

फैसला देते हैं, कि वह नियमों के विरुद्ध है और इसीलिए गैर-कानूनी है। इस फैसले के अनुसार हम जेल-सुपरिंटेंडेंट को ओदश देते हैं कि वह हिरासत बदल कर ऐसी कर दी जाए, जो गैर-कानूनी न हो और दूसरे कैदियों के साथ, अभियुक्त को रहने की आज्ञा दे दी जाए। हमारे आदेशों के अनुसार जो कार्य किया जाए, उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर इस अदालत के सामने पेश की जाए।

## जमानत का प्रश्न

जमानत के प्रश्न पर हाईकोर्ट ने कहा है कि "ट्रिब्यूलन अगर अभियुक्त की शिकायतों को दूर करने में दूसरे किसी उपाय से असमर्थ हो, तो जमानत के प्रश्न पर विचार कर सकता है।" इसका मतलब यह नहीं है, कि हम अपनी असमर्थता के कारण जमानत स्वीकार कर लें। हम उसका अर्थ यह समझते हैं कि अगर हिरासत गैर-कानूनी हो और अभियुक्त के स्वास्थ्य और मामले की सफाई के प्रबंध के लिए हानिकारक हो, तो हम उसे जमानत पर छोड़ सकते हैं। हम इस विषय में ऊपर काफी कह चुके हैं कि अभियुक्त की हिरासत, यद्यपि गैर-कानूनी है, फिर भी वह अभियुक्त के स्वास्थ्य या मामले की सफाई के प्रबंध के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए हम जमानत नामंजूर करते हैं।

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से गवाही देने के लिए मुखबिर इन्द्रपाल पेश किया गया।

सुखदेवराज ने ट्रिब्यूनल से कहा, कि मेरे मामले की कार्रवाई तब तक न प्रारंभ होनी चाहिए, जब तक कि मेरी गैर-कानूनी हिरासत न रोक दी जाए।

अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज की इस बात को स्वीकार नहीं किया और मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही प्रारंभ करने की आज्ञा दे दी।

अदालत की शपथ लेने के पहले इन्द्रपाल ने अदालत से कहा कि मेरे साथ जेल में मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं हो रहा है। मैं एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया हूं और इस गर्मी की ऋतु में मुझे वहीं सोना पड़ता है। मुझे किसी से मुलाकात करने की आज्ञा नहीं दी जाती। संबंधियों द्वारा दी गई आराम की वस्तुएं मुझे नहीं दी जातीं। इन कष्टों का मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है। इस समय गवाही देने के लिए मेरी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है। अगर गवाही देने में कोई गलती हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

अदालत ने इन्द्रपाल से इन शिकायतों को अर्जी में लिखकर पेश करने के लिए कहा और उसे बतलाया कि हाईकोर्ट के एक नए फैसले के अनुसार अदालत को अभियुक्त के साथ उचित व्यवहार के लिए आज्ञा देने का अधिकार है।

इसके बाद इन्द्रपाल की गवाही प्रारंभ होने वाली ही थी कि अभियुक्त

सुखदेवराज के वकील मि. श्यामलाल ने गवाही प्रारंभ होने का विरोध किया। आपने कहा, कि इस बात में अभियुक्त का भी हित है कि मुखबिर गवाही के समय गैर-कानूनी हिरासत में न हो। मालूम होता है कि मुखबिर इन्द्रपाल और अन्य अभियुक्तों के बीच पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह धारणा हो गई है, चाहे वह गलत हो या ठीक, कि उन अभियुक्तों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, जो सरकारी बातों का पूर्ण समर्थन नहीं करते। यह कठोर व्यवहार जेल-अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार किया जाता है। अदालत को चाहिए कि वह इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को रोक दे और जेल-अधिकारियों को आज्ञा दे कि इन्द्रपाल के साथ दंड पाए हुए कैदी का-सा व्यवहार न करें।

अदालत ने इन्द्रपाल से अपनी शिकायतों को लिखकर पेश करने के लिए कहा। इन्द्रपाल ने अपनी शिकायतों को लिखकर पेश किया।

इस पर अदालत ने कार्रवाई स्थगित कर दी और अभियुक्त तथा इन्द्रपाल से कहा, कि जेल-सुपरिंटेंडेट से रिपोर्ट मंगाई जाएगी। रिपोर्ट आ जाने पर उचित आज्ञा जारी की जाएगी।

**21 जुलाई, 1931 :** आज स्पेशल ट्रिब्यूनल ने मुखबिर इन्द्रपाल की उस अर्जी पर अपना हुक्म सुनाया, जो कि उसने जेल की शिकायतों के संबंध में कल ट्रिब्यूनल के सामने पेश की थी। मुखबिर ने अर्जी में कहा था, कि उसे उसके संबंधियों से मिलने नहीं दिया जाता, वह एक ही कोठरी में दिन-रात रखा जाता है और संबंधियों द्वारा भेजी हुई चीजें उसे नहीं दी जातीं।

ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट को आज्ञा दी कि मुखबिर इन्द्रपाल के साथ विचाराधीन कैदियों-सा व्यवहार किया जाए, दूसरे कैदियों के साथ रहने दिया जाए, उसके संबंधियों से उसे मिलने दिया जाए, एकांत हिरासत से हटा दिया जाए, सोने के लिए चारपाई दी जाए, और वे सभी सुविधाएं दी जाएं, जो कि विचाराधीन कैदियों को दी जाती हैं।

अदालत ने इन्द्रपाल से कहा कि जेल के व्यवहार में परिवर्तन न होने पर वह दूसरी अर्जी पेश कर सकता है। अदालत इस बात का प्रबंध करेगी कि उसके साथ उचित व्यवहार हो।

इसके बाद उससे गवाही देने के लिए कहा गया, परंतु उसने कहा कि मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं है। उसने कहा कि जेल की कोठरी की कठोर भूमि पर सोने के कारण मैंने कई रातें बिना सोए हुए बिताई हैं। इस वक्त पंखे के नीचे बैठे होने के कारण मुझे नींद आ रही है और मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि बयान दे सकूं।

इस पर रायबहादुर गंगाराम सोनी ने कहा कि उसकी बातचीत ऐसी है, जैसी कि किसी होश-हवास के आदमी की होती है।

मि. ब्लैकर ने कहा कि मुखबिर लचर दलीलें पेश कर रहा है। आपने मुखबिर

को सावधान करते हुए कहा कि अगर वह आज गवाही न देने का हठ करेगा, तो उसके साथ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन्द्रपाल ने उत्तर में कहा कि मैं गवाही देने से इनकार नहीं करता, परंतु मौजूदा मानसिक स्थिति में अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार न रहूंगा।

इसके बाद मुखबिर इन्द्रपाल ने षड्यंत्र का किस्सा कहना प्रारंभ कर दिया।

## मुखबिर इन्द्रपाल का बयान

उसने यशपाल से अपने परिचय होने की बात बतलाई और कहा कि यशपाल षड्यंत्रकारी विचारों का था और उसने मुझे हिंसात्मक सिद्धांत की ओर परिवर्तित किया था।

इसके बाद मुखबिर ने लाहौर में अक्तूबर सन् 1928 में साइमन कमीशन के आगमन और लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस संगठित किए जाने का हाल बतलाया। उसने कहा, कि रेलवे स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदर्शन करने के लिए रुक गए थे, इस पर पुलिस ने उन पर लाठियों का आक्रमण किया। मैंने देखा कि एक यूरोपियन पुलिस-अफसर ने लाला लाजपतराय पर लाठियों की वर्षा की। इस घटना के करीब एक महीना बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। लोगों को विश्वास था, कि पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला जी की मृत्यु हुई। लाला लाजपतराय की मृत्यु के ठीक एक साल बाद, 27 दिसंबर, सन् 1929 को मुझे मालूम हुआ कि जिस पुलिस अफसर ने लाला जी पर लाठियों की वर्षा की थी, वह मार डाला गया। मैं उस समय 'भीषम' में नकलकार की हैसियत से कार्य कर रहा था। मैं उपरोक्त घटना सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ।

8 अप्रैल, सन् 1929 को मैंने असेंबली बम-घटना और उसके संबंध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी का समाचार पढ़ा। इसके बाद मुझे यशपाल मिले, जिन्होंने मुझसे बतलाया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस कार्य के लिए षड्यंत्रकारी दल की ओर से नियुक्त किए गए थे। यशपाल ने कहा था कि वे अदालत के सामने हिंदुस्तान के लाखों आदमियों के भूखों मरने की दयनीय दशा के संबंध में एक सनसनीदार बयान देंगे। उसी समय यशपाल ने मुझे दल का सदस्य बनाया था। यशपाल ने मुझे दल के सिद्धांत बतला दिए थे।

## साधू के वेश में

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मैं 25 अगस्त, सन् 1929 को दिल्ली बुलाया गया।

वहां वाइसराय की स्पेशल ट्रेन उड़ाने के संबंध में मुझसे दिल्ली से 9 मील दूर प्याऊ के स्थान पर साधू के वेश में मौजूद रहने के लिए कहा गया। परंतु हंसराज 'वायरलैस' के न पहुंचने के कारण और मोटरसाइकिल से गिर जाने से यशपाल के चोट लग जाने के कारण वाइसराय की ट्रेन उड़ाने का कार्य स्थगित कर देना पड़ा था। वाइसराय की ट्रेन उड़ाने का दूसरा प्रयत्न इसलिए स्थगित करना पड़ा, कि वाइसराय इंग्लैंड से लौटकर आए थे और एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले थे। प्याऊ में करीब सवा दो महीने रहने के बाद मैं यशपाल के यहां से हंसराज के पास खबर ले जाने के लिए लायलपुर गया। सुखदेवराज ने आकर दरवाजा खटखटाया। हंसराज ने मकान के बाहर आकर उससे बातचीत की। इसके बाद मैंने हंसराज को खबर दी और रेलवे-स्टेशन चला आया। लायलपुर से लाहौर तक मैंने और सुखदेवराज ने एक ही ट्रेन से सफर किया था।

इसके बाद मैंने सुखदेवराज को भगवतीचरण के मकान पर देखा था। दल के सब सदस्य सुखदेवराज को सिराजुद्दौला कहा करते थे। उसका कार्य दल के सदस्यों के लिए साइकिल का प्रबंध करना था।

मई महीने के बीच में मैं अमीरचन्द और हंसराज 'वायरलैस' के साथ लायलपूर से 23 बम लाया था।

## सदस्यों पर संकट

28 मई को मुझे खबर मिली, कि भगवतीचरण बम की परीक्षा करने में घायल हो गए। मैं और शिव रावी के किनारे घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि उनकी दशा आशंकाजनक है।

इसके बाद मुखबिर ने, जेल से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के छुड़ाने के लिए जो प्रबंध सोचा गया था, उसका हाल बतलाया। मुखबिर ने कहा, कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बोर्स्टल जेल से अदालत ले जाने के लिए जो जेल की लारी तैनात की गई थी, उसके बोर्स्टल जेल में आने की सूचना देने के कार्य पर मैं नियुक्त किया गया था। जेल की लारी को बोर्स्टल जेल की ओर आते हुए देखकर मैंने दल को जाकर सूचना दे दी।

यशपाल से मुझे 2 जून को 6 बजे सवेरे मालूम हुआ, कि भावलपुर रोड के मकान में बम फटने की घटना हो गई थी, इसलिए दल के सदस्य खतरे में हैं। मैंने यशपाल और चन्द्रशेखर आजाद को, जिनका नाम प्रकट नहीं किया गया था, अपने पास रख लिया था। उनको लोग 'बड़ा दादा' कहते थे।

इसके बाद मुखबिर ने 23 दिसंबर, सन् 1930 को वाइसराय की ट्रेन उड़ाने की घटना का वर्णन किया।

**22 जुलाई, 1931 :** आज सुखदेवराज के विरुद्ध मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही समाप्त होने पर ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के वकील मि. श्यामलाल से मुखबिर से जिरह करने के लिए कहा।

इसी बीच में अभियुक्त सुखदेवराज ने अदालत के सामने एक अर्जी पेश की, जिसमें कहा गया था कि मैं दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त धनवन्तरि, वैशम्पायन, जिनका दूसरा नाम शिव है और विद्याभूषण से बिना मिले मुखबिर से जिरह नहीं करना चाहता। दो मुखबिरों ने अपने बयानों में कहा है, कि उपरोक्त अभियुक्तों ने उन मुखबिरों में से किसी विषय में बयान दिए हैं। मैं उन अभियुक्तों से मिलकर यह जानना चाहता हूं, कि उन्होंने मुखबिरों से कोई बात कही थी या नहीं।

इस अर्जी पर दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा कि मैं हाईकोर्ट से सिफारिश करूंगा कि वह अभियुक्त सुखदेवराज के दिल्ली षड्यंत्र के उपरोक्त अभियुक्तों से मिलने का प्रबंध कर दें।

ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट को इस संबंध में एक आवश्यक पत्र लिखा। सुखदेवराज और दिल्ली षड्यंत्र के अभियुक्तों से मिलने के समय तक मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित कर दी गई।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से मुखबिर मदनगोपाल को पेश करने के लिए कहा। सरकारी वकील ने कहा कि मैं मुखबिर मदनगोपाल को इन्द्रपाल की जिरह के बाद पेश करूंगा।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से दूसरे गवाहों को पेश करने के लिए कहा।

सुखदेवराज ने कहा जो गवाह दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में पेश हुए हैं, वही मेरे विरुद्ध भी पेश किए जाएंगे। इसलिए उनकी जिरह तब तक न होनी चाहिए, जब तक कि मैं दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों से मिल न लूं।

अदालत ने जेल-सुपरिंटेंडेंट को अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाजत देने के लिए लिखा।

मुखबिर इन्द्रपाल के गवाही देने के पहले ट्रिब्यूनल ने उससे कहा कि उसे प्रति सप्ताह अदालत में लाने का और अदालत में अपने मित्रों और संबंधियों से मिलने का प्रबंध रहेगा। उसी समय वह अदालत के सामने अपनी शिकायतें भी पेश कर सकता है। इसके बाद उससे कुछ चीजों और कागजों की शिनाख्त करने के लिए कहा गया, जो कि भावलपुर रोड के बंगले पर पाए गए थे। उसने एक धोती की शिनाख्त करके कहा कि यह मेरी है।

सुखदेवराज ने कहा कि यह धोती इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वह औरत की धोती है।

मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा कि हंसराज 'वायरलैस' ने मुझसे कहा था, कि

अभियुक्त अमरीक सिंह मीठा-बाजार की बम-घटना के समय वह सूटकेस ले गया था, जिसमें बम बनाने का सामान और हंसराज की डायरी थी। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था, कि सुखदेवराज से मालूम हुआ है, कि दल ने 20,000 रुपए एकत्र करके सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के लिए विदेश भेजने का निश्चय किया है।

मि.सलीम के प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि मैंने पुलिस के अत्याचारों से बचने के लिए माफी स्वीकार कर ली थी।

**22 जुलाई, 1931 :** आज मि. देवराज साहनी एडवोकेट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के मुखबिर इन्द्रपाल की ओर से जमानत पर छोड़ने के लिए एक अर्जी पेश की। अर्जी इस प्रकार थी :

(1) मुखबिर इन्द्रपाल एक कोठरी में रखा गया है और उसे दूसरे विचाराधीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जाती। यद्यपि वह एक अच्छी श्रेणी का कैदी है, फिर भी उसे इस गर्मी की ऋतु में अपनी छोटी कोठरी के अंदर ही सोना पड़ता है। वह एक ऐसी कोठरी में रखा गया है, जिसमें जेल-नियमों के भंग करने वाले अपराधी कैदी रखे जाते हैं। दिन के समय भी उसे अपनी कोठरी के हाते के बाहर जाने की आज्ञा नहीं दी जाती। जेल में उसे अपने संबंधियों या कानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किल के बाद अदालत के सामने अर्जी पेश करने पर मुखबिर को अपने कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत मिली, जिसे कि जेल के अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। विचाराधीन कैदी होने के कारण उसे अपना भोजन जेल के बाहर से मंगाने का अधिकार है। उसके संबंधी उसके लिए किताबें और दूसरी आराम की चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, परंतु जेल के अधिकारी उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते।

(2) जेल के अधिकारियों का यह कार्य गैरकानूनी है और अदालत को इन मामलों में, जैसा कि हाईकोर्ट ने सरकार बनाम सुखदेवराज के मामले में निर्णय किया है, हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

(3) मुखबिर इन्द्रपाल से कहा जाता है कि तुम्हारे साथ यह सब व्यवहार गवर्नमेंट के आदेशों के अनुसार किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल है कि मुखबिर ने सबूत-पक्ष का समर्थन पूर्णतया संतोषजनक रीति से नहीं किया। मुखबिर को यह भी मालूम हुआ है, कि उसके और अन्य मुखबिरों के बीच में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दूसरे मुखबिरों को लोगों से मिलने और खुले में सोने के लिए पूरी सुविधा दी जाती है। वास्तव में उन्हें जीवन की सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं।

(4) इस गैरकानूनी हिरासत से मुखबिर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

(5) इसलिए मुखबिर की प्रार्थना है कि अदालत उसकी गवाही लेने के लिए

अधिकारियों को आज्ञा दे कि मुखबिर गैर-कानूनी हिरासत से हटा दिया जाए और उसके साथ विचाराधीन कैदियों का-सा व्यवहार हो। निम्नलिखित सुविधाओं के लिए उसकी विशेष प्रार्थना है :

(1) खुले में सोने की इजाजत दी जाए।

(2) दूसरे विचाराधीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत दी जाए।

(3) दूसरे विचाराधीन कैदियों की तरह उसे अपने संबंधियों और कानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाजत दी जाए।

(4) प्रिजन एक्ट के अनुसार उसके संबंधियों को किताबें और दूसरी आराम की चीजों के भेजने की इजाजत मिले।

(5) पहले की तरह उसे एक चारपाई दी जाए। जेल-अधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए उसे जमीन पर ही सोना पड़ता है। अब तक वह अपनी कोठरी में तीन बिच्छुओं को मार चुका है।

(6) मुखबिर की प्रार्थना है कि वह जमानत पर छोड़ दिया जाए। अब तक किसी अदालत ने उसकी जमानत की दरख्वास्त नामंजूर नहीं की, इसलिए अब तक किसी अदालत ने जाब्ता फौजदारी की 337 दफा के अनुसार मुखबिर को जमानत पर छोड़ने के विषय में विचार नहीं किया।

ट्रिब्यूनल ने जेल के सुपरिंटेंडेंट से इस विषय में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

**20 जुलाई, 1931 :** आज दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से मि. श्यामलाल ने उन सबूत के गवाहों से जिरह नहीं की, जिसकी गवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल ने आज दर्ज की थी। अभियुक्त सुखदेवराज का कहना था, कि सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट ने, अन्य अभियुक्तों से मिलने देने और गैर-कानूनी हिरासत के हटा लेने के संबंध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो आज्ञा दी थी, उसका पालन नहीं किया।

ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट मि. ब्लैकर ने मि. श्यामलाल से कहा कि जेल के सुपरिंटेंडेंट ने अदालत के पास सूचना भेजी है, कि हम अदालत के हुक्मों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे हुक्म पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल की आज्ञाओं के विरुद्ध हैं।

**25 जुलाई, 1931 :** अभियुक्त सुखदेवराज को गैर-कानूनी हिरासत के संबंध में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुनाया था, उसका प्रांतीय सरकार ने पालन नहीं किया। इसके विरोध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कल सबूत के गवाहों से जिरह करने से इनकार कर दिया था और आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने उसने निम्नलिखित अर्जी पेश की :

"कल मैंने अपने वकील लाला श्यामलाल को सबूत के गवाहों से जिरह न करने की सलाह दी थी, जिसके निम्नलिखित कारण थे :

(1) लाहौर सेंट्रल जेल में गैर-कानूनी हिरासत में होने के कारण मैं अपने केस की तैयारी नहीं कर सकता।

(2) यद्यपि अदालत ने न्याय की दृष्टि से मुझे अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाजत दे दी थी, फिर भी लाहौर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट ने अदालत के हुक्मों का पालन करने से इनकार कर दिया।

(3) मैंने अदालत से तब तक के लिए अपनी कार्रवाई स्थगित कर देने के लिए कहा, जब तक कि मेरी शिकायतें न दूर हो जाएं और सफाई के लिए मुझे उचित सुविधाएं न दे दी जाएं, परंतु अदालत ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और कार्रवाई प्रारंभ कर दी।

''कल अदालत से जेल लौटने पर जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे मिल कर कहा कि मेरी कोठरी के दरवाजे के पास सुबह से शाम तक तीन सी श्रेणी के विचाराधीन कैदी मेरे साथ रहने के लिए बैठे रहा करेंगे। रात के वक्त वे कैदी विचारधीन कैदियों के वार्ड में अपनी बैरकों में चले जाया करेंगे।

''इधर कुछ हफ्तों से सरकार का जैसा हठपूर्ण रुख रहा है, उसे देखकर मेरे सामने यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई है कि मेरे साथ न्याय नहीं किया जाएगा। सरकार ने अदालत के फैसलों की अवज्ञा करने में कोई संकोच नहीं किया। जब उसने मामला अधिक गंभीर देखा, तो उसने अदालत के हुक्मों का अर्थ पक्षपातपूर्ण भाव से करना प्रारंभ कर दिया। श्रीमान, मेरे साथ पर्दे की आड़ में जैसा खेल खेला जा रहा है, वह गंदा है। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, न मैं किसी के प्रति असम्मान प्रकट करना चाहता हूं, चाहे वह मेरा कैसा ही कट्टर दुश्मन क्यों न हो। परंतु कुछ कारणों से मुझे यह विश्वास हो गया है कि पंजाब सरकार मेरे मामले में दिलचस्पी रखती है और वह दिलचस्पी बिलकुल निष्पक्ष नहीं है। मेरे सामने जो बातें मौजूद हैं, उनको देखते हुए मैं अपने विश्वास को बदल नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों से उस पत्र को पढ़ा है, जो कि गवर्नमेंट के गृह-विभाग से इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के पास भेजा गया है और जिसमें मेरी हिरासत के संबंध में पूरे विवरण के साथ आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई होने से अदालत के हाथ में कुछ नहीं रह जाता।

## मैं न्याय चाहता हूं

''आपने जो निर्णय किया है कि मेरी हिरासत गैर-कानूनी है, वह बिलकुल उचित है। हाईकोर्ट ने कैदियों की शिकायतों की जांच करने और उन्हें दूर करने के प्रबंध करने के लिए आप लोगों को अधिकार दिया है, इसलिए न्याय की आशा से आपके सामने मैं अपना मामला पेश कर रहा हूं। मैं दया नहीं चाहता, श्रीमान, मैं फिर से

दुहराता हूं कि मैं न्याय चाहता हूं। अगर अदालत न्याय करने में असमर्थ है, अगर अदालत के हुक्म पालन करने के लिए नहीं हैं, तो कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी सफाई में समय और धन को नष्ट करूं। मुझे खेद है कि अदालत ने अपने हुक्मों की अवज्ञा देखकर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात से मेरे मन में अत्यंत गंभीर आशंकाएं हुई हैं। मैं यह अनुभव करने के लिए विवश हूं कि न्याय नहीं हो रहा है।

"मेरी गैर-कानूनी हिरासत 6 जून, सन् 1931 से प्रारंभ हुई थी। अब करीब दो महीने हो रहे हैं। जो कुछ मैंने कष्ट सहन किए हैं, उनको कहना मेरा काम नहीं है। मैं एक सिपाही हूं, मेरा कर्तव्य कहना नहीं, बल्कि मार दिया जाना है। सिपाही का सम्मान देश की सेवा में अपने जीवन के समर्पण कर देने की दृढ़ता में है। मैं साधारण भारतीयों में से ही एक हूं, जो कि कष्ट सहन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। सौभाग्यवश हम लोग कष्ट सहन करते-करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं, कि उनकी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है।"

## कष्ट के साथ अपमान

"ऐसे समय, जबकि मैं अपनी शिकायतों के दूर होने की आशा कर रहा था, जेल-अधिकारियों ने कष्ट के साथ अपमान जोड़ दिया। मैं अच्छी श्रेणी का कैदी हूं और मैं अपने साथ के लिए अच्छी श्रेणी के कैदी चाहता हूं, जैसा कि कानून का मतलब है। परंतु सरकार ने कानून की पूर्ति बहुत ही विचित्र तरीके से करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कानून का ऐसा मतलब लगाया है कि कानून बनाने वाले अपनी कब्रों में हिल उठेंगे।

"मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं, कि वह गवर्नमेंट के गैर-कानूनीपन को रोके।"

अर्जी पढ़ लेने के बाद ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिंटेंडेंट से अदालत के हुक्मों के पालन किए जाने का विवरण पेश करने के लिए कहा।

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से एक मैजिस्ट्रेट, एक भंगी, एक दूध वाले और एक भिश्ती की गवाही हुई।

**29 जुलाई, 1931 :** आज भागराम के बीमार हो जाने के कारण दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस की कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई। भागराम मेयो अस्पताल में भेज दिए गए थे।

अभियुक्त-पक्ष के वकील ने अभियुक्त से अस्पताल में भेंट की थी। आपने अदालत से कहा कि अभियुक्त को बीमारी की हालत में भी हथकड़ियां पहनाई गई हैं और हथकड़ियां चारपाई से बांध दी गई हैं।

जेलों के इंस्पेक्टर जनरल ने स्पेशल ट्रिब्यूनल की आज्ञा होने पर भी अभियुक्त

सुखदेवराज को दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाजत नहीं दी थी। इस संबंध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के पत्र के उत्तर में जेल के सुपरिंटेंडेंट ने लिखा है, कि जेलों के इंस्पेक्टर जनरल ने ट्रिब्यूनल की आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना स्वीकार कर लिया है। सुखदेवराज को सप्ताह में चार-चार बार दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों से मिलने की इजाजत रहेगी; परंतु सुखदेवराज के अन्य कैदियों के साथ रहने के विषय में जेल-अधिकारियों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभियुक्त सुखदेवराज को सी क्लास के विचाराधीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत रहेगी।

अदालत ने मि. श्यामलाल से उपरोक्त विषय में अपना विरोध पेश करने के लिए कहा। उस पर ता. 31 को बहस की जाएगी।

## अदालत में इन्द्रपाल

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुखबिर इन्द्रपाल पेश किया गया। अदालत ने उससे कहा, कि जेल-अधिकारियों ने उसे उसके संबंधियों से मिलने की इजाजत देना और अन्य शिकायतों को दूर करना स्वीकार कर लिया है। उसकी सुरक्षा के विचार से केवल उसे बाहर सोने की इजाजत न मिलेगी।

अदालत ने इन्द्रपाल से यह भी कहा, कि वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को अदालत के सामने पेश किया जाएगा, उस समय वह अपनी शिकायतें पेश कर सकता है।

मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि जो व्यक्ति मेरे साथ रहने के लिए भेजे गए हैं, वे निरक्षर हैं और उनमें से एक को नेत्र रोग है।

इसके बाद अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले की सुनवाई प्रारंभ की।

## सबूत की गवाही

लाहौर के खां साहब मोहम्मद खां तहसीलदार ने कहा, कि 5 सितंबर, सन् 1930 को मैं तिर्ब्बा पुलिस चौकी में बुलाया गया था। नन्दलाल नाम का एक व्यक्ति कुछ जगहें बतलाना चाहता था उसी संबंध में मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी। नन्दलाल मुझे और कुछ अन्य व्यक्तियों को बुढ्ढा नदी के पुल के पास मिंटो पार्क में ले गया और मुझसे कहा कि दो-एक रोज पहले मैंने यहां पानी में 14 बम फेंके थे।

मि. श्यामलाल ने जबानी गवाही पर आपत्ति करते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट उस विषय में जबानी गवाही नहीं दे सकता, जिस विषय को वह जाब्ता फौजदारी की दफा 164 के अनुसार लिखकर दर्ज कर सकता है।

अदालत ने मि. श्यामलाल की बात अस्वीकार कर दी।

इसके बाद गवाह ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा, कि वे चौदह बम पानी से निकाले गए। उनमें से बारह एक प्रकार के थे। उनमें नीचे की तरफ एक छेद और एक पेंच कसा हुआ था। बाकी दो बमों में घोड़े बने हुए थे, वे बम पुलिस को दे दिए गए थे। उस समय वहां मि. रसेल और खां साहब सैयद अहमदशाह डी. एस. पी. मौजूद थे।

अदालत के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं द्वितीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट हूं। अमृतसर में रहने के समय मैंने दफा 164 के अनुसार कार्य किया था, परंतु लाहौर तबादला हो जाने पर मुझे निश्चय नहीं था कि उस दफा के अनुसार कार्य करने का मुझे अधिकार था या नहीं।

मि. श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि जहां तक मुझे मालूम है, मुझे लाहौर जिले में जाब्ता फौजदारी की दफा 164 के अनुसार बयानों के दर्ज करने का अधिकार नहीं था। आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे सी.आई. डी. के साथ जाने के लिए नहीं कहा था। मैं वहां पुलिस के कहने से सरकारी नौकर की हैसियत से गया था। मैं वहां मैजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं गया था। नन्दलाल ने बुद्धा नदी की ओर सब लोगों को ले जाने के समय थाने में पुलिस से उसका उद्देश्य नहीं बतलाया था। पानी कमर तक गहरा था जहां से बम निकाले गए थे। कुछ कांस्टेबल तांगे पर नंदलाल के साथ पुल पर पहुंच गए थे परंतु कोई कांस्टेबल नन्दलाल के पहले वहां नहीं पहुंचा था।

दूसरे गवाह पंजाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी के लायब्रेरियन मि. लाभूराम थे। आपने अपनी गवाही में विद्यार्थियों को पुस्तकें देने के नियम बतलाए। आपने कहा, कि मैं सुखदेवराज को पहचानने में असमर्थ हूं। इसके बाद गवाह ने सुखदेवराज के नाम एक व्यक्ति की अर्जी पेश की जिस पर डी.ए.वी. कालेज के प्रिंसिपल लाला साईंदास की सिफारिश थी। सिफारिश के अनुसार मैंने सुखदेवराज को लायब्रेरी का सदस्य नियुक्त कर लिया था। सुखदेवराज ने लायब्रेरी से 22 अप्रैल, सन् 1930 को दो किताबें पढ़ने के लिए ली थीं। मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद गवाह ने किताबों की शिनाख्त की।

**30 जुलाई, 1931 :** आज दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत के अन्य गवाहों की गवाही दर्ज हुई।

सफाई के वकील मि. श्यामलाल और अमोलकराम कपूर ने पी. डब्ल्यू. दीवानचन्द से जिरह की, जिन्होंने गुजरांवाला में बम फटने के विषय में गवाही दी थी।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैं एक विवाह के लिए बर्तन और कपड़े खरीदने गुजरांवाला गया था। शाम को मैंने सुना कि पंडित मदनमोहन मालवीय का

एक व्याख्यान होगा। इसलिए मैंने उस रात को ठहर जाने का निश्चय कर लिया। मैं और दयालसिंह सभा में गए थे, लेकिन भीड़ बहुत अधिक होने कारण हम लोग कुछ सुन नहीं सकते थे, इसलिए लौट आए।

गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्त अमरीक सिंह को उस कमरे के जीने पर चढ़ते हुए नहीं देखा था जिसमें बम फटा था। मेरा बयान पुलिस चौकी में दर्ज किया गया था। वहां मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उन दोनों सिखों की शिनाख्त कर सकता हूं जिनको मैंने बम फटने के एक रात पहले ब्रह्म-अखाड़े में देखा था। मैंने केवल यह कहा था, कि मैं उनमें से एक की शिनाख्त कर सकता हूं। पुलिस के यह पूछने पर कि क्या ब्रह्म-अखाड़े में मैंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा था, मैंने उत्तर में कहा था कि नहीं।

## देवीदयाल का बयान

गुजरांवाला के फोटोग्राफर पंडित देवीदयाल ने कहा कि 19 जून, सन् 1930 को सवेरे करीब नौ बजे पुलिस ने मुझे ब्रह्म-अखाड़े के घटनास्थल की फोटो लेने के लिए बुलाया था, जहां बम फटा था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ।

पंजाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी, लाहौर के मि. बाबूराम सूद ने कहा कि नं. 5678 के नाम मैंने दो किताबें 'प्रिंसिपल्स 'आफ क्रिमिनालोजी', 'प्लेजैंट एंड अनप्लेजैंट' लायब्रेरी से दी थी। गवाह ने कहा कि मैंने लायब्रेरी में अभियुक्त सुखदेवराज को देखा था, परंतु यह नहीं कह सकता कि यह वही व्यक्ति है जिसने किताबें ली थीं।

## एक मल्लाह की गवाही

मोहम्मदीन नाम के मल्लाह ने अभियुक्त सुखदेवराज की शिनाख्त करते हुए कहा, कि यह भी उन व्यक्तियों में थे जो कि डी.ए.वी. कालेज से रावी के किनारे नौका-विहार करने के लिए आया करते थे। करीब एक साल पहले अभियुक्त ने मेरी नाव का उपयोग किया था। इनके साथ दो व्यक्ति और थे। वे तीन साइकिलें मेरे पास छोड़ गए थे और नाव उस पार ले गए थे। परंतु वे उस रात को लौटे नहीं। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने, जिसने अपने आपको एक अभियुक्त का भाई बतलाया था, मुझसे साइकिलें मांगीं। उसने कहा, कि सुखदेवराज एक पेड़ से गिर गए थे और अपने घर चले गए हैं। मैंने सब साइकिलें उसे लौटा दीं और उससे एक रसीद ले ली, मैंने उस रसीद को अपने झोपड़े में रख लिया था। लेकिन बाढ़

में झोपड़ा बह गया।

मि. श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैंने अभियुक्त से पास लिया था, परंतु बाढ़ में वह झोपड़े के साथ बह गया।

प्र.—क्या गर्मी की छुट्टी में तुम्हें नाव उपयोग के लिए देने का अधिकार था ?

उ.—कालेज गर्मी की छुट्टी के लिए बंद हो गया था या बंद होने ही वाला था। मैंने उन्हें नाव दे दी थी, क्योंकि कालेज के अधिकारियों से नावों के न देने के लिए कोई हुक्म नहीं मिला था।

## सी.आई.डी. कांस्टेबिल की गवाही

सी.आई.डी. कांस्टेबिल नसीरुद्दीन ने कहा कि 19 जुलाई, सन् 1930 को शिमला में सब प्रांतों के गवर्नरों के एकत्र होने के कारण मैं धरमपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था। करीब आठ बजे सवेरे रेल-मोटर बर्मा-गवर्नर को लेकर पहुंची। जब वह सुरंग से होकर जा रही थी, उस समय मैंने अभियुक्त को दो या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहौर के अमीरचन्द को मैं जानता था, सुरंग के किनारे खड़े हुए देखा। बर्मा-गवर्नर को लेकर जब रेल-मोटर निकल गई तब सब अभियुक्त चले गए। मैं उनके साथ-साथ चला। पास के एक मकान में उन्होंने प्रवेश किया, जिस पर लिखा था "किराए के लिए खाली है।" थोड़ी देर के बाद मैंने अमीरचन्द को बाहर निकलते हुए देखा, तो मुझे निश्चय हो गया कि वे यहीं रहते हैं। मैंने एक विशेष दूत को उच्च अफसरों के पास उनके वहां रहने के विषय में खबर देने के लिए भेजा। मैं छिपा हुआ रहा। अफसर करीब 5 बजे शाम को पहुंचे। मैंने उनसे कहा कि अभियुक्त यहां है, लेकिन तलाशी लेने पर मकान खाली था।

मि. श्यामलाल ने अदालत से कहा कि सुखदेवराज गवाह से स्वयं जिरह करना चाहता है।

सरकारी वकील ने इसका विरोध किया, परंतु अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज को जिरह करने की इजाजत दे दी।

सुखदेवराज के जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैंने अभियुक्त की जांच गिरफ्तारी के वारंट निकलने के करीब दो महीने पहले ही की थी। मैंने धरमपुरा में अभियुक्त की जांच की थी क्योंकि वह संदिग्ध था।

## अभियुक्त की अर्जी

इसके बाद सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से निम्नलिखित अर्जी पेश की :

अत्यंत आदर के साथ प्रार्थना है कि—

(1) जेल-अधिकारियों ने अभियुक्त की गैर-कानूनी हिरासत दूर करने और अभियुक्त को कैदियों के साथ रखने के मामले में जो उपाय ग्रहण किया है वह कानून की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। वह उपाय केवल गैर कानूनी ही नहीं है, बल्कि उपहास के योग्य और अत्यंत अनुचित है। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि सरकार के उत्तरदायी अफसर कानून को धोखा देने का प्रयत्न करें और एक विचाराधीन कैदी को इस प्रकार कष्ट दें। कानून की ऐसी स्पष्ट अवज्ञा किसी साधारण मुकदमा लड़ने वाले के लिए तो शोभनीय हो ही नहीं सकती, शक्ति-संपन्न गवर्नमेंट के लिए कैसे शोभनीय हो सकती है, जो कि देश में अमन और कानून की रक्षा का दावा करती है।

(2) जेल-अधिकारी स्वभावतः, अदालत के हुक्मों के पालन करने के लिए जो विचित्र उपाय ग्रहण किए गए हैं, उनकी संपूर्ण सूचना भी अदालत को नहीं देना चाहते।

(3) सुपरिंटेंडेंट ने अभियुक्त के साथ रहने वाले कैदियों के संबंध में निम्नलिखित आज्ञा निकाली है :

(1) वे बुड्ढे हों, (2) अपढ़ हों (3) लाहौर जिले के न हों।

अभियुक्त जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक विशेष योग्यता प्राप्त ग्रेजुएट है, उपरोक्त योग्यता वाले कैदियों के साथ रह कर मुश्किल के साथ रहने का कोई सुख अनुभव कर सकता है।

(4) अभियुक्त की प्रार्थना है, कि जेल-अधिकारियों का उपाय निम्नलिखित कारणों से गैर-कानूनी और अनुचित है :

(क) कानून का अभिप्राय है, कि सब विचाराधीन कैदी एक साथ रहें। वे परस्पर एक-दूसरे से अदालत के कहने से ही अलग किए जा सकते हैं।

(ख) जेल इस ढंग से बने हैं, कि उनमें विचाराधीन कैदियों के लिए अलग ब्लाक रहता है।

(ग) अभियुक्त को बिना किसी कानूनी औचित्य के दंड-कोठरी में रखा गया है। कानून के अनुसार अभियुक्त को विचाराधीन कैदियों के ब्लाक में ही रखना चाहिए। गैर-कानूनी हिरासत कुछ कैदी साथ रहने के लिए भेज देने से नहीं दूर हो सकती, वह कैदी की दंड-कोठरी से उस स्थान में हटा देने से ही दूर हो सकती है जहां विचाराधीन कैदी रखे जाते हैं।

(घ) प्रिजन एक्ट की दफा 60 में प्रांतीय गवर्नमेंट ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें पहले नियम की दूसरी दफा में, जिसको ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त के संबंध में उपयुक्त समझ कर अपने 20 जुलाई के हुक्म में उद्धृत किया है, स्पष्ट लिखा है, कि ए क्लास के कैदी, जहां जगह हो, दूसरे कैदियों से अलग रखे जाएं। नए

नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के कैदी ए क्लास के कैदी हैं और जैसा कि ट्रिब्यूनल ने अपने 20 जुलाई के हुक्म में निर्णय किया है। कानून का अभिप्राय है कि कैदियों को अपनी-अपनी श्रेणी में एक साथ रहना चाहिए। नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के कैदियों और साधारण श्रेणी के कैदियों का साथ नहीं हो सकता।

(ङ) जेल-अधिकारियों ने जो उपाय ग्रहण किया है, वह असाधारण है और कानून के किसी नियम के अनुसार नहीं है।

(च) यह उपाय केवल अभियुक्त पर ही प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि उन तीनों विचाराधीन कैदियों पर भी प्रतिबंध लगाता है जो कि अभियुक्त के साथ रहने के लिए भेजे जाते हैं। यह प्रतिबंध किसी कानून के अनुसार उचित नहीं है। ये तीनों विचाराधीन कैदी जेल-सुपरिंटेंडेंट की आज्ञाओं को मानने से इनकार कर सकते हैं। वे अदालत से इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कठिनाई हल करने का यह कोई कानूनी उपाय नहीं है, बल्कि निरुपाय विचाराधीन कैदियों पर गैर-कानूनी प्रतिबंध है, यह गैर-कानूनी है और अमानुषिक भी है।

(छ) कैदियों के साथ रहने का तात्पर्य इच्छानुकूल और स्वतंत्रता के साथ रहने से है। साथ का तात्पर्य यह नहीं है, कि किसी निश्चित समय पर उसका प्रबंध कर दिया जाए।

(ज) जेल-अधिकारियों ने जिस प्रकार के साथ रहने का प्रबंध किया है, उसमें साथ भोजन करने तक का अवसर नहीं दिया। साथ भोजन करने के अधिकार से वे भी वंचित नहीं किए जाते जो अलग कोठरी में रखे जाते हैं।

(झ) अभियुक्त और उसके साथ रहने वालों के बीच में कोई समता नहीं है। अभियुक्त उनके साथ रहने का सुख मुश्किल से अनुभव कर सकता है।

कैदियों के साथ रहने की इस व्यवस्था में प्रतिहिंसा का भाव है, अभियुक्त को उसमें अधिक कष्ट अनुभव हुआ है। अभियुक्त को उससे छुटकारा मिलने में प्रसन्नता होगी।

(ञ) अभियुक्त अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ बैडमिंटन, वालीबाल आदि खेलों के खेलने से भी वंचित है।

(5) सुपरिंटेंडेंट ने ट्रिब्यूनल की 25 जुलाई की आज्ञा के अनुसार ट्रिब्यूनल को आवश्यक सूचना नहीं दी, उन्होंने अभियुक्त को सेंट्रल जेल के अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ न रखने का कोई कारण नहीं बतलाया। और उन्होंने अभियुक्त और उसके साथ रहने वाले कैदियों की कोई समता नहीं दिखलाई।

(6) अभियुक्त बहुत समय से गैर-कानूनी हिरासत में है। इसलिए प्रार्थना है, कि जेल-सुपरिंटेंडेंट को आज्ञा दी जाए कि वे अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रखें, उसकी गैर-कानूनी हिरासत हटा दें। प्रार्थना है कि इसके अनुसार कार्य न होने पर अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया जाए और हाईकोर्ट से यह ट्रिब्यूनल

सिफारिश करे कि गैर-कानूनी हिरासत के लिए जेल के उत्तरदायी अफसरों को अदालत का अपमान करने के अपराध में दंड दिया जाए। अदालत को किसी भी हालत में अब इस गैर-कानूनी हिरासत को बढ़ाना न चाहिए।

**31 जुलाई, 1931 :** सबूत के गवाह मि. दुर्गाप्रसाद ने, जो शिमला के पास धरमपुर के रहने वाले हैं, षड्यंत्र केस के नौ अभियुक्तों के बीच में अभियुक्त सुखदेवराज की शिनाख्त की। गवाह ने कहा कि अभियुक्त ने पिछले साल धरमपुर में मेरा मकान किराए पर लिया था। किराएनामे पर उसने अपना नाम कुन्दनलाल और पूरा पता लिखा था। अभियुक्त के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने अपना नाम रतनचन्द्र बतलाया था। जब अभियुक्त ने किराए पर मकान लिया था, उस समय वह लंगड़ाता हुआ आया था। पूछने पर अभियुक्त ने मुझसे कहा, कि मेरे पैर में मोच आ गई है।

## गिरदावर कानूनगो की गवाही

लाहौर के गिरदावर कानूनगो सरदार करतार सिंह ने अपनी गवाही में कहा कि मेरे ससुर का एक मकान गवर्नमेंट प्रेस के पीछे है। उसी जगह मुसम्मात धनदेवी का भी एक मकान है। मुसम्मात धनदेवी का मकान इन्द्रपाल नाम का एक व्यक्ति किराए पर लिए हुए था, जिसको मैं जानता था।

इस पर मुखबिर इन्द्रपाल दस अभियुक्तों के बीच में शिनाख्त के लिए खड़ा कर दिया गया। गवाह ने कहा कि इन अभियुक्तों में इन्द्रपाल नहीं है। लेकिन जब ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट ने इन्द्रपाल से खड़े हो जाने के लिए कहा, तब गवाह ने तुरंत कहा कि "यह इन्द्रपाल है।" इसके बाद गवाह ने कहा कि इन्द्रपाल अपनी स्त्री और तीन भाइयों के साथ रहा करता था। कुछ समय के बाद अभियुक्त जहांगीरी और कुन्दनलाल भी वहां आए और मकान के ऊपरी हिस्से में रहने लगे। कुछ दूसरे व्यक्ति भी उन लोगों के पास आया करते थे, जिनको मैं देख सकता था। इस पर गवाह से अभियुक्तों की ओर देखने और यह बतलाने के लिए कहा गया कि इनमें से कौन व्यक्ति उस मकान में रहते थे या वहां जाया करते थे। गवाह ने कृष्णगोपाल, कुन्दनलाल, भीमसेन, इंद्रपाल, जयप्रकाश, हरनाम सिंह और सुखदेवराज की ओर इशारा किया।

मि. सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि सुखदेवराज का नाम मुझे लाहौर फोर्ट में शिनाख्त की परेड के बाद मालूम हुआ था।

जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने सुखदेवराज को इन्द्रपाल के मकान पर मई और जून सन् 1930 में 5 या 6 बार जाते हुए देखा था। गवाह के यह कहने पर, कि मैंने सुखदेवराज के साथ एक और सज्जन को इन्द्रपाल के

मकान में जाते हुए देखा था, अदालत में हंसी हुई।

मि. सलीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि वह सज्जन अच्छे कपड़े-गहने पहने हुए थे। गवाह को यशपाल का फोटो दिखलाया गया। फोटो देख कर पहले गवाह ने कहा कि मैंने उस मकान में ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था, लेकिन फोटो की ओर फिर देख कर उसने कहा, कि मुझे याद आ गया कि यह यशपाल है, जो कि अपनी मां को देखने के लिए उस मकान में आया करता था। गवाह ने कहा कि मैंने पुलिस को सुखदेवराज का हुलिया नहीं बतलाया था। मुझे पुलिस ने सुखदेवराज का नाम बतलाया था और मुझसे सुखदेवराज की शिनाख्त करने के लिए कहा था, जो कि शालीमार बाग में गिरफ्तार किया गया था। दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनकी मैंने शिनाख्त की थी, पुलिस ने शिनाख्त के बाद मुझे बतलाए थे। गवाह ने कहा, कि पुलिस ने मुझे सुखदेवराज का हुलिया नहीं बतलाया था, परंतु मैंने वे विज्ञापन देखे थे, जिनमें फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा हुई थी। उन विज्ञापनों में फरार अभियुक्तों के चित्र भी प्रकाशित हुए थे। मैंने विज्ञापनों में सुखदेवराज का चित्र भी देखा था। परंतु मैंने उस चित्र की शक्ल की सुखदेवराज की उस शक्ल से तुलना नहीं की थी जो कि मुझे याद थी।

इस गवाह की गवाही लगातार मनोरंजक रही। वह प्रश्नों का उत्तर तुरंत हां कह कर दिया करता था, परंतु बाद में अपना उत्तर बदल दिया करता था।

मि. सलीम और रायबहादुर गंगाराम सोनी ने गवाह से प्रश्न पर विचार करने के बाद उत्तर देने के लिए सावधान किया।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता. 31 जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस की भी सुनवाई हुई। सबूत की ओर से केवल गुजरांवाला के दयाल सिंह नाम के व्यक्ति की गवाही हुई थी। उसने अपनी गवाही में कहा कि मैंने 18 जून, सन् 1930 की रात को ब्रह्म-अखाड़ा में दो सिख नवयुवकों को देखा था। गवाह अभियुक्त अमरीक सिंह और गुलाब सिंह की शिनाख्त नहीं कर सका, जो कि 11 बाहरी व्यक्तियों के साथ मिला दिए गए थे।

इसके बाद सफाई के वकील मि. श्यामलाल ने गवाह से जिरह की।

**1 अगस्त, 1931 :** आज दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्जी पर बहस हुई, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त सुखदेवराज के साथ रहने के लिए अच्छी श्रेणी के कैदियों का प्रबंध होना चाहिए।

मि. श्यामलाल ने बहस में कहा कि यद्यपि अदालत ने निर्णय किया था कि सुखदेवराज की गैर-कानूनी हिरासत हटा देनी चाहिए, फिर भी जेल-अधिकारियों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अभियुक्त को केवल साधारण कैदियों के साथ रहने की इजाजत दी और अदालत के सामने उन कारणों को बतलाने से इनकार कर दिया,

जिनसे अभियुक्त को ट्रिब्यूनल की आज्ञानुसार उसी की श्रेणी के कैदियों के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकी।

मि. सलीम–आपका तात्पर्य यह है कि अभियुक्त की गिनती ए क्लास के कैदियों में होनी चाहिए और उसके अनुसार उसे अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रहने की इजाजत होनी चाहिए और उसके रहने का स्थान दूसरे कैदियों से अलग होना चाहिए ?

मि. श्यामलाल–जी हां।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के सदस्य 15 मिनट तक परस्पर सलाह करते रहे।

मि. सलीम ने सरकारी वकील से कहा–यदि आप यह नहीं बतलाते कि अभियुक्त सुखदेवराज से आपको क्या आशंका है, तो हम उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार अपना निर्णय देने के लिए बाध्य हैं। हम आशंकाओं का अनुमान नहीं लगा सकते।

सरकारी वकील पंडित ज्वालाप्रसाद ने कहा–मैं उन कारणों को केवल मि. श्यामलाल की उपस्थिति में बतला सकता हूं, परंतु अभियुक्त सुखदेवराज की उपस्थिति में नहीं बतला सकता।

मि. सलीम–परंतु मि. श्यामलाल उन्हें अभियुक्त सुखदेवराज से छिपा नहीं सकते।

मि. श्यामलाल–मेरा संपूर्ण अधिकार अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से प्राप्त है।

सरकारी वकील पं. ज्वालाप्रसाद–ऐसी परिस्थिति में अदालत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले मुझे गवर्नमेंट से सलाह कर लेना जरूरी है। इसके लिए मैं समय चाहता हूं।

अदालत ने सरकारी वकील को समय देना स्वीकार कर लिया और ता. 6 अगस्त तक के लिए बहस स्थगित कर दी। अभियुक्त सुखदेवराज की प्रार्थना पर मामले की कार्रवाई भी तब तक के लिए स्थगित कर दी गई।

**3 अगस्त, 1931 :** आज दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस की कार्रवाई अभियुक्त भागराम के बीमार हो जाने के कारण, जिसकी दवा मेयो अस्पताल में हो रही है, स्थगित हो गई। अभियुक्त भागराम ने ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेंट के पास पत्र लिखा था कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी ओर से कोई पैरवी न करे। इसलिए अदालत की कार्रवाई स्थगित कर दी गई।

अभियुक्त सुखदेवराज का मामला भी नहीं पेश हो सका, क्योंकि सुखदेवराज अपनी सफाई के संबंध में सलाह करने के लिए हाईकोर्ट की इजाजत से दिल्ली में दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त धनवन्तरि, विद्याभूषण और वैशम्पायन से मिलने के लिए गए थे।

**4 अगस्त, 1931 :** आज दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त भागराम की बीमारी के कारण अदालत की कार्रवाई फिर स्थगित हो गई।

भागराम ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज एक अर्जी पेश की, जिसमें उसने कहा है कि मैं दो महीने से कठिन हिस्टीरिया रोग से पीड़ित हूं। इसी बीच में मुझे लकवा भी हो गया था, जिससे मेरा बायां अंग बेकाम हो गया है। उस समय मैं मेयो अस्पताल में था। जेल-अधिकारियों द्वारा यह विश्वास दिलाए जाने पर, कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से दवा करने के लिए लाया गया हूं, मैंने अदालत में अपनी अनुपस्थिति के लिए अपनी पैरवी कराना स्वीकार कर लिया था। परंतु बाद में मैंने देखा कि मैं केवल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था, स्थायी रूप से दवा कराने के लिए नहीं। मैं पहली अगस्त को अस्पताल से जेल भेज दिया गया था।

मेयो अस्पताल में ठीक तरह से और सहानुभूति के साथ औषधि होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती हुई दिखलाई पड़ने लगी थी। मेरा बायां हाथ हिलने लगा था, यद्यपि वह एक बार फिर बेकाम हो गया था। मुझे विश्वास है, कि मैं अच्छा हो गया होता, अगर वही दवा कुछ समय तक जारी रहती। जेल की औषधि फिर प्रारंभ होने पर कष्ट भी पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गया। इस समय मुझे बेहोशी के दौरे आ जाया करते हैं और मेरा बायां अंग हरकत करने में असमर्थ है। बिना सहायकों के सहारे मैं पेशाब तक नहीं कर सकता।

## पानी के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है

तीन पहरेदार, जो मेरी देख-रेख रखने के लिए तैनात किए गए हैं, सहानुभूति के साथ और ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वे शुश्रूषा करना नहीं जानते, इसलिए पानी तक के लिए मुझे चिल्लाना पड़ता है, विशेषकर रात के समय, जबकि वे गहरी नींद में सो जाते हैं।

मैं अदालत को यह बतला देना चाहता हूं कि मेरा विचार अदालत की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा डालने का नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस विषय में जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है। मेरा विश्वास है कि मेरे लिए अच्छा ही है, अगर अदालत की कार्रवाई में जल्दी हो। परंतु मैं यह कह देना चाहता हूं कि जेल के अधिकारियों और सरकार की यह जबरदस्त कोशिश है कि मैं अपनी अनुपस्थिति में अपनी पैरवी वापस ले लूं।

उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर मैं अपनी अनुपस्थिति में दूसरे किसी को अपनी पैरवी का अधिकार नहीं दे रहा हूं। मेरा ख्याल है कि मैं अपने कानूनी सलाहकार को, शरीर और मन की ऐसी हालत में ठीक तरह से सलाह नहीं दे

सकता। मैं अपने कानूनी सलाहकार को तब तक पैरवी करने का अधिकार नहीं देता, जब तक कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से औषधि कराने के लिए न भेज दिया जाऊं, या जब तक मैं ठीक तरह से दवा कराने के लिए जमानत पर न छोड़ दिया जाऊं।

अर्जी पर बाद में किसी समय विचार होगा।

## गंभीर दोषारोपण

जो अभियुक्त अदालत में हाजिर हुए थे, उन्होंने एक दूसरी अर्जी ट्रिब्यूनल के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल जेल के हाते के अंदर अत्यंत नियम-विरुद्ध और अमानुषिकता का व्यवहार किया जाता है। पंजाब सरकार ने सी. आई. डी. और जेल-अधिकारियों से मिलकर हम लोगों को अपनी उचित सफाई से वंचित करने के लिए एक षड्यंत्र बना लिया है। यह बात मुखबिर मदनगोपाल और इंद्रपाल ने जेल अधिकारियों के विरुद्ध जो दोषारोपण किए थे और प्रमाण में जो कागजी सबूत पेश किए थे, उनसे स्पष्ट है। हम लोगों को यह स्वीकार करते हुए लज्जा मालूम होती है कि विदेशी गवर्नमेंट के गैर-कानूनी कार्यों को कार्य-रूप में परिणत करने के षड्यंत्र में हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ा भाग लिया है।

हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह ऐसा रहता है जो मनुष्य खा नहीं सकता, न हजम कर सकता है। हम लोगों को धूल में मिला हुआ गेहूं का आटा दिया जाता है। इधर कुछ दिनों के अंदर हम लोग दो बार उसे लौटा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से अच्छा आटा दिया गया। तरकारी बिल्कुल सड़ी हुई होती है।

हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हंसी में दिए जाते हैं। जेल अधिकारियों ने इस बात पर हम लोगों का बाहर के लोगों से मिलना बंद कर दिया, कि एक अभियुक्त के पास एक कागज निकला, जो कि उसने जेल-अधिकारियों को देना अस्वीकार कर दिया। उस अभियुक्त ने सुपरिंटेंडेंट से कहा कि उस कागज में मामले की सफाई के संबंध में कुछ सलाहें लिखी हैं। इसलिए मैं उसे जेल-अधिकारियों को नहीं दे सकता। इस पर भी अगर जेल अधिकारी संतुष्ट नहीं थे, तो वे उसे दंड दे सकते थे। परंतु एक की गलती के लिए सबको कष्ट दिया जाए, इसका कोई कारण नहीं है। परंतु सुपरिंटेंडेंट ने इस उचित प्रार्थना कर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गैर-कानूनी और मनमाना हुक्म निकाल दिया कि एक की गलती के लिए सबको कष्ट सहन करना होगा।

अदालत से हम लोगों की प्रार्थना है कि वह मामले की जांच करे और जेल-अधिकारियों को, कानून के अनुसार सफाई के लिए हम लोगों को पूर्ण सुविधा देने की आज्ञा दे।

**5 अगस्त, 1931 :** आज दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में दो और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

लाहौर के फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट सैयद बशीर हैदर ने अपनी गवाही में कहा कि लाहौर फोर्ट में अभियुक्त सुखदेवराज की शिनाख्त-परेड मैंने की थी। आपने कहा कि मेहरचंद, देबिया मेहतर, फजलदीन तांगा हांकने वाले, सोहनी भिश्ती, शेर मोहम्मद और लाभामल ने अभियुक्त सुखदेवराज की शिनाख्त की थी। उन लोगों ने कहा था कि अभियुक्त को हमने भावलपुर रोड के बंगले में देखा था।

अभियुक्त सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के अनुसार शिनाख्त परेड की थी। फोर्ट पहुंचने पर पुलिस ने मुझसे कहा कि गवाह बारहदरी में है। मैंने वहां सय्यद अहमदशाह डी. एस. पी. को देखा था। मैंने सी. आई. डी. के दफ्तर में शिनाख्त की परेड की थी। परंतु परेड के समय यहां कोई पुलिस-अफसर नहीं था। मैंने वहां सब-इंस्पेक्टर खड्ग सिंह को देखा था। परंतु वे उस कमरे में उपस्थित नहीं थे, जिसमें परेड हुई थी। मैंने पुलिस अफसरों के गवाहों से बातचीत करने के संबंध में कोई रुकावट नहीं डाली थी, न मैंने उन लोगों के नाम और पते लिखे, जो कि अभियुक्त के साथ मिला दिए थे, क्योंकि मैंने उसे आवश्यक नहीं समझा। मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त ने वैसा करने के लिए मुझसे कहा था या नहीं।

इसके बाद फजलदीन तांगा हांकने वाले की गवाही हुई, जिसने अभियुक्त सुखदेवराज की शिनाख्त की और कहा कि मैं अभियुक्त को भावलपुर रोड के मकान से तार के दफ्तर ले गया था।

**6 अगस्त, 1931 :** अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज को षड्यंत्र केस के अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की इजाजत देने में क्या हानि है ?

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवर्नमेंट की आशंकाओं को नहीं बतला सकता, परंतु यह कह सकता हूं कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से अलग रखना जेल की डिसिप्लिन की रक्षा के लिए आवश्यक है। जेल-मैनुअल के 68 और 69 पैरा का हवाला देते हुए, आपने कहा कि सुपरिटेंडेंट इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। आपने कहा कि जेल स्वतंत्र व्यक्ति का मकान नहीं है। कैदियों पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

सुखदेवराज अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ रहने की आवश्यकता पेश कर सकते हैं, परंतु जेल के विनयन की दृष्टि से उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

साथ रहने का तात्पर्य यह नहीं है, कि साथ रहने वालों की रुचियों में समानता हो। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन कैदी अच्छी ही श्रेणी के कैदियों के साथ रखे जाएं।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी वकील की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि सरकारी वकील ने जेल-मैनुअल के 68 और 69 पैराग्राफों के संबंध में जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है। सुपरिटेंडेंट उन पैराग्राफों के अनुसार, तब तक कोई हुक्म नहीं निकाल सकते, जब तक कि उस हुक्म का जेल-मैनुअल की अन्य दफाओं से सामंजस्य न हो।

गवर्नमेंट की आशंका के प्रश्न के संबंध में अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि जब तक सरकारी वकील उस विषय में पूरी बात अदालत के सामने न पेश कर दें, तब तक अदालत का कर्तव्य है कि वह सरकारी वकील की कही हुई बातों पर कोई ध्यान न दे। गवर्नमेंट को स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए और उन सब बातों को अदालत के सामने प्रकट कर देना चाहिए जो कि उसके पास हों। अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि मैं जीवन में प्रथम बार सेंट्रल जेल में लाया गया हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे विरुद्ध जेल के विनयन भंग होने की आशंका किस आधार पर की जा रही है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा है, कि अभियुक्त सुखदेवराज को क्रांतिकारी साथियों के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों से हम लोग साथ रहने की बात नहीं सोचते। मैं राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी सुविधा की प्रार्थना नहीं करता। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट ऐसे कारणों के आधार पर हुक्म निकाल रही है जो कि उपयुक्त नहीं हैं। सुखदेवराज ने गवर्नमेंट के बनाए नियमों का हवाला देकर यह दिखलाया कि साथ रहने का अर्थ यह है कि साथियों में रुचि की समानता हो। साथ रहने वालों में परस्पर साथ रहने की इच्छा हो। जो तीन 'सी' क्लास के विचाराधीन कैदी मेरे साथ रोज रहने के लिए भेजे जाते हैं, वे मेरे पास आने से इनकार कर सकते हैं। संभव है वे मेरा साथ न चाहते हों।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि सरकारी वकील ने कई दिन तक अदालत की कार्रवाई स्थगित करने के बाद, अदालत के सामने आज जो बात बतलाई है वह कोई विशेष बात नहीं है। वास्तव में गवर्नमेंट ने इस विषय में कुछ बतलाने से इनकार कर दिया है। यही बात हाईकोर्ट के सामने और इस अदालत के सामने आज से बहुत दिन पहले कही जा चुकी है। उस बात के कहने पर भी हाईकोर्ट और स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में अभियुक्त की हिरासत को गैर-कानूनी बतलाया था।

प्रेजिडेंट ने सुखदेवराज से पूछा कि क्या तुम 'सी' क्लास के विचाराधीन कैदियों के साथ रहना स्वीकार करोगे ?

सुखदेवराज ने कहा कि यह बात पहले की अपेक्षा कानून के अधिक अनुकूल मालूम होती है।

अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं बोर्स्टल

जेल में भेज दिया जा सकता हूं, जहां अच्छी श्रेणी के विचाराधीन कैदी मिल सकते हैं।

**7 अगस्त 1931 :** आज दूसरे लाहौर ड्यंत्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत पक्ष की ओर से गवाहों की गवाहियां हुईं।

अभियुक्त सुखदेवराज ने सबूत की ओर के गवाह शेख मोहम्मद रशीद मैजिस्ट्रेट से जिरह की, अभियुक्त ने अदालत से कहा, ''मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि ऐसे भी मैजिस्ट्रेट हैं। जो सरकार के हाथ के अस्त्र हैं और वे उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। उपस्थित गवाह वैसे ही मैजिस्ट्रेट में एक हैं।'' मैजिस्ट्रेट की गवाही दो मिनट में समाप्त हो गई थी परंतु जिरह में आधा घंटा से अधिक लग गया।

अदालत की कार्रवाई के प्रारंभ होने पर पहले स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज की इस अर्जी पर फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त सुखदेवराज को अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रहने की आज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी। फैसला इस प्रकार था :

अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्जी पेश की है, जिसमें कहा है कि ट्रिब्यूनल के 20 जुलाई के हुक्म के पालन करने के लिए जेल सुपरिंटेंडेंट ने मेरी गैर-कानूनी हिरासत के संबंध में जो उपाय ग्रहण किए हैं, वे गैर-कानूनी हैं। अभियुक्त ने प्रार्थना की है कि या तो मुझे अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाए या जमानत पर छोड़ दिया जाए।

''हम लोगों ने अभियुक्त और सरकार दोनों ओर की बहस सुन ली है। हमारी राय में जेल-अधिकारियों की कार्रवाई जेल के किसी कानून के किसी नियम के विरुद्ध नहीं है। न्याय की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जेल-अधिकारियों ने जिस ढंग से कानून का पालन किया है, वह शाब्दिक अधिक है। परंतु 20 जुलाई के हुक्म के अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की हिरासत केवल कानून के शब्दों के अनुसार गैर-कानूनी थी। वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इस वक्त अभियुक्त की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, क्योंकि जेल में अब वह षड्यंत्र के अन्य अभियुक्तों से सप्ताह में करीब चार बार मिल सकता है।

## दो मुख्य बातें

''अभियुक्त की ओर से दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात यह है, कि अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रहने का अधिकार है। दूसरी बात यह है, कि

अभियुक्त के रहने के स्थान पर प्रतिदिन कुछ साधारण कैदियों को साथ रहने के लिए ले जाने से कानून के अनुसार साथ रहने की पूर्ति नहीं होती। अभियुक्त का दावा है कि उसे चौबीस घंटा स्वतंत्र और अबाधित साथ रहने का अधिकार होना चाहिए।

"दूसरी बात से हम असहमत हैं। जेल-मैनुअल के 577 नियम के अनुसार यह स्पष्ट है, कि साधारणतया कैदी सूर्यास्त से सूर्योदय तक अपनी कोठरियों या बैरकों में बंद रखे जाते हैं। इस वक्त के बीच में एकांत कोठरियों में रहने वाले कैदी संभवतः अकेले रहते हैं। अभियुक्त किसी भी विचाराधीन कैदी के साथ रहने के लिए दावा नहीं पेश कर सकता। ऐसा असंभव होगा, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि तीन बैरकों में 500 विचाराधीन कैदी हैं। हमारी राय में यह मानते हुए भी, कि साधारण विचाराधीन कैदियों के साथ रहना कानून से उचित है, अभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन-चार कैदियों को उसके साथ सूर्योदय से संध्या तक रहने के लिए भेज देने का नियम-कानूनी नहीं है। इस संबंध में अभियुक्त की अर्जी में तीसरे पैराग्राफ में लिखी बातों का सरकारी वकील ने जिक्र किया है, जिनको अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वे सुनी हुई बातें हैं और उन हुक्मों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया।

"अब हम अभियुक्त की पहली बात पर विचार करते हैं। प्रिजन एक्ट की 60 दफा के अनुसार बने हुए विशेष नियमों की दफा दो के आधार पर अभियुक्त ने कहा है कि मेरी हैसियत 'ए' क्लास के कैदियों की है। हम इस बात को निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, परंतु बहस के लिए मान लेते हैं। अभियुक्त का कहना है कि मैं दूसरे कैदियों से अलग, परंतु अपनी श्रेणी के कैदियों के साथ रखा जाऊं। इसका अर्थ यह है, कि अभियुक्त एकांत कोठरी में अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रहना चाहता है। सेंट्रल जेल में अच्छी श्रेणी के कैदी केवल इस षड्यंत्र केस के कैदी हैं। इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त उनके साथ रहे।

"परंतु जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल ने जेल-सुपरिंटेंडेंट के उस हुक्म को बदल दिया है, जिसके अनुसार अभियुक्त को अन्य कैदियों के साथ रहने की इजाजत मिल गई थी। जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल ने हुक्म दिया है कि अभियुक्त सुखदेवराज को उनसे अलग रखा जाए। अगर यह हुक्म ठीक है तो अभियुक्त के लिए जेल में अच्छी श्रेणी के कैदियों का प्रश्न ही नहीं रहता। गैर-कानूनी हिरासत से बचाने के लिए अभियुक्त को साधारण विचाराधीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत रहनी चाहिए।

## इंस्पेक्टर-जनरल का हुक्म

"हम नहीं समझते कि इंस्पेक्टर-जनरल के हुक्म का विरोध करना कहां तक कानून

की दृष्टि से उचित हो सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है, कि ऐसे निश्चित कारण मौजूद हैं, जिनसे संदेह होता है कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों के साथ रखने से जेल का विनयन भंग होने की आशंका है। हमें इस बात से मतलब नहीं है, कि सरकार उन कारणों को या जहां से वे मालूम हुए हैं, उन जरियों को बतलाना नहीं चाहती। अभियुक्त-पक्ष की ओर से ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, जिससे सरकारी वकील के इस कथन में, कि इंस्पेक्टर जनरल ने जो कुछ किया है, वह कानून के अनुसार किया है, हम कोई संदेह कर सकें। मैनुअल के 68 नियम में 'आवश्यक और उपयुक्त' शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों का तात्पर्य यह है कि जिस अधिकारी ने हुक्म निकाला हो उसकी दृष्टि में वह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और दूसरा उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो सकता। हमारी राय में जेल-अधिकारी द्वारा निकाले गए हुक्म में अदालत तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि यह न प्रमाणित कर दिया जाए, कि वह हुक्म अधिकारी ने मन की तरंग में आकर निकाल दिया है या उस हुक्म को उसने अपनी सम्मति से नहीं निकाला। यह बात इस मामले में प्रमाणित नहीं की गई। हम समझते हैं कि सरकार ने जिन कारणों से अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों से अलग रखा है, उनको प्रकट करने के लिए जोर देने और उनके आधार पर यह निर्णय करने से कि अधिकारी के सामने हुक्म निकालने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मौजूद थीं या नहीं, कोई मतलब न सिद्ध होगा। वैसा करने का तात्पर्य यह होगा कि इस अदालत की सम्मति में उस हुक्म का निकालना आवश्यक नहीं था। परंतु अधिकारी को अपनी सम्मति के अनुसार हुक्म निकालने का अधिकार है, अदालत की सम्मति के अनुसार नहीं। किसी भी अदालत को ऐसे हुक्म को केवल इस कारण से नामंजूर कर देना चाहिए कि यदि उसे सरकार की ओर के कारण मालूम होते तो उसने उस हुक्म का निकालना उचित न समझा होता।

## कानूनन उचित है

"इसलिए हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इंस्पेक्टर-जनरल ने सरकार की ओर के कारणों के जाने बिना हुक्म निकाल दिया है या उन्होंने 68 नियम के अनुसार हुक्म निकालना आवश्यक नहीं समझा। हम इंस्पेक्टर-जनरल के हुक्म को कानूनन उचित समझते हैं। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में, जब कि यह नहीं प्रमाणित किया गया कि वह किस कानून के विरुद्ध है।

"इसलिए हमारा निर्णय है कि जेल-सुपरिंटेंडेंट ने हमारे 29 जुलाई के हुक्म का जिस तरह से पालन किया है, वह किसी प्रकार गैर-कानूनी नहीं है और पहले कानून के शब्दों के अनुसार जो गैर-कानूनीपन था, वह भी दूर कर दिया जा चुका है।

"निस्संदेह अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ रखने के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वह साधारण विचाराधीन कैदियों के बैरक में रखा जा सकता है, परंतु यह देखते हुए कि जो उपाय ग्रहण किया गया है उसमें कोई गैर-कानूनीपन नहीं है, हमें कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है।

"जमानत के विषय में जोर नहीं दिया गया। हम जमानत के लिए कोई कारण नहीं देखते।"

"इसलिए हम अर्जी नामंजूर करते हैं।"

अर्जी पर फैसला सुना देने के बाद ट्रिब्यूनल ने सबूत के गवाहों की गवाहियां दर्ज करना प्रारंभ किया।

सनातन-धर्म कालेज के प्रोफेसर कैलाशनाथ की गवाही के बाद लाहौर के फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट मि. मोहम्मद रशीद ने कहा कि 16 मई, सन् 1931 को एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने मुझे अभियुक्त सुखदेवराज की शिनाख्त की कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लाहौर के कर्तार सिंह ने अभियुक्त की शिनाख्त की थी और कहा था कि मैंने अभियुक्त को मुखबिर इंद्रपाल के यहां आते हुए देखा था।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि शिनाख्त के लिए मुझे एडिशनल मैजिस्ट्रेट के पास से टेलीफोन से खबर मिली थी या लिखा हुआ हुक्म मिला था। अगर टेलीफोन से खबर मिली होगी तो या तो मैं अदालत में रहा हूंगा या घर से लाहौर फोर्ट चला गया हूंगा। शिनाख्त की परेड के पहले मैंने अभियुक्त के पास शिनाख्त के संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी थी। मैं यह नहीं कह सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडिशनल मैजिस्ट्रेट ने ऐसी कोई सूचना भेजी थी या नहीं। मुझे यह मालूम नहीं कि अभियुक्त ने शिनाख्त के समय अपने वकील की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की थी। अगर अभियुक्त ने ऐसी प्रार्थना की होती तो यह संभव नहीं है कि मैंने उसे नामंजूर कर दिया होता।

गवाह ने कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ अभियुक्त मिला दिया गया था वे बाद में लाए गए थे। मैंने उन व्यक्तियों और पुलिस के आदमियों के बीच बातचीत रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं कह नहीं सकता कि उन व्यक्तियों के भी अभियुक्त की तरह छोटी-छोटी मूंछें और दाढ़ियां थीं, या नहीं।

गवाह ने कहा कि लाहौर में उसी कमरे में मैंने पुलिस को अभियुक्त की हिरासत के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। गवाह ने कहा कि मुझे वह केस नहीं मालूम, जिसमें मैंने अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में रखने के लिए मोहलत दी थी। अभियुक्त के यह बतलाने पर, कि वह केस ताजीरात हिंद की दफा 307 और आर्म्स-एक्ट का था। गवाह को केस की याद आ गई। गवाह ने कहा कि एक सी. आई. डी. अफसर के साथ मैं अभियुक्त की कोठरी में मोहलत देने के लिए

गया था।

**10 अगस्त, 1931 :** अभियुक्तों की ओर से मि. श्यामलाल ने अदालत से कहा कि अभियुक्तों को जेल में अर्जी लिखने की इजाजत नहीं दी जाती। इसलिए उन्हें अदालत में लिखने की इजाजत दी जाए। अदालत ने इजाजत दे दी।

अभियुक्तों ने अदालत से यह भी शिकायत की कि हम लोग कोठरियों में बंद कर दिए गए हैं। और सफाई देने की संपूर्ण सुविधाएं हटा ली गई हैं।

इस पर ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिटेंडेंट को लिखा कि जहां तक संभव हो, अभियुक्तों को सफाई की सुविधा देनी चाहिए।

इसके बाद अभियुक्तों ने जेल की शिकायतों के संबंध में शपथ-पत्र पेश किए। अर्जी पहले ही दी जा चुकी थी। अदालत ने सरकारी वकील को सूचना देते हुए अर्जी पर बहस करने के लिए ता. 15 अगस्त नियत की।

भागराम ने बीमार होने के कारण अपनी तरफ से पैरवी के लिए किसी को नियुक्त करने से इनकार कर दिया था और अपने लिए उपयुक्त रीति से औषधि का प्रबंध करने के लिए प्रार्थना की।

इसके बाद डाक्टरी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का विरोध किया गया। अभियुक्त-पक्ष ने अदालत से कहा कि भागराम का एक पैर और एक हाथ लकवे के कारण बेकाम हो गया है, ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि भागराम बीमार नहीं है। भागराम की डाक्टरी-परीक्षा किसी दूसरी डाक्टरी के विशेषज्ञ से कराई जाए।

निश्चय हुआ कि अभियुक्त की जांच करने के लिए डा. निहालचंद सीकरी नियुक्त किए जाएं।

इसके बाद सरकारी वकील से जांच के लिए इजाजत प्राप्त करने के लिए कहा गया। अभियुक्त भागराम की अनुपस्थिति में मामले की कार्रवाई प्रारंभ न हो सकने के कारण ता. 15 अगस्त के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता. 10 अगस्त को सय्यद बशीर हैदर मैजिस्ट्रेट के सामने दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त भागराम का मामला पेश हुआ। अनशन करने के अपराध में अभियुक्त भागराम के विरुद्ध सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट मेजर एस. डी. सोंधी ने प्रिजन एक्ट की दफा 52 के अनुसार यह मामला चलाया है।

जबकि मैजिस्ट्रेट रायबहादुर पंडित ज्वालाप्रसाद और सी. आई. डी. के डी. एस. पी. सरदार प्रताप सिंह मेजर सोंधी से बातचीत करने में लगे हुए थे, उसी समय सफाई के वकील मि. श्यामलाल, अमोलकराम कपूर और अमरनाथ मेहता भागराम से मुलाकात कर रहे थे। मामले की कार्रवाई डिप्टी-सुपरिटेंडेंट के कमरे में प्रारंभ हुई।

प्रारंभ में अभियुक्त-पक्ष ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट प्रांतीय गवर्नमेंट की आज्ञा के बिना जेल के अंदर अदालत की कार्रवाई नहीं प्रारंभ

कर सकता।

सरकारी वकील ने कहा कि यह बात ठीक है, परंतु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि इस प्रकार की कोई आज्ञा आई है या नहीं।

इसी समय मेजर सोंधी अदालत से चले गए और कुछ मिनटों के बाद वापस आ गए। आपने मैजिस्ट्रेट से कहा कि डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट ने टेलीफोन से आवश्यक इजाजत दे दी है।

मि. अमोलकराम कपूर ने कहा कि मेजर सोंधी द्वारा लाई गई टेलीफोन की खबर प्रांतीय गवर्नमेंट की उपयुक्त और कानूनी आज्ञा नहीं है।

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बिल्कुल काफी है।

इस पर सफाई के वकील ने एक अर्जी पेश की, जिसमें इस प्रकार से प्राप्त प्रांतीय गवर्नमेंट की आज्ञा के औचित्य का विरोध किया गया और टेलीफोन द्वारा उपरोक्त आज्ञा के संबंध में मेजर सोंधी से शपथ लेकर गवाही देने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि मि. सोंधी से शपथ लेकर पूछा जाए कि अभियुक्त अदालत में हाजिर होने लायक है या नहीं।

# कुछ फुटकर सामग्री
## इतिहास के विद्यार्थियों के लिए

स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के पूज्य पिता ने स्पेशल ट्रिब्यूनल को इस आशय की एक अर्जी दी थी, कि मेरा पुत्र सर्वथा निर्दोष है और सांडर्स-हत्या कांड के समय वह कलकत्ते में था। उसके राजनैतिक विचार उग्र अवश्य हैं, पर इसके लिए उसे फांसी पर लटका देना अंग्रेजी जाति का एक ऐसा कलंक होगा, जिसे सारे समुद्रों का जल भी न धो सकेगा। अंत में उन्होंने न्याय तथा सरदार भगत सिंह के जीवन-दान की भिक्षा मांगी थी जो स्वर्गीय सरदार भगत सिंह जैसे आत्माभिमानी नवयुवक के लिए एक असह्य-अपमान था। अतएव पुत्र के प्यार तथा पिता के ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करते हुए सरदार भगत सिंह ने जैसा तीखा पत्र अपने पिता को लिखा था, उसका जवाब वह स्वयं है। नवयुवकों के लाभार्थ वह ऐतिहासिक पत्र यहां ज्यों का त्यों उद्धृत किया जा रहा है। इस सिलसिले में शायद यह न बतलाना होगा, कि प्रस्तुत पत्र स्पेशल ट्रिब्यूनल के फैसले तथा फांसी की सजा मिलने के पूर्व लिखा गया था :

## पिता के नाम सरदार का पत्र

"मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया, कि आपने स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों के पास मेरे बचाव के संबंध में एक अर्जी भेजी है। यह समाचार मेरे लिए एक ऐसी असह्य-चोट के समान है, जिसे मैं शांतिपूर्वक सहन नहीं कर सकता। इसने मेरे मस्तिष्क की समस्त शांति को भंग कर दिया है। मैं यह समझ सकने में असमर्थ हूं कि आपने इस अवसर पर और इस परिस्थिति में इस प्रकार की अर्जी पेश करना किस तरह उचित समझा। एक पिता की हैसियत से मेरे प्रति आपके जो भाव और ममता होगी, उसका ध्यान रखते हुए भी, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे सलाह लिए बिना ही इस प्रकार का कोई कार्य करने का क्या अधिकार था ? आप जानते हैं कि राजनीतिक मामलों में मेरे विचार सदैव आपसे भिन्न रहे हैं, और मैंने इस

बात का विचार छोड़कर, कि आप मेरे कामों को पसंद करते हैं या नापसंद, सदैव स्वतंत्रतापूर्वक कार्य किया है।

"संभवतः आपको स्मरण होगा, कि इस अभियोग के आरंभ से ही आप मुझे यह समझाने की चेष्टा करते रहे थे कि मुझे यह मुकदमा गंभीतापूर्वक लड़ना चाहिए और अपना अच्छी तरह से बचाव करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि मैंने आपकी बात का सदैव विरोध किया था। मुझे अपना बचाव करने की इच्छा नहीं थी और न मैंने कभी इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार किया, फिर चाहे मेरा यह काम भ्रांतिपूर्ण आदर्शवाद समझा जाए और चाहे मेरे पास इसको उचित सिद्ध करने के लिए युक्तियां हों; यह प्रश्न सर्वथा पृथक है और इसे यहां उठाना अनावश्यक है।"

## कर्तव्य पालन

"आप जानते हैं कि इस अभियोग में हम एक निश्चित नीति का पालन कर रहे हैं। मेरा हर एक काम उस नीति, मेरे सिद्धांत और प्रोग्राम के अनुकूल होना चाहिए। वर्तमान समय में तो समस्त परिस्थिति ही भिन्न थी, पर यदि परिस्थिति अन्य प्रकार की भी होती, तो भी मैं अपना बचाव कदापि न करता। इस समस्त अभियोग-काल में मेरे सामने सिर्फ एक विचार रहा है, और वह यह कि अपने ऊपर गंभीर आरोपों के होते हुए भी इस मुकदमे की तरफ मुझे पूर्णतया उपेक्षा का भाव दिखलाना चाहिए। मेरी सदा से यही सम्मति रही है कि तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालतों की कानूनी कार्रवाई की तरफ सदैव उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, कभी उनके विषय में चिंतित न होना चाहिए और उनको जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको वीरतापूर्वक सहना चाहिए। वे अपना बचाव कर भी सकते हैं, पर केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा करना उचित है, व्यक्तिगत कारणों से नहीं। इस अभियोग में हमारी नीति सदैव इस सिद्धांत के अनुकूल रही है। हम इस कार्य में सफल हुए या नहीं, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। हम सदैव निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं।

"वाइसराय ने 'लाहौर कांसपिरेसी केस आर्डिनेंस' के साथ जो बयान प्रकट किया था, उसमें कहा गया है, कि हम कानून और न्याय दोनों को बेइज्जत करने की चेष्टा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ने हमको एक ऐसा अवसर प्रदान किया है, जिससे हम जनता को दिखला सकते हैं, कि कानून की बेइज्जती हम कर रहे हैं या दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं ? इस विषय में लोग हमसे असहमत हो सकते हैं और संभव है कि आप भी उन्हीं में से एक हों। पर इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि आप बिना मुझसे परामर्श किए, इतना ही नहीं, वरन मुझे किसी प्रकार

की इत्तला भी न देकर, ऐसा कोई काम कर सकें। मेरा जीवन कम से कम मेरे लिए इतना अधिक मूल्यवान नहीं है, जैसा कि संभवतः आप उसे समझते हों। वह इस लायक तो कभी भी नहीं है कि मैं उसे अपने सिद्धांतों को बेचकर खरीदूं। मेरे और भी कितने ही साथी ऐसे हैं, जिनका अभियोग मेरे बराबर ही संगीन है। हमने एक ही नीति का अवलंबन करना निश्चित किया है और अब तक उसी पर जमे हुए हैं और अंत तक उसी प्रकार जमे रहेंगे, फिर चाहे हमको व्यक्तिगत रूप से इसके लिए कितना भी अधिक मूल्य क्यों न चुकाना पड़े।

"पिता जी, मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूं। मुझे भय है, कि मैं सभ्यता के साधारण नियमों का भी उल्लंघन कर रहा हूं और मेरी माया आपके इस कार्य की आलोचना करते हुए कुछ अधिक कठोर हो गई है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो किसी ने पीछे से छुरी मार दी हो। अगर किसी और व्यक्ति ने ऐसा काम किया होता तो मैं इसे घोर विश्वासघात से कम नहीं समझता। पर आपके लिए मैं यही कह सकता हूं कि यह आपकी कमजोरी है—सबसे खराब कमजोरी।

"यह ऐसा समय है जब कि मनुष्य—हर एक मनुष्य—की असलियत की परीक्षा होती है। पर पिता जी, मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप इसमें अनुत्तीर्ण हुए। मैं जानता हूं कि आप वास्तव में एक सच्चे देशभक्त हैं। मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन को भारत की स्वाधीनता के लिए अर्पित कर दिया है। पर आपने इस अवसर पर कमजोरी क्यों दिखलाई, मैं इसे समझ सकने में असमर्थ हूं।

अंत में मैं आपको, अपने दूसरे दोस्तों को और उन तमाम लोगों को, जो इस मामले में दिलचस्पी रखते हैं, बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके कार्य को स्वीकृत नहीं किया है ! मैं अभी तक किसी तरह का बचाव पेश करने के पक्ष में बिलकुल नहीं हूं। अगर अदालत ने उस अर्जी को मंजूर भी कर लिया होता, जो मेरे कुछ साथी अभियुक्तों ने बचाव पेश करने आदि के संबंध में दी थी तो भी मैं अपनी तरफ से किसी तरह का बचाव नहीं करता। मैंने अपने अनशन के समय मुलाकात के संबंध में ट्रिब्यूनल को जो अर्जी दी उसका यह मतलब गलत समझ लिया गया था, कि मैं अपना बचाव पेश करना चाहता हूं। पर वास्तव में मैं कभी किसी प्रकार का बचाव पेश करना नहीं चाहता था। मैं अब भी पूर्ववत उसी विचार पर दृढ़ हूं। मेरे दोस्त जो बोर्स्टल जेल में बंद हैं, आपकी इस अर्जी से समझ रहे होंगे कि मैंने उनके साथ विश्वासघात किया। मुझे इसका अवसर भी नहीं मिलेगा कि मैं उनके सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकूं।

"मेरी आकांक्षा है कि जनता इस पेचीदा मामले की सब बातों से परिचित हो जाए और इसलिए मैं अपने इस पत्र को प्रकाशित करने की प्रार्थना करता हूं।"

# अधिकारियों की हृदयहीनता

स्वर्गीय श्री सुखदेव के चचा लाल चिन्तराम थापड़ ने पंजाब-सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र भेजा था :

"मैं सुखदेव से लाहौर सेंट्रल जेल में 2 मार्च को मिला था। उसने मुझसे कहा था, कि मैंने अपनी माता के पास हिंदी में एक चिट्ठी लिखी है, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब के पास है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा, कि बातचीत समाप्त कर, जब आप जाने लगेंगे, तो वह चिट्ठी मैं आपको दे दूंगा।

"बातचीत समाप्त कर जब मैंने उनसे चिट्ठी मांगी, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि चिट्ठी में कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे वह रोकी जा सके, तो भी मैं सुपरिंटेंडेंट साहब को दिखाकर दे दूंगा; आप दूसरे दिन किसी आदमी को भेज दीजिएगा। दूसरे दिन मैंने अपने पुत्र मथरादास को चिट्ठी के लिए भेजा। उससे कहा गया कि चिट्ठी अभी सुपरिंटेंडेंट साहब को नहीं दिखलाई गई है। सुखदेव की वह चिट्ठी प्राप्त करने में इस प्रकार असफल हो मैं लाहौर से लायलपूर चला आया। कुछ दिनों के बाद जेल के अधिकारियों ने मुझे सूचना दी कि 23 मार्च तक सुखदेव से मैं मिल सकता हूं। यह सूचना पाकर मैं 23 मार्च को सेंट्रल जेल में गया और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से सुखदेव की चिट्ठी लौटा देने के लिए फिर कहा। उन्होंने कहा कि कैदी से मिलने की बात पहले तय हो जानी चाहिए, उसके बाद चिट्ठी लौटा दी जाएगी। किंतु सुखदेव से अंतिम बार भेंट करने में भी इतनी बाधाएं उपस्थित की गईं कि मुझे तथा सुखदेव के अन्य संबंधियों को, बिना उससे भेंट किए ही लौट आना पड़ा। 24 मार्च को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से मैं फिर मिला और मैंने एक टाईप की हुई चिट्ठी उन्हें दी, जिसमें सुखदेव की किताबें तथा उसकी चिट्ठी मांगी गई थी। उन्होंने चिट्ठी पढ़कर कहा कि चिट्ठी तथा किताबें बहुत शीघ्र लायलपूर के पते से लौटा दी जाएंगी।

"डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के यहां से मैं सीधे जेल के सुपरिंटेंडेंट के बंगले पर गया और सुखदेव की चिट्ठी तथा किताबें लौटा दिए जाने के संबंध में उनसे प्रार्थना की, सुखदेव की माता इस चिट्ठी के लिए बड़ी उत्सुक थीं। सुपरिंटेंडेंट साहब ने मुझे विश्वास दिलाया, कि ये चीजें बहुत जल्द लायलपूर भेज दी जाएंगी। 31 मार्च तक प्रतीक्षा करता रहा; किंतु जेल के अधिकारियों ने मुझे कोई सूचना नहीं दी। 1 अप्रैल को मैंने जेल के अधिकारियों के पास इस संबंध में एक पत्र लिखा और होम सेक्रेटरी के पास भी मैंने एक लंबी चिट्ठी लिखी।

"इतनी कोशिश-पैरवी के बाद 21 अप्रैल को मुझे यह रूखा जवाब मिला कि सुखदेव ने कोई चिट्ठी लिखकर नहीं दी है। इस उत्तर से मानो मेरे पैर के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। मैं बहुत ही क्षुब्ध हुआ। फांसी के दिन सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव और राजगुरु ने जो चिट्ठियां लिखी थीं, उनके संबंध में भी आपका ध्यान

आकर्षित करना अनुचित नहीं होगा।

"इन चिट्ठियों के संबंध में मुझे एक उच्च कर्मचारी के संबंधी से पता चला है। मैं अपनी बातों के प्रमाण में कागजात पेश कर सकता हूं। मैंने 29 मार्च को होम सेक्रेटरी के पास इन चिट्ठियों के संबंध में लिखा था, किंतु उन्होंने यह रूखा जवाब दिया था, कि कैदियों ने कोई पत्र नहीं लिखा था।

"मैं प्रार्थना करता हूं, कि इस मामले की जांच की जाए और उसका जो नतीजा निकले उसकी सूचना मुझे दी जाए।"

## फांसी किन शर्तों पर स्थगित हुई ?

फांसी स्थगित करने के संबंध में मेहता अमरनाथ ने पंजाब गवर्नमेंट के नाम जो चिट्ठी भेजी थी; गवर्नमेंट ने उसका निम्न उत्तर देने की कृपा की :

महाशय जी,

गवर्नर-इन-कौंसिल की आज्ञानुसार मैं आपको 16 अक्तूबर, सन् 1930 के भेजे हुए पत्र की स्वीकृति भेजता हूं और उत्तर में यह इत्तला देना चाहता हूं कि किशन सिंह के लड़के भगत सिंह, हरि राजगुरु के लड़के शिवराम राजगुरु और रामलाल के लड़के सुखदेव की फांसी स्थगित करने के आर्डर पास हो गए हैं।

आपको 6 नवंबर, 1930 तक इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि आपने आवश्यक कागजात, जिनमें छपी हुई कागजों की पुस्तक की दो प्रतियां और ट्रिब्यूनल के फैसले की एक सर्टिफाइड कापी सम्मिलित हैं—लंदन के किसी सालिसिटर के स्वीकृत फर्म को प्रिवी-कौंसिल की जुडीशियल कमेटी से अपील की आज्ञा लेने के लिए भेज दी है। गवर्नमेंट को सालिसिटर का नाम और पता भेजना अत्यंतावश्यक है और यह ध्यान में रखा जाए कि बैरिस्टर के पास कागजात सीधे नहीं भेजे जा सकते; वे सालिसिटर के फर्म को ही भेजे जाने चाहिए।

मैं आपको यह भी इत्तला करता हूं कि आपको इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि लंदन में सालिसिटरों को 50 गिन्नियों (52 पौंड 10 शिलिंग या भारतीय सिक्के में करीब 800 रुपए) अपील के लिए भेज दिए गए हैं; क्योंकि यह प्रायः निश्चित हो गया है कि जब प्रिवी कौंसिल में अपील दायर करने के लिए केवल एक कौंसिल नियुक्त किया जाता है, तब कम से कम इतना ही खर्च होता है। सबूत में या तो तार के मनीआर्डर की रसीद या बैंक के ड्राफ्ट की दूसरी प्रति या इसी प्रकार का दूसरा सबूत पेश करना चाहिए, जिससे इस बात का पता लग जाए कि रुपया भेज दिया गया है। इस संबंध में यह कहना अनुपयुक्त होगा कि जब मामला आगे बढ़ेगा तब 30 से 50 गिन्नयां (या 500 रुपया तक) के खर्चे की और भी आवश्यकता पड़ेगी।

यदि पहले पैराग्राफ में उल्लिखित तारीख तक इस प्रकार का सबूत पेश न किया जाएगा तो 7 नवंबर, 1930 को अपराधियों की फांसी का आर्डर निकाल दिया जाएगा।

## सरदार भगत सिंह की अपील नामंजूर

लंदन का 11 फरवरी का समाचार है, कि लाहौर षड्यंत्र-केस ट्रिब्यूनल द्वारा सन् 1930 की 7 अक्तूबर को किए गए 12 अभियुक्तों के फैसले के विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में जो अपील की गई थी, वह रद्द कर दी गई। अपील में यह कारण दिखाया गया था, कि ट्रिब्यूनल का निर्माण तथा उसकी कार्रवाई 'गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट' की 72 धारा के विरुद्ध थी। उसमें यह भी बतलाया गया था कि इस मामले में ऐसी कोई विशेषता न थी, जिसके कारण आर्डिनेंस लगाने की आवश्यकता प्रतीत हो और इसलिए इस मामले में आर्डिनेंस लगाना गवर्नर-जनरल के अधिकार के बाहर था। दरख्वास्त के संबंध में मि. के.सी. प्रिंट का वक्तव्य समाप्त होने पर सरकारी वकील को बिना बुलाए ही प्रिवी कौंसिल ने अपील रद्द कर दी। अपील का पूरा फैसला भी उस समय नहीं सुनाया गया। इस मामले के 12 अभियुक्तों में से सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव और श्री राजगुरु को फांसी की सजा, श्री किशोरी लाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव और कमलनाथ तिवारी को आजन्म कालेपानी की सजा और कुंदनलाल तथा प्रेमदत्त को क्रमशः सात और पांच वर्ष की सख्त सजा दी गई थी।

## महामना मालवीय जी का वाइसराय को तार

14 फरवरी को इलाहाबाद से पंडित मदनमोहन मालवीय ने वाइसराय को एक तार भेजा था, जिसमें उन्होंने सरदार भगत सिंह और श्री राजगुरु की फांसी की सजाएं रद्द करने की अपील की थी।

## श्री सेन गुप्ता का वक्तव्य

इलाहाबाद में 14 फरवरी को श्री जे. एम. सेन गुप्त ने एसोसिएटेड.प्रेस के प्रतिनिधि से मुलाकात में कहा है, कि चाहे महात्मा गांधी और लार्ड इर्विन में संधि हो या न हो; परंतु जब कभी कांग्रेस और गवर्नमेंट में संधि की आयोजना होगी तभी पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारियों की फांसी से उसमें भयंकर बाधा आएगी। और यद्यपि कांग्रेस उनके हिंसात्मक सिद्धांतों से सहमत नहीं है, तो भी संधि के योग्य शांत वातावरण बनाने के लिए उनकी फांसी की सजा रद्द कर देना अतीव आवश्यक है।

## अमृतसर के 10,000 नागरिकों की प्रार्थना

अमृतसर का 14 फरवरी का समाचार है, कि 'भगत सिंह अपील कमेटी' के सेक्रेटरी ने पत्रों को सूचित किया है कि वहां के 10,000 नागरिकों ने उस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वाइसराय से सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और श्री सुखदेव की फांसी की सजा रद्द करने की प्रार्थना की गई है। सेक्रेटरी ने यह भी सूचित किया है, कि इस संबंध में वाइसराय और राष्ट्रपति पंडित जवाहर लाल को यहां की बहुत-सी संस्थाओं ने 70 से भी अधिक तार भेजे हैं।

## 6 घंटे में 15,000 व्यक्तियों के दस्तखत

दिल्ली का 15 फरवरी का समाचार है, कि वहां के 15,000 व्यक्तियों ने वाइसराय से सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव, श्री राजगुरु की फांसी की सजा रद्द कर देने की प्रार्थना की है। इतने व्यक्तियों के दस्तखत प्रार्थना-पत्र पर केवल छह घंटों में लिए गए थे। दस्तखत करने वालों में असेंबली के मेंबर, वकील, बैरिस्टर, म्युनिसिपैलिटी के सदस्य, विद्यार्थी और अन्य सभी श्रेणियों के लोग सम्मिलित हैं। मि. चमनलाल स्वयं प्रार्थना-पत्र वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को देंगे। मालूम हुआ है कि 15,000 और व्यक्ति उस पर दस्तखत करेंगे। मंगलवार को दिल्ली के नागरिकों की एक सभा हुई थी, जिसमें असेंबली के कई सदस्यों ने इस बात की घोषणा की कि वे सरदार भगत सिंह, श्री राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा रद्द करने पर असेंबली में विशेष जोर देंगे।

## असेंबली में सर जेम्स का ऊटपटांग उत्तर

नई देहली का 17 फरवरी का समाचार है, कि आज श्री भगतराम पुरी ने प्रिवी कौंसिल से सरदार भगत सिंह की अपील रद्द किए जाने के संबंध में प्रश्न किया तो सर जेम्स क्रेरर सरकारी मेंबर ने उत्तर दिया, कि 5 फरवरी को सर जार्ज रेनी ने सरकार की नीति की व्याख्या कर दी है। (पाठकों को स्मरण होगा, सर जार्ज रेनी ने 5 फरवरी को असेंबली में वक्तव्य देते हुए कहा था, कि सरकार हिंसात्मक क्रांति के अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है) सरकार को यदि कोई दया के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री कबीरुद्दीन अहमद—क्या सरकार वकीलों की उस राय का ध्यान रखकर, जिसमें यह कहा गया है, कि फांसी के हुक्म पर केवल निर्णय करने वाले ट्रिब्यूनल को ही हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त था, फांसी रोकेगा ?

कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री कबीरुद्दीन अहमद—क्या सरकार अपने हित का ध्यान रखते हुए फांसी की सजा रोकेगी, क्योंकि अन्यथा इस कांड का जिम्मा सरकार पर रहेगा, और क्या सरकार ला-मेंबर तथा दूसरे कानूनज्ञों से इस विषय में सलाह लेगी ?

सर जेम्स क्रेरर ने कहा कि मैंने जो उत्तर दिया है वही पर्याप्त है।

श्री गया प्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताएगी, कि फांसी किस तारीख को दी जाएगी ?

सर क्रेरर—मैं कुछ भी और बताने में असमर्थ हूं।

श्री जी. पी. सिंह—क्या अगिनत प्रार्थना-पत्रों का ध्यान रखते हुए सरकार फांसी की सजा रोकेगी ?

सर जेम्स क्रेरर—मुझे दुख है कि मैं कुछ भी और कहने में असमर्थ हूं।

## काले 'बैज' लगाकर अदालत में प्रवेश

लाहौर में 11 फरवरी को जब नए लाहौर षड्यंत्र-केस की कार्यवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख पुनः प्रारंभ हुई। उस दिन केस के सभी अभियुक्त पंडित मोतीलाल की मृत्यु के शोक में अपनी बांहों पर शोक-सूचक काला कपड़ा बांधकर अदालत गए थे।

मुखबिर इंद्रपाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कि चंद्रशेखर ने मुझसे हंसराज उर्फ 'वायरलैस' से जाकर यह कहने को कहा, कि निश्चित षड्यंत्र की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद वे 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' के नाम से इश्तहार न निकाला करें, वरन पंजाब के दूसरे षड्यंत्रकारी दल के नाम से निकाला करें। श्री चंद्रशेखर आजाद ने मुझसे हंसराज से उन सब सदस्यों के नाम भी बतला देने के लिए कहा, जो मेरे नीचे कार्य कर रहे थे; क्योंकि हंसराज पंजाब के दल का संचालक था। सरनदास मुखबिर और प्रेमनाथ मेरे नीचे कार्य करते थे। मैं इसके बाद बैठक में आया और मैंने गुलाब सिंह और अन्य अभियुक्तों को बहावलपुर रोड पर एक घर में बम फटने का समाचार दिया। मैं बहावलपुर रोड के घर पर गया और वहां देखा कि पुलिस तहकीकात कर रही थी। मैंने पुलिस के वहां पहुंचने की सूचना चंद्रशेखर और यशपाल को दी।

## आतिशी चक्कर

1 जून को यशपाल 'दीदी' नाम की स्त्री के साथ मेरे घर आया और 2 जून को चला गया। पुलिस की तहकीकात के समय मुझे मालूम हुआ, कि उसका नाम सुशीला है।

3 जून को जब मैं बैठक में गया, तब मैंने हंसराज, अमीरचंद और रूपचंद को वहां बैठा हुआ पाया। मैं हंसराज और आजाद को एक कोने में ले गया और वहां मैंने उससे चंद्रशेखर का संदेश कह सुनाया। सलाह हो जाने के पश्चात उन्होंने पार्टी का नाम 'आतिशी चक्कर' रखा। हंसराज ने मुझसे कहा कि 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' ने बड़े मार्के के कार्य किए हैं—उदाहरणार्थ वाइसराय की गाड़ी पर बम फेंकना। परंतु उसका पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके दमन का बाजार गर्म है और वह अपनी जेलें खचाखच भरती जाती है। हंसराज ने यह भी कहा, कि मैं बम बनाकर भिन्न-भिन्न शहरों के मकानों में रखूंगा। एक-एक घर में दो-दो बम रखे जाएंगे। पहले एक बम फोड़ा जाएगा और जब पुलिस तहकीकात के समय दूसरे बम में हाथ लगाएगी तब वह उसी समय फट जाएगा और उससे पुलिस-आफिसर घायल होंगे। उसने कहा कि बम बहुत खतरनाक न रहेंगे; परंतु हां, उनसे मृत्यु हो जाने की संभावना अवश्य है। उन बमों में अधिक खतरनाक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

## पार्टी का समाचार-पत्र

हंसराज ने यह भी कहा, कि दल की ओर से 'बगावत' नाम का एक पत्र प्रकाशित किया जाएगा और उसे छापने के लिए एक प्रेस खोला जाएगा। उसने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा है, जिसे यदि इस बात का पता चल जाए कि षड्यंत्रकारी दल में हंसराज भी सम्मिलित है, तो वह हर प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हो जाएगा। परंतु हंसराज ने मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं बतलाया। पुलिस आफिसरों को घायल करने के लिए बम छोटे-छोटे संदूकों में रखे गए थे, जो संदूक छूते ही फूट जाने वाले थे। हंसराज ने संदूकें बनाने का भार लिया था और मैंने पाउडर पीसने का। इसके उपरांत हंसराज चला गया और मैंने उसके घर जाकर वह मजमून तैयार किया, जो कागज में लिख कर बम के साथ संदूक में रखा जाने वाला था। मुखबिर ने वह मजमून अदालत में पढ़ा और उसने कहा कि मैंने वह हंसराज को दिखा दिया था और उसने उसे मंजूर भी कर लिया था। हंसराज ने यह भी कहा कि मैं वह मजमून दल के दूसरे लोगों को भी दिखाऊंगा।

## मंदिर की यात्रा

मुखबिर ने कहा कि 5 जून को हंसराज और मैं मुखबिर खैरातीलाल से मिलने शाहदरा गए। वहां उसने कहा कि यदि हंसराज इस बात का विश्वास दिलाए कि वह षड्यंत्रकारी दल में है तो मैं आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार हूं।

खैरातीलाल को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए हंसराज और मैं सत्यनारायण के मंदिर में कुछ खाली बम ले गए और वहां उन्हें दिखाकर खैरातीलाल को विश्वास दिलाया। मुखबिर खैरातीलाल ने रुपया देने का वचन दिया। हंसराज शाहदरा में रह गया और मैं खाली बम लेकर वापस चला आया। इसके बाद मैं जहांगीरीलाल के घर एक ट्रंक में बम रखने गया। वहां से मैं उसकी बैठक में गया।

6 जून को जब मैं 'शेर खालसा' के आफिस में कार्य कर रहा था, तब रूपचंद मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि कृष्णगोपाल (अभियुक्त) आ गया है। मैंने देखा कि कृष्णगोपाल के साथ सरनदास (मुखबिर) भी आया है। मैं उन्हें अपनी बैठक में ले गया और वहां सरनदास ने अकेले में ले जाकर मुझसे कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बम तैयार कर सकता हूं, परंतु तुम्हें नमूने के लिए कुछ बमों के खोल देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं संचालक से पूछकर जवाब दूंगा। मैंने हंसराज से सब वृत्तांत कह सुनाया और उसने मुझे सरनदास को एक बम-शैल देने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञानुसार मैंने सरनदास को एक बम का खोल देकर विदा किया; परंतु कृष्णगोपाल नहीं गया।

7 जून को मैं बड़े सवेरे बैठक में गया। हंसराज यहां मौजूद थे। हम दोनों ने बम का प्रयोग करने का इरादा किया। हम दोनों बैठक से एक घी के कनस्टर में बम लेकर रावी के किनारे गए। वहां हमने बम एक झाड़ी के नीचे रख दिया और उसके साथ एक तार जोड़कर हमने बैटरी द्वारा उसमें बिजली का करंट पहुंचाया, जिससे बम तुरंत फूट पड़ा। इस प्रकार बम के उस प्रयोग में हम लोग सफल रहे।

सरनदास ने हमसे कहा कि रावलपिंडी में बम फट जाने से हम वहां बम नहीं बना सके। जब मैंने उससे बम के खोल वापस मांगे, तब उसने कहा कि मुझे इस बात का संदेह था कि खुफिया पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं लाया। वह रात्रि सरनदास ने मेरी बैठक में गुजारी। दूसरे दिन सबेरे वह हंसराज के पास गया। इसके बाद मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

## सरदार भगत सिंह से सहानुभूति-प्रदर्शन

12 फरवरी को, जब लाहौर का नया षड्यंत्र-केस फिर प्रारंभ हुआ, तब अभियुक्तों ने अदालत से कहा कि प्रिवी-कौंसिल से सरदार भगत सिंह की अपील रद्द होने का समाचार सुनकर उनका हृदय बिलकुल विचलित हो गया है और ऐसी परिस्थिति में, न तो वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और न अदालत में बैठ ही सकते हैं। इसलिए अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए। किंतु कोर्ट के ऐसा करने से इनकार करने पर सारे 'अभियुक्त' अदालत की ओर पीठ फेरकर खड़े हो गए और

उन्होंने कार्यवाही में किसी भी प्रकार का भाग लेने से इनकार कर दिया। अतएव अदालत को बाध्य होकर डेढ़ घंटे के लिए ट र्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी।

# मुंबई षड्यंत्र-केस

## लापता अभियुक्त श्रीमती दुर्गादेवी की खोज

12 फरवरी को मुंबई षड्यंत्र-केस में कार्यवाही फिर प्रारंभ हुई और उस दिन लेमिंगटन रोड पुलिस-स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गावदे की गवाही ली गई। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि 14 अक्तूबर को इंस्पेक्टर लायंस ने मुझे कुछ टिकटों के नंबर दिए और कहा कि लेमिंगटन रोड गोली-कांड के कुछ लापता अभियुक्त कल्याण से चालीस गांव गए हैं। बाद में उन्होंने मुझे चालीस गांव जाकर अभियुक्तों का पता लगाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञानुसार मैं चालीस गांव गया, परंतु वहां पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि अभियुक्त कानपुर की ओर गए हैं। मैं भी उनके पीछे कानपुर गया। वहां मुझे लाहौर की खुफिया पुलिस से यह मालूम हुआ, कि श्री भगवतीचरण की स्त्री श्रीमती दुर्गादेवी की हुलिया 'शारदा' से मिलती-जुलती है। वहां मुझे अजयकुमार घोष और विजय कुमार सिंह के नाम भी मालूम हुए, परंतु दुर्गादेवी का कुछ पता न लग सका। 20 अक्तूबर को मैं मुंबई लौट आया, और 27 को फोटो लेकर लाहौर गया। वहां से मैं कानपुर और दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने दिल्ली बम-केस के अभियुक्त कैलाशपति को फोटो दिखाए। उसने बुद्धिमान के फोटो को श्री सुखदेवराज का फोटो बतलाया। शारदा और हरि के संबंध में, कैलाशपति ने कहा कि मरते समय श्री भगवतीचरण ने उन्हें श्री विश्वनाथ राव वैशम्पायन के सुपुर्द कर दिया था। गवाह ने कहा कि कैलाशपति ने मुझे यह भी कहा था, कि श्रीमती दुर्गादेवी और हरि उसके साथ दिल्ली की हिमालयन टायलेट फैक्टरी, में ठहरे थे। उसने यह भी कहा, कि 10 अगस्त को वे उसके पास से चले गए थे। मुझे दिल्ली की खुफिया पुलिस से यह भी मालूम हुआ था, कि श्रीमती दुर्गादेवी और श्री भगवतीचरण लाहौर के नए षड्यंत्र-केस के अभियुक्त हैं। मैंने श्री कैलाशपति को लाहौर की खुफिया पुलिस का वह पत्र दिखाया जिसके अक्षर उससे मिलते-जुलते थे, जो पुलिस को तलाशी लेते समय विद्या विला (शांता क्रुज) में प्राप्त हुआ था। मैं शीघ्र मुंबई लौट आया और वहां मैंने कैलाशपति के वक्तव्य के अनुसार उन कपड़ों की जांच की, जो पुलिस ने विद्या विला (शांता क्रुज) की तलाशी लेते समय जब्त किए थे। जांच करने पर कपड़ों में दो पत्र मिले थे। कपड़े कैलाशपति की शिनाख्त के लिए दिल्ली भेज दिए गए थे। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

# वैलांट और भगत सिंह

भगत सिंह के मामले में प्रिवी कौंसिल के दृश्य का पटाक्षेप जिस शीघ्रता से हुआ है, वह आश्चर्यजनक है। यह कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कि पहले-पहल षड्यंत्र-केस आर्डिनेंस के विरुद्ध आवाज उठाने वाले स्वर्गीय पं. मोतीलाल जी नेहरू थे। वह प्रिवी कौंसिल की अपील में पूरा योग दे रहे थे। और यह भी कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कि उनकी यह प्रबल इच्छा थी, कि सरकार से समझौता करते समय इन तीनों नवयुवकों का जीवन बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया जाए। जब पंडित जी ने मसूरी में लाहौर से टेलिफोन द्वारा यह समाचार सुना, कि ट्रिब्यूनल ने तीन अभियुक्तों को फांसी-दंड दिया है, तो उन्होंने इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया कि सरकार से प्रिवी-कौंसिल में अपील करने के लिए अवधि ली जाए। उस समय, जब कि सारा देश उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित था, वे ट्रिब्यूनल के इस निर्णय पर इतनी अधीरता प्रकट कर रहे थे।

सुना जाता है, फांसी 18 फरवरी को लगेगी। 'भगत सिंह' आज हमारे कोष का एक नया शब्द है, किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं। राजनैतिक वक्तृताओं और सभाओं में लोग इस शब्द का उच्चारण करते हैं ! कोई उसकी तारीफ करता है तो कोई उसे कोसता है। थोड़े ही दिन की बात है, सर हैनरी क्रेक ने कौंसिल-चेंबर में बार-बार भगत सिंह का नाम अपने भाषण में रटा था। हम समझते हैं, कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर हैनरी क्रेक का यह कथन ठीक था, कि भारतवर्ष ने हिंसात्मक साधन पश्चिम से सीखे हैं।

जी हां, निश्चय ही भारतवर्ष इसके लिए पश्चिम का आभारी है। कभी-कभी तो पश्चिम का भारतवासियों ने ऐसा अनुकरण किया है, कि देखकर आश्चर्य होता है। भगत सिंह का असेंबली-कांड ही लीजिए। इसमें छोटी-छोटी बातें भी फ्रांस की घटना से मिलती हैं। फ्रांस के भगत सिंह का नाम 'वैलांट' था, जिसको सन् 1894 में फांसी पर लटकाया गया था। सभ्यता की व्यथाओं से व्यथित, वह दक्षिण अमेरिका में गया, परंतु वहां भी उसे वही अन्याय दिखाई दिया। वह अपने स्वदेश को वापस लौट आया और फिर उसे अन्यायपूर्ण समाज की याचना करनी पड़ी। उस दुखित जीवन से तंग आकर उसने एक भयंकर आयोजना की और वह बम लेकर उन व्यक्तियों के पास पहुंचा, जिनको वह सारे अन्याय की जड़ समझता था। पेरिस की चेंबर आफ डिपुटीज में उसने बम गिराया। अदालत में उसने अपना बयान उसी प्रकार का दिया था, जैसा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिया है। उसने कहा, "मेरे बम का धड़ाका केवल विद्रोही वैलांट का ही चीत्कार नहीं है, अपितु यह एक उस श्रेणी का चीत्कार है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है, और जो शीघ्र ही अपने शब्दों को कार्य-रूप में परिणत करेगी।" भगत सिंह और

दत्त द्वारा दुहराए गए ये शब्द भी इसी क्रांतिकारी के हैं। "बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है।" भाषण में केवल हिंसावाद ही नहीं था, कहीं-कहीं पर बड़े सुंदर भाव दिखाई देते हैं, "विचारों की गति रोकने से नहीं रुकती, जिस प्रकार गत शताब्दी में सरकारी शक्तियां डिडरोट और वाल्टेयर के स्वतंत्र विचारों को सर्व-साधारण तक पहुंचने से नहीं रोक सकीं, इसी प्रकार आजकल की सारी सरकारी शक्तियां, रेकल्यूज, डारविन, स्पेंसर और मिराब्यू के वह विचार, जिनके द्वारा सर्व-साधारण का अज्ञानांधकार दूर करके न्याय और स्वतंत्रता का उदय होता है, नहीं रोक सकतीं।"

फ्रांस के विद्वानों ने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर प्रेजिडेंट करनौर से उसकी जीवन-भिक्षा मांगी। परंतु देश की यह याचना प्रेजिडेंट द्वारा ठुकरा दी गई। फांसी लगाई गई। बहुत दिनों के पश्चात, जब किसी ने प्रेजिडेंट करनौर का कत्ल कर दिया, तो संसार ने देखा कि घातक के खंजर की मूठ पर खुदा हुआ था 'वैलांट'।

एक मित्र ने हमें बताया है, कि सरदार भगत सिंह ने असेंबली बम-कांड से पहले वैलांट की कहानी पढ़ी थी। इस साक्षी के बिना भी कोई पश्चिम के इस अहसान से इनकार नहीं कर सकता।

—'पीपुल' (अंग्रेजी)

## प्रिवी कौंसिल की अपील !

शोक है कि प्रिवी कौंसिल ने सरदार भगत सिंह तथा लाहौर के दूसरे अभियुक्तों की अपील रद्द कर दी। इस समय, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी अदालत ने सरदार भगत सिंह इत्यादि की अपील रद्द कर दी है, हम आशा करते हैं, कि हिज एक्सेलेंसी लार्ड इरविन भारतीय भावों की कद्र करते हुए सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करेंगे। ऐसी परिस्थिति में, जबकि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव कर लिया है, कि नीति बदलने की आवश्यकता है और भारतवासियों की मांगें पूरी की जा रही हैं, आवश्यकता है, कि लार्ड इरविन अपने विशेष अधिकारों द्वारा सरदार भगत सिंह और उनके सहयोगियों की रक्षा करें। हमें विश्वास है, कि वाइसराय के सहानुभूतिपूर्ण कार्य से भारतवर्ष के राजनैतिक वातावरण पर बहुत सुखदायक असर पड़ेगा। हम जानते हैं, कि लाहौर के अभियुक्तों को अपने प्राणों की कुछ भी परवाह नहीं। फांसी की रस्सी कुछ ही मिनटों में जीवन-मृत्यु की कशमकश समाप्त कर सकती है। परंतु सरदार भगत सिंह की मृत्यु प्रलय तक भारतीय हृदयों में घाव बनकर रहेगी। ब्रिटिश मान का भेद सरदार भगत सिंह की मृत्यु में नहीं, किंतु उनकी जीवन-रक्षा में छिपा है !

—'रियासत' (उर्दू)

## स्वर्गीय हरीकिशन के संबंध में–

स्वर्गीय हरीकिशन, जिनकी चर्चा पहले आ चुकी है, के विचाराधीन मामले को, दृष्टि में रखते हुए स्वर्गीय सरदार भगत सिंह ने जेल से अपने एक मित्र को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था, जिससे स्वदेश प्रिय नवयुवकों के रोष का सहज ही पता चलता है। हरीकिशन तथा भगत सिंह दोनों ही के फांसी पर लटक जाने से इस पत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। इतिहास-प्रिय पाठकों के लाभार्थ उसे ज्यों का त्यों यहां दिया जा रहा है। जिस मित्र के नाम यह पत्र लिखा गया था, वह हमें स्मरण नहीं आ रहा है :

## सरदार भगत सिंह का पत्र

"मुझे बहुत दुख है कि इस संबंध में लिखा हुआ मेरा पिछला पत्र अपने निर्दिष्ट स्थान पर ठीक समय से नहीं पहुंच सका और इसलिए वह निरर्थक हुआ अथवा अपने उद्देश्य की पूर्ति में सर्वथा असफल रहा। अतएव मैं तुम्हारे पास यह पत्र इसलिए भेज रहा हूं; कि तुम साधारणतः सारे राजनीतिक मामलों तथा विशेषतः षड्यंत्र-संबंधी मामलों में सफाई के संबंध में मेरे क्या विचार हैं, जान जाओ। पिछले पत्र में मैंने जिन बातों की विवेचना की है उनके अतिरिक्त इससे एक बात यह भी सिद्ध होगी; कि इस घटना के बाद मेरी बुद्धि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और यह पत्र इस बात का लिखित प्रमाण भी रहेगा।

"जो हो, मैंने उस पत्र में लिखा था कि वकीलों का बताया हुआ सफाई का रास्ता हमें अख्तियार नहीं करना चाहिए। परंतु हमारे-तुम्हारे विरोध करने पर भी वही हुआ। तथापि अब हम उस विषय पर अधिक गवेषणापूर्वक विचार कर सकते हैं और भविष्य में सफाई के संबंध में हमारी क्या नीति होनी चाहिए, इस संबंध में निश्चित सिद्धांत निर्धारित कर सकते हैं।

"तुम जानते हो, कि मैं सारे राजनीतिक अपराधियों के मामलों की सफाई का समर्थक रहा हूं। परंतु इसका यह मतलब नहीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का 'सौंदर्य' सर्वथा नष्ट हो जाए। (ध्यान रहे यहां 'सौंदर्य' का अर्थ कार्य के उस मूल अभिप्राय से है, जिसकी प्रेरणा से हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं) जब मैं यह कहता हूं, कि सभी राजनीतिक अभियुक्त अपने-अपने मामलों में सफाई दें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि इसमें कोई अपवाद नहीं है। उदाहरण द्वारा मैं इसे और भी स्पष्ट किए देता हूं। किसी खास उद्देश्य को लेकर कोई व्यक्ति कुछ कर बैठता है। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात उस कार्य का राजनीतिक महत्व घट नहीं जाना चाहिए ! उस कार्य की अपेक्षा वह कार्यकर्ता ही अधिक प्रसिद्ध न हो जाए। एक उदाहरण द्वारा

मैं इसे और भी स्पष्ट किए देता हूं। श्री हरीकिशन गवर्नर की हत्या करने आया। इस कार्य का मैं नैतिक विवेचन नहीं करना चाहता। मैं इस मामले के केवल राजनीतिक पहलू पर विचार प्रकट करना चाहता हूं। वह गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्भाग्यवश इस संबंध में कुछ पुलिस के अफसर हताहत हुए। अब सफाई का प्रश्न उपस्थित होता है। खैर, जब भाग्यवश गवर्नर बच गए, तो इस मामले में सच्ची घटनाओं का बहुत सुंदर बयान दिया जा सकता था, जैसा कि नीचे की अदालत में दिया गया था, और इससे कानूनी उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता। इसके बाद वकील की बुद्धिमत्ता और योग्यता सब-इंस्पेक्टर की मृत्यु के कारण का अर्थ निकालने पर निर्भर थी। वकील के इस कहने-मात्र से, कि वह गवर्नर को सिर्फ घायल करना चाहता था और मारने की मंशा उसकी न थी तथा ऐसी-ऐसी अन्य बातों से अभियुक्त को लाभ हुआ ? क्या ऐसी मंशा की संभावना का अनुमान कोई भी समझदार व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर सकता है ? क्या इसका कुछ कानूनी महत्व भी था ? बिलकुल नहीं; तब इस कार्य-विशेष का ही नहीं, वरन सारे आंदोलन के सौंदर्य को नष्ट करने से क्या लाभ हुआ ? चेतावनियों और सारहीन विरोधों से हमारा काम कब तक चल सकता है ? चेतावनी तो बहुत पहले ही दे दी गई थी। षड्यंत्रकारी-दल द्वारा शक्ति के अनुसार क्रांतिकारी युद्ध पूर्ण उत्साह से प्रारंभ कर दिया गया था ! वाइसराय की रेल-दुर्घटना असफल होने पर भी चेतावनी का स्वरूप नहीं थी। चटगांव की घटना, न तो चेतावनी थी और न विरोध ही। इसी प्रकार श्री हरीकिशन का यह कार्य भी युद्ध का एक अंश ही था—न कि चेतावनी। कार्य में चूक जाने पर अपराधी कार्य के परिणाम को एक खिलाड़ी की तरह निर्द्वंद्वतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। काम कर चुकने पर उसे गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर प्रसन्न होना चाहिए था। किसी व्यक्ति की हत्या से हमारा कोई मतलब नहीं सधता। इन कार्यों का राजनीतिक महत्व है। क्योंकि ये एक ऐसी मनोवृत्ति और वायु-मंडल की रचना करते हैं, जो कि अंतिम युद्ध के लिए अत्यंत आवश्यक है। अस्तु ! वैयक्तिक कार्यों की सार्थकता इसी में है, कि जन-साधारण की नैतिक सहानुभूति अपनी ओर आकृष्ट कर सके। कभी-कभी हम इन कार्यों को 'क्रियात्मक प्रचार' (Propaganda) कहकर पुकारते हैं।

"इस संपूर्ण विवेचन का आशय यह है, कि उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए ही लोगों को अपनी सफाई देनी चाहिए। यह एक साधारण सिद्धांत है, कि पारस्परिक प्रतिद्वंद्वी दल सदैव अधिक प्राप्त करने और कम खोने की कोशिश करता है। कोई भी जनरल ऐसी नीति अख्तियार नहीं कर सकता, जिसमें उसे प्राप्त करने की अपेक्षा खोने की अधिक संभावना हो। मुझसे बढ़कर हरीकिशन की मूल्यवान जिंदगी को बचाने की चिंता किसी को न होगी; परंतु मैं तुम्हें जता देना चाहता हूं, कि जो वस्तु उसके जीवन को अमूल्य बना देती है, उसे हमें किसी प्रकार भी विस्मरण

नहीं कर देना चाहिए। किसी भी भांति जान बचा लेना हमारी नीति नहीं है। यह कांग्रेस की या आराम-कुर्सी पर बैठने वाले राजनीतिज्ञों (Arm chair politicians) की नीति भले ही हो; परंतु हमारी नीति यह कदापि नहीं है !

"सफाई की नीति अधिकांशतः स्वयं अपराधी के विचार पर ही निर्भर है। परंतु यदि स्वयं अपराधी भयभीत और विचलित नहीं है, बल्कि पहले की तरह ही उत्साहपूर्ण है, तो उसके उस कार्य का, जिसके लिए उसने अपने जीवन को संकट में डाला है, पहले विचार होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत प्रश्न का विचार उसके बाद होना चाहिए। फिर भी कुछ भ्रम हो सकता है। अर्थात ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनका स्थानीय महत्व अधिक और सार्वदेशिक महत्व कुछ भी न हो, वहां अपराधी को मायावेश में अपने अपराध को कदापि स्वीकार न कर लेना चाहिए।

"श्री निर्मलकांत राय का सुप्रसिद्ध मामला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। परंतु इस प्रकार के महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों में व्यक्तिगत पहलू का ख्याल राजनीतिक पहलू की अपेक्षा अधिक (नहीं ?) होना चाहिए। यदि तुम हरीकिशन वाले मामले के संबंध में मेरे निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार जानना चाहते हो, तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह मुकदमा कानूनी पेशे की दंभपूर्ण बलिवेदी पर अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की राजनीतिक हत्या है ! !

"यहां मैं एक और बात का जिक्र भी कर देना चाहता हूं, वह यह, कि जिन लोगों पर इस मामले के गला घोंट डालने का उत्तरदायित्व है, वे मुकदमे के परिणाम के बाद अपनी गलती समझ लेने पर भी अपनी जिम्मेदारी को संभाल न सकने के कारण, हमारे नवयुवक साथी के महान चरित्र के सौंदर्य को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

"यह अत्यंत लज्जाजनक झूठ है। वास्तव में आज तक जितने ऐसे युवक मुझे मिले, उन सबमें वह अत्यंत बहादुर लड़का था। लोगों को हम पर दया रखनी चाहिए। अच्छा हो कि वे लोग हमें भूल जाएं, इसकी अपेक्षा, कि हमारी रक्षा के नाम पर हमें अंध-पतित और निंदित बना दें।

"वकीलों को भी इतना निःशंक नहीं हो जाना चाहिए, कि ऐसे नवजवानों के जीवन, नहीं-नहीं, मृत्यु का भी दुरुपयोग करें, जो अपने को विपन्न मानव-समाज की मुक्ति जैसे उत्तम उद्देश्य के लिए निछावर कर देते हैं। वास्तव में मुझे यह देखकर अपार वेदना होती है, कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं में भी हम सत्तावाद का भाव उत्पन्न कर रहे हैं अन्यथा क्यों कोई वकील इतनी अधिक फीस मांगे, जितना कि उपरोक्त मामलों में दिया गया है ?

"राजविद्रोहात्मक मामलों में तुम्हें बता देता हूं, कि किस सीमा तक हम सफाई पेश कर सकते हैं। पिछले साल हमारा एक साथी जब साम्यवादी भाषण देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और जब उसने अपने को निर्दोष बताया, तब हमारे

आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे मामलों में हमें अपने उसूल और सिद्धांत के प्रचार की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और स्वतंत्र भाषण का अधिकार मांगना चाहिए। परंतु यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जुर्म लगाया जा रहा हो, जिसने वैसी बातें नहीं कही हों, और वे बातें आंदोलन के हित की विरोधिनी हों, तो उस दशा में हमें अवश्य अभियोग अस्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि वर्तमान आंदोलन में कांग्रेस को इसलिए, कि बिना सफाई पेश किए अपने आदमियों को जेल जाने की अनुमति दी है, उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा है—मेरे विचार से यह एक भूल थी। जो हो, मेरा अनुमान है कि तुम मेरे पिछले पत्र के साथ-साथ यह पत्र पढ़ रहे हो; तुम राजनीतिक मामलों में सफाई के संबंध में मेरे विचार जान गए होंगे ! श्री हरीकिशन के मुकदमे के संबंध में मेरी राय यह है, कि हाईकोर्ट में अवश्य ही उसकी अपील की जाए और उसे बचाने की पूरी चेष्टा की जाए।

"आशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के संबंध में सही बातों पर पर्याप्त प्रकाश डालेंगे।"

तुम्हारा...

## सरदार की सरदारी

—पंजाब सरकार ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 3 मार्च तक दया की प्रार्थना कर देने की मोहलत दी थी। इन्होंने दया की प्रार्थना नहीं की, मगर सुपरिंटेंडेंट जेल की इजाजत से एक पत्र पंजाब सरकार को लिखा। उस पत्र में लार्ड इर्विन और महात्मा गांधी के दरम्यान सुलह की बातचीत का भी जिक्र है। महात्मा जी की बातों पर निराशा प्रकट की गई है।

पत्र में लिखा है, कि महात्मा जी हमें तो क्या छुड़वाएंगे, यदि वे उन निर्दोष लड़कियों को जिन पर बमबाजी का अभियोग लगाया गया है और जो डर के मारे शहर-शहर भागती फिरती हैं, छुड़वा सकें, तो बड़ी बात होगी।

सरकार को संबोधन करते हुए इस चिट्ठी में लिखा गया है, कि हम युद्ध के कैदी हैं। इन अर्थों में हम राजबंदी (शाही कैदी) हैं। हमारे साथ वही सलूक होना चाहिए जो युद्ध के कैदियों के साथ होता है। या तो युद्ध के समाप्त होने पर हमें छोड़ दिया जाए या गोली से उड़ा दिया जाए। राष्ट्रीय सैनिकों को कोई सरकार फांसी पर नहीं चढ़ाती। सरकार हमें गोली से उड़ाने के लिए फौजी सिपाहियों को जेल में भेज सकती है। हमें फांसी के तख्ते पर लटकाने का कोई अर्थ नहीं।

# स्व. सुखदेव की चिट्ठी

'यंग इंडिया' में स्वर्गीय सुखदेव का एक पत्र छपा था, जो उन्होंने फांसी के कुछ ही पूर्व महात्मा जी के पास भेजा था—जिसका उत्तर भी महात्मा जी के 'यंग इंडिया' में प्रकाशित हुआ था। दोनों इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री सुखदेव का पत्र हिंसात्मक विचार के पक्षपातियों के सिद्धांत जनता के सामने उपस्थित करता है और महात्मा जी का उत्तर अहिंसात्मक सिद्धांतों का परिचायक है, अतएव पाठकों के विवेचनार्थ दोनों ही पत्रों का अविकल अनुवाद नीचे दिया जा रहा है :

अत्यंत सम्मान्नीय महात्मा जी,

आजकल के नए समाचारों से मालूम होता है, कि आपने संधि-चर्चा के बाद से क्रांतिकारियों के नाम कई एक अपीलें निकाली हैं, जिनमें आपने उनसे कम से कम वर्तमान समय के लिए अपने क्रांतिकारी आंदोलन को रोक देने के लिए कहा है। वास्तविक बात यह है, कि किसी आंदोलन को रोक देने का काम कोई सैद्धांतिक या अपने वश की बात नहीं है। समय-समय की आवश्यकताओं का विचार करके आंदोलन के नेता अपने और अपनी नीति में परिवर्तन किया करते हैं।

हमारा अनुमान है, कि संधि के वार्तालाप के समय आप एक क्षण के लिए भी यह बात न भूले होंगे, कि यह समझौता कोई अंतिम समझौता नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इतना तो सभी समझदार व्यक्तियों ने समझ लिया होगा, कि आपके सब सुधारों के मान लिए जाने पर भी देश का अंतिम लक्ष्य पूरा न हो जाएगा। कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस के प्रस्तावानुसार स्वतंत्रता का युद्ध, तब तक लगातार जारी रखने के लिए बाध्य है, जब तक पूर्ण स्वाधीनता न प्राप्त हो जाए। बीच-बीच की संधियां और समझौते क्षणिक विराम-मात्र हैं। जिनमें अगली लड़ाई के लिए अधिकाधिक शक्ति संगठित करने का अवसर मिलता है। उपरोक्त सिद्धांत पर ही किसी प्रकार का समझौता या विराम-संधि की कल्पना की जा सकती है।

समझौते के लिए उपयुक्त अवसर का तथा शर्तों का विचार करना नेताओं का काम है। यद्यपि लाहौर के पूर्ण स्वाधीनता वाले प्रस्ताव के होते हुए भी आपने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, फिर भी वह प्रस्ताव ज्यों का त्यों बना हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के क्रांतिकारियों का ध्येय इस देश में सोशलिस्ट प्रजातंत्र प्रणाली स्थापित करना है। इस ध्येय में संशोधन के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं है। वे तो अपना संग्राम, जब तक कि ध्येय न प्राप्त हो जाए और आदर्श की पूर्ण स्थापना न हो जाए, तब तक बराबर जारी रखने के लिए बाध्य हैं। परंतु वे परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ अपनी युद्ध-नीति भी बदलते रहना जानते हैं। क्रांतिकारियों का युद्ध भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न स्वरूप

धारण कर लेता है; कभी वह प्रकट रूप रखता है, कभी गुप्त रूप धारण कर लेता है; कभी केवल आंदोलन के रूप में हो जाता है और कभी जीवन और मृत्यु का भयानक संग्राम करने लग जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में क्रांतिकारियों के सामने आंदोलन रोक देने के लिए कुछ विशेष कारणों का होना तो आवश्यक ही है। परंतु आपने हम लोगों के सामने ऐसा कोई निश्चित कारण उपस्थित नहीं किया, जिस पर विचार करके हम अपना आंदोलन रोक दें। केवल भावुक अपीलें क्रांतिकारियों के संग्राम में कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकतीं।

समझौता करके आपने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, जिसके फलस्वरूप आपके आंदोलन के सब बंदी छूट गए हैं। परंतु क्रांतिकारी बंदियों के विषय में आप क्या कहते हैं ? सन्, 1915 के गदर पार्टी वाले राजबंदी अब भी जेलों में सड़ रहे हैं, यद्यपि उनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं। कोड़ियों मार्शल-ला के बंदी अब भी जीवित ही कब्रों में गड़े हैं ! इसी प्रकार दर्जनों बब्बर अकाली कैदी जेल-यातना भोग रहे हैं। देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र-केस के अनेक राजबंदी अब भी जेलों में बंद हैं। आधे दर्जन से अधिक षड्यंत्र-केस लाहौर, दिल्ली, चटगांव, मुंबई, कलकत्ता आदि स्थानों में चल रहे हैं। दर्जनों क्रांतिकारी फरार हैं, जिनमें बहुत-सी स्त्रियां हैं। आधे दर्जन से अधिक कैदी अपनी फांसियों की बाट जोह रहे हैं इन सबके विषय में आप क्या कहते हैं ? लाहौर षड्यंत्र-केस के तीन राजबंदी, जिन्हें फांसी देने का हुक्म हुआ है और जिन्होंने संयोगवश देश में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है, क्रांतिकारी दल के सब कुछ नहीं हैं। दल के सामने केवल इन्हीं के भाग्य का प्रश्न नहीं है। वास्तव में इनकी सजाओं के बदल देने से देश का उतना कल्याण न होगा, जितना कि इन्हें फांसी पर चढ़ा देने से होगा।

परंतु इन सब बातों के होते हुए भी आप इनसे अपना आंदोलन खींच लेने की सार्वजनिक अपीलें कर रहे हैं। वे अपना आंदोलन क्यों रोक लें, इसका आपने कोई निश्चित कारण नहीं बतलाया ? ऐसी परिस्थिति में आपकी इन अपीलों के निकालने का मतलब तो यही है, कि आप क्रांतिकारियों के आंदोलन को कुचलने में नौकरशाही का साथ दे रहे हैं ! आप इन अपीलों के द्वारा स्वयं क्रांतिकारी दल में विश्वासघात और फूट की शिक्षा दे रहे हैं। अगर यह बात न होती, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह था कि आप कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों से मिलकर इस विषय की संपूर्ण बातचीत कर लेते। आपको उन्हें आंदोलन खींच लेने की सलाह देने के पहले अपने तर्कों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए था। मेरा ख्याल है, कि साधारण जन-समुदाय की तरह आपकी भी यह धारणा न होगी; कि क्रांतिकारी तर्कहीन होते हैं और उन्हें केवल विनाशकारी कार्यों में ही आनंद आता है। हम आपको बतला देना चाहते हैं, कि यथार्थ में बात इसके बिल्कुल विपरीत है। वे प्रत्येक

कदम आगे बढ़ाने के पहले अपनी चतुर्दिक परिस्थितियों का विचार कर लेते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान हर समय बना रहता है। वे अपने क्रांतिकारी विधान में रचनात्मक अंश की उपयोगिता को मुख्य स्थान देते हैं, यद्यपि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें केवल विनाशात्मक अंश की ओर ध्यान देना पड़ा है।

गवर्नमेंट क्रांतिकारियों के प्रति पैदा होने वाली सार्वजनिक सहानुभूति तथा सहायता को नष्ट करके किसी तरह उन्हें कुचल डालना चाहती है। अकेले में वे सहज ही कुचल दिए जा सकते हैं। ऐसी हालत में किसी प्रकार की भावुक अपील निकालकर उनमें विश्वासघात और फूट पैदा करना, बहुत ही अनुचित और क्रांति-विरोधी कार्य होगा। इसके द्वारा गवर्नमेंट को, उन्हें कुचल डालने में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है।

इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, कि या तो आप कुछ क्रांतिकारी नेताओं से, जो कि जेलों में हैं, इस विषय में कोई बातचीत करके कुछ निर्णय कर लीजिए या फिर अपीलें बंद कर दीजिए। कृपा करके उपरोक्त दो मार्गों में से किसी एक का अनुसरण कर लीजिए और जिसका अनुसरण कीजिए, उसे पूरे दिल से कीजिए। अगर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कृपा करके उन पर रहम कीजिए और उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। वे अपनी रक्षा अपने आप कर लेंगे। वे अच्छी तरह से जानते हैं, कि भविष्य के राजनीतिक युद्ध में उनका नायकत्व निश्चित है। जनसमुदाय उनकी ओर बराबर बढ़ता आ रहा है और वह दिन दूर नहीं है, जब कि उनके नेतृत्व में और उनके झंडे के नीचे जन-समुदाय उनके सोशलिस्ट प्रजातंत्र के उच्च ध्येय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।

या, यदि आप सचमुच उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण समझने के लिए उनसे बातचीत कीजिए और संपूर्ण समस्या पर विस्तार के साथ विचार कर लीजिए।

आशा है, आप उपरोक्त प्रार्थना पर कृपया विचार करेंगे और अपनी राय सर्व-साधारण के सामने प्रकट कर देंगे।

आपका,
'अनेक में से एक'

# अनेक में से एक (?)

## महात्मा गांधी का उत्तर

'अनेक में से एक' द्वारा लिखित यह पत्र, सुखदेव का पत्र है। श्रीयुत सुखदेव सरदार भगत सिंह के साथी थे। उपरोक्त पत्र उनकी मृत्यु के बाद मुझे मिला था।

समयाभाववश मैं इस पत्र को इससे पहले नहीं प्रकाशित कर सका। पत्र ज्यों का त्यों छाप दिया गया है।

पत्र का लेखक 'अनेक में से एक' नहीं है। अनेक राजनीतिक स्वाधीनता के लिए फांसी नहीं स्वीकार करते। राजनीतिक हत्या चाहे कितनी ही निंदनीय क्यों न हो, परंतु ऐसे भयानक कार्यों के लिए प्रेरित करने वालों से, उनका देश-प्रेम और साहस छिपाए नहीं छिप सकता। हमें इस बात की आशा करनी चाहिए कि राजनीतिक हत्या का पंथ बढ़ने न पाए। यदि स्वाधीनता प्राप्त करने का भारतीय प्रयोग सफल हो गया, जिसकी सफलता में कोई संदेह नहीं है, तो राजनीतिक हत्या का पेशा दुनिया से सदैव के लिए उठ जाएगा। जो हो, मैं तो इसी विश्वास को लेकर अपना काम कर रहा हूं।

पत्र-लेखक का यह कहना ठीक नहीं है, कि मैंने क्रांतिकारियों से उनके आंदोलन स्थगित कर देने के लिए केवल भावुक अपीलें की हैं, विपरीत इसके मेरा तो दावा है, कि मैंने उन्हें वैसा करने के ठोस कारण बतलाए हैं। यद्यपि उन कारणों को मैं कई बार इस पत्र के कालमों में प्रकाशित कर चुका हूं, फिर भी उन्हें यहां दुहराता हूं :

(1) क्रांतिकारी कार्रवाइयों से हम ध्येय के निकट नहीं पहुंचे।

(2) इनके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया है।

(3) इनके कारण सरकार का दमन-चक्र बढ़ गया है, जिससे देश को कोई लाभ नहीं हुआ।

(4) जब-जब कहीं क्रांतिकारियों द्वारा कोई हत्या हुई है, तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है।

(5) क्रांतिकारी कार्रवाइयों द्वारा जन-समुदाय की जागृति में कोई सहायता नहीं पहुंची।

(6) जन-समुदाय पर इनके कामों का असर दो तरह से बुरा पड़ा है। एक तो जनता को अतिरिक्त व्यय का भार सहन करना पड़ा है, दूसरे सरकार के अप्रत्यक्ष क्रोध का निशाना बनना पड़ा है।

(7) भारत की भूमि तथा उसकी परंपरा क्रांतिकारी हत्याओं के उपयुक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो शिक्षा मिलती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक हिंसा यहां उन्नति नहीं कर सकती।

(8) यदि क्रांतिकारी, जनसमुदाय को अपने मत में परिवर्तित कर लेने का विचार करते हैं, तो उस हालत में हमें स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा तथा अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

(9) यदि जनसाधारण हिंसात्मक उपाय का समर्थक हो भी जाए, तो उसका परिणाम अंत में अच्छा नहीं हो सकता। यह उपाय, जैसा कि दूसरे देशों में हुआ

है, स्वयं उस उपाय के संचालकों को ही नष्ट कर देता है।

(10) क्रांतिकारियों के सामने उनके विपरीत उपाय अहिंसा की सार्थकता का भी प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो चुका है। उन्होंने देखा होगा, कि अहिंसात्मक आंदोलन, क्रांतिकारियों की स्फुट हिंसा तथा कुछ-कुछ स्वयं अहिंसात्मक आंदोलन वालों की हिंसा के होते हुए भी, कैसे बराबर अपनी गति पर चलता रहा।

(11) क्रांतिकारी मेरी इस बात को मान लें, कि उनके आंदोलन ने अहिंसात्मक आंदालनों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि हानि ही पहुंचाई है। यदि देश का वातावरण पूर्ण रीति से शांत रहता तो हम अपने लक्ष्य को अब से पहले ही प्राप्त कर चुके होते।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कि उपरोक्त बातें ठोस सत्य हैं, केवल भावुक अपीलें नहीं हैं। पत्र-लेखक ने, मैंने क्रांतिकारियों से अब तक जो सार्वजनिक अपीलें की हैं, उनका विरोध किया है। लेखक का कहना है कि इन सार्वजनिक अपीलों को निकालकर मैंने नौकरशाही को क्रांतिकारियों के आंदोलन दबाने में सहायता की है। नौकरशाही को क्रांतिकारी आंदोलन दबाने के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह तो अपने अस्तित्व के लिए क्रांतिकारियों से और मुझसे दोनों से लड़ रही है। उसे अहिंसात्मक आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन की अपेक्षा अधिक भयानक मालूम होता है। वह हिंसात्मक आंदोलन का सामना करना तो जानती है; परंतु अहिंसात्मक से घबराती है, जिसने उसकी जड़ बहुत पहले ही हिला दी है।

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जीवन-पथ पर पैर रखने के पहले ही समझ लेते हैं, कि उन्हें अपने कार्यों का कौन-सा मूल्य देना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में संभवतः मेरा कोई भी कार्य उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अधिक आशंकाजनक नहीं बना सकता।

यह जानकर, कि क्रांतिकारी दल अपनी कार्रवाइयों को छिपकर करता है, मेरे पास उस दल के अज्ञात सदस्यों तक अपील पहुंचाने का, सिवा सार्वजनिक रूप से लिखने के और कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। मैं कह सकता हूं, कि मेरी सार्वजनिक अपीलें बिल्कुल निरर्थक नहीं गईं। मेरे सहयोगियों में पहले के बहुत से क्रांतिकारी हैं।

पत्र-लेखक की शिकायत है कि सत्याग्रही राजबंदियों के अतिरिक्त दूसरे राजबंदी नहीं छोड़े गए। 'यंग इंडिया' के पृष्ठों में लिखकर मैं बतला चुका हूं कि किन कारणों से अन्य राजनीतिक बंदियों के छोड़ने के विषय में मैं ज्यादा जोर नहीं दे सका। स्वयं मैं तो सब बंदियों के छूट जाने के पक्ष में हूं, और मैं उनके छुटकारे के लिए कोई प्रयत्न उठा न रखूंगा। मुझे मालूम है, कि कुछ बंदियों को तो अब से बहुत पहले ही छूट जाना चाहिए था। कांग्रेस ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पास किया है। उसने श्रीयुत नैरीमन को अब तक के न छूटे हुए राजबंदियों की

नामावली बनाने का काम सौंप दिया है। नामावली तैयार हो जाते ही उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। परंतु जो लोग छूट चुके हैं उन्हें क्रांतिकारी हत्याओं को रोककर हमारी सहायता करनी चाहिए। हत्या और छुटकारा दोनों बातें साथ-साथ नहीं हो सकतीं। निस्संदेह ऐसे भी राजबंदी हैं, जिन्हें तो हर हालत में छुड़ाना पड़ेगा। मैं इस संबंध में लोगों को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं, कि राजबंदियों के छुटकारे में देरी का कारण हमारी इच्छा की कमी नहीं है, वरन योग्यता की कमी है। यह भी याद रहे, कि यदि स्थायी समझौता हो गया तो संपूर्ण राजनीतिक बंदियों को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि स्थायी समझौता न हुआ, तो अभी जो लोग बाहर उनके छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे उन्हीं के साथ जेल के अंदर दिखलाई पड़ेंगे ! !

## स्वर्गीय सुखदेव का कथित-पत्र

स्वर्गीय सुखदेव के पास एक ऐसी चिट्ठी पाई जाने के विषय में—जिससे मि. सांडर्स की हत्या करने की बात स्वीकार की गई बतलाई जाती है—गवर्नमेंट की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी उसे पाठकों के मनोरंजनार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है :

लाहौर और युक्त प्रांत की क्रांति के मामले में सजा पाने के पहले भगत सिंह को छोड़कर सभी अभियुक्त बोर्स्टल जेल के एक हिस्से में रखे गए थे, जहां साधारणतया विचाराधीन कैदी रखे जाते हैं। भगत सिंह को असेंबली बम-केस में सजा मिल चुकी थी, इसलिए वे लाहौर सेंट्रल जेल में रखे गए थे।

7 अक्तूबर, 1930 को सजा सुनाई जाने के बाद नियमानुसार अभियुक्तों को सेंट्रल जेल में भेजे जाने की आज्ञा दी गई। यह स्थान-परिवर्तन पुलिस के पहरे में किया जाता है, अतः यहां भी पुलिस का प्रबंध किया गया। पुलिस के अफसर ने नियमानुसार अपने अधीन कैदियों की तलाशी ली। सुखदेव के हाथ में एक असमाप्त चिट्ठी पाई गई, जो हिंदी में थी। इसे वह नष्ट कर देने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु नष्ट होने के पहले ही वह छीन ली गई। यह पत्र प्राप्त होने के बाद से ही एक जवाबदेह सरकारी अफसर के पास रखा गया। लेखक की अंतिम अपील के फैसले तक के लिए पत्र का प्रकाशन रोक लिया गया था। जनता की जानकारी के लिए पत्र का मजमून यहां दिया जाता है :

"प्यारे भाई, बहुत दिनों से मेरे हृदय में कुछ ऐसे भाव उठ रहे थे, जिन्हें कतिपय कारणों से मुझे अब तक दबाना पड़ा था; किंतु मैं अब अधिक उन्हें नहीं दबा सकता और अब ऐसा करना ठीक भी नहीं समझता हूं। मैं नहीं कह सकता, मेरे इस प्रकार के भावों को आप किस दृष्टि से देखेंगे। न मालूम आप उन पर ध्यान देंगे या नहीं और आप उन्हें पसंद करेंगे या नहीं। किंतु मैं जो ठीक समझता हूं

वही कर रहा हूं। उनके अनुसार कार्य करना आपकी इच्छा पर है। यदि आप इस पत्र का उत्तर दें तो बहुत अच्छी बात हो। इससे लाभ यह होगा, कि मेरा भ्रम-निवारण हो जाएगा। और मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि जेल की चहारदीवारी के भीतर बंद रहने से मेरी विचारशक्ति तो नष्ट नहीं हो गई है, जिससे मैं व्यावहारिक क्षेत्र से दूर हटकर केवल हवाई किले बनाने में मस्त हूं।''

## कार्य

''हम लोगों के जेल में आने के बाद से, बाहर की आबोहवा कुछ गर्म रही है। 'कार्य' के विषय में अखबारों से यह पता चलता है, कि प्रत्येक प्रांत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में, परिस्थिति कठिन है। वहां बम तो खेल-सा हो गया है। पहले कभी इतने 'कार्य' नहीं किए गए थे। इन्हीं कार्यों के विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं; और इन 'कार्यों' के संबंध में अपनी सम्मति प्रकट करने के उपरांत मैं अपनी संस्था की इस 'कार्य' विषयक नीति को बताऊंगा।

'हम लोगों ने केवल दो 'कार्य' किए, एक तो सांडर्स की हत्या और दूसरा असेंबली में बम-कांड। इससे पहले भी हम लोगों ने दो-तीन बार प्रयत्न किया था, किंतु सफलता नहीं मिली थी। इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, कि हम लोगों के कार्य तीन प्रकार के थे—(1) प्रचार, (2) धन, (3) विशेष। इन तीनों में हमारा विशेष ध्यान, प्रचार-कार्य की ओर था। अन्य दो पर आवश्यकता पड़ने पर ही ध्यान दिया जाता था। इससे मेरा मतलब यह नहीं है, कि उनका महत्व कम था, किंतु हमारे अस्तित्व का उद्देश्य था, प्रचार-कार्य। अन्य दो प्रकार के कार्य हमारे उद्देश्य नहीं थे। इन तीनों विषयों को साफ-साफ समझाने के लिए मैं आपके सामने ये तीन घटनाएं रखता हूं—(1) असेंबली-कांड, (2) पंजाब नेशनल बैंक की डकैती, (3) जगदीश चटर्जी को छुड़ाने का प्रयत्न।''

## प्रचार

''मैं पिछले दोनों प्रकार के 'कार्यों' को छोड़कर यहां पर प्रचार-कार्य के ऊपर विचार करना चाहता हूं। प्रचार शब्द से शायद इस प्रकार के कार्यों का बोध नहीं होता है। असल में ये कार्य जनता की इच्छा के अनुकूल ही होते थे। उदाहरणार्थ सांडर्स की हत्या का ही कार्य ले लीजिए। जब लाला जी पर लाठी चलाई गई, तो सारे देश में बहुत ही खलबली मच गई। सरकार आग में और भी घी छिड़कने लगी। जनता बहुत ही असंतुष्ट हो गई। जनता का ध्यान विप्लववादियों की ओर आकर्षित करने का यह अच्छा मौका हम लोगों के हाथ में था।

"सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि एक आदमी पिस्तौल लेकर जाए और स्काट को मारकर अपना आत्मसमर्पण कर दे। अपने बयान में वह कहे कि जब तक विल्पववादी जीवित हैं; तब तक राष्ट्रीय अपमान का बदला इसी प्रकार लिया जाएगा। यह भी सोचा गया था कि तीन आदमी भेजे जाएं, क्योंकि मनुष्य की शक्ति बहुत कमजोर है। इसमें भी अपने बचाने का हमारा कोई प्रधान उद्देश्य नहीं था। ऐसा करने की इच्छा भी नहीं थी। हमारा विचार था कि हत्या के बाद यदि पुलिस हमारा पीछा करे तो उसका मुकाबला किया जाए। और जो जीता बचे और गिरफ्तार किया जाए, वह अपना बयान दे।"

## प्रयत्न

"यह विचार कर, हम लोग डी. ए. वी. कालेज के होस्टल में आए। कार्य के समय ऐसा प्रबंध किया गया था कि भगत सिंह, जो स्काट को पहचान सकता था, पहली गोली दागे और राजगुरु थोड़ी दूर पर खड़ा होकर भगत सिंह की रक्षा करे और यदि कोई भगत सिंह पर आक्रमण करे तो राजगुरु उसका मुकाबला करे। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु दोनों भाग जाएं। भागते समय पीछा करने वालों का मुकाबला करना संभव नहीं है; इसलिए पंडित जी उन पीछा करने वालों से उनकी रक्षा करने के लिए तैनात रहें। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निश्चय किया था कि अपनी जान बचाने की अपेक्षा उसके मारने की ओर ही विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारी गोली का शिकार अस्पताल में मरे। इसी कारण राजगुरु के गोली दागने पर भी भगत सिंह ने तब तक गोली छोड़ना बंद नहीं किया जब तक कि उसे विश्वास नहीं हो गया कि उसका कार्य सिद्ध हो गया।"

## राजनैतिक हत्या

"हत्या के बाद भागना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम लोग जनता में यह विचार उत्पन्न कर देना चाहते थे कि यह एक राजनैतिक हत्या थी और इसमें भाग लेने वाले मलंगी के साथी नहीं बल्कि विप्लववादी थे इसलिए हम लोगों ने इसके बाद पर्चे चिपकाए और कुछ पर्चे प्रकाशनार्थ भी भेजे।

"दुख है कि उस समय न तो हमारे नेताओं ने और न प्रेस वालों ने ही हमें कोई सहायता पहुंचाई और सरकार को धोखा देने के लिए उन लोगों ने अपने देशवासियों को धोखा दिया। हम लोग चाहते थे कि वे जरा घुमा-फिराकर यह लिखें कि यह हत्या एक राजनैतिक हत्या थी और यह सरकार की नीति का फल था और सरकार ही ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी थी। किंतु यह सब बातें जानते हुए भी

और मेरे बार-बार कहने पर भी उन लोगों ने ऐसा कहने का साहस नहीं किया। यह अच्छा हुआ कि हम लोग गिरफ्तार हो गए और जनता के सामने सारा भेद खुल गया। प्यारे भाई, केवल इसी कारण मैं अपनी गिरफ्तारी को अहोभाग्य समझता हूं। इस कार्य के विषय में कह चुकने के बाद अब मैं उसकी नीति पर कुछ कहना चाहता हूं।

"(नोट—ठीक इसी समय हमें मालूम हुआ है कि आज मामले का फैसला हो जाएगा। खां साहब और बख़्शी जी यह पूछने के लिए आए कि हम लोग वहां जाना चाहते हैं या नहीं। हम लोगों ने इनकार कर दिया।)"

## सार्वजनिक सहायता

"मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारा विचार था कि जनता की इच्छा के अनुकूल ही हमारा कार्य हो और वे सरकार के अत्याचारों के विरोध में किए जाएं, जिससे जनता इस ओर अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करे और सहायता दे। इसी विचार से हम लोग जनता में विप्लववादियों का आदर्श और उनकी चालों का प्रचार करना चाहते थे। ऐसे विचारों का उसके मुख से प्रकट होना, जो इन्हीं विचारों के लिए अब फांसी पर लटकने वाला है, अधिक गौरवप्रद है।

"हमारा यह विचार था, कि सरकार से प्रकट रूप से मुकाबला पड़ने पर, हम लोग अपने संगठन के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे।"

## धन-व्यवस्था

"मैं अन्य दो प्रकार के कार्यों के संबंध में अधिक नहीं कहना चाहता। धन की व्यवस्था के संबंध में, उसके लिए डकैतियां करने में अधिक ध्यान और शक्ति खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि बंगालियों ने किया है। अनेक छोटी-मोटी डकैतियां सफल नहीं हुई हैं। हम लोगों ने विचार करने के पश्चात अपने को जुएबाजी के लिए तैयार किया, जिसमें यदि हम सफल होकर निकल आएं तो एक बार ऐसा करके हम अपना कार्य ठीक तरह से कर सकेंगे और धन की समस्या भी हल हो जाएगी।

"सांडर्स की हत्या के बाद, धन के लिए हमें बहुत सोच-विचार नहीं करना पड़ा। हम लोग शांतिपूर्वक जितना धन इकट्ठा कर सकते थे, डकैतियों से उतना नहीं मिलता था। आजकल यह बहुत आसान हो गया है।

"विशेष कार्य अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही किए जाने चाहिए। उसकी संख्या भी परिमित ही होनी चाहिए।"

श्री सुखदेव के चाचा लाला चिंताराम थापर को विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि फांसी से पहले भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने संबंधियों के पास पत्र लिखा था, किंतु वे उनके संबंधियों को ःहीं मिले। लाला चिंताराम ने पंजाब सरकार के होम सेक्रेटरी के पास दो पत्र भेजे हैं। पहली चिट्ठी में वे लिखते हैं :

## पत्र नं. 1

"मुझे विश्वस्त-सूत्र से यह पता चलता है कि सरदार भगत सिंह श्री सुखदेव और श्री राजगुरु ने फांसी होने के पहले अपने संबंधियों के लिए पत्र लिखा था। ये तीनों पत्र उपस्थित मैजिस्ट्रेट को दे दिए गए और वहीं उसी समय उन पर मुहर दे दी गई है। ये पत्र अभी तक उनके संबंधियों को नहीं दिए गए हैं। यह प्रार्थना की जाती है कि वे चिट्ठियां हम लोगों को बहुत शीघ्र दे दी जाएं।"

## पत्र नं. 2

दूसरी चिट्ठी में लाला चिंताराम लिखते हैं :

"स्वर्गीय श्री सुखदेव के पास एक अधूरी चिट्ठी मिलने के संबंध में, जो उनकी लिखी हुई बताई जाती है, आपने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सुखदेव का एकमात्र छोटा भाई मथरादास बिल्कुल ही हिंदी नहीं जानता और यह सोचने की बात है कि यदि सुखदेव मथरादास के पास पत्र लिखना चाहता तो वह कदापि जान-बूझकर उस भाषा में चिट्ठी न लिखता, जिस भाषा को उसका भाई नहीं जानता है।"

## सरदार एकदम निश्चिंत थे

23 मार्च, सन् 1931 ई. को सरदार और उनके साथियों से अंतिम भेंट करने के लिए उनके घर वालों को सूचना तो दी गई थी, पर वे भेंट नहीं कर सके। पर उस दिन सरदार भगत सिंह अपनी कोठरी में बैठे हुए ऊंचे स्वर से गा रहे थे। केवल यही पद सुनाई पड़ा—

*मेरा रंग दे बसंती चोला;*
*इसी रंग में रंग के शिवा ने—*
*मां का बंधन खोला !*

## फांसी कैसे दी गई ?

जब हाईकोर्ट में दी हुई दोनों दरख्वास्तें नामंजूर हो गईं, तब लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी देने का प्रबंध किया जाने लगा। साधारणतया फांसी प्रातकाल दी जाया करती है, पर सरदार को रात में ही खतम कर डालने का निश्चय कर लिया गया था। चार से छह बजे तक जेल का यह हाल था, कि जेल के जो वार्डर बाहर थे, वे बाहर ही रह गए और जो अफसर भीतर थे, वे भीतर ही ! जेल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। एक कमरे में जेल-सुपरिंटेंडेंट, एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट बैठे हुए थे। जेल के बाहर और भीतर जबर्दस्त पहरे का प्रबंध था। 7 बजकर 35 मिनट पर तीनों देशभक्त कोठरियों से निकाले गए। उनकी आंखों पर टोपी पहनाई गई और फांसी के तख्ते पर वे खड़े कर दिए गए। मालूम हुआ है, कि ठीक इसी समय 'डाउन-डाउन विद यूनियन जैक' (ब्रिटिश-झंडे का क्षय हो) के नारे लगाए गए, जो आधे मिनट तक लगते रहे। फिर आवाजें यकायक बंद हो गईं ! उसके बाद तीनों लाशें स्ट्रेचर पर रखी गईं और दीवार के एक छेद से बाहर कर दी गईं। फांसी लग चुकी, पर जो अफसर जेल के भीतर थे, वे बाहर नहीं हुए। कहा जाता है, कि भय के कारण उनका भोजन भी वहीं भेजा गया। फांसी के समय सेंट्रल जेल के सभी कैदी बैरकों में बंद कर दिए गए थे ! दूसरी रिपोर्ट थी, कि पहले ठीक सात बजे सरदार भगत सिंह के गले में फांसी का फंदा डाला गया। सरदार साहब ने बड़े ऊंचे स्वर में अपने दोनों साथियों से विदा ली। जवाब में उन्होंने 'भगत सिंह जिंदाबाद' का नारा लगाया। इस तरह उनका नारा लगाना था, कि सेंट्रल जेल के राजनीतिक तथा साधारण कैदियों को सिगनल मिल गया। यद्यपि सभी कैदी अपनी-अपनी बैरकों में उस वक्त बंद किए जा चुके थे, तो भी उन्होंने जोर-जोर से 'भगत सिंह जिंदाबाद' के गगन-भेदी नारे लगाए। उनके नारे जेल के बाहर भी सुने जाते थे। सरदार के बाद श्रीयुत राजगुरु को और अंत में श्रीयुत सुखदेव को फांसी दी गई। शहीदों की भस्म भी नहीं दी गई। 24 मार्च को प्रातकाल नगर के विभिन्न मुहल्लों में जिला मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से निम्नलिखित पोस्टर चिपके हुए पाए गए—

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल शाम को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और इसके बाद जेल के बाहर लाश ले जाकर सतलुज के किनारे भस्म कर दी गई और राख नदी में बहा दी गई।"

## लाश के टुकड़े

कहा जाता है, कि श्रीमती पार्वती देवी और भगत सिंह की बहन को श्मशान के पास एक टूटे हुए पुल के नीचे लाश के अधजले टुकड़े मिले थे, जिन्हें लारी द्वारा

लाहौर लाया गया। तब प्रायः एक लाख व्यक्तियों का एक जुलूस, जिसमें सभी नंगे सिर एवं नंगे पांव थे, सरदार भगत सिंह तथा उनके साथियों का फूल लेकर निकला, जो सभी प्रमुख सड़कों पर घूपा। महिलाएं गले में काला कपड़ा लपेटे हुए थीं। जुलूस ठीक वहां जाकर समाप्त हुआ, जहां लालाजी की अंत्येष्टि हुई थी। लोगों के चलने से इतनी धूल आकाश में उड़ रही थी, कि दूर तक देखा तक नहीं जा सकता था तथा जहां तक दृष्टि जाती थी, नर-मुंड ही नर-मुंड दिखाई देता था। जब सारा जन-समुदाय रावी-तट पर बैठ गया, तो डा. पुरुषोत्तम शर्मा ने सरदार भगत सिंह की मृत्यु पर महात्मा जी के वक्तव्य को हिंदी में पढ़कर सुनाया। सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने बताया कि किस तरह और कब सरदार तथा उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया। शव के भस्मावशेष की चर्चा करते समय वे कई बार फूट-फूटकर रो पड़े थे, जिससे समस्त जनसमुदाय, खासकर महिलाएं भी उसी तरह फूट-फूटकर रोने लगी थीं। सर्वत्र घोर उदासी छाई हुई थी ! !

## पंजाब-सरकार की विज्ञप्ति

"पत्रों और अन्यान्य साधनों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के अंतिम संस्कार के विषय में भांति-भांति की झूठी अफवाहें फैल रही हैं। इसलिए सच्चे हालात प्रकाशित करना आवश्यक है। 23 मार्च को साढ़े आठ बजे रात को लाहौर सेंट्रल जेल से एक लारी में लादकर तीनों लाशें निकाली गईं। इनके साथ दो लारियां ईंधन आदि की थीं, उनमें पुलिस के प्रहरी भी सवार थे। सतलुज के तट पर केसरेहिंद पुल के पास ये लारियां पहुंचीं। गंडसिंहवाला के पास एक आचार्य और एक ग्रंथी भी आ मौजूद हुए। पौने बारह बजे रात को चितारोहण हुआ और 4 बजे तक आग इतनी बुझ चुकी थी कि भस्म हटाई जा सके। दोनों शास्त्रज्ञों से परामर्श लेकर मंगलवार को सुबह 4 बजे भस्म एकत्रित करके एक लारी में रखी गई। वह लारी लाहौर के फिरोजपुर-बृज के समीप पहुंची और सबेरे पौने 6 बजे सतलुज की निम्न धारा में भस्म बहा दी गई। शव बिल्कुल जल चुके थे और उनका कोई अंग न छूटने पाया था। उक्त आचार्य एवं ग्रंथी ने सभी आवश्यक धार्मिक संस्कार किए थे। यह बयान बिल्कुल गलत है कि जलाने के पहले लाशों को टूक-टूककर दिया गया था। यह भी सच नहीं है, कि भारतीय अथवा गोरी पलटन लाशों के साथ गई थीं। 24 तारीख की दोपहर को अंत्येष्टि के संबंध में डिप्टी कमिश्नर ने जो विज्ञप्ति निकाली थी, वह उक्त कार्यक्रम को जानते हुए प्रकाशित की गई थी। जेल-विधान के अनुसार बंदियों के शव उनके संबंधियों को इसलिए नहीं दिए गए, कि अंतिम संस्कार के अवसर पर प्रदर्शन होंगे और जन-शांति भंग होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी।"

## नेताओं ने समाचार किस तरह सुना

23 मार्च को साढ़े नौ बजे रात की गाड़ी से कराची कांग्रेस में शामिल होने के लिए जब दिल्ली स्टेशन पर नेता लोग पहुंच चुके थे, तब सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। कारण टेलीफोन से यह मालूम हो गया था, कि लाहौर में 7 बजे सरदार भगत सिंह, श्रीयुत सुखदेव और श्रीयुत राजगुरु को फांसी दे दी गई। पं. जवाहरलाल नेहरू, मालवीय जी और महात्मा जी की आंखों में आंसू थे। पं. जवाहरलाल नेहरू ट्रेन चलते हुए रोते-रोते गिरते-गिरते बचे, जो कठिनाई से संभाले गए !

## श्रीयुत सेनगुप्त की राय

कराची में श्रीयुत सेनगुप्त ने कहा है, कि "तमाम राष्ट्र की पुकार की ओर ध्यान न देकर पुरानी सिविलियन मनोवृत्ति का परिचय दिया गया है। इस समय नौकरशाही ने जो नया बाण चलाया है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। एकता में अनेकता उत्पन्न न होनी चाहिए और न शत्रु की यही अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए कि महात्मा गांधी के अविच्छिन्न नेतृत्व में आघात पहुंचे। शहीदों की आत्मा को शांति प्राप्त हो और भारत और भी अधिक शीघ्रता से अहिंसात्मक साधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करे।"

## असेंबली में शोक-प्रकाश

24 मार्च को दिल्ली में प्रश्न काल के समाप्त होते ही श्री रंगाचारियर ने असेंबली में निम्नलिखित घोषणा की, "हार्दिक शोक और घोर क्रोध के साथ मैं यह बयान देने के लिए खड़ा हुआ हूं। गत 7 अक्तूबर को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह और उनके दो संगियों को जो प्राणदंड दिया था, कल रात को वह कार्यरूप में परिणत कर दिया गया। हम सरकार की इस हरकत पर शोक और रोष प्रकट करते हैं। इस मुकदमे के हालात सबको मालूम हैं। उन कारणों को दुहराना अनावश्यक है, जिनसे प्रेरित होकर अभियुक्तों की पीठ पीछे आर्डिनेंस द्वारा विशेष प्रबंध करके यह मामला चला था और इस कार्यवाही का यह परिषद सर्वदा विरोध करती रही है। जनसाधारण के बहुमत का विश्वास है, कि कम से कम भगत सिंह का तो उस अपराध से कोई संबंध न था, जिनके कारण उन्हें फांसी पर टांग दिया गया है। इस विषय में लोकमत का प्रदर्शन विभिन्न रूप से सरकार के आगे किया जा चुका है। जनता को पूर्ण विश्वास था और अहोरात्रि उसकी यही प्रार्थना थी, कि सरकार उस सबल लोकमत का ख्याल करे, जिसे भारत की उस महान आत्मा ने प्रकट कर दिया था। सरकार ने जनमत को ठुकरा दिया है और हमारे विचार में ऐसा कार्य

किया है, जिसका भयंकर परिणाम होगा। जनमत की इस उपेक्षा से सरकार ने स्वयं अपने और देश के लिए भी भीषण आपत्ति का आह्वान किया और कर रही है। न्याय के साथ दया भी दिखाई जाती, तो सरकार का सम्मान बढ़ जाता पर दुख है कि सरकार नेक सलाह पर कोई विचार नहीं करती। इस समय जिस शांत वातावरण की आवश्यकता थी, वह दूर हो गया है। हम इससे हार्दिक क्रोध और शोक प्रकट करते हैं। असेंबली की आज की कार्यवाही में हम कोई भाग न लेंगे।'' श्रीयुत रंगाचारियर के बयान के बाद सरदार भगत सिंह और उनके संगियों के प्राणदंड के प्रतिवादस्वरूप नेशनलिस्ट पार्टी के सब मेंबर परिषद भवन से उठकर चले आए। इस बयान का जवाब देने के लिए सर जेम्स क्रेरर खड़े तो हुए, पर वाग्बाणों से जर्जर हो गए। उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि ''आप लोगों को कोई शिकायत तो न होनी चाहिए, क्योंकि सरकार यह बात कभी नहीं मान सकती कि इस मामले में बंदियों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ। सरकार का निश्चित मत है, कि प्रतिवादी पक्ष को अपने पक्ष में सभी प्रमाण देने का पूरा मौका दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के, सबसे बड़े न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है। जिस कारण यह मामला चला, उससे तमाम भारत में हलचल मच गई थी, इसे कोई मेंबर अस्वीकार नहीं कर सकता। सरकार ने मामलों के सभी अंगों पर भली-भांति विचारकर, दंडाज्ञा को न्यायपूर्ण ही पाया। सरकार यदि इस मामले में दया-प्रदर्शन कर सकती, तो उसे संतोष होता, परंतु सब बातों को ध्यान में रखते हुए दया-प्रदर्शन करने पर सरकार भारत के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने से वंचित हो जाती। कानून की रक्षा के लिए आवश्यक था, कि दंडाज्ञा कार्य में परिणत कर दिखाई जाए।''

मेंबर यह कहकर उठकर बाहर चले गए कि ''हम यह उपदेश सुनने नहीं आए।'' श्री एस. सी. मित्र, श्री डी. के. लाहिड़ी और मि. सादिक हुसैन, तीनों इंडिपेंडेंट मेंबर भी उठकर चले गए।

सर अब्दुर्रहीम ने कहा, कि विरोधी दल की अनुपस्थिति में इस वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव फाइनेंस बिल पर विचार स्थगित रखा जाए, क्योंकि सरकार को अभी मनमानी करने का मौका मिल गया है। सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए बिल का फैसला करने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष ने कहा, कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को किसी दल-विशेष की इच्छा पर मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए दूसरे मामलों का निपटारा होने के बाद कल शाम तक फाइनेंस बिल का निर्णय कर लिया जाएगा। अतएव पोस्टल बिल पर वाद-विवाद होने के उपरांत बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

## सरदार भगत सिंह का अंतिम पत्र

फांसी पर लटकाए जाने से पहले सरदार भगत सिंह, श्रीयुत शिवराम राजगुरु और श्रीयुत सुखदेव ने लाहौर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट के द्वारा पंजाब के गवर्नर को यह पत्र भेजा था।

"उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहते हैं :

"हम लोगों को 1930 की 7 अक्तूबर को उस अंग्रेजी अदालत अर्थात स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा दी थी, जो भारत में अंग्रेजी शासन के प्रधान वाइसराय द्वारा जारी किए हुए 'स्पेशल लाहौर कांसपिरेसी केस आर्डिनेंस' के अनुसार नियुक्त हुआ था। हम लोगों के विरुद्ध प्रधान अभियोग महाराज पंचम जार्ज यानी इंग्लैंड के महाराज के विरुद्ध युद्ध करने का लगाया गया था। उक्त अदालत के निर्णय से दो बातें निश्चित हो जाती हैं—पहली यह, कि अंग्रेज राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के बीच युद्ध की अवस्था उपस्थित है और दूसरी यह, कि हम लोगों ने वास्तव में उस युद्ध में भाग लिया था, जिसके हम युद्ध के कैदी हैं।

"दूसरी बात कुछ आत्मश्लाघा-सी जान पड़ती है, किंतु फिर भी हम इसे स्वीकार करने ही की नहीं, बल्कि इसके लिए अपने को महान प्रतिष्ठा-प्राप्त समझने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सकते पहली के संबंध में हम कुछ विस्तार में जाने को लाचार हैं। उक्त वाक्य से जैसा प्रकट होता है, वैसा युद्ध प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। हम नहीं जानते, कि 'युद्ध करने' का अर्थ अदालत ने क्या लगाया, किंतु हम इसे यथार्थ अर्थों में स्वीकार करना चाहते हैं। पर अपना विचार स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता जान पड़ती है।"

## युद्ध जारी है

"हम यह कहना चाहते हैं, कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठी भर शक्तिशाली लोगों ने मेहनत-मजदूरी करने वाले भारतीयों और जन-साधारण के प्राकृतिक साधनों पर अपने स्वार्थ-साधन के लिए अधिकार जमा रखा है। इस प्रकार स्वार्थ साधने वाले चाहे अंग्रेज पूंजीपति हों या हिंदुस्तानी, उन्होंने आपस में मिलकर लूट जारी कर रखी हो या शुद्ध भारतीय पूंजी से ही गरीबों का खून चूसा जा रहा हो, इन बातों से अवस्था में कोई अंतर नहीं आता। कुछ परवाह नहीं, यदि आपकी सरकार नेताओं वा भारतीय समाज के चौधरियों को थोड़े सुभीते देकर अपनी ओर मिला लेने में सफल हो जाए। किंतु जन-साधारण पर इसका बहुत कम असर पड़ता है। इसकी कुछ परवाह नहीं, अगर एक बार फिर नौजवानों से

विश्वासघात किया गया है। इस बात का भी दुख नहीं, अगर हमारे राजनीतिज्ञ फिसल गए हैं और वे सुलह की बातचीत में उन गृहहीन और दरिद्र देवियों को भूल गए हैं, जो दुर्भाग्यवश क्रांतिकारी दल की मेंबर समझी जाती हैं और हमारे राजनीतिज्ञ उन्हें अलग अपना दुश्मन समझते हैं क्योंकि उनके विचार में वे 'हिंसा में विश्वास रखती हैं।' इन वीर देवियों ने निस्संदेह अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने अपने पतियों को बलिदान किया और बलिदान के लिए पेश किया, अपने भाइयों को भेंट चढ़ा दिया और जो कुछ उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, बल्कि अपने आपको भी निछावर कर दिया। लेकिन आपकी सरकार उन्हें बागी ख्याल करती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां गढ़-गढ़कर उन्हें बदनाम करें और पार्टी को बदनाम कर लें, लेकिन युद्ध तब भी जारी रहेगा।"

## युद्ध के भिन्न-भिन्न रूप

"हो सकता है, कि युद्ध भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण कर ले। किसी समय यह प्रकट रूप धारण कर सकता है और कभी छिपे रूप में हो सकता है। कभी हलचल मचाने वाले आंदोलन का रूप पकड़ सकता है और कभी-कभी भयंकर रूप धारण करके जीवन-मरण का दृश्य उपस्थित कर सकता है। चाहे जिस रूप में भी यह युद्ध हो, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आपकी इच्छा है, कि चाहे जो रूप पसंद कर लें, लेकिन यह युद्ध जारी रहेगा। इसमें छोटी-छोटी बातों की परवाह नहीं की जाएगी। बहुत संभव है कि यह युद्ध भीषण रूप धारण कर ले। नए उत्साह, बढ़ी हुई दृढ़ता और अटल स्थिरतापूर्वक यह युद्ध तब तक चलता रहेगा, जब तक साम्यवादी प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो जाती और वर्तमान समाज के स्थान में नए सिरे से समाज का ऐसा संगठन नहीं हो जाता, जिससे स्वार्थियों के स्वार्थसाधन बंद हो जाएं और समाज एवं मानव जाति को सच्ची शांति मिले।"

## अंतिम युद्ध

"बहुत शीघ्र ही अंतिम युद्ध छिड़ेगा और उसमें आखिरी फैसला हो जाएगा। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद अब थोड़े ही दिनों के और मेहमान हैं। यही युद्ध है, जिसमें हमने खुलकर भाग लिया है और इसके लिए हमें गर्व है। हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है और न हमारे जीवन के साथ यह समाप्त ही होगा। यह तो ऐतिहासिक घटनाओं और वर्तमान समाज के परिणामस्वरूप है। हमारा बलिदान तो इतिहास के उस अध्याय में वृद्धि करने वाला होगा, जिसे हमारे यतींद्र दास और कामरेड भगवतीचरण के अद्वितीय बलिदानों ने प्रकाशमान बना दिया है। अब रही

अपनी बात, सो हम इस विषय में इतना ही कहेंगे, कि आपने जब हमें फांसी पर लटकाने का निश्चय ही कर लिया है, तो आप ऐसा करेंगे। आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धांत आपके सामने है और आप इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमारे मुकदमे की कार्रवाई ही काफी है। हमने कभी प्रार्थना नहीं की और न हम किसी से दया-भिक्षा मांगते हैं और न उसकी आशा ही रखते हैं। हम केवल यही बताना चाहते हैं कि आपकी अदालत के निर्णय के अनुसार हम युद्ध में प्रवृत्त रहे हैं और इसलिए युद्ध-कैदी हैं। इसी से हम चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए अर्थात हमारा दावा यह है कि हमें फांसी न देकर, गोली से उड़ा देना चाहिए। अब यह सिद्ध करना आपके हाथ है, कि आप गंभीरतापूर्वक वैसा ही समझते हैं, जैसा आपकी अदालत ने कहा है और इसे कार्य द्वारा सिद्ध करें।

"हम बड़ी उत्सुकता से आपसे निवेदन करते और आशा रखते हैं, कि आप बहुत कृपा करके सेना-विभाग को हुक्म देंगे कि हमें प्राणदंड देने को वह एक सैनिक दस्ता या गोली मारने वालों की टुकड़ी भेजें। आशा है कि आप हमारी यह बात स्वीकार करेंगे, जिसके लिए हम आपको पहले ही से धन्यवाद दे देना चाहते हैं।"

## श्री बटुकेश्वर दत्त का पत्र

सरदार भगत सिंह के साथ असेंबली बम-कांड में जन्मभर के लिए कालेपानी की सजा पाए हुए श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त ने सलेम जेल से सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, "मेरे जीवन में यह पहला ही अवसर है, कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। लेकिन इस नाजुक मौके पर जब मेरे प्यारे कामरेड सरदार भगत सिंह की किस्मत का फैसला होने वाला है, यह बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है, कि मैं इस चिट्ठी को किस तरह शुरू करूं। तो भी अवस्था मुझे कुछ शब्द लिखने को लाचार करती है। अगर आपके दिल को इससे कुछ रंज पहुंचे तो मैं आशा करता हूं, कि आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। सरदार जी, यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा भगत सिंह से क्या संबंध है। यह संबंध भ्रातृ-भाव के प्रेम और मित्रता का है, जिसे मानव-जाति के कल्याण के क्षेत्र में हमारे सम्मिलित दायित्व ने और भी मजबूत कर दिया है। प्रेम का यह स्रोत मेरे हृदय में उमड़ रहा है और इसने मुझे लाचार कर दिया है कि मैं उच्च अफसरों से यह प्रार्थना करूं, कि यदि मेरा भाग्य साथ नहीं देता कि अपने उन मित्रों का, जिनके ऊपर काली घटाएं घिर रही हैं, अंत तक साथ दे सकूं तो मुझे कम से कम इतना मौका दे दिया जाए कि मैं उनका आखिरी दर्शन कर सकूं और इस

अवसर पर अपने प्रेम-भाव का परिचय दे सकूं और हम सदा के लिए एक-दूसरे से पृथक होने के पहले एक-दूसरे का अंतिम अभिवादन कर सकें। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस है कि अफसरों ने एक ऐसे आदमी के भाव की परवाह नहीं की, जिसे अपने प्यारे मित्र के शोकजनक वियोग के बाद जेल की चहारदीवारी के भीतर जिंदा ही गड़ जाना है। सरदार से मिलने की मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है। और क्या लिखूं ? यदि संभव हो तो मेरे ये भाव मेरे साथी सरदार तक पहुंचा दें। मैं अनुभव करता हूं :

*आजमाइश है कड़ी, लब पर कोई शिकवा न हो।*
*फिर मिलेंगे जा यकीं, दिल में कोई धड़का न हो॥*

आपका,
**बटुकेश्वर दत्त**

## अधिकारी अपने असली रूप में

निम्नलिखित तार लाहौर-स्थित 'फ्री प्रेस' की विशेष संवाददाता ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के लिए 23 मार्च को भेजा था, जो केवल 'सेंसर' ही नहीं किया गया, बल्कि कहा जाता है, तार एकदम अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था। सरदार भगत सिंह आदि की फांसी की सजा रुकवाने के लिए नेताओं ने जो-जो प्रयत्न किए थे, इस तार से सारी बातों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है; पाठकों की जानकारी के लिए तार की नकल नीचे उद्धृत की जा रही है :

"ऐसा प्रतीत होता है, कि महात्मा गांधी ने सरदार भगत सिंह आदि की फांसी की सजा रद्द कराने के लिए कोई उपाय उठा नहीं रखा। वाइसराय से बार-बार इस संबंध में जोर दिया गया। महात्मा जी का अंतिम प्रयास 23 मार्च की सुबह किया गया था, जबकि वे महामना पं. मदनमोहन मालवीय तथा अन्य कई कांग्रेस के नेताओं सहित लार्ड इर्विन से मिलने गए थे। सुना है महात्मा गांधी से वाइसराय ने अंत में कहा था कि फांसी की सजाओं को वे कालेपानी में तो नहीं बदल सकते, पर अधिक से अधिक 3 या 4 अप्रैल तक फांसी को रोक सकते हैं। ताकि कांग्रेस का अधिवेशन सकुशल समाप्त हो जाए। कहा जाता है, महात्मा जी ने एक सप्ताह के हेर-फेर में कोई लाभ नहीं देखा और अंत में उन्हें यही कहना पड़ा कि यदि वे फांसी देना चाहते हैं तो निश्चित-तिथि को कांग्रेस के अधिवेशन के पूर्व ही इन नौजवानों को फांसी पर लटकाया जा सकता है, ताकि देश को भी इस बात का पता चल जाए कि देश कहां तक पहुंच पाया है। यदि पहले ही फांसी लगा दी गई तो कांग्रेस की परिस्थिति का अंदाजा लगाने में भी सुविधा हो सकती है।

कहा जाता है वाइसराय की इस मुलाकात के पूर्व ही महात्मा गांधी ने अपने

सामने ही एक वक्तव्य (Manifesto) तैयार कराके श्री आसफ अली के हाथ, इसलिए लाहौर भेजा था, ताकि वे इस पर स्वर्गीय सरदार भगत सिंह आदि के हस्ताक्षर करा लाएं, जिससे उनकी फांसी के संबंध में लिखा-पढ़ी करने में सुविधा हो सके। महात्मा जी ने इन नौजवानों के लिए एक संदेश भी भेजा था लेकिन श्री आसफ अली को इन स्वर्गीय नौजवानों से मिलने तक नहीं दिया गया।

लाहौर में 3 दिन ठहरने के पश्चात उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के होम-मेंबर का एक पत्र इस आशय का मिला, कि जो वक्तव्य वे सरदार भगत सिंह आदि को दिखाने अथवा हस्ताक्षर कराने के उद्देश्य से अपने साथ लाए हैं, उसकी एक नकल यदि वे उन्हें भेजें तो उनसे भेंट कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। श्री आसफ अली ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और इस प्रकार आपकी अंतिम मुलाकात स्वर्गीय सरदार भगत सिंह आदि से न हो सकी।

'फ्री प्रेस' को विश्वस्त सूत्र से इस बात का पता चला है, कि यद्यपि लार्ड इर्विन सरदार भगत सिंह आदि को फांसी देने के पक्ष में स्वयं नहीं थे किंतु पंजाब-गवर्नमेंट के लगभग सभी अंग्रेज अफसरों ने लार्ड इर्विन को इस बात की धमकी दी थी कि यदि उन्होंने फांसी की इस सजा को रद्द कर दिया, तो वे एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे।

## 50 हजार स्त्री-पुरुष का रोमांचकारी करुण-क्रंदन

23 मार्च, सन् 1931 की संध्या के साढ़े सात बजे लाहौर सेंट्रल जेल में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर लटका दिए गए। सेंट्रल जेल के भीतर कैदियों द्वारा लगभग 7 बजे बड़ी देर तक 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगते रहे, जिससे आसपास के लोगों को इस बात का पता लग गया, कि सरदार भगत सिंह आदि फांसी पर लटकाए जा रहे हैं !

स्व. भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने तार-द्वारा अधिकारियों से इस बात की प्रार्थना की थी कि भगत सिंह और उनके साथियों के मृतक शरीर अंत्येष्टि क्रिया के लिए उन्हें दे दिए जाएं, परंतु मृतक शरीर तक उन्हें नहीं दिए गए और आधी रात को सतलुज नदी के किनारे जला दिए गए !

## सच्चा शाही-मातम

जेल के पदाधिकारियों ने उस दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के माता-पिता तथा भाइयों और बहनों के अतिरिक्त अन्य संबंधियों को उनसे मुलाकात करने की आज्ञा नहीं दी। इस आज्ञा के विरोध में सरदार भगत सिंह के पिता सरदार

किशन सिंह ने वाइसराय, गवर्नर और होम-मेंबर को तार भेजा था, परंतु उस संबंध में कोई कार्यवाही होने के पहले ही तीनों उसी दिन संध्या को फांसी पर लटका दिए गए !

भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी से लाहौर में बड़ी सनसनी फैल गई थी। अंग्रेजी और कुछ मुसलमानी दुकानों को छोड़कर, फांसी के विरोध में 24 मार्च को पूरी हड़ताल रही। शहर के कोने-कोने में लोग नंगे सिर एकत्रित हो रहे थे। आकस्मिक घटना के भय से फौज बिल्कुल तैयार रखी गई थी और शहर भर में सशस्त्र पुलिस का पहरा था। आकाश में वायुयान भी इसी उद्देश्य से उड़ रहे थे। नौजवान भारत सभा ने एक विराट सभा में फांसी के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया और भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का स्मृतिचिह्न स्थापित करने का निश्चय किया तथा उसके लिए रुपए की अपील भी की गई। सबेरे इस सभा के अतिरिक्त काले झंडों सहित एक विराट जुलूस निकाला गया और मिंटो-पार्क में लगभग 50,000 स्त्री-पुरुष की एक सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छाई थी। जब सभा में सरदार भगत सिंह के पिता किशन सिंह रोते-चिल्लाते हुए उपस्थित हुए, तब सभा में उपस्थित स्त्री-पुरुषों के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट-फूटकर रोने लगे। जब सभी बच्चों की नाई रो रहे थे, तब सभा में से एक बच्चे ने उठकर कहा कि भगत सिंह मरे नहीं हैं, वे जिंदा हैं।

2 बजे दिन को नील-गुंबद से एक मौन जुलूस प्रारंभ हुआ और 6 बजे शाम को मोरी-गेट के बाहर समाप्त हुआ। शहर कांग्रेस दफ्तर और पंजाब सेवादल के झंडे आधे अंतर पर (half mast) लहरा रहे थे।

## अंतिम उद्गार

फांसी के कुछ दिन पहले सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने दया-प्रार्थना के लिए इनकार करते हुए पंजाब गवर्नर को लिखा था, "अंत में हम केवल यह कहना चाहते हैं, कि आपकी अदालत के फैसले के अनुसार हम पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाया गया है और इस प्रकार हम युद्ध के शाही कैदी हैं। अतएव हमें फांसी पर न लटकाकर गोली से उड़ाया जाना चाहिए ! इसका निर्णय अब आपके ऊपर है, कि जो कुछ अदालत ने निर्णय किया है, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे या नहीं। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है और हमें पूर्ण आशा है कि आप कृपाकर फौजी महकमे को आज्ञा देकर हमारे प्राण-दंड के लिए एक फौज पलटन के कुछ जवान बुलवा लेंगे।"

# फांसी पर लोकमत

## महात्मा गांधी

"भगत सिंह अमर-शहीद हो गए हैं। उनकी मृत्यु से आज लाखों व्यक्ति दुखी हैं। मैं इन नवयुवक देशभक्तों की लगन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं; परंतु मैं देश के नवयुवकों को इस बात की चेतावनी देता हूं, कि वे उनके पथ का अवलंबन न करें। हमें भरसक उनके अभूतपूर्व त्याग, अदम्य उत्साह और विकट साहस का अनुकरण करना चाहिए, परंतु उन गुणों का उपयोग उनकी तरह न करना चाहिए। देश की स्वतंत्रता हिंसा और हत्याओं से प्राप्त नहीं होगी, गवर्नमेंट के संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, कि उसने विप्लववादियों की सहानुभूति प्राप्त करने का यह स्वर्ण-अवसर खो दिया है। संधि की शर्तों के अनुसार उसका यह कर्तव्य था, कि उनकी फांसी की सजा वह कुछ समय के लिए स्थगित कर देती। अपने इस कार्य से उसने संधि पर बड़ा आघात किया है और इस बात का परिचय दिया है, कि उसमें अभी भी जनता के मनोभावों को कुचलने की शक्ति है। पशुबल के इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि बड़ी-बड़ी घोषणाएं और सहानुभूति सूचक संदेश देने के उपरांत भी वह अपनी शक्ति और शासनाधिकार से जरा भी हाथ खींचना नहीं चाहती। परंतु गवर्नमेंट की इस दुर्नीति से कांग्रेस को अपने उद्देश्य और अपने निश्चय से तिल-मात्र भी न डिगना चाहिए। आवेश में आकर हमें पथ-भ्रष्ट न होना चाहिए। हमें यह समझकर संतोष कर लेना चाहिए, कि फांसी की सजाएं रद्द करना संधि के प्रस्तावों में निहित न था। गवर्नमेंट पर हम गुंडापन का दोष आरोपित कर सकते हैं, परंतु हमें उस पर संधि भंग करने का दोष न मढ़ना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय से भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी से हमारी शक्ति बढ़ गई है। हमें आवेश में आकर इस अवसर को व्यर्थ न खोना चाहिए। इस फांसी के विरोध में देशभर में हड़तालें होना बिलकुल स्वाभाविक है। इन देशभक्तों की फांसी के विरोध में मौन-जुलूस निकालने से अधिक उनका सम्मान नहीं हो सकता। इस अवसर पर हमें देश पर और अधिक आहुति देने के लिए तैयार होना चाहिए।"

## सरदार पटेल

"अंग्रेजी कानून इस बात पर अभिमान से झूमता था, कि वह गवाही में जिरह के द्वारा प्रमाणित किए बिना किसी अभियुक्त को सजा नहीं देता, परंतु उसी कानून ने ऐसी गवाही के विश्वास पर, जो घटना के बहुत देर बाद प्राप्त हुई थी और जिसमें जिरह का नाम न था—भारत के एक श्रेष्ठ युवक की हत्या कर डाली। किसी व्यक्ति

को ढीठता और उच्छृंखलता के अपराध में सजा दी जा सकती है, परंतु उसे फांसी पर लटका देना कहां का न्याय है ?"

## पं. मदनमोहन मालवीय

पं. मदनमोहन मालवीय ने कराची को प्रस्थान करने से पहले मुलाकात में कहा, "इस फांसी से मुझे इतना दुख हुआ है कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते।"

## पं. जवाहरलाल नेहरू

24 ता. को नई दिल्ली में राष्ट्रपति पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा, "मैंने इन देशभक्तों के अंतिम दिनों में अपनी जबान पर लगाम रखी थी, क्योंकि मुझे संदेह था, कि मेरे जबान खोलते ही कहीं फांसी की सजा रद्द होने में बाधा न पहुंचे। यद्यपि मेरा हृदय बिल्कुल पक गया था और खून अंदर से उबाल खा रहा था, परंतु तिस पर भी मैं मौन था। परंतु अब फैसला हो गया। हम देशभर के लोग मिलकर भी भारत के ऐसे युवक की रक्षा न कर सके, जो हमारा प्यारा रत्न था और जिसका अदम्य उत्साह, त्याग और विकट साहस भारत के युवकों को उत्साहित करता था। भारत आज अपने प्यारे बच्चों को फांसी से छुड़ाने में असमर्थ है। इस फांसी के विरोध में देशभर में हड़तालें होंगी और जुलूस निकलेंगे। हमारी इस परतंत्रता और असहायता के कारण देश के कोने-कोने में शोक का अंधकार छा जाएगा। परंतु उनके ऊपर हमें अभिमान भी होगा और जब इंग्लैंड हमसे संधि का प्रस्ताव करेगा, उस समय उसके और हमारे बीच में भगत सिंह का मृत शरीर उस समय तक रहेगा, जब तक हम उसे विस्मृत न कर दें।"

## मौलाना जफरअली

"अभागे भारत ने अपने इतिहास में ऐसी असहायता का कभी अनुभव नहीं किया था, जैसी असहायता का अनुभव उसने 23 ता. को भगत सिंह की फांसी के अवसर पर किया है।"

## श्री आसफ अली

"मैं दिल्ली से लाहौर, पंजाब-गवर्नमेंट से आज्ञा लेकर भगत सिंह से इस आशा से मिलने आया था, कि मैं क्रांतिकारी दल के नाम उनसे एक पत्र प्राप्त करूं, जिसमें वे उन्हें इस बात का आदेश दें, कि जब तक महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन

से भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा है, तब तक के लिए वह अपने हिंसात्मक कार्य स्थगित कर दें। मैंने उनसे मुलाकात करने के लिए हर एक उपाय से काम लिया, परंतु चारों ओर से दरवाजा बंद पाया। मैंने पदाधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में समझा दिया था, कि भगत सिंह से मिलने का उद्देश्य केवल अहिंसात्मक आंदोलन के लिए सहायता प्राप्त करना है और उन्हें यह विश्वास भी दिलाया था, कि उस मुलाकात से मुझे बहुत सफलता मिलने की आशा है, परंतु मेरी अनुनय-विनय का मुझे जो उत्तर मिला, उसमें अधिकार का मद निहित था। यदि मुझे भगत सिंह से मुलाकात करने का अवसर दिया जाता, तो मुझे विश्वास है कि क्रांतिकारी दल से महात्मा गांधी के मार्ग का अनुकरण कराने में बहुत सहायता मिलती। ऐसे मामले में, जिसका संबंध लाखों भारतवासियों से है, भगत सिंह जैसा देशभक्त उन लोगों को, जिनका यह विश्वास है कि राजनैतिक दोषों को पूरा करने के लिए राज्यक्रांति की आवश्यकता है—उपदेश देने में किंचित संकोच न करता।

## कुछ समाचार-पत्रों का असंतोष

भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी पर लटकाने में जल्दबाजी कर गवर्नमेंट ने समस्त देश के मनोभावों को कुचलने का प्रयत्न किया है। उसने ऐसे अवसर पर जो भयंकर भूल की है, उसका संधि पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

—'हिंदू' (अंग्रेजी)

राजनैतिक दृष्टि से इससे अधिक शैतानी कार्य की योजना नहीं की जा सकती।

—'स्वराज्य' (अंग्रेजी)

गवर्नमेंट ने विप्लववादियों की सहानुभूति प्राप्त करने का सुवर्ण-अवसर हाथ से खो दिया है।

—'स्वदेश मित्रम्' (अंग्रेजी)

भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी से देश के शिक्षित युवकों में भयंकर असंतोष फैलने की संभावना है। उनके प्राणों की भिक्षा के लिए गवर्नमेंट के पास हजारों प्रार्थना-पत्र भेजे गए, सैकड़ों सभाएं हुईं; परंतु अंत में उनका परिणाम कुछ भी न निकला। यद्यपि जनता ने इन वीर और अमर देशभक्तों को, जिन्हें कानून ने अंतिम दंड दिया था, जुलूस निकालकर और अन्य प्रकार से बचाने का प्रयत्न किया था; परंतु उनकी कानूनी कार्यवाही में इतनी भूलें थीं, कि यदि गवर्नमेंट चाहती तो उन्हें कानून के आधार पर ही मुक्त कर सकती थी। इसमें संदेह नहीं, कि गवर्नमेंट ने कराची कांग्रेस के अवसर पर उन्हें फांसी पर लटकाकर महात्मा गांधी के मार्ग में कांटे बिखरा दिए हैं।

—'लीडर' (अंग्रेजी)

सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा रद्द न कर, गवर्नमेंट ने जैसी भयंकर भूल की है, उसकी तुलना कई वर्षों की किसी भयावह घटना से नहीं की जा सकती। इस देश के इतिहास में इतनी सनसनी किसी मामले से नहीं फैली, जितनी इस मामले से; और न कभी किसी मामले से फांसी की सजा रद्द करने के लिए देश ने इतनी अनुनय-विनय ही की है।

—'ट्रिब्यूनल' (अंग्रेजी)

सरदार भगत सिंह को फांसी हो गई और सरकार समझती है, कि शायद इन देशभक्तों को फांसी देकर उसने विप्लववाद का नाश कर दिया है, पर उसे मालूम होना चाहिए, कि इस एक ही घटना से उसकी कठिनाइयां हजार गुना बढ़ गईं और इससे केवल यही भय नहीं है, कि विप्लव की आग और भी भड़केगी, वरन यह भी संभव है कि इस घटना से महात्मा गांधी का प्रभाव भी एकदम कम हो जाए, जिसने देश को खून खराबी से अब तक बचा रखा है।

—'रियासत' (उर्दू)

सरदार भगत सिंह आदि को फांसी देकर सरकार ने केवल अपने ही मार्ग में कठिनता का सामान पैदा नहीं कर लिया है, बल्कि कांग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है।

—'अवध अखबार' (उर्दू)

हम यह तो नहीं कह सकते, कि सरकार ने यह काम बुद्धिमानी का किया है या मूर्खता का, क्योंकि यह तो समय ही बताएगा; परंतु यह अनुमान करना कठिन नहीं, कि इससे देश में बेचैनी बढ़ेगी और महात्मा गांधी जैसे बुद्धिमान और प्रभावशाली नेताओं का स्थान नवयुवक छीन लेंगे।

—'शेर खालसा' (उर्दू)

...जहां तक देश में शांति की प्रतिष्ठा और भारत तथा इंग्लैंड के संबंध को कायम रखने का प्रश्न है, हमारी राय में इस फांसी से उसको असह्य चोट लगी है। लार्ड इरविन और मि. मैकडानल्ड ने एक से अधिक बार दोनों देशों में अच्छा संबंध करने की अपील की थी, जिसके उत्तर में महात्मा जी ने अपना सत्याग्रह बंद कर दिया और सरकार को मौका दिया...परंतु शोक है कि इन्हीं लार्ड इर्विन और मि. मैकडानल्ड के शासन-काल में सरदार भगत सिंह आदि को फांसी के तख्ते पर लटका कर देश की शांति के पर्दे पर बिजलियां गिराने की चेष्टा की गई है।

—'वतन' (उर्दू)

...शासन-तंत्र ने एक ऐसा कदम बढ़ाया, जिसका परिणाम किसी दशा में अच्छा नहीं हो सकता। शासन-तंत्र के संचालकों को सोचना चाहिए, कि जिस भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के लिए पेशावर से मुंबई और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग मेमोरियल भेज रहे हैं, आखिर कोई बात है, जिसकी वजह से देश उन्हें

जीवित रखना चाहता है। अफसोस है कि नौकरशाही ने शासन को सर्वप्रिय बनाने का एक नायाब मौका सदा के लिए खो दिया।

—'मिलाप' (उर्दू)

समस्त भारत के एक स्वर से प्रार्थना करने पर भी आखिर भगत सिंह फांसी पर लटका ही दिया गया और नौकरशाही ने अपनी अदूरदर्शिता से हिंसावादी दल को अहिंसावादी राजनीतिज्ञों के विरुद्ध आंदोलन करने तथा सर्वसाधारण को उत्तेजित करने का मौका दे ही दिया।

—'रोजाना खिलाफत' (उर्दू)

सरदार भगत सिंह को फांसी देने में यदि सरकार कानून से मजबूर थी, तो क्या यह गैर-कानूनी तौर पर फांसी देने के लिए भी मजबूर थी ? जिस न्याय की नींव पर ब्रिटिश सरकार का दावा है, कि उसका महल खड़ा है, क्या वह यही है ?

—'अर्जुन' (हिंदी)

सरकार की जिद से यह बात सिद्ध होती है, कि उदारता के ढोल पीटने पर भी सरकार अपने हाथ की शक्ति कम नहीं करना चाहती।

—'नवीन भारत' (हिंदी)

सरकारी हलकों में इंग्लैंड और भारत के सम्मानपूर्ण समझौते के शत्रु तो बहुत से हैं, परंतु जिस व्यक्ति ने वाइसराय को इस आखिरी मौके पर इन नौजवानों को फांसी पर लटकाने की सलाह दी है, वह सचमुच दोनों देशों का कट्टर दुश्मन भी है और अत्यंत मूर्ख भी।

—'पंजाब केसरी' (हिंदी)

समस्त राष्ट्र के आवेदन-निवेदन से भी भारत-सरकार विचलित नहीं हुई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटककर प्राण दे देना पड़ा ! ये जीवनांजलि देकर मृत्यु का स्वागत करने को प्रस्तुत थे। इन्होंने क्षमा की प्रत्याशा नहीं की थी—प्रार्थना भी नहीं की थी, इनका अंतिम पत्र इस बात का प्रमाण है। तब भी इनकी मृत्यु के कारण सारे देश पर विषाद की काली छाया पड़ गई है। यह शोक की स्तब्धता नहीं, क्षोभ का गांभीर्य है।...सरकार के मनोभावों में परिवर्तन हुआ है—ऐसा विश्वास न होता तो समस्त देश इस तरह क्षमा-प्रार्थना और प्रत्याशा न करता। विप्लवी और विप्लव के संदेह में गिरफ्तार व्यक्तियों को उत्पीड़ित न करके, अगर दया द्वारा उन्हें हिंसा के पथ से लौटा लाने की नीति का अवलंबन किया जाता तो तोप व बंदूक के बल से बलवान ब्रिटिश सरकार को कोई दुर्बल समझकर उपहास नहीं करता !

—'आनंद बाजार पत्रिका' (बांग्ला)

# मि. होर्स जी. एलेक्जेंडर

लाहौर षड्यंत्र केस में सरदार भगत सिंह, राज रु और सुखदेव को दी गई फांसियों के संबंध में विलायत के 'मैंचेस्टर गार्जियन' में लिखते हुए मि. होर्स जी. एलेक्जेंडर ने लिखा था :

ठीक ऐसे समय, जब कि लोग यह उम्मीद करने लग गए थे, कि महात्मा गांधी अपनी समझौता वाली नीति में, नवयुवक-दल के प्रबल विरोध करने पर भी, कांग्रेस में विजयी होंगे, भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटका दिए गए। अगर लोगों को यह निश्चय हो गया होता, कि कैप्टेन सांडर्स के असंदिग्ध हत्याकारी ये ही व्यक्ति हैं, तो इनकी फांसी के संबंध में, एक बार विरोध करके मौन होकर बैठे रहते। लेकिन इस मामले में जैसी कार्रवाई की गई है, उसे देखते हुए, कोई मौन नहीं बैठ सकता, बल्कि इसका तीव्र प्रतिरोध आवश्यक था।

इस मामले की मुख्य बातें भारतवर्ष के लोगों पर बहुत अच्छी तरह प्रकट हैं, कि किस तरह साइमन कमीशन लाहौर आया, किस प्रकार उसके विरुद्ध सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता लाला लाजपराय के नेतृत्व में एक विराट प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार कैप्टेन सांडर्स द्वारा, जैसा कि लोग कहते हैं, लाला जी पर वार किया गया और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई। लाला जी की मृत्यु के कारण के विषय में डाक्टरों में यद्यपि मतभेद था, लेकिन अधिकांश भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास है, कि कैप्टन सांडर्स के आक्रमण के आघात से ही उनकी मृत्यु हुई ! इस मृत्यु के एक मास बाद, अनुमान है, कि प्रतिशोध की भावनाओं से प्रेरित होकर कैप्टन सांडर्स की हत्या कर डाली गई। हत्याकारी लापता रहे। बहुत समय बाद भगत सिंह, जिन्हें असेंबली बम-कांड के मामले में सजा दी जा चुकी थी और जिन्होंने स्वयं ही अपने को हिंसक क्रांतिकारी स्वीकार किया था। अपने कुछ साथियों के साथ इस हत्या के लिए दोषी ठहराए गए। इस मामले के दौरान कोर्ट में जो गवाहियां गुजरीं, वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। भगत सिंह एक अत्यंत साहसी, निर्भीक और स्पष्टवादी युवक था। अपनी मातृभूमि के कल्याण के लिए वह किसी क्षण जीवनोत्सर्ग कर सकता था। उसने स्वयं ही कहा था, कि इस हत्याकांड से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन वह और उसके साथी अपराधी ठहराए गए और फैसले में उन्हें मृत्यु का दंड दिया गया। सारी अपीलें और सजा कम करने की प्रार्थनाएं रद्द कर दी गई और ठीक ऐसे समय, जबकि गांधी जी कांग्रेस को इस बात का विश्वास दिलाने जा रहे थे, कि सरकार ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है, वे नवयुवक फांसी पर चढ़ा दिए गए। हम इस मनोवृत्ति को किस बात का परिचायक समझें ? मेरा पहला ख्याल यही हुआ कि इर्विन-गांधी समझौते के कुछ शत्रु अधिकारी इस समझौते को किसी भी तरह भंग करने पर तुले हुए हैं, इसलिए इन फांसियों के देने में इतनी जल्दी की

गई है। ठीक ऐसे समय, जबकि लार्ड इर्विन ने पुलिस-जांच की मांग के संबंध में अपने मातहतों का समर्थन किया था, कुछ लोग, मालूम होता है, उन्हें गिरा देने के लिए ही तैयार थे। इसीलिए उन्होंने उपर्युक्त को फांसी दे देने में इतनी जल्दी की। लेकिन संभव है, यह बात न हो। हो सकता है, कि भारत सरकार के कुछ विभागों को अपने दमन की घातक नीति पर ही पूरा विश्वास हो। ये महाशय पूर्वीय देशों के निवासियों की मनोवृत्ति को समझाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि पूर्वीय मनोवृत्ति तो केवल पशुबल का आदर करना जानती है, उस पर और किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। शायद, उनका ख्याल है कि कांग्रेस इन फांसियों से दब जाएगी। परंतु मेरा विश्वास है, कि पूर्व और पश्चिम के बीच विषाक्त और अप्रिय संबंध पैदा करने के लिए सबसे अधिक अधिक उत्तरदायी यही नीति है।

यही अवसर है, कि इंग्लैंड के निवासी चेत जाएं और समझ लें कि वास्तव में पूर्वीय और पश्चिमीय मनोवृत्ति में कोई मौलिक अंतर नहीं है। पूर्वीय या पश्चिमीय दोनों ही, चाहे थोड़े समय के लिए बल प्रयोग से भले ही दब जाएं, लेकिन याद रहे कि अवसर पाकर दबी हुई वस्तु अपने दूने वेग से उमड़ती है। मेरे और भी मित्रों को ऐसा ही अनुभव है, कि हिंदुस्तानियों में अगर कोई विशेषता है, तो वह यही है, कि वे अल्प से अल्प उदारता, प्रेम और विश्वास से सहज ही वशीभूत हो जाते हैं। उनके ये लक्षण कमजोरी के चिह्न कदापि नहीं हैं। वे थोड़े से विश्वास और सहानुभूति के आधार पर भी बड़ी शीघ्रता के साथ स्थायी मैत्री स्थापित कर लेते हैं। मेरा विश्वास है, कि हिंदुस्तान के लोग अब भी दोस्ती चाहने वाले इंग्लैंड का साथ दे सकते हैं। लेकिन बात यह है, कि बार-बार अमृतसर-कांड की पुनरावृत्ति करने से दोनों देशों की मैत्री मुश्किल होती जा रही है। उन लोगों को, जो वास्तव में पूर्व और पश्चिम में प्रेम स्थापित करना चाहते हैं, चाहिए कि भारतीयों के प्रति उदारता और सहृदयता का व्यवहार करें और अपने पुराने कृत्यों के लिए प्रायश्चित कर डालें।

## सिखों में असंतोष

यद्यपि गवर्नमेंट की विज्ञप्ति का कहना है कि सरदार भगत सिंह आदि की अंत्येष्टि क्रिया धर्मानुसार और विधिपूर्वक संपन्न हुई थी; किंतु पंजाब की जनता को जो प्रमाण अब तक अन्यथा प्राप्त हो सके हैं, उनके बल पर वह इस आश्वासन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है, कि दाह-कर्म के पश्चात फूलादि सतलुज में डाल दिया गया था, किंतु यह भी सत्य प्रतीत होता है कि अधजले (झौंसे हुए) कुछ लाश के टुकड़े उसी स्थान से पाए गए हैं, जहां इन नवयुवकों की अंत्येष्टि क्रिया की गई थी और लाहौर में इन्हीं टुकड़ों के शव का जुलूस निकाला

गया था, जिसके पीछे एक लाख व्यक्तियों की भीड़ थी। इस संबंध में पंजाब के सुप्रसिद्ध सिख नेता ज्ञानी शेर सिंह जी ने, जो सिखों के धार्मिक नेता भी हैं, प्रेस के लिए एक वक्तव्य 27 मार्च, सन् 1931 को अमृतसर में दिया था जिसका सारांश यह है :

"मैंने सरकार द्वारा प्रकाशित उस विज्ञप्ति को पढ़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि सरदार भगत सिंह के शव की अंत्येष्टि क्रिया सिख-धर्मानुसार की गई है। गवर्नमेंट की यह विज्ञप्ति सत्य से परे है, परंतु यदि इसे सत्य भी मान लिया जाए तो यह तो स्पष्ट है कि अंत्येष्टि क्रिया सिखों के धर्मानुसार नहीं हुई थी। किसी 'ग्रंथी' को बिना ऐसे चार अन्य सिखों के, जो कि सिख-धर्म को कड़ाई से मानने वाले हों, अंत्येष्टि क्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है।

"अंत्येष्टि क्रिया के साधारण नियम ये हैं कि श्मशान की ओर प्रस्थान करने से पूर्व शव को दही और दूध से स्नान कराया जाता है। अर्थी चार सिखों के कंधों पर होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के शरीर पर पांचों 'कक्का' (सिखों के धार्मिक चिह्न) मौजूद हैं या नहीं ? 'रागियों' की एक संगीत-मंडली होनी चाहिए। इन रागियों को इस समय गुरु तेगबहादुर की बानी के 'शब्द' गाना चाहिए जो इसी अवसर पर गाए जाते हैं। यदि शव किसी 'शहीद' का हो, तो विशेष 'शब्द' गाए जाने चाहिए, जैसे कि "जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद" (अर्थात जिस मृत्यु से संसार भयभीत होता है, उससे मुझे आनंद प्राप्त होता है) इसके अतिरिक्त और भी ऐसी अनेक बातें हैं, जिनकी उपेक्षा न होनी चाहिए।

"स्वयं गवर्नमेंट के वक्तव्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई बात भी नहीं की गई थी। इस विज्ञप्ति का केवल इतना ही कहना है, कि अंतिम संस्कार एक ऐसे 'ग्रंथी' द्वारा संपन्न कराया गया, जिसका नाम और पता तक नहीं बतलाया गया।

"इस प्रकार के अधूरे वक्तव्य से सिख-जनता कदापि संतुष्ट नहीं हो सकती और वह उन सारी बातों का गवर्नमेंट से प्रमाण चाहती है, जिनका उल्लेख सरकारी वक्तव्य में किया गया है और वह इस मामले में गवर्नमेंट से कैफियत तलब करना चाहती है। गवर्नमेंट को सारी बातें स्पष्ट रूप से प्रकाशित करनी चाहिए।"

## लाशें कैसे जलाई गईं ?

सरदार भगत सिंह आदि के शव-दाह के विषय में जांच करने के लिए कांग्रेस की ओर से जो कमेटी नियुक्त की गई थी, उसने लाजपतराय हाल में 12 अप्रैल से बयान लेना शुरू कर दिया है। 12 अप्रैल को बयान शुरू होने से पहले डाक्टर सत्यपाल

ने बताया कि हमने पंजाब-सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस जांच में सहायता देने का अनुरोध किया था, पर वहां से जवाब मिला, कि सरकार इस मामले की जांच कर चुकी है और उसका नतीजा भी प्रकाशित कर दिया गया है; इसलिए अब वह और किसी जांच में सहायता देना नहीं चाहती। इसके बाद फीरोजपुर कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्री पृथ्वीचंद वकील, मि. शफ़ाअतुल्ला, श्रीमती पार्वती देवी और श्रीमती सोंधी की गवाहियां हुईं।

## श्री पृथ्वीचन्द वकील का बयान

श्री पृथ्वीचन्द ने अपने बयान में कहा, कि 24 मार्च को सवेरे 8 बजे मुझे मालूम हुआ, कि सरदार भगत सिंह आदि की लाशें, सतलुज के किनारे, पुराने पुल के पास जलाई गई हैं। मैंने पृथ्वी राम और जगन्नाथ को इस समाचार की सच्चाई की जांच करने को कहा। उन्होंने सवा नौ बजे वापस आकर कहा, कि खबर ठीक है। उन्होंने यह भी कहा, कि उस जगह से मिट्टी के तेल की बू आ रही है और जमीन अभी तक गरम है। सवा दस बजे के करीब एक सिख ठेकेदार ने भी आकर कहा कि रात ही को वहां लाशें दफना दी गईं और जमीन से अभी तक मिट्टी के तेल की बू आ रही है।

थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के रिश्तेदार मौके पर आए हैं। कुछ मित्रों के साथ मैं भी वहां पहुंचा। मैंने देखा, कि जहां लाशें दफनाई गई थीं, वहां से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। कुछ अधजले कोयले के टुकड़े भी वहां पर पड़े हुए थे। मैंने मेहरचन्द फोटोग्राफर को बुलाकर उस स्थान का फोटो खिंचवा लिया। एक आदमी ने जिसका नाम कृपाराम है, मुझे एक अधजला मांस का टुकड़ा दिखाया। वह अठन्नी के बराबर था और आध इंच के करीब मोटा था। उसने कहा कि चींटियां उस टुकड़े को घसीटकर ले जा रही थीं। वहां मुझे यह भी मालूम हुआ, कि वहां एक कटी हुई हड्डी मिली थी, जिसे भगत सिंह के घर वाले ले गए।

छुट्टी के दिन हम लोग फिर उस स्थान पर गए। खां शफ़ाअतुल्ला ने चिता-स्थान से करीब 30 कदम के फासले पर एक जगह दिखाई, जहां दाह-क्रिया के दूसरे दिन उसने खून देखा था। हम लोगों को वहां कुछ कंकड़ मिले, जिन पर खून लगा हुआ था। वे कंकड़ फिरोजपुर में मेरे पास रखे हुए हैं। पचास-साठ कदम के फसले पर एक झोपड़ी थी, जिसमें झोपड़ी वाले के सिवा एक और आदमी था। झोपड़ी वाले को कुछ मालूम न था, किंतु उस दूसरे आदमी ने कहा, कि दाह-स्थल के पास एक जगह उसने खून गिरा हुआ देखा था। रेलवे-फाटक पर उस समय मौजूद, एक आदमी से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि रात को 4-5 लारियां वहां

आई थीं, जिनमें अधिकतर अंग्रेज थे। एक पर डेढ़-दो मन लकड़ी और मिट्टी के तेल के कनस्तर भी थे।

रायजादा हंसराज के प्रश्न करने पर गवाह ने कहा, कि जहां दाह-क्रिया की गई थी, वहां तीन अर्थियां अलग-अलग रखकर नहीं जलाई जा सकती थीं। अगर ऐसा किया जाता, तो पास वाली झाड़ियों तक आग का असर जरूर पहुंचता, और एक झाड़ी तो जल ही जाती।

## मौलवी शफ़ाअतुल्ला का बयान

मौलवी शफ़ाअतुल्ला ने कहा, कि मैं एक सभा में भाषण दे रहा था, कि कृपाराम ने मुझे मांस का टुकड़ा और दूसरे कई लोगों ने हड्डियां दिखाईं। मैंने उपस्थित लोगों को वे चीजें दिखा दीं। 25 तारीख को सवेरे मैं उस स्थान पर गया, जहां लाशें जलाई गई थीं। वह जगह रस्सी से घेर दी गई थी, जिसमें लोग जूते पहनकर उस पर न जाएं। उस घेरे के अंदर 3-4 फुट ऐसी जगह थी, जहां से किरोसिन तेल की बू आ रही थी। कुरेदने से, वहां हड्डी के छोटे-छोटे टुकड़े निकलते थे, मेरे सामने वह जगह खोदी गई। उसमें से हड्डी के टुकड़े और अधजले कोयले निकले। उनसे मिट्टी के तेल की बू आ रही थी। वहां से कोई दो सौ गज के फासले पर एक जगह खून लगे हुए कंकड़ पड़े थे। मेरे साथियों ने उन्हें चुन लिया।

हमें मालूम हुआ, कि पुलिस वाले कसूर से ग्रंथी और आचार्य लाए थे। वहां जाकर तलाश करने पर हमें जगन्नाथ आचार्य मिल गया, पर ग्रंथी नहीं मिला। उसने साथ चलकर वह जगह दिखाई जहां लाश जलाई गई थी। उसने कहा, कि तीनों लाशें एक-एक बालिश्त के फासले पर रखी गई थीं। वह इससे अधिक कुछ नहीं बतला सका। कसूर में खोज करने पर मालूम हुआ, कि डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट शिवदर्शन सिंह ने 23 मार्च की शाम को,एक दूकान से 4 टिन मिट्टी का तेल खरीदा था। डाक्टर सत्यपाल की जिरह में गवाह ने कहा, कि जांच करते समय कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला, जिसने लाशों को काटते हुए देखा हो।

## श्रीमती पार्वती देवी का बयान

श्रीमती जी ने कहा, कि 24 मार्च को मैं सरदार भगत सिंह की बहन और दूसरी कई स्त्रियों के साथ, सतलुज के किनारे उस स्थान पर गई, जहां भगत सिंह आदि की लाशें जलाई गई थीं। मुझे वह जगह मालूम न थी। मैं लोगों से पूछताछ कर ही रही थी, कि इतने में मेरा पांव एक ऐसी जगह जा पड़ा, जहां की जमीन गरम थी। वहां से मिट्टी के तेल की सख्त बू आ रही थी। मैंने उस स्थान को कुरेदा तो

कई छोटे-छोटे मांस के टुकड़े मिले। एक टुकड़ा अब भी मेरे पास है। श्रीमती सोंधी ने भी श्रीमती पार्वती देवी के बयान का समर्थन किया।

## फिरोजपुर में जांच-कमेटी

15 अप्रैल को, जांच-कमेटी फिरोजपुर पहुंची। वहां जाते समय सदस्यगण दाह-स्थान देखने के लिए भी गए। आज वह स्थान नहीं पहचाना जाता था, बालू से स्थान बराबर कर दिया गया था और स्वयंसेवकों द्वारा बनाया हुआ घेरा भी तोड़ डाला गया था। दो खुफिया पुलिस के आदमी थोड़ी दूर से उस स्थान की निगरानी कर रहे थे। सड़क के दूसरी ओर करीब एक फर्लांग की दूरी पर तीन खीमे गड़े हुए थे, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पुलिस के सिपाही बैठे थे। जमीन के बराबर किए जाने के संबंध में पूछने पर सी. आई. डी. वालों ने अपनी अनभिज्ञता जतलाई।

फिरोजपुर में गवाहियां लेने पर, फोटोग्राफर लाला मेहरचंद, जिन्होंने दाह-स्थान का फोटो लिया था और कृपाराम नामक एक दुकानदार ने पिछले बयानों का समर्थन किया। कृपाराम ने कमेटी के सामने एक बोतल पेश की, जिसमें चिता-स्थान पर पाया गया मांस का एक टुकड़ा रखा गया था। टुकड़े का वजन 1 छटांक के लगभग था।

हरवंशलाल नामक एक मोटर-ड्राइवर ने कहा, कि कृपाराम ने उसके सामने मांस का टुकड़ा चिता-स्थान पर पाया था। गवाह ने उससे एक छोटा-सा टुकड़ा तावीज बनाने के लिए लिया।

नौजवान भारत-सभा के अध्यक्ष महाशय अमरनाथ ने कहा, कि उन्हें उस स्थान पर कुछ जली हुई हड्डियां मिलीं। गवाह ने हड्डियों को कमेटी के सामने पेश भी किया।

पं. चिरौंजीलाल ने भी मांस का एक टुकड़ा कमेटी के सामने पेश किया।

फिरोजपुर के लाला मुकुन्दलाल, एडवोकेट ने कहा कि दाह-स्थान 4 वर्गफीट से ज्यादा न होगा। इतने संकीर्ण स्थान में तीन लाशें अलग-अलग नहीं जलाई जा सकती थीं। उन्होंने कहा कि जान पड़ता है, कि लाशों के जलने में काफी लकड़ी का व्यवहार नहीं किया गया था और हिन्दू या सिख किसी की भी लाश किरोसिन के तेल से जलाना धर्म के विरुद्ध है। मौलवी मुहम्मद हुसैन, दीवान दुर्गाप्रसाद, बाबा चरण सिंह आदि वकीलों ने भी, जिन्होंने इस विषय की पूरी जांच की थी, उक्त बयानों का समर्थन किया। डा. सत्यपाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए मौलवी मुहम्मद हुसैन ने कहा, कि लाशों के काटे जाने की बात उन्होंने सुनी है, किंतु इस विषय का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास नहीं है।

## ग्रंथी ने क्या किया ?

सरदार लाभ सिंह ने कसूर में कमेटी के सामने अपना बयान देते हुए कहा कि नत्था सिंह ग्रंथी ने उससे कहा कि 23 मार्च की रात को वह बड़ी मुश्किल में पड़ा था। ग्रंथी ने गवाह को बतलाया कि 23 मार्च की शाम को 7 बजे के लगभग एक पुलिस का आदमी उसके पास आया और पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुदर्शन सिंह के पास चलने को कहा। पुलिस के सिपाही ने कहा कि 'अखंड पाठ' के लिए ग्रंथी की आवश्यकता है। वहां पहुंचने पर ग्रंथी से कहा गया कि, गंडासिंघवाला में पाठ की जरूरत है। इसके बाद आचार्य जगन्नाथ के साथ ग्रंथी गंडासिंघवाला लाया गया। उन लोगों के साथ किरोसिन तेल के 3 कनस्तर भी लाए गए। पुलिस के कुछ अफसर और कुछ कांस्टेबिल भी उनके साथ थे। गंडासिंघवाला स्टेशन पहुंचने पर उन्हें एक लारी मिली।

## लाहौर से भी लारियां आईं

इसके बाद लाहौर की ओर से भी 4 लारियां आईं। एक लारी से पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अमर सिंह उतरे और वे ग्रंथी की लारी में जा बैठे। उनकी आज्ञानुसार लारी पुराने पुल के पास लाई गई। अन्य लारियां भी वहीं आकर खड़ी हुईं। अमर सिंह ने ग्रंथी और आचार्य से कहा, कि उनके साथ एक सिख और दो हिंदुओं की लाशें हैं, जिन्हें वे जलाना चाहते हैं। ग्रंथी और आचार्य को उन मृतकों के नाम नहीं बतलाए गए। किंतु तो भी ग्रंथी को संदेह हुआ कि ये लाशें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की हैं। जब टार्च की सहायता से उसने लाशों को देखा तो मालूम हुआ कि मृतकों के मुंह और नाक से खून बह रहा है। एक पुलिस कांस्टेबिल ने लाशों की पोशाक को फाड़ डाला और स्नान करा कर कपड़े में उन्हें लपेटा और एक ही चिता पर तीनों लाशों को रख दिया। लाश के ऊपर और नीचे लकड़ियां रखी हुई थीं। चिता पर मिट्टी का तेल डाल दिया गया। तब ग्रंथी और आचार्य से अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया। उन्होंने मिट्टी के तेल की सहायता से आग लगा दी। इसके बाद उनसे लारी में चले जाने के लिए कहा गया। लारी में आकर वे करीब ढाई घंटे तक पुलिस वालों की इंतजारी में बैठे रहे। इतनी देर के बाद चिता पर पानी डाल दिया गया और कुदाली से भस्म, हड्डी आदि वस्तुओं को इकट्ठा कर कंबली में बांधा गया और नदी में छोड़ दिया गया। इसके बाद ग्रंथी और आचार्य कसूर लाए गए। वे साढ़े पांच बजे सुबह कसूर पहुंचे।

## सिखों का अंतिम संस्कार

गवाह ने आगे कहा कि वह सरदार अमर सिंह और लाला मणिराम के साथ साढ़े ग्यारह बजे दाह-स्थान देखने गया था। चिता स्थान किरोसिन तेल से भीगा हुआ था। वहां चीड़ की लकड़ियों के कोयले पड़े हुए थे, जिससे पता चला, कि लाशों के जलाने में चीड़ की लकड़ी का ही व्यवहार किया गया है।

अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा, कि सिख धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए एक घंटे की आवश्यकता है। संस्कार खतम हो जाने के बाद चिता में आग लगाई जाती है। गवाह ने कहा कि उसकी राय में मृतकों का अंतिम संस्कार उचित रीति से नहीं किया गया, क्योंकि न तो ग्रंथी को उसके लिए समय ही दिया गया और न वह अंतिम संस्कार के लिए तैयार ही होकर आया था। इसके अतिरिक्त 'कढ़ाह प्रसाद' भी, जो इस संस्कार के लिए अत्यावश्यक है, तैयार नहीं कराया गया था। ग्रंथी ने गवाह से कहा था, कि उससे कोई संस्कार नहीं कराया गया था।

सिख-धर्मानुसार लाश को रात में जलाना मना है। इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कम-से-कम गवाह ऐसी कोई घटना के विषय में नहीं जानता है।

डा. सत्यपाल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गवाह ने कहा, कि किसी सिख की लाश को, मृतक के किसी संबंधी या पुरोहित को छोड़कर और कोई नहीं छू सकता। उसकी लाश को हर एक मनुष्य नहीं छू सकता है। ग्रंथी ने उससे कहा था कि वे पुलिस कांस्टेबिल, जिन्होंने मृतकों को स्नान कराया, भिन्न धर्मावलंबी थे। ग्रंथी ने यह भी कहा, कि अंतिम संस्कार के संबंध में उससे कोई बात नहीं पूछी गई थी।

लाला मणिराम जैन ने अपना बयान देते समय डा. सत्यपाल के पूछने पर कहा कि तीन लाशों को अच्छी तरह जलाने के लिए 50 मन लकड़ी की आवश्यकता है। हिंदू-धर्म के अनुसार भी, मृतक शरीर को उसके संबंधी और पुरोहित के सिवा दूसरा कोई नहीं छू सकता और रात के समय लाश नहीं जलाई जा सकती। लाश जलाने के चौथे दिन भस्म इकट्ठा किया जाता है और वह हरिद्वार भेजा जाता है।

## मिट्टी के तेल के संबंध में

कसूर की म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेजिडेंट डा. बोधराज ने कहा, कि वे 'ट्रिब्यून' के स्थानीय संवाददाता हैं। उन्होंने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों जरिए से जांच की है। आचार्य और ग्रंथी के पास भी वे पता लगाने के लिए गए थे। ग्रंथी ने यह स्वीकार किया है, कि लाशों के जलाने में मिट्टी का तेल काम में लाया गया है। गवाह ने तेल के ठेकेदार से भी इस बात की जांच की थी। उसने यह बात स्वीकार की थी, कि पुलिस वाले उसके यहां से 4 टिन मिट्टी का तेल ले गए थे; किंतु

24 तारीख को तेल लौटा दिया गया। इसके बाद सरदार नत्था सिंह कमेटी के सामने पेश किए गए।

सभापति ने सूचित किया कि उन्हें पता चला है कि पुलिस ने ग्रंथी को बुला भेजा है। उन्होंने ग्रंथी से पूछा कि वह अपना बयान देने के लिए तैयार है या नहीं ? ग्रंथी अपने मित्रों से इस संबंध में सलाह करने के लिए बाहर चला गया और कुछ मिनटों के पश्चात लौटकर उसने कमेटी से कहा कि वह अपना बयान देने के लिए तैयार नहीं है।

सभापति ने पूछा—अपना बयान देने में आपको किसी बात का डर है ?

ग्रंथी—मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। मुझे इस पर सोच-विचार करने के लिए 15 मिनट का समय दीजिए।

गवाह को समय दिया गया। उसने फिर बाहर जाकर अपने मित्रों से सलाह ली। किंतु एक घंटा बीत जाने पर भी वह नहीं लौटा। कमेटी का कार्य दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

●●●